षोडश माला, खंड 3, अंक 11

सोमवार, 21 जुलाई, 2014
30 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 91
Dated 13 May 2020

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पन्द्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

अतुल कौशिक
अपर सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

सुमन रतन
अपर निदेशक

कीर्ति प्रभा
संयुक्त सम्पादक

इन्दु बख्शी
सम्पादक

समर कुमार
सहायक सम्पादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[षोडश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2014/1936 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 21 जुलाई, 2014/30 आषाढ़, 1936 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 186	2-54
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 187 से 200	54-112
अतारांकित प्रश्न संख्या 1445 से 1652	113-665
सभा पटल पर रखे गए पत्र	666-670, 708-709
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बूचड़खाने बंद किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज	681
(दो) पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया	682
(तीन) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जिन किसानों के खेतों का उपयोग हाई टेंशन टॉवर लगाने के लिए किया गया है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	682-683
(चार) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	683
(पांच) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के बारे में संसद सदस्यों को सूचना उपलब्ध कराने और उनकी राय जाने की आवश्यकता	
श्री सुशील कुमार सिंह	683-684
(छह) संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी	684

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(सात) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने तथा इसके निर्माण की गुणवत्ता की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री विद्युत वरन महतो	684-685
(आठ) पानीपत और जालंधर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के निर्माण में तेजी लाए जाने तथा इसके पूरा होने तक इस राजमार्ग पर टोल टैक्स संग्रहण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री रवनीत सिंह	685-686
(नौ) झारखंड में चार्स (नदी द्वीपसमूह) का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजे जाने की आवश्यकता	
श्रीमती मौसम नूर	686
(दस) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले टोल टैक्स में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री बी. सेनगुट्टुवन	686-687
(ग्यारह) ओडिशा में गोपालपुर और धामरा पत्तनों पर यात्रियों द्वारा जहाज पर सवार होने और उतरने के लिए उन पत्तनों को आव्रजन केन्द्रों के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	687
(बारह) बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोनार क्रेटर में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और एक पर्यटक स्थल के रूप में उसका विकास किये जाने की आवश्यकता	
श्री प्रतापराव जाधव	687-688
(तेरह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चयन के लिए नए फार्मेट की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव	688
(चौदह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेश कुमार	688-689
(पंद्रह) पूर्णिया से इस्लामपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की मरम्मत किए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष कुमार	689
(सोलह) देश में रबड़ की खेती संबंधी अध्ययन और उत्पाद विकास अनुसंधान हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री जोस के. मणि	689-690

विषय	कॉलम

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

तीसरा प्रतिवेदन 690

नियम 331छ के निलंबन के बारे में प्रस्ताव 690-691

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अनुदानों की मांगों को स्थायी समितियों को सौंपना 691

अनुदानों की मांगें (सामान्य) — 2014-15

जल संसाधन मंत्रालय 695

श्री गौरव गोगोई 696-705

कटौती प्रस्तावों का पाठ 705-708

श्रीमती विजया चक्रवर्ती 709-712

श्री आर.के. भारती मोहन 712-716

डॉ. रत्ना डे (नाग) 716-718

श्री तथागत सत्पथी 718-721

श्री अरविंद सावंत 721-725

श्री एन. क्रिष्टप्पा 725-726

श्रीमती अंजू बाला 726

श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी 727-728

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया 728-729

श्री देवुसिंह चौहान 729-730

श्री कडियम श्रीहरि 730-732

श्री अधीर रंजन चौधरी 733-737

श्रीमती रमा देवी 738-740

श्री मोहम्मद बदरूद्दोज़ा खान 740-742

श्रीमती कोथापल्ली गीता 742-744

श्रीमती सुप्रिया सुले 744-748

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी 748-750

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 750-754

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 754-755

विषय	कॉलम

श्रीमती संतोष अहलावत 755

श्री नित्यानन्द राय 755-757

श्री शिवकुमार उदासि 758

श्री तारिक अनवर 758-759

श्री अक्षय यादव 759-762

श्री पी.आर. सुन्दरम 762-764

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 764-766

श्री रामा किशोर सिंह 766-767

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 767-769

श्री शैलेश कुमार 769-771

कुंवर भारतेन्द्र सिंह 771-773

श्री एच.डी. देवगौड़ा 773-777

श्री दद्दन मिश्रा 777

कुमारी सुष्मिता देव 778

श्री अजय मिश्रा टेनी 778-779

श्री हरिनरायन राजभर 779

साध्वी निरंजन ज्योति 779-780

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 780-782

श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल 782-784

श्री राम चरित्र निषाद 784-785

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 785-787

श्री राम कृपाल यादव 787-789

श्री कौशलेन्द्र कुमार 789-790

श्रीमती रक्षाताई खाडसे 790-791

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 791-795

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 795-796

श्रीमती ज्योति धुर्वे 796-797

डॉ. के. गोपाल 797-798

विषय	कॉलम
श्री राजेश वर्मा	799
श्री वीरेन्द्र सिंह	799-802
श्री गणेश सिंह	802-804
श्री अभिजित मुखर्जी	804-807
श्री जुगल किशोर	807-808
श्री रामचरण बोहरा	808-809
श्री सी.आर. चौधरी	809-811
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	811-813
कुमारी शोभा कारान्दलाजे	813-814
श्री रमेश बिधूड़ी	814-816
श्री हंसराज गंगाराम अहीर	816-818
श्री सुनील कुमार सिंह	818
श्री जगदम्बिका पाल	818-820
श्रीमती कृष्णा राज	820-821
श्री शरद त्रिपाठी	821-822
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	822
सुश्री उमा भारती	823-828
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
कटौती प्रस्ताव	695-696
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	845-846
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	846-852
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	853-854
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	853-854

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. एम. तंबिदुरै
श्री हुक्मदेव नारायण यादव
प्रो. के.वी. थॉमस
श्री आनंदराव अडसुल
श्री प्रहलाद जोशी
डॉ. रत्ना डे (नाग)
श्री रमेन डेका
श्री कोनाकल्ला नारायण राव
श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. श्रीधरन

लोक सभा

सोमवार, 21 जुलाई, 2014/30 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। कानून मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह एक गंभीर मामला है। कोई भी राजनीतिक दल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है?

महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। कृपया इस पर विनिर्णय दें...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद मैं इसकी अनुमति दूंगी।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तंबिदुरै : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। उसके बाद; आप अपना विनिर्णय दें। आज के समाचार पत्र में यह कहा गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय में एक भ्रष्ट न्यायाधीश कैसे बना रह सकता है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया समाचार पत्र न दिखाएं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तंबिदुरै : यह वक्तव्य मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा भी दिया गया था। अब वे भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद मैं इसकी अनुमति प्रदान करूंगी। आपको नियम पता हैं। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगी।

...*(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : तंबिदुरै जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपको प्रश्न काल के बाद ही इसकी अनुमति प्रदान करूंगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदया, हरियाणा में गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी में दखलंदाजी करके उसे तोड़ दिया है।...*(व्यवधान)* यह असंविधानिक है। ऐसे तो हर सरकार कब्ज़ा कर लेगी। ...*(व्यवधान)* यह सीधे तौर पर दखलंदाजी है।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर विषय है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको भी प्रश्न काल के बाद बोलने का मौका दिया जाएगा। मैं प्रश्न काल के बाद ही इसकी अनुमति प्रदान करूंगी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको मालूम है कि मैं क्या कहने जा रही हूं? चन्दूमाजरा जी, आपने प्रश्न काल स्थगित करने का नोटिस दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको प्रश्न काल के बाद पहले नम्बर पर बोलने का मौका जरूर दूंगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 181, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल।

ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

***181. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और इसके विकास के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रीय भाषा संबंधी सीमाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ई-शासन पहलों में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं को पारदर्शी तरीके से दक्षतापूर्वक प्रदान करने के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटिंग टूल्स और कार्यविधियों के विकास और उन्हें अपनाए जाने के लिए प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और ग्रामीण जनसंख्या तक प्रभावी ढंग से पहुंच बनाने के लिए और क्या पहलें की गईं अथवा की जा रही हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) योजना शुरू की है।

ग्रामीण भारत में इंटरनेट समर्थित 1,00,000 से अधिक केन्द्रों की स्थापना के लिए सितम्बर, 2008 में भारत सरकार द्वारा यथानुमोदित सीएससी योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत रूप से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए अग्रणी सेवा प्रदायगी स्थलों के रूप में सीएससी की परिकल्पना की गई है। अब तक सभी 36 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1,34,589 सीएससी का कार्यान्वयन किया गया है।

(ख) जी, हां, भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि भाषा संबंधी बाधाओं ने ग्रामीण भारत में ई-शासन के प्रयासों में अवरोध पैदा किया है। भारत एक बहुभाषी देश है, जिसकी 22 राजभाषाएं हैं। देश में 10 प्रतिशत से कम लोग ही अंग्रेजी में पढ़ और लिख सकते हैं। भारतीय भाषाओं के संबंध में बहुत सी समस्याएं हैं जैसे कि वर्तनी (वर्तनी की समस्या), उच्चारण (प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था की जा सकती है, किन्तु हमेशा नहीं), कई भाषाओं के लिए लिपि और एक लिपि वाली कई भाषाएं आदि।

क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल वेब के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि अक्षर एनकोडिंग, बैंडविड्थ की लागत, प्रस्तुतीकरण की समस्या, उपकरण की सीमाएं, मानकीकरण का अभाव, फोंट्स, पैतृक उपकरणों में फोन्ट की बैकवर्ड अनुरूपता, प्रस्तुतीकरण की समस्या, सभी अक्षरों के लिए उपलब्धता का अभाव, बहुविध लिपियों की समस्या, ग्लिफ सहयोग का मानकीकरण, अक्षर संरचना और हैण्डसेट विनिर्माता के कार्यान्वयन स्तर पर तार्किक निर्भरता।

इसके अलावा, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से जुड़ी हुई भी कुछ समस्याएं हैं जैसे कुछ अनुप्रयोग पूरी तरह से केवल अंग्रेजी में हैं, कुछ अनुप्रयोगों में स्थानीय भाषा में स्थायी सामग्री है परन्तु फार्म अंग्रेजी में हैं और कुछ अनुप्रयोग बहुभाषी हैं, किन्तु केवल सीमित भाषाओं में (जैसे अंग्रेजी और केवल एक स्थानीय भाषा)।

(ग) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्थानीयकरण परियोजना प्रबंध ढांचा (एलपीएमएफ) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को उनकी अपनी भाषाओं में सरकारी बेवसाइटें और ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सूचना के प्रसार और आधारभूत स्थानीयकरण टूल और सेवाएं प्रदान करने के लिए 18 फरवरी, 2014 को एक पोर्टल *http://localization.gov.in* शुरू किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी सहित संविधान से मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं के लिए भाषा अभिकलन टूल युक्त नि:शुल्क भाषा सीडी का विकास किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सी-डैक (प्रगत संगणन विकास केन्द्र) के अंतर्गत लगभग 250 प्रशिक्षण केन्द्र हैं (कम्प्यूटर शिक्षण को उन्नत करने के लिए कार्यक्रम-पेस), जो भाषा प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(घ) भारत सरकार ने शहरी-ग्रामीण अंकीय विभाजन को दूर करने और प्रभावी ढंग से ग्रामीण जनता तक पहुंचने के लिए विभिन्न से प्रयास किए हैं:-

(i) **सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी):** सीएससी देश के ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत रूप से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी सेवा प्रदायगी स्थल हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान 1282 सीएससी को शामिल करते हुए 9 राज्यों (हिमालच प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, केरल, झारखंड और महाराष्ट्र) में एक ग्रामीण सम्पर्क अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सीएससी द्वारा ग्रामीण जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं को बढ़ावा देना और इनके बारे में जागरुकता पैदा करना है।

(ii) **भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल):** टीडीआईएल कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा सीडी *http:www.ildc.nic.in* से नि:शुल्क डाउनलोड की जा सकती है तथा अनुरोध करने पर ये किसी भी प्रयोक्ता को उसकी दहलीज पर नि:शुल्क डाक द्वारा भेजी जाती है। इन भाषा सीडी में विद्यमान सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से ग्रामीण प्रयोक्ता विभिन्न कार्यकलाप कर सकते हैं जैसे कि स्थानीय भाषाओं में पत्र/आवेदन-पत्र लेखन, सूचना सामग्री तैयार करना, डेटाबेस तैयार करना, प्रस्तुतीकरण करना, ऑनलाइन संदेश भेजना, ई-मेल भेजना तथा वेब ब्राउजिंग आदि।

(iii) **स्थानीयकरण परियोजना प्रबंध ढांचा (एलपीएमएफ):** एलपीएमए परियोजना के अंतर्गत टूल्स, संसाधन और सेवाओं का विकास किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में 7 अन्य

एमएमपी को शामिल करते हुए 15 अतिरिक्त यूआरएल का विकास और *http://localization.gov.in* पर सतही स्थानीयकरण प्लग-इन का नियोजन शुरू किया गया है। एलपीएमएफ के अंतिम नियोजन की योजना बनाई गई है, जिसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जाएगा। टीडीआईएल द्वारा तैयार की गई प्रणाली जैसे कि मशीनी अनुवाद प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए इंटरफेसों का विकास किया जा रहा है तथा एलपीएमएफ के साथ इनका एकीकरण किया जा रहा है ताकि मिशन मोड परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अंशदाता प्लग-इन के जरिए अनुवाद सहयोग सुकर किया जा सके।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : महोदया, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी का विज़न है कि ई-शासन से सामर्थ्यता, साम्यता और दक्षता आती है जैसा कि गुजरात के गांवों में ई-ग्राम विश्वग्राम योजना चल रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली जनता तक सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या रणनीति तैयार की है? क्या क्षेत्रीय भाषा में टूल्स, एप्लीकेशन और कम्प्यूटर में प्रयोग होने वाली पद्धति तैयार करने के लिए तथा वर्तमान की भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अभी भी कम्प्यूटिंग टूल्स का जो अभाव है और इसमें संतोषपूर्वक सुधार लाने के लिए कोई समीक्षात्मक बैठक कर कोई कारगर कदम उठाने का प्रावधान किया है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकारी आईटी की पूरी सुविधा गांवों तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। यह जो कॉमन सर्विस सेंटर की परिकल्पना है, जिसके आधार पर हम गांवों में ये सुविधाएं पहुंचाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक 134589 सेंटर काम कर रहे हैं और आपने जो बात कही कि गुजरात में यह काफी सफल रहा है। इसकी सफलता के बारे में मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि संबंधित प्रदेश में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और मैंने इसको मालूम करने की कोशिश की है कि कई प्रदेशों में बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, लैंड संबंधित रिकार्ड्स, रेलवे रिजर्वेशन इत्यादि सब काम कर रहे हैं। इसमें और सुधार की गुंजायश है तथा हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम उसके लिए कृतसंकल्प हैं।

आपने जो स्थानीय भाषाओं की बात कही, वह भी आपने सही कही, अभी तक मिशन मोड पर लगभग 15 वेबसाइट्स भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कई भाषाओं में आ गयी हैं। हमारा पूरा दृष्टिकोण है कि बाकी जो संविधान की 22 भाषाएं हैं, उसमें भी यह हो सके, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, कृषि, हैल्थ, शिक्षा, सामाजिक कल्याण ऊर्जा तथा ई-गवर्नमेंस के क्षेत्र में देश की जनता को इंटरनैट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के सभी लोगों को व्यापक तौर पर कम्प्यूटर लिटरेट करने के लिए, उन्हें सूचना क्रांति से जोड़ने के लिए सरकार ने क्या कोई ई-लाइब्रेरी बनाने का या प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार किया है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि यह एक सतत कार्यक्रम चलता रहता है। भारत सरकार नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क के पूरे क्षेत्र को काफी विस्तारित करने जा रही है जिसके अनुसार इस वर्ष 50000 ग्राम पंचायत, अगले वर्ष एक लाख पंचायत और उसके अगले वर्ष एक लाख पंचायतों को नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। इसके साथ ही साथ मैं सदन के सामने यह बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग ने हिन्दी सॉफ्टवेयर को निकाला है जिसके माध्यम से कोई भी इसे डाउनलोड करके हिन्दी के सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है। बाकी भाषाओं में भी ये सब सॉफ्टवेयर उपलब्ध हों, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन जहां तक आपने इलिटरेसी की बात कही, यह सरकार और निजी क्षेत्र दोनों इस क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब ये सारी सुविधाएं गांवों में उपलब्ध होंगी तो इसकी सक्रियता और ट्रेनिंग दोनों बढ़ेगी। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।

श्री राजीव सातव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा युवाओं की आबादी है और 60 प्रतिशत से ज्यादा युवा गांवों में बसे हैं। इसलिए इन युवाओं को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के द्वारा हर गांव को जोड़ने के बारे में क्या सरकार का कोई लक्ष्य है? अगर हां तो सरकार कब तक हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ेगी?

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के उत्तर में बताया, नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क से इस पूरे ब्रॉडबैंड को हम गांव तक लाने के लिए कृतसंकल्प है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि इसको फॉस्ट ट्रैक करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि 50000 ग्राम पंचायत इस वर्ष, एक लाख ग्राम पंचायत अगले वर्ष और एक लाख ग्राम पंचायत उसके बाद के वर्ष में करेंगे तो देश के ढाई लाख ग्राम पंचायत में हम पहुंचेंगे। लेकिन यह मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जो मैंने सारे कॉमन सर्विस सेंटर के ऑपरेशन की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो

मुझे इस बात को बताते हुए असीम प्रसन्नता हो रही है कि जहां-जहां महिलाएं इसको ऑपरेट कर रही हैं, वहां इसकी सफलता बहुत ही अच्छी है। इसलिए मैंने इस बात का निर्णय किया है कि मैं सारे मुख्य मंत्रियों को लिखूंगा कि राजस्थान, गुजरात में और भी कई प्रदेशों में इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग किया जाए तो शायद इसकी सफलता और होगी।

[अनुवाद]

श्री प्रेम दास राई : महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। भारत अपने सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है; हमने इस क्षेत्र में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं भारत उसके लिए जाना जाता है। आज हम इन उपलब्धियों के लाभों को हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ई-शासन को जिस तरीके और जिस विधि से ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाया जा रहा है क्या उसका पूर्ण विकेंद्रीकरण किया जाएगा। मुझे लगता है कि ई-शासन के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक हम उसी प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे जिसका हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं। राज्यों में इसके प्रसार के लिए व्यापक विकेंद्रीकरण और शक्ति का अंतरण करना आवश्यक है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यदि हम पूरे देश में आई टी नेटवर्क का विस्तार करना चाहते हैं तो हमें राज्य सरकारों को साथ लेकर चलना होगा। यहां तक कि सामान्य सेवा केन्द्रों के संबंध में भी, जो मूल प्रश्न इस समय उठाया गया है, वह यह है कि ग्रामीण समितियों की पहचान करने जिला स्तरीय एजेंसियों की पहचान करने; और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार को शामिल किया जाना बहुत जरूरी है। अत: माननीय सदस्य की चिंता पूर्णत: सदाशयी और सही है। राज्य सरकारों और केन्द्र को मिलकर काम करना होगा। मैं इस समय जिस मुख्य क्षेत्र को ध्यान में रखे हुए हूं वह यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाएं ताकि देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आईटी नेटवर्क शीघ्र पहुंचे।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें गरीब आदमी को एक दिन में फूड पर्ची देने का अभियान तीन बार सिर्फ इसलिए टालना पड़ा क्योंकि पर्चियां निकल नहीं सकी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ऐसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो वास्तव में सरकार ने लिए थे, उस तकनीक के अपग्रेडेशन या सहयोग करने के लिए क्या कोई सरकार की योजना है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है वह बैंडविद की उपलब्धता के बारे में है। माननीय सदस्य ने सही प्रश्न उठाया है, जैसे कई जगह बिजली नहीं होती है उसी प्रकार कई जगह बैंडविद अवेलेबल नहीं होता है। मैंने कई जगह इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। जब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा तो इसके माध्यम से बैंडविद की उपलब्धता भी बढ़ेगी और इन सब सुविधाओं को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। हां, माननीय सदस्य का सुझाव जनोपायोगी कार्यक्रम के बारे में बहुत सही है कि जैसे राशन कार्ड की बात है या कोई लैंड रिकॉर्ड चाहता है, कोई बर्थ या कास्ट सर्टिफिकेट चाहता है, मैं उनके बारे में अपने विभाग को निर्देश दूंगा कि प्रदेश के साथ कोऑर्डिनेट करके इस बात की चिंता करें कि जो प्रियारिटी की सुविधाओं की उपलब्धता हो। हम इसकी पूरी चिंता करेंगे।

नए डाकघर खोला जाना

***182. श्री रामदास सी. तडस :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघर अपने अनेकों उत्पादों और सेवाओं के साथ देश के विशेषकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में मददगार रहे हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए पृथक-पृथक क्या मानदंड/मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विकास की गति को तेज करने के लिए महाराष्ट्र में वर्धा जिले सहित देश के विभिन्न भागों में नए डाकघर खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किन-किन स्थानों को चिह्नित किया गया है तथा कितनी धनराशि आबंटित की गई है/कितनी जारी की गई है; और

(ङ) नए चिह्नित स्थानों पर डाकघरों के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। डाकघर अपनी विविध सेवाओं के जरिए देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण तीन अधिक प्रवाहों अर्थात् वस्तुओं, सूचना तथा धन के प्रवाह को सुगम बनाते हैं। डाक नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाने

वाली विभिन्न सेवाओं की सूची संलग्न अनुबंध-I में दी गई है। इन सेवाओं के माध्यम से डाकघर विकास को बढ़ावा देते हैं। इस संबंध में इनकी भूमिका उन ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है जहां ऐसी सेवाओं के अन्य सेवा प्रदाताओं की संख्या अत्यंत कम है। डाक नेटवर्क की महत्ता को एक ऐसी अवसंरचना के रूप में मानते हुए जो सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, सरकार देश में डाक सुविधाओं के विकास के एिल विभिन्न कदम उठा रही हैं ताकि शहरी तथा ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। इनमें डाकघरों का आईटी समर्थित होना तथा सेवाओं का आधुनिकीकरण शामिल हैं।

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने संबंधी मानदंड/मानक संलग्न अनुबंध-II में दि गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने योजनागत स्कीम – "ग्रामीण व्यवसाय और डाक नेटवर्क तक पहुंच" के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्नियोजन और पुनर्स्थापन द्वारा, महाराष्ट्र सहित देशभर में 80 ग्रामीण डाक सेवक डाकघर और 80 उप-डाकघर खोलने का निर्णय लिया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए सर्किल-वार वास्तविक लक्ष्य और सर्किलों को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है। नए डाकघर खोलने के लिए स्थलों के संबंध में पूर्व निर्णय नहीं लिया जाता है। इसका निर्णय नए डाकघर खोलने संबंधी प्रस्तावों की प्राप्ति, निधियों की उपलब्धता और विषयगत निर्धारित मानक पूरा करने के अध्यधीन लिया जाता है।

(ङ) उक्त डाकघर खोलने की समय-सीमा चालू वित्तीय वर्ष (2014-15) है।

अनुबंध-I

डाक विभाग द्वारा प्रदत्त उत्पाद/सेवाएं

1. **पारंपरिक डाक:**

(i) पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक-पोस्ट, लिफाफे, व्यावसायिक उत्तर सेवा, पार्सल।

(ii) विशिष्ट सुविधाएं – पंजीकरण, कैश ऑन डिलीवरी (मूल्यदेय डाक), बीमा।

2. **प्रीमियम उत्पाद:**

(i) स्पीड पोस्ट – समयबद्ध एवं भरोसेमंद वितरण सेवा।

(ii) बिजनेस पोस्ट – थोक डाक के लिए डाक प्रेषण से पूर्व के कार्यकलाप।

(iii) एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट – कॉर्पोरेट ग्राहकों को सड़क मार्ग से पार्सलों का एक्सप्रेस वितरण।

(iv) लॉजिस्टिक पोस्ट – भारी पार्सलों और कन्साइनमेंट का वितरण।

3. **ई-समर्थित सेवाएं:**

(i) ई-पोस्ट – कम्प्यूटर/इंटरनेट की सुविधा प्राप्त तथा इनसे वंचित लोगों के बीच की दूरी को कम करता है।

(ii) ई-बिल पोस्ट – यह जनोपयोगी सेवाओं के बिलों के भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवा है।

(iii) बिल मेल सेवा – वित्तीय विवरणों जैसे आवधिक पत्रों के डाक प्रेषण हेतु एक किफायती समाधान।

4. **धन अंतरण:**

(i) घरेलू मनीआर्डर सेवा

- इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर (ईएमओ) – धनांतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है। एक ई-एमओ के द्वारा अधिकतम 5000/- रुपए की राशि भेजी जा सकती है।
- तत्काल मनीआर्डर (आईएमओ) – एक ऑनलाइन धनांतरण प्रणाली, जिसके अंतर्गत धन प्रेषण तत्काल किया जाता है। इस सेवा के माध्यम से 5000/- रुपए से 50000/- रुपए तक की राशि प्रेषित की जा सकती है।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण प्रणाली – विदेशों से भारत में धन अंतरित किए जाने का कार्य मैसर्स वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर और मैसर्स मनीग्राम के सहयोग से किया जा रहा है। अन्य देशों के डाक प्रशासनों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के माध्यम से धन प्रेषण की सुविधा भी उपलब्ध है।

5. **वित्तीय सेवाएं:**

(i) डाकघर बचत बैंक खाते – बचत बैंक, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी)

(ii) कोर बैंकिंग समाधान;

(iii) तृतीय पक्ष उत्पाद – म्यूचुअल फंड की रिटेलिंग, नई पेंशन योजना आदि

6. डाक जीवन बीमा:

(i) डाक जीवन बीमा – सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लाभार्थ सबसे पुरानी जीवन बीमा योजना।

(ii) ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ग्रामीण जनता की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करती है।

7. रिटेल सेवाएं:

(i) बिल संग्रहण

(ii) डाटा संग्रहण – भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महापंजीयक

(iii) संघ लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालयों आदि के आवेदन पत्रों की बिक्री

(iv) मनरेगा के लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान, आदि

(v) रेल टिकटों की बुकिंग

(उपरोक्त सूची सांकेतिक है, समग्र नहीं)

अनुबंध-II

डाकघरों को खोलने के लिए मानदंड

1. ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों को खोलने के लिए मानदंड:

1.1 जनसंख्या:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

प्रस्तावित डाकघर द्वारा 3000 की जनसंख्या वाले गांवों के समूह को सेवा प्रदान करना (प्रस्तावित डाकघर के गांव की 1000 जनसंख्या सहित)।

(ख) पर्वतीय, जनजातीय, मरूस्थलीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में:

एक गांव में 500 जनसंख्या तथा गांवों के समूहों में 1000 जनसंख्या।

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में: निकटतम मौजूदा डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पर्वतीय, जनजातीय, मरूस्थलीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में: दूरी की सीमा उपर्युक्त के समान ही होगी। तथापि, पर्वतीय क्षेत्रों में, ऐसे मामलों में डाक निदेशालय द्वारा दूरी की न्यूनतम सीमा में छूट दी जा सकती है, जहां विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसी छूट न्यायसंगत हो, जिसे प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पूर्णत: स्पष्ट किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में: न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 33.33 प्रतिशत होगा।

(ख) पर्वतीय, जनजातीय, मरूस्थलीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में: न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत की 15 प्रतिशत होगी।

इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नए जीडीएसपीओ के खोलने के परिणामस्वरूप, मूल डाकघर के संबंध में हानि न तो अनुमत्य सीमा से अधिक हो और न ही इसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. विभागीय उप-डाकघरों के उन्नयन/खोलने संबंधी मानदंड:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में: उन्नयन के लिए प्रस्तावित ग्रामीण डाक सेवक डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक हानि की अनुमत्य सीमा 2400/- रुपए तथा पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 4800/- रुपए है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में: शहरी क्षेत्रों में, प्रारंभ में डाकघर स्वावलंबी होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक समीक्षा के समय, आगे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह 5 प्रतिशत लाभ प्रदर्शित करे।

20 लाख तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि. मी. होनी चाहिए।

तथापि, दो वितरण कार्यालय एक दूसरे से 5 कि.मी. से कम की दूरी पर स्थित नहीं होने चाहिए।

शहरी क्षेत्रों में वितरण डाकघरों के पास पोस्टमैन के न्यूनतम 7 वितरण क्षेत्र (बीट) हों।

3. प्रधान डाकघरों को खोलने के लिए मानदंड:

प्रधान डाकघर (एचओ) जिलास्तरीय डाकघर हैं तथा नए प्रधान डाकघरों की जरूरत/औचित्य कभी-कभार होता है। प्रधान डाकघर, एक

उप-डाकघर को प्रधान डाकघर के रूप में परिवर्तित करके अथवा मौजूदा प्रधान डाकघर का विभाजन करके खोला जाता है। निर्धारित मानदंड निम्नानुसार है:—

(i) प्रत्येक जिले में एक प्रधान डाकघर होना चाहिए जिसके साथ कम-से-कम 20 उप-डाकघर संबद्ध किए जा सकें। पिछड़े क्षेत्रों अथवा उन स्थानों के मामले में जहां उप-डाकघरों/जीडीएस डाकघरों के वित्तपोषण में निश्चित रूप से सुधार होगा, वहां न्यून मानक भी स्वीकार किए जा सकते हैं, बशर्ते कि डाक निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त हो।

(ii) यदि किसी जिले में कोई प्रधान डाकघर नहीं है, तो प्रधान डाकघर खोलने पर विचार किया जा सकता है, यदि प्रस्तावित प्रधान डाकघर के साथ उसी जिले से कम-से-कम 20 उप डाकघरों को इस तथ्य के बावजूद संबद्ध किया जा सकता है कि मूल प्रधान डाकघर के साथ 60 उप-डाकघर संबद्ध हैं अथवा नहीं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के उन्नयन के पुराने प्रधान डाकघर के साथ संबद्ध उप-डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो जाए।

(iii) मौजूदा प्रधान डाकघर का तभी विभाजन किया जाए जब इसके साथ संबद्ध उप-डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो। तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे विभाजन के परिणामस्वरूप न तो नए और न ही पुराने प्रधान डाकघर से संबद्ध उप-डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो जाए।

अनुबंध-III

ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों और उप-डाकघरों को खोलने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए योजनागत निधियों का आबंटन

क्र. सं.	सर्किल का नाम	ग्रामीण डाक सेवक डाकघर		उप-डाकघर	
		वास्तविक लक्ष्य (संख्या में)	राशि (रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य (संख्या में)	राशि (रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	6	37500	5	303714
2	असम	4	25000	4	367000
3	बिहार	2	12500	3	283714
4	छत्तीसगढ़	6	37500	3	283714
5	दिल्ली	0	0	4	293714
6	गुजरात	4	25000	4	293714
6.1	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
6.2	दमन और दीव	0	0	0	0
7	हरियाणा	4	25000	4	293714
8	हिमाचल प्रदेश	4	22500	2	146857
9	जम्मू और कश्मीर	2	12500	2	146857
10	झारखंड	4	25000	4	293714

1	2	3	4	5	6
11	कर्नाटक	4	25000	4	293714
12	केरल	0	0	2	20000
12.1	लक्षद्वीप	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	6	37500	4	293714
14	महाराष्ट्र	5	32500	4	293714
15	पूर्वोत्तर				
15.1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
15.2	नागालैंड	0	0	0	0
15.3	मणिपुर	2	15000	0	0
15.4	मेघालय	0	0	3	193500
15.5	मिज़ोरम	0	0	1	173500
15.6	त्रिपुरा	2	10000	1	173500
16	ओडिशा	4	25000	4	293714
17	पंजाब	2	12500	4	293714
17.1	चंडीगढ़	1	7500	0	0
18	राजस्थान	4	25000	4	293714
19	तमिलनाडु	4	25000	3	283714
19.1	पुदुचेरी	0	0	1	10000
20	उत्तर प्रदेश	6	37500	5	303714
21	उत्तराखंड	2	12500	2	146857
22	पश्चिम बंगाल	2	12500	3	283714
22.1	सिक्किम	0	0	0	0
22.2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
	कुल	80	500000	80	6057495

श्री रामदास सी. तडस : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे द्वारा पूछे गए जनहित प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा है, इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। मंत्री जी का इस संदर्भ में उत्तर संतोषजनक नहीं है। मेरा संसदीय क्षेत्र वर्धा है जो गांधी जी की कर्मभूमि रहा है। इसका अधिकांश भाग ग्रामीण अंचल से घिरा हुआ है। अभी मेरे संसदीय क्षेत्र में 809 गांवों में डाकघर की व्यवस्था नहीं है। क्या इन गांवों में डाकघर खोलने का विचार है? शहरी क्षेत्रों में जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां डाकघरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का विचार कर रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस प्रश्न के माध्यम से सदन को थोड़ी जानकारी देश के पोस्ट ऑफिस के बारे में बताना चाहूंगा। देश में 1,54,856 पोस्ट ऑफिस हैं जिसमें 809 हेड पोस्ट ऑफिस हैं, 24,659 सब पोस्ट ऑफिस और 1,29,388 ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिस हैं। ये संस्थाएं 150 वर्ष पुरानी हैं जो देश में काम कर रही हैं। इनमें सुधार की आवश्यकता है। माननीय सदस्य का सीधा प्रश्न अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में है। सब पोस्ट ऑफिस कैसे खुलेंगे, ग्राम पोस्ट ऑफिस कैसे खुलेंगे, इन सबके बारे में अलग-अलग मानक है। मानक हिली एरियाज़ के लिए अलग है और समतल एरियाज़ के लिए अलग हैं। माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में कहा है, मैं विभाग से चर्चा करके मानकों के अनुसार जो भी करना होगा, करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामदास सी. तडस : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा बहुत सी योंजनाएं लाई गई हैं। इनमें डाकघरों के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं हैं। ग्रामीण डाकघरों के कर्मचारी प्रतिदिन 10 से 14 घंटे काम करते हैं और वेतन बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण डाकघरों के कर्मचारियों के परिश्रम को देखते हुए उन्हें उचित वेतन देने का आश्वासन प्रदान करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदनपूर्वक आग्रह करता हूं कि आज भी देश की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, किन्तु सरकार की योजना का लाभ गरीब जनता तक नहीं पहुंच रहा है। क्या सरकार ग्रामीण डाकघरों को शहरी डाकघरों की तरह आधुनिक तरीके से लैस कर सरकार की नीति योजना डाकघरों के माध्यम से परिचालन करने का विचार कर रही है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि डाक पोस्ट सर्विसेज के माध्यम से हम कई और सेवाएं भी देते हैं। प्रथम पारम्परिक काम करते हैं, इसके अलावा ग्रामीण इंश्योरेंस का काम करते है, मनरेगा के जो पूरे वेतन का वितरण होता है, उसमें सहयोग करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि ये सारे काम हम करते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि हमारे ग्रामीण डाकखानों का विस्तार देश में फैला हुआ है। हम सदन को यह भी बताना चाहते हैं कि कई सूचनाएं चुनाव आयोग की, बाकी इंडेक्सिग की वह भी हम डाकखानों के माध्यम से भेजते हैं। इस तरह से वे अच्छा काम कर रहे हैं।

आपने जो वेतन के बारे में बताया है, इसके बारे में हमें समग्र विचार करना पड़ेगा। इसमें हम एकपक्षीय विचार नहीं कर सकते, काम तो सभी को करना पड़ेगा। आठ-दस घंटे काम करके देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए सबको काम करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो एक विशेष ग्रामीण डाकखानों के सैलरी रिवीजन की बात की, वह एक व्यापक विषय है। आपको मालूम है कि पे कमीशन आता है तो हम उस पर विचार करते हैं। लेकिन जहां तक ग्रामीण डाकखाने हैं, उनकी एक परम्परा रही है, आप जानते ही हैं, बाकी उनमें क्या हो सकता है, यह देखना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी : नमस्कार, महोदया।

महोदया, दोनों 14वीं और 15वीं लोक सभा में मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का सदस्य रहा। माननीय मंत्री महोदय भी कुछ समय के लिए इसके सदस्य रहे थे। हमने उत्साह सहित विस्तार से डाक विभाग की समीक्षा की थी।

जहां तक मुझे याद है ग्रामीण भारत में लगभग 1,39,000 अथवा 1,40,000 डाकघर थे और उन्होंने औसतन प्रति शाखा लगभग 6,000 लोगों को कवर किया था। उस समय सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने यह सुझाव दिया था कि बैंकिंग को अनुषंगी कार्य बनाकर डाकघरों को सौंपा जा सकता है।

महोदया, आपको ज्ञात होगा कि केवल 2012 में ही डाक विभाग में लगभग 6,300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अत: बैंकिंग और अनुषंगी कार्यकलाप डाक विभाग के इस घाटे को कुछ हद तक दूर करने में सहायता कर सकते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा डाक विभाग की सभी शाखाओं में बैंकिंग कार्य अथवा डाक बैंक शुरू करने के लिए डाक विभाग को लाइसेंस देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह करने का है और क्या सरकार डाक विभाग के कर्मचारियों को बैंकिंग संबंधी कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रयास कर रही है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, डाक विभाग के समक्ष चुनौती और अवसर दोनों हैं। मेरे विचार में माननीय सदस्य बिल्कुल सही कर रहे हैं कि डाक विभाग को इन चुनौतियों का सामना करने के

लिए सक्रिय रहना होगा। उन्होंने पहले भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था, जो अभी लंबित हैं।

देश में विशेषकर ग्रामीण लोगों के वित्तीय समावेश न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में डाकघरों का व्यापक नेटवर्क देश के विभिन्न भागों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। डाक बैंकिंग भी इन्हीं साधनों में से एक हैं परंतु इसके लिए थोड़ा कार्य करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं सभी विभागों की निगरानी कर रहे हैं। वे सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ढाई घंटे; दूरसंचार के लिए दो घंटे और एक विभाग के लिए डेढ़ घंटे का समय देते हैं। उन्होंने डाक विभाग के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं क्योंकि इस विभाग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी हैं।

मैं उनके सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री आर. ध्रुवनारायण : अधिकांश डाकघरों का कोई स्थायी भवन नहीं हैं वे अपने कार्य किराए पर लिए गए भवनों में करते हैं, विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर। यहां तक कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर, कर्नाटक में तीन ब्लॉक स्तरीय डाकघरों के स्थायी भवन नहीं हैं। महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या स्थायी भवन के निर्माण के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : डाक विभाग के व्यापक क्षेत्र में फैले होने के कारण हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि डाकघरों को केवल स्थायी भवन में ही चलाया जाएगा। यदि यह शर्त रखी गयी तो यह कार्य करना मुश्किल होगा। उप-डाकघरों अथवा मुख्य डाकघरों के भवनों के संबंध में यह बताना चाहता हूं कि इनमें से अधिकांश डाकघर स्थायी भवनों में ही चल रहे हैं। भूमि की उपलब्धता एक समस्या है, भूमि को खरीदने अथवा पट्टे पर लेने में समस्याएं आती हैं। इसलिए, डाक विभाग का ध्यान डाकघरों के संचालन के माध्यम से लोगों तक पहुंचने पर अधिक है बजाय इसके कि किसी एक ऐसे भवन को प्राप्त करने पर जहां से यह कार्य कर सकता है।

जहां तक उनके निर्वाचन क्षेत्र के विशेष मुद्दे का संबंध है, यदि कुछ समस्याएं मेरे ध्यान में लाई गईं तो मैं निश्चित रूप से उन पर ध्यान दूंगा।

श्री जैदेव गल्ला : महोदया, मैं अपने मित्र से पूर्णत: सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि नये डाकघरों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, खोले जाने की आवश्यकता है, तो प्रश्न यह है कि मौजूदा डाकघरों के आधुनिकीकरण के संबंध में सरकार क्या कर रही है। मंत्रालय ने अप्रैल, 2008 में "प्रोजेक्ट एरो" के नाम से एक परियोजना शुरू की है जो अवसंरचना, ब्रांडिंग, आईटी, मानव संसाधन के साथ ही डाक सुपुर्दगी, प्रेषण आदि से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर भी केंद्रित है। मैं माननीय मंत्री जी से वर्ष 2008 से देश में मौजूद 1.5 करोड़ डाकघरों में से सिर्फ 1800 के लगभग डाकघरों को ही आधुनिक बनाने और पिछले तीन वर्ष में आंध्र प्रदेश में कुल 71 डाकघरों को ही आधुनिक बनाने के कारण जानना चाहता हूं। दूसरा, 12वीं योजना में कौन से विशेष प्रयास किए गए हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, जहां तक आधुनिकीकरण की प्रकृति का संबंध है, विभाग की पहली चिन्ता सभी डाकघरों में समुचित डिजीटल संपर्क सुनिश्चित करना है। सेवाओं और सूचना की भी त्वरित डिलिवरी हेतु यह प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

मुझे बताया गया है कि एक "मिशन मोड प्रोजेक्ट" चल रहा है और अगले वर्ष के अंत तक इनमें से अधिकतर डाकघरों में डिजीटल संपर्क की सुविधा हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जबकि अन्यों को छोड़ दिया गया है। मेरा मानना है कि यदि कोई शुरुआत होती है तो उस शुरुआत की सराहना की जानी चाहिए। और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। निस्संदेह, मैं इसे देखूंगा।

जहां तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विशेष मुद्दे का संबंध है, मुझे तथ्य एकत्रित करने होंगे और मैं इनकी जानकारी उन्हें दे दूंगा।

[हिन्दी]

कर्नल सोनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदया, मैं पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र से आता हूं और वहां पोस्ट ऑफिसिस बहुत कम हैं। नरेगा में जो पेमेंट शुरू हुआ है तो वहां गांव वालों को 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मंत्री महोदय ने बताया है कि नॉर्मल एरिया के अंदर

[अनुवाद]

"निकटतम मौजूदा डाकघर की दूरी न्यूनतम तीन कि.मी. होनी चाहिए।"

[हिन्दी]

मैडम, वहां पर 40-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसमें आगे यह भी दिया है कि हिली एरिया और डैज़र्ट एरिया के लिए अलग नॉर्म हैं, परंतु सिर्फ पोस्टल डायरेक्टरेट पर डिस्टेंस के लिए छोड़ा है।

[अनुवाद]

"दूरी की सीमा उपरोक्तानुसार रहेगी। तथापि, पहाड़ी क्षेत्रों में डाक महानिदेशालय द्वारा ऐसे मामलों में न्यूनतम दूरी सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसी छूट दी जानी आवश्यक हो, इसे प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय स्पष्ट रूप में दर्शाया जाना चाहिये।"

[हिन्दी]

पोर्स्टल डायरेक्टरेट कोई रियायत नहीं देती है। मैं वहां पहले भी सांसद रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि डैज़र्ट एरिया के लिए जैसे नॉर्मल थ्री किलोमीटर है, वहां आप दस किलोमीटर डाल दीजिए, ताकि 40 किलोमीटर नहीं जाना पड़े। क्या वह नॉर्म चेंज कर के वहां पोस्टल सर्विसिस के और पोस्ट ऑफिस खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? मैं डैज़र्ट एरिया की बात कर रहा हूं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अपने आरंभिक उत्तर में बताया कि मानक दो प्रकार के हैं। एक है समतल के लिए, एक है पहाड़ के लिए। माननीय सदस्य ने रेगिस्थान के इलाकों के लिए एक नया विषय उठाया है। मैं उनकी चिंता समझता हूं। यह एक नया विषय है। मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर पहाड़ी इलाकों के मानकों के अनुरूप रेगिस्थान के इलाकों के लिए दूरी का ध्यान रखते हुए, कुछ विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है तो मैं उसकी चिंता करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बहुत सारे सदस्य इस पर प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, मैं तैयार हूं।

माननीय अध्यक्ष : अभी इतना समय नहीं है। आप पोस्टल डिपार्टमेंट का विशेष ध्यान रखिए।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अनुसंधान और विकास कार्य

***183. श्री एन. क्रिष्टप्पा :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्यों से संतुष्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति/मार्गनिर्देश बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ बनाई गई नीतियों/मार्गनिर्देशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे और यदि हां, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में उद्यमों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनंत गंगाराम गीते) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित उद्योगों को घरेलू और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(ख) समझौता ज्ञापन, जो कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और सरकार के बीच परस्पर बातचीत द्वारा एक वार्षिक समझौता है, में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा आर एंड डी को एक पैरामीटर के रूप में शामिल किया गया है और इस प्रयोजनार्थ आर एंड डी पर दिशा-निर्देश 23 सितंबर, 2011 को जारी किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश कार्यों, परियोजनाओं, व्यय, प्रलेखन और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा की गई आर एंड डी पहलों की निगरानी पर एक चार्टर हैं।

(ग) वित्त वर्ष 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन में आर एंड डी लक्ष्यों की तुलना में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की उपलब्धियां संलग्न अनुबंध में दी गई हैं।

(घ) भारत सरकार औद्योगिकी क्षेत्र में आर एंड डी को बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा करती रही है जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों पर भी लागू होते हैं और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अधिनियम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन, सीमा शुल्क में छूट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट आदि शामिल है।

अनुबंध

समझौता ज्ञापन प्रणाली 2012-13 में अनुसंधान एवं विकास के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

क्र. सं.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का नाम	अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियों का मूल्यांकन
1	2	3
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	उत्कृष्ट

1	2	3
2.	गेल (इंडिया) लि.	उत्कृष्ट
3.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	उत्कृष्ट
4.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	उत्कृष्ट
5.	एनटीपीसी लि.	उत्कृष्ट
6.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	उत्कृष्ट
7.	कोल इंडिया लि.	सामान्य
8.	राष्ट्रीय बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.	उत्कृष्ट
9.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	उत्कृष्ट
10.	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि.	उत्कृष्ट
11.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	उत्कृष्ट
12.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	उत्कृष्ट
13.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्कृष्ट
14.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	उत्कृष्ट
15.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.	अच्छा
16.	एनएमडीसी लि.	अच्छा
17.	भारत इलेक्ट्रॉनिक लि.	बहुत अच्छा
18.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	बहुत अच्छा
19.	ऑयल इंडिया लि.	बहुत अच्छा
20.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.	उत्कृष्ट
21.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	उत्कृष्ट
22.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	उत्कृष्ट
23.	केन्द्रीय भंडारण कॉर्पोरेशन	उत्कृष्ट
24.	बीईएमएल लि.	उत्कृष्ट
25.	भारत डायनामिक्स लि.	उत्कृष्ट
26.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.	उत्कृष्ट
27.	गोवा शिपयार्ड लि.	उत्कृष्ट

1	2	3
28.	मझगांव डाक लिमिटेड	उत्कृष्ट
29.	मिश्र धातु निगम लि.	उत्कृष्ट
30.	एचएलएल लाइफकेयर लि.	उत्कृष्ट
31.	आवास एवं शहरी विकास निगम लि.	उत्कृष्ट
32.	बामर लॉरी एंड कंपनी लि.	उत्कृष्ट
33.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	उत्कृष्ट
34.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	उत्कृष्ट
35.	एसजेवीएन लि.	उत्कृष्ट
36.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्कृष्ट
37.	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	उत्कृष्ट
38.	रेल विकास निगम लि.	उत्कृष्ट
39.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्कृष्ट
40.	राइट्स लि.	उत्कृष्ट
41.	कोचीन शिपयार्ड लि.	उत्कृष्ट
42.	एमओआईएल लि.	उत्कृष्ट
43.	नॉर्दन कोलफील्ड्स लि.	सामान्य
44.	नेशनल फर्टिलाइजर लि.	अच्छा
45.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	अच्छा
46.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	अच्छा
47.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	अच्छा
48.	एमएमटीसी लि.	अच्छा
49.	पीईसी लि.	अच्छा
50.	भारत संचार निगम लि.	अच्छा
51.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	अच्छा
52.	हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि.	अच्छा
53.	पवन हंस हेलीकाप्टर लि.	खराब

1	2	3
54.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	खराब
55.	एनएचपीसी लिमिटेड	खराब
56.	भारत पर्यटन विकास निगम लि.	खराब
57.	राष्ट्रीय बीज कॉर्पोरेशन लि.	बहुत अच्छा
58.	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	बहुत अच्छा
59.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	बहुत अच्छा
60.	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन लि.	बहुत अच्छा
61.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	बहुत अच्छा
62.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	बहुत अच्छा
63.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि.	बहुत अच्छा
64.	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	बहुत अच्छा
65.	केआईओसीएल लिमिटेड	बहुत अच्छा
66.	एमएसटीसी लि.	बहुत अच्छा
67.	एफसीआई अरावली जिप्सम और खनिज (इंडिया) लि.	उत्कृष्ट
68.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन संस्थान लि.	उत्कृष्ट
69.	भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन	उत्कृष्ट
70.	एचएससीसी (इंडिया) लि.	उत्कृष्ट
71.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	उत्कृष्ट
72.	लौह स्क्रैप निगम लि.	उत्कृष्ट
73.	मेकॉन लि.	उत्कृष्ट
74.	वाप्कोस लि.	उत्कृष्ट
75.	ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	सामान्य
76.	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि.	अच्छा
77.	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	खराब
78.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	बहुत अच्छा
79.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों लि.	बहुत अच्छा
80.	राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लि.	बहुत अच्छा
81.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	उत्कृष्ट
82.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड	सामान्य
83.	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.	सामान्य
84.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.	अच्छा
85.	रेह पोलो अशोक होटल लि.	अच्छा
86.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	खराब
87.	नेपा लिमिटेड	खराब
88.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लि.	खराब
89.	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.	बहुत अच्छा
90.	स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्कृष्ट
91.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	उत्कृष्ट
92.	उर्वरक एवं रसायन (त्रावणकोर) लि.	उत्कृष्ट
93.	कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	उत्कृष्ट
94.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	उत्कृष्ट
95.	आईटीआई लि.	उत्कृष्ट
96.	बीईएल ऑप्ट्रानिक्स डिवाइस लिमिटेड	उत्कृष्ट
97.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.	उत्कृष्ट
98.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि.	उत्कृष्ट
99.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.	उत्कृष्ट
100.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.	उत्कृष्ट
101.	गेल गैस लि.	उत्कृष्ट

1	2	3
102.	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	उत्कृष्ट
103.	बिजली सिस्टम ऑपरेशन निगम लि.	उत्कृष्ट
104.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	उत्कृष्ट
105.	मुंबई रेल विकास निगम लि.	उत्कृष्ट
106.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.	उत्कृष्ट
107.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.	उत्कृष्ट
108.	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि.	सामान्य
109.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	अच्छा
110.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	अच्छा
111.	एनएचडीसी लि.	अच्छा
112.	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अच्छा
113.	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	खराब
114.	भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लि.	खराब
115.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	खराब
116.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	खराब
117.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	बहुत अच्छा
118.	इंडियन रेयर अर्थ्स लि.	बहुत अच्छा
119.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	बहुत अच्छा
120.	भारत कोकिंग कोल लि.	बहुत अच्छा
121.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	बहुत अच्छा
122.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.	बहुत अच्छा
123.	खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लि.	बहुत अच्छा
124.	टीएचडीसी लि.	बहुत अच्छा
125.	डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	बहुत अच्छा
126.	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	बहुत अच्छा
127.	हैण्डीक्राफ्ट एंड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	बहुत अच्छा
128.	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्कृष्ट

[अनुवाद]

श्री एन. क्रिष्टप्पा : किसी देश की सफलता उसकी पूंजी और उसके द्वारा सृजित की जा सकने वाली पूंजी पर निर्भर करती है। पूंजी का ज्यादातर सृजन अनुसंधान और विकास द्वारा किया जाता है। किसी देश में केन्द्रीय लोक उद्यमों में अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि सभी क्षेत्र लोक उद्यमों के उत्पादों पर निर्भर होते हैं। किसी लोक उद्यम में अनुसंधान और विकास, उत्पादन के तरीकों को बदलकर, कुशलता और उत्पादन को बढ़ाकर उत्पाद की लागत को कम कर देता है। एक औसत के रूप में, अमेरिकी कंपनियां अपने राजस्वों का लगभग 3.5 प्रतिशत इस पर खर्च करती हैं जबकि हम मात्र 0.5.1 प्रतिशत खर्च करते हैं। क्या इससे हमारी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर स्पर्धा करने में सहायता मिलती है? क्या कंपनियों में अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़ाने के लिये भविष्य में कोई उपाय किये जाने हैं?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदया, आरएंडडी का महत्व माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखा है। अपने प्रश्न में उन्होंने यह जानने का प्रयास किया है कि हमारे यहां जो आरएंडडी पर खर्च होता है, जो दिशा-निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं, उसके मुताबिक जितने भी हमारे महारत्नाज हैं, उनमें जो हमें नेट मुनाफा होता है, उसका एक प्रतिशत हम आरएंडडी पर खर्च करते हैं। जो नवरत्न, मिनीरत्न कंपनीज हैं, उनमें प्वाइंट 5 परसेंट हम खर्च करते हैं। इसकी तुलना में अमेरिका में ज्यादा खर्च होता है, तो क्या हम ग्लोबली कंपीट कर पाएंगे? यह समस्या जरूर है। आरएंडडी पर जो विभिन्न मंत्रालय है, सारे सीपीएसईज़ मेरे मंत्रालय के तहत नहीं आते हैं, अलग-अलग मंत्रालयों के तहत आते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष यह बात रखना चाहूंगा कि जो हमारे सीपीएसईज़ हैं, वे आरएंडडी में संतोषजनक काम काम कर

रहे हैं। मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ बीएचईएल है। वह लगभग 2.5 प्रतिशत आरएंडडी पर खर्च करता है। इससे अधिक खर्च किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे सारे सीपीएसईज़ इस दिशा में सही कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एन. क्रिष्टप्पा : क्या पर्यावरणीय अनुकूल कार्यकलापों का निर्माण करने के लिये कोई अनुसंधान और विकास किया जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदया, इसका उत्तर मूल प्रश्न के उत्तर में हमने दिया है। वैसे अनुसंधान एक ऐसा विषय है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जमाना ग्लोबलाइजेशन का है। समय-समय पर मांग बढ़ती जाती है, समय-समय पर नयी टेक्नोलॉजी आ रही हैं। इस वजह से यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हमारे जो सीपीएसईज़ हैं, वह सही दिशा में आगे बढ़े रहे हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने देखा है कि इसमें लगभग 148 उद्यमों के रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में उत्तर दिया गया है। अधिकांश इनमें से उत्कृष्ट हैं, बहुत थोड़े गुड हैं, ज्यादातर वैरी गुड और एक्सीलेंट हैं और कुछ ही पांच, सात, दस को छोड़ दीजिए, जो बहुत पुअर हैं। ऐसा लगता है कि इन 148 में से सौ, सवा सौ तो एक्सीलेंट हैं। आप कहते हैं कि सब तो आपके अंतर्गत नहीं हैं, लेकिन इस एक्सीलेंट का क्या मतलब है? कितने पेटेंट उन्होंने कराये, उनके अनुसंधान से कितनी उनकी एफिशिएंसी बढ़ी, कितनी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कितनी उनकी कॉस्ट में कमी आयी, कितनी उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा की, ग्रीन टेक्नोलॉजी कितनी दी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं।

दूसरा, यह है कि क्या ये संस्थाएं जो सरकार की अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, इनके साथ भी कुछ मिल-जुलकर अनुसंधान करती हैं या नहीं और इनके अनुसंधान के माध्यम से आम आदमी को क्या राहत मिलती है? इसमें से कुछ ऐसे हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य है, जैसे यह आपका मिन्ट वाला है। वे कहते हैं कि एक्सैलैंट काम है। नकली नोट छप रहे हैं, आपको कॉइन्स मिलते नहीं हैं, आप कागज़ बाहर से मंगा रहे हैं, प्रिंटिंग उसकी ठीक नहीं है, तरह-तरह की बातें हैं। मैं इसमें से लगभग 60-70 के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि या तो इसके बारे में आप ऐसा कुछ इंतज़ाम करें कि जो केवल आपसे संबंधित हैं, उनके बारे में ही आप हमें उत्तर दें और बाकी के लिए आप जानकारी इकट्ठा करवाकर लाएं। अध्यक्ष जी, अच्छा यह होगा कि इस पर आप एक आधे घंटे की चर्चा करवाएं।

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दे दीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप इस पर अरबों-खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए हमें इस पर चिन्ता है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने यहां पर जो चिन्ता जताई है, मैं उससे सहमत हूं। मेरे मंत्रालय का संबंध इस प्रश्न में सीमित है। जो मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए सीपीएसईज़ हैं, वे निश्चित रूप में आरएंडडी के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पेटेंट के संदर्भ में यहां सदस्य ने प्रश्न उपस्थित किया है। हमारे हिन्दुस्तान में ही लगभग 1371 पेटेंट के लिए हमने प्रयास किया है, एप्लाई किया है। इंटरनेशनल में यह संख्या 29 है। माननीय सदस्य इस बात से स्वयं अवगत हैं कि यह भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के सीपीएसईज़ हैं। सारे मंत्रालयों के सीपीएसईज़ के संदर्भ में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेरे मंत्रालय से रिलेटेड जितने भी जवाब हैं, वह निश्चित रूप में मैं दे पाऊंगा। यदि कोई विशेष प्रश्न सदस्य जानना चाहते हैं और वे लिखित रूप में देते हैं, तो उस मंत्रालय से जानकारी लेकर मैं सदस्य को निश्चित रूप में दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदी : महोदया, भारत को हजारों वर्षों से ज्ञान से परिपूर्ण देश माना जाता रहा है और हमारे विद्वान विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से हैं। जब हम शहर किसी आईवी लीग कॉलेज में जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहां अनुसंधान और विकास का कार्य करने वाले भारतीय शोधार्थी ही हैं। हमारे पास आईआईटी और उच्च शिक्षण संस्थान हैं। क्या सार्वजनिक क्षेत्र और सरकार इन उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें माहौल और संसाधन उपलब्ध कराने पर शोधार्थी अनुसंधान कर सकें?

जब मैं रेलवे में था, तो हमने बहुत सी आईआईटी का उपयोग किया और आईआईटी जैसी जगहों से बहुत सी चीजें रेलवे में आईं। इसलिए, क्या सरकार, लोक उद्यमों के माध्यम से, हमारे उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुसंधान और विकास हेतु प्रोत्साहित करेगी?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : माननीय सदस्य ने प्रश्न के माध्यम से एक सूचना की है। मैं उस सूचना का सम्मान करता हूं और सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उस सूचना पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा : महोदया, केन्द्रीय लोक उद्यमों की सूची देते समय माननीय मंत्री ने एचएमटी वॉचेज लिमिटेड का भी

उल्लेख किया है जिसका प्रदर्शन अच्छा है। माननीय मंत्री को पता होगा कि पहले 30 लाख से 40 लाख घड़ियों का उत्पादन होता था और अब यह 50,000 घड़ियों तक सिमट गया है। बेंगलुरु में एचएमटी के पास मूल्यवान जमीन थी और उन्होंने अपनी धन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये अपनी 600 एकड़ जमीन में से 200 एकड़ जमीन भवन निर्माताओं को बेच दी है। यह स्थिति है। मेरे तुमकुर निर्वाचन क्षेत्र की एचएमटी फैक्ट्री लगभग बंद होने की स्थिति में है। वस्तुत:, पिछले एक या दो वर्ष से कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

इसलिये, मैं पूरे देश में एचएमटी फैक्ट्रियों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि दूसरे राज्यों में भी घड़ी इकाईयां इसी समस्या का सामना कर रही हैं। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर का संबंध है, स्थिति बहुत खराब है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो कर्मचारी अपना वेतन प्राप्त करने के लिये कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें बचाएं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसका मूल प्रश्न से सीधा कोई संबंध नहीं है, यह एचएमटी से जुड़ा हुआ सवाल है। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में अलग से लिखित में सूचना देते हैं तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।

[अनुवाद]

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क

***184. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित विभिन्न राज्यों के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की कमी की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों/क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए राज्य-वार कितने मोबाइल टॉवर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इस पर अनुमानित कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने विद्यमान सेवा प्रदाताओं की नेटवर्क आस्तियों/अवसंरचना के अधिग्रहण सहित इन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए नई पहलें की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर्स कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की कवरेज और गुणवत्ता के बारे में चिंतित है। सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के वित्तपोषण से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में 1836 स्थानों पर मोबाइल टॉवरों की स्थापना करने के संबंध में एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 363 स्थानों पर पहले ही मोबाइल टॉवर लगा दिए हैं जिनके संबंध में प्रचालनगत परिव्यय को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा यूएसओएफ के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) कनेक्टिविटी सुधारने के लिए इन राज्यों में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित मोबाइल टॉवरों की राज्य-वार संख्या संलग्न अनुबंध-I में दी गई है। बीएसएनएन द्वारा पारदर्शी, खुली निविदा प्रक्रिया की मार्फत परियोजना की निर्धारित की गई लागत 3567.58 करोड़ रुपए है। दूरसंचार आयोग ने दिनांक 13.06.2014 को आयोजित की गई अपनी बैठक में सिफारिश की है कि इस प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(ग) बीएसएनएल 3जी सेवाओं के प्रावधान हेतु नोड बी और 2जी सेवाओं के प्रावधान हेतु बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की स्थापना करके अपने मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के करण-VII को क्रियान्वित कर रहा है। बीएसएनएल द्वारा स्थापित किए जा रहे बीटीएस/नोड बी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है। बीएसएनएल का अन्य मौजूदा सेवा प्रदाताओं की नेटवर्क परिसंपत्तियों/अवसंरचना का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यूएसओएफ स्कीम के तहत मोबाइल नेटवर्क की स्थापना 15 माह में किए जाने की संभावना है। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में बीएसएनएल के चरण-VII के विस्तार के अप्रैल, 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

अनुबंध-I

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के उन स्थानों जहां मोबाइल टॉवर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्थापना हेतु प्रस्तावित मोबाइल टॉवरों की संख्या	बीएसएनएल द्वारा पहले से ही चालू किए जा चुके टॉवर
1.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	224	3
2.	बिहार	184	0
3.	छत्तीसगढ़	146	351
4.	झारखंड	782	0
5.	मध्य प्रदेश	16	6
6.	महाराष्ट्र	57	3
7.	ओडिशा	253	0
8.	उत्तर प्रदेश	78	0
9.	पश्चिम बंगाल	96	0
	कुल	1836	363

अनुबंध-II

बीएसएनएल द्वारा चरण-VII के विस्तार के तहत स्थापनाधीन बीटीएस/नोड बी का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	चरण-VII के विस्तार के तहत स्थापनाधीन बीटीएस/नोड बी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	3771
2.	बिहार	1378
3.	छत्तीसगढ़	182
4.	झारखंड	473
5.	मध्य प्रदेश	470
6.	महाराष्ट्र	882
7.	ओडिशा	2280
8.	उत्तर प्रदेश	3559
9.	पश्चिम बंगाल	604
	कुल	13599

[अनुवाद]

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न देश में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की सुरक्षा समस्या से संबंधित है, मोबाइल नेटवर्क की घटिया रिसेप्शन क्वालिटी के कारण सुरक्षा बलों को परस्पर सम्पर्क स्थापित करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सदन में इस मामले को कई बार उठाया गया है किन्तु अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

यह प्रस्ताव जून, 2013 में स्वीकृत हुआ था और इसमें लगभग नौ राज्य शामिल थे। यदि हम गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित स्थानों की संख्या और लगाए गये मोबाइल टॉवरों की प्रगति का जायज़ा लें तो हम यह जानकर हैरान होंगे कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। जहां तक बिहार का संबंध है, 184 स्थानों की पहचान की गई थी किन्तु वहां एक भी टॉवर नहीं लगाया गया है। झारखंड राज्य में 782 टॉवर लगाने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु एक भी टॉवर नहीं लगा है। महाराष्ट्र में लगभग 60 स्थानों की पहचान की गई थी किन्तु केवल तीन स्थानों पर ही टॉवर लगाये गये हैं। इस प्रकार इस मामले में प्रगति अत्यंत धीमी है तथा संबंधित मंत्रालय द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि इस परियोजना को यूनीवर्सल सर्विस ऑबलिगेशन फंड से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इस संबंध में किया गया समझौता नवम्बर, 2013 तक मान्य था, अत: आर्थिक सहायता तभी तक दी जानी थी। परियोजना की आरंभिक लागत 3046 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गयी है। इस प्रकार लागत में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मैं

माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये थी। यदि इसके लिए निविदा प्रक्रिया अपनायी जाती तो परियोजना के लिए एक निश्चित समय-सीमा अवश्य निर्धारित की जाती। निविदा के अनुरूप निश्चित समय-सीमा के मद्देनजर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित है अथवा निविदा में दी गई अवधि का पालन न करने पर क्या दंड दिया जायेगा? महोदया, दूसरा,...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपके पास अभी दूसरा स्पलीमेंटरी क्वेश्चन पूछने के लिए है?

[अनुवाद]

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महोदया, मैं प्रश्न पूरा कर रहा हूं। क्या सरकार बढ़ी हुई लागत के लिए धनराशि वसूल करने हेतु जिम्मेदारी तय करेगी?

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वरिष्ठ सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न पर उनकी चिंता समझ सकता हूं। जैसा कि उन्होंने सही कहा है, इन टॉवरों को मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से लगाया जाना है। हमने 2199 स्थानों की पहचान की जिनमें से 363 पर यह लगाए जा चुके हैं। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि विलंब हुआ है और मैं इससे इंकार नहीं करता। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जुलाई 2013 में निविदा जारी की गयी थी। कुछ समस्याएं आयी थीं। जब निविदा दस्तावेज खोला गया तो 27 मार्च, 2014 को टेलीकॉम आयोग ने अपना मत दिया कि इस पर पुन: निविदा आमंत्रित कराये जाने की आवश्यकता है। तत्पश्चात् 7 अप्रैल, 2014 को निविदा की प्रक्रिया पुन: आरंभ की गई। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि हमने 26 मई, 2014 को सत्ता संभाली थी। मंत्री बनने के बाद से मैं इस विषय पर पूरा ध्यान दे रहा हूं और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पर तेज़ी से कार्य किया जायेगा। इसे अगले वर्ष सितम्बर तक पूरा किया जाना तय किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर नजर बनाए हूं क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, ये महत्वपूर्ण टॉवर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर कनैक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए हैं। यह केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहीं है बल्कि इनसे वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को परस्पर सम्पर्क हेतु उपलब्ध कम्यूनिकेशन टूल (संचार के साधन) भी प्राप्त हो सकेंगे।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महोदया, प्रश्न यह नहीं है कि कौन सी सरकार सत्ता में थी। प्रश्न देश की सुरक्षा का है जो हर व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है विशेष रूप से देश के दूरस्थ स्थानों पर जेनरेटर और डीज़ल की अनुपलब्धता के कारण बीएसएनएल के बहुत से टॉवर, विशेष रूप से रात के समय काम नहीं करते। साथ ही क्या सरकार इन टॉवरों को कार्यशील बनाए रखने और जिस उद्देश्य से उन्हें लगाया गया है, उसे पूरा करने के लिए ऐसी जगहों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रही है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपको याद होगा पहले भी इसी सत्ता के दौरान मैंने इसी सदन में यह स्वीकारा था कि बीएसएनएल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

हमारी सरकार की तय प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता बीएसएनएल की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। यह नयी सरकार की प्राथमिकता सूची में है और हम इस संबंध में सभी कदम उठा रहे हैं।

जहां तक बैटरी या बिजली की उपलब्धता का प्रश्न है, यह सचमुच चिंता का विषय है। दूरस्थ स्थानों में अक्सर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती। हम टॉवरों के संचालन के लिए डीज़ल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है।

जहां तक सौर ऊर्जा का प्रश्न है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए एक योजना तैयार की गयी है। अत्यंत कठिन अगम्य क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में टॉवरों को चलाने के लिए और ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और हम तेज़ी से काम करना चाहते हैं ताकि विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपलब्ध हो सके।

श्रीमती सुप्रिया सुले : अध्यक्ष महोदया, जिस राज्य से मैं आती हूं, वहां गढ़चिरौली नाम का एक क्षेत्र है जो इससे बहुत अधिक प्रभावित है। बहुत से प्रयास हुए हैं। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने इस क्षेत्र में स्थिति में सुधार लाने के लिए मिलकर काम किया है किन्तु हमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है। आपने हमारे क्षेत्र में अभी तीन टॉवर लगवाये हैं। किन्तु हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इनमें से कुछ टॉवर उड़ गये हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 में जब यूएसओ फंड की सहायता बंद हो जायेगी तो क्या स्थिति होगी। आप उस स्थिति से बचने के लिए क्या कर रहे हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार और आपके विभाग के साथ मिल कर कैसे काम करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सेवा सुरक्षित ढंग से उपलब्ध हो और इन टॉवरों की उपयोगिता बनी रहे।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने गढ़चिरौली क्षेत्र के बारे में बिल्कुल सही चिंता व्यक्त की है।

जैसा कि हम सब जानते हैं, वामपंथी उग्रवाद से भारत के नौ राज्य प्रभावित हैं। महाराष्ट्र उनमें से एक है जहां से माननीय सदस्य आती हैं। मैं मानता हूं कि इन टॉवरों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत: हम वहां कार्यरत सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वे राज्य सरकार की हों या केंद्र सरकार की, ताकि इन टॉवरों को स्थापित करते समय सुरक्षा पक्ष पर भी पूरा ध्यान दिया जा सके।

जहां तक वर्ष 2019 में यूएसओ फंड से सहायता बंद होने का प्रश्न है, यह फंड तो है किन्तु यदि हमें राज्य सरकारों के सहयोग से काम करना है तो इन क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टीविटी सुनिश्चित करने के लिए इन टॉवरों की सुरक्षा करना हमारा प्रमुख सरोकार होना चाहिए। फंड कब समाप्त होता है या समाप्त नहीं होता, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने सामूहिक प्रयासों से हम 2019 के बाद भी इन टॉवरों की सुरक्षा हेतु कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल लेंगे।

[हिन्दी]

श्री जयंत सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से आता हूं।

माननीय अध्यक्ष : इसलिए तो आपको प्रश्न पूछने दिया है।

श्री जयंत सिन्हा : इसलिए मैं बता सकता हूं कि वहां जो बीएसएनएल की स्थिति है, उससे वहां के प्राइवेट ऑपरेटर्स की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। इसलिए वहां की जनता को बहुत तक़लीफ हो रही है। चाहे हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें या इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, बीएसएनएल की स्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है। यह सिक्यूरिटी का मामला है और जनता की सुविधा का मामला है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, इस विषय से मेरा प्रतिवाद नहीं है। मैं तो यह स्वयं स्वीकार कर रहा हूं कि बीएसएनएल में बहुत सुधार की गुंजाइश है और इस विभाग का मंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश में इस को सुधारने की दिशा में हम बहुत गतिशील कदम उठा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही उसके परिणाम दिखाई पड़ेंगे।

[अनुवाद]

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़ : महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सेल टॉवर से संबंधित मेरा अनुपूरक प्रश्न दूसरी तरह का है। अभी हम वामपंथी उग्रवाद से उपजे खतरों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इन टॉवरों को लगाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई अध्ययन किये गये हैं जिससे पता लगा कि सेल टॉवरों से निकलने वाला रेडिएशन धीरे-धीरे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जिससे न्यूरल डैमेज और बोन कैंसर तक हो सकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी आपके बगल में बैठे हुए हैं। उन्हें भी इसके बारे में जानकारी है। इससे गर्भवती महिलाओं का भ्रूण भी प्रभावित होता है। हम तेजी से विभिन्न टॉवरों की अवस्थिति का पता लगा रहे हैं। इस निम्न विकिरण से क्षति होती है परन्तु वर्षों तक इसका पता नहीं लग पाता है। संभवत: 20 या 30 वर्षों के पश्चात्, हमें इस क्षति के बारे में पता चलेगा।

मैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास इस क्षति का आकलन करने और ऐसी चीजों को रोकने हेतु भी कुछ उपाय करने हेतु — स्वास्थ्य मंत्री से विचार-विमर्श के पश्चात् — कोई प्रस्ताव है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है अत: मैं उन्हें और माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में विगत वर्षों में अध्ययन हुए हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी शामिल हैं। इन अध्ययनों में उनके द्वारा चिन्ता की बात नहीं बताई गई है।

उन्होंने मुझसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य मंत्री स्वयं एक बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं। निश्चित रूप से, मैं उनसे पुन: बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या इसके कोई घातक प्रभाव है?

श्री अरविन्द सावंत : मैं नेटवर्क सेवाओं में सुधार करने हेतु माननीय मंत्री द्वारा दिए गए ध्यान की प्रशंसा करता हूं। वास्तव में, यह प्रश्न वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तक ही सीमित है। पिछले तीनों, श्री थॉमस ने 'शून्य काल' के दौरान एमटीएनएल द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों अर्थात् मुंबई और दिल्ली में भी नेटवर्क सेवाओं के संबंध में एक मुद्दा उठाया था।... *(व्यवधान)*

मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। हम सभी संसद सदस्यों के यहां यही कनेक्शन है और हम गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से एक आसान सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या बीटीएस

की संख्या बढ़ाकर मुंबई और दिल्ली में एमटीएनएल की सेवाओं में सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं? आप कितने बीटीएस उपलब्ध कराने जा रहे हैं? क्या आप इसके लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराने जा रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से किसी भी रूप में जुड़ा हुआ नहीं है। यदि कोई अलग से प्रश्न पूछा जाता है तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत दूरसंचार विभाग, बिहार और देश में जो उग्रवाद प्रभावित इलाका है, खासकर जिन इलाकों से हम आते हैं, माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि बिहार का बांका, मुंगेर, ज़मुई, लखीसराय उग्रवाद प्रभावित इलाका है। वहां बड़ी से बड़ी घटनाएं होती रही हैं। दूरसंचार विभाग और नेटवर्क ठीक चले, इसके सुदृढ़ीकरण के लिए कोई कालबद्ध योजना हो, दूरसंचार विभाग के माध्यम से नेटवर्क ठीक चले, इसके सुदृढ़ीकरण के लिए कोई कालबद्ध योजना हो, दूरसंचार विभाग के माध्यम से नेटवर्क ठीक हो ताकि लोग सुलभ तरीके से मोबाइल यूस कर सकें। इसके लिए माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब हम 1836 नये टॉवर्स की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें बिहार भी आता है। जहां भी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों की चर्चा आपने की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1836 नये टॉवर्स में से लगभग 184 सिर्फ बिहार में ही लगने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं, मुझे बताया गया है और मैंने देखा भी है कि बिहार में अलग से पांच सौ टॉवर्स इस साल लगेंगे और साढ़े छह टॉवर्स अगले वर्ष लगेंगे। ऐसा ही प्रयास बाकी प्रदेशों के लिए भी हो रहा है। यह प्रश्न सिर्फ लेफ्ट विंग इलाकों के बारे में है, जहां नक्सल गतिविधियों की सक्रियता है, उसमें 184 इसके अंतर्गत लग रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि बिहार में और बाकी प्रदेशों में पूरी कनेक्टिविटी सुधरे, इसके लिए कालबद्ध कार्यक्रम चल रहा है और मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूं। इन सभी सामूहिक प्रयासों से मुझे पूरा विश्वास है कि बीएसएनएल की कार्य-प्रणाली में सुधार आएगा।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाएं

***185. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) :**
श्री इदरिस अली :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में कितनी घातक दुर्घटनाएं हुई हैं और इसके परिणामस्वरूप हुई जान-माल की हानि का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच करायी गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या इस्पात इकाइयों के रख-रखाव को आउटसोर्स किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रख-रखाव कार्यों की निगरानी करने के लिए विद्यमान तंत्र क्या है;

(घ) ऐसे इस्पात संयंत्रों के रख-रखाव पर औसतन कितना वार्षिक व्यय किया गया; और

(ङ) ऐसी घातक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षोपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस्पात का निर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में इस अविध के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं का ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

सेल के इस्पात संयंत्रों में हुई इन दुर्घटनाओं के कारण संपत्ति का कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। आरआईएनएल में, दिनांक 13.06.2012 को हुई एक बड़ी दुर्घटना में लगभग 8.71 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है।

(ख) जी, हां। सभी घातक दुर्घटनाओं की जांच संयंत्र स्तरीय जांच समिति द्वारा की जाती है जो ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के साथ-साथ उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय भी सुझाती है। गंभीर दुर्घटना के मामलों में संयंत्र स्तरीय जांच तथा राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा उच्च स्तरीय जांच के आदेश

दिए जाते हैं। जांच समितियों की सिफारिशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संयंत्रों/यूनिटों में समुचित स्तरों पर उनका कार्यान्वयन किया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाती है।

(ग) रखरखाव संबंधी अधिकतर कार्य विभिन्न यूनिटों के संबंधित अनुरक्षण प्रभारों द्वारा स्वयं अपने स्तर पर ही किए जाते हैं। तथापि, सेल और आरआईएनएल के इस्पात संयंत्रों में रखरखाव के कुछ कार्य उचित प्रक्रिया अपनाकर आउटसोर्स किए गए हैं। प्रत्येक संयंत्र/यूनिट में रखरखाव की अपनी एक समुचित व्यवस्था है। प्रत्येक संयंत्र/यूनिट में रखरखाव की मानक पद्धतियां हैं और तद्नुसार प्रत्येक संयंत्र/यूनिट के लिए रखरखाव की वार्षिक योजना तैयार की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

(घ) वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान सेल और आरआईएनएल के विभिन्न संयंत्रों के रखरखाव पर औसत वार्षिक व्यय (जिसमें मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी कार्य के लिए सामान एवं अतिरिक्त पूर्जों तथा कर्मचारियों के लाभ और पारिश्रमिक पर हुआ व्यय भी शामिल है।) क्रमशः लगभग 6165 करोड़ रुपए और 888.54 करोड़ रुपए हुआ था।

(ङ) सेल और आरआईएनएल दोनों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ रखरखाव कार्यक्रम का अनुपालन, सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन, नियमित निरीक्षण, सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण एवं जागरुकता, सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा का संचालन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल पर बल देना तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई आपातकालीन योजना का समुचित क्रियान्वयन शामिल है।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों और यूनिटों में हुई घातक दुर्घटनाओं (संयंत्र-वार) का ब्यौरा

संयंत्र/यूनिट	घातक दुर्घटनाएं (मृत्युदर)			
अवधि	2011	2012	2013	2014 (15.07.2014 तक)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)				
भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1	5	7
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	0	7	7	1
राउरकेला इस्पात संयंत्र	3	5	2	1
बोकारो इस्पात संयंत्र	3	9	6	0
इस्को इस्पात संयंत्र	6	3	3	1
अलॉय इस्पात संयंत्र	1	0	0	0
सेलम इस्पात संयंत्र	0	0	0	0
विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	3	0	0	0
अन्य युनिटें	4	2	5	1
कुल (सेल)	21	27	28	11
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	8	25	3	4*
कुल योग	29	52	31	15

*जून, 2014 तक।

[अनुवाद]

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) : मैं अपनी बात विजाग इस्पात संयंत्र तक ही सीमित रखूंगा। मई और जून, 2012 में दो दुर्घटनाएं हुई थीं। दोनों ही दुर्घटनाओं में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप के निकट ऑक्सीजन कंट्रोल यूनिट में भारी विस्फोट हुआ था। लगभग 25 व्यक्ति मारे गए थे। मरने वालों में इस्पात संयंत्र के उपमहाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक थी थे।

मैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड दोनों के प्रयास की सराहना करता हूं जिन्होंने दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कई उपाय किए हैं। तथापि, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं केवल सरकारी इस्पात संयंत्रों में ही क्यों होती है, निजी क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों में क्यों नहीं? अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं बहुत दु:ख के साथ बोल रहा हूं। मैंने स्वयं इसे देखा है। उस समय में विधान सभा का सदस्य था। अब मैं संसद का सदस्य बन गया हूं। मुद्दा यह है कि 25 व्यक्ति बुरी तरह मारे गए। अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। यहां तक कि अभी हाल में ही एक और दुर्घटना हुई है। उसी इस्पात संयंत्र में तीन लोग मारे गए। क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस्पात का क्षेत्र एक तरह से खतरनाक उद्योग की श्रेणी में आता है। यहां पर अग्नि भी है, गैस से खतरे भी हैं और बहुत ऊंचाई तक काम होता है। यह बात सही है कि दुर्घटनाएं सेल में भी घटित हुई हैं और आरआईएनएल में भी घटित हुई हैं। निजी क्षेत्र की बात चूंकि नहीं थी, इसलिए जहां कारखाना है, जहां इस्पात का काम हो रहा है, वहां घटनाएं घटित होने की सम्भावना बनी रहती है।

आरएनएल में जून, 2012 में घटना हुई, उसमें 19 लोगों की निश्चित रूप से मृत्यु हुई। उस घटना की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति सेल के पूर्व चेयरमैन मि. जैन की अध्यक्षता में बनी। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की। उन निष्कर्षों के आधार पर निश्चित रूप से जो सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए थे, वे आरआईएनएल में किये गये और जो अन्य पथ्य-परहेज बरतने की बात उन्होंने कही थी, वह भी की है। सेल और आरआईएनएल में जब इस प्रकार की घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही भी निश्चित की जाती है और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 28 कर्मियों पर जवाबदेही सुनिश्चित की गई है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) : मैं माननीय मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहूंगा। यूपीए गवर्नमेंट के समय एक्सीडेंट हो गया, उसे दो साल हो गए। कार्रवाई करने और रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? मैं व्यवस्था से सवाल पूछता हूं, न कि सरकार से। केवल हमारे देश में मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। सरकारी अधिकारी और मंत्री केवल पहुंचकर कुछ मुआवज़ा देंगे। मीडिया भी इसे एक या दो दिन कवर करेगा। उसके बाद हम इसे भूल जाएंगे। महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया कार्रवाई कीजिए। तभी अधिकारियों के मन में कुछ भय उत्पन्न होगा। तभी हम दुर्घटनाओं को रोक पाएंगे। अभी भी, आप देख सकते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। हाल ही में, ओएनजीसी में एक दुर्घटना हुई थी। चेन्नई में भी, एक इमारत गिर गई और 50 लोग मारे गऐ। अत: लोग मरते जा रहे हैं। मुझे विशेषत: सरकारी संगठनों में, एक दुर्घटना और लोगों के मारे जाने, में कोई अंतर नहीं दिखता। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि निर्धारित समय-सीमा में कड़ी कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से घटित न हो, यह सरकार की भी चिन्ता का विषय है और प्लाण्ट की भी चिन्ता का विषय है। जब भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई हैं तो चिन्ता ली गई है। मैं समझता हूं कि मानव हानि से बड़ी हानि नहीं होती और उसकी तुलना किसी क्षतिपूर्ति से नहीं की जा सकती। जब ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है तो सरकार ने भी उसकी पूरी चिन्ता ली है, प्लाण्ट ने भी चिन्ता ली है और सेफ्टी की दृष्टि से जो-जो आवश्यक कदम हैं, चाहे वह उनके प्लाण्ट्स की सुरक्षा नीति का हो, चाहे हैल्थ एवं सेफ्टी पॉलिसी बनाने का मामला हो, उनके सेफ्टी नियंत्रण कक्ष बनाने का मामला हो, सारी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, वे हम करते हैं। आरआईएनएल में अभी 16 जून को जो घटना हुई थी, वह निश्चित रूप से बहुत ही दु:खद है। आरआईएनएल का जो विस्तारीकरण का काम चल रहा था, उसके अंतर्गत एक एमएमएस सीमैग कंपनी है, जो वहां कंटेनर लैब स्थापित कर रही थी जिसे जर्मनी के मिस्टर स्मिथ ने बनाया है। यह इस्पात का एयर कंडीशंड कक्ष है। इस लैबोरेट्री के माध्यम से इस्पात की क्वालिटी की जांच आदि का काम होता है। इसमें नाइट्रोजन गैस और आर्गन भर गयी थी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गयी थी। सीमैग कंपनी के दो कर्मी वहां गये और वे उसको भांप नहीं पाये। इसके कारण उनकी दु:खद मृत्यु हुई। सीमैग कंपनी ने इसकी चिन्ता ली है। उनके हित-लाभ जो नियमानुसार दिये जाने चाहिए, वे दिये हैं। हम आगे भी इस दृष्टि से पूरी चिन्ता करेंगे कि कोई दुर्घटना न हो और उसके लिए जो आवश्यक कदम उठाना है, वह निश्चित रूप से उठायेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) : वे बेरोजगार हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपने पहले ही दो प्रश्न पूछ लिए हैं।

प्रश्न संख्या 186 – श्री पी. करुणाकरन।

कच्चे तेल की बढ़ती मांग

***186. श्री पी. करुणाकरन :**
श्री राकेश सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान मांग कितनी है और विभिन्न देशों से कच्चे तेल का देश-वार कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या इस समय चल रही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को देखते हुए विश्व में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सामना करने के लिए रणनीतिक भंडार सहित पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार सृजित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या आकस्मिक योजना, यदि कोई है, बनाई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तेल आयात अनुमान – 2014-15 के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान प्रसंस्करण के लिए कच्चे तेल की वर्तमान मांग 223.7 एमएमटी होने का अनुमान है जिसमें से 35.5 एमएमटी स्वदेशी उत्पादन से मिलेगा और शेष 188.2 एमएमटी अंतर को आयात द्वारा पूरा करना होगा।

वर्ष 2014-15 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग 159.98 एमएमटी होने का अनुमान है। वर्ष 2014-15 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पाद-वार मांग संलग्न अनुबंध-I में दी गई है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2012-13 के दौरान विभिन्न देशों से आयात किए जा रहे कच्चे तेल की मात्रा के देश-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार, इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसीआरएल) के माध्यम से तीन स्थलों अर्थात् विशाखापत्तनम (भंडारण क्षमता: 1.33 एमएमटी), मंगलौर (भंडारण क्षमता: 1.5 एमएमटी) और पादुर (भंडारण क्षमता: 2.5 एमएमटी) में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की भंडारण क्षमता वाले कार्यनीतिक कच्चे तेल के भंडार को स्थापित कर रही है।

विशाखापट्टनम परियोजना के इस वित्तवर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है जबकि मंगलौर और पादुर परियोजनाओं के अगले वर्ष पूरा होने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2009 में तैयार किए गए दृष्टिकोण-पत्र के आधार पर, पूर्वोक्त भंडार चरण-I में बनाए जा रहे हैं जो निवल तेल आयात के आधार पर लगभग 13 दिन के लिए तेल की व्यवस्था करेंगे। तेल कम्पनियों के पास पहले से मौजूद कच्चे तेल और उत्पाद भंडारों के आधार पर और आईएसपीआरएल द्वारा निर्मित भंडारों को भी ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया था कि एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) में दिए गए सुझाव के अनुसार, निवल तेल आयातों पर 90 दिनों के लिए तेल की व्यवस्था करने के लिए, देश को वर्ष 2019-20 तक लगभग 13.32 एमएमटी कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडारण की आवश्यकता होगी।

(घ) सरकार और अन्वेषण तथा उत्पादन कंपनियों ने घरेलू तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. ओएनजीसी द्वारा पुराने क्षेत्रों से उन्नत तेल निकासी और वर्धित तेल निकासी योजनाओं का कार्यान्वयन।
2. कोल बैड मीथेन (सीबीएम) का वर्धित संदोहन।
3. हाइड्रोकार्बन्स के लिए भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के सृजन के लिए नीति।
4. राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रहालय की स्थापना का कार्य शुरू।
5. शेल गैस भंडारों आदि का वर्धित संदोहन।
6. विदेशों में तेल और गैस परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए अधिक प्रयास।

अनुबंध-I

वर्ष 2014-15 के लिए मांग अनुमान (ओई)

उत्पाद	मात्रा (टीएमटी)	2013-14 की तुलना में (आरई) (%)
1	2	3
(क) संवेदनशील उत्पाद		
एलपीजी	16022	1.0
एसकेओ	6797	-5.0
एचएसडी	71155	3.0
उप-योग	93975	2.0
(ख) प्रमुख नियंत्रणमुक्त उत्पाद		
एमएस	17936	4.9
नाफ्था	10177	-5.9
एटीएफ	5545	3.2
एलडीओ	300	-20.5
ल्यूब्रिकेंट	2800	-3.1
एफओ/एलएसएचएस	6034	-6.3
बिटुमिन	4974	1.9
उप-योग	477.64	-0.2
(ग) अन्य लघु नियंत्रणमुक्त उत्पाद		
पेटकोक	11904	5.0
अन्य	6338	2.4
उप-योग	18242	4.1
सभी उत्पाद	159981	1.6

अनुबंध-II

2009-10 से 2013-14 (अनंतिम) के दौरान कच्चे तेल का क्षेत्र-वार/देश-वार आयात

(मि.मी.ट.)

क्षेत्र	क्र. सं.	देश	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (पी)
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य पूर्व	1	ईरान	21.20	18.50	18.11	13.14	11.00
	2	ईराक	14.96	17.16	24.12	24.04	24.63
	3	कुवैत	11.80	11.49	17.73	18.90	20.35
	4	न्यूट्रल जोन	3.05	2.28	0.00	0.00	0.00
	5	ओमान	5.39	5.43	2.60	0.66	2.07
	6	कतर	5.42	5.61	6.50	6.90	5.15
	7	सउदी अरब	27.13	27.36	32.51	36.69	38.18

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य पूर्व	8	सीरिया	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	यूएई	11.60	14.71	15.79	14.47	13.98
	10	यमन	2.92	3.01	1.29	0.60	0.49
		उप-योग	103.70	105.54	118.63	115.39	115.86
अफ्रीका	11	अल्जीरिया	1.83	2.65	2.07	0.26	0.52
	12	अंगोला	8.99	9.65	9.01	8.74	8.18
	13	केमरून	0.28	0.31	0.49	0.35	0.69
	14	चाड	0.29	0.00	0.00	0.49	0.00
	15	कांगो	1.46	0.87	0.53	0.53	0.00
	16	मिस्र	3.05	1.84	2.83	2.57	2.59
	17	इक्वाटोरियल गुएना	1.25	1.50	0.90	1.74	0.35
	18	कीनिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	गैबन	0.14	0.39	0.14	1.08	0.79
	20	आईवरी कोस्ट	0.15	0.00	0.17	0.00	0.00
	21	लीबिया	0.95	1.09	0.17	1.66	0.27
	22	नाईजीरिया	13.20	15.81	14.13	12.07	16.36
	23	पश्चिमी अफ्रीका	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	सूडान	1.11	1.19	0.69	0.08	0.64
		उप-योग	32.91	35.31	31.14	29.57	30.39
एशिया	25	ब्रूनेई	0.91	0.93	1.09	1.32	1.06
	26	चीन	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	मलेशिया	2.64	2.21	2.34	2.02	2.19
	28	सिंगापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	दक्षिण कोरिया	0.26	0.13	0.00	0.00	0.00
	30	जापान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
		उप-योग	3.95	3.27	3.44	3.34	3.39

1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण अमेरिका	31	ब्राजील	2.56	2.77	3.79	3.78	3.41
	32	कोलंबिया	0.85	1.24	0.89	2.80	6.31
	33	इक्वाडोर	1.31	0.40	0.30	1.28	0.28
	34	पानामा	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	35	अर्जेंटिना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
	36	वेनेजुएला	7.30	10.29	9.56	21.91	21.58
		उप-योग	12.10	14.69	14.53	29.77	31.73
यूरेशिया	37	अजरबैजन	2.26	0.76	1.05	2.20	1.39
	38	कजाकिस्तान	0.13	0.00	0.00	0.00	0.40
	39	रूस	1.59	0.71	0.00	0.15	0.27
	40	नार्वे	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
		उप-योग	3.99	1.63	1.05	2.35	2.06
उत्तर अमेरिका	41	कनाडा	0.08	0.00	0.00	0.05	0.20
	42	मैक्सिको	1.89	1.47	2.28	4.06	4.94
	43	ग्वाटेमाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
		उप-योग	1.97	1.47	2.28	4.11	5.17
यूरोप	44	तूर्की	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	45	यूके	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	46	अल्बानिया	0.00	0.00	0.02	0.04	0.26
		उप-योग	0.23	0.00	0.02	0.04	0.26
आस्ट्रेलिया	47	आस्ट्रेलिया	0.36	1.68	0.65	0.23	0.37
		योग	159.20	163.59	171.73	184.80	189.24

स्रोत: तेल कंपनियां।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन : माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों इत्यादि के आयात का विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत आयात पर अधिक निर्भर होता जा रहा है इसके परिणामस्वरूप, हमें बहुत अधिक धनराशि चुकानी पड़ती है। इस संबंध में, मैं सरकार का ध्यान शुक्रवार को सभा में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट के प्रति आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान मूल्य निर्धारण प्रणाली से वर्ष 2007-2013 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान, निजी कंपनियों को 50,513 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा है। मूल्य निर्धारण प्रणाली, जो विनियमित उत्पादों — एलपीजी, किरोसीन, डीज़ल और पेट्रोल के विक्रय पर शोधनशालाओं को आयात से जुड़े मूल्य की अनुमति देती है, जो तेल विपणन कंपनियों — ओएनजीसी के लिए लाभदायक है।

संघीय लेखापरीक्षक ने बताया है कि कैसे त्रुटिपूर्ण मूल्य निर्धारण प्रणाली ने निजी शोधनशालाओं को भी लाभ प्रदान करने के स्रोत के रूप में कार्य किया है। एक तरफ, हम कहते हैं कि हमें भारी धनराशि वहन करनी होगी; दूसरी तरफ, यह भारी धनराशि निजी कंपनियों के फायदे के लिए जाती है। ऐसा सीए ने कहा है। कच्चे तेल के आयात पर शोधनशालाओं द्वारा वहन किए गए आयात संबंधी व्ययों की अनुमति देकर भी उत्पाद के मूल्य निर्धारण प्रणाली के माध्यम से तेल विपणन कंपनियों ने उन्हें कम-से-कम 26,626 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल्य निर्धारण त्रुटिपूर्ण हो गया है। क्या इससे निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा है? क्या सरकार मूल्य निर्धारण प्रणाली में परिवर्तन करने जा रही है?

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने मूल विषय में और कुछ प्रश्न पूछे थे। अभी दो दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आयी है, उन्होंने देश के अंदर उपलब्धता के बारे में पूछा है, वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में पूछा है और निजी, देशी, स्वदेशी प्रोडक्शन कैसे बढ़े, उसके बारे में पूछा है, जिसे हमने आपके माध्यम से अवगत कराया है। अभी-अभी प्राइस मैकेनिज्म के बारे में कैग ने कुछ कहा है, जिसका मूल प्रश्न से संबंध नहीं हैं, लेकिन उस विषय को हम सरकार की ओर से गहन अध्ययन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन : महोदया, यह प्रश्न से ही संबंधित है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमें दूसरे देशों पर अधिक निर्भर होना होगा। यह सही है। उसी समय, यह निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है। हम इसे छिपा नहीं सकते। निजी कंपनियों को वस्तुत: 50,536 करोड़ रुपए तक का लाभ हुआ है। आप इसे इस प्रश्न के उत्तर से कैसे छिपा सकते हैं।

गैस की कमी के संबंध में एक निर्णय लिया गया था। ईरान, पाकिस्तान और भारत पाइपलाइन परियोजना के संबंध में इस सरकार द्वारा भी चर्चा की गई थी। क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गये हैं? क्या सरकार विशेष रूप से तेल की भारी मांग को देखते हुए इस संबंध में कोई निर्णय लेने जा रही है?

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदया, कैग ने केवल निजी कंपनियों के बारे में नहीं कहा है। आज भी इस देश में डिस्ट्रीब्यूशन सरकार के उद्योग कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो भारत सरकार की हैं, वही इसे कर रही हैं, निजी उद्योग उसमें शामिल नहीं हैं। बाकी ईरान पाइप लाइन के बारे में सरकार इस कूटनीतिक विषय से संलग्न है, इस विषय से सरकार अवगत है और कभी भी भारत को मौका मिलेगा तो उसको हम इनीशिएट करेंगे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश सिंह — उपस्थित नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विमानपत्तनों के निकट भवनों का निर्माण

***187. श्री सदाशिव लोखंडे :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विमानपत्तनों के निकट निजी भवनों सहित भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित नियमों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त नियमों/मानदंडों का पालन न किए जाने की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किए गए नियमों/मानदंडों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू) : (क) देश में हवाईअड्डों के निकट भवनों के निर्माण को दिनांक 14 जनवरी, 2010

को अधिसूचित सांविधिक आदेश 84(ई) द्वारा विनियमित किया जाता है। उपर्युक्त, आदेश के अनुसार, संबंधित एजेंसियों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त किए बिना एयरोड्रमों के आसपास विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर किसी भवन या ढांचे का निर्माण नहीं किया जाएगा।

(ख) उक्त नियमों/मानदंडों का गैर-अनुपालन या उल्लंघन अवैध निर्माण माना जाता है और संबंधित प्राधिकारी इसके प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। पिछले 03 वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए "गैर-अनुपालन" का ब्यौरा संबंधित प्राधिकारियों से एकत्र किया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, वायुयान (भवनों तथा पेड़ों आदि द्वारा उत्पन्न अवरोधों को हटाना) नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित विमानपत्तन निदेशक को नियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन के प्रति कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। विभिन्न हवाईअड्डा स्टेकधारकों वाली "हवाईअड्डा अवरोध मॉनीटरिंग समिति" के माध्यम से हवाईअड्डा प्रचालक भी हवाईअड्डे के आसपास निर्माण/संस्थापनों की मॉनीटरिंग का कार्य करते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता

***188. योगी आदित्यनाथ :**
श्री के.सी. वेणुगोपाल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी विद्यमान तंत्र से संतुष्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी वर्तमान प्रणाली में ढांचागत परिवर्तन करने हेतु विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परिवर्तन कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की उनकी सलाहकारी राय के साथ पठित तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग (2002), दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2007-08) और भारत के विधि आयोग (2008 की 214वीं रिपोर्ट) के द्वारा विगत समय सिफारिशें की गई हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में वर्तमान प्रक्रिया की पुनर्विलोकन/परिवर्तन के लिए विभिन्न अधीकरणों और विशेषज्ञ निकायों के द्वारा भी अभ्यावेदन किया गया है।

प्राप्त सुझावों के आधार पर, सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) की स्थापना के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्थानांतरण के लिए विद्यमान प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए राज्य सभा में 'संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013' और 'न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013' नामक दो विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किया था।

विधेयकों का उद्देश्य नियुक्ति की प्रक्रिया को व्यापक आधार देना और उच्चतर न्यायपालिका की नियुक्तियों में व्यापक पारदर्शिता और वास्तविकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिक भागीदारी बनाना था। विधेयकों में यह प्रस्ताव था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग की अध्यक्षता, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाएगी और यह ज्येष्ठता में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से बाद के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीशों, विधि और न्याय के भारसाधक संघ मंत्री तथा प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विरोधी दल के नेता से मिलकर बनने वाले कालेजियम द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति से मिलकर बनेगा। ऐसे विख्यात व्यक्तियों में से एक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के मध्य से चक्रानुक्रम के द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

'संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013' को, जो कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए एक समर्थकारी विधान था, संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2013 के रूप में 5 सितंबर, 2013 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। तथापि, 'न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013' को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) को समीक्षा के लिए निर्देशित किया गया था।

संसदीय स्थायी समिति ने न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 पर अपनी रिपोर्ट संसद् में तारीख 9 दिसंबर, 2013 को प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात्, संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 और न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 में आवश्यक संशोधन किए गए थे। तथापि, विधेयकों पर संसद् के अंतिम सत्र में विचार नहीं किया जा सका। संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, पंद्रहवीं

लोक सभा के विघटन के परिणामस्वरूप व्यपगत हो गया। न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 राज्य सभा में लंबित है। "सरकार न्यायिक नियुक्ति आयोग" की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विभिन्न राजनैतिक दलों विख्यात विधिवेत्ताओं से परामर्श करने पर विचार कर रही है।

व्यवसाय संबंधी रोग

***189. श्री शैलेश कुमार :**
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम, सीमेंट और उर्वरक कारखानों सहित कार्यस्थलों/कारखानों/खानों में अनेक व्यवसाय संबंधी रोगों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे रोगों का क्षेत्र और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कारखानों और खानों में नियुक्त कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बनाए गए सांविधिक उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सांविधिक उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा कारखानों/खानों में कार्यरत कामगारों/श्रमिकों के बीच व्यवसाय संबंधी रोगों के बारे में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जागरुकता पैदा करने हेतु क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) और (ख) मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा मुख्य खान निरीक्षक से उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 तथा खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों तथा खानों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रिपोर्ट किए गए व्यवसायजनित रोगों के मामलों की कुल संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण हेतु सांविधिक उपलब्ध खान अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों अर्थात् कोयला खान विनियम, 1957, लौह धातु खान विनियम, 1961 तथा तेल खान विनियम, 1984 के अंतर्गत उपलब्ध हैं। खानों में सुरक्षा संबंधी विधानों के क्रियान्वयन की निगरानी खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा की जाती है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जा रही है:—

(i) खानों का निरीक्षण तथा दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल करना;

(ii) सुधार संबंधी नोटिस और प्रतिषेधात्मक आदेश जारी करना;

(iii) कार्य का निलंबन अथवा बंद करना, अनुमति वापस लेना; और

(iv) उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाना।

कारखाना अधिनियम, 1948 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण हेतु उपबंधों का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित किया जाता है। तथापि संबंधित राज्यों में इसका कार्यान्वयन मुख्य कारखाना निरीक्षकों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ङ) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2009 को कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। इस राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य कार्य से संबंधित चोटों की घटनाओं, बीमारियों, मौतों और आपदाओं की घटनाओं को समाप्त करके देश में उपचारात्मक सुरक्षा एवं स्वस्थ परिवेश की स्थापना करना तथा देश के आर्थिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के हितों में वृद्धि करना है। कामगारों/श्रमिकों में स्वास्थ्य देखभाल जागरुकता लाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:—

(i) खान कामगारों में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरुकता में वृद्धि करने हेतु हर वर्ष खानों में सुरक्षा सप्ताह/पखवाड़ा, बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं।

(ii) खानों तथा कारखानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाने हेतु प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iii) प्रत्येक वर्ष खान कामगारों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार तथा कारखानों कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

(iv) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा योजना के अंतर्गत

व्यवसायजनित स्वास्थ्य सेवाओं सहित सुरक्षात्मक एवं संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने कई कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:—

(क) व्यवसायजनित रोगों से बचाव के लिए कार्य योजना तैयार की गई है।

(ख) ईएसआई कामगारों में व्यवसायजनित रोगों की पहचान के लिए कार्य स्थल पर स्वास्थ्य जांच कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।

(ग) दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर तथा मुम्बई में ईएसआईसी द्वारा पांच व्यवसायजनित रोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

विवरण-I

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में 2011, 2012 तथा 2013 के दौरान रिपोर्ट किए गए व्यवसायजनित रोगों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	व्यवसायजनित रोग	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	—	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	—	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	—	शून्य	शून्य	शून्य
5.	चंडीगढ़	—	शून्य	शून्य	शून्य
6.	छत्तीसगढ़	—	शून्य	शून्य	शून्य
7.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	—	शून्य	शून्य	शून्य
8.	दिल्ली	व्यवसायजनित डर्मेटाइटिस	शून्य	शून्य	शून्य
9.	गोवा	—	शून्य	शून्य	1
10.	गुजरात	बाइसियोनोसिस	6	1	1
		कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि	5	2	शून्य
		सिलिकोसिस	2	1	1
		बहरापन	7	शून्य	शून्य
		नासिका झिल्ली छिद्रण	शून्य	शून्य	6
		(न्यूमोकोनियोसिस) सिलिकोसिस	शून्य	12	शून्य
		एस्बेसटोसिस	शून्य	शून्य	शून्य
		डर्माटाइटिस	शून्य	शून्य	1

1	2	3	4	5	6
11.	हरियाणा	—	शून्य	शून्य	शून्य
12.	हिमाचल प्रदेश	—	एनआर	शून्य	एनआर
13.	जम्मू और कश्मीर	—	शून्य	शून्य	शून्य
14.	झारखंड	—	शून्य	2	शून्य
15.	केरल	—	शून्य	शून्य	शून्य
16.	कर्नाटक	—	शून्य	एनआर	शून्य
17.	मेघालय	—	शून्य	शून्य	एनआर
18.	महाराष्ट्र	कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि	5	शून्य	शून्य
		एस्बेसटोसिस	शून्य	2	शून्य
		टोक्सिक नेफ्राइटिस	शून्य	शून्य	4
		सिलिकोसिस	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मणिपुर	—	शून्य	एनआर	एनआर
20.	मध्य प्रदेश	सिलिकोसिस	15	15	16
21.	नागालैंड	—	शून्य	शून्य	एनआर
22.	ओडिशा	—	शून्य	शून्य	शून्य
23.	पुदुचेरी	—	शून्य	शून्य	शून्य
24.	पंजाब	—	शून्य	शून्य	शून्य
25.	राजस्थान	—	शून्य	शून्य	शून्य
26.	तमिलनाडु	सिलिकोसिस	शून्य	शून्य	3
27.	त्रिपुरा	—	शून्य	शून्य	शून्य
28.	उत्तराखंड	—	शून्य	शून्य	शून्य
29.	उत्तर प्रदेश	—	एनआर	एनआर	एनआर
30.	पश्चिम बंगाल	बाइसियोनोसिस	शून्य	शून्य	शून्य
		सिलिकोसिस	34	शून्य	शून्य
		कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि	297	शून्य	55
	कुल		371	35	88

स्रोत: सूचना कारखाना सलाह सेवा श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली) के जरिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों से एकत्र की गई है।
एनआर: अभी तक प्राप्त नहीं; अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिज़ोरम तथा सिक्किम राज्यों में: कोई पंजीकृत कारखाने नहीं।

विवरण-II

खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत खानों में वर्ष 2011, 2012 और 2013 में रिपोर्ट किए गए व्यवसायजनित रोगों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

वर्ष	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बीमारी का नाम					
		सिलिकोसिस		कोयला कर्मी न्यूमोकोनियोसिस		कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि	
		खान का नाम	मामलों की संख्या	खान का नाम	मामलों की संख्या	खान का नाम	मामलों की संख्या
2011	ओडिशा	बोलानी लौह अयस्क खान, मैसर्स स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	समलेश्वरी ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट, मैसर्स-महानदी कोलफील्ड लिमिटेड	4		
	झारखंड			मुरलीडीह 20/21 पिट कोलियरी, मैसर्स-भारत कुकिंग कोल लिमिटेड	1		
2012	तमिलनाडु			लिग्नाईट खान-1, नेवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन	3		
	ओडिशा			समलेश्वरी ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट, मैसर्स-महानदी कोलफील्ड लिमिटेड	1		
	छत्तीसगढ़			कुर्जा कोलियरी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	1		
	महाराष्ट्र					मुन्सर खान, मैसर्स-एमओआईएल लिमिटेड	2
2013	ओडिशा	गंधमर्दन लौह अयस्क खान, मैसर्स-ओडिशा खान कंपनी लिमिटेड	1				
		खंदाबंध लौह अयस्क खान, मैसर्स-ओडिशा खान कंपनी लिमिटेड	1				
	कर्नाटक	हट्टी सोना खान, मैसर्स-हट्टी सोना खान कंपनी लिमिटेड	2				

स्रोत: खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के माध्यम से खान प्रबंधन से प्राप्त सूचना।

[अनुवाद]

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

*190. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किए जाने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुए चुनावों में कुल कितने मामले दर्ज किए गए और कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार आदर्श आचार संहिता को विधिक और सांविधिक समर्थन देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का बड़े पैमाने पर उल्लंघन रोकने के लिए चुनाव संबंधी सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, मेघालय, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात राज्यों और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के अतिक्रमण के संबंध में यथा उपबंधित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है। शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 35 परिवादों को इससे पहले आदर्श आचार संहिता के अतिक्रमण के संबंध में दर्ज किया गया था। निर्वाचन आयोग ने उन परिवादों की समीक्षा के पश्चात् 35 में से 16 परिवादों के मामलों को आगे न चलाने का विनिश्चय किया क्योंकि या तो वे इस प्रकार से अतिक्रमण नहीं कर रहे थे या अभिकथित अभिकार्यों को उसके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के भीतर पाया गया। शेष 19 मामलों की बाबत, निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

(ग) और (घ) सरकार, आदर्श आचार संहिता को विधिक और कानूनी आधार देने की प्रस्थापना नहीं करती है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था निपुणता से कार्य कर रही है।

विवरण

आदर्श आचार संहिता का अतिक्रमण : पिछले 05 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त जानकारी

क्र. सं.	राज्य का नाम	पिछले 5 वर्षों के दौरान एमसीसी के अतिक्रमण के लिए दर्ज मामलों की संख्या	ऐसे मामलों में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	इस अवधि के दौरान निपटान किए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
3.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अरुणाचल प्रदेश	34	किए गए आवश्यक अन्वेषण और तदनुसार आरंभ की गई कार्रवाई	31
5.	असम	1582	—यथोक्त—	1582
6.	मिज़ोरम	03	—यथोक्त—	03
7.	मेघालय	शून्य	—यथोक्त—	

1	2	3	4	5
8.	महाराष्ट्र	957	767 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। 423 मामलों में आरोप-पत्र दिए गए	35
9.	गोवा	58	संबद्ध अन्वेषण अधिकारी/पुलिस प्राधिकारी द्वारा विधि के अधीन की गई/आरंभ की गई सम्यक् कार्रवाई	43
10.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
11.	गुजरात	180	11 मामलों में नोटिस जारी किया गया और 169 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई	लागू नहीं होता
12.	दमन और दीव	03	प्रक्रिया में है।	शून्य

माइक्रोवेव ऐक्सस/माइक्रोवेव बैंकबॉन का आबंटन

***191. श्री बी. विनोद कुमार :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माइक्रोवेव ऐक्सस/माइक्रोव बैंकबॉन कैरियर्स के आबंटन के संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं और अंतरिम व्यवस्था के रूप में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सीमा से अधिक प्रयोग निर्धारित करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने माइक्रोवेव ऐक्सस/माइक्रोवेव बैंकबॉन आबंटन और मूल्य निर्धारण के संबंध में हितधारकों से राय मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार को क्या टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) ब्रांडबैंड वायरलैस ऐक्सस (बीडब्ल्यूए) सेवाओं के लिए माइक्रोवेव ऐक्सस (एमडब्ल्यूए) कैरियर्स के आबंटन के बारे में दिनांक 16 मार्च, 2012 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। (प्रति विवरण के रूप में संलग्न है) तथा अंतरिम व्यवस्था के रूप में, सीमा से अधिक प्रयोग को निर्धारित करने के बारे में अब तक कोई अंतरिम मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) सरकार ने एमडब्ल्यूए/एमडब्ल्यूबी के आबंटन और कीमत-निर्धारण के संबंध में हितधारकों से कोई राय नहीं मांगी है। तथापि, सरकार ने माइक्रोवेव ऐक्सस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियर्स के आबंटन और कीमत निर्धारण के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें मांगी हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 28 मार्च, 2014 को "माइक्रोवेव ऐक्सस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियर्स का आबंटन और कीमत निर्धारण" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें सभी हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां मांगी गई हैं। ट्राई को 20 हितधारकों से टिप्पणियां तथा 2 हितधारकों के प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। उसके पश्चात् ट्राई द्वारा हितधारकों की राय जानने के लिए दिनांक 19 जून, 2014 को एक खुली चर्चा 'ओपन हाउस डिस्कशन' आयोजित की गई थी। हितधारकों से उनके लिखित में प्राप्त दृष्टिकोणों तथा 'ओपन हाउस डिस्कशन' में प्राप्त राय का ट्राई द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है।

(घ) इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ट्राई की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
डब्ल्यूपीसी स्कंध
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल संख्या एल-14035/19/2010-बीडब्ल्यूए दिनांक 16 मार्च, 2014

विषय: बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए माइक्रोवेव (एमडब्ल्यू) ऐक्सस आरएफ कैरियर्स के आबंटन के संबंध में दिशा-निर्देश।

बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए माइक्रोवेव (एमडब्ल्यू) ऐक्सस आरएफ कैरियर्स के आबंटन के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से अंतरिम उपाय के रूप में निम्नलिखित निर्णय किया गया है:-

सेवा	मेट्रो तथा ए	बी-सर्किल	सी-सर्किल	अभ्युक्तियां
बीडब्ल्यूए	4-6 कैरियर्स	3-4 कैरियर्स	3 कैरियर्स	किसी सेवा क्षेत्र में अकेले (स्टेंड अलोन) बीडब्ल्यूए प्रचालक और 2जी तथा 3जी सेवाओं वाले किसी प्रचालक के लिए आवश्यकता

टिप्पणी: प्रत्येक एमडब्ल्यू ऐक्सस आरएफ कैरियर, 28 मेगाहर्टज युग्मित बैंडविड्थ के संदर्भ में है।

2. आरंभ में नए बीडब्ल्यूए प्रचालकों और बीडब्ल्यू सेवा प्रदान करने वाले मौजूदा 2जी/3जी प्रचालकों को उनके अनुरोध पर क्रमशः मैट्रो तथा ए सर्किलों में कुल 4 एमडब्ल्यूऐक्सस कैरियर्स तथा बी एवं सी सर्किलों में 3 एमडब्ल्यू ऐक्सस कैरियर्स आबंटित किए जाएं। फ्रीक्वेंसी बैंडों में आबंटन, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय आवर्ती आबंटन योजना 2011 में उपबंधित चैनलिंग प्लान के अनुसार किया जाएगा, किन्तु ऐसा उपलब्धता के अध्यधीन तथा विधिक रूप से संवीक्षित आवर्ती करार के निष्पादन के अध्यधीन होगा।

3. मेट्रो सर्किलों ए सर्किलों में 4 एमडब्ल्यू ऐक्सस कैरियर्स तथा बी सर्किलों में 3 एमडब्ल्यू ऐक्सस कैरियर्स से अतिरिक्त एमडब्ल्यू ऐक्सस सपेक्ट्रम के आबंटन के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक मानदंड निर्धारित करने के बाद विचार किया जाएगा।

4. स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभागों के संबंध में उन्हीं दरों का भुगतान किया जाएगा जो दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

5. ये दिशा-निर्देश, जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(आर.के. सक्सेना)
उप-बेतार सलाहकार, भारत सरकार

सेवा में,

1. सभी संबंधित कार्यालय।
2. निदेशक, बेतार अनुश्रवण संगठन, नई दिल्ली।
3. निदेशक (वित्त), बेतार वित्त प्रभाग, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
4. संबंधित सेवा प्रदाता/एसोसिएशनें।
5. डब्ल्यूपीसी स्कंध की वेबसाइट।

[हिन्दी]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन

*192. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस विषय में राज्यों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राजस्थान सहित उनसे क्या सुझाव/टिप्पणियां/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) सरकार हितधारकों के साथ परामर्श करके एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन की जरूरत की जांच कर रही है।

(घ) और (ङ) सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लिखा है। राजस्थान सहित कुछ राज्यों से उत्तर प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

विवरण

खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि

(i) सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि संख्या 54 (संघ सूची) के अनुसार केन्द्र सरकार को "खान एवं खनिज के विकास के विनियमन हेतुन उस सीमा तक अधिकार प्राप्त है जिस सीमा तक संघ के नियंत्रण के अंतर्गत ऐसा विनियमन और विकास संसद द्वारा विधि द्वारा लोकहित में उपयुक्त घोषित किया जाता है"।

(ii) सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि संख्या 23 (राज्य सूची) के अनुसार राज्य सरकारों को "संघ के नियंत्रण के अंतर्गत विनियमन एवं विकास के संबंध में सूची-I के प्रावधानों के अधीन खान एवं खनिज के विकास के विनियमन हेतु" अधिकार प्राप्त है।

(iii) संसद द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 अधिनियमित किया गया था। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 2 में उल्लेख है कि "2. संघ के नियंत्रण की उपयुक्ता के संबंध में घोषणा-एतद द्वारा यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह उपयुक्त है कि संघ को यहां इसके बाद उपबंधित की गई सीमा तक खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए"।

(iv) उक्त घोषणा के अनुरूप संघ ने खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में अन्य बातों के साथ-साथ देश में खनिज रियायत प्रदान करने की प्रक्रिया, खनन गतिविधियों का विनियमन और खनिज विकास के लिए प्रावधानों की व्यवस्था है।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की प्रमुख विशेषताएं

- अधिनियम के प्रावधान खनिज तेलों (प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम) को छोड़कर सभी खनिजों पर लागू हैं; "खान" शब्द से तात्पर्य वही है जो खान अधिनियम, 1952 में दिया गया है।
- अधिनियम में "गौण खनिजों" की परिभाषा से तात्पर्य निर्माण प्रस्तर, ग्रेवेल, साधारण मृदा, निहित परियोजना में प्रयुक्त रेत को छोड़कर साधारण रेत और अन्य कोई खनिज जिसे केंद्र सरकार गौण खनिज के रूप में घोषित करें।
- अधिनियम में तीन रियायतों नामतः आवीक्षण परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा की परिभाषा दी गयी है; और इसमें इन रियायतों को प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तें दी गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतम अनुमेय क्षेत्र, अवधि जिसके लिए उन्हें प्रदान किया जा सकता है, आदि शामिल हैं।
- अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों को छोड़कर जिनके लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, राज्य सरकारें खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए सक्षम हैं।
- राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति को खनन पट्टा प्रदान नहीं करेगी जब तक कि वह-(क) भारतीय नागरिक, अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित कंपनी न हो; और (ख) यथानिर्धारित ऐसी शर्त को पूरा न करता हो।
- खनन पट्टा धारक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर जिसमें खनिजों से संबंधित रॉयल्टी की दरों का उल्लेख है, के अनुसार खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा।
- यह अधिनियम, केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में देय रॉयल्टी की दर को बढ़ाने अथवा घटाने हेतु अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है, जो इस शर्त के अधीन होगा कि किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर को किसी भी तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- अधिनियम में (i) लौह एवं इस्पात उत्पादन; (ii) विद्युत उत्पादन; (iii) खान से प्राप्त कोयले की वाशिंग; अथवा (iv) ऐसे अन्य अंत्य उपयोग जैसा कि केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट करें, के उद्देश्य हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा निलामी के जरिए कोयला या लिग्नाइट धारी क्षेत्र के संबंध में आवीक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टे प्रदान करने का प्रावधान है।
- केन्द्र सरकार के पास आवीक्षण परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टे दिए जाने के विनियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार

प्राप्त है, जिसके प्रयोग से खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर) तैयार गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, खनिज रियायत देने की प्रक्रिया, खनिज रियायत की शर्तें, क्षेत्र की अधिसूचना तथा रियायत के हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई निर्धारित की गई है।

- यह अधिनियम, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में तथा उससे जुड़े उद्देश्यों हेतु, खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के विनियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके प्रयोग से राज्य सरकारों ने गौण खनिजों हेतु खनिज रियायत देने के लिए नियम बनाए है।
- यह अधिनियम, केन्द्र सरकार को किसी खनिज के संरक्षण हेतु किसी क्षेत्र को आरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है।
- यह अधिनियम केन्द्र सरकार को उसके स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनी अथवा निगम के ज़रिए पूर्वेक्षण या खनन प्रचालन करने हेतु क्षेत्र को आरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- यह अधिनियम, राज्य सरकार को, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सरकारी कंपनी अथवा निगम के ज़रिए पूर्वेक्षण या खनन प्रचालन करने हेतु क्षेत्र को आरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- यह अधिनियम, केंद्र सरकार को खनिजों के संरक्षण तथा व्यवस्थित विकास तथा पूर्वेक्षण एवं खनन कार्यों से होने वाले प्रदूषण, की रोकथाम अथवा नियंत्रण द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके प्रयोग से केन्द्र सरकार ने खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर) तैयार किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एक अनुमोदित खनन योजना के ज़रिए भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) (खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) के द्वारा प्रमुख खनिजों की खनन गतिविधियों के विनियमन का प्रावधान है।
- यह अधिनियम, राज्य सरकारों को अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन तथा खनिजों के भंडारण के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- यह अधिनियम, केंद्र सरकार को, किसी गौण खनिज के अलावा, अन्य खनिज के संबंध में इस अधिनियम के तहत अथवा इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिए किसी आदेश को संशोधित करने का अधिकार प्रदान करता है।

विमान संपर्क

***193. श्री कीर्ति आज़ाद :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विमान सेवा से वंचित और अल्प सेवा वाले क्षेत्रों के लिए विमान संपर्क सेवा में सुधार करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों और कार्गो दोनों के संदर्भ में हवाई यातायात की प्रमात्रा तथा बिहार के दरभंगा सहित विभिन्न स्थानों/स्थलों पर विमानपत्तनों के विकास की व्यवहार्यता का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) देश में ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का विकास करने वाली एजेंसियों और अब तक हुए खर्च सहित विमानपत्तन-वार कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार और ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के शीघ्र निर्माण हेतु क्या पहलें की गई हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू) : (क) और (ख) देश के जिन क्षेत्रों में हवाई सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं या आवश्यकता से कम सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उन क्षेत्रों में हवाई संपर्कता में सुधार लाने के लिए सरकार ने मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निरूपित किए हैं। मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुसार दूर दराज स्थित और क्षेत्रीय इलाकों, जिनमें पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह शामिल हैं, में एक निश्चित संख्या में उड़ानों का प्रचालन किया जाना बाध्यकारी है। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(ग) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय और दूरस्थ इलाकों की हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए इन स्थानों की जनसंख्या, आर्थिक विकास, पर्यटन की संभावना और हवाई संपर्कता की कमी को ध्यान में रखते हुए 50 शहरों की पहचान की है। इन शहरों की सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। तथापि, हवाईअड्डों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यातायात मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक कारकों, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर समय-समय पर यह प्रक्रिया चलाई जाती है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा देश भर में 15 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जबकि परियोजना विकास संबंधित हवाईअड्डा प्रमोटरों द्वारा किया जाता है, किन्तु इन हवाईअड्डों की प्रगति की उस संचालन समिति द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है जिसका गठन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति 2008 के तहत किया गया था। हवाईअड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय सारणी भूमिअधिग्रहण, परियोजना के वित्तपोषण, अनिवार्य अनापत्तियों की उपलब्धता, वित्तीय क्लोजर आदि जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

विवरण-I

देश में विकसित किए जाने वाले कम लागत के हवाईअड्डे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. कडप्पा
		2. तिरुपति
		3. विजयवाड़ा
		4. वारंगल
2.	अरुणाचल प्रदेश	5. आलंग (आईएएफ)
		6. डापरिजो
		7. पासीघाट (सिविल एन्क्लेव)
		8. तेजू
3.	असम	9. जोरहाट
		10. रूपसी
		11. सिलचर
4.	बिहार	12. गया
		13. रक्सौल
5.	छत्तीसगढ़	14. बिलासपुर
		15. रायगढ़ (राज्य सरकार)
6.	दमन और दीव	16. दमन (राज्य सरकार)
		17. दीव (राज्य सरकार)
7.	गुजरात	18. भावनगर
		19. जामनगर (सीई)
		20. कांडला
		21. केशोद
8.	हरियाणा	22. हिसार (राज्य सरकार)
		23. करनाल (एसजी)
9.	जम्मू और कश्मीर	24. किस्तवार (एसजी)
10.	झारखंड	25. देवघर
		26. जमशेदपुर
11.	कर्नाटक	27. बेलगाम
		28. हुबली
12.	मध्य प्रदेश	29 ग्वालियर
		30. जबलपुर
		31. रीवा (एसजी)
13.	महाराष्ट्र	32. अकोला
		33. अमरावती
		34. जलगांव
		35. कोल्हापुर
		36. शोलापुर (ग्रीनफील्ड)
14.	ओडिशा	37. झारसुगुडा
15.	पंजाब	38. लुधियाना
16.	राजस्थान	39. बीकानेर (सीई)
		40. किशनगढ़
		41. कोटा
17.	तमिलनाडु	42. थांजावोर (सीई)

1	2	3
18.	उत्तर प्रदेश	43. आगरा
		44. इलाहाबाद
		45. बरेली
		46. फैजाबाद

1	2	3
		47. कानपुर
		48. मेरठ
		49. मुरादाबाद
		50. सहारनपुर

विवरण-II

देश में 'सैद्धांतिक' रूप से अनुमोदन प्रदान की गई ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम नाम तथा राज्य	प्रोमोटर के नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	गोवा में मोपा हवाईअड्डा	गोवा राज्य सरकार	भारत सरकार ने मार्च, 2000 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से गोवा के मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए गोवा सरकार के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान की है। गोवा के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक संचालक समिति का गठन किया गया है, गोवा सरकार ने सूचित किया कि हवाईअड्डा परियोजना के लिए 1907 एकड़ भूमि अधिगृहित की जा चुकी है। अनुमानित परियोजना लागत 3000 करोड़ रुपए हैं।
2.	महाराष्ट्र में नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सीआईडीसीओ) (महाराष्ट्र राज्य सरकार)	भारत सरकार ने मई, 2007 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से नवी मुम्बई हवाईअड्डे पर नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा के विकास के लिए महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सीआईडीसीओ) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन को सुलभ बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति यथा परियोजना मॉनीटरिंग तथा क्रियान्वयन समिति (पीएमआईसी) का गठन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना के लिए 1572 हैक्टेयर भूमि अधिकृत की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 14,500 करोड़ रुपए है।
3.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) (महाराष्ट्र राज्य सरकार)	भारत सरकार ने सितम्बर, 2008 में सिंधुदुर्ग में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), महाराष्ट्र सरकार का एक निकाय को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। एमआईडीसी ने डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रान्सफर

1	2	3	4
			(डीबीएफओटी) आधार पर मैसर्स आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड का चयन किया है। कुल 271 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई है। तत्पश्चात् इस परियोजना के विकास एवं प्रचालन के लिए एक एसपीवी नामत: आईआरबी सिंधुदुर्ग प्रा.लि. (आईएसएपीएल) की स्थापना की गयी है। निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 350 करोड़ रुपए है।
4.	बीजापुर हवाईअड्डा, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य सरकार	बीजापुर में घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार (जीओके) को भारत सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक तौर पर' अनुमोदन प्रदान जून, 2008 में किया गया था। परियोजना के लिए 727 एकड़ भूमि अधिकृत की गयी जिसे डेवलपर को हस्तांतरित किया गया। डेवलपर ने जीओके से आर्थिक गैर-साध्यता के कारण परियोजना से हटने का अनुरोध किया है परियोजना की अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपए है।
5.	गुलबर्गा हवाईअड्डा, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य सरकार	गुलबर्गा में घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार (जीओके) को भारत सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक तौर पर' अनुमोदन प्रदान जून, 2008 में किया गया था। जीओके ने डेवलेपर्स के साथ पीडीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तथापि पीडीए में कुछ विवाद हो गया तथा यह समाप्ती के चरण पर पहुंच गया। परियोजना के लिए 693 एकड़ भूमि अधिकृत की गयी है। परियोजना की अनुमानित लागत 186 करोड़ रुपए है।
6.	हसन हवाईअड्डा, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य सरकार	हसन में घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार (जीओके) को भारत सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक तौर पर' अनुमोदन प्रदान जून, 2008 में किया गया था। जीओके ने डेवलेपर्स के साथ पीडीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा डेवलेपर्स ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमान तैयार किया है। 536 एकड़ भूमि डेवलेपर्स को सौंप दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 313 करोड़ रुपए हैं।
7.	शिमोगा हवाईअड्डा, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य सरकार	कर्नाटक सरकार (जीओके) को भारत सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक तौर पर' अनुमोदन प्रदान जून, 2008 में किया गया था। जीओके ने डेवलेपर्स के साथ पीडीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। डेवलपर ने जीओके से आर्थिक गैर-व्यवहार्यता के कारण परियोजना से हटने का अनुरोध किया है। परियोजना के लिए 680 एकड़ भूमि अधिकृत की गयी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 376 करोड़ रुपए है।
8.	केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	मैसर्स केआईएनएफआरए (केरल सरकार का एक नोडल एजेंसी)	केरल सरकार को भारत सरकार द्वारा "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान जनवरी, 2008 में किया गया था। केरल सरकार ने हवाईअड्डे के विकास के लिए मैसर्स केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम

1	2	3	4
			(केआईएनएफआरए) को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। मैसर्स केआईएनएफआरए ने एक विशेष कार्य (एसपीवी) नामत: मैसर्स कन्नूर हवाईअड्डा लिमिटेड (कियाल) का निर्माण किया है। परियोजना के लिए 1278 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। एयर साइड निर्माण कार्य के लिए इंजीनियरिंग प्रापण तथा निर्माण (ईपीसी) ठेका पहले ही परियोजना कंपनी को प्रदान कर दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए है।
9.	पश्चिम बंगाल दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	मैसर्स बंगाल एरोट्रोपोलिस परियोजना लिमिटेड (बीएपीएल)	भारत सरकार ने दिसंबर, 2008 में दुर्गापुर में घरेलू ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डा की स्थापना के लिए मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड को "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 480 करोड़ रुपए है।
10.	ग्वालियर, मध्य प्रदेश में डाबरा हवाईअड्डा	मैसर्स ग्वालियर एग्रिकल्चर कंपनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश के दतिया/डाबरा, ग्वालियर जिले में ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड को दिसंबर, 2008 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है। "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन के पश्चात् परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में कानूनी बाधाएं हैं। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।
11.	पेक्यांग हवाईअड्डा, सिक्किम	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण	सिक्किम में पेक्योंग में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अक्तूबर, 2008 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। एएआई ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 309 करोड़ रुपए है।
12.	उत्तर प्रदेश में कुशीनगर	उत्तर प्रदेश सरकार	उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सितंबर, 2010 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दो बार अर्हता हेतु अनुरोध जारी किए हैं। परियोजना के लिए 562 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 355 करोड़ रुपए है।
13.	पुदुचेरी में कराइकल	कराइकल हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड	ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स कराइकल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को फरवरी, 2011 में."सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजना के लिए 247 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपए है।

1	2	3	4
14.	शिरडी, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र हवाईअड्डा, विकास निगम लिमिटेड, (महाराष्ट्र राज्य सरकार)	भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप में महाराष्ट्र हवाईअड्डा विकास निगम लि. (एमएडीसी) को शिरडी, महाराष्ट्र में मई, 2011 को एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा की स्थापना की अनुमति दी है। एमएडीसी द्वारा विकास कार्य पहले की आरंभ किया जा चुका है। परियोजना के लिए 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए है।
15.	केरल में अरणमुला	मैसर्स के जीएस अरणमुला एयरपोर्ट, लिमिटेड	भारत सरकार ने सितंबर, 2012 को 'सैद्धांतिक रूप' में अरणमुला में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना की अनुमति दे दी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नवम्बर, 2013 में पर्यावरण निकासी प्रदान कर दी थी। तथापि, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने परियोजना को प्रदत पर्यावरण निकासी को खारिज कर दिया। परियोजना के लिए 600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

कुटुम्ब न्यायालय

***194. श्री शिवकुमार उदासि :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कितने कुटुम्ब न्यायालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इन न्यायालयों में कितने मामलों का निपटान किया गया/कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में एक कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन-कौन से स्थानों को चिन्हित किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में 295 कुटुंब न्यायालय कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे कुटुंब न्यायालयों की राज्य-वार संख्या को उपदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III में दिया गया है।

(ख) कुटुंब न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका का भाग हैं और कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के भीतर आता है। अतः, कुटुंब न्यायालयों में मामलों के निपटान और उनके लंबित रहने की संख्या के संबंध में जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, उच्च न्यायालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान 9 राज्यों के कुटुंब न्यायालयों में निपटाए गए/लंबित मामलों की संख्या को उपदर्शित करने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984, विवाह और कुटुंब मामलों से संबंधित विवादों के सुलह का प्रोत्साहन करने और उनके त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा उनसे संबंधित विषयों के संबंध में उच्च न्यायालयों से परामर्श करके राज्य सरकारों द्वारा कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबंध करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1)(क) के अधीन, राज्य सरकारों के लिए यह आज्ञापक है कि वे राज्य में ऐसे शहर या नगर, जिसकी जनसंख्या दस

लाख से अधिक है, से मिलकर बने प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करें। यदि राज्य सरकारें इसे आवश्यक समझती है तो राज्यों के अन्य क्षेत्रों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् राज्य/संघ राज्यक्षेत्र उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को भी विनिर्दिष्ट करते हैं, जिस पर कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार होगा। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से आवधिक रूप से अनुरोध किया जाता रहा है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक कुटुंब न्यायालय की स्थापना करें।

कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की एक स्कीम वर्ष 2002-03 में आरंभ की गई थी। स्कीम के अनुसार, केन्द्रीय सरकार कुटुंब न्यायालयों के भवन के संनिर्माण और न्यायाधीश के निवास-स्थान की लागत का 50 प्रतिशत का उपबंध करती है, जो योजना सहायता के रूप में एकमुश्त अनुदान के तौर पर दस लाख रुपए तथा गैर-योजना के अधीन आवर्ती लागत के रूप में वार्षिक रूप से 5 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है। राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह बराबर-बराबर हिस्सा प्रदान करे। राज्यों को उनके प्रस्ताव की प्राप्ति पर स्कीम के संनियमों के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान, राज्यों को प्रदान किए गए राज्य-वार केंद्रीय अनुदान को उपदर्शित करने वाला ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अभी तक राज्यों को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।

विवरण-I

कार्यरत कुटुंब न्यायालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	राज्य में कार्यरत कुटुंब न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	02
4.	बिहार	32
5.	छत्तीसगढ़	19
6.	दिल्ली	09
7.	गोवा	—
8.	गुजरात	09
9.	हरियाणा	06
10.	हिमाचल प्रदेश	—
11.	जम्मू और कश्मीर	—
12.	झारखंड	17
13.	कर्नाटक	24
14.	केरल	28
15.	मध्य प्रदेश	31
16.	महाराष्ट्र	22
17.	मणिपुर	04
18.	मिज़ोरम	—
19.	मेघालय	04
20.	नागालैंड	02
21.	ओडिशा	17
22.	पंजाब	—
23.	पुदुचेरी	01
24.	राजस्थान	06
25.	सिक्किम	02
26.	तमिलनाडु	06
27.	त्रिपुरा	03
28.	उत्तर प्रदेश	15
29.	उत्तराखंड	07
30.	पश्चिम बंगाल	02
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—

1	2	3
32.	चंडीगढ़	—
33.	दादरा और नगर हवेली	—
34.	दमन और दीव	—
35.	लक्षद्वीप	—
36.	तेलंगाना	—
	योग	295

विवरण-II

कुटुंब न्यायालय में निपटाए गए/लंबित मामलों की संख्या

(वर्ष 2011)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आरंभिक अतिशेष	संस्थान	निपटाए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
1.	बिहार	24932	14636	11120	28437 (11 मामले अंतरित/समामेलित)
2.	छत्तीसगढ़			8535	6718
3.	कर्नाटक	12872	15610	13422	15060
4.	केरल			34958	43831
5.	मध्य प्रदेश			11825	11554
6.	ओडिशा			5699	
7.	सिक्किम	143	221	259	105
8.	उत्तराखंड			4940	5840
9.	पश्चिम बंगाल				1037

(वर्ष 2012)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आरंभिक अतिशेष	संस्थान	निपटाए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	28787	16971	12537	33207 (14 मामले अंतरित और लंबित संख्या में जोड़े गए 350 मामले)

1	2	3	4	5	6
2.	छत्तीसगढ़			8015	7035
3.	कर्नाटक			12541	17022
4.	केरल			40499	48314
5.	मध्य प्रदेश			11782	13214
6.	ओडिशा			3818	
7.	सिक्किम	105	212	218	99
8.	उत्तराखंड			4990	6243
9.	पश्चिम बंगाल				

(वर्ष 2013)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आरंभिक अतिशेष	संस्थान	निपटाए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
1.	बिहार	13421	6838	5192	15068*
2.	छत्तीसगढ़			8448	9057
3.	कर्नाटक	17022	20223	15480	21765
4.	केरल			54215	50573
5.	मध्य प्रदेश			13196	14213
6.	ओडिशा			5692	
7.	सिक्किम	99	302	336	65
8.	उत्तराखंड		6332	6531	
9.	पश्चिम बंगाल				

*2013 के लिए जानकारी बिहार के 14 जिलों से अभी प्राप्त होनी है।

(वर्ष 2014)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आरंभिक अतिशेष	संस्थान	निपटाए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या	निम्नलिखित तारीख को
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिहार	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2.	छत्तीसगढ़			6481	9329	अप्रैल, 2014 तक
3.	कर्नाटक	21765	8901	7660	23006	01.07.2014
4.	केरल			18725	52089	31.05.2014
5.	मध्य प्रदेश			3189	14835	
6.	ओडिशा			1666	24705	31.03.2014
7.	सिक्किम	65	147	147	65	
8.	उत्तराखंड			2714	6930	जून, 2014
9.	पश्चिम बंगाल					

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान कुटुंब न्यायालयों की स्कीम के अधीन राज्यों को जारी किया गया अनुदान

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुटुंब न्यायालयों के लिए जारी किया गया अनुदान					
		योजनागत			गैर-योजनागत		
		2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1.	बिहार	—	—	—	—	—	500.00
2.	महाराष्ट्र	—	—	—	100.00	—	—
3.	नागालैंड	—	—	—	40.00	—	—
4.	ओडिशा	20.00	—	—	—	—	—
5.	त्रिपुरा	—	—	—	—	75.00	—
	योग	20.00	—	—	140.00	75.00	500.00

असम में सीमेंट परियोजनाएं

*195. **कुमारी सुष्मिता देव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन चल रहे एककों का ब्यौरा क्या है और असम के काटगोराह और बोकाजन में स्थित एककों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन एककों से कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया गया;

(ग) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रुग्ण अथवा कार्य नहीं कर रहे एककों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की रुग्ण एककों के पुनरुद्धार और सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सभी चालू एककों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कार्य योजना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) देश के विभिन्न भागों में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन चल रही यूनिटों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

1. बोकाजन, जिला — कारबी अंगलान्ग, असम।

2. राजबन, जिला – सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

3. तांदूर, जिला – रंगारेड्डी, तेलंगाना।

सिल्चर, कटिगोराह, असम में ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए वर्क आर्डर दे दिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक यूनिट द्वारा उत्पादित की गई सीमेंट की मात्रा निम्नानुसार है:–

(आंकड़े मी. टन में)

एकक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (जून, 2014 तक)
बोकाजन	103335	133350	91655	18510
राजबन	140275	140360	125225	44035
तांदूर	610940	434295	619385	143355

(ग) सीसीआई की कार्य नहीं कर रहीं यूनिटों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

1. मंधार, जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. कुरकुंटा, जिला – गुलबर्ग, कर्नाटक।

3. नयागांव/नयागांव विस्तार, जिला – नीमच, मध्य प्रदेश।

4. अकलतारा, जिला – चंपा, छत्तीसगढ़

5. चरखी दादरी, जिला – भिवानी, हरियाणा।

6. आदिलाबाद, जिला – आदिलाबाद, तेलंगाना।

7. दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, दिल्ली।

पुरानी प्रौद्योगिकी तथा कार्यशील पूंजी की कमी के कारण ये यूनिटें 1996-1999 के मध्य बंद/रुग्ण हो गई हैं। तद्नुसार, सरकार द्वारा कार्य नहीं कर रहीं इन सभी सात यूनिटों को बंद करने और बेचने का निर्णय लिया गया था।

(घ) इस कंपनी के पुनरुद्धार हेतु एक योजना सरकार द्वारा अनुमोदित तथा बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। स्वीकृत की गई योजना में कार्य नहीं कर रही इन सात यूनिटों को बंद करने और बेचने की तथा चल रही तीनों यूनिटों का विस्तार/आधुनिकीकरण करने की परिकल्पना की गई है। तद्नुसार, राजबन यूनिट की क्षमता-विस्तार का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। बोकाजन यूनिट के विस्तार तथा तांदूर यूनिट के उन्नयन के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, आदिलाबाद यूनिट को छोड़कर, कार्य नहीं कर रही यूनिटों को बेचने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आदिलाबाद एकक को बेचने की कार्रवाई, आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के कारण शुरू नहीं की जा सकी है।

[अनुवाद]

गेल की गैस पाइपलाइन में विस्फोट

***196. श्री धनंजय महाडीक :**
श्री सुल्तान अहमद :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आंध्र प्रदेश में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक पाइप-लाइन से गैस रिसाव के बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दुर्घटना में कितने लोग मारे गए/कितने घायल हुए तथा सरकार द्वारा मुआवजा/चिकित्सा सहायता और पीड़ितों के परिवारों को नौकरी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने और जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार द्वारा तेल और गैस क्षेत्र में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा उपायों की निगरानी करने हेतु कोई विनियामक निकाय स्थापित किया गया है अथवा कोई रणनीति बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में तातीपाका टर्मिनल के पास गेल की तातीपाका-कोंडापल्ली गैस लाइन में दिनांक 27 जून, 2014 को आग लग गई थी और विस्फोट हो गया था। इस घटना में 21 लोग मारे गए थे और 18 लोग घायल हो गए थे। घायलों को समीप के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 18 घायलों में से 5 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और शेष 13 घायलों का इलाज चल रहा है।

मृतकों के आश्रितों को प्रत्येक को 25 लाख रुपए और घायलों को प्रत्येक को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि क्रमशः दिनांक 30.6.2014 और 6.7.2014 को प्रदान की गई है। इसके अलावा, गेल स्थायी रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए प्रदान करेगी।

(ग) इस घटना की जांच करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ) गैस पाइप लाइनों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय पहले से ही मौजूद हैं जो नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इनमें आवधिक रूप से आंतरिक सफाई, बाहरी जंग से बचाने के लिए कैथोडिक सुरक्षा और आंतरिक धातु की हानि की पहचान करने के लिए पाइप लाइनों की इंटेलिजेंट पिगिंग, आबादी वाले/शहरी केन्द्रों में योजना पैदल मार्च, पाइप लाइन प्रचालनों की आवधिक तकनीकी जांच और पीएनजीआरबी तथा ओआईएसडी जैसे प्राधिकरणों द्वारा अनुरक्षण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, इस दुर्घटना के बाद गेल द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:—

(i) स्रोत स्थल पर गैस सेम्पलिंग और विश्लेषण।

(ii) वैश्विक पाइप लाइन प्रचालकों के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा और बेंच मार्किंग करना।

(iii) पाइप लाइन की अखण्डता और सुरक्षा पर निगरानी रखने के लिए पाइप लाइन हैल्थ मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन।

(iv) पाइप लाइनों की आंतरिक सफाई की बारंबारता को बढ़ाना।

(v) सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा पाइप लाइन प्रचालनों की व्यापक तकनीकी जांच और अनुरक्षण।

(vi) विभिन्न पाइप लाइन निगरानी कार्यकलापों की बारंबारता को बढ़ाना।

बंधुआ मजदूर

***197. श्री फिरोज़ वरुण गांधी :**
श्री अशोक महादेवराव नेते :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बंधुआ मजदूरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा देश में बंधुआ मजदूर प्रणाली के पूर्णतया उन्मूलन हेतु क्या पहलें की गई हैं और इनके परिणामस्वरूप राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों के लिए कोई पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में कितने पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) और (ख) बंधुआ श्रम प्रणाली, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश, जिसे बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 से प्रतिस्थापित किया गया था, के तहत 25 अक्तूबर, 1975 से देश भर में कानून द्वारा समाप्त कर दी गई है। जब कभी बंधुआ मजदूर होने का पता चलता है, ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास हेतु पहचान की जाती है। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनका पुनर्वास करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या 2,99,322 है। राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

राज्य का नाम	बंधुआ मजदूरों की संख्या	
	पता लगाए गए और छुड़ाए गए	पुनर्वासित किए गए
1	2	3
आंध्र प्रदेश	38,141	31,687
अरुणाचल प्रदेश	3,526	2,992
बिहार	15,395	14,577
छत्तीसगढ़	1,362	1,362
गुजरात	64	64

1	2	3
हरियाणा	594	92
झारखंड	196	196
कर्नाटक	64,600	58,348
केरल	823	710
मध्य प्रदेश	13,317	12,392
महाराष्ट्र	1,404	1,325
ओडिशा	50,441	47,313
पंजाब	252	252
राजस्थान	252	6,556
तमिलनाडु	65,573	65,573
उत्तर प्रदेश	35,572	35,572
उत्तराखंड	5	5
पश्चिम बंगाल	344	344
कुल	2,99,322 *	2,79,360

*19,962 बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि या तो वे मर चुके हैं या वे अपना पता छोड़े बिना चले गए हैं।

(ग) और (घ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें छुड़ाने और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार ने छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों के लिए कोई पुनर्वास केन्द्र स्थापित नहीं किया है। तथापि, पता लगाए गए और छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास संबंधी कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने की दृष्टि से, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीम मई, 1978 से प्रचालन में है। इस योजना के अंतर्गत, प्रति बंधुआ मजदूर 20,000/- रुपए की दर से पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है जिसका वहन केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर भाग में किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है:–

वर्ष	राज्य	राशि (लाख रुपए में)
2011-12	ओडिशा	38.39
	कर्नाटक	7.30
	आंध्र प्रदेश	15.30
	बिहार	68.20
	राजस्थान	2.50
	हरियाणा	0.30
	उत्तर प्रदेश	339.10
	पंजाब	1.90
2012-13	छत्तीसगढ़	55.00
	राजस्थान	5.00
	उत्तर प्रदेश	133.50
	कर्नाटक	109.00
	पंजाब	16.40
2013-14	ओडिशा	2.80
	राजस्थान	15.00
	उत्तर प्रदेश	180.00

त्वरित न्यायालय

***198. श्री दुष्यंत चौटाला :**

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित कुल कितने मामले दर्ज किए गए और कितने मामलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि आदेश पारित किए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध संबंधी मामलों के तेजी से निपटान हेतु देश में विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध की बाबत रिपोर्ट किए गए मामले और दोषसिद्धि की दर निम्नानुसार है:—

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	दोषसिद्धि की दर
2013	309546	22.4
2012	244270	21.3
2011	228650	26.9

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	दोषसिद्धि की दर
2013	58224	30.9
2012	38172	29.0
2011	33098	34.6

(ख) और (ग) महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र विचारण के लिए अधीनस्थ न्यायालयों, जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) भी हैं, की स्थापना करने का दायित्व भारत के संविधान के अधीन राज्य सरकारों का है। सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ऐसे मामले के उच्च लंबित रखने वाले जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में बलात्संग के लंबित मामलों के शीघ्र विचारण के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने और उन मामलों की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए लिखा है। महिला के विरुद्ध अपराध के मामलों का विचारण करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन करने के लिए उच्च न्यायालयों को वित्तीय सहायता का उपबंध करने का अनुरोध किया है। महिला के विरुद्ध अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए वर्ष-वार स्थापित किए गए न्यायालयों की संख्या उपदर्शित करने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

सरकार ने, 7 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में लिए गए संकल्प के अनुसार महिलाओं, बालकों, विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के सीमांत वर्गों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामले के निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने का विचार करने के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है।

सरकार ने, त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए ब्रिज मोहन लाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेश का अनुकरण करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए जाने वाले न्यायाधीशों के 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदों के उपयोग के लिए राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया गया है। उन 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदों के वेतन पर व्यय को पूरा करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को तेरहवें वित्त आयोग से 31.03.2015 तक बराबर शेयर के आधार पर अधिकतम 80 करोड़ वार्षिक निधि का उपबंध करने का विनिश्चय किया है।

बालकों के विरुद्ध अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा विधायी उपबंधों को बनाया गया है। बाल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 25 यह उपबंध करती है कि बालक के विरुद्ध अपराधों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, राज्य में कम-से-कम एक न्यायालय को विनिर्दिष्ट कर सकेंगी या प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को उक्त अपराध के विचारण के बाल न्यायालय होने का उपबंध कर सकेगी। बालकों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28(1) यह उपबंध करती है कि शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय होने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी, परंतु यदि कोई सत्र न्यायालय बाल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए आयोगों के अधीन बाल न्यायालय के रूप में अधिसूचित है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समरूप प्रयोजनों के लिए नामनिर्दिष्ट है, तब ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन एक विशेष न्यायालय माना जाएगा।

विवरण

महिला के विरुद्ध अपराधों के लिए स्थापित/निर्दिष्ट किए गए न्यायालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	न्यायालयों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	9
2.	तमिलनाडु	32
3.	झारखंड	11
4.	ओडिशा	30
5.	कर्नाटक	10
6.	केरल	1
7.	पंजाब	20
8.	असम	3
9.	राजस्थान	9
10.	आंध्र प्रदेश	24
11.	दिल्ली	6
12.	मेघालय	1
13.	जम्मू और कश्मीर	5
14.	त्रिपुरा	2
15.	सिक्किम	1
16.	पश्चिम बंगाल	48
	योग	212

[हिन्दी]

तांबे की खानें

***199. श्री विद्युत वरण महतो :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार तांबे के भंडारों की अनुमानित मात्रा कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तांबे का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) तांबे की बंद पड़ी उन खानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें फिर से खोला गया है और उनसे कितनी मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने झारखंड के सिंहभूम जिले में बंद पड़ी तांबे की खानों को फिर से खोलने के लिए भी कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की जा रही है; और

(ङ) क्या सिंहभूम तांबा क्षेत्र की बंद पड़ी खानों के कामगारों की बकाया धनराशि का निपटान कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) देश में 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार तांबा अयस्क के कुल संसाधनों की मात्रा 1558.46 मि.टन आंकी गई है। इसका राज्य-वार वितरण संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान तांबा अयस्क और शोधित तांबे सहित तांबा उत्पादन की मात्रा संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) झारखंड के सिंहभूम जिले में सुरदा खान को 15.03.2013 को बंद कर दिया गया था और अप्रैल 2007 में पुन: खोला गया है। वर्ष 2007-08 से जून, 2014 तक सुरदा खान से उत्पादित तांबा अयस्क की कुल मात्रा 24.57 लाख एम.टी है। सुरदा खान से अयस्क का वर्ष-वार उत्पादन इस प्रकार है।

क्र. सं.	वर्ष	अयस्क (लाख एम.टी.)	धातु मात्रा (एम.टी.)
1	2	3	4
1.	2007-08	0.49	375.0
2.	2008-09	3.28	2888.0
3.	2009-10	3.87	3374.0
4.	2010-11	3.96	3492.0
5.	2011-12	3.95	3760.0

1	2	3	4
6.	2012-13	3.98	3701.0
	2013-14	3.98	3582.0
7.	2014-15 (अप्रैल-जून, 14)	1.06	869.0

(ग) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का एक उद्यम, ने झारखंड के सिंहभूम जिले में बंद पड़ी कुछ खानों को पुन: खोलने की योजना बनाई है।

(घ) एचसीएल के अंतर्गत सिंहभूम जिले में तांबा खानें, नामत: मुसाबानि, पाथ्रगोरा, सुरदा, केंडादीह, राखा खानें आर्थिक कारणों से 01.12.1997 से 15.03.2003 की अवधि के दौरान बंद कर दी गई थी। एचसीएल द्वारा सुरदा खान को अप्रैल, 2007 में पुन: खोल दिया गया। एचसीएल ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी मिलने पर बंद पड़ी राखा और केंडादीह खानों को पुन: खोलने के लिए निवेश योजना को अंतिम रूप दे दिया है। खानों को पुन: खोलने के लिए एचसीएल द्वारा आवंटित राशि इस प्रकार है।

परियोजना	परियोजना लागत (करोड़ रुपए)
केंडादीह खान को पुन: खोलना	87.00
राखा खान को पुन: खोलना	346.00

(ङ) जी, हां, एचसीएल की बंद पड़ी खानों के कर्मचारियों की बकाया राशि का निपटान नियमानुसार कर दिया गया है।

विवरण-I

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार तांबा निक्षेपों की अनुमानित मात्रा राज्य-वार इस प्रकार है

(इकाई: 000 टन)

अखिल भारत/राज्य	भंडार	शेष संसाधन	संसाधन
1	2	3	4
अखिल भारत			
अयस्क	**394372**	**1164086**	**1558458**
धातु	**4768.33**	**7518.34**	**12286.67**
आंध्र प्रदेश			
अयस्क	0	8248	8248
धातु	0	122.82	122.82
गुजरात			
अयस्क	5800	7260	13060
धातु	94.53	114.07	208.60
हरियाणा			
अयस्क	0	32908	32908
धातु	0	113.62	113.62

1	2	3	4
झारखंड			
अयस्क	86818	201307	288125
धातु	808.78	2285.49	3094.27
कर्नाटक			
अयस्क	2510	31025	33535
धातु	30.65	198.62	229.27
मध्य प्रदेश			
अयस्क	198319	178869	377188
धातु	2643.10	1176.47	3819.57
महाराष्ट्र			
अयस्क	0	13210	13210
धातु	0	132.70	132.70
मेघालय			
अयस्क	0	880	880
धातु	0	9.00	9.00
नागालैंड			
अयस्क	0	2000	2000
धातु	0	15.00	15.00
ओडिशा			
अयस्क	0	6051	6051
धातु	0	63.44	63.44
राजस्थान			
अयस्क	100916	676255	777171
धातु	1191.18	3199.79	4390.97
सिक्किम			
अयस्क	8	950	958
धातु	0.09	21.38	21.47

1	2	3	4
तमिलनाडु			
अयस्क	0	790	790
धातु	0	3.81	3.81
उत्तराखंड			
अयस्क	0	4220	4220
धातु	0	60.04	60.04
पश्चिम बंगाल			
अयस्क	0	113	113
धातु	0	2.09	2.09

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान तांबा अयस्क और शोधित तांबे सहित तांबा उत्पादन की मात्रा इस प्रकार है:

तालिका-क

मद — तांबा अयस्क

क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (अप्रैल-जून, 14)	
		अयस्क (लाख एमटी)	धातु घटक (एमटी)	अयस्क (लाख एमटी)	धातु घटक (एमटी)	अयस्क (लाख एमटी)	धातु घटक (एमटी)	अयस्क (लाख एमटी)	धातु घटक (एमटी)
1.	मध्य प्रदेश	20.83	21205	22.54	20578	23.76	22127	5.04	3729
2.	राजस्थान	10.00	8760	9.83	8239	10.03	8183	2.64	2163
3.	झारखंड	3.96	3760	4.20	3893	4.48	4108	1.06	870

तालिका-ख

मद — परिशोधित तांबा*

(मात्रा-लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल-जून, 14)
1.	गुजरात	3.30	3.15	3.32	0.96
2.	तमिलनाडु	3.26	3.53	2.94	0.66
3.	झारखंड	0.18	0.17	0.17	0.03

*शोधित तांबे का उत्पादन, कॉपर अयस्क के देशज उत्पादन जैसा कि सारणी-क में है, तथा आयातिक तांबा अयस्क सांद्र से भी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों का विकास

***200. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्यों में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त पार्कों की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु एकीकृत विधान बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्यों में स्थापित आईटी पार्कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई कार्यक्रम/योजना नहीं है। किन्तु, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस)/इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण (ईएचएम) इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) स्थापित करने के लिए 28 मई, 2008 को एक गजट अधिसूचना जारी की है। योजना के अंतर्गत, आईटीआईआर की विशेष रूप से तैयार किए गए ऐसे निवेश क्षेत्रों के रूप में परिकल्पना की गई है, जिनमें सम्बद्ध सेवाओं तथा अवसंरचना सहित लगभग 40 वर्ग किलोमीटर का न्यूनतम क्षेत्र होगा। ऐसे क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देंगे और रोजगार का सृजन करेंगे। आईटीआईआर की स्थापना में राज्य सरकारों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। आईटीआईआर नीति का उद्देश्य उभरते हुए शहरों/कस्बों तथा सुदूर क्षेत्रों में आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।

(ग) से (ङ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति (2014 का परिपत्र) में 'आईटी पार्कों के लिए प्रावधान नहीं है। किन्तु, मौजूदा एफडीआई नीति के पैरा 6.2.12 में दी गई शर्तों के तहत यह प्रावधान किया गया है कि औद्योगिक पार्क में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। औद्योगिक पार्क को एक ऐसी परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 'विकसित भूमि के भूखंड अथवा निर्मित स्थल या साझा सुविधाओं सहित इसके संयोजन के रूप में गुणवत्तायुक्त अवसंरचना का विकास किया जाता है और औद्योगिक कार्यकलापों के प्रयोजन से आबंटी इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता है'। यदि कोई आईटी पार्क औद्योगिक पार्क की उपर्युक्त परिभाषा के अनुरूप है, तो पैरा 6.2.12 में उल्लिखित किए गए अनुसार क्षेत्र की मौजूदा नीति लागू होगी। एफडीआई नीति की संगत धाराएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

समेकित एफडीआई नीति

(17.4.2014 से लागू)

क्र. सं.	क्षेत्र/कार्यकलाप	साम्यापूंजी/एफडीआई पूंजी का %	प्रवेश मार्ग
1	2	3	4
6.2.12	औद्योगिक पार्क — नए और विद्यमान	100%	स्वचालित
6.2.12.1		(i)	"औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें विकसित भूमि के भूखंड अथवा निर्मित स्थल या साझा सुविधाओं सहित इनके संयोजन के रूप में गुणवत्तायुक्त अवसंरचना का विकास किया जाता है और औद्योगिक कार्यकलापों के प्रयोजन से आबंटी इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता है।

1	2	3	4

(ii) "अवसंरचना" से आशय उन सुविधाओं से है जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य करने के लिए आवश्यक है और इनमें सड़क (सम्पर्क मार्गों सहित), जल आपूर्ति और मल-व्ययन, सामान्य बहिस्राव उपचार सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, विद्युत का उत्पादन और वितरण तथा वातानुकूलन शामिल हैं।

(iii) "सामान्य सुविधाओं" से आशय ऐसी सुविधाओं से है जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के लिए उपलब्ध हैं और इनमें विद्युत, सड़क (सम्पर्क मार्गों सहित), जल आपूर्ति और मल-व्ययन, सामान्य बहिस्राव उपचार, सामान्य परीक्षण, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सामान्य सुविधा वाले भवन, औद्योगिक कैन्टीन, सभा/सम्मेलन कक्ष, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा गोवा, प्राथमिक उपचार केन्द्र, एम्बुलैंस तथा अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के साझा इस्तेमाल के लिए हैं।

(iv) औद्योगिक पार्क में "आबंटन योग्य क्षेत्र" से आशय—

(क) विकसित भूमि के भूखंडों के मामले में — सामान्य सुविधाओं के क्षेत्र को छोड़कर इकाइयों के आबंटन के लिए उपलब्ध वास्तविक स्थल क्षेत्र।

(ख) निर्मित स्थल के मामले में — सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया गया तल का क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र।

(ग) विकसित भूमि निर्मित स्थल के संयोजन के मामले में — सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए गए स्थल क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र छोड़कर इकाइयों को आबंटन के लिए उपलब्ध वास्तविक स्थल और तल का क्षेत्र।

(v) "औद्योगिक कार्यकलाप" से आशय विनिर्माण; विद्युत; गैस और जल आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर प्रकाशन, परामर्श सेवा और आपूर्ति; डेटा संसाधन, डेटाबेस कार्यकलाप और इलेक्ट्रॉनिकी सूचना सामग्री का वितरण; कम्प्यूटर से संबंधित अन्य कार्यकलाप; जैव प्रौद्योगिकी, औषध विज्ञान/जीवन विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनयरी के क्षेत्र में आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास; व्यवसाय और प्रबंध परामर्श सेवा संबंधी कार्यकलाप; और वास्तुकला, इंजीनियरी तथा अन्य तकनीकी कार्यकलापों से है।

6.2.12.2 औद्योगिक पार्कों में एफडीआई उपर्युक्त पैरा 6.2.11 में उल्लिखित निर्माण विकास परियोजनाओं के लिए लागू शर्तों के अधीन नहीं होगा, बशर्ते औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:—

(i) इसमें कम-से-कम 10 इकाइयां शामिल होंगी और कोई भी इकाई आबंटन योग्य क्षेत्र के 50% से अधिक स्थान का अधिग्रहण नहीं करेगी।

(ii) औद्योगिक कार्यकलाप के लिए आबंटित किए जाने वाले क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटन योग्य क्षेत्र के 66% से कम नहीं होगा।

[हिन्दी]

ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन

1445. श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न पणधारकों से परामर्श किय है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त चर्चाओं के क्या निष्कर्ष हैं और इस परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) ईरान-पाकिस्तान-भारत (आईपीआई) गैस पाइप लाइन परियोजना के संबंध में वर्ष 2005 से ईरान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ बातचीत की जा रही है। चरण एक में 60 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का बराबर का हिस्सा होगा। चरण दो में 90 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति किए जाने की परिकल्पना की गई है। भारत-पाकिस्तान-ईरान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी), भारत-पाकिस्तान जेडब्ल्यूजी और भारत-ईरान विशेष जेडब्ल्यूजी को शामिल करते हुए बातचीत के अनेक दौर हो चुके हैं। इस मामले में मंत्रालय स्तर पर भी बातचीत की गई है। ईरानी गैस की सुपुर्दगी का स्थल, परियोजना वित्त सहित परियोजना की संरचना, पाइप लाइन की सुरक्षा और आपूर्ति की सुरक्षा से संबंधित गारंटियां, गैस का मूल्य निर्धारण और माध्यस्थम की अंतर्राष्ट्रीय सीट की स्थिति आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान अभी किया जाना है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिनका समाधान अभी नहीं हुआ है, इस परियोजना का आगे कोई विकास नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

केबिन क्रू के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

1446. श्री सी.एस. पुट्टा राजू : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया नियमित आधार पर अपने केबिन क्रू के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 90 दिनों की अवधि के लिए उड़ान नहीं भरने वाले केबिन क्रू को पुन: पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निर्धारित दिनांक 15 मार्च, 2010 की नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड-7, शृंखला-ड, भाग-1 के अनुसार पुनश्चर्या प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय की दिनांक 15 मार्च, 2010 की नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड-7, शृंखला-ड, भाग-1 के अनुसार 3 माह से 6 माह तक सक्रिय उड़ान कार्य से अनुपस्थित रहने वाले परन्तु पूर्व प्रशिक्षण की वैधता अवधि के भीतर आने वाले केबिन कर्मियों के लिए 2 दिन के कार्यक्रम/12 घंटे (प्रत्येक अतिरिक्त प्रकार के विमान के लिए अनुमोदित अतिरिक्त 4 घंटे सहित) का पुनश्चर्या प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।

औद्योगिक कामगारों हेतु पीएफ

1447. श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उद्योगों में कामगारों को भविष्य निधि (पीएफ) इत्यादि जैसे लाभ प्रदान किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास पर्यवेक्षण हेतु कोई तंत्र है कि सभी उद्योगों द्वारा इन कामगारों को उचित लाभ प्रदान किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्यमंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री : (क) से (घ) जी, हां। 20 अथवा अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के अनुसरण में भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमा के रूप में लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं।

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 7,95,827 स्थापन इस अधिनियम, के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और 11,78,13,454 सदस्य नामांकित किए गए हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत एक तंत्र विद्यमान है जो चूक के मामले में यह सुनिश्चित करता है कि सदस्यगण निम्नवत् दिए गए विवरणों के अनुसार उचित लाभ प्राप्त कर सकें:—

- अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त किए गए निरीक्षकों द्वारा चूककर्ता स्थापनों का निरीक्षण।
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत देय राशि के आकलन के लिए चूककर्त्ता स्थापनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।
- देर से जमा की गई देय राशि के लिए अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाती है।
- अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत देर से किए गए अंतरणों पर ब्याज जमा कराने की कार्रवाई की जाती है।
- अधिनियम की धारा 8ख से 8छ के अंतर्गत यथाविहित वसूली कार्रवाई की जाती है।
- अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत समुचित न्यायालय में चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दाखिल करने की कार्रवाई की जाती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत वैसे नियोक्ताओं के विरुद्ध कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान न करने पर कार्रवाई की जाती है, जो कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की राशि काट लेते हैं और परन्तु निधि में जमा नहीं करते।

कामगारों की कार्यक्षमता

1448. श्री रामसिंह राठवा : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश कामगार 30 से 49 वर्ष आयु वर्ग के हैं और इस आयु वर्ग के कामगारों की कार्य क्षमता भी अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन उपलब्ध कामगार की तुलना में कम है जिस कारण देश में संतुलित और साम्यिक विकास एक चुनौती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 2011-12 के सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर कुल कार्यबल 47.41 करोड़ है। इसके अतिरिक्त 51.5% ग्रामीण कामगार 30-49 के आयु वर्ग में हैं जबकि यह शहरी क्षेत्रों में 53.3% है। कामगारों की आयु-वार कार्य क्षमता पर सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) पिछले तीन एनएसएस सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार रोजगार के क्षेत्र-वार अनुमान नीचे दिए गए हैं:—

मुख्य क्षेत्रों के अनुसार कार्यबल	2004-05		2009-10		2011-12	
	प्रतिशत	करोड़ व्यक्ति में	प्रतिशत	करोड़ व्यक्ति में	प्रतिशत	करोड़ व्यक्ति में
प्राथमिक	58.44	26.83	53.15	24.74	48.90	23.18
द्वितीयक	18.18	8.35	21.48	10.00	24.25	11.50
तृतीयक	23.38	10.73	25.37	11.81	26.85	12.73
योग	100.00	45.91	100.00	46.55	100.00	47.41

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाणीकरण प्रदान करने की योजना बनाई गई है। सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) जैसी सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाओं के अतिरिक्त, श्रम सघन विनिर्माण का संवर्धन कर रही है और पर्यटन एवं कृषि-आधारित उद्योगों का संवर्धन करके रोजगार अवसरों में वृद्धि कर रही है।

[अनुवाद]

चाय बागान के कामगार

1449. श्रीमती विजया चक्रवर्ती :
श्री कामाख्या प्रसाद तासा :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि देश में हजारों चाय बागान कामगार कम मजदूरी पा रहे हैं और रोजगार असुरक्षा व कुपोषण से जूझ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई/उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) उत्पादक परिसंघों एवं कामगार संघों के बीच सामूहिक सौदेकारिता की प्रक्रिया के माध्यम से बातचीत के पश्चात् किए गए समझौते के अनुसार चाय बागान कामगारों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है। चार प्रमुख चाय उगाने वाले राज्यों में उक्त समझौते के अनुसार किए जा रहे मजदूरी के भुगतान (रुपए प्रति दिवस) निम्नवत् हैं:—

वर्ष	असम*	पश्चिम बंगाल*	तमिलनाडु	केरल
2014	95.00	95.00	209.27	216.53

*मजदूरी के भुगतान का भाग अनाज एवं ईंधन जैसी वस्तुओं के रूप में।

(ग) चाय बागान कामगारों की कार्यदशाओं एवं कल्याण उपाय बागान श्रम अधिनियम, 1951 द्वारा शासित किए जाते हैं, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। चाय बोर्ड और सहायता प्रदान करता है जोकि अनुपूरक प्रकृति का है।

[हिन्दी]

आईटीआई की स्थापना

1450. श्री विष्णु दयाल राम : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को देश में विशेषकर झारखंड राज्य सरकार से और अधिक आईटीआई की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) गत तीन वर्षों (2011-12, 2012-13 और 2013-14) के दौरान स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) की संख्या क्रमशः 647 (सरकारी 27 + निजी 620), 897 (सरकारी 27 + निजी 870), 406 (सरकारी 04 + निजी 402) और चालू वर्ष के दौरान 02.07.2014 तक 251 (सरकारी 02 + निजी 249) है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) 'वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास' योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, लोहरडागा, गुमला, लातेहार और हजारीबाग जिलों में 10 आईटीआइज की स्थापना हेतु प्रस्ताव है और 53.26 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। असेवित खंडों में आईटीआइज की व्यवस्था करने की आवश्यकता के आधार पर सार्वजनिक निजी साझेदारी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 1500 आईटीआइज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार स्थापित आईटीआइज की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (02.07.2014 तक)		
		सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	4	27	31	7	45	52	0	12	12	0	1	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	0	105	105	0	102	102	0	57	57	0	39	39
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	2	4	6	0	7	7	0	5	5
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12.	गुजरात	2	7	9	1	8	9	0	2	2	0	1	1
13.	हरियाणा	1	1	2	4	10	14	0	0	0	1	2	3
14.	हिमाचल प्रदेश	2	4	6	2	4	6	0	6	6	0	3	3
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	झारखंड	0	25	25	0	19	19	0	4	4	0	5	5
17.	कर्नाटक	11	63	74	5	51	56	0	4	4	0	2	2
18.	केरल	2	4	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	0	21	21	0	67	67	0	63	63	0	32	32
21.	महाराष्ट्र	0	42	42	0	21	21	0	31	31	0	2	2
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	1	8	9	1	18	19	0	2	2	1	0	1
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	2	59	61	1	4	5	0	3	3	0	1	1
29.	राजस्थान	0	0	0	1	43	44	0	151	151	0	114	114
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	9	9	1	6	7	0	1	1	0	3	3
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	1	1
33.	उत्तर प्रदेश	2	222	224	1	441	442	0	56	56	0	29	29
34.	उत्तराखंड	0	7	7	0	11	11	0	0	0	0	3	3
35.	पश्चिम बंगाल	0	13	13	1	13	14	0	3	3	0	6	6
	योग	27	620	647	27	870	897	4	402	406	2	249	251

[अनुवाद]

छोटे हवाईअड्डों की स्थापना

1451. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों के जिला मुख्यालयों में छोटे हवाईअड्डों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए पहचान किए गए जिलों सहित तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन हवाईअड्डों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार अब तक देश के विभिन्न राज्यों में छोटे हवाईअड्डों की संभावना वाले 50 स्थानों की पहचान कर चुकी है, जिनके नाम हैं: आंध्र प्रदेश में कडप्पा, तिरुपति, विजयवाड़ा, वारंगल; अरुणाचल प्रदेश में अलोंग, दपारिजो, पासीघाट तेजू; असम में जोरहाट, रूपसी, सिलचर, बिहार में गया, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, रक्सौल; दमन और दीव में दीव; गुजरात में भावनगर, जामनगर, कांडला, केशोड; हरियाणा में हिसार, करनाल; जम्मू और कश्मीर में किश्तेवार; झारखंड में देवघर, जमशेदपुर; कर्नाटक में बेलगाम, हुबली; मध्य प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर रेवा; महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती, जलगांव, कोल्हारपुर, शोलापुर; ओडिशा में झारसुगुड़ा; पंजाब में लुधियाना; राजस्थान में बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, तमिलनाडु में तंजावूर और उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, कानपुर, मरेठ, मुरादाबाद और सहारनपुर।

(ग) तथापि, किसी हवाईअड्डे का विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे, भूमि की उपलब्धता, अनिवार्य अनापत्तियों, पर्यावरणीय अनापत्तियों की उपलब्धता, यातायात प्रक्षेपण, और राज्य सरकार द्वारा सहायक सेवाओं का प्रावधान जैसे हवाईअड्डे तक सड़क की पहुंच, जल आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति, हवाईअड्डे की सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य पुलिस और राज्य अग्निशमन कर्मियों की सेवाएं आदि।

विधान सभाओं के लिए चुनाव

1452. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां वर्तमान वर्ष में राज्य विधान सभाओं के चुनाव होने हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र विधान सभा की अवधि क्रमशः 27.10.2014, 19.01.2015, 30.01.2015 और 07.12.2014 को समाप्त हो रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 172(1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अनुसार आयोग उनके वर्तमान अवधि की समाप्ति से पहले इन राज्यों में नया विधान सभा गठित करने के लिए निर्वाचन कराने की अपेक्षा करती है। आयोग ने प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में इन राज्यों में निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आदेशित किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एचसीएल का अधिग्रहण

1453. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की सभी इकाइयों के अधिग्रहण के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अधिग्रहण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का अधिग्रहण आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा किए जाने के संबंध में अपना "सैद्धान्तिक" अनुमोदन दे दिया है।

(ख) और (ग) "सैद्धान्तिक" अनुमोदन के आधार पर एक व्यापक बीआरपीएसई नोट, जिसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखा गया है, को बीआरपीएसई (लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड) के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मध्यस्थता केन्द्र

1454. डॉ. बंशीलाल महतो : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विवादों के निपटान के लिए सस्ती व त्वरित प्रक्रिया प्रदान करने के लिए कई मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्थापित मध्यस्थ केन्द्रों की छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे और केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित किए गए मध्यस्थता केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तेरहवें वित्त आयोग ने 600 जिलों में जिला अनुकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केन्द्र स्थापित करने के लिए निधियां आबंटित की हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 में यथा प्रगणित, लोक अदालत, मध्यस्थता, सुलह, माध्यस्थम् और न्यायिक निपटारे जैसे विभिन्न प्रकार के एडीआर तंत्र इन एडीआर तंत्रों में आयोजित किए जाएंगे।

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित मध्यस्थता केन्द्रों द्वारा दी गई जानकारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	मध्यस्थता केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	12
4.	बिहार	31
5.	छत्तीसगढ़	16
6.	गोवा	3
7.	गुजरात	23
8.	हरियाणा	21
9.	हिमाचल प्रदेश	12
10.	जम्मू और कश्मीर	22
11.	झारखंड	22
12.	कर्नाटक	32
13.	केरल	55
14.	मध्य प्रदेश	26
15.	महाराष्ट्र	34
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	2
18.	मिज़ोरम	2
19.	नागालैंड	कुछ नहीं
20.	ओडिशा	31
21.	पंजाब	13
22.	राजस्थान	219
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	32
25.	त्रिपुरा	कुछ नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	73
27.	उत्तराखंड	14
28.	पश्चिम बंगाल	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	1
31.	दादरा और नगर हवेली	1

1	2	3
32.	दमन और दीव	कुछ नहीं
33.	दिल्ली	6
34.	लक्षद्वीप	कुछ नहीं
35.	तेलंगाना	12

[अनुवाद]

विदेशी परिसम्पत्तियों का प्रकटन

1455. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेश में धारित नागरिकों की परिसम्पत्तियों और देयताओं के अनिवार्य प्रकटन हेतु किसी कानून को लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित कानून को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लोक अभियोजकों की नियुक्ति

1456. श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर निचले न्यायालयों में मामलों की संख्या के अनुपात में लोक अभियोजकों की संख्या में बढ़ोतरी की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और न्यायालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन श्रेणियों से जुड़े नियुक्त लोक अभियोजकों की संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में आपराधिक मामलों और आपराधिक मामलों के अपील को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लोक अभियोजकों/काउंसिलों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा कतिपय केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी अपने स्वयं के लोक अभियोजकों का पैनल रखते हैं। देश के विभिन्न न्यायालयों में लोक अभियोजकों की संख्या के विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जहां तक विधि और न्याय मंत्रालय का संबंध है ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) राज्य-वार और न्यायालय-वार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोक अभियोजकों की संख्या के विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

आईटी क्षेत्र का संवर्धन

1457. श्री भीमराव बी. पाटील : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आईटी कंपनियों की संख्या में बढ़ोतरी कर तेलंगाना राज्य से बारंगल और जहीराबाद सहित देश में कतिपय टू-टीयर और थ्री-टीयर शहरों में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) की एक स्वायत्त सोसायटी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क ने पूरे देश में 53 एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना की है जिनमें से 45 केन्द्र टीयर-II और टीयर-III शहरों में स्थापित किए गए

हैं। एसटीपीआई केन्द्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। एसटीपीआई के अनुसार, वारंगल में एक एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना की गई है और इस केन्द्र के अंतर्गत लगभग 4 एसटीपी इकाइयां प्रचालनरत हैं। नये एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना राज्य सरकार के प्रयासों पर आधारित है और आईटी कंपनियां भी तकनीकी वाणिज्यिक तथ्यों के आधार पर एक निश्चित स्थान में अपनी इकाई स्थापित करती हैं। इन तकनीकी-वाणिज्यिक तथ्यों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभा पूल, ईको-सिस्टम की उपलब्धता और टीयर-II तथा टीयर-III शहरों में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की आईटी उद्योग नीतियां शामिल हैं।

(ग) भारत सरकार ने सितम्बर, 2012 में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति (एनपीआईटी) को अधिसूचित किया है। वैश्विक आईटी हब के तौर पर भारत की स्थिति में सुधार करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में त्वरित, समावेशी और संधारणीय वृद्धि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को इंजन के तौर पर इस्तेमाल करना इस नीति का विज़न है। इस नीति में वर्ष 2020 तक आईटी और आईटीईएस उद्योग के राजस्व को मौजूदा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की तथा वर्ष 2020 तक मौजूदा निर्यात को 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। एनपीआईटी 2012 में चिन्हित की गई प्रमुख रणनीतियों में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी आईटी/आईटीईएस उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम का सृजन शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टीयर-II और टीयर-III शहरों में आईटी उद्योग में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय और अन्य नीतियों के प्रतिपादन की भी परिकल्पना की गई है।

विवरण

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	हैदराबाद
2.		तिरुपति
3.		विजयवाड़ा
4.		विजाग
5.		वारंगल
6.		काकीनाड़ा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखंड	रांची
14.	कर्नाटक	बेंगलूरु
15.		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मणिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरुवनन्तपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.		ग्वालियर
22.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
23.		नागपुर
24.		नासिक
25.		नवी मुम्बई
26.		कोल्हापुर
27.		पुणे
28.	मणिपुर	इम्फाल
29.	ओडिशा	भुवनेश्वर
30.		राउरकेला
31.		बरहामपुर
32.	पुदुचेरी	पुदुचेरी

1	2	3
33.	पंजाब	मोहाली
34.	राजस्थान	जयपुर
35.		जोधपुर
36.	सिक्किम	गंगटोक
37.	तमिलनाडु	चेन्नै
38.		कोयम्बटूर
39.		मदुरै
40.		तिरुनावेली
41.		त्रिची
42.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
43.		लखनऊ
44.		नोएडा
45.		इलाहाबाद
46.	उत्तराखंड	देहरादून
47.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
48.		दुर्गापुर
49.		खड़गपुर
50.		सिलीगुड़ी
51.		हल्दिया
52.	बिहार	पटना
53.	मेघालय	शिलोंग

[हिन्दी]

भारतीय न्यायिक सेवा का गठन

1458. श्री पी.पी. चौधरी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय न्यायिक सेवा के नए संवर्ग को सृजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राज्य स्तरीय नायिक सेवाओं का गठन कतिपय राज्यों में कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) का गठन करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव विरचित किया गया था और सचिवों की समिति द्वारा उसे नवंबर, 2012 में अनुमोदित किया गया था। मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों के अप्रैल, 2013 में आयोजित सम्मेलन में प्रस्ताव को कार्य सूची मद के रूप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के प्रस्ताव पर दृष्टिकोण मांगे गए हैं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित होता है और, अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारें उच्च न्यायालयों के परामर्श से नियमों और विनियमों को विरचित कर सकती हैं। अधिकतर राज्यों ने अपने न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों का शासित करने वाले राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा/राज्य न्यायिक सेवा को विरचित किया है। संघ सरकार राज्य स्तरीय न्यायिक सेवाओं के संबंध में आंकड़े नहीं रखती है क्योंकि इस संबंध में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं हैं।

[अनुवाद]

न्यायालयों के कार्यकरण

1459. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय से निदेश मिला है कि वह न्यायालयों और अर्द्ध-न्यायिक निकायों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अध्यक्ष, सभापतियों, अधिकरणों व अर्द्ध-न्यायिक निकायों के सदस्यों हेतु सेवा शर्तों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं में एकसमानता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय, अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022/1989 के आईए संख्या 279/2010 में अधीनस्थ न्यायपालिका की अवसंरचना विकास को मॉनीटर कर रहा है। राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए, न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1993-94 से प्रचालन में है। 2011 में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना हेतु निधियों की आवश्यकता का निधारण किया गया था जिसमें यह प्राक्कलन किया था कि 2011 से 2016 की अवधि के लिए 7,346 करोड़ रुपए के निधियां की आवश्यकता होगी। राज्यों को न्यायिक अवसंरचना में उच्चतर निवेश करने की प्रेरणा देने के लिए, वित्तीय सहायता के केन्द्रीय शेयर को पुनरीक्षित करके 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कर दिया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता को 90 प्रतिशत रखा गया था। वित्तीय सहायता के सन्नियमों का पुनरीक्षण और निधियों को जारी करने के लिए प्रक्रिया और मानदंड को सरल और कारगार बनाने के कारण, अवसंरचना विकास स्कीम को आवश्यक संवेग प्राप्त हुआ है। 1993-94 से 2010-11 में स्कीम से 1,245 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय के सामने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2014 के लिए 2198 करोड़ रुपए की रकम को जारी किया गया है।

(ग) अधिकरणों और अन्य न्यायिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकारी (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014 को 19 फरवरी, 2014 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है। विधेयक को संबंधित विभाग की स्थायी संसदीय समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है। अधिकरणों आदि, के अध्यक्षों और सदस्यों को आवासीय प्रसुविधा का उपबंध करने की दृष्टि से सरकार ने नई दिल्ली में घिटोरनी परिसर के 200 अर्पाटमेंट को मकानों के एक पूल का होने के रूप में आरक्षित करने का विनिश्चय किया है।

असंगठित क्षेत्र के कामगार

1460. कुमारी शोभा कारान्दलाजे : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार सहित असंगठित क्षेत्र हेतु सामाजिक क्षेत्र सुरक्षा को मजबूत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सभी प्रकार के हकदारी लाभ प्रदान करने के लिए इनकी पहचान करने एवं पंजीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश में संगठित और असंगठित कामगारों को सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान करना शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2009-10 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार असंगठित क्षेत्र में कुल रोजगार 43.7 करोड़ है। असंगठित कामगारों के राज्य-वार आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ख) सरकार ने पहले ही असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इनमें से कुछ पहलों की सूची निम्न प्रकार से है:—

योजनाओं के विवरण निम्नवत् हैं:—

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
2. राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
3. जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
4. हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)
5. हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)
6. मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन (वस्त्र मंत्रालय)
7. मछुआरों के कल्याण एवं प्रशिक्षण तथा विस्तार के लिए राष्ट्रीय योजना (पशुपालन, दुग्धपालन एवं मत्स्यपालन विभाग)
8. जनश्री बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना (वित्तीय सेवाएं विभाग)
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (श्रम और रोजगार मंत्रालय)

असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई) को 30 हजार रुपए प्रति वर्ष का स्मार्ट कार्ड आधारित नकद रहित बीमा छत्र प्रदान करने

हेतु कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' 1 अक्तूबर, 2007 को आरंभ की गई। यह योजना 1.4.2008 से कार्यान्वित की गई। इसका प्रीमियम केन्द्र और राज्य सरकार के बीच में 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और जम्मू और कश्मीर के मामले में प्रीमियम 90:10 के अनुपात में बांटा जाता है। बीपीएल की परिभाषा योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 3,85,15411 परिवारों को सम्मिलित करती है।

सरकार का प्रयास सभी असंगठित क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने का है। कार्यान्वयन की अवधि के दौरान बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त आरएसबीवाई छत्र असंगठित कामगारों की विभिन्न अन्य श्रेणियों अर्थात् भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों, लाइसेंसधारी रेलवे कुलियों, फेरीवालों, मनरेगा कामगारों (जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 15 दिनों से अधिक काम किया है), बीड़ी कामगारों, घरेलू कामगारों, सफाई कामगारों, खान कामगारों, रिक्शा चलाने वालों, कूड़ा बीनने वालों, ऑटो/टैक्सी चालकों तक विस्तारित किया गया है।

(ग) वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में सभी कामगारों को पंजीकृत करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। ये श्रम मानक बाध्यकारी और अबाध्यकारी प्रलेख के रूप में विहित किए गए हैं जो अभिसमय और सिफारिशों के रूप में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रलेख या संधि है, जो अनुसमर्थन करने पर राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय विधिक अवसंरचना अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय का अनुसमर्थन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। भारत में हम अनुसमर्थन की एक विषद प्रक्रिया का अनुसमर्थन करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय का तभी अनुसमर्थन करते हैं जब राष्ट्रीय कानून और पद्धति संबंधित अभिसमय के उपबंधों के पूर्णत: अनुरूप हों। किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिखितों को अपनाने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेशन का अनुसमर्थन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। भारत में हम अनुसमर्थन की एक विषद प्रक्रिया का अनुसमर्थन करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय का तभी अनुसमर्थन करते हैं जब राष्ट्रीय कानून और पद्धति संबंधित अभिसमय के उपबंधों के पूर्णत: अनुरूप हों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में आईएलओ के किसी लेखपत्र के अंगीकरण के बाद, सदस्य देश को आईएलओ अभिसमय के अनुच्छेद 19 की यथा अपेक्षाअनुसार इसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत करना होता है। तत्पश्चात्, संबंधित मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके हमारे मौजूदा कानूनी ढांचे के संदर्भ में आईएलओ अभिसमय का अनुसमर्थन करने की संभाव्यता और व्यवहार्यता की विस्तार से जांच की जाती है। अन्य समर्थन वाले मामले पर सहमति प्राप्त होने पर विषयगत अभिसमय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल नोट अनुमोदित हो जाने पर एक विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसे आईएलओ को सूचनार्थ भेज दिया जाता है। आईएलओ अभिसमय को अनुसमर्थन प्रदान करने के बाद हमारे लिए आईएलओ संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अभिसमयों के अनुप्रयोग के बारे में आवधिक रिपोर्ट भेजना बाध्यकारी है।

भारत ने अब तक बंधुआ मजदूर अभिसमय **(सी-29)**, समान अभिसमय **(सी-100)**, बंधुआ मजदूरी प्रतिषेध अभिसमय **(सी-105)** और विभेदी (रोजगार तथा व्यवसाय) अभिसमय **(सी-111)** जैसे प्रमुख तथा मूल मानवाधिकार अभिसमयों सहित आईएलओ के 43 अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय आईएलओ अभिसमयों के अनुसमर्थन की संभावना का पता लगाने के लिए एक त्रिपक्षीय निकाय-अभिसमय समिति **(सीओसी)** की बैठक का नियमित आयोजन करता है। हम नये कानून लागू करने अथवा मौजूदा कानूनों में परिवर्तन करने ताकि वे आईएलओ अभिसमय के अनुरूप हो जाएं, के लिए अन्य सामाजिक भागीदारों और हितधारकों से भी नियमित रूप से परामर्श कर रहे हैं।

भारत ने जून, 2012 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 101वें सत्र में **सामाजिक संरक्षा फ्लोर सिफारिश (आर-202)** को भी सक्रियता से अपनाया है ताकि असंगठित क्षेत्र सहित अन्य सभी कामगारों के अधिकारों एवं कल्याण की संरक्षा हो सके।

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए अंशदाता सदस्यों को सार्वभौमिक लेखा संख्या का आबंटन शुरू करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

न्यायालयों की कार्यावधि

1461. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालयों में लंबित मुद्दों

के शीघ्र निपटान के लिए विद्यमान न्यायालयों की संख्या और इनकी कार्यावधि में वृद्धि करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित संस्थाओं/संगठनों के साथ इस मामले की चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर ऐसी संस्थाओं/संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्य प्रणालियों को संबंधित न्यायालयों के विरचित नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। देश में न्यायालयों की संख्या में वृद्धि संबंधी मामला नई दिल्ली में 7 अप्रैल, 2013 को आयोजित मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में विभिन्न मंचों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में लिए गए विनिश्चय के निबंधनानुसार, केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने और रिक्तियों को भरे जाने के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को लिखाता रहा है।

इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने इम्तियाज़ अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में तारीख 1 फरवरी, 2012 के अपने आदेश में, अन्य बातों के साथ भारत के विधि आयोग को निदेश दिया है कि वह अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या की जांच करे और कुशल निर्धारण के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत करें। विधि आयोग ने समय पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है और निपटान मूल्यांकन पद्धति पर आधारित फार्मूला की सिफारिश की है। उच्चतम न्यायालय ने संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भारत के विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर उनको जवाब फाइल करने का निदेश दिया है।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने उच्च न्यायालयों के विषय में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में विद्यमान पद संख्या का 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमति दे दी है। उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से विद्यमान रिक्तियों के साथ ही अतिरिक्त न्यायालय कक्ष अवसंरचना, कर्मचारिवृंद तथा बजट की अपेक्षा को भी ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने का अनुरोध किया है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों की बाबत विर्निदिष्ट प्रस्ताव भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अन्य उच्च न्यायालयों के मामले में, राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है। अन्य उच्च न्यायालयों के मामले में, राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सहमति शीघ्र भेज दें।

[अनुवाद]

नया शिक्षु अधिनियम

1462. श्री जोस के मणि : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षु कार्यक्रम में केवल 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जोकि जापान और जर्मनी सहित अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान में प्रशिक्षु कार्यक्रमों में केवल तकनीकी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को शामिल किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिक्षु अधिनियम, 1961 में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ताकि सभी स्नातकों को इसके दायरे में लाया जाए तथा इस अधिनियम के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के लिए 50 प्रतिशत नई नौकरियों के अवसर की शुरुआत हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, हां, भारत में शिक्षुता प्रणाली केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (सार्वजनिक एवं निजी) में अवस्थित 4.9 लाख शिक्षुता सीटों की तुलना में व्यवसाय शिक्षुओं, स्नातक शिक्षुओं, तकनीशियन शिक्षुआं एवं तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं की श्रेणियों के तहत 2.82 लाख शिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर पाती है।

(ख) इसके कारण ये हैं:—

(i) वृत्तिका की निम्न दरें अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण लेने के लिए आकर्षित नहीं करतीं।

(ii) प्रचालनों के मौसमी होने की वजह से प्रतिष्ठान कम लोचशीलता के कारण कठिनाई का सामना करते हैं।

(iii) कुछ प्रतिष्ठान गंभीर वित्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षुओं को कार्य कर लगाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षुओं

को वृत्तिका का भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। शिक्षुओं की चार श्रेणियां नामत:—

(i) व्यवसाय शिक्षु

(ii) स्नातक शिक्षु

(iii) तकनीशियन शिक्षु एवं

(iv) तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु

अधिनियम में शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सरकार के पास सुरक्षा उपायों के साथ आवश्यक लचीलापन प्रदान करने तथा युवाओं एवं उद्योग की व्यापक भागीदारी को सरल बनाने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर अधिनियम में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

एयर इंडिया के विमानों की बिक्री

1463. **श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने हाल ही में औन-पौने दाम पर अपने कई विमानों को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया को कितना घाटा हुआ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। एयर इंडिया द्वारा एतिहाद एयरवेज को यथोचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 5 बी777-200 एलआर विमान 336.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचे गए हैं। इन विमानों से किए गए प्रचालन से पिछले वर्ष में भारी हानियां हुई थी जिससे एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति काफी बिगड़ रही थी तथा प्रमुखत: उच्च ईंधन लागत एवं प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप निम्न प्रतिफल होने से ये विमान अलाभकारी सिद्ध हुए थे।

(ग) वस्तुत: विमान ऋण के पूर्व भुगतान के पश्चात् एयर इंडिया के पास 25.735 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष बचा है। इसके अतिरिक्त, ऋण तथा ब्याज के भुगतान के रूप में प्रतिमाह दी जाने वाली 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की बचत भी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह में सुधार आ रहा है। तथापि, विमान के बही मूल्य के आधार पर इन 5 विमानों की बिक्री से होने वाली बही हानि अनुमानत: 800 करोड़ रुपए होती क्योंकि बही में विमान का मूल्य ह्रास 20 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था जबकि ऋण का परिशोधन 12 वर्ष की अवधि में कर दिया गया है।

विमान ईंधन पर कर

1464. **श्री कौशल किशोर :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से विमान ईंधन (एटीएफ) पर कर को घटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और इससे एयरलाइनों व यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को कितना राजस्व नुकसान होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, हां। विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर कर को घटाने का मामला राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया है। कुछेक राज्य सरकारों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है तथा एटीएफ पर कर की दर को 20-30% से 4-5% तक घटाया है।

(ग) मंत्रालय का मत है कि एटीएफ पर कर को कम करने से राज्यों में विमान संपर्कता में सुधार होता है। आर्थिक कार्यकलापों के बढ़ने से राज्यों को लाभ होने की संभावना है जिससे रोजगार से ज्यादा अवसर पैदा होंगे तथा इससे ऐसे राज्यों को कोई निवल घाटा नहीं होगा। तथापि मंत्रालय, इस प्रकार के उपायों के समग्र परिणाम की सूचना को नहीं रखता है।

[हिन्दी]

निर्माण कर्मकारों से उप-कर

1465. **श्री ओम बिरला :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों के कल्याण हेतु कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के अंतर्गत राज्यों पर कोई उप-कर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, राज्य-वार उक्त शीर्ष के अंतर्गत

जमा की गई कुल राशि और संग्राहित राशि में से व्यय की गई राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु राज्य सरकारों द्वारा उक्त निधि का सही प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य हेतु समान दिशा-निर्देशों को तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा निर्माण लागत का 1% की दर से उपकर संग्रहित किया जाता है और इसे संबंधित राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को दिया जाता है ताकि सन्निर्माण कामगारों के कल्याण पर होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार उपकरण संग्रहण एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपकर संग्रहण करने और कामगारों के कल्याण के लिए इसका उपयोग करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों और राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों पर है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को अनुदेश जारी करती रहती है ताकि निर्माण कामगारों के पंजीकरण को तीव्र करने के प्रयास करने, उपकर का संग्रहण एवं उपयोग करने के प्रयास किए जा सकें। केन्द्र सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत निर्देश भी जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों से यह कहा गया है कि वे अनिवार्य रूप से कामगारों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाओं, मृत्यु प्रसुविधाएं, दुर्घटना लाभ, अंत्येष्टि सहायता, शिक्षण सहातया, वृद्धावस्था/ अपंगता के कारण कार्य न कर सकने वाले के लिए पेंशन, चिकित्सा बीमा, औजारों की खरीद के लिए सहायता, कौशल उन्नयन, मातृत्व लाभ एवं आवास की मरम्मत एवं निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करें।

विवरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर संग्रहण एवं व्यय की गई राशि की राज्य-वार स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	तक उपकर संग्रहण			तक किया गया व्यय		
		31.03.12	31.03.13	31.03.14	31.03.12	31.03.13	31.03.14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	625	993.94	993.94	34.73	73.42	73.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.96	22.96	22.96	4.56	4.56	4.56
3.	असम	82.08	164	205.09	0.35	0.35	1.82
4.	बिहार	161.2	254.5	374.33	14.74	16.63	4.04
5.	छत्तीसगढ़	120.21	156.08	324.45	14.8	44.35	177.94
6.	गोवा	5.68	12.3	27.62	0	0	0
7.	गुजरात	190.22	190.22	190.22	0.41	0.41	0.41
8.	हरियाणा	489.91	740.13	1047.16	7.83	15.17	32.67
9.	हिमाचल प्रदेश	51.22	51.22	51.22	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	282.44	0	0	93.6
11.	झारखंड	21.09	21.09	21.09	0.11	0.11	0.11
12.	कर्नाटक	1000.32	1439.55	1741.13	10.96	22.75	34.49
13.	केरल	546.88	546.88	954.5	453.43	453.43	888.1
14.	मध्य प्रदेश	599.13	786.54	931.53	155.99	230.82	370.01
15.	महाराष्ट्र	525.87	822.99	2092.15	0.7	1.9	62.93
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	14.45	34.12	0	0.04	0.11
18.	मिज़ोरम	0	0	16.14	0	0	8.93
19.	नागालैंड	0	3.49	3.49	0	0.05	0.05
20.	ओडिशा	207.81	312.32	312.32	0.13	0.34	0.34
21.	पंजाब	211.32	333.48	455.56	3.03	5.27	10.24
22.	राजस्थान	159.66	286.95	203.4	2.29	5.33	22.3
23.	सिक्किम	0	18.64	18.64	0	2.44	2.44
24.	तमिलनाडु	463.27	604.31	755.68	202.43	277.95	330.99
25.	त्रिपुरा	29.69	48.97	69.24	0.13	0.79	3.01
26.	उत्तर प्रदेश	384.62	739.81	1169.08	3.54	6.72	99.52
27.	उत्तराखंड	11.3	23.45	39.17	0.03	0.1	0.16
28.	पश्चिम बंगाल	290.62	290.62	290.62	4.59	4.59	4.59
29.	दिल्ली	802.94	1029.71	1362.95	55.81	92.29	149.1
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.37	13.81	20.91	0.06	0.11	0.35
31.	चंडीगढ़	14.96	28.9	45.94	0.47	0.85	1.28
32.	दादरा और नगर हवेली	0.17	0.17	3.08	0	0	0
33.	दमन और दीव	0.73	0.73	16.63	0	0	0.02
34.	लक्षद्वीप	0	0.49	1.71	0	0	0
35.	पुदुचेरी	20.65	20.65	20.65	4.62	4.62	4.62
	कुल	7049.88	9973.35	14099.16	975.74	1265.39	2382.15

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग में वृद्धि

1466. श्री डी.के. सुरेश : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपर्याप्त घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने में असमर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किए गए कार्यबल के अनुमानों के अनुसार देश में इलेक्ट्रॉनिकी की मांग वर्ष 2009 में 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2020 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की आशा है।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिक माल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2012 को देश की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योग के सृजन के दृष्टिकोण को अधिसूचित किया गया है।

2. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) इस क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने और निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है।

3. सरकार ने भारत में दो सेमीकंडक्टर वेफ़र फेब्रीकेशन (फैब) विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को अनुमोदन दिया है।

4. सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाई गई नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

5. इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों के लिए विश्व-स्तरीय अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

6. घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिकी माल के आयात को कम करने के उद्देश्य से चिन्हित इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के लिए संरक्षा मानकों के अनिवार्य रूप से अनुपालन को अधिसूचित किया गया है।

7. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक के सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वचालित ढंग से अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।

8. प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए रोडमैप के मद में बढ़ी हुई घरेलू आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केबल/डीटीएच टीवी के लिए घरेलू स्तर पर सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) के विकास और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए।

9. ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए उद्भवन उपलब्ध कराने वाला एक इलेक्ट्रोप्रिन्योर पार्क जो इस ईएसडीएम क्षेत्र में आईपी सृजन और उत्पाद विकास में अपना योगदान देगा।

10. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना के तहत अनुमोदित इकाइयों को विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यात संबंधी गतिविधियां करने के लिए यथावश्यक माल के शुल्क मुक्त आयात करने की तथा सीएसटी पुर्नप्राप्ति तथा घरेलू स्तर पर उपलब्ध माल की खरीद पर उत्पाद शुल्क छूट की अनुमति है।

11. विदेश व्यापार नीति की संकेन्द्रण उत्पाद योजना के तहत सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात, निर्यात के एफओबी मूल्य के 2%/5% के समतुल्य शुल्क जमा पत्र का पत्र होगा।

12. इलेक्ट्रॉनि वस्तुओं के घरेलू स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यातायात ढांचे को औचित्यपूर्ण बनाया गया है।

13. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) आरएण्डडी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाओं के तहत निधियन करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी (एसआईपी ईआईटी) के लिए सहायता; इलेक्ट्रॉनिकी, आईसीटी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उद्भवन तथा उद्यमियों का विकास (टीआईडीई) योजना तथा बहुगुणत योजना के लिए सहायता शामिल है।

14. इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) तथा आईटी/आईटी समर्थित सेवा (आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी धारकों की संख्या बढ़ाने की योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत 3000 पीएचडी धारकों को सहायता देना प्रस्तावित है।

15. ईएसडीएम उद्योग के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ईएसडीएम सेक्टर में 90,000 व्यक्तियों के कौशल विकास की योजना को अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

दहेज कानून (धारा 498क) और एसटी/ एसटी अधिनियम का दुरुपयोग

1467. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री भैरों प्रसाद मिश्र :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का दुरुपयोग होने के मामलों की बड़ी संख्या में सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों हेतु तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इन कानूनों की समीक्षा और संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) दहेज विधि और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित विधि के दुरुपयोग और कुप्रयोग के बाद की रिपोर्ट किए गए हैं। तथापि, इस संबंध में केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। ऐसे दुरुपयोग और प्रयोग को रोकने के लिए प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं के भीतर पर्याप्त अवरोध और संतुलन हैं। तथापि, गृह मंत्रालय के न्यायिक प्रभाग ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दहेज से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 498क को विवेकपूर्वक कार्यान्वित करने के लिए उनसे यह अनुरोध करते हुए तीन परामर्श तारीख 10.07.2014, 16.01.2012 और 20.10.2009 जारी की हैं। ये परामर्श गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

भारतीय एरोस्पेस विनियम

1468. श्री जैदेव गल्ला : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका का फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने भारतीय ऐरोस्पेस विनियमों को डाउनग्रेड कर श्रेणी-I से श्रेणी-II कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय कैरियर के इससे किस स्तर तक प्रभावित होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, नहीं। अमेरिका के फेडरल एविएशन प्रशासन (एफएए) ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन में भारतीय ऐरोस्पेस विनियमों का निर्माण किया है। एफएए ने भारत को श्रेणी-2 हैसियदत दी है क्योंकि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में उड़ान प्रचालन निरीक्षणों की कमी के फलस्वरूप प्रचालकों पर निष्प्रभावी चूक जारी है।

(ख) एफएए ने सितंबर, 2013 में डीजीसीए का ऑडिट किया और इसमें दिए गए निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई की पुष्टि के लिए वर्ष 2013 के दिसंबर में ही एफएए ने फिर से डीजीसीए का दौरा किया। एफएए ने सितंबर, 2013 में दिए गए 31 निष्कर्षों में से 24 निष्कर्षों को दिसंबर दौरे के दौरान बंद कर दिया।

एफएए न. 31 जनवरी, 2014 को डीजीसीए को सूचित किया कि भारत को श्रेणी-1 से श्रेणी-2 में कर दिया गया है जिसपर भारत 1977 से बना हुआ था। मुख्यत: डीजीसीए में पर्याप्त संख्या में नियमित उड़ान प्रचालन निरीक्षकों (एफओआई) की कमी से संबंधित निष्कर्ष के कारण श्रेणी-2 कर दी गई है। परिणामस्वरूप डीजीसीए अपने प्रचालकों को प्रभावी संरक्षा चूक में असमर्थ रहा।

(ग) श्रेणी-2 में डाउनग्रेड के परिणाम से यह सूचित होता है कि अमेरिका भारतीय हवाई वाहकों की अमेरिका के लिए उड़ान सेवाओं के

लिए कोई विस्तार/परिवर्तन को मंजूरी नहीं देता है और अमेरिका के लिए भारतीय हवाई वाहकों की विद्यमान प्रचालनें उच्चतम एफएए निगरानी की शर्तों पर है।

भारतीय हवाई वाहकों के अमेरिका से इतर अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान के दौरान अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा भी निरीक्षण अधिक संख्या में निरीक्षण किए जा सकते हैं।

प्रमाण-पत्रों का जारी न किया जाना

1469. श्री बी.वी. नाईक : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को समय पर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अभी तक कितने अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त हुए हैं और उक्त प्रमाण-पत्रों को जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) जी, हां। कभी-कभी आईटीआई से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र जारी करने में विलम्ब होता है। चूंकि परिणाम राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा घोषित किए जाते हैं और राज्यों से आंकड़े एकत्र करने में अत्यधिक समय लगता है, जिसके कारण विलंब होता है।

(ग) जुलाई, 2013 तक आयोजित परीक्षाओं के लिए, कुल 8,30,956 (आठ लाख तीस हजार नौ सौ छप्पन) प्रमाण-पत्र अभी उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को जारी किए जाने हैं। इनमें से 2,53,801 (दो लाख तरेपन हजार आठ सौ एक) प्रमाण-पत्र मुद्रण की प्रक्रिया में हैं और इन्हें जारी करने के लिए राज्य निदेशालयों/संघ राज्यक्षेत्रों को शीघ्र ही भेजा जायेगा। शेष के लिए राज्य निदेशकों/संघ-राज्य क्षेत्रों से विद्यार्थियों के आंकड़े प्रस्तुत करने के कहा गया है ताकि ये भी मुद्रित किए जा सकें और उन्हें विद्यार्थियों को भेजा जा सके।

(घ) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में प्राथमिकता के आधार पर लम्बित प्रमाण-पत्रों को जारी करने का कार्य आरम्भ किया गया है। तद्नुसार जनवरी, 2013 से जनवरी, 2014 की अवधि के दौरान 14,98,345 (चौदह लाख अठानवे हजार तीन सौ पैंतालीस) प्रमाण-पत्र मुद्रित किए जा चुके हैं और राज्य निदेशालयों को भेजे जा चुके हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सिम कार्ड

1470. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्री-पेड मोबाइल सिम कार्ड/कॉलिंग कार्ड ग्राहकों का समुचित सत्यापन किए बिना बेचे जाने को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में असामाजिक तत्वों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्डों के दुरुपयोग को रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) भारत में अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड/कॉलिंग कार्डों की बिक्री करने/किराए पर देने के लिए प्राधिकृत/अनुमत कंपनियां विदेशी दूरसंचार कंपनियों के ऐसे सिम कार्ड बेच रही हैं जो कि भारत से बाहर उपयोग करने के लिए बने हैं। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ऐसी आवेदक कंपनियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करता है जो अनापत्ति प्रमाण-पत्र की निबंधन और शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय प्री-पेड मोबाइल सिम कार्ड/कॉलिंग कार्ड बेचना/किराए पर देना चाहती हैं। इन अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारकों को अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की निबंधन एवं अन्य शर्तों के साथ-साथ इस शर्त का अनुपालन भी करना होता है कि ऐसे कार्ड बेचने/किराए पर देने से पहले प्रयोक्ता का उचित सत्यापन करना अपेक्षित है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उचित सत्यापन के बिना उपभोक्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय प्री-पेड मोबाइल सिम कार्ड/कॉलिंग कार्ड की बिक्री करने का मैसर्स यूनीकनेक्ट सिम प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई से संबंधित एक मामला दूरसंचार विभाग की जानकारी में आया है।

(ग) से (ङ) अनापत्ति प्रमाण-पत्र की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, कंपनी को बिक्री किए गए/किराए पर दिए गए सिम कार्डों का पूर्ण विवरण दूरसंचार सहित नामोद्दिष्ट सुरक्षा एजेंसियों को मासिक आधार

पर मुहैया कराना होता है जिससे देश में समाज विरोधी तत्वों सहित उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे कॉर्डों के दुरुपयोग को रोकने में भी सहायता मिलती है।

[हिन्दी]

न्यायिक सुधारों हेतु विशेष सहायता

1471. श्री गणेश सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक सुधारों और देश के न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों में कमी लाने हेतु राज्यों को विशेष सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सहायता से किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) देश में न्याय परिदान प्रणाली, न्यायालय में मामलों के बैकलाग और न्यायालयों में लंबित मामलों के कारण निरुद्ध है। राज्य सरकारों के स्रोतों में वृद्धि के उद्देश्य से इस समस्या का समाधान करने के लिए न्यायापालिका के लिए वातावरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय परिसर और आवासीय इकाइयों के संनिर्माण और इंटरमीडियेट पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया है। अवंसरचना विकास और ग्राम न्यायालय की स्थापना करने के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, न्याय परिदान में सुधार के उद्देश्य के साथ 13वें वित्त आयोग ने इसकी 2010-2015 की पंचाट अवधि के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की सिफारिश की है। यह अनुदान अन्य बातों के साथ प्रातःकालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालय, वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, लोक अदालतें और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और न्यायालय के अन्य कृतों के लिए है। न्याय परिदान में सुधार संबंधी विभिन्न पहलों के लिए 13वें वित्त आयोग पंचाट के अधीन राज्य सरकारों को प्रदान किए जाने वाले वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

न्यायपालिका की अवसंरचना प्रसुविधा के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन जारी किए गए अनुदान (तारीख 31.03.2014 को)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	1993-94 — 2010-11 से जारी	2011-12 में जारी	2012-13 में जारी	2013-14 में जारी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7683.45	1888.00	6393.00	0.00
2.	बिहार	4036.37	0.00	1524.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	2907.47	2097.00	0.00	0.00
4.	गोवा	627.93	172.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	5371.42	0.00	9893.00	10000.00
6.	हरियाणा	3516.42	2138.00	0.00	3632.00
7.	हिमाचल प्रदेश	1507	0.00	0.00	806.00

1	2	3	4	5	6
8.	जम्मू और कश्मीर	1687.6	1035.00	2572.00	3428.00
9.	झारखंड*	1906.52	0.00	1500.00	1693.00
10.	कर्नाटक	6536.85	2961.00	7610.00	10384.00
11.	केरल	3419.3	1169.00	1499.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	6382.04	4403.00	2046.00	6141.00
13.	महाराष्ट्र	11131.62	12915.00	5920.24	10000.00
14.	ओडिशा	5074.27	2416.00	1534.00	0.00
15.	पंजाब	2677.92	0.00	7902.00	12000.00
16.	राजस्थान	4188.51	1172.00	1042.00	0.00
17.	तमिलनाडु	5835.46	0.00	1953.00	7343.00
18.	उत्तराखंड	1635.35	0.00	829.76	2043.00
19.	उत्तर प्रदेश	17542.57	15659.00	9398.00	12530.00
20.	पश्चिम बंगाल	6435.46	2518.00	0.00	0.00
	योग (क)	100103.53	50543.00	61616.00	80000.00
	पूर्वोत्तर राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	441.44	972.00	750.00	0.00
2.	असम	5926.4	2890.00	2954.90	0.00
3.	मणिपुर	641.71	0.00	0.00	1500.00
4.	मेघालय	297	0.00	0.00	1474.00
5.	मिज़ोरम	1099.95	0.00	704.78	812.56
6.	नागालैंड	3860.64	169.00	750.00	0.00
7.	सिक्किम	1278.05	0.00	549.50	2802.84
8.	त्रिपुरा	1097.25	0.00	1495.60	2910.60
	योग (ख)	14642.44	4031.00	7204.78	9500.00

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	395.55	500.00	0.00	0.00
2.	चंडीगढ़	3400.95	500.00	0.00	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली	206.25	500.00	0.00	0.00
4.	दमन और दीव	190	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	3647.08	2250.00	2000.00	0.00
6.	लक्षद्वीप	51.25	0.00	0.00	0.00
7.	पुदुचेरी	1898.88	1250.00	0.00	0.00
	योग (ग)	9789.96	5000.00	2000.00	0.00
	कुल योग (क+ख+ग)	124535.93	59574.00	70820.78	89500.00

विवरण-II

ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	जारी रकम (लाख रुपए में)					
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
1.	आंध्र प्रदेश	89	632.00	745.40	156.80	0.00	284.80	1819.00
2.	राजस्थान	45	567.00	0.00	144.00	243.00	215.20	1169.20
3.	कर्नाटक	2	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20
4.	ओडिशा	14	15.80	0.00	110.60	0.00	0.00	126.40
5.	महाराष्ट्र	18	132.60	0.00	9.60	15.80	0.00	158.00
6.	झारखंड	6	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	75.60
7.	गोवा	2	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20
8.	पंजाब	2	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20
9.	हरियाणा	2	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20
	योग	180	1347.40	745.40	446.20	410.00	500.00	3449.00

विवरण-III

न्याय परिदान में सुधार संबंधी विभिन्न पहलों के लिए 13वें वित्त आयोग पंचाट के अधीन राज्य सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता 31.03.2014 को कुल जारी

(करोड़ रुपए में)

राज्य	प्राप्त:कालीन/ सायं कालीन/ पाली न्यायालय	लोक अदालत और विधिक सहायता	न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण	लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण	हैरिटेज न्यायालय भवन	राज्य न्यायिक अकादमी	एडीआर केन्द्र/ मध्यस्थ का प्रशिक्षण	न्यायालय प्रबंधक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	43.55	5.23	4.36	2.61	7.84	4.50	9.38	3.75	81.21
अरुणाचल प्रदेश	10.63	1.28	1.06	0.64	1.91	0.00	0.00	0.00	15.52
असम	9.06	1.09	0.91	0.54	1.63	3.00	5.71	2.28	24.22
बिहार	64.30	7.72	6.43	3.86	11.57	4.50	12.23	4.89	115.49
छत्तीसगढ़	10.91	1.31	2.18	1.31	1.96	3.00	4.35	1.74	26.77
गोवा	1.54	0.18	0.15	0.09	0.28	0.00	0.54	0.22	3.00
गुजरात	96.70	5.80	8.06	2.90	8.70	4.50	10.60	4.24	141.51
हरियाणा	18.48	4.43	2.46	1.48	3.33	0.00	7.34	2.93	40.46
हिमाचल प्रदेश	7.90	1.42	2.42	1.46	1.42	9.00	8.97	2.39	34.99
जम्मू और कश्मीर	9.78	1.56	1.30	0.78	1.76	6.00	11.96	3.59	36.74
झारखंड	16.52	1.98	3.30	0.99	5.95	6.00	5.98	2.39	43.12
कर्नाटक	41.01	4.92	4.10	2.46	7.38	4.50	11.82	4.73	80.93
केरल	20.23	2.43	2.02	1.21	3.64	4.50	5.71	2.28	42.02
मध्य प्रदेश	61.47	7.38	12.29	3.69	11.06	6.00	26.63	7.99	136 52
महाराष्ट्र	89.27	10.71	14.88	5.36	21.42	6.00	26.63	7.99	182.26
मणिपुर	1.07	0.13	0.71	0.24	0.58	0.00	1.11	0.22	4.05
मेघालय	0.31	0.04	0.03	0.02	0.06	0.00	0.27	0.11	0.84
मिज़ोरम	1.88	0.23	0.19	0.11	0.34	0.00	0.82	0.33	3.89
नागालैंड	0.85	010	0.08	0.05	0.15	0.00	0.00	0.00	1.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ओडिशा	24.98	3.00	6.65	2.00	5.99	12.00	16.30	4.89	75.81
पंजाब	16.28	2.60	4.33	1.63	5.85	4.50	7.61	2.28	45.08
राजस्थान	38.80	4.66	3.88	2.33	13.97	9.00	18.48	7.39	98.51
सिक्किम	0.41	0.05	0.04	0.05	0.07	3.00	1.09	0.22	4.92
तमिलनाडु	24.71	8.90	4.94	2.96	4.45	9.00	16.30	3.26	74.52
त्रिपुरा	3.76	0.45	0.38	0.23	0.68	0.00	1.22	0.49	7.21
उत्तर प्रदेश	102.25	12.27	20.45	12.27	30.68	9.00	38.04	11.41	236.37
उत्तराखंड	12.84	1.54	2.57	0.77	2.31	9.00	7.06	2.12	38.22
पश्चिम बंगाल	32.83	3.94	3.28	1.97	5.91	4.50	7.75	3.10	63.28
योग	762.32	95.34	113.47	54.00	160.90	121.50	263.89	87.23	1658.67

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

1472. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों के श्रम और रोजगार मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सम्मेलन में चर्चा किए गए मुख्य मुद्दे और निर्णय क्या हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, हां। यह सम्मेलन 26 जून, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) और (ग) यह बैठक देश में श्रम संबंधी मुद्दों पर हमारी चिंताओं, चुनौतियों एवं राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी। इस संबंध में उभरते विचारों एवं राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

[अनुवाद]

विमान यात्रियों की संख्या में कमी

1473. श्री पी.के. बिजू : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विमान यात्रियों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) वर्ष 2011, 2012, 2013 में अनुसूचित घरेलू वाहकों द्वारा ले जाए गए कुल हवाई यात्रियों तथा तद्नुरूप यातायात वृद्धि निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	ले जाए गए हवाई यात्रियों की संख्या (मिलियन में)	वृद्धि का प्रतिशत
2010	52.00	—
2011	60.70	+16.70
2012	58.80	-03.04
2013	61.40	+04.77

जनवरी-मई, 2014 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए हवाई यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष के तद्नुरूपी अवधि के दौरान

26.00 मिलियन के मुकाबले 26.72 मिलियन थी फलस्वरूप 2.78% की वृद्धि दर्ज की गयी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान

1474. **श्री कामाख्या प्रसाद तासा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु आवंटित निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 2008 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) को अनिवार्य रूप से असम में एक केन्द्र खोलना है। केन्द्र की स्थापना के लिए असम सरकार ने शिवसागर में भूमि का आबंटन कर दिया है जहां वर्तमान में संस्थान का अपना परिसर निर्माणाधीन है।

(ग) आरजीआईपीटी असम केन्द्र के लिए अनुमोदित निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

परिसर के लिए पूंजीगत व्यय	—	143
आरंभिक खर्च	—	5
स्थायी निधि	—	182
कुल		330

आरजीआईपीटी असम केन्द्र के लिए निधि का आबंटन तेल उद्योग विकास बोर्ड से अनुदान और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल पीएसयूज के सहयोग से किया गया है।

एयर इंडिया की ग्राहक सेवाएं

1475. **श्री बैजयंत जे. पांडा : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एयर इंडिया के विरुद्ध ग्राहक सेवाओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एयर इंडिया ने यात्रियों को आकर्षित करने और ग्राहक सेवाएं बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया की ग्राहक सेवाआं के संबंध में शिकायतें सरकार को आवधिक रूप से प्राप्त होती हैं। सरकार द्वारा ऐसी शिकायतें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एयर इंडिया को भिजवा दी जाती हैं तथा एयर इंडिया को ग्राहक की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं/सेवाओं में उन्नयन एवं विकास के लिए अनवरत प्रयास किए जाते हैं। एयर इंडिया द्वारा विपणन प्रयासों की दिशा में पहल के रूप में विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए नए विमान बेड़े के प्रयोग द्वारा यात्रियों को आकर्षित करने, सहयात्री मुफ्त यात्रा योजना, एपेक्स किराए, फ्लाईंग रिटर्न कार्यक्रम जैसे कुछ उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त फीडबैक के आधार पर एयर इंडिया द्वारा अपने ग्राहकों को श्रेष्ठ उत्पाद उपलब्ध करने के लिए इन सुविधाओं/सेवाओं के लिए अनवरत निगरानी, संवीक्षा तथा उन्नयन किया जाता है। हाल ही में एयर इंडिया द्वारा "स्टार एलॉयंस" में प्रतिभागिता की गई है जिसके परिणामस्वरूप यह अब विश्व भर के 193 देशों में स्थित 1,269 गंतव्यों की यात्रा के लिए अपने ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार यात्रा कार्यक्रम तैयार करने के लिए अधिक अवसर देने के स्थिति में है। इसके अलावा, एयर इंडिया के यात्री अब एयर इंडिया के अति विशाल सदस्य एयरलाइन नेटवर्क पर यात्रा करते हुए और अधिक फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम (एफएफपी) माईलेज प्वाइंट अर्जित कर सकते हैं। तथा इन प्वाइंटों का प्रयोग वे सदस्य एयरलाइनों एवं एयर इंडिया के प्रीमियम यात्रियों के लिए सदस्य एयरलाइनों के लाउंज का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं।

पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा

1476. **श्री विष्णु पद राय : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के प्रचालन की वर्तमान स्थिति क्या है और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

के ऊपर से उड़ने वाली दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों हेतु अंतर्राष्ट्रीय ठहराव के रूप में इस हवाईअड्डे को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों हेतु उक्त परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है और इस हवाईअड्डे पर 24 घंटे एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रचालनों को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्तमान समय प्रतिबंधों से निपटने के लिए रक्षा से एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रचालनों को लेने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) पोर्ट ब्लेयर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सिविल एन्क्लेव) है और इस हवाईअड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हैंडल करने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डे पर मौजूदा टर्मिनल भवन संतृप्त हो गया है। व्यस्ततम समय के दौरान 1200 यात्रियों की क्षमता के एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण की योजना है और इसके लिए निविदा कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में, उपकरण अवतरण प्रणाली का एक घटक लोकलाइजर उपलब्ध है और जहां पर एक ग्लाइड पाथ बनाने की योजना है ताकि पूर्ण उपकरण अवतरण प्रणाली सुलभ हो सके।

यह हवाईअड्डा भारतीय नौ सेना द्वारा प्रचालित है और उन्होंने इस हवाईअड्डे पर चौबीसों घंटे प्रचालन शुरू करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण

1477. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण डिवाइस अर्थात् इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटरस (ईएसपी) सिस्टम अब पुराना हो गया है जिस कारण देश में बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अनेक इस्पात संयंत्रों में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदूषण नियंत्रण युक्तियां अर्थात् इलेक्ट्रॉस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स (ईएसपी) अभी पुरानी नहीं हुई हैं और देश में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोकारो सहित इस्पात संयंत्रों द्वारा इनका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

1478. श्री संजय धोत्रे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के विनियामक कार्यकरण से संतुष्ट हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2012 से सुरक्षा आयुक्त, नागर विमानन का पद खाली रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पद को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा): (क) जी, हां। नागर विमानन प्रचालनों की सुरक्षा के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुबंध 17 के अंतर्गत बनाए गए राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में किए गए प्रावधानों के अनुसार नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा अपने विनियामक क्रियाकलापों तथा कार्यों का निर्वाह किया जा रहा है।

(ख) और (ग) दिनांक 31-10-2012 को पूर्व पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् से सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का पद नवम्बर, 2012 से रिक्त है। तब से इस मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग से मंत्रणा करते हुए सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) के पद को भरने के संबंध में अनेक प्रयास किए गए हैं। तथापि, प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक देरियों के परिणामस्वरूप यह पद अभी तक भरा नहीं जा सका है। वर्तमान में संयुक्त सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) के पद का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं।

स्पेक्ट्रम की नीलामी

1479. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 2जी स्पेक्ट्रम के तीसरे चक्र की नीलामी पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नीलामी से कुल कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में उदार स्पेक्ट्रम के रूप में फरवरी, 2014 के दौरान स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी। 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 22 सेवा क्षेत्रों तथा 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 3 सेवा क्षेत्रों में बोली आमंत्रित की गई थी। इन सभी सेवा क्षेत्रों में बोली प्राप्त हुई थी। नीलामी के लिए रखे गए कुल 385.2 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से, 307.2 मेगाहर्ट्ज का विक्रय 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में किया गया था। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सेवा क्षेत्रों में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी के लिए कुल 46 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखा गया था। 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी के लिए रखे गए सभी स्पेक्ट्रम का विक्रय कर दिया गया था।

(ग) फरवरी, 2014 में आयोजित की गई नीलामी में कुल 61,162,22 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया और 18267.18 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि प्राप्त की गई थी।

ईपीएफ पर ब्याज दर

1480. श्री सी.एन. जयदेवन :
श्रीमती के. मरगथम :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों की कुल संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) इस निधि में नियमित रूप से अंशदान करने वाले ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए ऐसी निधि हेतु ब्याज-दर को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों की कुल संख्या के साथ-साथ जून, 2014 के दौरान निधि में अंशदान करने वाले इसके सदस्यों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि और निधि में अंशदान करने वाले सदस्यों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	31.03.2014 तक ईपीएफ के कुल कुल सदस्य	वैसे सदस्य जिन्होंने जून, 2014 में अंशदान किया है
आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	10657225	2738795
बिहार	715474	212513
छत्तीसगढ़	1090525	300092
दिल्ली	11167075	1871848
गोवा	1168601	145058
गुजरात	8481829	1942493
हरियाणा	6195965	1466532
हिमाचल प्रदेश	1012158	219986
झारखंड	942549	366851
कर्नाटक	14907011	3783312
केरल	2454707	840287
मध्य प्रदेश	2915874	707593
महाराष्ट्र	23125899	6240557
पूर्वोत्तर क्षेत्र	429608	233536
ओडिशा	2191814	558811
पंजाब	5135813	822908
राजस्थान	1178766	693809
तमिलनाडु	16524714	3951807
उत्तर प्रदेश	1917405	1281603
उत्तराखंड	1117299	371844
पश्चिम बंगाल	4483143	2253876
कुल	117813454	31004111

विदेशियों के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित मामले

1481. श्री बदरुद्दीन अज़मल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय में विदेशियों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2005 से आज तक दायर किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या वर्ष-वार कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विदेशी अधिकरण (एफटी) में 2005 से 16.07.2014 तक कुल 598 मामले आकलित रूप से लंबित हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विदेशी अधिकरण में कुल मामलों की संख्या, विदेशी अधिकरण द्वारा निपटान किए गए मामलों की संख्या और विदेशी अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं:-

क्र. सं.	वर्ष	विदेशी अधिकरण के कुल मामलों की संख्या	विदेशी अधिकरण द्वारा निपटान किए गए मामलों की संख्या	विदेशी अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या
1.	2005	29	27	2
2.	2006	9	9	0
3.	2007	37	28	9
4.	2008	110	75	35
5.	2009	220	100	120
6.	2010	179	73	106
7.	2011	77	9	68
8.	2012	103	6	97
9.	2013	249	152	97
10.	2014	90	26	64
	योग	1103	505	598

कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक

1482. श्री एम.बी. राजेश :
श्री राहुल कस्वां :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिला मजदूरों को असमान मजदूरी सहित न्यूनतम मजदूरी न दिए जाने के मामले सूचित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर कृषि क्षेत्र में सूचित किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विनियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि मजदूरों हेतु पृथक विधान लागू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय निधियन से कृषि मजदूरों हेतु सामाजिक सुरक्षा उपाय करने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक संबध तंत्र के अंतर्गत मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है जबकि राज्य क्षेत्र में यह कार्य राज्य के प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

(घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत नियोजनों की अनुसूची में कृषि शामिल है।

(ङ) सरकार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन असंगठित क्षेत्र के कृषि कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से किया है। जैसाकि कृषि कामगार इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई योजनाओं में उपलब्ध लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं।

हवाईअड्डा प्रयोग शुल्कों की वसूली

1483. श्री नलीन कुमार कटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कतिपय निजी एयरलाइनों ने भारतीय विमानन प्राधिकरण को हवाईअड्डा प्रयोग शुल्कों का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामत: एयरलाइन-वार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय राशि कितनी है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार हवाईअड्डा प्रयोग शुल्कों के भुगतान में विलंब हेतु दंडात्मक ब्याज लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दण्डात्मक ब्याज के रूप में संग्रहित की जाने वाली संभावित राशि कितनी है; और

(ङ) ऐसी एयरलाइनों से बकाया राशि की वसूली हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई या प्रस्तावित है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, हां। प्रमुख निजी एयरलाइनों के बकायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

एयरलाइन	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	अप्रैल-जून, 2014
स्पाइसजेट	44.16	77.30	132.45	110.86
जेट समूह	140.88	102.39	68.07	93.07
किंगफिशर	197.81	202.48	172.69	172.69

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपनी अनुमोदित क्रेडिट नीति के अनुसार यातायात प्रभारों पर 12% प्रतिवर्ष की दर से विलंब प्रभारों पर ब्याज वसूला जा रहा है।

(घ) दोषी पक्षकारों पर लगाए गए दंडस्वरूप ब्याज की कुल धनराशि 115 करोड़ रुपए बनती है।

(ङ) बकायों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है और विलंब की स्थिति में, एएआई एयरलाइनों को बकायों के निपटान के लिए नोटिस जारी करता है। बिलों के निपटान में विलंब के कारण दंडस्वरूप ब्याज वसूला जा रहा है। किंगफिशर, जिसने अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं, के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय में केस दायर किया गया है। निजी एयरलाइनों से प्रतिभूति जमा लिया जा रहा है और जिन मामलों में विलंब बना रहता है, प्रतिभूति जमा को भुनाने के अतिरिक्त, बकायादर एयरलाइनों को कैश एंड कैरी बेसिस पर रख दिया जाता है।

[अनुवाद]

गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन

1484. श्री रामसिंह राठवा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न सेवा प्रदाताओं की ब्रॉडबैंड सेवाएं सही ढंग से कार्य कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज को महत्व देती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जनवरी से मार्च, 2014 के दौरान ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं की 5 सेवा क्षेत्रों में की गई नमूना जांच और सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश सेवा प्रदाता अधिकांश पैरामीटरों से संबंधित निष्पादन बैंचमार्कों का अनुपालन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुख्यत: विद्युत आपूर्ति की कम उपलब्धता, स्थानीय निकायों द्वारा सड़क चौड़ी करने के लिए किए जाने वाले कार्यों और इसी प्रकार के विकास कार्यकलापों के कारण कॉपर केबल/ऑप्टिकल फाइबर के कट जाने के कारण होने वाले खराबी से प्रभावित होती हैं।

(ग) (i) सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की न्यूनतम डाउनलोड गति को 256 किलोबिट्स प्रति सेकंड (केबीपीएस) से बढ़ाकर 512 किलोबिट्स प्रति सेकंड कर दिया है।

(ii) सरकार सभी ग्राम पंचायतों (जीपीएस) को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कनेक्ट करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) का कार्यान्वयन कर रही है। इसके पूरा हो जाने पर, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 100 मेगाबिट्स प्रति सेकंड (एमबीपीएस) की बैंडविड्थ उपलब्ध हो जाएगी।

(iii) 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम (बीडब्ल्यूए) सेवाओं, जिनके लिए 2010 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी, के रॉल आउट की समय-सीमा वर्ष 2015 तक है।

[हिन्दी]

एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव

1485. श्रीमती कमला पाटले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत सरकार को पूर्व-अनुमोदन हेतु वर्तमान में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पूर्व-अनुमोदन प्रदान करने से पहले इन प्रस्तावों पर कतिपय प्रश्न उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) खान मंत्रालय के पास खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत पूर्व अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संस्तुत 29 प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां। इन मामलों में, संस्तुत क्षेत्रों में खनिजीकरण, क्षेत्र के मानचित्र तथा अधिकतम क्षेत्र सीमा में छूट हेतु औचित्य तथा जांच सूची मद के संबंध में राज्य सरकारों, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) तथा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) से पूछताछ की गई थी या जानकारी मांगी गई है।

(ग) वर्तमान में 7 प्रस्तावों अर्थात् राज्य सरकार से 4, आईबीएम से 2 तथा जीएसआई से 1 का जवाब आना बाकी है। शेष मामले खान मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा संस्तुत खनिज रियायत प्रस्तावों की जांच खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं उसके तहत बने नियमों एवं दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के आलोक में और जहां आवश्यक हो, वहां राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित एजेंसियों से परामर्श करके की जाती है। इसलिए प्रस्तावों के निपटान हेतु किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय ई-शासन योजना

1486. डॉ. किरिट पी. सोलंकी :
श्रीमती सकुंतला लागुरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने राज्यों में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत सामान्य सेवा केन्द्रों और ई-जिला मिशन मोड परियोजनाएं स्थापित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात और ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) और ई-जिला मिशन मोड परियोजनाएं अनुमोदित की गई। तदनुसार इन एमएमपी के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए। सभी राज्यों/संघ राज्यों द्वारा डीपीआर/प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया। ई-जिला और सीएससी परियोजनाओं के संबंध में राज्यों/संघ राज्यों के लिए अनुमोदित परिव्यय के विवरण निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ई-जिला		सीएससी	
		कुल अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपए)	जिलों की संख्या	कुल अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपए)	योजनागत सीएससी की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.94	3	1.879	45

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश		13		
3.	तेलंगाना	61.44	10	19.41	4,687
4.	अरुणाचल प्रदेश	43.56	17	6.84	200
5.	असम	66.48	27	117.84	4,375
6.	बिहार	88.43	38	87.67	8,463
7.	चंडीगढ़	7.09	1	0.06	13
8.	छत्तीसगढ़	61.54	27	15.62	3,385
9.	दादरा और नगर हवेली	7.36	1	0.18	4
10.	दमन और दीव	9.61	2	0.06	12
11.	दिल्ली	32.13	11	0.00	135
12.	गोवा	9.88	2	0.02	160
13.	गुजरात	86.71	33	0.98	13,685
14.	हरियाणा	52.39	21	1.55	1159
15.	हिमाचल प्रदेश	23.62	12	8.35	3366
16.	जम्मू और कश्मीर	60.38	22	40.72	1109
17.	झारखंड	60.32	24	61.44	4562
18.	कर्नाटक	79.61	30	77.92	5713
19.	केरल	34.28	14	3.60	2200
20.	लक्षद्वीप	6.86	1	0.36	18
21.	मध्य प्रदेश	118.05	51	15.23	9232
22.	महाराष्ट्र	71.13	35	14.54	34400
23.	मणिपुर	24.61	9	13.92	399
24.	मेघालय	28.55	11	0.32	225
25.	मिज़ोरम	19.24	8	2.16	136
26.	नागालैंड	33.03	11	7.15	220

1	2	3	4	5	6
27.	ओडिशा	71.55	30	38.16	8558
28.	पुदुचेरी	12.06	4	0.37	66
29.	पंजाब	53.68	22	33.49	2112
30.	राजस्थान	79.13	33	54.02	7665
31.	सिक्किम	11.54	4	2.73	45
32.	तमिलनाडु	68.91	32	0.86	5440
33.	त्रिपुरा	18.12	8	4.91	145
34.	उत्तर प्रदेश	173.98	75	12.67	18645
35.	उत्तराखंड	32.45	13	12.31	2804
36.	पश्चिम बंगाल	40.73	20	54.89	6797
	कुल	1660.40	675	712.23	150180

(ग) इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है/की जा रही है:—

- परियोजना कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए परियोजना दिशानिर्देश जारी करना;
- राज्य/संघ राज्य द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/प्रस्ताव के लिए टेम्प्लेट जारी करना;
- डीपीआर/प्रस्तावों का मूल्यांकन करना;
- परिभाषित परियोजना लक्ष्यों के आधार पर निधियां जारी करना;
- परामर्शी विदेश/दिशानिर्देश जारी करना;
- प्रणाली एकीकरणकर्त्ता (एसआई)/सेवा केन्द्र एजेंसी (एससीए) के चयन हेतु मॉडल आरएफपी जारी करना;
- आवधिक रूप से परियोजना समीक्षा बैठकें/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करना।

[अनुवाद]

रुग्ण पीएसयू के पुनरुद्धार हेतु पीपीपी

1487. श्री प्रतापराव जाधव :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रुग्ण और घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के पुनरुद्धार हेतु निजी-सरकारी भागीदारी मॉडल को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) सरकार रुग्ण एवं घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुद्दों के समाधान के लिए समय-समय पर कदम उठाती रही है। सरकार ने रुग्ण एवं घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार तथा पुनर्गठन करने के

लिए रणनीतियों, उपायों तथा स्कीमों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड का गठन किया है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर रुग्ण एवं घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव या सिफारिश लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड द्वारा नहीं की गई है।

[अनुवाद]

महिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

1488. श्रीमती मौसम नूर : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में अनन्य रूप से महिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संस्थानों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन आईटीआई में पाठ्यक्रमों की संरचना, औद्योगिक इंटरफेस हेतु योजनाएं और सशक्तिकरण विशिष्ट प्रशिक्षण और अश्रमसाध्य कौशल विकास कार्यक्रमों को शुरू करने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) नहीं, सरकार का देश में विशेष रूप से महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआइज) खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पीएसई निधि का पुन:निवेश

1489. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय उद्यमों (पीएसई) में बहुत बड़ी अतिरिक्त/निष्क्रिय पूंजी अनुत्पादक पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पीएसई-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पीएसई की अतिरिक्त पूंजी का पुन:निवेश करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2012-13 जो 20.02.2014 को संसद में रखा गया था में उपलब्ध सूचना के अनुसार, सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का कुल नकद एवं बैंक शेष रुपए 2,66,599.79 करोड़ रुपए था। नकद एवं बैंक शेष के सीपीएसई-वार ब्यौरे लोक उद्यम सर्वेक्षण 2012-13 (खंड-II) में उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा ऐसे नकद एवं बैंक शेष का प्रयोग लाभांश और कर की अदायगी, देयताओं का निर्वहन, कार्यकारी पूंजी, पूंजीगत व्यय, विस्तारण, आधुनिकीकरण, अधिग्रहण, प्रचालनात्मक व्यय, बैंक में जमा करने/म्यूच्युअल फंड आदि सहित विभिन्न वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किया जाता है।

(ग) विभिन्न परियोजनाओं, विस्तारण, विविधीकरण, संयुक्त उद्यम, सहायक उद्यमों आदि में निधियों के निवेश पर निर्णय निर्धारित नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल द्वारा लिया जाता है। सरकार अधिकतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आय के संबंध किसी प्रकार की अटकलबाजी न करने, सही वाणिज्यिक निर्णय और एक वर्ष तक की मैच्युरिटी अवधि सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सरप्लस फंडों के निवेश पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करती है। उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसके जरिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सरप्लस फंडों का निवेश किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के बोर्ड द्वारा सरप्लस फंड के निवेश पर निर्णय लिया जाता है। हाल ही में, इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि नवरत्न एवं मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम अपने सरप्लस फंड का 30% निवेश सेबी नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के म्युच्युल फंड में कर सकते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि सरप्लस फंड का कम-से-कम 60% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखा जाना चाहिए और बल्क डिपाजिट्स के लिए प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित करने की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए।

दूरसंचार कंपनियों को अर्थ-दंड

1490. श्रीमती रमा देवी :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री संजय धोत्रे :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियमन, 2010 के मानकों

का उल्लंघन करने हेतु कतिपय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन आरोपित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार का उल्लंघन किन-किन कंपनियों ने किया है और उक्त विनियमों के अंतर्गत उनके द्वारा किये गये उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के किसी कर्मचारी को दोषी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम, 2010 जिसमें निम्नलिखित के बारे में वित्तीय दंड लगाने की व्यवस्था की गई है, के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड लगाया है।

(i) ऐसे उपभोक्ता जो टेलीमार्केटर के रूप में ट्राई से पंजीकृत नहीं है, द्वारा सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेश को रोकने में असफल रहने के कारण प्रत्येक वैध शिकायत हेतु अधिनियम, 5,000 रुपए तक का वित्तीय दंड; और

(ii) विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए — पहले उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपए, दूसरे उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपए और तीसरे तथा इसके बाद प्रत्येक उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपए का वित्तीय दंड।

(ख) इन विनियमों के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में, ट्राई ने आज की तिथि तक निम्नलिखित सेवा प्रदाताओं पर 24,91,85,000 रुपए (चौबीस करोड़ इक्यानवे लाख पचासी हजार रुपए मात्र) का वित्तीय दंड लगाया है:—

मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड

मैसर्स एयरसेल लिमिटेड

मैसर्स वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विसेस लिमिटेड

मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड

मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड

मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज लिमिटेड

मैसर्स टेलिविंग्स कम्युनिकेशन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स यूनिटेक वायरलेस प्राइवेट लिमिटेड)

मैसर्स वीडियोकॉन टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड

मैसर्स सिस्टमा श्याम टेलिसर्विसेज लिमिटेड

मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड

मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

मैसर्स क्वाडेंट टेलिवेंचर्स लिमिटेड

मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड

(ग) से (ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का कोई कर्मचारी दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी नहीं पाया गया है।

टेलीफोन सलाहकार समिति की स्थापना

1491. श्री हुकुम सिंह :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **संचार और सचूना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न सर्किलों में टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) का गठन करने हेतु नियमों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देशभर के विभिन्न सर्किलों में नये टीएसी के गठन में विलंब होने के क्या कारण हैं और नये टीएसी कब तक गठित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) डॉल्फिन का मोबाइल नेटवर्क उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) एमटीएनएल ने दिल्ली में कितने टॉवर लगाए हैं तथा वर्तमान में इनमें से कितने टॉवर खराब है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

1492. श्री संजय हरिभाऊ जाधव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरसंचार सेवाएं समुचित रूप से कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खराब दूरसंचार सेवाओं के संबंध में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इन शिकायतों के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) राज्य के उन ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या कितनी है जो अभी तक दूरसंचार सेवा से वंचित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) देश में दूरसंचार सेवाएं सामान्यत: समुचित रूप से कार्य कर रही हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र सर्किल के ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतें	605065	372153	253335	42545

ऐसी शिकायतों के निवारण/परिहार के लिए बीएसएनएल द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:—

(i) दोषों की दैनिक निगरानी की जाती है और नियमित रूप से उनका निवारण किया जाता है;

(ii) स्थानीय एजेंसी के कार्यों के कारण केबल में होने वाले दोषों का निवारण अविलंब किया जाता है;

(iii) स्थानीय लाइन (एलएल) और ब्रॉडबैंड (बीबी) के रख-रखाव के लिए गौण स्वीचिंग क्षेत्रों (एसएसए) में अलग-अलग दलों का गठन किया गया है;

(iv) आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) संबंधी दोषों एवं स्थानीय केबल की खराबी के कारण दूरभाष केन्द्र में होने वाली गड़बड़ी को यथा-समय ठीक किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में बसे हुए कुल 41,442 ग्रामों में से 788 ग्राम अभी भी दूरसंचार सेवाओं से वंचित हैं। सरकार इस समय जारी अपनी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) स्कीम के माध्यम से राज्य के कवर न किए गए ग्रामों में बीएसएनएल के माध्यम से ग्राम पंचायत टेलीफोनों (वीपीटी) की व्यवस्था कर रही है।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु सामाजिक सुरक्षा

1493. श्री बी. श्रीरामुलु : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों विशेषकर होटलों, निजी सुरक्षा और अन्य जगहों में कार्यरत मजदूरों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे मजदूरों को पात्र बनाने हेतु असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के परिधि के अंतर्गत उन्हें शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में ऐसे मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (घ) होटल, निजी सुरक्षा तथा अन्य के साथ-साथ असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने "असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में जीवन एवं अपंगत छत्र, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण तथा असंगठित कामगारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कोई लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश

करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत 'असंगठित कमागार' को घरेलू कामगार, स्व-नियोजित कामगार अथवा संगठित क्षेत्र में वेतन सहित कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है तथा संगठित क्षेत्र के कामगार इसमें शामिल हैं जो इस अधिनियम की अनुसूची-II में उल्लिखित किन्हीं अधिनियमों में शामिल नहीं हैं। होटल, निजी सुरक्षा तथा अन्यों के साथ-साथ ऐसे सभी असंगठित कामगार और अधिनियम के उपबंधों के उपबंधों के अनुसार शामिल कामगार अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र हैं।

आंध्र प्रदेश में नये न्यायालय

1494. श्री थोटा नरसिम्हम : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में और ज्यादा न्यायिक न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में वर्तमान में कार्यरत न्यायालयों की जिला-वार संख्या कितनी है और ऐसे न्यायालयों में रिक्त पदों का पद-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) राज्यों में न्यायिक न्यायालयों की स्थापना करने तथा ऐसे न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने का मामला विषय संबद्ध राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से अनुरोध करती रही है कि वे अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करें और विद्यमान रिक्तियों को भरें। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, तारीख 31.03.2014 को आंध्र प्रदेश राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत/कार्यरत संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

तारीख 31.03.2014 को आंध्र प्रदेश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या

न्यायालय	न्यायालयों की संख्या	न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या	न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या	अन्य ड्यूटी पर कार्यरत न्यायिक अधिकारी
जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश	234	234	197	17
सीनियर सिविल न्यायाधीश	195	195	179	20
जूनियर सिविल न्यायाधीश	533	533	489	4
योग	962	962	865	41

भारी उद्योगों की स्थापना

1495. श्रीमती अनुप्रिया पटेल :
श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री बी.वी. नाईक :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नए भारी उद्योगों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में नए उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) उद्योग राज्य का विषय है। भारी उद्योग विभग की भूमिका अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक सीमित है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम वाणिज्यिक आधार पर अपने एककों की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं।

(ग) और (घ) इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1496. श्री बी.एस. येदियुरप्पा :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण की स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के अंतर्गत विभिन्न इस्पात संयंत्रों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण हेतु कार्यक्रम अपने निर्धारित समय-सीमा में पिछड़ रहे हैं जिसके कारण उनके लागत और समय दोनों बढ़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र सहित संयंत्र-वार कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने क्रमशः क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता को 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़ाकर 21.4 एमटीपीए करने और आरआईएनएल की लिक्विड स्टील उत्पादन की क्षमता को 3.0 एमटीपीए से बढ़ाकर 6.3 एमटीपीए करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील संयंत्र (बीएसपी); झारखंड में बोकारो स्टील संयंत्र; ओडिशा में राउरकेला स्टील संयंत्र (आरएसपी), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील संयंत्र (डीएसपी), पश्चिम बंगाल में इस्को स्टील संयंत्र (आईएसपी), तमिलनाडु में स्पेशल स्टील संयंत्र (एसएसपी) तथा आंध्र प्रदेश में आरआईएनएल के विजाग स्टील संयंत्र (वीएसपी) में आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य शुरू किया है।

सेलम स्टील संयंत्र में विस्तार परियोजना सितम्बर, 2010 में पूरी हो गई है। राउरकेला स्टील संयंत्र में देश की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस (4060 सीयूएम) अगस्त, 2013 से कार्य करने लगी है। तीन नई कोक ओवन बैटरियां, जो कि आरएसपी, आईएसपी और डीएसपी प्रत्येक में एक-एक स्थित है, प्रचालन कार्य कर रही हैं। आरएसपी और आईएसपी में दो नये सिन्टर संयंत्र और बीएसपी में एक नई सिंटर मशीन ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। आरएसपी में तीसरा स्लैब कास्टर और आईएसपी में वायर रॉड मिल की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है। आईएसपी के पहले बिलेट कास्टर में हॉट परीक्षण किये गये हैं। आरएसपी में तीसरे बीओएफ और प्लेट मिल रोलिंग सुविधाओं का कार्य जून, 2014 में पूरा हो चुका है। बोकारो स्टील संयंत्र में एक ब्लास्ट फर्नेस के उन्नयन तथा दो कोक ओवन बैटरियों के पुर्ननिर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। बीएसएल में नई कोल्ड रोलिंग मिल में विभिन्न सुविधाओं की जांच और परीक्षण का कार्य चल रहा है।

सेल विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील प्लांट (बीआईएसपी), भद्रावती की समग्र उत्पादन वृद्धि और लाभकारिता को बेहतर बनाने के लिए इस संयंत्र में समय-समय पर निवेश करता आ रहा है। सेल में 1,25,000 टन वार्षिक क्षमता वाले 350 × 350 एमएम सिंगल स्ट्रेंड ब्लूम मास्टर और प्राइमरी मिल के लिए 30 टन पुशर टाईप रिहिटिंग फर्नेस का क्रियान्वयन पहले ही कर दिया है।

आरआईएनएल-वीएसपी की 6.3 एमटीपीए विस्तार योजना के चरण-I के लगभग सभी प्रमुख पैकेजों का कार्य पूरा हो चुका है। बड़े यूनिटों अर्थात् रॉ मैटीरियल हैंडलिंग प्लांट, सिन्टर प्लांट-3, ब्लास्ट फर्नेस-3, टर्बो ब्लोअर-4, स्टील मेल्टिंग शॉप-2, वायर रॉड मिल-2 तथा अन्य अनुषंगी सिस्टमों यथा वाटर सिस्टम, पॉवर सिस्टम और अन्य यूटिलिटी

सिस्टमों से उत्पादन शुरू हो चुका है। विस्तार योजना के चरण-II के संबंध में विशेष बार मिल तथा स्ट्रक्चरल मिल जैसी चरण-II की दोनों मिलों की फर्नेसों को वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही तक कमीशन करने की योजना है। आरआईएनएल – वीएसपी प्लांट की विस्तार योजना की संकेतात्मक लागत लगभग 12,291 करोड़ रुपए है।

आरआईएनएल ने दोनों ब्लास्ट फर्नेसों, स्टील मेल्टिंग शॉप के सभी 3 एलडी कनवर्टरों और दोनों सिन्टर मशीनों जैसी मौजूदा सुविधाओं की बेहतर स्थिति को बनाये रखने के लिए 2409 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उनका आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य भी शुरू कर दिया है। मौजूदा विस्तार और आधुनिकीकरण पूरा हो जाने के बाद उत्पादन क्षमता बढ़कर 7.3 एमटीपीए लिक्विड स्टील हो जाएगी। ब्लास्ट फर्नेस-1 की श्रेणी-1 का मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है और उसकी जांच तथा कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। स्टील मेल्टिंग शॉप-2 में अतिरिक्त कनवर्टर तथा कास्टर सहित समस्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्रमश: वर्ष 2016-17 तक पूरा होने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) सेल की विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के वर्तमान चरण की संकेतात्मक लागत लगभग 61,870 करोड़ रुपए है और इस संबंध में लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सेल के प्लांटों/यूनिटों के विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने की प्रारंभिक समय-सीमा वर्ष 2012-13 थी। मुख्यत: निम्नलिखित की वजह से कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कुछ विलंब हुए यथा अप्रत्याशित भूमि स्थितियां, परामर्शदाता द्वारा मात्राओं का न्यून अनुमान, कार्य के ब्राउन फील्ड स्वरूप होने के कारण संभार तंत्र सम्बन्धों समस्याएं, पीएसयू ठेकेदारों सहित ठेका एजेंसियों द्वारा पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं जुटा पाना आदि। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विस्तार कार्यक्रम बीएसएल में दिसम्बर, 2014 तक, डीएसपी में मार्च, 2015 तक, बीएसपी में जून, 2015 तक, आरएसपी में दिसम्बर, 2014 तक तथा आईएसपी में दिसम्बर, 2014 तक पूरा होने की आशा है।

(घ) परियोजना मैनुअलों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन बनाने, तेजी से निर्णय लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर शक्तियों के प्रत्यायोजन को बढ़ाने, एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन, नये/अनुभवी परियोजना प्रबंधकों की भर्ती/पुन: तैनाती करके परियोजना प्रबंधन संगठन को सुदृढ़ बनाने, विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए बोर्ड की उप-समिति (बीएससी) के गठन जैसे विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं। अन्य किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं यथा परियोजना प्रमुखों की बैठकों के दौरान विभिन्न संयंत्रों की समस्याओं पर चर्चा और उनसे एक दूसरे से अवगत कराने के लिए समीक्षा बैठकों हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग का व्यापक उपयोग, सभी संयंत्रों में परियोजना नियंत्रण कक्षों की स्थापना, स्टील, पाइपों तथा अन्य सेल उत्पादों की आपूर्ति करके ठेकेदारों की सहायता करना, ढांचों का निर्माण करने और परिवहन संबंधी विलम्बों को कम करने के मामले में संयंत्र के भीतर और बाहर फ्रेबिकेशन यार्ड के लिए जगह की व्यवस्था करके ठेकेदारों की सहायता करना आदि। संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय में मंत्री तथा सचिव स्तर पर नियमित आधार पर की जाती है।

एलएनजी टर्मिनल

1497. श्री एम. मुरली मोहन :
प्रो. के.वी. थॉमस :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों के वर्तमान में राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विद्यमान एलएनजी टर्मिनलों में उत्पादन तथा क्षमता उपयोग की केरल सहित राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में और अधिक ऐसे टर्मिनलों का विकास करने/विस्तार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में स्थान-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश और केरल से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) वर्तमान में देश में 4 एलएनजी टर्मिनल हैं। मौजूदा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों और उनकी संस्थापित क्षमता एवं प्रयुक्त क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

राज्य	टर्मिनल	संस्थापित क्षमता (एमएमटीपीए)	2013-14 में प्रयुक्त क्षमता (%)
गुजरात	दाहेज	10	100
गुजरात	हजीरा	5	56.4
केरल	कोच्ची	5	1-5
महाराष्ट्र	दाभोल	5	8.3

(ग) से (ङ) कंपनियों द्वारा तकनीकी वाणिज्यिक पहलुओं के आधार पर एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है।

तेल शोधक कारखानों का स्थापित किया जाना

1498. श्री बैजयंत जे. पांडा :
डॉ. भोला सिंह :
प्रो. के.वी. थॉमस :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित विभिन्न तेल विपणन कम्पनियों की सहायता से ओडिशा में तेल शोधनशालाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है तथा ओडिशा में सरकार द्वारा पेट्रोलियम/रसायनों में निवेश योजना की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में स्थानीय जनता पर ऐसी परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा स्थानीय जनता के हितों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किये गये हैं/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का देश में अन्य तेल शोधक कारखानों विशेषकर कोचीन और बरौनी तेलशोधक कारखानों के विस्तार/आधुनिकीकरण का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे विस्तार/आधुनिकीकरण को ओएमसी तेलशोधक कारखाना-वार कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) पारादीप, ओडिशा में 15 एमएमटीपीए क्षमता की ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित कर रहा है। पारादीप रिफाइनरी परियोजना की अनुमोदित लागत 29,777 करोड़ रुपए है। वर्तमान में परियोजना पूर्णता के अंतिम चरण में है और जून, 2014 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना में 96.7 प्रतिशत समग्र वास्तविक प्रगति हासिल कर ली गई है। इसके अलावा आईओसीएल बोर्ड ने 3150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत और सितम्बर, 2017 के पूर्णता कार्यक्रम सहित पारादीप में पालीप्रापीलीन परियोजना को मार्च, 2014 में अनुमोदित किया है।

(ग) आईओसीएल ने सूचित किया है कि पारादीप रिफाइनरी के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों के लगभग 10,000 कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार मिला है जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आईओसीएल ने स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) संबंध कार्य भी किए है उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:—

- पेयजल के लिए गहरे नलकूप हैंडपंपों की स्थापना।
- गांव की सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था।
- आवधिक चिकित्सा शिविरों के जरिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं।
- गांव की सड़कों का निर्माण/सुधार।
- गांव के स्कूलों में क्लास रूम का निर्माण, एजुकेशन किट्स/प्रयोगशाला उपस्करों और कम्प्यूटरों की आपूर्ति।
- सिलाई और स्थानीय हस्थशिल्प की कोचिंग/प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षित लड़कियों को मुफ्त में सिलाई मशीनों की आपूर्ति।
- साइक्लोन सेंटर (बहु उद्देश्यीय हाल) का निर्माण।
- बीपीएल परिवारों के लाभ के जिला रेडक्रास सोसायटी को दवाइयां।

(घ) और (ङ) बीपीसीएल की कोच्ची रिफाइनरी इंटिग्रेटेड रिफाइनरी, इंटिग्रेटेड रिफाइनरी विस्तार परियोजना (आईआरईपी) के जरिए अपनी शोधन क्षमता को 9.5 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 15.9 एमएमटीपीए कर रही है। जिसमें बीएस-IV और V श्रेणी के आटो ईंधनों का उत्पादन करने, हैवी स्ट्रीम में मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए रिसाइड उन्नयन और प्रस्तावित इंटिग्रेटेड पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स के लिए प्रापीलीन के उत्पादन के लिए रिफाइनरी का आधुनिकीकरण करने की भी परिकल्पना की गई है। वर्तमान में बरौनी रिफाइनरी के विस्तार हेतु कोई अनुमोदित योजना नहीं है। तथापि, बरौनी रिफाइनरी के आधुनिकीकरण के लिए 697 करोड़ रुपए की निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है:—

कोक चेंबर्स,

बिटुराक्स प्लांट,

रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट,

और फ्लू गैस कूलर

वर्ष 2014 से 2016 के दौरान अनुमानित विस्तार के ओएमसी/रिफाइनरी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान अनुमानित शोधन क्षमता

एमएमटीपीए

क्र. सं.	कंपनी	स्थल	2014-15	2015-16	2016-17
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लि. (आईओसीएल)	डिग्बोई	0.650	0.650	0.650
2.	आईओसीएल	गुवाहाटी	1.000	1.000	1.000
3.	आईओसीएल	बरौनी	6.000	6.000	6.000
4.	आईओसीएल	कोयाली	13.700	18.000	18.000
5.	आईओसीएल	हल्दिया	7.500	8.000	8.000
6.	आईओसीएल	बोंगईगांव	2.350	2.350	2.350
7.	आईओसीएल	मथुरा	8.000	8.000	11.000
8.	आईओसीएल	पानीपत	15.000	15.000	15.000
9.	आईओसीएल	पारादीप	15.000	15.000	15.000
10.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	मनली	11.100	11.100	11.100
11.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	नागापट्टीनम	1.000	1.000	1.000
12.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	मुम्बई	8.200	8.200	8.200
13.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	विशाख	9.000	9.000	15.000
14.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मित्तल इन्वेस्टमेंट लि. का संयुक्त उपक्रम	भटिंडा	9.000	9.000	9.000
15.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	मुंबई	13.500	13.500	13.500
16.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	कोच्ची	9.500	15.500	15.500
17.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	नुमालीगढ़	3.000	3.000	8.000
18.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. एंड ओमान ऑयल कंपनी का संयुक्त उपक्रम	बीना	7.200	7.200	9.000
19.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	मंगलौर	16.000	16.500	18.000
20.	तातीपाका रिफाइनरी लि. (ओएनजीसी)	तातीपाका	0.066	0.066	0.066
	योग		156.766	168.066	185.366

एमएमटीपीए : मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष।

दीमापुर हवाईअड्डा

1499. श्री नेफिउ रिओ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागालैंड में स्थित दीमापुर हवाईअड्डा में सुधार और स्तरोन्नयन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोहिमा के नजदीक स्थित सिएथु में ग्रीन फील्ड हवाईअड्डा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या एक सप्ताह में दीमापुर हवाईअड्डा पर उतरने और वहां से उड़ाने भरने वाले प्रचालित विमानों की संख्या को कम कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त, इन विमानों को डिब्रूगढ़ हवाईअड्डा से जोड़ दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दीमापुर हवाईअड्डा पर उतरने और उड़ान भरने वाले विमानों की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) हवाईअड्डों का विकास/स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस कार्य को यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक कारकों, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर समय-समय पर किया जाता है। दीमापुर हवाईअड्डे पर ए-321 प्रकार के विमान की पार्किंग के लिए अतिरिक्त बे सहित एप्रन का विस्तार कार्य पहले ही कर लिया गया है। आगे के विकास कार्य के लिए नागालैंड सरकार को अतिरिक्त भूमि की अपेक्षा प्रस्तुत की गई है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोहिमा के समीप सिएथु में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। तथापि, पर्वतीय क्षेत्र तथा दुर्गम स्थल होने के कारण प्रचालनों में कतिपय कठिनाइयां हैं जो साफ मौसम स्थितियों तक ही प्रचालनों को सीमित कर सकती हैं तथा हवाईअड्डे के भावी विस्तार को बाधित कर सकती हैं। तत्पश्चात्, राज्य सरकार ने पेरेन जिले के रुजाफेमा में एक अन्य स्थल की पहचान की है और सिएथु में एक समीपवर्ती छोटे पर्वतीय अवरोध को काटकर बड़े विमानों के लिए उसकी व्यवहार्यता का पुनर्आकलन करने का सुझाव दिया है। व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागालैंड सरकार से अपेक्षित दस्तावेज जैसे विधिवत् रूप से चिन्हित हवाईअड्डा स्थलों सहित भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र, स्थलों का राजस्व मानचित्र, पिछले निरंतर 05 वर्षों के लिए मौसम संबंधी आंकड़े आदि की मांग की है।

(ग) और (घ) जी, हां। दीमापुर हवाईअड्डे के लिए तथा यहां से प्रचालित होने वाली उड़ानों की संख्या में हाल में कमी आई है जो प्रतिवर्ष 18 से घटकर 8 हो गई हैं। वर्तमान में दीमापुर हवाईअड्डे के लिए/से कोलकाता-डिब्रूगढ़-दीमापुर-कोलकाता मार्ग पर प्रति सप्ताह 03 उड़ानें तथा कोलकाता-दीमापुर-डिब्रूगढ़-कोलकाता मार्ग पर प्रति सप्ताह 02 उड़ानें प्रचालित हो रही हैं। एयरलाइनें देश में कहीं भी प्रचालन के लिए मुक्त हैं और वे मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं।

(ङ) नामित दूरस्थ तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों के लिए उड़ानों में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं, गैर-मेट्रो हवाईअड्डों से प्रचालित होने वाले 80 सीटों से कम की अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमानों के अवतरण प्रभारों को समाप्त करना, उन राज्यों में जहां राज्य सरकारों ने विमानन टर्बाइन ईंधन पर 5% तक वैट लगाया है, वहां स्थित हवाईअड्डों पर घरेलू प्रचालकों के विमानों के लिए रात्रि पार्किंग प्रभारों को समाप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्लॉट आवंटन दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि मौजूदा एयरलाइन टियर-I शहरों से टियर-II/टियर-III शहरों के लिए नए स्टेशनों को जोड़ने हेतु नई उड़ानें आरंभ करने की योजना बनाती है तो उसे स्लॉट आवंटन हेतु अन्य एयरलाइनों से पहले वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने नामित दूरस्थ तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों के लिए न्यूनतम विमान परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक विमान परिवहन सेवा प्रचालक को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय तथा दूरस्थ क्षेत्र विमान संपर्कता पर नीति जारी की है।

खराब टेलीफोन उपकरण

1500. श्री एंटो एन्टोनी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मौलिक टेलीफोन सेवाओं के खराब उपकरणों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सूचित किया है कि इसके द्वारा देश में प्रदान की जा रही मौलिक टेलीफोन सेवाओं के खराब उपकरणों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कई बार टेलीफोन सेवाएं निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रभावित हो जाती हैं:—

- उपकरणों के पुराने हो जाने के कारण खराबी आ जाना।
- उपकरणों के गलत ढंग से चलाने (मिसहैंडलिंग) के कारण खराबी आ जाना।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) उपकरणों में खराबी का पता चलते ही, खराब उपकरण को बदलने और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा पैरामीटरों की गुणवत्ता हासिल करने के लिए अविलम्ब कार्रवाई करता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने मौलिक टेलीफोन सेवाओं के उपकरणों में खराब को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं; जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

- विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से निर्धारित अवधि के लिए आश्वस्ति (वारंटी) प्राप्त करके।
- उपकरणों को स्वीकार करने और बीएसएनएल नेटवर्क में उपयोग करने से पहले उनका गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण करके।
- उपकरणों को बेहतर स्थिति में रखने के लिए उपकरणों के आपूर्तिकर्ता/मूल विनिर्माताओं को वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) प्रदान करके।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र हेतु श्रम कानून

1501. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एमएनसी) के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु अलग कानून हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे एमएनसी के मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो एसे मजदूर पंजीकृत हुए बिना ही सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण प्राप्त करने के योग्य हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत 'असंगठित कामगार' को घरेलू कामगार, स्व-नियोजित कामगार अथवा संगठित क्षेत्र में वेतन सहित कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है तथा संगठित क्षेत्र के कामगार इसमें शामिल हैं जो इस अधिनियम की अनुसूची-II में उल्लिखित किन्हीं अधिनियमों अर्थात् (i) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8), (ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), (iii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), (iv) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (v) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53) तथा उपदान संदाय अधिनियम 1972 (1972 का 39) द्वारा कवर नहीं हैं। यदि एमएनसी के कामगार उपर्युक्त अधिनियमों में कवर नहीं हैं, तो ये कामगार उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं।

(ग) फिलहाल एमएनसीज में असंगठित कामगारों को पंजीकृत करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) एमएनसी में कार्यरत असंगठित कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण तथा असंगठित कामगारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कोई लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु सभी असंगठित कामगार पात्र हैं।

बीपीएल हेतु आरएसबीवाई योजना

1502. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित कुछ राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऐसे राज्यों के बंद होने के कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाखों परिवारों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का लाभ उठाने में कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का योजना को पुन: शुरू करने और आरएसबीवाई के दायरे का विस्तार करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) बिहार राज्य में चल रही है तथा आज की स्थिति के अनुसार 61,02,774 परिवार आरएसबीवाई के अंतर्गत सम्मिलित हैं। पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 13.09.2013 के आदेश द्वारा संचालनों पर लगाई गई रोक को 21.04.2014 को पटना उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है तथा उसके आधार पर भारत सरकार के बिहार के 38 जिलों में निविदाओं का अनुमोदन कर दिया है।

ठेका श्रम कानून का उल्लंघन

1503. श्री राम टहल चौधरी :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री शिवकुमार उदासि :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में ठेका मजदूरों हेतु कानूनों के उल्लंघन के दृष्टान्त में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अधिनियम के उल्लंघनों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने दोषसिद्ध हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में न्यायालय में अभी भी कितने मामले लंबित हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 का उद्देश्य कतिपय प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करना तथा कतिपय परिस्थितियों में ठेका श्रम तथा इससे संबंधित मामलों के उत्सादन की व्यवस्था करना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों, पाई गई अनियमितताओं/उल्लंघनों, चलाए गए अभियोजनों तथा की गई दोषसिद्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) फिलहाल ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत न्यायालयों में लगभग 38,753 मामले लंबित हैं।

विवरण

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 का उल्लंघन

वर्ष 2010-11 से 2013-14

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	7327	7268	8146	6990
2.	अनियमितताओं/उल्लंघनों की संख्या	148731	192418	148838	145451
3.	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	4908	4962	4671	4084
4.	दोषसिद्धियों की संख्या	3643	4962	2871	3270

पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसियों का आवंटन

1504. श्री रत्न लाल कटारिया :
श्रीमती कमला पाटले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को नए पेट्रोल पंपों/रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन के संबंध में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अजा/अजजा से संबंधित व्यक्तियों को अब तक आवंटित किए गए मौजूदा पेट्रोल पंपों/रसोई गैस एजेंसियों की तेल विपणन करने वाली कंपनियों/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी संख्या है;

(घ) इन श्रेणियों के लोगों को आरक्षण नीति के अनुसार पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने में अंतर को पूरा करने के लिए सरकार/तेल विपणन करने वाली कंपनियों द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) पेट्रोल पंपों/रसोई गैस एजेंसियों द्वारा आवंटन में कमी यदि कोई है, तो उसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण के प्रावधान सहित खुदरा बिक्री केन्द्रों, नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप और राजीव गांधी ग्रामीण वितरकों (आरजीजीएलवीज) के चयन के लिए पहले ही दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं।

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम को छोड़कर सभी राज्यों में 22.5 प्रतिशत स्थल एससी/एसटी श्रेणी के तहत आरक्षित हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम राज्यों के लिए एसटी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थल क्रमशः 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत है।

(ग) एससी/एसटी श्रेणियों को प्रदान किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और आरजीजीएलवीज की राज्य/संघ शासित प्रदेश/ओएमसीवार मौजूदा संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) **खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए:**

ओएमसीज ने राज्य/बाजार की श्रेणी का ध्यान रखे बगैर देश में कहीं भी अपनी पसंद के स्थान पर भूमि की व्यवस्था करने का एक बारगी विकल्प देकर लंबित एससी/एसटी आशय पत्रों के परिसमापन की प्रक्रिया अप्रैल, 2012 से शुरू कर दी है, बशर्ते जिस भूमि की पेशकश की गई है वह तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता मानक पूरे करती हो। यह विकल्प लंबित आशय पत्र धारकों को प्रदान किए गए विकल्प पत्र को जारी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए है।

एससी/एसटी आवेदन भी संग्रह निधि की सुविधा पाने के हकदार हैं जिसके तहत उन्हें खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कर्रवाई जाती है।

नए डीलर चयन संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत नये स्थलों से पहले एससी/एसटी श्रेणी के तहत बैकलाग स्थलों का विज्ञापन देने को प्राथमिकता दी जाती है। कमी को पूरा कराना एक सतत् प्रक्रिया है।

एलजपीजी के लिए:

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है और राज्य-वार हेतु प्रारंभिक रोस्टर तैयार करते समय एसटी/एसटी के लिए आरक्षण को मानकों के अनुसार अर्थात् यथा लागू 22.5 प्रतिशत बनाए रखा जाता है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए राज्य/संघ-शासित क्षेत्र-वार खुदरा बिक्री केन्द्र/ केएसके डीलरशिप एवं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या (किसान सेवा केन्द्रों सहित)			नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप			आरजीजीएलवीएस		
		आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	238	202	144	85	57	42	24	16	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	40	0	6	17	0	0	17	0	0
3.	असम	67	11	32	48	6	6	19	2	1
4.	बिहार	91	63	39	65	15	21	41	19	13
5.	छत्तीसगढ़	54	34	40	30	19	7	15	12	1
6.	दिल्ली	20	4	6	26	0	15	0	0	0
7.	गोवा	0	8	10	1	7	2	0	0	0
8.	गुजरात	115	76	73	66	26	21	9	4	2
9.	हरियाणा	93	83	55	24	12	20	10	2	5
10.	हिमाचल प्रदेश	30	22	6	10	4	1	3	0	0
11.	झारखंड	46	26	23	34	13	7	6	11	7
12.	जम्मू और कश्मीर	7	30	13	6	9	1	2	1	0
13.	कर्नाटक	141	160	74	55	37	28	20	12	8
14.	केरल	98	79	71	55	26	31	4	3	1
15.	मध्य प्रदेश	88	86	107	70	30	24	24	12	11
16.	महाराष्ट्र	157	140	184	64	66	53	22	26	23
17.	मणिपुर	21	0	1	12	0	0	7	0	0
18.	मेघालय	75	10	29	18	0	1	8	0	0
19.	मिज़ोरम	6	3	2	16	0	0	26	0	0
20.	नागालैंड	25	3	6	20	0	0	16	0	1
21.	ओडिशा	90	46	49	20	23	11	16	12	5
22.	पंजाब	163	154	103	57	18	23	10	5	11
23.	राजस्थान	163	140	113	49	35	25	47	25	15
24.	सिक्किम	4	1	2	1	0	0	1	0	0
25.	तमिलनाडु	232	136	112	97	41	52	31	12	4
26.	त्रिपुरा	6	0	1	10	0	0	5	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	332	174	139	151	65	77	108	48	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	उत्तराखंड	13	22	12	10	3	7	1	0	1
29.	पशिमच बंगाल	134	64	70	78	25	17	41	24	12
	संघ राज्यक्षेत्र									
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2.	चंडीगढ़	1	1	1	2	2	0	0	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली	1	2	1	1	1	0	0	0	0
4.	दमन और दीव	2	0	1	0	0	0	0	0	0
5.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	पुदुचेरी	11	7	3	1	2	1	0	0	0
	योग	2566	1787	1528	1201	542	493	533	246	171

*केएसके—किसान सेवा केन्द्र।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्टिविटी

1505. श्री राजेन गोहेन :

श्री कामाख्या प्रसाद तासा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कितने निजी टेलीफोन ऑपरेटर हैं और देश में उनके प्रवेश के वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की तुलना में इन निजी दूरसंचार ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या इन दूरसंचार ऑपरेटरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार को कोई प्रतिबद्धता दी है;

(घ) यदि हां, तो कितने दूरसंचार ऑपरेटरों ने ग्रामीण क्षेत्रों को दूरसंचार सेवाओं से जोड़ने के दायित्व को पूरा किया है; और

(ङ) प्रत्येक निजी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा राज्य-वार कितने ग्रामीण क्षेत्रों/ग्रामों को टेलीफोन सेवा संपर्क प्रदान किया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) अभिगम सेवा के संबंध में मौजूदा निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की हिस्सेदारी का प्रतिशत	निजी दूरसंचार प्रचालकों की हिस्सेदारी का प्रतिशत
शहरी	14.3	85.65
ग्रामीण	9.66	90.34

(ग) से (ङ) दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने संबंधित लाइसेंस करार

में निहित रॉलआऊट दायित्वों के अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं। 2जी सेवाओं के एकीकृत सेवा लाइसेंस में निर्धारित रॉलआऊट दायित्व के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस लागू होने की तारीख से क्रमश: पहले और तीसरे साल के अंदर 10% और 50% जिला मुख्यालयों (डीएचक्यू)/शहरों को कवर करना है। 3जी/बीडब्ल्यूए सेवाओं के रॉलआऊट दायित्व के अुनसार वर्ष 2015 की तीसरी तिमाही तक लाइसेंसधारकों द्वारा ग्रामीण अल्प दूरी प्रभार क्षेत्र के 50% तक को कवर किया जाना है। ऐसे ग्रामीण इलाकों/गांवों जिनको निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, की संख्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पहुंच वाली सेवाओं में मौजूदा निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा

क्र. सं.	निजी दूरसंचार प्रचालक का नाम	लाइसेंस की श्रेणी	प्रवेश का वर्ष	निजी प्रचालकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड	सीएमटीएस	1994	06
2.	भारती एयरटेल लिमिटेड	यूएएसएल	1994	
3.	लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड	सीएमटीएस	1994	
4.	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड	यूएएसएल	1994	
5.	वोडाफोन एस्सार पूर्व लिमिटेड	यूएएसएल	1994	
6.	वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विसेज़ लिमिटेड	यूएएसएल	1994	
7.	भारती हेक्साकॉम लिमिटेड	सीएमटीएस	1995	06
8.	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड	यूएएसएल	1995	
9.	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	यूएएसएल	1995	
10.	वोडाफोन एस्सार सेल्युलर लिमिटेड	यूएएसएल	1995	
11.	वोडाफोन एस्सार डिजिलिंक लिमिटेड	यूएएसएल	1995	
12.	वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड	यूएएसएल	1995	
13.	एचएफसीएल इनफोटेल लिमिटेड	यूएएसएल	1997	04
14.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	यूएएसएल	1997	
15.	टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड	यूएएसएल	1997	
16.	टाटा टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड	यूएएसएल	1997	
17.	श्याम टेलीलिंक्स लिमिटेड (वर्तमान में सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड)	यूएएसएल	1998	02

1	2	3	4	5
18.	एयरसेल लिमिटेड	सीएमटीएस	1998	
19.	वोडाफोन एस्सार साऊथ लिमिटेड	यूएएसएल	2001	01
20.	डिशनेट वायरलैस लिमिटेड	यूएएसएल	2004	01
21.	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड	यूएएसएल	2006	04
22.	एयरसेल लिमिटेड	यूएएसएल	2006	
23.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड	यूएएसएल	2006	
24.	आदित्य बिरला टेलीकॉम लिमिटेड	यूएएसएल	2006	
25.	वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड	यूएल (एएस)	2013	05
26.	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड	यूएल	2013	
27.	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड	यूएल	2013	
28.	रिलायंस जीयो इनफोकॉम लिमिटेड	यूएल	2013	
29.	टेलीविंग्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	यूएल	2013	

सीएमटीएस : सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा।

यूएएसएल : एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस।

यूएल : एकीकृत लाइसेंस।

यूएल (एएस) : अभिगम सेवा प्राधिकार के साथ एकीकृत लाइसेंस।

विवरण-II

ऐसे गांवों की संख्या जिनमें निजी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा टेलीफोनी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है

टीएसपी/ एलएसपी	मैसर्स भारत एयरटेल	मैसर्स टेली सर्विसेज़	मैसर्स वीडियोकॉन	मैसर्स एयरसेल	मैसर्स वोडाफोन	मैसर्स आईडिया लिमिटेड	मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश*	21534	4219	लागू नहीं	707	9219	19022	16212
असम	23377	लागू नहीं	लागू नहीं	15094	12674	6930	लागू नहीं
बिहार*	63553	463	लागू नहीं	7970	31613	32141	30752
दिल्ली	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	14774	1097	927	271	14950	10189	3570
हरियाणा	6916	2564	1808	107	6822	6497	4700
हिमाचल प्रदेश	14776	लागू नहीं	लागू नहीं	5594	6818	7955	12983
जम्मू और कश्मीर	7258	लागू नहीं	लागू नहीं	5975	2971	1250	356
कर्नाटक	26061	6246	लागू नहीं	2188	11960	18446	14202
केरल	3558	473	लागू नहीं	लागू नहीं	1349	1347	1222
कोलकाता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मध्य प्रदेश*	53061	3151	882	लागू नहीं	10204	49041	22607
महाराष्ट्र*	27352	7036	लागू नहीं	2156	28392	24771	12827
मुंबई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पूर्वोत्तर क्षेत्र*	4908	लागू नहीं	लागू नहीं	2749	2261	1597	लागू नहीं
ओडिशा	35669	6078	लागू नहीं	16321	17554	10931	11629
पंजाब	13064	4292	लागू नहीं	398	8436	12319	7823
राजस्थान	26493	3098	लागू नहीं	लागू नहीं	29115	12291	6769
तमिलनाडु	20816	5048	लागू नहीं	14305	14785	3994	10132
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	77413	15297	लागू नहीं	12015	77207	52357	32621
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)*	33583	6503	लागू नहीं	769	34904	35928	15598
पश्चिम बंगाल	38850	1821	लागू नहीं	16129	3518	19693	19635

**टिप्पणी:* (1) बिहार में झारखंड शामिल है।

(2) मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल है।

(3) महाराष्ट्र में गोवा शामिल है।

(4) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है।

(5) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में उत्तराखंड शामिल है।

(6) आंध्र प्रदेश में तेलंगाना शामिल है।

फ्लाइट मोड में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग

1506. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान के सभी चरणों में फ्लाइट मोड में सेलफोन और लैप-टॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के प्रयोग की अनुमति का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीजीसीए ने इस संबंध में अपने विमानन संरक्षा संबंधी नागर विमानन अपेक्षाओं को संशोधित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) से (ग) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2014 को नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के खंड 5, श्रेणी-X भाग-I में संशोधन किया गया है। उपर्युक्त सीएआर के पैरा 3.2 के अनुसार, "यदि विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेषित करने वाले रेडियो सिग्नलों जैसे मोबाइल/सेलुलर फोन, अमेचर रेडिया ट्रांसीवरों आदि को ले जाया जाता है तो इन्हें नॉन-ट्रांसमिटिंग मोड (सामान्य तौर पर फलाइट/एयरप्लेन मोड कहा जाता है) पर रखा जाएगा।"

उड़ान के दौरान सुवाह्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (पीईडी) का प्रयोग निम्न प्रतिबंधों की शर्तों के अध्यधीन हो कि:—

— प्रचालक ट्रांसमिटेड पीईडी प्रतिरोधक होने के रूप में अपने विमान का मूल्यांकन करेगा।

— प्रचालक डीजीसीए को संदेहास्पद पुष्ट पीईडी द्वारा अग्नि उत्पन्न करने वाले कारक से संबंधित पीईडी इवेंट की रिपोर्ट करेगा।

— प्रचालक निम्नलिखित पहलुओं पर कर्मीदल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगा:—

(i) पीईडी, यदि कोई हो, विमान में यात्रा के समय प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं।

(ii) स्थिति, जहां पीईडी को चालू/बंद किया जाता हो, नॉन-ट्रांसमिटिंग मोड में रखा जाए।

(iii) विमान के आरोहण व अवतरण के दौरान पीईडी का स्टोवेज।

(iv) विमान के प्रकार पर लागू।

(v) प्रचालक की पीईडी नीति पर अद्यतन।

(vi) सामान्य, असामान्य और आपातकाल के दौरान पीईडी हस्तक्षेप की हैंडलिंग के लिए क्रिया विधि।

(vii) संदेहास्पद पीईडी हस्तक्षेप को पहचानने, प्रतिक्रिया। और रिपोर्ट करने के लिए क्रियाविधि।

(viii) केबिन कर्मीदल की जवाबदेही और पीईडी के प्रयोग से संबंधित क्रियाविधि।

(ix) कर्मीदल संसाधन प्रबंधन (सीआरएम) और वर्कलोड मामले।

नवी मुंबई विमानपत्तन परियोजना

1507. श्री राहुल रमेश शेवाले :
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पर्यावरणीय स्वीकृति तथा साथ ही इस परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस परियोजना हेतु चयनित अनुदान ग्राही के नाम क्या हैं और उक्त परियोजना पर कब तक कार्य आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में नवी मुंबई एयरपोर्ट में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ख) परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति और तटवर्ती विनियम क्षेत्र संबंधी अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है। 853 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और महाराष्ट्र सरकार ने शेष 292 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है।

(ग) परियोजना अहर्ता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) के चरण में है। परियोजना की पूर्णता संबंधी समय सारणी विभिन्न कारकों पर निर्भर

करती है, जैसे शेष भूमि का अधिग्रहण, बोली को अंतिम रूप दिया जाना, रियायत ग्राही का चयन आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का बंद होना

1508. **श्रीमती पूनमबेन माडम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की कई कंपनियों के बंद होने के संबंध में ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी कंपनियां बंद हुई हैं;

(ग) इन कंपनियों के बंद होने के परिणामस्वरूप अपनी नौकरियां गवाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) उनके हेतु रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान बंद हुई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों का विवरण निम्नानुसार है:—

बंद की गई आईटी कंपनियां*

कलैण्डर वर्ष	संख्या
2011	4,194
2012	1,259
2013	1,125
2014 (30 जून, 2014 तक)	1,569

*(i) आईटी कंपनियां वे हैं जिनके पास (721, 722, 723, 724 तथा 729) में से गतिविधि कोड (एनआईसी-2004) के पहले तीन अंक हैं तथा

(ii) बंदी की गई कंपनियों में परिसमाप्त/समाप्त/प्रचालन बंद कर दिया गया है, एकीकृत/विलय की कई कंपनियों तथा समाप्त की गई और एलएलपी के साथ में परिवर्तित की गई कंपनियां शामिल हैं।

(ग) आईटी कंपनियों के बंद होने के कारण रोजगार समाप्त होने संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) आईटी कंपनियों के बंद होने के कारण जिन आईटी पेशेवरों की नौकरी छूट गई है, उन्हें पुनः रोजगार दिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, भारतीय आईटी-आईटीईएस उद्योग नेट नियोजक रहा है और मौजूदा समय में इसमें लगभग 3.1 मिलियन आईटी-आईटीईएस उद्योग निरंतर बढ़ रहा है और भारतीय आईटी-आईटीईएस उद्योग के संबंध में निर्याज राजस्व अनुमानत: वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 75.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 13.1% की बढ़त के साथ वित्त वर्ष 2013-14 में 86.00 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार, यह उम्मीद की जा रही है कि जैसे-जैसे आईटी-आईटीईएस उद्योग बढ़ेबा, भारत में और विदेशों में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना

1509. **डॉ. वीरेन्द्र कुमार :**
श्री रामा किशोर सिंह :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूदा इस्पात संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कोई सर्वेक्षण, यदि किया गया है तो उसका स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके कब तक राज्य और स्थान-वार प्रचालित होने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (घ) इस्पात नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। सरकार की भूमिका सुविधादाता की होती है। इस प्रकार देश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए इस्पात मंत्रालय से किसी लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। परियोजनागत निवेशों और कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय संबंधित निवेशकर्ताओं द्वारा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में लगभग 3700 इस्पात कारखाने हैं जिनमें से अधिकतर झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में स्थित हैं। देश में निजी क्षेत्र में मौजूदा कुछ प्रमुख इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

संयंत्र	राज्य
टाटा स्टील लिमिटेड	झारखंड
एस्सार स्टील लिमिटेड	गुजरात
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	कर्नाटक और महाराष्ट्र
जिन्दल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
भूषण स्टील लिमिटेड	ओडिशा
भूषण पॉवर एवं स्टील लिमिटेड	ओडिशा
मोन्नेट इस्पात एंड इनर्जी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड	झारखंड
वीआईएसए स्टील लिमिटेड	ओडिशा

देश में स्टील का निर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं अर्थात् अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)। सेल के आठ इस्पात संयंत्र हैं और उनकी स्थापना के स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत् है:—

संयंत्र	राज्य
भिलाई स्टील प्लांट	छत्तीसगढ़
दुर्गापुर स्टील प्लांट	पश्चिम बंगाल
इस्को स्टील प्लांट	पश्चिम बंगाल
अलॉय स्टील प्लांट	पश्चिम बंगाल
राउरकेला स्टील प्लांट	ओडिशा
बोकारो स्टील प्लांट	झारखंड
सेलम स्टील प्लांट	तमिलनाडु
विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	कर्नाटक

आरआईएनएसल विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश में एक स्टील प्लांट का परिचालन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड, नागरनार, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में 3 एमटीपीए ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट का निर्माण कर रहा है।

निजी एयरलाइनों हेतु नीति

1510. डॉ. भोला सिंह :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रचालन कर रही निजी एयरलाइनों सहित एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में प्रचालन करने के लिए निजी एयरलाइनों को अनुमति देने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीजीसीए के पास निजी एयरलाइनों के प्रचालनों की निगरानी करने के लिए दिशा-निर्देशों सहित कोई निगरानी नीति है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कतिपय निजी प्रचालकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके आवेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) वर्तमान में देश में 11 एयरलाइनें प्रचालन कर रही हैं यथा (i) एयर एशिया (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (ii) एयर इंडिया लिमिटेड (iii) एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (iv) एयरलाइन एलाईड सर्विसेज लि. (v) जेट एयरवेज़ (vi) जेट लाइट (इंडिया) लि. (vii) स्पाइस जेट लि. (viii) ब्लू डार्ट एविएशन लि. (कार्गो) (ix) गो एयरलाइंस (इंडिया) प्राइवेट लि. (x) इंटरग्लोब एविएशन प्रा.लि. (xi) एलईपीएल प्रोजेक्ट्स लि.।

(ख) निजी एयरलाइनों को अनुसूचित/क्षेत्रीय अनुसूचित विमान यातायात सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति नागर विमानन अपेक्षाओं तथा विमान प्रचालक प्रमाणीकरण नियम पुस्तिका सीएपी 3100 की अपेक्षाओं के अनुपालन के पश्चात् प्रदान की जाती हैं।

(ग) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नीति निगरानी प्रक्रिया नियम पुस्तिका तथा वार्षिक निगरानी कार्यक्रम में निर्दिष्ट हैं। निगरानी कार्यक्रम में योजनागत जांच शामिल है जो निगरानी एवं नियामक ऑडिट हैं जबकि गैर-योजनागत या औचक जांच स्पॉट एवं रात्री निगरानी जांच हैं। वार्षिक निगरानी योजना में सभी एयरलाइनों के विमान प्रचालन के सभी क्षेत्र शामिल हैं जिसमें इंजीनियरिंग प्रचालन, संरक्षा, ग्राउंड सहायता, हवाईअड्डे, कर्मीदल लाइसेंसिंग आदि आते हैं।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान छह कंपनियों ने अनुसूचित तथा क्षेत्रीय अनुसूचित प्रचालक परमिट के लिए आवेदन किया है यथा (i) मैसर्स क्विट जेट कार्गो एयरलाइंस प्रा.लि. (ii) मैसर्स एयर एशिया (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (iii) मैसर्स लियागर एविएशन लि. (iv) मैसर्स एलईपीएल प्रोजेक्ट्स लि. (एयर कोस्टा) (v) मैसर्स टाटा एसआईए एयरलाइंस लि. और (vi) मैसर्स एयर पेगासस प्रा.लि.। इन छह कंपनियों में से क्रम संख्या (i) से (iv) तक में उल्लिखित चार कंपनियों को अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद पहले ही विमान प्रचालक परमिट दिया जा चुका है।

[अनुवाद]

नए ईपीएफओ कार्यालय खोलना

1511. श्री प्रेम दास राई : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कार्यालय खोलने हेतु विचारार्थ मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सिक्किम सहित देश के विभिन्न भागों में ईपीएफओ कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अनुमोदन से प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जोनल कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाते हैं। उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) तथा सेवा केन्द्रों को खोलने के लिए मानक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा निर्धारित किए गए थे तथा कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की 4.12.1998 को आयोजित 29वीं बैठक में अनुमोदित किए गए थे। एसआरओ तथा सेवा केन्द्रों को खोलने के लिए ये मानक जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत के लिए हैं क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है।

(ख) और (ग) यद्यपि सिक्किम सहित देश के विभिन्न भागों में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय खोलने के लिए सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं, तथापि, 10.01.2014 को आयोजित अपनी बैठक में कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ई-गवर्नेंस मॉडल को अंतिम रूप दिए जाने तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कोई नया कार्यालय नहीं खोला जाएगा।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन में कमी

1512. श्री राजेश रंजन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन में कमी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार कितनी कमी है; और

(घ) देश में रोजगार अवसरों में कमी के मद्देनज़र सरकार द्वारा क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) रोजगार एवं बेरोजगारी एवं विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 2009-10 एवं 2011-12 के एनएसएसओ सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है।

(करोड़ रुपए)

प्रमुख उद्योग के अनुसार कार्यबल	2009-10	2011-12
कृषि एवं संबद्ध	24.74	23.18
उद्योग	9.99	11.50
सेवाएं	11.81	12.73
योग	46.54	47.41

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने विगत 3 वर्षों के दौरान लगभग 54,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान लगाया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अनुमान दर्शाते हैं कि 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या में 1.56 करोड़ व्यक्तियों की गिरावट आई है जबकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 1.51 एवं 0.92 की वृद्धि हुई है।

(घ) सरकार विद्यमान सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए),

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अतिरिक्त श्रम-सघन विनिर्माण का संवर्धन कर रही है तथा पर्यटन एवं कृषि आधारित उद्योगों का संवर्धन करके रोजगार अवसरों में वृद्धि कर रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाणीकरण प्रदान करने की योजना बनाई गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए-एससीपी), बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम निधियों का कम-से-कम 10% तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधियों का 5% कौशल विकास तथा युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने में प्रयोग किया जाए।

[अनुवाद]

दूरसंचार नीति की समीक्षा

1513. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में टेलीफोन घनत्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का दूरसंचार आपरेटरों को बीस वर्ष के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी दूरसंचार नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में स्पैक्ट्रम कीमतों में तेजी से अत्यधिक वृद्धि के मद्देनज़र बीस वर्षों के लाइसेंस की उपयोगिता की जांच हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार) के दौरान देश में सेवा क्षेत्र-वार टेलीफोन घनत्व (प्रतिशत में) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 31.05.2014 तक) के दौरान देश में सेवा क्षेत्र-वार टेलीफोन घनत्व (प्रतिशत में)

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	तक टेलीफोन घनत्व (प्रतिशत में)			
		31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.05.2014
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	80.87	77.19	79.52	79.44
2.	असम	46.61	46.51	48.74	49.33
3.	बिहार (झारखंड सहित)	48.9	45.72	46.10	46.76
4.	गुजरात [(दमन और दीव, सिलवासा, दादरा और नगर हवेली सहित)]	91.13	87.23	90.54	90.32
5.	हरियाणा	89.42	76.44	81.44	80.19
6.	हिमाचल प्रदेश	120.68	105.39	105.59	106.35
7.	जम्मू और कश्मीर	54.82	58.57	66.80	68.70
8.	कर्नाटक	97.22	91.24	92.45	92.19

1	2	3	4	5	6
10.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	106.61	96.09	96.19	94.68
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	53.81	53.55	56.04	55.63
12.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर)	77.19	73.97	77.32	77.15
13.	ओडिशा	65.72	67.78	69.97	70.77
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	65.84	60.21	60.90	61.66
15.	राजस्थान	113.13	103.00	107.22	106.67
16.	तमिलनाडु (पुदुचेरी सहित)	72.96	70.85	75.39	75.94
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	116.61	108.17	111.14	112.09
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड सहित)	60.93	56.83	57.27	58.05
19.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सहित)	61.52	54.18	55.13	56.12
20.	कोलकाता	172.22	145.86	142.67	143.29
21.	दिल्ली	238.59	221.64	226.84	227.59
22.	मुंबई	183.52	152.44	151.9	150.98
	अखिल भारत	78.66	73.32	75.23	75.51

तुरा विमानपत्तन

1514. श्री पूरनो अगितोक संगमा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में तुरा विमानपत्तन चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त विमानपत्तन के कब तक चालू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) तुरा हवाईअड्डा मेघालय सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और यह हवाईअड्डा 20 मीटर (डॉर्नियर-228) प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में तुरा हवाईअड्डे से कोई अनुसूचित प्रचालन नहीं हो रहा है क्योंकि किसी भी अनुसूचित एयरलाइन के पास डॉर्नियर-228 प्रकार का विमान नहीं है।

(ग) हवाईअड्डों का विकास/स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यह कार्य यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक कारकों, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर समय-समय पर किया जाता है। तुरा हवाईअड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार को नि:शुल्क तथा सभी दायित्वों से मुक्त भूमि की आवश्यकता प्रस्तुत की है। राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हवाईअड्डा सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा है। और इस प्रयोजन के लिए एक मसौदा समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया है।

डीजीसीए द्वारा औचक जांच

1515. श्री पी. कुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही

में विभिन्न विमानपत्तनों की औचक जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीजीसीए द्वारा किसी निजी विमान को संचालन से हटाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) अपनी निगरानी गतिविधि के अंतर्गत औचक जांच करता है। औचक जांच में विभिन्न निजी एयरलाइनों की स्पॉट जांच तथा रात्रि निगरानी जांच शामिल हैं। वार्षिक निगरानी कार्यक्रम के अनुसार जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक डीजीसीए द्वारा कुल 55 औचक जांच की जा चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, विशेष मुहिम के तौर पर, डीजीसीए के अधिकारियों द्वारा एयरलाइंस, गैर-अनुसूचित प्रचालकों तथा विदेशी एयरलाइनों के लिए 55 उच्च निगरानी जांच की गई, जो कि औचक जांच भी थी।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में, डीजीसीए द्वारा 14 विमान ग्राउंड किए गए। विमानों को गंभीर प्रकृति की विसंगतियों के कारण ग्राउंड कर दिया गया तथा प्रचालकों को और उड़ान भरने से पूर्व परिणामों को सुधारने (इस प्रकार की जांच के दौरान) की सलाह दी गयी। विमानों को ग्राउंड करने संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्तमान तथा चालू वर्ष 2014 में ग्राउंड किए गए विमान

गैर-अनुसूचित प्रचालक

क्र. सं.	प्रचालक	एयरक्राफ्ट रजिस्ट्री	राज्य की रजिस्ट्री	निरीक्षण की तिथि	स्थान	ग्राउंड किए जाने की तिथि
1.	भूषण एविएशन लिमिटेड	वीटी-बीएसएल	भारत	28 मार्च, 14	मुंबई	18 अप्रैल, 14
2.	पूनावाला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	वीटी-सीएपी	भारत	28 मार्च, 14	मुंबई	18 अप्रैल, 14
3.	बी.जी. श्राइक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	वीटी-वीएपी	भारत	03 अप्रैल, 14	मुंबई	18 अप्रैल, 14
4.	ओरबिट एविएशन	वीटी-पीएसबी	भारत	10 अप्रैल, 14	दिल्ली	11 अप्रैल, 14
5.	बिजनेस जेट इंडिया लिमिटेड	वीटी-बीजेए	भारत	10 अप्रैल, 14	मुंबई	18 अप्रैल, 14
6.	इनविजन एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	वीटी-आईएजे	भारत	13 अप्रैल, 14	दिल्ली	18 अप्रैल, 14
7.	एआर एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड	वीटी-सीएलए	भारत	13 अप्रैल, 14	दिल्ली	22 अप्रैल, 14
8.	स्पेन एयर प्राइवेट लिमिटेड	वीटी-बीकेएल	भारत	13 अप्रैल, 14	दिल्ली	13 अप्रैल, 14
9.	जेस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	वीटी-जेडएसटी	भारत	14 अप्रैल, 14	मुंबई	18 अप्रैल, 14
10.	रेमंड लिमिटेड	वीटी-एनजीएस	भारत	14 अप्रैल, 14	मुंबई	14 अप्रैल, 14
11.	बजाज ऑटो लिमिटेड	वीटी-बीएजे	भारत	26 अप्रैल, 14	दिल्ली	26 अप्रैल, 14
12.	सोभा पूरावंकारा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	वीटी-एसएनपी	भारत	26 अप्रैल, 14	दिल्ली	29 अप्रैल, 14
13.	ईओएन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	वीटी-डीबीए	भारत	30 अप्रैल, 14	मुंबई	16 मई, 14
	निजी प्रचालक					
1.	भारत फोर्ग लिमिटेड	बीटी-एसबीके	भारत	05 अप्रैल, 14	मुंबई	18 अप्रैल, 14

मोबाइल सेवा

1516. श्री एंटो एन्टोनी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मोबाइल सर्विस गेटवे डिलिवरी के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु मोबाइल सेवा नामक योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस प्रयोजनार्थ आबंटित राशि कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) मोबाइल सेवा का उद्देश्य केन्द्र और राज्य सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों को राष्ट्रभर में अपनी सभी मोबाइल सेवा प्रदायगी आवश्यकताओं के लिए एक केन्द्रीयकृत प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। मोबाइल सेवा पहल जुलाई, 2011 में शुरू की गयी। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसा केन्द्रीयकृत प्लेटफार्म अर्थात् मोबाइल सेवा प्रदायगी गेटवे (एमएसडीजी) उपलब्ध करना है जो अपने अलग मोबाइल प्लेटफार्मों के सृजन में अत्यधिक निवेश किए बिना मोबाइल फोनों के जरिए अपनी सेवाएं त्वरित आधार पर प्रदान करने के लिए सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को सुविधा प्रदान करेगा। एक मोबाइल अनुप्रयोग स्टोर (एम-एप्पस्टोर) का सजृन किया गया है और जनवरी, 2012 से इसे चालू कर दिया गया है। आज की तारीख तक 1067 केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों को "पुश एसएमएस" सेवाओं के लिए एकीकृत किया गया है और विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए नागरिकों को 100 करोड़ से अधिक एसएमएस अधिसूचना भेजी गयी हैं। "पुल एसएमएस" के लिए 340 सार्वजनिक सेवाएं शुरू की गयी हैं। साथ ही विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए 304 लाइव मोबाइल एप्प विकसित किए गए हैं और मोबाइल एप्प स्टोर पर उन्हें होस्ट किया गया।

मोबाइल सेवा के लिए प्रदान की गयी निधियों के विवरण निम्नानुसार हैं:—

कुल परिव्यय	21.50 करोड़ रुपए
कार्यान्वयन एजेंसी, प्रगत संगणन विकास केन्द्र, (सी-डैक) को जारी की गयी निधियां	5.25 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

कार्यबल का गठन

1517. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए किसी कार्यबल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए न्यायिक प्रभाव आकलन का ब्यौरा क्या है और कार्यबल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कार्यबल पर हुए अतिरिक्त व्यय का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश पर सरकार द्वारा "न्यायिक समाघात निर्धारण" के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल ने 15 जून, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया था।

कार्यबल ने, अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की थी कि "न्यायिक समाघात निर्धारण" को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर निर्मित किया जाएगा:— (i) कोई विधेयक या विधान, जिसे न्यायिक प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा उससे पड़ने वाले अतिरिक्त मामले का भार का आकलन; और (ii) मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक व्यय का आकलन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और उसके प्रयोजन के लिए बजटीय उपबंध किए जाने चाहिए। अप्रैल, 2013 में नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायधीशों के सम्मेलन के दौरान इस विषय में की गई कार्रवाई रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया था। यह उल्लिखित किया गया था कि न्यायपालिका के कार्यभार पर विधान के समाघात का निर्धारण करने में व्यावहारिक कठिनाइयां जहां तक वे अभिव्यक्त हुई हैं, उन्हें विशेषज्ञ के मतों से प्राप्त किया गया है। लक्ष्य के कार्यान्वयन से पहले उसकी व्यवहार्यता को स्थापित करना होगा। तदनुसार, न्यायिक समाघात निर्धारण की पद्धतियों के कार्यान्वयन योग्यता के मुद्दे का परीक्षण करने के लिए और इस संबंध में और कार्य सुझाने के लिए सितंबर, 2013 में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

उत्खनन लाइसेंस

1518. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खान ब्यूरो महानियंत्रक को देश में उत्खनन लाइसेंस प्रदान करने के प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में अपतटीय क्षेत्रों में अधिसूचित किए गए खान ब्लॉकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन ब्लॉकों के लिए प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितने उत्खनन लाइसेंस जारी किए गए?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 के प्रयोजन के लिए महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो की प्रशासनिक प्राधिकरण के तौर पर नियुक्ति दिनांक 11.02.2010 की अधिसूचित संख्या का.आ. 339(अ) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी।

(ग) कुल 63 खनिज धारी खंडों की गवेषण हेतु लाइसेंस दिए जाने के लिए उपलब्धता को दिनांक 07.06.2010 के का.आ. 1341(अ) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, जिसमें से 37 खंड अरब सागर में 26 खंड बंगाल की खाडी में थे।

(घ) उपर्युक्त अधिसूचना के संबंध में 53 आवेदकों (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है) से कुल 377 आवेदन प्राप्त हुए। दिनांक 05.04.2011 को 62 खंडों हेतु 16 आवदेकों को गवेषण लाइसेंस देने का आदेश जारी किया गया। तथापि, अभी तक इन्हें निष्पादित नहीं किया गया है।

विवरण

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गवेषण लाइसेंस ब्लॉक के लिए प्राप्त आवेदन

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदित ब्लॉक (कुल आवेदनों की संख्या)
1	2	3
1.	अभिजीत आफशोर माइनिंग प्रा.लि. अभिजीत आफशोर माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, 39, अम्बाजरी लेआउट, नागपुर-440027, महाराष्ट्र	4, 11 और 14 (3) (बीबी) 2, 4, 5, 14, 15, 24 और 32 (14) (एएस)
2.	आमोदा लौह तथा स्टील लि. मैसर्स आमोदा लौह तथा स्टील लि. डी-ब्लॉक, 203, आदित्य एलाइट, बीएस माकथा सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082, फैक्स संख्या: 040-23415478	1 से 26 (26) (बीबी) 1, 2, 3 और 21 से 37 (20) (एएस)
3.	आंध्रा एक्सपोलेशन आंध्रा एक्सपोलेशन, 361, शंकर नगर, एलएडी कॉलिज के पीछे, नागपुर-440010	20 और 22 (2) (बीबी)
4.	आंध्रा मिनरल्स विशेषकर हाऊस, एचएसएससी बोर्ड कार्यालय के पीछे, (पॉस्ट बॉक्स 85, जीपीओ.), सिविल लाइन, नागपुर-400001	13 और 24 (2) (बीबी)
5.	अनिक एल्युमिनियम प्रा.लि. 610, तुलसीयानी चैम्बर नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021, फैक्स संख्या 02222042865	11 और 12 (2) (बीबी)

1	2	3
6.	अनिक फैरो एलॉय प्रा.लि. 1, दक्षिण टुकोगंज, उच्च न्यायालय के पीछे, इंदौर-452001, फैक्स संख्या 07131-2513285	11 और 12 (2) (बीबी)
7.	अनिक इंडस्ट्रीज लि. 610, तुसयानी चैम्बर नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	1 से 26 (26) (बीबी) 1 से 37 (37) (एएस)
8.	अनिक प्रीसियस मैटल प्रा.लि. 302, देवकरूपा भवन, रायचूर स्ट्रीट, मुम्बई-400009, फैक्स संख्या 022-23724718	11 और 12 (2) (बीबी)
9.	एपेक्स मैटलॉयस प्रा.लि. 819, नौरंग हाऊस, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	14 से 20 (7) (एएस)
10.	आयस्क पावर कंसलटेंसी सर्विस प्रा.लि. दारोदकर स्कवायर, विमल शोरूम के पीछे, निकट इटवारी, हाईस्कूल, सीए रोड, नागपुर-440002	उल्लिखित नहीं
11.	कोस्टल प्रोजेक्ट लि. प्लॉट संख्या 304-ओ, रोड संख्या 78, फिल्म नगर, जुबली हिल्स हैदराबाद-500033 फैक्स संख्या 04023606074	1 से 26 (26) (बीबी) 1, 2, 3 और 21 से 37 (20) (एएस)
12.	कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लि. पी.बी. संख्या 73, VIII/224, मार्किट रोड, एलवई-683101	4, 10, 12, 13 और 16 से 19 (8) (एएस)
13.	देवगर्द मिनरल्स, के/7, भारत नगर अमरावती रोड, नागपुर-440010	32 और 34 (2) (एएस)
14.	गोपानी आफशोर माइनिंग प्रा.लि. उत्तम हाऊस, कार्यालय संख्या 2, पीडी नेलोर रोड, कारनेक बंडर, मुंबई-400009	1, 11, 13, 16 और 22 (5) (बीबी) 2, 32, 36, 4 से 5 (5) (एएस)
15.	एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) प्रिज्म सीमेंट लि. का प्रभाग विंडशेर सातवां तल, सीएटी रोड, कालीना सांताक्रुज-ई, मुम्बई	1 से 12 से 22 से 24 (15) (बीबी) 1, 2, 3, 5 से 15 और 21 से 37 (31)
16.	हजारीबाग माइनिंग एंड इंजीनियरिंग प्रा.लि. 15-1-634, तृतीय तल, धडुवई, रमन मैनसन, फीलखाना, हैदराबाद	1 से 26 (26) (बीबी)
17.	आईबीसी लिमिटेड वेनगार्ड हाउस, 148, सैकेंड लाइन बीच चेन्नई-600001	6 से 12 और 22 से 26 (12) (बीबी) 1, 2, 4 से 13, 21, 22, 23, 25 और 26 (17) (एएस)
18.	इंडियन गारनेट सेंड कं. (प्रा.) लि. 1-ए, प्रसाद स्ट्रीट, सीतापेथी नगर, वैलाचेरी, चेन्नई-600042	1, 2, 3 और 21 से 37 (20) (एएस)
19.	इंडियन रेयर अर्थ लि., प्लॉट संख्या 1207, वीर सावरकर मार्ग, सिद्धि विनायक मंदिर के पास, प्रभादेवी, मुम्बई-400028	6 (1) (एएस)

1	2	3
20.	जयभारत टैक्सटाईल एवं रियल स्टेट लि. इम्प्रेस सिटी, निकट गांधी सागर लेक, बिजोंजी मेहता रोड, नागपुर-440018	2 और 15 (2) (बीबी)
21.	कन्याकुमारी मिलनल्स, विशेष हाऊस, एचएसएससी बोर्ड कार्यालय के पीछे, (पॉस्ट बॉक्स 86, जीपीओ), सिविल लाइन, नागपुर-400001	1 और 3 (2) (एएस)
22.	कन्याकुमारी माइनिंग, 361, शंकरनगर, एलएडी कॉलेज के पीछे, नागपुर-440010	18 और 19 (2) (एएस)
23.	केरला मिलनल्स, के-7, भारत नगर अमरावती रोड, नागपुर-440010	23 और 26 (2) (बीबी)
24.	केरला एक्सप्लोरेशन, 361, शंकरनगर, एलएडी कॉलेज के पीछे, नागपुर-440010	4 और 7 (2) (एएस)
25.	खुर्दा माइनिंग, 361, शंकरनगर, एलएडी कॉलेज के पीछे, नागपुर-440010	4 और 7 (2) (बीबी)
26.	खनिजा रिफ्रेक्टोरीज, खनिजा इंटरप्राइजिज, जी.राजशेखर, प्रोपराइट, 68, खनिजा रिफ्रेक्टोरीज, खनिजा इंटरप्राइजिज, इंडस्ट्रीयल सबअर्ब, यसवंतपुरा बेंगलूरु-560022	1, 2, 3, 32, 14, 16, 17 और 19 (8) (एएस)
27.	केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लि. प्लॉट संख्या 69, धनु-उद्योग औद्योगिक क्षेत्र, पीपरिया, सिलवासा (यूटी)-396230	3 और 8 (2) (एएस)
28.	मलू इलैक्ट्रोडस प्रा.लि. 111, रामकृष्ण अपार्टमेंट, चपरू नगर, सेंट्रल एवेन्यू रोड, नागरपुर	10, 11, 24 और 26 (4) (बीबी) 7, 10, 12 और 16 (4) (एएस)
29.	मिनेक्स मैटोलॉर्जिकल कं. लि. डी-41/42, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, हिंगना रोड, नागपुर-440028 (एमएस)	11, 22 और 23 (3) (बीबी) 1, 2, 4, 5 और 7 से 20 (18) (एएस)
30.	मॉड्रूल एक्सप्लोरेशन के-7, भारत नगर, अमरावती रोड, नागपुर-440010	9 और 11 (2) (बीबी)
31.	ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एंड मिनरल्स कं. 281, दीपाली पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 फैक्स संख्या: 011 27033824	1 से 9 (9) (बीबी) 1, 2, 3 और 4 से 12 (12) (एएस)
32.	ऑफशोर हैवी मिनरल्स माइनिंग कं. 281, दीपाली पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 फैक्स संख्या: 011 27033824	10 से 16 (7) (बीबी) 13 से 26 (14) (एएस)
33.	ऑफशोर प्लेसर मिनरल माइनिंग कं. 281, दीपाली पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 फैक्स संख्या: 011 27033824	19 से 26 (8) (बीबी) 27 से 37 (11) (एएस)
34.	पीएम जीओ एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. संख्या 129, सातवां मुख्य, पाचवां ब्लॉक जयनगर, बेंगलूरु-560041	1 से 4, 7, 9, 19, 20 और 21 (9) (बीबी)

1	2	3
35.	पीएमबी रेअर मिनरल्स इंडिया प्रा.लि. संख्या 129, सातवां मुख्य, पाचवां ब्लॉक जयनगर, बेंगलूरु-560041	10 से 18 (9) (बीबी)
36.	पी.एम. माइंस एंड मिनरल्स संख्या 129, सातवां मुख्य, पाचवां ब्लॉक जयनगर, बेंगलूरु-560041	4, 6, 7, 8 और 10 (5) (एएस)
37.	राधिका मैटल्स एंड मिनरल्स श्रीरामनगर (पीओ), गरविडी गावं तथा मंडल, जिला विजयनगरम, आंध्र प्रदेश-535101 फैक्स.: 08952-282021	11 से 17 (7) (बीबी)
38.	आरवीजी मिनरल्स एंड मैटल प्रा.लि. 819, नौरंग हाऊस, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	1 से 12 (12) (बीबी)
39.	रेअर (एच) मिनरल्स प्रा.लि. 6/2, कविथा इलम, मुल्लई सलई, अन्नामलाई नगर, तिरुचिरापल्ली-620018	21 से 37 (17) (एएस)
40.	रतनागिनी मिनरल्स 361, शंकरनगर, एलएडी कॉलेज के पीछे, नागपुर-440010	2 और 23 (2) (एएस)
41.	आरवीजी मैटल एंड एलॉयस प्रा.लि. 819, नौरंग हाउस, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	4 से 13 (10) (एएस)
42.	सार्थक इंडस्ट्रीज लि. 10/1, एल्युमीना टावर, साउथ तुकोगंज, इंदौर-452001, फैक्स संख्या 0731-2513285	11 और 12 (2) (बीबी)
43.	सी सोर मिनरल्स, एस.आर. वरदराज, प्रोपराइटर, 24, तीसरा क्रोस, तीसरा ब्लॉक (इस्ट), एलआईसी कालोनी, जयनगर, बेंगलूर-560011	1, 2, 3, 4 से 8, 14, 16, 17, 19 और 32 (13) (एएस)
44.	सेलवेल मिनरल्स प्रा.लि. 25, रेवेरा टाउन, माता मंदिर के पास, भोपाल-432003 फैक्स संख्या 0755-2670555	11 और 12 (2) (बीबी)
45.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि., 11, जादे लेआउट भरतनगर, नागपुर-440033 (महाराष्ट्र) फैक्स संख्या 0712-2560202	1, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 (13) (बीबी) 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 32, 34, 35 और 36 (19) (एएस)
46.	स्टेंडर्डमैटालॉयस प्रा.लि. 819, नौरंग हाउस, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	13 से 26 (14) (बीबी)
47.	तमिलनाडु मिलनरल्स लि., 31, कामराजर सलाई, चैपॉग, चेन्नई-600005	16 से 20 (5) (एएस)

1	2	3
48.	टाई-सलेग (इंडिया) प्रा.लि. इंजीनियरिंग एंड डिजाईन ऑफिस, एस. सं. 1, पेरूमत्तूरनल्लूर विलेज (वाया) गुड्डूवनचेरी-603202	28 से 37 (10) (एएस)
49.	यूए मिनरल्स प्रा.लि. 819, नौरंग हाउस, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	1,2 और 21 से 37 (19) (एएस)
50.	वीवी मिनरल्स किराईकिरनथट्टू, तिसाइयानविलाई-627657, जिला-तिरुनेलवल्ली (तमिलनाडु)	3 और 24 (2) (बीबी) 4, 14, 16 से 19 और 23 (7) (एएस)
51.	वज्र मिनरल एक्सप्लोरेशन 231, दूसरा क्रास, केब लेआउट, गेडडलहल्ली, संजय नगर, बेंगलूरु-560094, कर्नाटक	5, 8, 12, 15, 17 और 25 (6) (बीबी) 5, 8, 11, 13, 19, 20, 21 और 25 से 31 (14) (एएस)
52.	वज्र नेचूरल रिसोर्स (कर्नाटक) 231, दूसरा क्रास, केब लेआउट, गेडडलहल्ली, संजय नगर, बेंगलूरु-560094, कर्नाटक	1, से 4, 6, 7, 9 से 11, 13, 14, 16, 18 से 22 और 24 (18) (बीबी) 1, 2, 3 और 32, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14 से 18, 22, 23, 24, 26 और 33 से 37 (24) (एएस)
53.	वाया अर्थ रिसोर्सेज प्रा.लि. 10/ए, रनवर वैरोनिका स्ट्रीज, बांद्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050	1, 2, 3, 22, 23, 24 और 33 से 37 (11) (एएस)

नोट: एएस: अरब सागर, बीबी: बंगाल की खाड़ी

महिला श्रमिकों की सुरक्षा

1519. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कंपनियों और उद्योगों में विशेषकर यात्री पाली में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए मानदंड तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परिस्थितियों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 में कारखानों में कार्यरत महिला कामगारों की सुरक्षा से संबंधित अनेक उपबंध शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपबंध हैं:-

(i) **धारा 22:-** किसी भी महिला को चालित अवस्था में किसी मशीन को साफ करने अथवा लुब्रीकेट करने अथवा ट्रांसमीशन मशीन के किसी हिस्से का सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) **धारा 27:-** किसी भी महिला को कारखाने के किसी भाग में जिसमें कॉटन ओपनर चल रहे हों, में कॉटन प्रेसिंग हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा।

(iii) **धारा 34:-** किसी भी महिला को कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमों में निर्धारित भार से अधिक भार उठाने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) **धारा 66:-** रात्रि पाली में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध – किसी भी महिला कामगार की कारखाने में कार्य करने के लिए 6.00 बजे पूर्वाह्न से 7.00 बजे अपराह्न के अतिरिक्त आवश्यकता अथवा अनुमति नहीं होगी।

बशर्ते कि राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कारखाने अथवा कारखानों के समूह अथवा श्रेणी अथवा विवरण के संबंध में, किसी महिला कामगार के नियोजन को 5.00 बजे पूर्वाह्न से 10.00 बजे अपराह्न के लिए प्राधिकृत करे।

(v) **धारा 87:-** किसी विनिर्माण प्रक्रिया अथवा कारखाने के संचालन में महिलाओं के नियोजन का निषेध/प्रतिबंध जो इसमें नियोजित किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट, जहरीले पदार्थ अथवा रोगों के गंभीर जोखिम के संपर्क में लाता हो।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों के संबंध में अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले कारखानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करने तथा अभियोजन चलाने हेतु तंत्र विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

1520. श्री गणेश सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में इस्पात उद्योगों में उत्पादकता, कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए अनेक अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ परियोजना-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (ग) इस्पात मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक अनुसंधान एवं विकास स्कीम "लौहा और इस्पात क्षेत्र में आर एंड डी को प्रोत्साहन" आरंभ की है जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा गया है। इस स्कीम के तहत योजना निधि से 89.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 125.20 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय महत्व की अब तक 9 आर एंड डी परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना लागत, क्रियान्वयन एजेंसियों और स्थलों के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, इस्पात मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक नई परियोजना यथा "कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टिड (सीआरजीओ) स्टील शीटों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास" प्रस्तावित की है।

विवरण

योजना निधि के तहत आर एंड डी का ब्यौरा

क्र. सं.	आर एंड डी परियोजना का शीर्षक	आर एंड डी एजेंसी/स्थान	कुल लागत	योजना निधि से वित्तीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	निम्न ग्रेड के लौह अयस्क और चूरे के उचित उपयोग के लिए गहरी बेनिफिसिएशन और एग्लोमिरेशन प्रौद्योगिकियों के जरिए सिंटर उत्पादकता में सुधार करना	नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर, झारखंड	12.56	12.56
2.	भारतीय कच्ची सामग्री यथा निम्न ग्रेड लौह अयस्क और नॉन कोकिन कोल के संदर्भ में लौह/इस्पात निर्माण का वैकल्पिक पूरक रूट।	नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर, झारखंड	8.58	8.58

1	2	3	4	5
3.	नवाचार फ्लेक्सेस और/अथवा डिजाइन (रिफ्रेक्टरी) में परिवर्तन को अपनाते हुए इंडक्शन फर्नेस रूट के जरिए डीआरआई का प्रयोग वाले निम्न फास्फोरस इस्पात का उत्पादन करना।	नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर, झारखंड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैकेण्डरी स्टील टेक्नोलोजी, मंडी गोविंदगढ़, पंजाब	2.37	2.37
4.	एक मुख्य फैरूजिनर कच्ची सामग्री के रूप में डीआरआई का प्रयोग करते हुए इंडक्शन फर्नेस रूट के जरिए निम्न फास्फोरस वाले इस्पात का उत्पादन करना - एक औद्योगिक मूल्यांकन	नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर, झारखंड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैकेण्डरी स्टील टेक्नोलोजी, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब	1.93	1.93
5.	वैकल्पिक रिडक्टेंटस जैसे न्यूनतम अथवा शून्य कार्बन डाइआक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कार्बन मुक्त लोहा उत्पादन ही फ्यूचरिस्टिक प्रौद्योगिकी का विकास - हाइड्रो प्लाज्मा और कार्बन डाइआक्साइड की समाप्ति के द्वारा और अयस्क/चूरे की स्मेल्टिंग में कटौती।	इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटीरियल्स टैक्नोलोजी, भुवनेश्वर, ओडिशा	9.90	9.90
6.	बरसुआ और देश में अन्य खानों से लौह अयस्क स्लाईमस का बेनिफिसिएशन।	रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेन्टर फोर आयरन एंड स्टील, सेल, रांची, झारखंड	27.69	14.08
7.	विभिन्न डिग्री के चूरों के साथ भारतीय गोथिटिक/हेमेटाईटिक अयस्क के लिए पॉयलेट स्केल पैलेटाइजेशन प्रौद्योगिकी का विकास करना।	रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फोर आयरन एंड स्टील, सेल, रांची, झारखंड	41.89	22.06
8.	प्रक्रिया इष्टतमीकरण द्वारा लौह और इस्पात उत्पादन में सीओ2 को कम करना।	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	0.84	0.84
9.	उच्च सल्फर वाले नोर्थ ईस्ट कोल के डीसल्फ्यूराइजेशन सहित उच्च राखांश वाले भारतीय कोल से निम्न राखांश (10 प्रतिशत राखांश) वाले कोल (कोकिंग नॉन कोकिंग) का उत्पादन करना।	इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटीरियल्स टेक्नोलोजी, भुवनेश्वर, ओडिशा	19.44	16.89
10.	कोल्ड रॉल्ड ग्रेन ऑरिएंटेड (कार्गो) स्टील शीटों के लिए प्राद्योगिकी का विकास करना (संयुक्त अनुसंधान परियोजना)	• नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर, झारखंड • टाटा स्टील, जमशेदपुर, झारखंड • राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	500.00*	150.00*

[अनुवाद]

विमान यातायात

1521. श्री तारिक अनवर : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विमान यातायात में दर्ज की गई विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अगले पांच वर्षों में विमान यातायात के विकास के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में विमान यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान संचलन और यात्री यातायात की दृष्टि से विमान यातायात में वृद्धि हुई है। तथापि, इसी अवधि के दौरान मालभाड़े के क्षेत्र में कमी देखी गई है। वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कुल विमान संचलन और यात्री यातायात ने क्रमशः 3.3% तथा 5.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) प्राप्त की है जबकि मालभाड़े में 1% की कमी हुई है। वर्ष 2013-14 (अप्रैल-मई) में यातायात की तुलना में चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-मई, 2014) में विमान संचलनों, यात्री तथा मालभाड़ा यातायात में क्रमशः 5%, 5% तथा 9.9% वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि अगले 05 वर्षों के लिए विमान संचलनों, यात्री तथा माल भाड़ा यातायात की दृष्टि से संयुक्त रूप से सभी भारतीय हवाईअड्डों पर क्रमशः 4.2%, 5.3% तथा 5% की दर से वृद्धि होने की संभावना है। इसका ब्यौरा संलग्ल विवरण-II में उपलब्ध है। विमान परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में विभिन्न हवाईअड्डों पर टर्मिनल भवन, रनवे/टैक्सी बे/पार्किंग स्थल तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का आधुनिकीकरण, स्तरोन्नयन तथा विकास किया है। इसके अतिरिक्त, हवाईअड्डों का विकास/स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यातायात मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक कारकों, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर समय-समय पर किया जाता है।

विवरण-I

सभी भारतीय हवाईअड्डों पर यातायात

वर्ष	विमान संचलन (000 में)			यात्री (मिलियन में)			मालभाड़ा ('000 मी.ट. में)		
	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	कुल	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	कुल	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010-11	300.20	1093.57	1393.76	37.91	105.52	143.43	1496.24	852.66	2348.90
2011-12	309.29	1235.36	1544.65	40.80	121.51	162.30	1467.90	812.09	2279.99
% परिवर्तन	3.0	13.0	10.8	7.6	15.1	13.2	-1.9	-4.8	-2.9
2012-13	313.91	1164.90	1478.81	43.03	116.37	159.40	1406.33	784.22	2190.55
% परिवर्तन	1.5	-5.7	-4.3	5.5	-4.2	-1.8	-4.2	-3.4	-3.9
2013-14	336.0	1200.7	1536.6	46.6	122.3	168.9	1443.0	836.1	2279.1
% परिवर्तन	7.0	3.1	3.9	8.3	5.1	6.0	2.6	6.6	4.0
2010-11 और 2013-14 के बीच कैरेज	**3.8**	**3.2**	**3.3**	**7.1**	**5.0**	**5.6**	**-1.2**	**-0.7**	**-1.0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013-14 (अप्रैल-मई)	54.54	197.92	252.46	7.65	21.38	29.03	240.73	125.45	358.18
2014-15 (अप्रैल-मई)	55.91	209.14	265.05	8.16	22.31	30.47	253.56	148.86	402.42
% परिवर्तन	**2.5**	**5.7**	**5.0**	**6.7**	**4.3**	**5.0**	**5.3**	**18.7**	**9.9**

विवरण-II

यातायात पूर्वानुमान — सभी भारतीय हवाईअड्डे

वर्ष	विमान संचलन (000 में)			यात्री (मिलियन में)			मालभाड़ा ('000 मी.ट. में)		
	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	कुल	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	कुल	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	कुल
2012-13 (मूल वर्ष)	313.91	1164.90	1478.81	43.03	116.37	159.40	1406.33	784.22	2190.55
वृद्धि दर	**5.0%**	**4.0%**	**4.2%**	**6.0%**	**5.0%**	**5.3%**	**5.0%**	**5.0%**	**5.0%**
2013-14	329.60	1211.50	1541.10	45.61	122.19	167.80	1476.65	823.43	2300.08
2014-15	346.08	1259.96	1606.04	48.35	128.30	176.65	1550.48	864.60	2415.08
2015-16	363.39	1310.35	1673.74	51.25	134.71	185.96	1628.00	907.83	2535.84
2016-17	381.56	1362.77	1744.33	54.32	141.45	195.77	1709.40	953.22	2662.63
2017-18	400.64	1417.28	1817.92	57.58	148.52	206.10	1794.87	1000.89	2795.76

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1522. श्री पी.सी. मोहन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सुरक्षा पहलुओं का विचार किया गया है;

(ग) क्या आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियों के संबंध में कतिपय पक्षों विशेषकर गृह मंत्रालय द्वारा आपत्तियां उठायी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के हितों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या सावधानियां अपनाई गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। दूरसंचार क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खनिज खनन संबंधी नीति

1523. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य संचालित कंपनियों को खनिज रियायतों में अपेक्षित वरीयता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय खनिज उत्पादक क्षेत्रों को केवल केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के पक्ष में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा लौह-अयस्क, मैंगनीज-अयस्क और क्रोम-अयस्क ऐसे प्रमुख खनिजों के लिए खानों को सरकारी वितरण मार्ग के अंतर्गत केन्द्र सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित करने, जैसा कि कोयले के मामले में किया जा रहा है, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खानों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों हेतु आरक्षित करने के लिए लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क जैसे प्रमुख खनिजों के लिए कोई सरकारी वितरण मार्ग नहीं है जैसा कि कोयला के मामले में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारी उद्योगों की स्थापना संबंधी नीति

1524. श्री धर्मवीर :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में भारी उद्योग की स्थापना संबंधी नीति में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का भारी उद्योगों की स्थापना के लिए राज्यों को कर-छूट सहित अन्य प्रकार की रियायतों की सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) भारी उद्योग विभाग की भूमिका अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक सीमित है, इसलिए देश में भारी उद्योगों की स्थापना के लिए इस विभाग द्वारा कोई नीति नहीं बनाई गई है। उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए कई राज्यों ने प्रोत्साहनों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। वित्त मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार भी समग्र देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-संरचना में प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है।

[अनुवाद]

ई-मेल नीति

1525. श्री निशिकान्त दुबे : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक मजबूत साइबर सुरक्षा ई-मेल नीति तैयार करने और लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश के ई-मेल प्रयोक्ताओं की संरक्षा के उद्देश्य से एक मजबूत और साइबर सुरक्षा ई-मेल अवसंरचना और नीति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। सरकार ने ई-मेल नीति का मसौदा तैयार किया है और अनुमोदन के लिए इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस नीति का उद्देश्य केंद्र और राज्यों दोनों स्तर पर सभी अधिकारियों के लिए सरकारी ई-मेल सेवाओं हेतु एक ई-मेल आईडी उपलब्ध करा कर सरकारी डेटा को सुरक्षित करना है।

(ग) सभी सरकारी अधिकारियों को सुरक्षित ई-मेल आईडी उपलब्ध कराने के लिए सरकारी ई-मेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु डीईआईटीवाई द्वारा एक परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। ई-मेल नीति के अंतर्गत केवल सरकारी अधिकारियों को ही शामिल किया गया है।

आरएसबीवाई का विस्तार

1526. श्री धर्मवीर : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिक्शा-चालकों, ऑटो और टैक्सी चालकों, 'मनरेगा' मजदूरों, रेलवे कुलियों और पथ-विक्रेताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उक्त योजना में लक्षित लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ बजट आबंटन में पर्याप्त वृद्धि नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त योजना का विस्तार करके उसके अंतर्गत

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निजी व्यय को भी शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उक्त योजना का विस्तार करके इसके तहत और अधिक वर्गों को शामिल करने का विचार है क्योंकि कई आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग बीपीएल की श्रेणी में नहीं आ पाता; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (च) असंगठित क्षेत्र के बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई) को 30,000/- रुपए प्रतिवर्ष की स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेश स्वास्थ्य बीमा छत्र उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अक्तूबर, 2007 को प्रारम्भ की गई थी। यह योजना 01.04.2008 में संचालन में आई। कार्यान्वयन के दौरान, बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त, आरएसबीवाई छत्र को असंगठित कामगारों की विभिन्न अन्य श्रेणियों अर्थात् भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों, लाइसेंस धारक रेलवे पोर्टरों, गलियों मे सामान बेचने वालों, मनरेगा कामगार (जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान 15 दिन से अधिक कार्य किया हो), बीड़ी कामगारों, घरेलू कामगारों, सफाई कामगारों, खान कामगारों, रिक्शा चालकों, कूड़ा बीनने वालों और ऑटो/टैक्सी चालकों तक विस्तारित किया गया है। सरकार का प्रयास चरणबद्ध ढंग से आरएसबीवाई का सभी असंगठित कामगारों के लिए विस्तार तथा इसमें उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना है।

आरएसबीवाई कवरेज में विस्तार के साथ योजना के लिए बजट आबंटन वर्ष-वार बढ़ा है तथा योजना के प्रारंभ से 2014-15 तक बजट आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अंतिम अनुमान
1	2	3	4
2007-08	5.00	5.00	5.00
2008-09	251.00	251.00	251.00
2009-10	350.00	350.00	350.00
2010-11	350.00	548.00	548.00
2011-12	313.42	984.30	984.30
2012-13	1568.56	1177.60	117.60
2013-14	1265	847.00	891.92
2014-15	1429.30	—	—

कारगिल हवाईअड्डे का विस्तार

1527. श्री थुपस्तान छेवांग : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का करगिल हवाईअड्डे का विस्तार करके उसे सभी प्रमुख मालवाहक विमानों के प्रचालन-योग्य बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त हवाईअड्डे का विस्तार कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) से (ग) जी, हां। कारगिल हवाईअड्डा जम्मू और कश्मीर सरकार का है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पट्टे पर दिया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसका प्रचालनिक नियंत्रण तथा अनुरक्षण भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को हस्तांतरित कर दिया है। वर्तमान में, रनवे का आकार 6000 फुट × 100 फुट (1829 मी. × 30 मी.) है और टर्मिनल भवन की क्षमता एक समय पर 100 यात्रियों के प्रबंधन की है। यह हवाईअड्डा सिविल विमान प्रचालनों के लिए समुचित सुविधाओं से सुसज्जित है। तथापि, कोई भी एयरलाइन इस हवाईअड्डे से प्रचालन नहीं कर रही है क्योंकि यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। भारतीय वायु सेना को 3000 फुट तक रनवे विस्तार समेत कारगिल हवाईअड्डे पर विकास कार्य करने का आदेश दिया गया है। हवाईअड्डे की प्रचालनिक नियंत्रण अवधि 20 वर्ष तक और बढ़ाए जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन मांगा गया है ताकि भारतीय वायुसेना इस हवाईअड्डे के विकास कार्य को करने में समर्थ हो सके।

कारखाना मजदूरों का कल्याण

1528. प्रो. सौगत राय : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वजीरपुर, दिल्ली के हॉट-रोलिंग स्टील संयंत्र सहित देश के विभिन्न स्टील संयंत्रों के मजदूरों की शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा कार्ड दिलाने के लिए विद्यमान श्रम नियमों को कड़ाई से लागू करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) देश में इस्पात संयंत्रों सहित विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगारों की शिकायतों का निवारण एक सतत् प्रक्रिया है, जो श्रम विधानों द्वारा स्थापित वृहत औद्योगिक संबंध ढांचे के भीतर की जाती है। जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का संबंध है, उन्होंने सूचित किया है कि वजीरपुर, दिल्ली में कोई हॉट स्टील रोलिंग संयंत्र नहीं है। उन्होंने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न (23) लघु स्टील रोलिंग यूनिटों में कार्यरत कामगारों की कुछ समस्याएं थीं तथा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के हस्तक्षेप से विवाद का समाधान हो गया है तथा हालात सामान्य हो गए हैं। चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध चालान दायर किए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के अधिकारी विभिन्न श्रम विधानों के अंतर्गत निरीक्षण कराते हैं तथा न्यूनतम मजदूरी और सप्ताहांतों संबंधी कानूनों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न श्रम विधानों के प्रवर्तनों को भी मॉनीटर करते हैं।

इसी प्रकार, राज्य सरकार का श्रम विभाग राज्य क्षेत्र के अधीन आने वाले स्थापनों में विभिन्न श्रम विधानों का प्रवर्तन और मॉनीटरिंग करता है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा पहलूओं का प्रवर्तन क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

मणिपुर में हैलिकॉप्टर सेवाएं

1529. डॉ. थोकचोम मेन्या : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में आम जन/पर्यटकों के लिए हैलिकॉप्टर सेवाएं आरंभ किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त हैलिकॉप्टर सेवा कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन हवाईअड्डे

1530. श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) द्वारा विकसित और अनुरक्षित हवाईअड्डों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भा.वि.प्रा. के अधीनस्थ कुछ हवाईअड्डे प्रचालन में नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राजकोट और दिल्ली के बीच सीधी हवाई-सेवा शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा अनुरक्षित हवाईअड्डों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां। इससे संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। हवाईअड्डों का प्रचालनीकरण, विभिन्न कारकों तथा यातायात मार्ग

तथा एयरलाइनों द्वारा इंगित वाणिज्यिक हित, पर्याप्त रनवे लंबाई, हवाईअड्डा के और अधिक विस्तार के लिए भूमि आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराएं। किसी भी अनुसूचित एयरलाइन से एएआई को ऐसा कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें राजकोट तथा दिल्ली के बीच उड़ानें शुरू करने के लिए अपनी रूचि दिखाई हो।

विवरण-I

सिविल एनक्लेव समेत राज्य-वार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हवाईअड्डों के नाम

एएआई हवाईअड्डे

राज्य	क्र.सं.	स्टेशन
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.	कडप्पा
	2.	दोनाकोण्डा
	3.	हैदराबाद (बेगमपेट)
	4.	नादिरगुल
	5.	राजमुंदरी
	6.	तिरुपति
	7.	विजयवाड़ा
	8.	विशााखापतनम (सीई)
	9.	वारंगल
अरुणाचल प्रदेश	10.	डपार्जियो
	11.	पासी घाट
	12.	तेजु
असम	13.	डिब्रूगढ़
	14.	गुवाहाटी
	15.	लीलाबाड़ी
	16.	जोरहाट (सीई)
	17.	रूपसी
	18.	शेल्ला
	19.	सिलचर (सीई)
	20.	तेजपुर (सीई)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21.	पोर्ट ब्लेयर (सीई)
बिहार	22.	गया
	23.	जोगबनी
	24.	मुजफ्फरपुर
	25.	पटना
	26.	रक्सौल
चंडीगढ़ (यूटी)	27.	चंडीगढ़ (सीई)
छत्तीसगढ़	28.	रायपुर
	29.	बिलासपुर
दिल्ली	30.	नई दिल्ली (सफदरजंग)
	31.	इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली
गोवा	32.	गोवा (सीई)
गुजरात	33.	अहमदाबाद
	34.	भावनगर
	35.	भुज (सीई)
	36.	देसा (पालनपुर)
	37.	कांडला
	38.	केशोद

1	2	3
	39.	जामनगर (सीई)
	40.	पोरबंदर
	41.	राजकोट
	42.	सूरत
	43.	वडोदरा
हिमाचल प्रदेश	44.	कांगड़ा (गग्गल)
	45.	भुंतर (कुल्लू)
	46.	शिमला
झारखंड	47.	चकूला
	48.	रांची
	49.	देवघर*
जम्मू और कश्मीर	50.	जम्मू (सीई)
	51.	श्रीनगर (सीई)
	52.	लेह (सीई)
कर्नाटक	53.	बेंगलुरु (सीई)
	54.	बेलगाम
	55.	हुबली
	56.	बेंगलुरु
	57.	मैसूर
केरल	58.	कालीकट
	59.	तिरुवनंतपुरम
लक्षद्वीप	60.	अगाती
आंध्र प्रदेश	61.	भोपाल
	62.	ग्वालियर (सीई)
	63.	जबलपुर
	64.	खजुराहो
	65.	खंडवा
	66.	इंदौर
	67.	पन्ना
	68.	सतना
महाराष्ट्र	69.	अकोला
	70.	औरंगाबाद
	71.	गोंदिया
	72.	जलगांव
	73.	मुंबई (जुहू)
	74.	सीएसआई हवाईअड्डा, मुंबई
	75.	कोल्हापुर
	76.	मिहान, नागपुर
	77.	पुणे (सीई)
	78.	शोलापुर
मणिपुर	79.	इम्फाल
मेघालय	80.	शिलांग (बड़ापानी)
मिज़ोरम	81.	आइजोल (तुरायल)
नागालैंड	82.	दीमापुर
ओडिशा	83.	भुवनेश्वर
	84.	झारसुगुडा
पंजाब	85.	अमृतसर
	86.	भटिंडा (सीई)
	87.	लुधियाना
	88.	पठानकोट (सीई)
पुदुचेरी	89.	पुदुचेरी

1	2	3
राजस्थान	90.	बीकानेर (एनएएल) (सीई)
	91.	जयपुर
	92.	जैसलमेर (सीई)
	93.	जोधपुर (सीई)
	94.	कोटा
	95.	किशनगढ़
	96.	उदयपुर
तमिलनाडु	97.	कोयम्बटूर
	98.	चेन्नै
	99.	मदुरै
	100.	सेलम
	101.	त्रिची
	102.	तूतीकोरिन
	103.	तंजावुर (सीई)
	104.	वेल्लोर
त्रिपुरा	105.	अगरतला
	106.	कैलाशहर
	107.	कमलपुर
	108.	खोवाई
उत्तर प्रदेश	109.	आगरा (सीई)
	110.	इलाहाबाद (सीई)
	111.	गोरखपुर (सीई)
	112.	कानपुर (चकेरी) (सीई)
	113.	कानपुर (सिविल)
	114.	ललितपुर
	115.	लखनऊ
	116.	वाराणसी
उत्तराखंड	117.	देहरादून
	118.	पंतनगर
पश्चिम बंगाल	119.	आसनसोल
	120.	बालुरघाट
	121.	बागडोगरा (सीई)
	122.	बेहला
	123.	कूच-बिहार
	124.	कोलकाता
	125.	मालदा

विवरण-II

गैर-परिचालन विमानपत्तन

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम
1	2
1.	आइजोल (तुरायल)
2.	आसनसोल
3.	बालुरघाट
4.	बिलासपुर
5.	चकुलिया
6.	कूच बिहार
7.	कडप्पा
8.	डपार्जियो
9.	देशा (पालनपुर)
10.	दोनाकोण्डा
11.	झारसुगुडा
12.	जोगबनी

1	2
13.	कैलाशहर
14.	कमालपुर
15.	खंडवा
16.	खोवई
17.	किशनगढ़*
18.	ललितपुर
19.	मालदा
20.	मुजफ्फरपुर
21.	नादिरगुल
22.	पन्ना
23.	पासीघाट
24.	रक्सौल
25.	रूपसी
26.	सतना
27.	शेला
28.	तेजु
29.	वेल्लोर
30.	वारंगल
31.	देवगढ़

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

1531. श्री सी.एस. पुट्टा राजू : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नोटरी पब्लिक की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के निपटान के लिए काफी अधिक समय लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) नोटरी पब्लिक की नियुक्ति से आम आदमी को कहां तक लाभ होगा और इससे विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के भारी बैकलॉग को कम करने में कितनी मदद मिलेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। नोटरी नियम के नियम 6 के अधीन नोटेरियों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की संवीक्षा की जाती हैं। इस क्षेत्र में यहां आवेदक व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है, वहां संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद्, विधिज्ञ संगम या अन्य प्राधिकारी से प्रत्येक आवेदन की बाबत साक्षेप, यदि कोई हां, अभिनिश्चित किए जाते हैं। राज्य विधिज्ञ परिषद् से यह पुष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या उक्त अधिवक्ता आवेदक उनके द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं की नामावली पर अभी भी विद्यमान है और उसके विरुद्ध कोई आचरण संबंधी कार्यवाही लंबित तो नहीं है। प्रत्येक आवेदक से प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा एक अनुप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

नियम 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच, जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक आवेदक के नाम की सिफारिश करते हुए समुचित सरकार को रिपोर्ट करता है, जिनके आवेदन साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए उन्हें अनुज्ञात करने हेतु सभी बाबत पूर्ण पाए जाते हैं। नियत 7 के अधीन प्रत्येक राज्य के लिए साक्षात्कार बोर्ड गठित किए जाते हैं। संबंधित राज्यों के लिए साधारणतया वर्ष में एक बार साक्षात्कार कराए जाते हैं। केंद्रीय सरकार ने मार्च, 2009 से नोटेरी नियम का संशोधन करने के पश्चात् नोटेरियों की नियुक्ति में बेहतर पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ की है। दिल्ली और उत्तराखंड राज्यों में इस वर्ष पहले ही अभ्यर्थियों के साक्षात्कार करा दिए गए हैं।

(घ) मोटेरी उनके समक्ष लाए गए दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता के लिए जिला, तालुक, तहसील और उप-तहसील स्तर पर आम आदमी तक पहुंच योग्य हैं। तथापि, नोटेरी न्यायालय में लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने में शामिल नहीं होते हैं।

ईएसआईसी के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर

1532. श्री रामसिंह राठवा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वस्थ भारत अभियान के लिए विशेषकर

आदिवासी क्षेत्रों, जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्रों, में शिविरों का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित और व्यय की गई; और

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए क्या कार्य-योजना बनाई गई है और ऐसी गतिविधियों में विदेशी भागीदारी, यदि कोई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, हां।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल द्वारा आयोजित किए गए स्वास्थ्य शिविरों संबंधी सूचना इन अस्पतालों द्वारा अनुरक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित रिकार्डों का हिस्सा नहीं है। तथापि, संकलित सूचना के अनुसार, ईएसआईसी द्वारा पिछले वर्ष के दौरान लगभग 655 ऐसे शिविर आयोजित किए गए थे।

(ग) स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। स्वास्थ्य शिविरों संबंधी व्यय संबंधित ईएसआईसी अस्पतालों को आबंटित निधियों को पूरा किया जाता है।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के समान ही 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी स्वस्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं। वर्तमान में, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए किसी विदेशी संगठन के साथ कोई सहयोग नहीं किया गया है।

ईएसआईसी के अंतर्गत परा-चिकित्सा संस्थान

1533. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल सहित देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत नये परा-चिकित्सा संसाधनों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो नये परा-चिकित्सा संस्थानों, विशेषकर केरल में एषुकोन में स्थित संस्थान पर कुल अनुमानित व्यय कितना है; और

(ग) उक्त संस्थान के कब तक चालू होने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने ईएसआईसी परा-चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान केन्द्र, गुलबर्गा (कर्नाटक), पराचिकित्सा संस्थान, एषुकोण (केरल) तथा परा-चिकित्सा, फार्मेसी संस्थान एवं नर्सिंग कॉलेज, पाण्डुनगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) की स्थापना का अनुमोदन किया है।

(ख) ईएसआईसी परा-चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्य निगम केन्द्र, गुलबर्गा के निर्माण का अनुमानित खर्च 363 करोड़ रुपए है। पराचिकित्सा संस्थान, एषुकोण तथा परा-चिकित्सा, फार्मेसी संस्थान एवं नर्सिंग कॉलेज, पाण्डुनगर, कानपुर के निर्माण के अनुमानित खर्च का अंतिम अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) चूंकि, परा-चिकित्सा संस्थान की स्थापना भौतिक ढांचे, उपकरण, संकाय के स्थापन और राज्य परा-चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमति-पत्र जारी करने की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के शर्ताधीन है, इसलिए इन संस्थानों को पूरा किए जाने/कार्यचालन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

विद्युत उपकरण उद्योग

1534. श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उपकरण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां। घरेलू विद्युत उपकरण उद्योग के तीव्र विकास और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री मिशन प्लान 2012-22 तैयार किया है, जिसे 24.07.2013 को आरंभ किया गया था।

(ख) इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिशन प्लान 2012-22 में, कार्यनीतिक और नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए सरकार और उद्योग, दोनों के द्वारा पांच क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं। ये हैं (i) उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता, (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन, (iii) कौशल विकास, (iv) निर्यात और अंतर्निहित मांग का परिवर्तन।

(ग) मिशन प्लान शुरू होने के बाद, 13 सितम्बर, 2013 को भारी उद्योग विभाग ने प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत संस्तुत विभिन्न उपायों से डील करने के लिए एक ठोस और आम दृष्टिकोण तैयार करने हेतु दो अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) गठित किए हैं। आईएमजी के सदस्यों में सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों, उद्योग के प्रतिनिधि और आईईईएमए शामिल होते हैं।

आईएमजी की दो बैठकें 28 अक्तूबर, 2013 और 22 अप्रैल, 2014 को हो चुकी हैं। इनमें अन्य मुद्दों के अलावा, आईएमजी ने आयातित उपकरणों के विषय में घरेलू विनिर्माणकर्ताओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के तरीके ढूंढें, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण, परीक्षण सुविधाओं के स्तरोन्नयन, उत्पाद रेटिंग्स और विनिर्देशों, न्यायोचित संविदा शर्तों, निर्यात की लेन-देन लागतों में कटौती, उद्योग पहलों, निर्यात संबंधी तकनीकी अवरोधों के निवारण, किए जाने वाले अध्ययनों, विद्युत उपकरण उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास पर विशेषज्ञ समिति, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों, कौशल विकास, विद्यार्थियों को नवाचार के प्रति प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया।

एलपीजी/केरोसिन हेतु नकद अंतरण योजना

1535. श्री भीमराव बी. पाटील :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री सुनील कुमार सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकद अंतरण योजना में निर्धारित विद्यमान तंत्र/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एलपीजी और केरोसिन के संबंध में सब्सिडी की राशि अंतरण सीधे रसोई गैस/केरोसिन उपभोक्ता के बैंक खातों में करने की योजना बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो नवनिर्मित तेलंगाना राज्य सहित उक्त योजना का कार्यान्वयन कर चुके राज्यों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इस संबंध में योजना आयोग की क्या राय है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इससे कितने प्रतिशत एलपीजी/केरोसिन उपभोक्ताओं के लाभान्वित होने की संभावना है और उनके खाते में जाकर प्रयुक्त होने वाली/जमा की जाने वाली धनराशि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को उपभोक्ताओं से इनके बैंक-खातों में सब्सिडी की कम धनराशि प्राप्त होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) भारत सरकार ने 9.6 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को कवर करते हुए, आधार की अधिक कवरेज वाले देश के 291 जिलों में एलपीजी के लिए सीधा लाभ अंतरण (डीबीटीएल) योजना शुरू की थी। इन जिलों में, सभी घरेलू एलपीजी सिलिंडर (राजसहायता प्राप्त तथा गैर-राजसहायता प्राप्त) ऐसे घरेलू एलपीजी उपभोक्तओं को बाजार मूल्य पर दिए जाते थे, जिन्होंने अपनी आधार संख्या को अपनी एलपीजी उपभोक्ता संख्या और अपने बैंक खाते से जोड़ दिया था। राजसहायता प्रापत सिलिंडरों को प्राप्त करने की उपभोक्ताओं की हकदारी के अनुसार, गैर-राजसहायता प्राप्त और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडर के मूल्य (वैट को छोड़कर) के बीच के अंतर की राशि उपभोक्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में अपने आप अंतरित हो जाती थी।

अभी तक (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) 2.8 करोड़ घरेलू एलपीजी परिवारों को 1469.34 करोड़ रुपए तक की स्थायी अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई थी और रीफिलों पर 3867.79 करोड़ रुपए राशि की राजसहायता अंतरित की गई थी।

वर्तमान में, आगामी आदेशों तक सभी 291 डीबीटीएल जिलों में डीबीटीएल योजना को स्थगित कर दिया गया है तथा ऐसे प्रत्येक सिलिंडर के लिए लागू राजसहायता प्राप्त मूल्य के भुगतान पर सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को राजसहायता प्राप्त सिलिंडर उपलब्ध कराने की प्रणाली उपरोक्त सभी डीबीटीएल जिलों में पुनः शुरू की गई है।

सरकार ने डीबीटीएल योजना की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए आईआईटी कानपुर के पूर्व निदेशक, प्रो. एस.जी. ढांडे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए पेश किया गया है।

जहां तक मिट्टी तेल का संबंध है, पीडीएस मिट्टी तेल पर नगद राजसहायता के सीधे अंतरण के मुद्दे पर अध्यक्ष, यूआईडीएआई की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित कार्य बल की अंतरिम सिफारिशों के बाद

तथा उन पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का (दिनांक 08 अगस्त, 2011) "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन मिलने के बाद डीटीसीके की शुरूआत की गई थी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से दिसम्बर, 2011 में ब्लॉक कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान) में पीडीएस मिट्टी तेल पर नगद राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। इस प्रायोगिक परियोजना के दौरान, पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के बैंक खाते में राजसहायता का अंतरण कर दिया जाता था और पीडीएस लाभार्थियों सहित पीडीएस मिट्टी तेल को आपूर्ति के सभी स्थलों पर पूरे बाजार मूल्य पर बेचा जाता था। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, मिट्टी तेल की मांग में करीब 67% की कमी आई।

डीटीसीके 2012 के तहत, 31.03.2012 से पूर्व योजना में शामिल होने वाले राज्यों में से प्रत्येक राज्य को 100 करोड़ रुपए की एक बारगी एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई गई थी। 11 राज्यों/यूटीज (राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, केरल, गोवा तथा आंध्र प्रदेश) ने एक निर्धारित अवधि के अंदर योजना में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। इन 11 राज्यों में से केवल तीन राज्यों अर्थात् राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गोवा ने निम्नलिखित जिले में डीटीसीके के क्रियान्वयन की पुष्टि की है:—

राज्य	जिले
राजस्थान	अलवर, अजमेर, उदयपुर
महाराष्ट्र	नांदूरबार, वर्धा, अमरावती
गोवा	उत्तरी गोवा

वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा प्रत्येक राज्य के पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद रूप में राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए संस्थागत प्रक्रिया की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ङ) और (च) एलपीजी और आधार सीडिंग में नगद अंतरण से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जब कभी समस्याओं के बारे में बताया गया था, प्रक्रिया में सुधारों के बारे में बैंकों, एनपीसीआई ओर यूआईडीएआई जैसे विभिन्न पणधारकों के साथ चर्चा की गई और आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

शिकायतों के निवारण के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ओएमसी पोर्टलों/कॉल सेंटरों पर सीडिंग डेटा की प्राप्ति और राजसहायता अंतरण के ब्यौरों की सूचना देने का प्रावधान तथा कॉल सेंटरों के जरिए शिकायतों का निवारण आदि शामिल है।

[हिन्दी]

झारखंड में खान दुर्घटनाएं

1536. श्री विद्युत वरण महतो : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड में विभिन्न खानों में हुई दुर्घटनाओं का कंपनी-वार और खान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए कामगारों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकरा ने ऐसी दुर्घटनाओं की कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) मृत/घायल कामगारों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, झारखंड में विभिन्न खानों में घटित दुर्घटनाओं के कंपनी-वार और खान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I (कोयला खानों में घातक दुर्घटनाएं), विवरण-II (गैर-कोयला खानों में घातक दुर्घटनाएं), विवरण-III (कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाएं) विवरण-IV (गैर-कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाएं) में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां, ऐसी प्रत्येक घातक दुर्घटना की जांच की गई थी। ऐसी दुर्घटना होने के कारण और परिस्थितियों का पता लगाया गया था तथा इन दुर्घटनाओं का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I (कोयला खानों में घातक दुर्घटनाएं), विवरण-II (गैर-कोयला खानों में घातक दुर्घटनाएं) में दिए गए हैं।

(घ) दुर्घटनाओं में मृतक/घायल के परिवारों को क्षतिपूर्ति सहित राहत खनन कंपनियों द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 2010 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत दी जाती है।

विवरण-I

2011-2014 के दौरान झारखंड में कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं का ब्यौरा

वर्ष	मालिक	खान का नाम	दुर्घटना की तारीख	मारे गए	गंभीर रूप से घायल	संक्षिप्त कारण	उत्तरदायी घोषित किए गए व्यक्ति	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	बीसीसीएल	ब्लॉक-IV/ कुरीदीह	24-अप्रैल-11	1	0	अन्य हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी	मुकेश खेड़वाड़, ओवरमैन	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							सीताराम हेम्ब्रम, डोजर ऑपरेटर	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2011	बीसीसीएल	दहीबड़ी	25-मार्च-11	1	0	डम्पर्स	चन्द्रमा अहीर, डोजर ऑपरेटर	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
							प्रेम एस. चामड़, डम्पर ऑपरेटर	स्थगन
2011	बीसीसीएल	धनसार	11-मई-11	1	0	रोलिंग वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिराना	धर्मराज पी.डी. सिंह, फिटर	प्रबंधन द्वारा स्थानांतरित किया गया
							मौ. रफी आलम, इंजीनियर	डी.जी.एम.एस. द्वारा चेतावनी दी गई
							मौ. फैयाज खान, इलैक्ट्रीशियन	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2011	बीसीसीएल	उत्तरी तिसरा	15-अक्तूबर-11	1	0	रोप हौलेज	मकबूल मियां, ट्रैमर	स्थगन
							राम बरान चौहान, फोरमैन	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
							डी.के. द्विवेदी, इंजीनियर	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
2011	बीसीसीएल	पठारदीह	24-जुलाई-11	2	1	छत गिरना	अरविंद कुमार सिन्हा, प्रबंधक	अभियोजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							नारायण प्रसाद, सुरक्षा अधिकारी	अभियोजन
							विकास कुमार सिन्हा, सहायक प्रबंधक	अभियोजन
							मनोज कुमार शाह, ओवरमैन	अभियोजन
							संजय कुमार मेहतो, खनन सिरदार	अभियोजन
2011	सीसीएल	अशोक ओपन कास्ट परियोजना	17-जनवरी-11	1	0	डम्पर्स	रामनाथ मेहतो, ऑटो इलैक्ट्रीशियन	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई
							माधव ठाकुर, मैकेनिकल फोरमैन	वेतनवृद्धि रोकी गई
							ए.के. श्रीवास्तव, परियोजना इंजीनियर	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
2011	सीसीएल	गिडी ए	24-फरवरी-11	1	0	कन्वेयर्स	राम नरेश दास, फोरमैन	अभियोजन
							सुनील कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक	अभियोजन
							रामजी मेहतो, परियोजना इंजीनियर	अभियोजन
2011	सीसीएल	गोविंदपुर परियोजना	16-जनवरी-11	1	0	पानी में डूबना	पी.डी. तिग्गा, ओवरमैन	स्थगन
2011	सीसीएल	कठारा	21-अप्रैल-11	1	0	ट्रेनिंग केबलों से इतर पावर केबल	सराफात हुसैन, इलैक्ट्रिक सप्लायर	वेतनवृद्धि रोकी गई

2011	सीसीएल	पुन्डी परियोजना (ओसी)	10-दिसम्बर-11	1	0	डम्पर्स	विपदा	
2011	सीसीएल	चयनित ढ़ोरी क्वैरी संख्या 1 (कल्याणी परियोजना)	20-फरवरी-11	1	0	रोलिंग वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	चरण सिंह, महाप्रबंधक	डीजीएमएस द्वारा चेतावनी दी गई
							वीरू मेहतो, डोजर ऑपरेटर	स्थगन
							गोविंद प्रसाद, ओवरमैन	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							मनोरंजन झा, फोरमैन	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							सुमन कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							वी.के. सिन्हा, कोलियरी प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							एस.के. सिंह, प्रबंधक	डी.जी.एम.एस. द्वारा चेतावनी दी गई
							आर.के. बुबना, एजेंट	डी.जी.एम.एस. द्वारा चेतावनी दी गई
2011	ईसीएल	कुमारधुबी	26-फरवरी-11	1	1	छत गिरना	कमलेश कुमार, खनन सिरदार	स्थगन
							संजय कुमार गोपी, ओवरमैन	स्थगन
							सदानंद टोपो, एसीएम	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
2011	आईआईएससीओ	चसनल्ला	09-मार्च-11	1	1	भूस्खलन	विनोद रजक, प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							निशिकांत, सहायक प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							बादल मंडल, सहायक प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							दीपक कुमार, सुरक्षा अधिकारी	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							रामेश्वर प्रसाद, ओवरमैन	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							प्रकाश सिंह, खनन सिरदार	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी ग
2011	टीआईएससीओ	भेलटंड एमलगेमेटिड	16-मार्च-11	1	0	ट्रेलिंग केबलों से इतर पावर केबल	आरूप कुमार राय, इलैक्ट्रीशियन	स्थगन
2011	टीआईएससीओ	पश्चिम बोकारो ओ/सी (क्वैरी क और ख)	09-नवम्बर-11	1	0	लोडिंग मशीन	प्रसन्न सिंह यादव, वरिष्ठ मैकेनिक	सेवा से हटाया गया
							रमेश प्रसाद, वरिष्ठ मैकेनिक	स्थगन
							अवधेश कुमार पाल, इंजीनियर	स्थगन
2011	टीआईएससीओ	पश्चिम बोकारो ओ/सी (क्वैरी एसई)	21-अक्तूबर-11	1	0	डम्पर्स	सुबोध कुमार, टिपर चालक	सेवा से हटाया गया
							अजहर हुसैन, कॉन्ट., पर्यवेक्षक	सेवा से हटाया गया
							केन्हैया प्रसाद, खनन सिरदार	सेवा से हटाया गया
							अरूण सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक	वेतनवृद्धि रोकी गई
							अरविंद सिंह, एजेंट	वेतनवृद्धि रोकी गई
2012	बीसीसीएल	एमलगेमेटिड केशलपुर-पश्चिम मुदीदीह	28-जनवरी-12	1	0	डम्पर्स	शिव पण्डित बेलदार, डोजर ऑपरेटर	स्थगन
							हरेकिशन रबानी, स्पोटर	स्थगन
							मंगरू राजक, डोजर ऑपरेटरह	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई

							मौ. मस्तान काजी, डम्पर ऑपरेटर	सेवा से हटाया गया
2012	बीसीसीएल	बागडिगी	24-मई-12	1	0	व्यक्ति का ऊंचाई से/गहराई में गिरना	राधे श्याम पासवान, पम्प ऑपरेटर	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई
							मुन्ना माली, वाइंडिंग इंजी. ऑपरेटर	स्थगन
							देवनंदन राय, मैकेनिकल फोरमैन	स्थगन
							रमेश पण्डित, कोलियरी इंजीनियर	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
2012	बीसीसीएल	बास्टाकोला	27-सितम्बर-12	1	0	रोप हौलेज	अनुप कुमार मजूमदार, अवर प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
							मिथिलेश कुमार, प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
							एन. आलम, एजेंट	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
2012	बीसीसीएल	दामोदा	29-जून-12	1	0	व्यक्ति का ऊंचाई से/गहराई में गिरना	गणेश पंडित सिंह, लोडिंग मुंशी	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई
2012	बीसीसीएल	जमुनिया ओसीपी	15-मई-12	1	0	पहियेदार ट्रेकलेस (ट्रक, टैंकर आदि)	पप्पू प्रजापति, पर्यवेक्षक	सेवा से हटाया गया
							उमेश उपाध्याय, स्थल प्रभारी	डी.जी.एम.एस. द्वारा चेतावनी दी गई
							मौ. सेराजुद्दीन, प्रबंधक	डी.जी.एम.एस. द्वारा चेतावनी दी गई
							अरुण अग्रवाल, स्वामी	डी.जी.एम.एस. द्वारा चेतावनी दी गई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							शिवराम, एजेंट	प्रमाण-पत्र पर रोक
							एस. चैटर्जी, एजेंट	प्रमाण-पत्र पर रोक
							ए.के. सरकार, नामित स्वामी	डी.जी.एम.एस. द्वारा चेतावनी दी गई
							आलोक कुमार राय, एजेंट	डी.जी.एम.एस. द्वारा चेतावनी दी गई
2012	बीसीसीएल	जीनागोड़ा	25-मार्च-12	1	0	डम्पर्स	सुबोध कुमार सिंह, इलैक्ट्रीशियन	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई
							लक्ष्मण यादव, डम्पर ऑपरेट	सावधान किया गया
							जी.के. मेहता, प्रबंधक	सावधान किया गया
2012	बीसीसीएल	जीनागोड़ा	01-मई-12	1	0	धूल/गैस/आग के कारण अन्य दुर्घटनाएं	अमरकांत सिंह, इंजीनियर	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
							जवाहरलाल, फोरमैन	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
2012	बीसीसीएल	कुजमा	02-फरवरी-12	1	0	डम्पर्स	उत्पल कुमार मांझी, प्रबंधक	सावधान किया गया
							गंगाधर मेहतो, एजेन्ट	सावधान किया गया
							आर.एन. मिश्रा, तकनीकी सलाहकार	सावधान किया गया
2012	बीसीसीएल	मुदिदीह	17-जून-12	1	0	डम्पर्स	आई.के. झा, प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							गुरु चरण मेहतो, ठेका कामगार	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई

2012	बीसीसीएल	सिमलाबहल	11-फरवरी-12	1	0	व्यक्ति का ऊंचाई से/ गहराई में गिरना	दूधनाथ पासवान, बैंक्समैन	अभियोजन
							जेएनपी कुंवर, कोलियरी इंजीनियरी	अभियोजन
							एन.बी.एम. चैटर्जी, प्रबंधक	स्थगन
2012	बीसीसीएल	तेतुलमाड़ी	18-अगस्त-12	1	0	रोलिंग वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	मुंद्रिका प्रसाद, सिरदार	स्थगन
							एस.के. दास, सहायक प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनवी दी गई
							दिलीप कुमार, सुरक्षा अधिकारी	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							आर.के. सेठ, प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							धर्मेन्द्र मित्तल, एजेंट	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
2012	सीसीएल	ढ़ोरी	30-जुलाई-12	1	0	साइडों का गिरना (औवरहैंग्स के अलावा)	मोहन कुमार मिश्रा, शोवल ऑपरेटर	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई
							सशांक शेखर, ओवरमैन	सावधान किया गया
							टी.के. सरकार, सहायक प्रबंधक	सावधान किया गया
							पी.के. नंदी, प्रबंधक	सावधान किया गया
							टी.एन. शाह, एजेंट	सावधान किया गया
2012	सीसीएल	ढ़ोरी खास	28-अगस्त-12	2	0	पानी में डूबना	पी.के. सिंह, सहायक प्रबंधक	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई
							एन.के. मिश्रा, प्रबंधक	सावधान किया गया
							डी.के. प्रधान, एजेंट	सावधान किया गया

1 2	3	4	5	6	7	8	9	
2012	सीसीएल	के.डी. हेसलोंग परियोजना	01-मई-12	1	0	डम्पर्स	महेन्द्र सॉ, टिपर ऑपरेटर	अभियोजन
							मनीष मोहन, सहायक प्रबंधक	अभियोजन
							जे.के. सिंह, प्रबंधक	अभियोजन
2012	सीसीएल	कठारा	13-जनवरी-12	1	0	अन्य हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी	केशो प्रसाद, ई.पी. हैल्पर	स्थगन
2012	सीसीएल	पीपरवाड़ा परियोजना	10-सितम्बर-12	1	0	डम्पर्स	गुलाम अंसारी, टिपर चालक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
							देव चंद मेहतो, मुंशी	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई
							सरोज कुमार प्रधान, ओवरमैन	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
							अपरेश दास गुप्ता, स्थल अधिकारी	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
							मौ. शमीम, अवर प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
							काजल पाल, सहायक प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
							सुनील प्रसाद, प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है
2012	ईसीएल	चित्रा-ख	10-जून-12	1	0	डम्पर्स	भगन दास, डोजर ऑपरेटर	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2012	ईसीएल	राजमहल ओसीपी	05-फरवरी-12	1	0	डम्पर्स	बसित महतो, डम्पर ऑपरेटर	निलंबन
							समसुद्दीन अंसारी, डम्पर ऑपरेटर	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2012	ईएलसीएएलटीडी	पर्बतपुर कोलियरी	31-अक्तूबर-12	1	1	मिसफायर/ सॉकेट (खुदाई करते वक्त)	अशोक कुमार मुखर्जी, खान सिरदर	निलंबन
							सदा शिव, खान सिरदर	निलंबन
							प्रमोद कुमार, प्रबंधक	वेतन वृद्धि रोकी गई
2012	ईएलसीएएलटीडी	पर्बतपुर कोलियरी	28-जनवरी-12	1	0	व्हील्ड ट्रेक्लेस (ट्रक, टेंकर आदि)	बिकाश कुमार प्रसाद, फोरमैन	निलंबन
							टी. पुष्पनंद कुमार, प्रभारी	निलंबन
							ए.के. सिंह, कोलियरी अभियांता	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							परमानंद एस. चंदेल, प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							शक्तिपदा भट्टा राय, मुंशी	मृतक उत्तरदायी था, कोई कार्रवाई नहीं की गई।
							प्रवीन कुमार सिंह, चालक	खान कर्मचारी नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं की गई
2012	ईस्को	चासनाला	09-अक्तूबर-12	1	0	व्यक्ति का ऊंच्चाई से/ गहराई में गिरना	गोपाल राजवर, बाहरी व्यक्ति	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई
2013	बीसीसीएल	अकाशकिनारी	22-जून-13	1	0	छत का गिरना	नागेन्द्र कुमार सिंह, खान सिरदर	अभियोजन
							किशोर परिदा, ऑवरमैन	अभियोजन
							उमेश कुमार, सहायक प्रबंधक	अभियोजन
							डी.के. सिंह, प्रबंधक	अभियोजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	बीसीसीएल	अमलगमेटेड अंगप्रथा रामकनाली	30-अगस्त-13	1	0	व्यक्ति का उच्चाई से/ गहराई में गिरना	सरजुन मिस्त्री	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई
2013	बीसीसीएल	बसंतीमाता	11-नवम्बर-13	4	2	छत का गिरना	चंचल कुमार सेन, अवर प्रबंधक	अभियोजन
							आर.के. सिंह, सुरक्षा अधिकारी	अभियोजन
							पन्नालाल दास, प्रबंधक	अभियोजन
							ए.के. सिंह, उप खान अभियांता/प्रो. अधिकारी	अभियोजन
							असिस कुमार सेन, सीएमई/एजीएम और अभिकर्त्ता	अभियोजन
							तारासिस मंडल, सीएमई/ जीएम और अभिकर्त्ता	अभियोजन
2013	बीसीसीएल	बसंतीमाता	02-अप्रैल-13	1	0	ड्रिलिंग मशीन	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2013	बीसीसीएल	भौरा (उत्तर)	26-दिसम्बर-13	1	0	अवर्गीकृत	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2013	बीसीसीएल	धनसार	08-मई-13	1	0	डम्पर्स	भीम सिंह, चालक	सेवा से हटाए गए
							पीके सिंह, सहायक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							क्यूआई खान, प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							डीके मिश्रा, अभिकर्त्ता	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई

							गुरूपाल सिंह	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
2013	बीसीसीएल	गजलीटांड	08-अप्रैल-13	1	0	डम्पर्स	दीप प्रकाश शर्मा, डम्पर ऑपरेटर	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2013	बीसीसीएल	जमुनियाओसीपी	10-दिसम्बर-13	1	0	व्यक्ति का ऊंचाई से/ गहराई में गिरना	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षत है	
2013	बीसीसीएल	मुराइडिह	06-फरवरी-13	1	0	डम्पर्स	कैलाश महतो, टिप्पर ऑपरेटर	सेवा से हटाए गए
							असीम कुमार बग, प्रबंधक	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
							एस.के. सिरिंगी, अभिकर्त्ता	चेतावनी दी गई
							पी.एस. मिश्रा, अभिकर्त्ता/ जीएम	चेतावनी दी गई
							अशोक सरकार, नामित मालिक	चेतावनी दी गई
							संजय खेमका, मालिक (ठेका)	चेतावनी दी गई
2013	सीसीएल	गजलीटांड	04-नवम्बर-13	1	0	अन्य भारी अर्थ मुविंग मशीनरी	अनिल इक्का, फोरमैन मेकेनिकल	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
							आर.एन. राम, इंजीनियर	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
2013	सीसीएल	अशोक खुली खदान परियोजना	05-मई-13	1	0	गिरने की वजह से अन्य दुर्घटनाएं	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2013	सीसीएल	गोविंदपुर परियोजना	13-फरवरी-13	1	0	अवर्गीकृत	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	सीसीएल	के.डी. हेसलोंग परियोजना	23-दिसम्बर-13	1	0	डम्पर्स	तपेश्वर महतो, डम्पर ऑपरेटर	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2013	सीसीएल	कबरीबाद रिअर्गनाइज्ड	15-अप्रैल-13	1	0	डम्पर्स	मधुसूदन राम वर्मा, डम्पर ऑपरेटर	निलंबन
2013	सीसीएल	परेज इस्ट ओसीपी	05-जुलाई-13	1	0	अन्य वैद्युत दुर्घटनाएं	प्रवीन कुमार, फोरमैन प्रभारी	अभियोजन
							आर.के. लाल, कोलियरी इंजीनियर	अभियोजन
2013	सीसीएल	परेज इस्ट ओसीपी	17-अक्तूबर-13	1	0	अन्य वैद्युत दुर्घटनाएं	सुरेन्द्र महतो, वैद्युत पर्यवेक्षक	अभियोजन
							गुरदीप सिंह, इंजीनियर	अभियोजन
							आरके लाल, कोलियरी प्रबंधक	अभियोजन
2013	सीसीएल	पुंदी परियोजना (ओसी)	09-फरवरी-13	1	0	अन्य वैद्युत दुर्घटनाएं	बदरूद्दीन मियां, सबस्टेशन अटें.	वेतन वृद्धि रोकी गई
							मंगरू अरांव, इलेक्ट्रिकशियन	निलंबन
2013	सीसीएल	रजरप्पा परियोजना	07-अक्तूबर-13	1	0	डम्पर्स	उपन्द्र महतो, ट्रिपमैन	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
							विशुनधारी महतो, डम्पर ऑपरेटर	अभियोजन
							हरमन डुंगडुंग, फोरमैन	अभियोजन
							जे.एन. पाण्डे, परियोजना इंजीनियर	अभियोजन

2013	सीसीएल	सेलेक्टेड धारी क्वारी नं. 1 (कल्याणी परियोजना)	25-जनवरी-13	1	0	किनारों का गिरना (ओवरहेंग्स के अलावा)	मुन्नी मिस्त्री, फोरमैन (एक्सकेव)	निलंबन
							अजीत कुमार सिंह, ऑवरमैन	निलंबन
2013	सीसीएल	सेलेक्टेड धारी क्वारी नं. 3/टर्मी	07-मई-13	1	0	व्हील्ड ट्रेकलेस (ट्रक, टेंकर आदि)	मुबार मैन, ट्रक चालक	चूंकि लापाता है, कार्रवाई नहीं की गई
2013	ईएलसीएएलटीडी	पर्बतपुर कोलियरी	20-मई-13	1	0	स्वीच गियर, गेट इन्ड बॉक्से, पोमेल आदि	भीम बौरी, ठेका कामगार	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2013	ईस्को	चासनाला	13-मार्च-13	1	0	छत का गिरना	जितेन्द्र पांडे, खान सिरदर	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
							शैलेश कुमार, सहायक प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
							संजय कुमार, प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
2013	टिस्को	चासनाला	30-सितम्बर-13	1	0	व्यक्ति का ऊंच्चाई से/ गहराई में गिरना	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2013	टिस्को	जमादोबा	06-जून-13	1	0	कन्वेयर्स	रामानंदन सिंह, खान सिरदर	अंतिम कार्रवाई प्रीक्षित
							रवि कुमार राय, सहायक प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रीक्षित
2013	टिस्को	वेस्ट बोकारो ओ/सी (क्वारी क और ख)	10-मार्च-13	1	0	ड्रिलिंग मशीन	पंचाल राम, ऑवरमैन	निलंबन
							तपस कुमार मुखर्जी, सहायक प्रबंधक	निलंबन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							मृनाल भद्र/प्रबंधक	वेतन वृद्धि रोकी गई
							नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिकर्ता	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई
2014	बीसीसीएल	बरारी	27-मई-14	1	0	लुढ़कने वाली वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2014	बीसीसीएल	धनसार	14-जून-14	1	0	डम्पर्स	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2014	बीसीसीएल	गोपालीचुक	24-जून-14	1	0	बालू इत्यादि में गरी हुई	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2014	बीसीसीएल	जमुनिया ओसीपी	22-मई-14	1	0	लुढ़कने वाली वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2014	सीसीएल	कारो I	12-मार्च-14	1	0	अवर्गीकृत	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2014	सीसीएल	पुरंडिह	21-अप्रैल-14	1	0	डम्पर्स	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2014	ईसीएल	चितरा-ख	21-मई-14	1	0	लुढ़कने वाली वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	
2014	ईसीएल	कुमरडोबी	17-जनवरी-14	1	0	छत का गिरना	राज नरायण राम, खान सिरदर	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
							संजय कुमार गोपे, ऑवरमैन	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित

							अजीत कुमार सिंह, कार्यकारी प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
							एस.पी. सिंह, प्रबंधक	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
2014	टिस्को	वेस्ट बोकारो ओ/सी (क्वारी क और ख)	26-मार्च-14	1	0	केज, स्कीप इत्यादि द्वारा टक्कर	जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है	

नोट : 1 वर्ष 2012-2014 के लिए डाटा अनंतिम है। वर्ष 2014 के लिए डाटा 30.06.2014 तक है।

विवरण-II

2011-2014 के दौरान झारखंड में कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं का ब्यौरा

वर्ष	मालिक	खान का नाम	दुर्घटना की तारीख	मारे गए	सुरक्षित/ घायल	संक्षिप्त कारण	उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	मैसर्स अमेरूल एसके.	रामनगर स्टोन माइन	14-जून-11	2	0	डीप होल ब्लास्टिंग प्रोजेक्टाइल्स	अमिरूल शेख, मालिक	अभियोजन
							जुलु रहमान, अभिकर्ता	अभियोजन
2011	मैसर्स उमाशंकर प्रसाद	डोमचांच स्टोन माइन	26-अक्तूबर-11	2	0	किनारों का गिरना (ओवरहेंग्स के अलावा)	जय प्रकाश नारायण, खान मेट	निलंबन
							बालेश्वर सिंह, प्रबंधक	निलंबन
2012	मैसर्स प्रदीप सिंह	राष्ट्रीय स्टोन चिप्स	20-फरवरी-12	1	0	व्हील्ड ट्रेकलेस (ट्रक, टैंकर आदि)	खुशी यादव, ट्रक चालक	मृतक उत्तरदायी था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ज्ञानचंद साव, खान मेट	प्रबंधन द्वारा निलंबित किया गया और डीजीएमएस की ओर से चेतावनी पत्र जारी किए गए।
2012	श्री ग्यासुद्दीन अंसारी	गोलपहाड़ी स्टोन क्वारी मारो प्लॉट-386(पी)	17-अक्तूबर-12	1	0	किनारों का गिरना (ओवरहेंग्स के अलावा)	ग्यासुद्दीन अंसारी, मालिक	अभियोजन
2013	श्री बिनोद मेहता एंड शैलेन्द्र कुमार	खखर स्टोर क्वारी	26-जुलाई-13	2	0	किनारों का गिरना (ओवरहेंग्स के अलावा)	शैलेन्द्र कुमार	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
2013	तारा स्टोन वर्कस	बेगमोरा स्टोन माइन	04-अप्रैल-13	1	1	व्यक्ति का ऊंच्चाई से/गहराई में गिरना	रजत प्रोतिहार, फोरमैन	वेतन वृद्धि रोकी गई
							मोनोतोष बनर्जी, खान मेट	वेतन वृद्धि रोकी गई
2014	मैसर्स पाकुर ब्लेक स्टोन (श्री दिलीप कुमार सिंह)	पीपलजोरी स्टोन माइन	08-मार्च-14	1	0	डम्पर्स	रंजीत कुमार कुंडु फोरमैन	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित
							मोसरफ हुसैन, खान मेट	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित

नोट: 1. वर्ष 2012-2014 के लिए डाटा अनंतिम है। वर्ष 2014 के लिए डाटा 30.06.2014 तक है।

विवरण-III

2011-2014 के दौरान झारखंड में कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाओं का ब्यौरा

वर्ष	स्वामी	खानों के नाम	दुर्घटना की तारीख	सुरक्षित/घायल
1	2	3	4	5
2011	बीसीसीएल	आकाशकिनारी	15-नवम्बर-11	1
2011	बीसीसीएल	अलकुसा	10-जनवरी-11	1
2011	बीसीसीएल	अमलगमाटड केशलपुर पश्चिम मोडिडीह	24-अगस्त-11	1
2011	बीसीसीएल	बगदीगि	27-फरवरी-11	1
2011	बीसीसीएल	बगदीगि	18-मार्च-11	1
2011	बीसीसीएल	बगदीगि	18-अप्रैल-11	1
2011	बीसीसीएल	बंसदिओपुर	28-फरवरी-11	1
2011	बीसीसीएल	बंसदिओपुर	16-जून-11	1
2011	बीसीसीएल	बंसदिओपुर	12-सितम्बर-11	1
2011	बीसीसीएल	बस्ताकोला	19-फरवरी-11	1
2011	बीसीसीएल	बस्ताकोला	25-फरवरी-11	1
2011	बीसीसीएल	ब्लॉक-IV/कोरीदीह	09-जुलाई-11	1
2011	बीसीसीएल	ब्लॉक-IV/कोरीदीह	22-जुलाई-11	1
2011	बीसीसीएल	दहीबारी	26-मार्च-11	1
2011	बीसीसीएल	हुरीलादीह	18-अगस्त-11	1
2011	बीसीसीएल	केबी 5/6 पीटस	04-मार्च-11	1
2011	बीसीसीएल	खारखारी	18-मई-11	1
2011	बीसीसीएल	खारखारी	04-अगस्त-11	1
2011	बीसीसीएल	कूया	17-फरवरी-11	1
2011	बीसीसीएल	कूया	09-जुलाई-11	1
2011	बीसीसीएल	कूया	28-सितम्बर-11	1
2011	बीसीसीएल	मूनीदी परियोजना	04-जनवरी-11	1

1	2	3	4	5
2011	बीसीसीएल	मूनीदी परियोजना	14-जून-11	1
2011	बीसीसीएल	मूनीदी परियोजना	04-सितम्बर-11	1
2011	बीसीसीएल	मूनीदी परियोजना	12-नवम्बर-11	1
2011	बीसीसीएल	मूनीदी परियोजना	20-दिसम्बर-11	1
2011	बीसीसीएल	मुरूलीदीह 20/21 पीटस	31-मई-11	1
2011	बीसीसीएल	मुरूलीदीह 20/21 पीटस	19-दिसम्बर-11	1
2011	बीसीसीएल	पूतकी	25-अक्तूबर-11	1
2011	बीसीसीएल	शताब्दी ओसीपी	10-अप्रैल-11	1
2011	बीसीसीएल	सिमलाबहल	17-मार्च-11	1
2011	बीसीसीएल	सिमलाबहल	01-अप्रैल-11	1
2011	बीसीसीएल	सुदामडिह इनक्लाइन	11-मार्च-11	1
2011	बीसीसीएल	टीटूलमारी	14-जनवरी-11	1
2011	बीसीसीएल	पश्चिम मोडिडीह	06-फरवरी-11	1
2011	सीसीएल	अमलो परियोजना	23-फरवरी-11	1
2011	सीसीएल	अरगदा	16-जून-11	1
2011	सीसीएल	अशोक ओपन कास्ट परियोजना	19-दिसम्बर-11	1
2011	सीसीएल	गोविन्दनपुर परियोजना	11-जनवरी-11	1
2011	सीसीएल	जारानगडीह	14-अप्रैल--11	1
2011	सीसीएल	खास महल परियोजना	13-मार्च-11	1
2011	सीसीएल	पारेज ईस्ट ओसीपी	13-मई-11	1
2011	सीसीएल	पीपरवारा परियोजना	12-अक्तूबर-11	1
2011	सीसीएल	राजरप्पा परियोजना	19-नवम्बर-11	1
2011	सीसीएल	रोहणी परियोजना	14-फरवरी-11	1
2011	सीसीएल	स्वांग	03-नवम्बर-11	1
2011	सीसीएल	स्वांग	03-दिसम्बर-11	1
2011	सीसीएल	स्याल "डी" संख्या 3	22-जुलाई-11	1

1	2	3	4	5
2011	सीसीएल	सौंद "डी" ईस्ट/यूजी	09-अक्तूबर-11	1
2011	सीसीएल	उरीमारी परियोजना	24-जनवरी-11	1
2011	सीसीएल	उरीमारी यूजी परियोजना	06-जुलाई-11	1
2011	ईसीएल	चापापुर	02-जुलाई-11	1
2011	ईसीएल	चापापुर	30-सितम्बर-11	1
2011	ईसीएल	चापापुर	20-अक्तूबर-11	1
2011	ईसीएल	गोपीनाथपुर	21-फरवरी-11	1
2011	ईसीएल	हरीयजाम	14-मई-11	1
2011	ईसीएल	हरीयजाम	26-दिसम्बर-11	1
2011	ईसीएल	लखीमाता	09-अप्रैल-11	1
2011	ईसीएल	राजमहल ओसीपी	12-अप्रैल-11	2
2011	आईआईएससीओ	नूनोडीह जीतपुर	06-जनवरी-11	1
2011	आईआईएससीओ	नूनोडीह जीतपुर	19-जनवरी-11	1
2012	बीसीसीएल	अमलगमाटड केशलपुर पश्चिम मोडिडीह	15-जुलाई-12	1
2012	बीसीसीएल	अंगरापथरा	29-जनवरी-12	2
2012	बीसीसीएल	बरारी	03-जुलाई-12	1
2012	बीसीसीएल	बसंतीमाता	05-जनवरी-12	1
2012	बीसीसीएल	बस्ताकोला	28-मार्च-12	1
2012	बीसीसीएल	बस्ताकोला	01-दिसम्बर-12	1
2012	बीसीसीएल	ब्लॉक-II ओसीपी	27-मई-12	1
2012	बीसीसीएल	धानसर	06-दिसम्बर-12	1
2012	बीसीसीएल	धानसर	22-दिसम्बर-12	1
2012	बीसीसीएल	खुजमा	09-दिसम्बर-12	2
2012	बीसीसीएल	लोडना	01-सितम्बर-12	1
2012	बीसीसीएल	लोहपत्ती	04-जनवरी-12	1

1	2	3	4	5
2012	बीसीसीएल	मूनीदी परियोजना	13-मार्च-12	1
2012	बीसीसीएल	मूनीदी परियोजना	03-जून-12	1
2012	बीसीसीएल	मूनीदी परियोजना	13-दिसम्बर-12	1
2012	बीसीसीएल	गुरूलीदीह 20/21 पीटस	27-अप्रैल-12	1
2012	बीसीसीएल	गुरूलीदीह 20/21 पीटस	26-मई-12	1
2012	बीसीसीएल	गुरूलीदीह 20/21 पीटस	09-जून-12	1
2012	बीसीसीएल	नार्थतिसरा यू/जी	19-जनवरी-12	1
2012	बीसीसीएल	पाथाराडीह	13-फरवरी-12	1
2012	बीसीसीएल	सिमलाबहल	20-मई-12	1
2012	बीसीसीएल	सिमलाबहल	28-मई-12	1
2012	बीसीसीएल	सिमलाबहल	07-नवम्बर-12	1
2012	बीसीसीएल	टीटूलमारी	15-दिसम्बर-12	1
2012	सीसीएल	अमलो	29-मार्च-12	1
2012	सीसीएल	ब्रुरकुण्डा खान-बी	10-नवम्बर-12	1
2012	सीसीएल	चूरी	21-अगस्त-12	1
2012	सीसीएल	डकरा बुकबुका यू/जी	30-जुलाई-12	1
2012	सीसीएल	गिडी-क	07-मई-12	1
2012	सीसीएल	गिडी-क	11-जून-12	1
2012	सीसीएल	स्वांग	02-जून-12	1
2012	सीसीएल	सयाल "डी" संख्या 10	10-दिसम्बर-12	1
2012	सीसीएल	सोनड़ा "डी" ईस्ट/यूजी	08-मई-12	1
2012	ईसीएल	बडजन	10-अप्रैल-12	1
2012	ईसीएल	चित्रा-ए	22-मई-12	1
2012	ईसीएल	चित्रा-बी	11-जून-12	1
2012	ईसीएल	खोदिया	10-फरवरी-12	1

1	2	3	4	5
2012	ईसीएल	मंडामान	16-अप्रैल-12	1
2012	टिस्को	सिजुआ:	20-मार्च-12	1
2012	टिस्को	सिजुआ:	06-अक्तूबर-12	1
2012	इलैक्टेड	प्रभातपुर कोलियरी	29-जून-12	1
2013	बीसीसीएल	अमलगमाटड अंगरापथरा रामकनाली	12-जनवरी-13	1
2013	बीसीसीएल	बसंतीमाता	12-जनवरी-13	1
2013	बीसीसीएल	बसंतीमाता	10-मार्च-13	1
2013	बीसीसीएल	बसंतीमाता	25-मार्च-13	1
2013	बीसीसीएल	बसंतीमाता	13-मई-13	1
2013	बीसीसीएल	भौरा (नार्थ)	25-दिसम्बर-13	1
2013	बीसीसीएल	हुरीलादी	10-मार्च-13	1
2013	बीसीसीएल	जोगिदीह	16-जनवरी-13	1
2013	बीसीसीएल	जोगिदीह	06-जून-13	1
2013	बीसीसीएल	नार्थतिसरा यू/जी	12-जुलाई-13	1
2013	बीसीसीएल	शताब्दी ओसीपी	04-जनवरी-13	1
2013	बीसीसीएल	सिमलाबहल	15-मई-13	1
2013	बीसीसीएल	सुदामडिह इनक्लाइन	03-अगस्त-13	1
2013	सीसीएल	अशोक ओपन कास्ट परियोजना	27-दिसम्बर-13	1
2013	सीसीएल	धोरी खास	29-जनवरी-13	1
2013	सीसीएल	केदला ओपन कास्ट परियोजना	09-अप्रैल-13	1
2013	सीसीएल	राजरप्पा परियोजना	12-मार्च-13	1
2013	सीसीएल	रोहणी परियोजना	10-अप्रैल-13	1
2013	सीसीएल	टोपा	08-मार्च-13	1
2013	ईसीएल	मंदमान	15-नवम्बर-13	1
2013	ईसीएल	राजपुरा	12-जुलाई-13	1

1	2	3	4	5
2013	आईआईएससीओ	चसनल्ला	25-जनवरी-13	1
2013	टिस्को	डिगवादीह	08-दिसम्बर-13	1
2013	टिस्को	जमादोबा	20-नवम्बर-13	1
2013	टिस्को	सिजुआ	25-नवम्बर-13	1
2013	बीसीसीएल	बंसदिओपुर	12-मई-14	1
2014	बीसीसीएल	बसंतीमाता	01-फरवरी-14	1
2014	बीसीसीएल	बसंतीमाता	01-फरवरी-14	1
2014	बीसीसीएल	बस्ताकोला	04-जनवरी-14	1
2014	बीसीसीएल	डीबीओसीपी	15-फरवरी-14	1
2014	बीसीसीएल	डीबीओसीपी	24-फरवरी-14	1
2014	बीसीसीएल	डीबीओसीपी	01-मार्च-14	1
2014	बीसीसीएल	जोगीदीह	14-मई-14	1
2014	बीसीसीएल	खारखरी	01-जनवरी-14	1
2014	बीसीसीएल	खारखरी	19-जनवरी-14	1
2014	बीसीसीएल	न्यू अक्षकिनारी	25-जून-14	1
2014	बीसीसीएल	नार्थ तिसरा	02-फरवरी-14	1
2014	बीसीसीएल	टीटूलमारी	08-फरवरी-14	1
2014	सीसीएल	सायल "डी" संख्या 10	29-जनवरी-14	1
2014	टिस्को	सीजुआ	03-फरवरी-14	1

जून, 2014 तक 2014 के आंकड़े।

विवरण-IV

2011-2014 के दौरान झारखंड में गैर-कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाओं का ब्यौरा

वर्ष	स्वामी	खानों के नाम	दुर्घटना की तारीख	गंभीर/दुर्घटना
1	2	3	4	5
2011	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	सूरदा कॉर्पोरेशन खान	16-जून-11	1

1	2	3	4	5
2011	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	सूरदा कॉर्पोरेशन खान	21-जुलाई-11	1
2011	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	सूरदा कॉर्पोरेशन खान	09-नवम्बर-11	1
2011	टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड	नोमुंदी लौह अयस्क खान	20-अप्रैल-11	1
2011	टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड	नोमुंदी लौह अयस्क खान	01-दिसम्बर-11	1
2011	टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड	नोमुंदी लौह अयस्क खान	11-दिसम्बर-11	1
2012	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	नरवापहर यूरेनियम खान	17-जून-11	1
2012	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	नरवापहर यूरेनियम खान	29-अगस्त-11	1
2012	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	नरवापहर यूरेनियम खान	02-सितम्बर-11	1
2013	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	सूरदा कॉर्पोरेशन खान	16-अप्रैल-12	1
2012	टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड	नोमुंदी लौह अयस्क खान	30-जनवरी-12	1
2012	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	भतीन यूरेनियम खान	23-जून-12	1
2012	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	नरवापहर यूरेनियम खान	06-अप्रैल-12	1
2012	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	नरवापहर यूरेनियम खान	7-मई-12	1
2012	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	नरवापहर यूरेनियम खान	14-दिसम्बर-12	1
2012	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	नरवापहर यूरेनियम खान	01-अक्तूबर-12	1
2012	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	नरवापहर यूरेनियम खान	17-दिसम्बर-12	1
2013	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	सूरदा कॉर्पोरेशन खान	11-जून-13	1
2013	टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड	नोमुंदी लौह अयस्क खान	18-अक्तूबर-13	1
2013	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	जडुगुड्डा यूरेनियम खान	26-अप्रैल-13	1
2014	रेलवे मेटिरियल डिविजन (सेल)	मेघातुबूरू लौह अयस्क खान	15-जुलाई-14	1

डीजल की बिक्री

1537. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक विक्रेताओं को बाजार मूल्य पर डीजल की बिक्री संबंधी नीति के प्रावधान में कतिपय खामियां सरकार की जानकारी में आई हैं जिसका तेल विपणन कंपनियों/उद्योगों/राज्य सरकारों आदि द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को बाजार मूल्य पर डीजल की बिक्री के प्रावधान के दुरुपयोग के संबंध में विभिन्न राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/तेल विपणन कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्या हैं/' थोक प्रयोक्ता' की परिभाषा क्या है; और

(घ) डीजल की बिक्री के उक्त दुरुपयोग के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि सीधे थोक उपभोक्ताओं के लिए बाजार दरों के साथ डीजल के लिए दोहरे मूल्य निर्धारण का कार्यान्वयन होने के परिणामस्वरूप राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयूज), उद्योगों और कुछ राज्य सरकारी विभागों ने अपने परिवहन/यात्री वाहनों, जनरेटर सेटों, कृषि और गैर-कृषि कार्यों के लिए अपनी डीजल मांग की आरओज से लेना शुरू कर दिया है।

(ख) से (घ) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को खुदरा बिक्री केन्द्र से सीधे ग्राहकों को एचएसडी के विपथन के संबंध में सीबीआई के माध्यम से दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तेल कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर उत्तरी कोलफील्ड, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के कुछ निजी खनन संविदाकारों तथा राजस्थान में वेधन कंपनी मैसर्स फोकस एनर्जी की संयुक्त औचक जांच की गई थी। सीबीआई की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईओसीएल द्वारा सुधारात्मक कार्रवाइयां की गई हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में खुदरा बिक्री केन्द्र के डीलरों द्वारा एचएसडी के विपथन के संबंध में सामान्य स्वरूप की एक शिकायत भी आईओसीएल को प्राप्त हुई थी। आईओसीएल द्वारा दो खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच की गई थी और एचएसडी का कोई विपथन सिद्ध नहीं हुआ था।

ऐसे उपभोक्ताओं को थोक उपभोक्ता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ईंधन की मांग अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए थोक आपूर्ति स्थलों से कम-से-कम 12000 लीटर अर्थात् एक ट्रक लोड उठाते हैं।

पेट्रोलियम नियम, 2002 में 200 लीटर तक की क्षमता वाले अनुमोदित कंटेनर में हाई स्पीड डीजल भरने की व्यवस्था की गई है, बशर्ते कंटेनर तथा डिस्पेंसिंग पंप के 4.5 मीटर के भीतर में चालू इंजिन के साथ किसी गाड़ी को अनुमति न दी जाए।

सरकार ने ओएमसीज के संस्थापनों से सीधे थोक आपूर्ति लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को बाजार निर्धारित मूल्य पर डीजल बेचने के लिए प्राधिकृत किया है।

इसके अतिरिक्त, ओएमसीज ने अपने फील्ड अधिकारियों को निम्नानुसार सलाह दी है:—

(i) ऐसे थोक उपभोक्ताओं पर विचार न किया जाए, जो अपने उपभोक्ता पंपों को आरओज में बदलने के लिए संपर्क करें।

(ii) आरओज पर ईंधन के लिए आने वाले एसटीयूज के वाहनों को अन्य वाहनों के समान माना जाए।

(iii) एसटीयूज और गैर-फ्लीट ग्राहकों को फ्लीट कार्ड जारी नहीं किए जाएं।

(iv) बिक्री केन्द्र पर उत्पाद लाने वाले लॉरी को विपथित नहीं किया जाए अर्थात् आरओज पर सभी बिक्रियां केवल नोजल के माध्यम से ही की जानी हैं।

ईएसआई योजना हस्तांतरण

1538. श्री सदाशिव लोखंडे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम को हस्तांतरित किए जाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) को नियंत्रण में लेने के मामले पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को नियंत्रण में लेने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कुछ निबंधन और शर्तों को सहमति नहीं दी है।

(ग) प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का कार्य राज्य सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

विवाह का पंजीकरण

1539. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक निश्चित समयावधि के भीतर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को पूरे देश में कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पक्षकारों के धार्मिक पंथों को विचार में लाए बिना विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 राज्य सभा में 7 मई, 2012 को पुर:स्थापित किया गया था और राज्य सभा द्वारा उस पर 13 अगस्त, 2013 को विचार किया गया था तथा उसे पारित किया गया था। तथापि, विधेयक लोक सभा में विचार करने तथा पारित किए जाने के लिए नहीं पहुंच सका क्योंकि लोक सभा 21 फरवरी, 2014 को विघटित हो गई थी, और इसलिए उक्त विधेयक व्यपगत हो गया था। अब, विधेयक को नए सिरे से पुर:स्थापन करने के उपाय आरंभ किए जा रहे हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अन्य बातों के साथ, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के सिवाए, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों ने विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करने वाले अधिनियम/नियम/आदेश बनाए हैं।

[हिन्दी]

लखनऊ हवाईअड्डे पर नया टर्मिनल भवन

1540. श्री कौशल किशोर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ हवाईअड्डे पर एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या उक्त टर्मिनल भवन का निर्माण निर्धारित समयावधि के भीतर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस भवन के तैयार होने में विलंब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, हां। लखनऊ हवाईअड्डे पर 140 करोड़ रुपए (लगभग) की लागत से एक समय पर 650 यात्रियों के प्रबंधन की क्षमता वाले नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पर्यावरणीय अनुमति मिलने में देरी, पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से अनुमति मिलने में देरी, स्थल संबंधी बाधाएं तथा ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से किए जाने के कारण टर्मिनल भवन के निर्माण में देरी हुई।

[अनुवाद]

केरल में भारी उद्योग

1541. श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केरल राज्य में कार्य कर रहे भारी उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में उन उद्योगों में से जो घाटे में चल रहे हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) चूंकि, उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए विभिन्न राज्यों में स्थापित भारी उद्योगों के लिए इस विभाग में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का राज्य-वार ब्यौरा और केरल में स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हानि में चल रहे उद्यमों की हानि का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 2012-13 के खंड-I

के विवरण संख्या 13 और 6 में उपलब्ध है जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पहले ही रखा जा चुका है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टॉवर

1542. श्री ओम बिरला : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल सेवाओं के ग्राहकों की प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन-वार कुल संख्या कितनी रही;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितने मोबाइल टॉवरों की स्थापना की गई है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कितने नए मोबाइल टॉवरों तथा अन्य उपकरणों की स्थापना किए जाने की संभावना है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष (दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार) के दौरान देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मोबाइल सेवाओं के उपभोक्ताओं की कुल संख्या का प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

निम्नलिखित अवधि के अनुसार	प्रीपेड कनेक्शन	पोस्टपेड कनेक्शन
31.03.2012	9,10,84,010	34,25,064
31.03.2013	9,51,98,994	33,05,818
31.03.2014	8,91,32,302	32,68,100
31.05.2014	8,61,78,076	32,38,293

(ख) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	ग्रामीण (2जी)	शहरी (2जी)	ग्रामीण (3जी)	शहरी (3जी)
2011-12	32	18	50	13
2012-13	103	67	170	06
2013-14	270	121	391	213
2014-15 (31.05.2014 तक)	99	05	14	05

(ग) बीएसएनएल ने अपनी चरण-VII जीएसएम विस्तार परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 645 नोड बीएस (3जी) और 1109 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) (2जी) तथा इससे संबद्ध कोर उपकरण जोड़ने की योजना बनाई है। इस निर्धारित संवर्धन में से बीएसएनएल ने 218 नोड बीएस और 575 बीटीएस (2जी) पहले ही संस्थापित कर दिए हैं।

खनन क्षेत्र सुधार

1543. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खनन क्षेत्र में कतिपय विनियामक सुधार शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुधारों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलि-मार्केटिंग कंपनियों का कार्यकरण

1544. श्री बी.वी. नाईक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि देश में अवैध टेलि-मार्केटिंग कंपनियों की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टेलि-मार्केटिंग कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2010 की मार्फत अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) का समाधान करने के लिए एक संशोधित कार्यपद्धति निर्धारित की है और ये विनियम दिनांक 27.09.2011 से लागू किए गए। ट्राई ने विनियामक कार्यपद्धति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इन विनियमों में विभिन्न संशोधन भी किए हैं तथा अनेक निर्देश जारी किए हैं।

ट्राई, इस कार्यपद्धति के तहत स्थापित ट्राई के पोर्टल *www.nccptrai.gov.in* के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) के प्राप्त होने के संबंध में ग्राहकों से मिलने वाली शिकायतों की निगरानी कर रहा है।

यह देखा गया है कि अपंजीकृत टेलीमार्केटरों (जो ट्राई से पंजीकृत नहीं हैं) की ओर से अप्राधिकृत टेलि-मार्केटिंग गतिविधियों से संबंधित शिकायतें गत दो वर्षों के दौरान कम हो गई हैं।

दिनांक 27.09.2011, जब ये विनियम लागू हुए, से लेकर आज तक पोर्टल में दर्ज ऐसी शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्र. सं.	अवधि	शिकायतों की संख्या	औसत शिकायतें प्रतिमाह
1.	2011-2012 (27.09.2011 से 31.03.2012)	83003	13833
2.	2012-2013	427041	35588
3.	2013-2014	397772	33147
4.	2014-2015 (30.06.2014 तक)	33216	11072

शिकायतों के बारे में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) ट्राई ने उन उपभोक्ताओं, जो टेलीमार्केटर के रूप में ट्राई से पंजीकृत नहीं हैं, द्वारा भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किय हैं जिनके परिणामस्वरूप, ऐसी शिकायतों की संख्या कम हो गई है। ट्राई द्वारा हाल ही में की गई पहलों का ब्यौरा निम्नवत् है:—

- वैध शिकायत मिलने पर दोषी उपभोक्ता के दूरसंचार कनेक्शनों को काट देना और ऐसे उपभोक्ताओं के नाम और पते को दो वर्षों की अवधि के लिए काली सूची में डाल देना।
- ऐसे उपभोक्ताओं को काली सूची में डाले जाने के फलस्वरूप, सभी अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के सभी दूरसंचार कनेक्शनों को काट देना।
- एक दिन में 100 से अधिक एसएमएस भेजे जाने पर प्रति एसएमएस 50 पैसे का न्यूनतम प्रभार लगाना ताकि टेलीमार्केटरों को बड़ी मात्रा में एसएमएस पैक का उपयोग करने से हतोत्साहित किया जा सके।
- ऐसी एजेंसियां और व्यक्ति जिनके लिए अवांछित वाणिज्यिक संदेश (यूसीसी) भेजे गए हैं, उनके दूरसंचार कनेक्शनों को काटा देना।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर अपने नेटवर्क में अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) को रोकने में असफलता के लिए प्रति वैध शिकायत पर अधिकतम 5000 रुपए तक की दर से वित्तीय दंड लगाना।

[हिन्दी]

दिल्ली विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन भूमि

1545. श्री गणेश सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि रियायती दर पर एक निजी कंपनी को दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं तथा उस कंपनी का नाम क्या है जिसे पट्टे पर भूमि पर दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले में कोई जांच कराने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली हवाईअड्डे की भूमि आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी, मैसर्स दिल्ली

इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट (डायल) (जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 26% हिस्सेदारी है) को पट्टे पर दी है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने जांच कर ली है और 17.08.2012 को 'सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का कार्यान्वयन — इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली' विषय पर वर्ष 2012-13 की अपनी निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 5 कार्यान्वित करके संसद में प्रस्तुत की थी, जिसमें डायल को भूमि पट्टे पर दिए जाने से संबंधित मुद्दा भी शामिल था।

स्पैक्ट्रम प्रबंधन

1546. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्पैक्ट्रम प्रबंधन लिए एक पृथक् अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओएनजीसी की सीएसआर निधि

1547. श्री कामाख्या प्रसाद तासा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों को असम में गत तीन वर्षों के दौरान ऐतिहासिक धरोहरों के अनुरक्षण सहित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवंटित/खर्च किया गया है; और

(ख) ओएनजीसी द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धि सहित सीएसआर के प्रत्येक क्रियाकलाप के अंतर्गत आवंटित/खर्च की गई निधि कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में ओएनजीसी द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों की देख रेख सहित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च की गई निधि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान ओएनजीसी द्वारा किए गए मुख्य सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान असम में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएसआर व्यय

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र-वार फोकस	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा	5.75	4.19	6.64
उद्यमशीलता (स्वयं सहायता और आजीविका सृजन) योजनाएं	0.28	0.32	0.21
पर्यावरण संरक्षण, जैव-विविधता संरक्षण, उन्नयन	0.01	0.25	0.18
वित्तीय सहायता प्रदान करना	0.1	1.18	0.20
भू-जल को बढ़ाने के साथ-साथ जल प्रबंधन	0.06	0.13	0.01
स्वास्थ्य देखभाल	0.32	0.15	4.39

1	2	3	4
हमारे प्रचालन क्षेत्रों के निकट बुनियादी ढांचा सहायता	3.44	1.39	4.06
शारीरिक और मानसिक विकलांग के लिए उठाए गए कदम	0.04	0.38	0.01
खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, खेलों को प्रोत्साहित करने वाली सहायक एजेंसियां	0.41	0.61	0.40
विरासत के संरक्षण के लिए कलाकारों, शिल्पकारों, संगीतकारों आदि को प्रोत्साहन	0.44	2.46	0.57
विरासत स्थलों, यूनेस्कों की विरासत स्थलों आदि को प्रोत्साहन	0.34	0.00	0.00
पेट्रोलियम भू-भौतिकों की सोसायटी	0.00	0.00	0.00
मीडिया/सांस्कृतिक/खेलों का प्रायोजन	0.30	0.07	0.04
सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का प्रायोजन	0.39	0.41	0.47
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण की वार्षिक मिश्रित योजना	0.00	0.00	0.02
महिला सशक्तिकरण, बालिका विकास, लिंग सेंस्टिव परियोजनाएं	0.03	0.00	0.08
कुल योग	11.91	11.54	17.28

विवरण-II

असम में प्रमुख सीएसआर परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	राशि लाख रुपए में	स्थिति
1	2	3	4
1.	शवों को ले जाने वाले वाहन 'स्वर्ग यात्रा वैन' खरीदने के लिए संप्रीति, एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, शिवसागर को वित्तीय सहायता	7.56	पूर्ण
2.	शवों को ले जाने वाले वाहन 'स्वर्ग यात्रा वैन' खरीदने के लिए मुनिसिपल बोर्ड, नाजिरा को वित्तीय सहायता	7.56	पूर्ण
3.	लकवा नागरिक मंच के लिए टाटा सूमो एंब्यूलैंस की खरीद	6.49	पूर्ण
4.	ओएनजीसी सीएसआर के तहत चाऊ लंग शिवकाफा इंडोर स्टेडियम का पूरी तरह से निर्माण करना	123	अंतिम तौर पर निर्माणाधीन
5.	सिमलगुडी रेलवे स्टेशन फीडर रोड का सौन्दर्यीकरण	20	अंतिम तौर पर निर्माणाधीन

1	2	3	4
6.	एएमसी में ऑपन हार्ट सर्जरी के लिए कैथराइजेशन प्रयोगशाला और सुविधाओं को स्थापित करना	700	परियोजना प्रगति पर है
7.	सुदर पुखारी मिल्क कॉपरेटिव सोसायटी, नाजिरा के माध्यम से एकीकृत डेयरी विकास के द्वारा रोजगार सृजन परियोजना	29	परियोजना प्रगति पर है
8.	आईआईटी के लिए शिवसागर में रिहायशी कोचिंग कार्यक्रम ओएनजीसी सुपर 30 के लिए केन्द्र स्थापित करना	67	परियोजना प्रगति पर है
9.	नाजिरा कस्बे में गांधी मैदान (पार्क) का सौन्दर्यीकरण	37	परियोजना प्रगति पर है
10.	ना-पाम बरूवती गांव, गेलाकी में 1 (एक) गहरे ट्यूबैल का संस्थापन और प्रारंभ	12	परियोजना प्रगति पर है
11.	गैलाकी कॉलेज, गैलाकी शिवसागर में लोहे के दरवाजे के साथ चारदीवारी का निर्माण	13	परियोजना प्रगति पर है
12.	विवेकानंद केन्द्र विद्यालय, शिवसागर असम में पुस्तकालय और कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता	40.82	परियोजना प्रगति पर है
13.	नुरूल अमील स्टेडियम, नॉवगोंग में खेल की बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन करना	35	परियोजना प्रगति पर है
14.	जगन्नाथ सांस्कृतिक ट्रस्ट, डिब्रूगढ़ द्वारा वैदिक विद्यालय और योग केन्द्र का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता	24.96	परियोजना प्रगति पर है
15.	वरिष्ठ जन स्वास्थ्य सेवा अभियान	0	परियोजना प्रगति पर है
16.	अमूल्य धरोहर शिवसागर, असम में एएसआई के सहयोग से अहोम राजवंश की संरचना धरोहर का संरक्षण, परियोजना औपचारिक तौर पर दिनांक 10.03.2012 को शुरू की गई।	396	परियोजना प्रगति पर है
17.	मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पीटल की शिवसागर में 300 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पीटल स्थापित करना।	10000	कार्यान्वयन के तहत
18.	केके सिविल अस्पताल, गोलाघाट को पाइप्ड जलापूर्ति योजना	35	परियोजना पूर्ण

मोबाइल बैंकिंग सेवाएं

1548. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग पर टिप्पणी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्राहकों को इसे कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पणधारकों के साथ हुई परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् देश में

गैर-अवसंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) पर आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के बारे में निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं:—

(i) दिनांक 17.04.2012 के **मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियमन 2012** के जरिए अन्य बातों के साथ-साथ यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक दूरसंचार प्रदाता बैंकों को यह सुविधा देगा कि वे यूएसएसडी, शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) और इंटरएक्टिव वायस रिसपांस (आईवीआर) का प्रयोग करें ताकि वे अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकें और निर्धारित समय-सीमा के अंदर बैंक अथवा ग्राहक द्वारा सृजित मैसेज डिलिवर हो सकें।

(ii) दिनांक 26.11.2013 के **दूरसंचार प्रशासन (56वां संशोधन) आदेश, 2013** के जरिए यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए आउटगोईंग यूएसएसडी सेशन के लिए प्रति यूएसएसडी सेशन के लिए 1.50/- रुपए की प्रशुल्क सीमा निर्धारित की गई है। यह आदेश 01.01.2014 से प्रभावी हो गया है।

(ग) अभी तक सेवा के आरंभ होने की कोई तारीख तय नहीं की गई है।

एयर इंडिया द्वारा नए विमान की खरीद

1549. श्री बदरुद्दीन अज़मल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया कई नए विमानों की खरीद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया द्वारा खरीदे जाने वाले विमान सहित उनके मॉडल और मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस कंपनी का नाम क्या है जिससे विमान खरीदे जाने की संभावना है और उसकी प्रदायगी का प्रत्यायित समय क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जाना

1550. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए एथनॉल की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए और प्रयुक्त किये गये एथनॉल की मात्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विक्रय किए गए एथनॉल मिश्रित पेट्रोल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों का राज्य-वार नाम क्या है जहां वर्तमान में एथनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचा जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने 5 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए जनवरी, 2003 में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश भर में 5 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य प्राप्ति के लिए बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार 10 प्रतिशत तक एथेनॉल की प्रतिशतता के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने के उद्देश्य से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को दिनांक 02 जनवरी, 2013 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। तद्नुसार, ओएमसीज खुले बाजार में निविदाएं मंगाकर ईबीपी कार्यक्रम के तहत पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए इथेनॉल की अधिप्राप्ति कर रही हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अधिप्राप्त तथा प्रयुक्त एथेनॉल की मात्रा निम्नानुसार है:—

अवधि (चीनी वर्ष)	ओएमसीज द्वारा अधिप्राप्त किए गए एथेनॉल की मात्रा (किलो लीटर में)
2010-11	362502
2011-12	260949
2012-13	1942*
2013-14	318365
2014-15 (अप्रैल से जून, 2014)	81080

*विक्रेताओं को आशय पत्र जारी किए गए थे किन्तु नवंबर, 2012 में एथेनॉल अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को निविदा आधारित बनाए जाने के सीसीईए के निर्णय के बाद करार पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई विक्रेता सामने नहीं आया। एचपीसीएल की एक सहायक कंपनी एचपीसीएल बायो-फ्यूलस लिमिटेड से 1942 कि.ली. का उत्पादन किया गया।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज द्वारा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

वित्त वर्ष	एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बिक्री (किलो लीटर में)		
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल
2011-12	2952290	1976175	1899973
2012-13	1895164	1197956	1079252
2013-14	2146508	1314903	1511512
2014-15 (अप्रैल से जून, 2014)	820622	375906	513942

(घ) वर्तमान में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल 12 राज्यों और 3 यूटीज नामत: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में बेचा जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की खरीद

1551. **श्री राममोहन नायडू किंजरापु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने की अधिसूचना जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने दिनांक 23.12.2013 की अधिसूचना संख्या 33(3)/2013-आईपीएचडब्ल्यू के जरिए घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए एक नीति अधिसूचित की है। यह नीति सभी मंत्रालयों/विभागों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और उनकी एजेंसियों के लिए सरकारी प्रयोजनों से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद के लिए लागू है। वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाने वाली खरीद अथवा वाणिज्यिक बिक्री के लिए वस्तुओं में इनके उपयोग के लिए की जाने वाली खरीद पर यह नीति लागू नहीं है।

ऑटोमोबाइल उद्योग का संवर्धन

1552. **श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में वाहन क्षेत्र को कोई प्रोत्साहन पैकेज देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की उच्च वृद्धि दर को बनाए रखने और भारतीय बाजार में आकर्षण कायम रखने तथा भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए एक दस वर्षीय ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006-16 तैयार किया है। यह मिशन प्लान इस सेक्टर के लिए सरकारी नीति का महत्वपूर्ण आधार है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए कुछ अन्य नई पहल भी की हैं, जैसे ऑमोटिव कौशल विकास परिषद् (एएसडीसी) का गठन, ऑटोमोटिव उपकर निधि से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण, होमोलोगेशन और टेस्टिंग के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना की स्थापना के लिए नैशनल ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) का प्रारंभ, ऑटो अनुसंधान और विकास कुशलता के केन्द्र और सहयोगी अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को पूरा करने तथा नेट्रिप के कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक शीर्ष समन्वय निकाय के रूप में नैशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) की स्थापना। सरकार ने देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता को कम करते हुए आम लोगों का स्वच्छ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (एनईएमएमपी) 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहल भी की है। एनईएमएमपी 2020 में वर्ष 2020 के अंत तक 6-7 मिलियन हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग में लाने की परिकल्पना की गई है। हाल में, सरकार ने वाहनों पर उत्पाद शुल्क दरों को भी कम कर दिया है जिससे पिछले कुल माह में बिक्री को बढ़ाने में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता

1553. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे विधिक सहायता कार्यक्रमों सहित गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित/प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है, जिन्हें उकत अवधि के दौरान नि:शुल्क विधिक सेवाएं मुहैया कराई गई थी;

(ग) सरकार द्वारा देश में निर्धनों में भी निर्धनतम के लिए विधिक सेवाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा समाज के कमजोर लोगों को एकसमान आधार पर नि:शुल्क और समग्र विधिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन बनाए गए विभिन्न विधिक सहायता स्कीम/कार्यक्रम जैसे कि परा-विधिक स्वयंसेवी (पीएलवी) स्कीम, विधिक सहायता क्लीनिक स्कीम, नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा स्कीम, लोक अदालत स्कीम आदि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है/किए जा रहे हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित निधियों से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) समाज के विभिनन वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जिनको विगत तीन वर्षों के दौरान नि:शुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी, से संबंधित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरणों के क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित करते रहे हैं। वे लोगों में विधिक जागरुकता सृजित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, निशक्तता दिवस 3 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को भी अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जागरुकता सृजित करने और विधिक सेवाएं संबंधी क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए स्कूलों और महाविद्यालयों स्तर पर विधिक साक्षरता कक्षाएं, विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने के अलावा संपूर्ण देश में क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन जारी किए जाते हैं। मामलों की लंबित संख्या को कम करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में समय-समय पर लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों/सामाजिक कार्य समूहों आदि को प्रदान की गई निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2011-12 रुपए	2012-13 रुपए	2013-14 रुपए
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15000000	15000000	30000000
2.	अरुणाचल प्रदेश	7500000	2500000	12200000
3.	असम	15000000	13800000	12200000
4.	बिहार	15000000	12500000	30000000
5.	छत्तीसगढ़	15000000	5000000	22200000
6.	गोवा	8000000	2500000	14700000
7.	गुजरात	10000000	15000000	25700000

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	14000000	17500000	27700000
9.	हिमाचल प्रदेश	13000000	7500000	17200000
10.	जम्मू और कश्मीर	15000000	12500000	17200000
11.	झारखंड	15000000	7500000	14200000
12.	कर्नाटक	15000000	10000000	24700000
13.	केरल	14331350	17500000	18200000
14.	मध्य प्रदेश	15000000	22500000	17200000
15.	महाराष्ट्र	15000000	15000000	17200000
16.	मणिपुर	9000000	7500000	17200000
17.	मेघालय	9000000	7500000	12200000
18.	मिज़ोरम	9000000	7500000	14700000
19.	नागालैंड	9000000	7500000	17200000
20.	ओडिशा	15000000	15000000	22200000
21.	पंजाब	14000000	15000000	17200000
22.	राजस्थान	15000000	15000000	18200000
23.	सिक्किम	9000000	7500000	12200000
24.	तमिलनाडु	15000000	17500000	18200000
25.	त्रिपुरा	10000000	7500000	12200000
26.	उत्तर प्रदेश	15000000	10000000	15200000
27.	उत्तराखंड	13000000	7500000	14700000
28.	पश्चिम बंगाल	15000000	17500000	14700000
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3300000	500000	3000000
30.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	6000000	3000000	12200000
31.	दादरा और नगर हवेली	3500000	500000	3000000
32.	दमन और दीव	3500000	500000	3000000
33.	दिल्ली	13000000	12500000	17200000
34.	लक्षद्वीप	3000000	500000	3000000
35.	पुदुचेरी	6200000	7500000	9700000

विवरण-II

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्ष के दौरान अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 में सोसाइटी के विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान की गई थी, की संख्या

क्र. सं.	राज्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग	महिलाएं	बालक	अभिरक्षा में	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	194	63	146	959	73	1,671	828	3,934
2.	अरुणाचल प्रदेश				राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार नहीं				
3.	असम	87	158	46	149	17	9	467	933
4.	बिहार	43	1	159	44	38	52	469	806
5.	छत्तीसगढ़	7,041	8,783	6,202	5,801	217	1,612	3,299	32,955
6.	गोवा	3	—	—	168	4	280	124	579
7.	गुजरात	861	422	25	1,861	32	1,324	1,922	6,447
8.	हरियाणा	10,995	1	34	797	18	2,225	654	14,724
9.	हिमाचल प्रदेश	75	4	3	605	4	5	236	932
10.	जम्मू और कश्मीर	2	22	3	500	13	13	47	600
11.	झारखंड	94	117	306	458	37	494	251	1,757
12.	कर्नाटक	147	1	—	374	—	104	437	1,063
13.	केरल	209	67	321	1,567	66	1,640	5,668	9,538
14.	मध्य प्रदेश	13,857	12,208	23,022	4,055	1,497	5,274	21,149	81,062
15.	महाराष्ट्र	4,946	4,419	3,821	7,231	181	1,996	9,45,557	9,68,151
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	1	—	1
17.	मेघालय	51	98	3	2	—	—	—	154
18.	मिज़ोरम	—	329	—	29	—	49	12	419
19.	नागालैंड				राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार नहीं				
20.	ओडिशा	414	293	137	980	5	351	753	2,913
21.	पंजाब	385	1	28	899	72	2,307	1,072	4,764
22.	राजस्थान	475	522	427	521	52	1,446	473	3,916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सिक्किम	10	30	—	171	13	233	38	495
24.	तमिलनाडु	4,604	496	19,117	15,654	473	1,783	96,313	1,38,440
25.	त्रिपुरा	46	17	13	283	10	120	78	567
26.	उत्तर प्रदेश	317	4	355	424	189	—	1,253	2,542
27.	उत्तराखंड	30	2	33	51	2	55	82	255
28.	पश्चिम बंगाल	5,040	2,344	2,324	15,006	1,137	9,195	15,267	54,313
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	8	—	923	1	932
30.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	26	—	3	148	12	372	42	603
31.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	2	—	2
32.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	दिल्ली	313	4	11	4,669	656	7,538	3,634	16,825
34.	लक्षद्वीप	—	1	—	—	—	—	—	1
35.	पुदुचेरी	2,606	—	2,857	1,636	256	22	732	8,109
36.	उच्चतम न्यायालय एलएससी	60	5	87	176	—	243	199	770
	कुल	52,931	30,412	59,483	69,206	5,074	41,339	11,01,057	13,59,502

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्ष के दौरान अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 में सोसाइटी के विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान की गई थी, की संख्या के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग	महिलाएं	बालक	अभिरक्षा में	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	201	93	212	1,373	289	1,168	1,337	4,673
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	2	—	—	—	11	—	13
3.	असम	576	525	297	509	36	—	2,466	4,409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	95	2	555	325	152	5	481	1,615
5.	छत्तीसगढ़	18,820	22,622	14,543	12,077	3,471	4,403	8,819	84,755
6.	गोवा	3	2	—	238	1	339	158	741
7.	गुजरात	1,127	384	190	2,040	12	1,127	2,218	7,098
8.	हरियाणा	125	1	64	1,509	77	3,222	628	5,626
9.	हिमाचल प्रदेश	103	10	8	887	3	1	362	1,374
10.	जम्मू और कश्मीर	9	13	11	370	21	47	61	532
11.	झारखंड	40	198	68	285	71	744	90	1,496
12.	कर्नाटक	201	11	—	392	—	72	770	1,446
13.	केरल	244	66	410	2,039	105	2,950	3.257	9,071
14.	मध्य प्रदेश	11,891	8,912	16,943	11,307	2,188	5,009	15,104	72,354
15.	महाराष्ट्र	4,443	4,225	3,796	10,110	113	2,529	8,64,127	8,89,343
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	62	185	22	11	51	108	1	440
18.	मिज़ोरम	—	1,720	6	492	3	441	82	2,744
19.	नागालैंड	135	690	143	223	122	325	107	1,745
20.	ओडिशा	423	294	172	1,308	8	354	992	3,551
21.	पंजाब	550	8	98	1,651	35	3,451	2,155	7,948
22.	राजस्थान	536	645	502	692	28	2,413	671	5,487
23.	सिक्किम	10	48	—	182	13	369	38	670
24.	तमिलनाडु	3,243	237	26,125	12,220	344	4,529	75,785	1,22,484
25.	त्रिपुरा	43	26	9	387	101	195	135	896
26.	उत्तर प्रदेश	208	6	276	1,192	247	—	1,181	3,110
27.	उत्तराखंड	82	14	22	82	1	172	130	503
28.	पश्चिम बंगाल	769	236	214	2,654	110	1,979	2,179	8,141
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	3	—	181	—	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	71	1	21	91	34	351	63	632
31.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	दमन और दीव	—	2	4	—	—	—	2	8
33.	दिल्ली	266	26	2	5,406	1,516	10,146	5,086	22,448
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	पुदुचेरी	935	—	884	1,520	152	34	444	3,969
36.	उच्चतम न्यायालय एलएससी	38	5	—	179	—	358	197	777
	कुल	45,249	41,209	65,597	71,764	9,304	47,033	3,90,127	12,70,283

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्ष के दौरान अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 में सोसाइटी के विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान की गई थी, की संख्या

क्र. सं.	राज्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग	महिलाएं	बालक	अभिरक्षा में	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	238	52	192	1,360	387	1,282	1,227	4,738
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	17	—	17
3.	असम	2,458	2,186	697	1,875	16	—	13,677	20,909
4.	बिहार	133	2	270	199	27	148	330	1,109
5.	छत्तीसगढ़	6,446	8,037	8,847	5,939	1,921	5,073	7,619	43,882
6.	गोवा	2	14	3	318	12	270	189	808
7.	गुजरात	1,351	325	207	2,625	17	1,554	2,793	8,872
8.	हरियाणा	100	7	90	2,155	33	4,520	979	7,884
9.	हिमाचल प्रदेश	138	7	15	660	19	44	467	1,350
10.	जम्मू और कश्मीर	14	13	5	607	15	22	637	1,313
11.	झारखंड	63	228	106	294	10	700	120	1,521
12.	कर्नाटक	369	1	—	815	—	—	2,940	4,125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	339	54	514	2,588	146	3,770	2,045	9,456
14.	मध्य प्रदेश	4,752	4,391	5,181	6,005	1,773	3,701	4,489	30,292
15.	महाराष्ट्र	5,204	4,477	3,989	7,060	163	3,473	4,70,850	4,95,216
16.	मणिपुर	—	4	5	15	—	—	1	25
17.	मेघालय	40	141	14	38	2	380	—	615
18.	मिज़ोरम	—	2,710	5	599	130	497	150	4,091
20.	ओडिशा	131	632	357	285	84	394	72	1,955
21.	पंजाब	565	492	423	1,354	40	732	862	4,468
22.	राजस्थान	707	6	183	2,478	108	5,873	3,453	1.2,808
23.	सिक्किम	801	744	717	696	29	2,171	1,335	6,493
24.	तमिलनाडु	13	42	—	150	11	333	71	620
25.	त्रिपुरा	3,027	91	33,803	10,923	140	3,840	14,60,300	15,12,124
26.	उत्तर प्रदेश	55	49	3	738	129	534	280	1,788
27.	उत्तराखंड	188	13	178	523	252	53	1,222	2,429
28.	पश्चिम बंगाल	110	12	12	90	9	202	175	610
29.	अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह	176	115	109	1,137	53	1,638	847	4,075
30.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	—	—	—	4	—	48	3	55
31.	दादरा और नगर हवेली	197	1	18	147	73	222	58	716
32.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	दिल्ली	1	—	—	72	120	40	212	445
34.	लक्षद्वीप	218	6	2	6,202	2,155	13,129	13,474	35,186
35.	पुदुचेरी	—	—	—	—	—		—	—
36.	उच्चतम न्यायालय एलएससी	1,217	—	1,018	1,174	271	50	767	4,497
	कुल	29,053	24,852	56,963	59,125	8,145	54,710	19,91,644	22,24,492

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र के कामगार

1554. श्री एन. क्रिष्टप्पा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कार्यबल की कुल संख्या और प्रतिशतता कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक और चालू वर्ष के दौरान असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित की गई और प्रयुक्त की गई निधियां कितनी हैं; और

(ग) देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2009-10 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल नियोजन 46.5 करोड़ था, जिसमें से 43.7 करोड़ (लगभग 94%) असंगठित क्षेत्र में थे।

(ख) और (ग) सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। यह अधिनियम केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है जो असंगठित कामगारों के लिए सरकार द्वारा यथा निर्धारित जीवन और अपंगता छत्र, स्वास्थ्य और प्रसूति हितलाभों जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के गठन की सिफारिश करेगा। राज्य स्तर पर भी ऐसे ही सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन किया जाएगा।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र में प्रसूति हितलाभ, बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई) के फैमिली फ्लोटर आधार पर 30,000/- रुपए प्रतिवर्ष के छत्र सहित स्मार्ट कार्ड आधारित नकदी रहित स्वास्थ्य हितलाभ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) आरंभ की। यह स्कीम 01.04.2008 से परिचालित हुई। वर्तमान में यह स्कीम 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 तक 3.85 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। कार्यान्वयन के दौरान बीपीएल परिवारों के अलावा आरएसबीवाई के छत्र का विस्तार असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों नामत: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों, लाइसेंसधारी रेलवे कुलियों, फेरीवालों, मनरेगा कामगारों (जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पंद्रह दिन से अधिक काम किया है), बीड़ी कामगारों, घरेलू कामगारों, सफाई कर्मचारियों, खान कामगारों, रिक्शा चलाने वालों, कूड़ा बीनने वालों तथा ऑटो/टैक्सी चालकों तक किया गया है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आरएसबीवाई स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय निधि का आबंटन और व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आरएसबीवाई (आबंटन)	313.42	1568.56	1256.00	1429.30
(व्यय)	922.97	1056.79	885.91	118.35 (3.7.2014 की स्थिति के अनुसार)

आरएसबीवाई का वित्तीय वर्ष 2013-14 का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2013-14
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2184
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	1416919
4.	बिहार	6102774
5.	चंडीगढ़	5854
6.	छत्तीसगढ़	2265370
7.	दिल्ली	-
8.	गुजरात	1900903
9.	हरियाणा	465797
10.	हिमाचल प्रदेश	341818
11.	जम्मू और कश्मीर	4988
12.	झारखंड	1923138
13.	कर्नाटक	29417

1	2	3
14.	केरल	3662511
15.	मध्य प्रदेश	608748
16.	महाराष्ट्र	234252
17.	मणिपुर	68140
18.	मेघालय	108321
19.	मिज़ोरम	145842
20.	नागालैंड	151806
21.	ओडिशा	4238040
22.	पुदुचेरी	9486
23.	पंजाब	236764
24.	राजस्थान	2511663
25.	त्रिपुरा	505327
26.	उत्तर प्रदेश	5541225
27.	उत्तराखंड	285435
28.	पश्चिम बंगाल	5748689
	कुल	38515411

अनुमान:

1. दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अधिकतम नामांकन गिनती डाटा पर ही विचार करें। (अर्थात् एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान जिले की नीति सितम्बर, 2013 माह में समाप्त मानी जाती है तथा इसी जिले की अगली नीति 1 अक्तूबर, 2013 से आरंभ की जानी है। अब, यहां हमें अधिकतम नामांकन गिनती नीति पर विचार करने की कल्पना करनी है)

2. 25 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध डाटा पर रिपोर्ट दी जानी है।

3. राज्य एपीएल डाटा को छोड़ दें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कोई विशेष कल्याणकारी स्कीम कार्यान्वित नहीं करता है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है जिसके अंतर्गत वृद्धों, विधवाओं, अपंग व्यक्तियों तथा **गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों** के प्रमुख अर्जक सदस्य की मृत्यु होने पर शोकसंतप्त परिवारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में एनएसएपी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन स्कीम (ईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ पेंशन (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा स्कीम नामक 5 स्कीमें आती हैं। एनएसएपी की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पात्रता मानदंड और सहायता की राशि नीचे दी गई है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की स्कीमों के अंतर्गत पात्रता मानदंड और सहायता की राशि

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस): 60-79 वर्ष के आयु वर्ग वाले व्यक्ति को 200/- रुपए प्रतिमाह तथा 80 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को 500/- रुपए प्रतिमाह की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस): स्कीम के अंतर्गत 40-79 वर्ष के आयु-वर्ग की विधवाओं को 300/- रुपए प्रतिमाह की दर से **केन्द्रीय सहायता** प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर लाभार्थियों को 500/- रुपए प्रतिमाह की वृद्धित सहायता प्राप्त करने के लिए आईजीएनओएपीएस में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगत पेंशन स्कीम (ईजीएनडीपीएस): स्कीम के अंतर्गत गंभीर और बहुत अपंगता वाले 18-79 वर्ष के व्यक्तियों को 300/- रुपये प्रतिमाह की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर लाभार्थियों को 500/- रुपये प्रतिमाह की वर्धित सहायता प्राप्त करने के लिए आईजीएनओएपीएस में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ पेंशन (एनएफबीएस): इस स्कीम के अंतर्गत बीपीएल परिवार 18 से 59 वर्ष की आयु के प्रमुख अर्जक व्यक्ति की मृत्यु पर एकमुश्त धनराशि का हकदार है। सहायता की राशि 20,000/- रुपए है।

अन्नपूर्णा: स्कीम के अंतर्गत, वरिष्ठ नागरिकों को, जो पात्र होने पर भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं ले रहे हैं, 10 किलो अनाज प्रतिमाह नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसएपी स्कीमों के संबंध में जारी निधियों और रिपोर्ट किए गए व्यय के राज्य-वार विवरण निम्नलिखित हैं:—

एनएसएपी स्कीमों के पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट की गई जारी निधियों और व्यय के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-2012		2012-2013		2013-2014	
		कुल जारी	रिपोर्ट के अनुसार कुल व्यय	कुल जारी	रिपोर्ट के अनुसार कुल व्यय	कुल जारी	रिपोर्ट के अनुसार कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	40949.02	51471.47	67563.36	65595.73	62861.79	61031.93
2.	बिहार	97147.75	75185.79	101216.67	64799.29	141881.03	85203.34
3.	छत्तीसगढ़	23506.54	20518.2	23072.95	22435.59	31522.75	22917.88
4.	गोवा	129	0	292	42.02	0.00	2.85
5.	गुजरात	8998	8344.66	13246.21	10172.33	13608.00	10930.80
6.	हरियाणा	6929.82	7404	7505.39	5580	8316.67	4549.00
7.	हिमाचल प्रदेश	2934.39	2795.69	3098.36	3600.24	3522.86	4477.80
8.	जम्मू और कश्मीर	2372	3280.206	2821.15	2828.24	4173.95	2916.00
9.	झारखंड	27728.08	22833.97	18215.64	23354.87	33618.19	19655.07
10.	कर्नाटक	39782.87	37448.64	45649.44	47390.06	40014.00	51369.57
11.	केरल	8594.37	8719	9164	15423.33	16103.39	9224.44
12.	मध्य प्रदेश	53973.36	42857.02	54351.43	51028.79	80137.90	44720.51
13.	महाराष्ट्र	20505.99	29567.18	43866	29353.42	0.00	29176.89
14.	ओडिशा	51086.43	36453.06	74305.32	73641.06	72925.64	67390.57
15.	पंजाब	4414	4365.83	5783.11	3507.14	5055.00	61.61
16.	राजस्थान	25538.44	23035.38	25513.08	24776.49	34008.33	28837.38
17.	तमिलाडु	31909	39267.64	57350.39	38550.54	60936.74	183847.33
18.	उत्तर प्रदेश	131679.43	108741.96	111027.03	109609.43	164710.68	123914.31
19.	उत्तराखंड	7578.09	6803.02	7904.87	7927.82	10882.87	8446.82
20.	पश्चिम बंगाल	47504.93	58411.07	78165.01	71459.4	89807.63	67741.67

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वोत्तर राज्य							
21.	अरुणाचल प्रदेश	504.12	604.54	1138.98	594.62	792.00	0.00
22.	असम	11207.5	16875.71	22504.42	15613.5	16188.00	14606.72
23.	मणिपुर	1893.93	1374	1044.22	1517.85	2519.18	1480.30
24.	मेघालय	1486.49	1492.42	1062	1069.06	2175.20	2069.44
25.	मिज़ोरम	792.78	837.3	867.57	577.35	839.09	839.11
26.	नागालैंड	1027.72	1315.67	1048.52	1048.51	1639.13	1627.22
27.	सिक्किम	455.53	370.85	236	562.26	685.26	324.29
28.	त्रिपुरा	3978.37	3816.88	4491.91	5402.67	5713.78	4013.00
	उप-योग	654607.95	614191.156	782505.03	697461.61	904639.06	851375.85
संघ राज्यक्षेत्र							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	198.00	198.00	174	10.29	एनआर	14.03
30.	चंडीगढ़	158.00	167.79	190	170.75	150.49	171.55
31.	दादरा और नगर हवेली	238.00	238.00	204	0	एनआर	0.00
32	दमन और दीव	32.00	32.00	33	0	एनआर	1075.79
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3709.00	3709.00	4455	0	5458.63	0.00
34	लक्षद्वीप	22.00	22.00	21	0	एनआर	0.00
35	पुदुचेरी	682.00	682.00	873	436	997.68	750.00
	उप-योग	5039.00	5048.79	5950	617.04	6606.8	2011.37
	महयोग	659646.95	619239.946	788455.03	698078.65	911245.86	853387.22

एनआर: रिपोर्ट न किए गए।

इस विभाग द्वारा मॉनीटर की जा रही पूर्वगत जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) और आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) नामक सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा स्कीमों को 01.01.2013 से मिला दिया गया है तथा आम आदमी बीमा योजना का नाम दिया गया है। आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को देश में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों और चालू

वर्ष के लिए आबंटित और व्यय निधियों सहित एएबीवाई के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जीवन बीमा छत्र प्रदान करने वाली सामाजिक क्षेत्र की बीमा योजना है। आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) 47 पहचाने गए व्यावसायिक/पेशेवर समूहों के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे या थोड़ा ऊपर जीवन-यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्तियों को जीवन और अपंगता छत्र प्रदान करती है। (सूची विवरण के रूप में संलग्न है)। इसका सदस्य पात्र समूहों के अंतर्गत परिवार का मुखिया या परिवार का एक अर्जक सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा, एएबीवाई का विस्तार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के सभी लाभार्थियों तक भी किया गया है, बशर्ते कि वे एएबीवाई स्कम का अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एएबीवाई के अंतर्गत कुल 4,54,15,082 जिंदगियों को छत्र प्रदान किया गया है।

एएबीवाई प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000/- रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 75,000/- रुपए, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अपंगता (एक नेत्र या एक अंग की हानि) के लिए 37,500/- रुपए तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर या कुल स्थायी अपंगता (दोनों नेत्रों या एक नेत्र तथा एक अंग की हानि) के लिए 75,000/- रुपए की राशि का बीमा छत्र प्रदान करती है। यह स्कीम पूरक लाभ भी प्रदान करती है, जिसमें प्रति सदस्य की 9वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अधिकतम दो संतानों को छमाही आधार पर 100 रुपए प्रतिमाह के वजीफे का भुगतान किया जाता है।

स्कीम के अंतर्गत कुल वार्षित प्रीमियम 200/- रुपए प्रति लाभार्थी है जिसमें से 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित और एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से दिया जाता है। 'ग्रामीण भूमिहीन परिवारों' के मामले में शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाता है तथा अन्य समूहों के लिए, यह राज्य सरकार/नोडल एजेंसी/व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय मंत्रालयों के विभाग/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों/किसी अन्य संस्थागत व्यवस्था/पूंजीगत गैर-सरकारी संगठन इस स्कीम के अंतर्गत नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं। तथापि, 'ग्रामीण भूमिहीन परिवार' वर्ग के मामले में, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र ही नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

सूचित किया जाता है कि एएबीवाई के अंतर्गत प्रीमियम में सरकार के 50% शेयर के लिए एलआईसी, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित 'सामाजिक सुरक्षा निधि' और 'एएबीवाई छात्रवृत्ति निधि' में अंशदान की राशि का भुगतान किया जाता है, लेकिन राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है। एएबीवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए आबंटित/व्यय वर्ष-वार निधियां निम्नवत् हैं:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	एलआईसी को एएबीवाई के अंतर्गत जारी निधियां
2011-12	100.00 ^
2012-13	175.00 ^
2013-14	5.00
2014-15**	15.00 **

**अंतरिम बजट 2014-15 के अंतर्गत आबंटित।

^पूर्वगत जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत जारी।

विवरण

आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए व्यवसाय/पेशे

क्र.सं.	व्यवसाय
1	2
1.	बीड़ी कामगार
2.	ईंट भट्टा कामगार
3.	बढ़ई
4.	मोची
5.	मछुवारे
6.	हमाल
7.	हस्त शिल्प कारीगर
8.	हथकरघा बुनकर
9.	हथकरघा और खादी बुनकर
10.	महिला दर्जी
11.	चमड़ा और चर्म शोधन कामगार

1	2
12.	'सेवा' से जुड़े पापड़ कामगार
13.	शारीरिक विकलांग स्व-नियोजित व्यक्ति
14.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक
15.	रिक्शा चालक/आटो चालक
16.	सफाई कर्मचारी
17.	नमक बनाने वाले
18.	तेंदु पत्ता बीनने वाले
19.	शहरी गरीबों के लिए स्कीम
20.	वन कामगार
21.	रेशम उत्पादन
22.	टोडी टेपर्स
23.	पावर लूम कामगार
24.	पहाड़ी क्षेत्र की महिला
25.	खांडसारी/शुगर जैसे खाद्य पदार्थ
26.	वस्त्र
27.	लकड़ी उत्पाद विनिर्माण
28.	कागज उत्पाद विनिर्माण
29.	चमड़ा उत्पाद विनिर्माण
30.	मुद्रण
31.	रबड़ और कोयला उत्पाद
32.	मोमबत्ती जैसे रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण
33.	मिट्टी के खिलौनों जैसे खनिज उत्पादों का विनिर्माण
34.	कृषक
35.	परिवहन चालक एसोसिएशन
36.	परिवहन कर्मचारी
37.	ग्रामीण निर्धन
38.	सन्निर्माण कामगार
39.	आतिशबाजी कामगार
40.	नारियल संसाधन
41.	आंगनबाड़ी अध्यापक
42.	कोतवाल
43.	बागान कामगार
44.	स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं
45.	भेड़-पशु पालक
46.	प्रवासी भारतीय कामगार
47.	ग्रामीण भूमिहीन परिवार

*50% प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाना है।

कम लागत वाले टर्मिनलों का विकास

1555. **श्री अशोक शंकर राव चव्हाण :**
श्री धनंजय महाडीक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री राजीव सातव :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :
श्री प्रताप सिम्हा :
श्री नलीन कुमार कटील :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय विमानपत्तन के नियंत्रणाधीन सहित कार्यशील और अकार्यशील हवाईपट्टियों/रनवे की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के रनवे सहित दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के रनवे को व्यापक मरम्मत की आवश्यकता है और यदि हां, तो इन रनवे के मरम्मत/विस्तार के लिए की-गई-कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में हवाई संपर्कता विकसित करने की दृष्टि से कम लागत या बाधा रहित टर्मिनलों के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लाभ क्या हैं और इन टर्मिनलों के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, रक्षा, राज्य सरकारों, निजी पक्षकारों तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के एयरोड्रम समेत, 476 हवाईअड्डे/विमानपट्टियां हैं। इनमें से, 305 हवाईअड्डे/विमानपट्टियां प्रचालनिक हैं और 171 गैर-प्रचालनिक हैं। एएआई के स्वामित्व तथा एएआई द्वारा प्रबंधित हवाईअड्डों तथा सिविल इन्कलेवों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। देश में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रनवे की मरम्मत का कोई बड़ा कार्य अपेक्षित नहीं है। तथापि, राइडिंग गुणवत्ता में सुधार के लिए वियरिंग कोर्स के नवीकरण हेतु चेन्नै तथा कोलकाता हवाईअड्डे पर रनवे का पुन:सतहीकरण करने की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना है।

(ग) जी, हां। पूरे देश के श्रेणी-II तथा श्रेणी-III शहरों में क्षेत्रीय विमान संपर्कता के संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक 50 स्थानों की पहचान की गई है, जिनके नाम हैं: आंध्र प्रदेश में कडप्पा, तिरुपति, विजयवाड़ा, वारंगल, अरुणाचल प्रदेश में अलोंग, दपारिजु, पासीघाट, तेजू, असम में जोरहाट, रूपसी, सिलचर, बिहार में गया, रक्सौल, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायगढ़, दमन तथा दीव में दमन, दीव, गुजरात में भावनगर, जामनगर, कांडला, केशोड, हरियाणा में हिसार, करनाल, जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़, झारखंड में देवघर, जमशेदपुर, कर्नाटक में बेलगाम, हुबली, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती, जलगांव, कोल्हापुर, सोलापुर, ओडिशा में झारसगुडा, पंजाब में लुधियाना, राजस्थान में बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, तमिलनाडु में तंजावुर, उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद तथा सहारनपुर।

(घ) प्रत्येक हवाईअड्डे का विकास संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि की उपलब्धता तथा यातायात मांग के आकलन पर निर्भर करेगा।

विवरण

सिविल एनक्लेव समेत राज्य-वार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हवाईअड्डों के नाम

एएआई हवाई अड्डे

राज्य	क्र.सं.	स्टेशन
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.	कडप्पा
	2.	दोनाकोण्डा
	3.	हैदराबाद (बेगमपेट)
	4.	नादिरगुल
	5.	राजमुंदरी
	6.	तिरुपति
	7.	विजयवाड़ा
	8.	विशााखापतनम (सीई)
	9.	वारंगल
अरुणाचल प्रदेश	10.	डपार्जियो
	11.	पासी घाट
	12.	तेजु
असम	13.	डिब्रूगढ़
	14.	गुवाहाटी
	15.	लीलाबाड़ी
	16.	जोरहाट (सीई)
	17.	रूपसी
	18.	शेल्ला
	19.	सिलचर (सीई)
	20.	तेजपुर (सीई)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21.	पोर्ट ब्लेयर (सीई)

1	2	3
बिहार	22.	गया
	23.	जोगबनी
	24.	मुजफ्फरपुर
	25.	पटना
	26.	रक्सौल
चंडीगढ़ (यूटी)	27.	चंडीगढ़ (सीई)
छत्तीसगढ़	28.	रायपुर
	29.	बिलासपुर
दिल्ली	30.	नई दिल्ली (सफदरजंग)
	31.	इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली
गोवा	32.	गोवा (सीई)
गुजरात	33.	अहमदाबाद
	34.	भावनगर
	35.	भुज (सीई)
	36.	देसा (पालनपुर)
	37.	कांडला
	38.	केशोद
	39.	जामनगर (सीई)
	40.	पोरबंदर
	41.	राजकोट
	42.	सूरत
	43.	वडोदरा
हिमाचल प्रदेश	44.	कांगड़ा (गग्गल)
	45.	भुंतर (कुल्लू)
	46.	शिमला

1	2	3
झारखंड	47.	चकूला
	48.	रांची
	49.	देवघर*
जम्मू और कश्मीर	50.	जम्मू (सीई)
	51.	श्रीनगर (सीई)
	52.	लेह (सीई)
कर्नाटक	53.	बेंगलुरु (सीई)
	54.	बेलगाम
	55.	हुबली
	56.	बेंगलुरु
	57.	मैसूर
केरल	58.	कालीकट
	59.	तिरुवनंतपुरम
लक्षद्वीप	60.	अगाती
आंध्र प्रदेश	61.	भोपाल
	62.	ग्वालियर (सीई)
	63.	जबलपुर
	64.	खजुराहो
	65.	खंडवा
	66.	इंदौर
	67.	पन्ना
	68.	सतना
महाराष्ट्र	69.	अकोला
	70.	औरंगाबाद
	71.	गोंदिया
	72.	जलगांव

1	2	3
	73.	मुंबई (जुहू)
	74.	सीएसआई हवाईअड्डा, मुंबई
	75.	कोल्हापुर
	76.	मिहान, नागपुर
	77.	पुणे (सीई)
	78.	शोलापुर
मणिपुर	79.	इम्फाल
मेघालय	80.	शिलांग (बड़ापानी)
मिज़ोरम	81.	आइजोल (तुरायल)
नागालैंड	82.	दीमापुर
ओडिशा	83.	भुवनेश्वर
	84.	झारसुगुडा
पंजाब	85.	अमृतसर
	86.	भटिंडा (सीई)
	87.	लुधियाना
	88.	पठानकोट (सीई)
पुदुचेरी	89.	पुदुचेरी
राजस्थान	90.	बीकानेर (एनएएल) (सीई)
	91.	जयपुर
	92.	जैसलमेर (सीई)
	93.	जोधपुर (सीई)
	94.	कोटा
	95.	किशनगढ़
	96.	उदयपुर
तमिलनाडु	97.	कोयम्बटूर
	98.	चेन्नै
	99.	मदुरै
	100.	सेलम
	101.	त्रिची
	102.	तूतीकोरिन
	103.	तंजावुर (सीई)
	104.	वेल्लोर
त्रिपुरा	105.	अगरतला
	106.	कैलाशहर
	107.	कमलपुर
	108.	खोवाई
उत्तर प्रदेश	109.	आगरा (सीई)
	110.	इलाहाबाद (सीई)
	111.	गोरखपुर (सीई)
	112.	कानपुर (चकेरी) (सीई)
	113.	कानपुर (सिविल)
	114.	ललितपुर
	115.	लखनऊ
	116.	वाराणसी
उत्तराखंड	117.	देहरादून
	118.	पंतनगर
पश्चिम बंगाल	119.	आसनसोल
	120.	बालुरघाट
	121.	बागडोगरा (सीई)
	122.	बेहला
	123.	कूच-बिहार
	124.	कोलकाता
	125.	मालदा

केरल-खाड़ी क्षेत्र पर एयर इंडिया की उड़ानें

1556. श्री पी. करुणाकरन :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केरल-खाड़ी क्षेत्र पर एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों का ब्यौरा क्या है और उनकी निरंतरता क्या है;

(ख) क्या सरकार को केरल-खाड़ी क्षेत्र पर उड़ानों के लगातार विलंब/निरस्त होने संबंधी केरल के अनिवासियों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एयर इंडिया द्वारा इस मार्ग पर चलाई जाने वाली फ्लाइटों की संख्या यात्रियों की मांग अनुसार पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को केरल-खाड़ी क्षेत्र पर उड़ानों की सेवा और निरंतरता में वृद्धि के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या केरल-खाड़ी क्षेत्र के हवाई किराए कथित रूप से बेहिसाब ज्यादा हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस क्षेत्र में हवाई किरायों को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा): (क) केरल-खाड़ी मार्ग पर एयर इंडिया द्वारा प्रचालित उड़ानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। तथापि, केरल के अनिवासियों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में सरकार द्वारा अलग से कोई डाटा नहीं रखा जाता है। प्राप्त शिकायतें एयर इंडिया को भिजवा दी जाती है तथा एयर इंडिया द्वारा उनके संबंध में उचित कार्रवाई कर उनका समाधान किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। एयर इंडिया द्वारा अपनी प्रचालनात्मक एवं वाणिज्यिक क्षमताओं तथा संसाधनों के अनुरूप केरल-खाड़ी मार्ग के लिए उड़ानों का इष्टतम नियोजन किया गया है।

(ङ) जी, नहीं। एयर इंडिया द्वारा प्रतिस्पर्धी किराए जारी किए गए हैं तथा ये प्रतिस्पर्धियों के किराए, सीजन तथा बारम्बारता, समय इत्यादि जैसी उत्पाद विशेषताओं के अनुसार बाजार आधारित होता हैं। एयरलाइनों के किराए अत्यधिक लोचकशील होते हैं तथा ये बाजार स्थितियों एवं मांग पर निर्भर करते हैं।

विवरण

केरल के मध्य पूर्व के लिए एयर इंडिया की वर्तमान उड़ानें

16.07.2014

देश	मार्ग	प्रारंभ स्थान	गंतव्य	सप्ताहिक/ उड़ानें	विमान	सप्ताहिक/ सीट
1	2	3	4	5	6	7
सऊदी अरेबिया	कोच्चि-कोझीकोड-जेड्डा	कोच्चि	जेद्दाह	2	बी747	846
सऊदी अरेबिया	कोझीकोड-जेड्डा	कोझिकोड	जेद्दाह	3	बी747	1269
सऊदी अरेबिया	कोझीकोड-रियाद	कोझिकोड	रियाद	3	बी777-300ईआर	1026
सऊदी अरेबिया	तिरुवनंतपुरम-रियाद	तिरुवनंतपुरम	रियाद	2	बी777-300ईआर	684
उप-योग				10		3825
यूएई	कोझीकोड-दुबई	कोझीकोड	दुबई	7	ए321	1204

1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त अरब अमीरात	कोच्चि-शारजाह	कोच्चि	शारजाह	7	ए320 (सभी वाई)	1176
संयुक्त अरब अमीरात	कोझीकोड-शारजाह	कोझीकोड	शारजाह	7	ए321	1204
संयुक्त अरब अमीरात	चैन्ने-तिरुवनंतपुरम-शारजाह	चैन्ने	शारजाह	7	ए320	1050
उप-योग				28		4634
कुल				38		8459

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवा

1557. योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती रमा देवी :
श्री थोटा नरसिम्हम :
श्री नारणभाई काछादिया :
श्री जैदेव गल्ला :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री प्रतापराव जाधव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंजीकृत शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या और उनकी सतत् वृद्धि के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देश में युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना तैयार की गई है/तैयार किए जाने का प्रस्ताव है जिससे उनकी योग्यता/पात्रता के अनुसार रोजगार मिले;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं और उनके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां रहीं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित एवं अशिक्षित रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार सामान्य विकास प्रक्रिया तथा विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं का कार्यान्वयन करके देश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं हेतु अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए सतत् प्रयास करती रही है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए)। श्रम बाजार में रोजगार संबंधी सूचना के आदान-प्रदान में सुधार करने के लिए, सरकार ने विद्यार्थियों तथा रोजगार चाहने वालों को रोजगार संबंधी अन्य सहायता के साथ-साथ परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से रोजगार कार्यालयों की आजीविका केन्द्रों में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया है।

विवरण

2009 से 2011 (31 दिसम्बर को) के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित एवं अशिक्षित रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	शिक्षित			अशिक्षित		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	14.5	13.1	13.5	5.5	6.5	5.9
अरुणाचल प्रदेश	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
असम	14.9	14.3	13.1	2.2	0.8	2.5
बिहार	6.9	6.3	8.3	1.3	2.2	0.5
छत्तीसगढ़	11.4	11.5	11.5	2.2	1.7	1.9
दिल्ली	4.5	5.5	7.5	0.1	0.4	0.1
गोवा	1.0	0.8	0.9	0.0	0.3	0.3
गुजरात	8.3	8.2	8.3	0.7	0.7	0.7
हरियाणा	7.7	7.6	7.1	1.9	2.0	1.1
हिमाचल प्रदेश	7.1	7.1	7.1	0.9	1.1	1.3
जम्मू और कश्मीर	0.8	4.0	3.9	2.4	0.1	1.0
झारखंड	4.6	6.3	6.8	1.6	1.9	1.5
कर्नाटक	3.8	3.4	3.0	2.0	1.7	1.8
केरल	37.4	38.6	38.7	6.2	5.1	4.7
मध्य प्रदेश	15.6	15.6	14.0	3.8	4.0	6.0
महाराष्ट्र	22.3	25.2	23.1	7.8	3.4	4.3
मणिपुर	4.2	4.4	4.4	2.4	2.5	2.7
मेघालय	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
मिज़ोरम	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1
नागालैंड	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2

1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	7.5	8.2	9.5	1.0	1.1	1.0
पंजाब	2.4	2.6	3.5	1.5	1.2	0.0
राजस्थान	6.9	6.6	6.0	1.3	1.1	1.2
सिक्किम*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
तमिलनाडु	34.5	48.9	48.8	21.2	11.2	19.0
त्रिपुरा	2.0	2.6	2.7	2.8	2.4	2.4
उत्तराखंड	4.3	5.1	6.1	0.6	0.5	0.5
उत्तर प्रदेश	18.6	17.3	18.1	2.8	2.5	2.2
पश्चिम बंगाल	46.5	49.5	51.3	16.4	16.2	17.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1
चंडीगढ़	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
दादरा और नगर हवेली	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दमन और दीव	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
लक्षद्वीप	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
पुदुचेरी	2.1	2.1	2.2	0.0	0.0	0.1
कुल योग	291.7	316.3	321.1	89.8	72.0	80.7

टिप्पणी: हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

पर्यटक स्थलों/छोटे शहरों हेतु हवाई सेवाएं

1558. **श्री शैलेश कुमार :**
श्री बी. श्रीरामुलु :
श्रीमती अनुप्रिया पटेल :
श्री राजेश रंजन :
डॉ. संजय जायसवाल :
श्रीमती रंजीत रंजन :
डॉ. बंशीलाल महतो :
श्री भैरो प्रसाद मिश्र :
श्रीमती कमला पाटले :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों और छोटे नगरों तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चक्रमाता, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और मिर्जापुर में देवगंगा घाट और बिहार में रक्सौल, भागलपुर, कोसी और मिथिला सहित और शहरों के लिए प्रमुख विमानपत्तनों से हवाई सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चिह्नित पर्यटक स्थलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन हवाई सेवाओं को कब तक शुरू करने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार को राज्यों में विमानपत्तनों के निर्माण के लिए बिहार में भागलपुर, कटिहार और मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा): (क) और (ख) घरेलू विमान परिवहन सेवाओं को विनियंत्रित तथा गैर-विनियमित किया जा चुका है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए विमान यातायात के बेहतर विनियमन हेतु सरकार ने मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशा जारी किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशेष स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें। सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन एयरलाइनें देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्तमान में, अनुसूचित घरेलू वाहक भारत में 73 हवाईअड्डों से/को उड़ानों का प्रचालन कर रहे हैं, जिनमें पर्यटक स्थल तथा छोटे शहर शामिल हैं। राज्य-वार विमान संपर्कता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्य सरकार से भागलपुर, कटिहार तथा मुजफ्फरपुर में हवाईअड्डे के विकास के लिए कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

राज्य-वार हवाई संपर्क

क्र.सं.	राज्य	विमान संपर्कता वाले शहरों के नाम	हवाईअड्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश व तेलंगाना	हैदराबाद, राजामुंदरी, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	
3.	असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर	4
4.	बिहार	गया, पटना	2
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1
6.	दिल्ली	दिल्ली	1
7.	गोवा	गोवा	1
8.	गुजरात	अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वडोदरा	8
9.	हरियाणा	—	
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, कुल्लू	2
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, लेह, श्रीनगर, थोईज	4
12.	झारखंड	रांची	1

1	2	3	4
13.	कर्नाटक	बेंगलुरु, बेलगाम, हबुली, मंगलौर, मैसूर	5
14.	केरल	कालीकट, कोच्चि, त्रिवेंद्रम	3
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो	5
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे	4
17.	मणिपुर	इम्फाल	1
18.	मेघालय	शिलांग**	1
19.	मिज़ोरम	आइजल	1
20.	नागालैंड	दिमापुर	1
21.	ओडिशा	भुवनेश्वर	1
22.	पंजाब	अमृतसर, लुधियाना	2
23.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर	3
24.	सिक्किम	—	
25.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, त्रिची, तूतीकोरिन	5
26.	त्रिपुरा	अगरतला	1
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ वाराणसी	6
28.	उत्तराखंड	देहरादून	1
29.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा, कोलकाता	2
		संघ राज्यक्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	1
2.	लक्षद्वीप	अगाती	1
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1
4.	दादरा और नगर हवेली	—	
5.	दमन और दीव	दीव	1
6.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	1
अनुसूचित घरेलू प्रचालकों द्वारा संपर्कता वाले शहरों की संख्या			73

**एलायंस एयर ने 1 जून, 2014 से प्रचालन समाप्त कर दिया।

विवरण-II

उन हवाईअड्डों का ब्यौरा, जिनके विकास, विस्तार, स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध

क्र.सं.	राज्य का नाम	हवाईअड्डों की संख्या	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1. कडप्पा	परियोजना समाप्ति के करीब है।
		2. तिरुपति	भूमि आंशिक रूप से हस्तांतरित की गयी है। शेष भूमि राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित होनी है। समेकित टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्रस्तावित समाप्ति की तिथि (पीडीसी) जून, 2015, राज्य सरकार द्वारा भूमि के हस्तांतरण के पश्चात् हवाईपट्टी के विस्तार का काम किया जाएगा।
2.	छत्तीसगढ़	3. रायगढ़	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। राज्य सरकार भूमि के विकास के लिए आवश्यक 592 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्रवाई कर रही है।
3.	हरियाणा	4. हिसार 5. करनाल	राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, व्यवहार्यता अध्ययन किए गए एवं राज्य सरकार को टिप्पणियां अग्रेषित की गयी।
4.	हिमाचल प्रदेश	6. कुल्लू	नदी का दिशा परिवर्तन/प्रशिक्षण तथा तत्पश्चात् हवाईपट्टी के विस्तार हेतु एएआई को भूमि का स्थानांतरण राज्य सरकार के पास लंबित है।
		7. शिमला	भूमि अपरदन को रोकने हेतु मूल स्ट्रिप को बचाने के लिए इंजीनियरिंग परामर्शदाता की नियुक्ति एवं हवाईपट्टी के विस्तार की व्यहार्यता। परामर्शदाता ने विस्तृत डिज़ाइन एवं ड्राईंग प्रस्तुत की, उसे आईआईटी दिल्ली को वेटिंग के लिए भेज दिया गया है।
5.	जम्मू और कश्मीर	8. जम्मू (सीई)	हवाईपट्टी का विस्तार: 1. सेना/राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण प्रतीक्षित। कैनल का डायवर्जन, एचटी लाइन का रिएलाइमेंट, राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक रोड का डायवर्जन किया जाना। 2. तावी रीवर साइड पर सीई के अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 138 एकड़ भूमि का हस्तांतरण।
		9. लेह	योजना चरण-I नए टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भारतीय वायु सेना से 14.63 एकड़ भूमि का हस्तांतरण।
6.	झारखंड	10. देवघर	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। 606 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई।

1	2	3	4
7.	कर्नाटक	11. बेलगाम	समझौता ज्ञान हस्ताक्षरित। राज्य सरकार चरण-I में ए320 टाइप विमान तथा बाद में बी767 के प्रचालन के लिए 370 एकड़ भूमि को हस्तांतरित कर दिया है। चारदीवरी के निर्माण के लिए डब्ल्यूआईपी।
		12. हुबली	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। राज्य सरकार 320 टाइप विमान तथा बी767 के प्रचालन के लिए 600 एकड़ भूमि को चरण-I में हस्तांतरित कर दिया है।
8.	ओडिशा	13. झारसगुडा	चरण-I एवं II के लिए हवाईअड्डे के विकास हेतु राज्य सरकार भूमि के लिए अधिग्रहण तथा एएआई को हस्तांतरण की प्रक्रिया में है।
9.	पंजाब	14. भटिंडा (सीई)	नए सिविल एन्कलेव का कार्य पूरा हो गया।
		15. लुधियाना	अतिरिक्त विकास के लिए राज्य सरकार 275 एकड़ भूमि हस्तांतरित करेगी।
		16. चंडीगढ़ (सीई)	मोहाली साइड पर नए सिविल एन्कलेव की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर है। वर्तमान प्रगति 70 प्रतिशत, पीडीसी मई, 2015
10.	राजस्थान	17. किशनगढ़	राज्य सरकार ने भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण कर लिया है तथा उसे एएआई को हस्तांतरित कर दिया है। एएआई को 69 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया जाना है। चारदीवारी तथा एयरोड्रम पेवमेंट के निर्माण के लिए डब्ल्यूआईपी।
		18. जोधपुर (सीई)	80 एकड़ भूमि के हस्तांतरण हेतु भारतीय वायु सेना से अनुरोध।
11.	तमिलनाडु	19. कोयम्बटूर	विमानों के एक समय प्रचालन के लिए दो समानांतर हवाईपट्टी के साथ हवाईअड्डे के विस्तार तथा अपग्रेडेशन के लिए राज्य सरकार 1566 एकड़ भूमि हस्तांतरित करेगी।
		20. तूतीकोरिन	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। राज्य सरकार द्वारा चरण-I में ए320 टाइप विमान तथा बी767 के प्रचालन के लिए 586 एकड़ भूमि को हस्तांतरण किया जाना है।
12.	त्रिपुरा	21. कैलाशर	एटीआर-72 टाइप विमान के लिए हवाईअड्डा विकसित करने की योजना है। इस उद्देश्य हेतु एएआई ने राज्य सरकार को मास्टर प्लान सौंप दिया है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क तथा सभी ऋणभारों से मुक्त 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शामिल है।
		22. कमलपुर	एटीआर-72 टाइप विमान के लिए कमलपुर हवाईअड्डा विकसित करने की योजना है। इस उद्देश्य हेतु एएआई ने राज्य सरकार को मास्टर प्लान सौंप दिया है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क तथा सभी ऋणभारों से मुक्त 50.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण का अनुरोध किया गया है।
13.	अरुणाचल प्रदेश	23. तेजू	2010 में एएआई ने राज्य सरकार से हवाईअड्डा ले लिया था। एटीआर

1	2	3	4
			72 टाइप विमान के लिए इस हवाईअड्डे को प्रचालनीय बनाने का कार्य प्रगति पर है। दिसंबर, 2015 तक पूरा होने की संभावना है।
14.	मेघालय	24. तुरा	एटीआर-72 टाइप विमानों के प्रचालन के लिए तुरा हवाईअड्डे को विकसित करने के लिए राज्य सरकार को 56.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्कयता बताई गई है। एएआई द्वारा राज्य सरकार से हवाईअड्डे को ले लेने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को एक मसौदा ज्ञापन अग्रेषित किया गया है।
15.	संघ राज्यक्षेत्र	25. अगाती	पर्यावरण निकासी प्राप्त कर ली गई। अगाती हवाईअड्डे के विकास के लिए लक्षद्वीप प्रशासन 18.6 एकड़ भूमि हस्तांतरित करेगा। इंजीनियरिंग परामर्शदाता की नियुक्त की गई है।
		26. पुदुचेरी	एटीआर-72 प्रचालन के लिए हवाईपट्टी का विस्तार, एप्रन एवं नए टर्मिनल भवन का कार्य पूरा हो गया। हवाईअड्डा प्रचालनात्मक है। राज्य सरकार हवाईअड्डे के और विस्तार हेतु बचे हुए भूमि को हस्तांतरित करेगी।
16.	उत्तर प्रदेश	27. गोरखपुर (सीई)	नए सिविल एन्कलेव के निर्माण हेतु भारतीय वायु सेना हवाईअड्डे परिसर से सटे हुए उपयुक्त भूमि को भारतीय वायु सेना तथा राज्य सरकार द्वारा चिह्नित किया जाना।
		28. कानपुर (चकेरी) सीई	प्रस्तावित नए सिविल एन्कलेव के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि का हस्तांतरण।
		29. आगरा (सीई)	प्रस्तावित नए सिविल एन्कलेव के लिए राज्य सरकार द्वारा 55.29 एकड़ भूमि का हस्तांतरण।
		30. इलाहाबाद (सीई)	प्रस्तावित नए सिविल एन्कलेव के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि का हस्तांतरण।
		31. बरेली (सीई)	प्रस्तावित नए सिविल एन्कलेव के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 एकड़ भूमि का हस्तांतरण।
		32. मेरठ	370 एकड़ भूमि के लिए एएआई द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 15.06.2012 के पत्र द्वारा राज्य सरकार को भूमि की आवश्यकता बताई गई है।
		33. मुरादाबाद	माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिनांक 02.11.2012 के पत्र द्वारा राज्य सरकार से हवाईअड्डे के विकास के लिए 300 एकड़ भूमि का अनुरोध किया गया है।
		34. फैजाबाद	एएआई के अध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को 17.12.2012 के पत्र द्वारा मौजूदा 200 एकड़ भूमि के साथ 251 एकड़ भूमि का राज्य सरकार से हवाईअड्डा के विकास हेतु अनुरोध किया गया है।

नोट: हवाईअड्डे का विकास राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क तथा सभी ऋणभारों से मुक्त भूमि की उपलब्धता, यातायात मांग तथा बजटीय सहायता जो भी लागू हो पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

गैर-अधिसूचित विमान प्रचालक (ऑपरेटर्स)

1559. श्री धनंजय महाडीक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री राजीव सातव :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नागर विमानन महानिदेशालय में पंजीकृत गैर-अधिसूचित हवाई ऑपरेटरों (एनएसओपी) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में विमान सेवा से बिना जुड़े स्थानों तक हवाई यात्रा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन एनएसओपी को अनुमत्त करने और हवाई चार्टर फर्मों को अनुसूचित संचालकों के रूप में परिवर्तित करने और टीयर-II और टीयर-III शहरों में संपर्कता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति सहित इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) अब तक, 129 कंपनियों को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिट (एनएसओपी) जारी किया जा चुका है।

(ख) और (ग) इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पुरानी मिलों का पुनरुत्थान

1560. श्री फिरोज़ वरुण गांधी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उन मिलों के पुनरुत्थान और पुनर्स्थापना के लिए कोई कदम उठा रही है जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से कार्य नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि कितनी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए पुरानी मिलों का पुनरुद्धार राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, जिनके तहत ये मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं, का विशेषाधिकार है। भारी उद्योग विभाग का सरोकार अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से है। इसमें उनके पुनरुद्धार/समापन पर निर्णय भी शामिल है। सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पेपर मिल वाले दो उद्यमों नेपा लिमिटेड और नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) के लिए पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन क्रमश: सितम्बर, 2012 और जून, 2013 में कर दिया है। पुनरुद्धार योजना के अनुमोदन के बाद, सरकार ने अब तक नेपा लिमिटेड और एनपीपीसी लिमिटेड को उनके पुनरुद्धार के लिए क्रमश: 85.28 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए कर दिए हैं।

न्यूनतम मजदूरी में संशोधन

1561. श्री दुष्यंत चौटाला :
श्री इदरिस अली :
श्रीमती कोथापल्ली गीता :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नेशन्स फ्लोर लेवल मिनिमम वेज के अंतर्गत नवीनतम मजदूरी संशोधन और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बढ़ाई गई मजदूरी कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्यमान अधिनियम, में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक छह माह में एनएफएलएमडब्ल्यू को संशोधित करने का भी है और सरकारी कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते की तर्ज पर इसे मुद्रा स्फीति से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश भर में एकरूप न्यूनतम मजदूरी प्रारंभ करने हेतु राज्यों को सलाह देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के मजदूरों/कर्मचारियों को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तंत्र का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) केन्द्रीय सरकार ने 01.07.2013 से एनएफएलएमडब्ल्यू को 115/- रुपए से बढ़ाकर 137/- रुपए प्रतिदिन कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी

अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम वेतन 01.10.2013 की तुलना में 01.04.2014 से बढ़ाया गया है। 01.10.2013 की स्थिति के अनुसार वेतन सहित 01.04.2014 से मौजूदा न्यूनतम मजदूरी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। संशोधन प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय तल स्तरीय न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) को सभी रोजगारों तथा समस्त राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों के लिए सांविधिक बनाना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के छत्र का विस्तार सभी रोजगारों तक करना, अधिनियम के दाण्डिक उपबंधों में बढ़ोतरी करना तथा दावा अवधि का विस्तार करना और कामगारों को देय क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोतरी करना शामिल है। संशोधन प्रस्तावों पर नागरिकों की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्तमान में एनएफएलएमडब्ल्यू गैर-सांविधिक उपाय है, इसलिए, राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार नियत/परिशोधित करने के लिए सहमत किया जाता है कि किसी भी अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी एनएफएलएमडब्ल्यू से कम न हो।

(ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यतः केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में पदनामित मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से निश्चित किया जाता है, जबकि राज्यक्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

विवरण

1.04.2014 और 1.10.2013 की स्थिति के अनुसार मौजूदा न्यूनतम मजदूरी

(01.10.2013 की स्थिति के अनुसार)

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन (रुपए में)		
		क्षेत्र-क	क्षेत्र-ख	क्षेत्र-ग
1	2	3	4	5
1. कृषि	अकुशल	203.00	184.00	182.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	222.00	205.00	187.00
	कुशल/लिपिकीय	241.00	222.00	204.00
	अतिकुशल	268.00	248.00	222.00
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:			
	(क) मुलायम मिट्टी		207.06	
	(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी		313.05	
	(ग) कंकड़		415.16	
	2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को जमा करने में:		165.26	
	एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच		1288.37	

1	2	3	4	5
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर		1100.85	
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर		643.64	
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर		528.48	
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	310.00	257.00	207.00
4. पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के	342.00	291.00	241.00
	शस्त्र सहित	377.00	342.00	291.00
5. लादना एवं उतारना	अकुशल	310.00	257.00	207.00
6. निर्माण	अकुशल	310.00	257.00	207.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	342.00	291.00	241.00
	कुशल/लिपिकीय	377.00	342.00	291.00
	अति कुशल	410.00	377.00	342.00
7. कोयला खानों के अलावा		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे	
	अकुशल	207.00	257.00	
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	257.00	310.00	
	कुशल/लिपिकीय	310.00	360.00	
	अतिकुशल	360.00	410.00	

(01.04.2014 की स्थिति के अनुसार)

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन (रुपए में)		
		क्षेत्र-क	क्षेत्र-ख	क्षेत्र-ग
1	2	3	4	5
1. कृषि	अकुशल	215.00	195.00	193.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	235.00	217.00	198.00
	कुशल/लिपिकीय	255.00	235.00	216.00
	अतिकुशल	283.00	262.00	235.00

1		2	3	4	5
2.	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:			
		(क) मुलायम मिट्टी		219.40	
		(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी		331.56	
		(ग) कंकड़		439.85	
		2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को जमा करने में:		175.13	
		एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
		(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच		1364.91	
		(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर		1166.28	
		(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर		681.91	
		(घ) 5.0 इंच से ऊपर		559.96	
3.	झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	329.00	273.00	220.00
4.	पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के	363.00	309.00	256.00
		शस्त्र सहित	400.00	363.00	309.00
5.	लादना एवं उतारना	अकुशल	329.00	273.00	220.00
6.	निर्माण	अकुशल	329.00	273.00	220.00
		अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	363.00	309.00	256.00
		कुशल/लिपिकीय	400.00	363.00	309.00
		अतिकुशल	435.00	400.00	363.00
7.	कोयला खानों के अलावा		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे	
		अकुशल	220.00	273.00	
		अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	273.00	329.00	
		कुशल/लिपिकीय	329.00	382.00	
		अतिकुशल	382.00	435.00	

	अनुसूचित नियोजन का नाम	नामावली
1.	कृषि	कृषि
2.	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार
3.	झाडू लगाना एवं सफाई करना	हाथ में मल साफ करने और सूखे शौच का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाडू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन
4.	पहरा एवं निगरानी	पहरा-निगरानी संबंधी नियोजन
5.	लादने एवं उतारने	लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुड्स शेड्स, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुड्स-शेड्स, गोदामों, वेयर हाउसों आदि और (iii) गोदी एवं पत्तनों में नियोजन
6.	निर्माण	निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जलआपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य
7.	कोयला खानों के अलावा	जिप्सम खान, बेराइट्स खान, बाक्साइट खान, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैग्नेसाइट, व्हाईट क्ले, पत्थर, स्टीएटाइट खान (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित), ऑशर, एसबेसटस, फायर क्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइड, रेड आक्ससाइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉक फास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेव, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के नियोजन में कार्यरत कर्मचारी।

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र—"क"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलैक्स	
बेंगलूरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	(यूए)
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
वृहन मुम्बई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकन्दराबाद	
नवी मुम्बई					

क्षेत्र—"ख"

आगरा	(यूए)	जोधपुर		जबलपुर	(यूए)
अजमेर		कोच्चि	(यूए)	जयपुर	(यूए)
अलीगढ़		कोल्हापुर	(यूए)	जालंधर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	कोझीकोड	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)
अमरावती		कोटा		पुदुचेरी	(यूए)
औरंगाबाद	(यूए)	लुधियाना		जालंधर-कैंट	(यूए)
बरेली	(यूए)	मदुरै	(यूए)	धनबाद	(यूए)
भावनगर		मेरठ	(यूए)	देहरादून	(यूए)
बीकानेर		मुरादाबाद	(यूए)	दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)
भोपाल	(यूए)	मैसूर	(यूए)	जम्मू	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	नासिक	(यूए)	जामनगर	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	पुणे	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	पटना	(यूए)	विशाखापत्तनम	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	रायपुर	(यूए)	वारंगल	(यूए)
कटक	(यूए)	राजकोट		मंगलौर	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	रांची	(यूए)	सलेम	(यूए)
गोरखपुर	(यूए)	शोलापुर	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
गुवाहाटी	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
गुन्टूर	(यूए)	सूरत	(यूए)	आसनसोल	(यूए)
ग्वालियर	(यूए)	तिरुवनन्तपुरम	(यूए)	बेलगाम	(यूए)
इंदौर	(यूए)	वडोदरा	(यूए)	भिवंडी	(यूए)
हुबली-धारवाड	(यूए)	वाराणसी			

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

दृष्टव्य: यूए शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

दूरसंचार क्षेत्र का विकास

1562. श्री इदरिस अली : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए कुछ अन्य देशों से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे समझौतों की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भाग लेने वाले देशों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु किए गए संयुक्त उद्यम आमंत्रणों की देश-वार संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए अन्य देशों के साथ निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं:—

1. दूरसंचार के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए 3 अक्तूबर, 2013 को भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ज्ञापन के आंतरिक मामले एवं संचार मंत्रालय के साथ संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. स्पेक्ट्रम प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए 4 जुलाई, 2013 को बेतार योजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी) ने रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रबंधन प्राधिकरण, संचार एवं सूचना मंत्रालय, वियतनाम समाजवादी गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अन्य देशों के दूरसंचार विनियामकों के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए:—

   I. 25 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (एनटीआरए) मिस्त्र और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मध्य हुए समझौता ज्ञापन में संशोधन। (मूल समझौता ज्ञापन पर 28 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे।)

   II. 4 जुलाई, 2013 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और वियतनाम दूरसंचार प्राधिकरण (वीएनटीए) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

   III. 4 जुलाई, 2013 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और जार्जियन नेशनल कम्यूनिकेशन्स कमीशन (जीएनसीसी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

   IV. 17 जनवरी, 2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और दूरसंचार विनियामक आयोग, श्रीलंका (टीआरसीएसएल) के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए।

संबंधित समझौतों के नियम एवं शर्तों सहित इन समझौतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोई भी संयुक्त उद्यम सहयोग नहीं किया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए अन्य देशों के साथ किए गए समझौतों का उनके नियमों एवं शर्तों सहित विवरण

1. भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के आंतरिक मामले और संचार मंत्रालय के मध्य संयुक्त वक्तव्य

संयुक्त वक्तव्य के अंतर्गत सहयोग के दायरे में प्रौद्योगिकी और मानकों का विकास, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा, नीतियां एवं विनियमन, अवसंरचना, सामाजिक मुद्दों का सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अनुप्रयोग, आपदा प्रबंधन के लिए आईसीटी आदि शामिल हैं।

निबंधन और शर्तें:

(i) दोनों देश निम्नलिखित उपायों के द्वारा इन कार्यकलापों को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे:—

- दोनों देशों के मध्य संबंधित शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान
- अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों इत्यादि के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में सहयोग के माध्यम से तकनीकी विकास को बढ़ावा देना।
- विशेषज्ञों की राय एवं विचारों का आदान-प्रदान।
- दोनों देशों में आईसीटी से संबंधित सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों में भाग लेना।
- संयुक्त रूप से आईसीटी क्षेत्र में संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का सह-आयोजन करना।
- दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के सहयोग को सुगम बनाना।
- दोनों देशों द्वारा निर्धारित किए गए अन्य कार्यकलाप।

(ii) इस संयुक्त वक्तव्य के अंतर्गत सभी सहयोग कार्यक्रम संबंधित देशी विधियों और विनियमों के अनुसार दोनों देशों के पास

उपलब्ध धन (बजट) और अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही निष्पादित किए जाएंगे तथा कार्यक्रमों का आयोजन करने वाला देश ही व्यय का वहन करेगा।

2. **बेतार योजना एवं समन्वय स्कंध, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रबंधन प्राधिकरण, सूचना और संचार मंत्रालय, वियतनाम समाजवादी गणराज्य के मध्य समझौता ज्ञापन:**

समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत स्पेक्ट्रम प्रबंधन में सूचना एवं अनुभवों का आदान-प्रदान; विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और स्पेक्ट्रम प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण में सहयोग; तथा स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के कार्यकलापों में सहयोग शामिल है।

निबंधन और शर्तें:

- दोनों देश प्रत्येक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में होने वाले व्यय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इनका कार्यान्वयन दोनों देशों की वित्तीय उपलब्धता और आपसी समझौते के अंतर्गत ही किया जाएगा।
- दोनों देश प्रत्येक कार्यकलाप के उद्देश्य, कार्यसूची पर निर्धारित संपर्क प्रसंगों के माध्यम से अग्रिम रूप में चर्चा करेंगे।
- दोनों देशों ने संवाद स्थापित करने तथा लिखित जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर सहमति प्रदान की।
- इस समझौता ज्ञापन को दोनों देशों की आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है, और ऐसा कोई भी संशोधन लिखित में किया जाएगा।
- इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद को दोनों देशों के मध्य विचार-विमर्श करके सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

3. **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किए गए समझौतों का विवरण:**

(i) ***भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (एनटीआरए), मिस्त्र के मध्य समझौता ज्ञापन में संशोधन (मूल समझौता ज्ञापन पर 28 मार्च, 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे।):***

इस समझौता ज्ञापन में सूचना एवं दस्तावेजों का आदान-प्रदान द्विपक्षीय सलाह-मशविरा, तकनीकी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, अध्ययन-दौरों और प्रशिक्षण सत्रों का सह-आयोजन और सहयोग के उपरोक्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रथाओं की साझेदारी शामिल है।

निबंधन और शर्तें:

- आपसी सहयोग के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना को, जिस प्राधिकरण से वह सूचना मूल रूप से प्राप्त हुई है, उसकी लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा।
- समझौता ज्ञापन में संशोधन दोनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात् ही प्रभावी होगा। इस संशोधन में दोनों पक्षों की आपसी सहमति द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यह समझौता ज्ञापन अनिश्चित काल के लिए वैध होगा; बशर्ते प्रत्येक प्राधिकरण इसे लिखित में रद्द न कर दे। इसे किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिनों की पूर्व लिखित-सूचना के बाद समाप्त किया जा सकता है।

(ii) ***भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और वियतनाम दूरसंचार प्राधिकरण (वीएनटीए) वियतनाम समाजवादी गणराज्य के मध्य समझौता ज्ञापन:***

इस समझौता ज्ञापन में अधिकारिक जानकारी और दस्तावेजों का आदान-प्रदान, दूरसंचार विनियमन के क्षेत्र में विनियामक और प्रतिस्पर्धा से संबंधित नीति की श्रेष्ठ प्रथाओं की साझेदारी एवं विशेषज्ञों की तैनाती के माध्यम से द्विपक्षीय सलाह-मशविरा शामिल है।

निबंधन की शर्तें:

- इस ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग इस पर हस्ताक्षर करने की तिथि से शुरू होगा और यह तीन वर्षों की शुरुआती अवधि के लिए जारी रहेगा। यह स्वतः उस क्रमिक अवधियों तक बरकरार रहेगा जब तक कि दोनों पक्ष उसे समाप्त करने का निर्णय न ले लें। यह दूसरे पक्ष से समाप्त करने की सूचना प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों के पश्चात् समाप्त हो जाएगा।
- दोनों पक्ष प्रत्येक कार्यकलाप के कार्यान्वयन हेतु होने वाले व्यय के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कार्यान्वयन दोनों पक्षों की वित्तीय उपलब्धता और आपसी समझौते के

अंतर्गत ही किया जाएगा।

- इस ज्ञापन को आपसी सहमति से पारस्परिक रूप से लिए गए निर्णय की तारीख पर किसी भी समय लिखित में संशोधित किया जा सकेगा।

- इस ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग से संबंधित विचारों में किसी भी प्रकार के मतभेद को दोनों पक्षों के मध्य मैत्रीपूर्ण मंत्रणा के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

- दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि इस ज्ञापन के तहत सहयोग के एक हिस्से के रूप में जिन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाए, उनको आपसी सहमति के अतिरिक्त उस प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना अन्य संगठनों को नहीं किया जाएगा जिसने उन्हें मूल रूप से लिखित में जारी किया हो।

- यदि किसी अप्रत्याशित कारण के फलस्वरूप, कोई पक्ष इस ज्ञापन के तहत सहयोग नहीं कर सके, तो जब तक दोनों पक्ष आवश्यक समझें, इसके कार्यान्वयन को निलम्बित कर देंगे। इस ज्ञापन के तहत सहयोग के कार्यान्वयन को निलम्बित करने का अनुरोध, निलंबन के शुरू होने के कम-से-कम 60 (साठ) दिन पहले किया जाएगा।

(iii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और जार्जियन नेशनल कम्युनिकेशंस कमीशन (जीएनसीसी) के मध्य समझौता ज्ञापनः

इस समझौता ज्ञापन में अधिकारिक जानकारी और दस्तावेजों का आदान-प्रदान, दूरसंचार विनियमन के क्षेत्र में विनियामक और प्रतिस्पर्द्धा संबंधी नीति की श्रेष्ठ प्रथाओं की साझेदारी और विशेषज्ञों की तैनाती के माध्यम से द्विपक्षीय परामर्श शामिल हैं।

निबंधन और शर्तें:

- यह ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर करने की तिथि से शुरू होगा और यह तीन वर्षों की शुरुआती अवधि के लिए जारी रहेगा। यह स्वतः उन क्रमिक अवधियों तक बरकरार रहेगा जब तक कि दोनों पक्ष उसे समाप्त करने का निर्णय न ले लें और दूसरे पक्ष द्वारा समझौते को समाप्त करने की सूचना देने के 60(साठ) दिनों के पश्चात् यह समाप्त हो जाएगा।

- इस ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग से संबंधित विचारों में किसी भी प्रकार के मतभेद को दोनों पक्षों के मध्य मैत्रीपूर्ण मंत्रणा के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

- दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि इस ज्ञापन के तहत सहयोग के एक हिस्से के रूप में जिन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाए, उनको आपसी सहमति के अतिरिक्त उस प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना अन्य संगठनों को नहीं दिया जाएगा। जिसने उन्हें मूल रूप से लिखित में जारी किया हो।

- यदि किसी अप्रत्याशित कारण के फलस्वरूप, कोई पक्ष इस ज्ञापन के तहत सहयोग नहीं कर सके, तो जब तक दोनों पक्ष आवश्यक समझें, इसके कार्यान्वयन को निलम्बित कर देगें 1 इस ज्ञापन के तहत सहयोग के कार्यान्वयन को निलंबित करने का अनुरोध, निलंबन के शुरू होने से कम-से-कम 60 (साठ) दिन पहले किया जाएगा।

- इस ज्ञापन को आपसी सहमति से पारस्परिक रूप से लिए गए निर्णय की तारीख पर किसी भी समय लिखित से संशोधित किया जा सकेगा।

(iv) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और दूरसंचार विनियामक आयोग, श्रीलंका (टीआरसीएसएल) के मध्य समझौता ज्ञापनः

17 जनवरी, 2012 को दूरसंचार विनियामक आयोग, श्रीलंका (टीआरसीएसएल) हस्ताक्षरित ज्ञापन में अधिकारिक सूचना एवं दस्तावेजों का आदान-प्रदान, दूरसंचार विनियमन की श्रेष्ठ प्रथाओं की साझेदारी, विशेषज्ञों का द्विपक्षीय परमर्श और मिशन तथा दूरसंचार सेवाओं और प्रौद्योगिकियों में संयुक्त-कार्यकारी समूह शामिल हैं।

निबंधन और शर्तें:

- यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के पश्चात् लागू हो जाएगा और तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा तथा उसके पश्चात् दोनों पक्ष 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 60 (साठ) दिन पूर्व एक-दूसरे को लिखित सूचना देकर आगे की 3 वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत भी कर सकते हैं।

- दोनों पक्ष इस बात पर सहमति जताते हैं कि हम समझौता ज्ञापन के लागू होने के परिणामस्वरूप उनके मध्य जिन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाएगा, वे आपसी समझौता करने संबंधी परिस्थितियों के अतिरिक्त, उस प्राधिकरण की अनुमति के बिना, किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं दिए जाएंगे, जिसने इन्हें मूल रूप से दिया था।

- किसी अप्रत्याशित कारण के फलस्वरूप, यदि दोनों पक्षों में से कोई भी इस समझौता ज्ञापन के कारण उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों का निष्पादन नहीं कर पता तो जब तक दोनों पक्ष ऐसा चाहें इसके नियम एवं शर्तों का कार्यान्वयन निलम्बित रहेगा।

- इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों द्वारा इसे समाप्त करने के आशय की लिखित में 60 दिन पहले सूचना देते हुए, इसके समापन से पहले किए गए किसी भी कार्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त किया जा सकता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिवर्तन

1563. श्री डी.के. सुरेश : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम में लाए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (ग) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को कार्यान्वित करने के लिए 'विनिर्माण क्षेत्र' को इस उपबंध के भीतर लाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25चचच में संशोधन करने का सुझाव दिया है। सुझाए गए संशोधनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का आयात/निर्यात

1564. श्री हुकुम सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बांग्लादेश को प्राकृतिक गैस का निर्यात करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बांग्लादेश को निर्यात की गई गैस की मात्रा और जिस मूल्य पर गैस निर्यात की गई, वह कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों से प्राप्त की गई आयातित/निर्यातित प्राकृतिक गैस का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) किस मूल्य पर प्राकृतिक गैस का आयात/निर्यात किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के ब्यौरे, इसके आयातित मूल्य के साथ नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	कुल आयात (एमएमटी में)	मूल्य रेंज (यूएसडी/एमएमबीटीयू)	जिस देश से आयातित किया गया
2011-12	13.399	6.18 — 15.15	नाईजीरिया, कतर, मिस्र, यूएसए, आबु धाबी, नार्वे, यमन, आस्ट्रेलिया, ओमान, अल्जीरिया, त्रिनिडाड और टोबैगो, मलेशिया
2012-13	13.431	8.80 — 16.65	नाईजीरिया, अल्जीरिया, स्पेन, मिस्र, फ्रांस, यमन, ब्रुनेई, कतर, आबु धाबी
*2013-14	10.14	10.92 — 17.50	कतर, नाइजीरिया, यमन, मिस्र, नार्वे, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गुएना
*2014-15 (जून, 2014 तक)	1.82	12.52 — 15.20	कतर, नाइजीरिया, यमन, स्पेन, अल्जीरिया

*गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) और हजीरा एलएनजी प्राइवेट लि. (एचएचपीएल) द्वारा आयातित गैस की मात्रा को छोड़कर।

बेरोजगारी में वृद्धि

1565. श्री संजय हरिभाऊ जाधव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के प्रतिशत में हुई वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए निर्धारित एवं प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर किए गए पिछले तीन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार दर का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जो कि 2009-10 में 0.51 करोड़ थी वह 2011-12 में बढ़कर 0.62 करोड़ हो गई है तथा शहरी क्षेत्रों हेतु संगत आंकड़े सामान्य स्थिति के तहत 0.436 करोड़ से बढ़कर 0.441 करोड़ व्यक्ति हो गए हैं। 2011-12 के दौरान भारत एवं महाराष्ट्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु बेरोजगारी दर नीचे दी गई है:-

आवास	भारत	महाराष्ट्र
ग्रामीण	1.7	0.7
शहरी	3.4	2.3
योग	2.2	1.3

(ग) और (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाणीकरण प्रदान करने की योजना बनाई गई है। सरकार विद्यमान सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अतिरिक्त श्रम-सघन विनिर्माण का संवर्धन कर रही है तथा पर्यटन एवं कृषि-आधारित उद्योगों का संवर्धन करके रोजगार अवसरों में वृद्धि कर रही है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जनजातीय उप-योजना को विशेषज्ञ केंद्रीय सहायता (एससीए-एससीपी), बहु-क्षेत्रक सहायता कार्यक्रम निधियों का कम-से-कम 10% तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधियों का 5% कौशल विकास तथा युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने में प्रयोग किया जाए।

विवरण

2004-05, 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य-वार रोजगार दर

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2009-10		2011-12	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी व्यक्ति	ग्रामीण	शहरी व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	54.4	39.2	52.1	36.4	52.2	36.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.8	31.9	40.4	30.2	38.3	30.3
3.	असम	39.1	33.6	36.8	32.2	34.3	32.9

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	31.6	27.2	28.3	25.2	27.5	25.3
5.	छत्तीसगढ़	50.9	36.4	44.2	31.3	48.6	37.6
6.	दिल्ली	31.1	33.4	30.1	33.3	34.2	33.7
7.	गोवा	34.2	36.3	33.9	33.2	37.8	33.7
8.	गुजरात	51.3	37.7	45.9	37.0	44.7	38.4
9.	हरियाणा	42.4	33.9	39.6	36.1	35.6	31.8
10.	हिमाचल प्रदेश	53.0	45.6	51.2	35.9	53.3	41.6
11.	जम्मू और कश्मीर	41.6	33.1	43.1	34.7	40.5	33.7
12.	झारखंड	42.7	31.1	33.3	29.4	37.0	28.4
13.	कर्नाटक	54.2	38.6	49.7	38.2	45.0	37.6
14.	केरल	40.0	37.1	38.3	36.3	38.2	36.3
15.	मध्य प्रदेश	45.9	34.7	42.6	32.6	40.5	32.5
16.	महाराष्ट्र	52.1	38.4	48.8	38.0	48.6	36.5
17.	मणिपुर	44.0	33.8	36.1	31.5	38.9	32.2
18.	मेघालय	52.5	37.3	48.0	33.3	45.9	34.0
19.	मिज़ोरम	52.1	38.3	50.6	40.3	49.6	36.7
20.	नागालैंड	52.7	36.4	41.1	29.3	41.0	28.7
21.	ओडिशा	45.2	33.4	41.0	35.0	41.7	38.1
22.	पंजाब	44.0	36.5	39.1	36.5	40.6	36.8
23.	राजस्थान	45.9	34.9	43.6	32.3	42.4	32.6
24.	सिक्किम	44.3	36.9	44.2	39.8	53.4	45.2
25.	तमिलनाडु	52.8	41.8	50.1	38.3	48.5	39.2
26.	त्रिपुरा	32.3	29.8	39.0	32.7	40.2	31.9
27.	उत्तराखंड	47.4	33.2	43.1	33.6	38.1	30.5
28.	उत्तर प्रदेश	37.1	33.1	34.4	30.0	33.8	31.7
29.	पश्चिम बंगाल	37.9	38.4	39.2	37.0	39.0	40.0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	44.2	37.9	40.4	39.2	43.2	39.9
31.	चंडीगढ़	38.8	34.3	30.1	35.2	34.9	35.4
32.	दादरा और नगर हवेली	51.6	45.2	31.1	33.9	32.5	36.7
33.	दमन और दीव	40.2	41.5	41.6	34.4	42.5	35.5
34.	लक्षद्वीप	37.9	27.4	45.6	37.8	32.2	34.7
35.	पुदुचेरी	46.1	34.3	48.1	38.1	36.3	35.0
	अखिल भारत	43.9	36.5	40.8	35.0	39.9	35.5

स्रोत: एनएसएसओ रिपोर्टें, 2004-05, 2009-10 एवं 2011-12

[अनुवाद]

तेल विपणन कंपनियों का लाभ का अंश

1566. श्री पी.के. बिजू :
श्री थोटा नरसिम्हम :
श्री एम.के. राघवन :
श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल और डीजल पर लाभ का अंश और ऐसे प्रीमियम ब्रांडों का उत्पादन एवं बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को उच्च प्रशासनिक खर्चों, सामाजिक सुरक्षा व्यय और अन्य गैर-कोर गतिविधियों के कारण घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी गतिविधियों पर हुए खर्चों सहित ओएमसी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ओएमसी के अन्य स्रोतों से आय अर्जन की संभावनाओं को तलाशने और लाभ अंश में सुधार लाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान ब्रांडेड पेट्रोल और डीजल पर लाभ मार्जिन के ब्यौरे इसकी बिक्री मात्रा के साथ नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	उत्पाद		आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल
1	2		3	4	5
2011-12	ब्रांडेड पेट्रोल	किलो लीटर में बिक्री वॉल्यूम	520122	254208	162630
		करोड़ रुपए में मार्जिन	21.31	13.94	12.54
	ब्रांडेड डीजल	किलो लीटर में बिक्री वॉल्यूम	215716	92380	62104
		करोड़ रुपए में मार्जिन	3.80	2.72	0.98

1		2	3	4	5
2012-13	ब्रांडेड पेट्रोल	किलो लीटर में बिक्री वॉल्यूम	218737	134758	72895
		करोड़ रुपए में मार्जिन	8.87	8.93	5.45
	ब्रांडेड डीजल	किलो लीटर में बिक्री वॉल्यूम	43231	30941	14300
		करोड़ रुपए में मार्जिन	1.51	0.96	0.23
2013-14	ब्रांडेड पेट्रोल	किलो लीटर में बिक्री वॉल्यूम	37299	32896	17540
		करोड़ रुपए में मार्जिन	1.73	3.70	1.31
	ब्रांडेड डीजल	किलो लीटर में बिक्री वॉल्यूम	438	3822	2019
		करोड़ रुपए में मार्जिन	0.02	0.12	0.04

गैर-ब्रांडेड उत्पाद में योगजों को मिलाकर ब्रांडेड ईंधन तैयार किए जाते हैं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनको विगत तीन वर्षों के दौरान कोई हानि नहीं हुई है। तथापि, ओएमसीज की लाभप्रदाता और वित्तीय दशाएं विनियमित पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् डीजल (खुदरा में), पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी की बाजार मूल्यों में कम पर बिक्री करने पर उनको हुई अल्प वसूली के बदले उनको प्राप्त प्रतिपूर्ति की सीमा पर अधिकांशत: निर्भर होती है। विगत तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज के लाभ के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

ओएमसी	2011-12	2012-13	2013-14
आईओसीएल	3,954	5,005	7,019
बीपीसीएल	1,311	2,643	4061
एचपीसीएल	911	904	1,734
कुल	6,177	8,552	12,814

गेल और आरसीएफ के साथ समझौता ज्ञापन

1567. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) और राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टीलाइजर लिमिटेड (आरसीएफ) ने भूतलीय कोल गैस से प्राप्त गैस का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और क्या तेलंगाना राज्य में एक भूतलीय कोल गैसीकरण परियोजना विकसित करने का कोई प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) तलचर, ओडिशा में कोयला आधारित उर्वरक और अमोनियम नाइट्रेट परिसर स्थापित करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए, गेल (इंडिया) लि., राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ), कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआईएल) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना राज्य में तल कोयला गैसीकरण परियोजना विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण

1568. श्रीमती अनुप्रिया पटेल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खनन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए कोई योजना क्रियान्वित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 प्रतिपादित की है जिसका उद्देश्य है कि खनिज के संरक्षण का अर्थ उसकी खपत से बचने अथवा भविष्य में उसके इस्तेमाल हेतु वर्तमान में उसे परिरक्षित रखने के नकारात्मक भाव से नहीं लगाना चाहिए अपितु इसका तात्पर्य खनन तरीकों से सुधार, निम्नस्तरीय अयस्क तथा अपशिष्ट का बैनिफिसिएशन तथा उपयोग और संबद्ध खनिजों के प्राप्ति के जरिए भंडार आधार को बढ़ाने की सकारात्मक संकल्पना होनी चाहिए। सरकार की मंशा एक यथोचित तथा प्रभावशाली कानूनी तथा संस्थागत ढांचा बनाने की है जिसका मुख्य उद्देश्य शून्य अपशिष्ट खनन होगा तथा अवैज्ञानिक एवं उप-इष्टतम खनन की रोकथाम करना होगा। बैनिफिसिएशन, अशांकन, मिश्रण, आकारण, सांद्रण, पेलेटाइजेशन, शुद्धिकरण तथा उत्पाद को सामान्य रुचिनुसार ढालने की आधुनिकतम तकनीक के ज़रिए खनिज सेक्टोरल मूल्य वर्द्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नियामक के रूप में, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) तथा राज्य सरकार द्वारा खनिज के सुनियोजित तथा इष्टतम उपयोग/निष्कर्षण की खनन योजना/प्रणाली का अनुमोदन किया जाता है।

खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 1988 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), खनिजों के संरक्षण, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक खनन और गौण खनिजों, कोयला एवं परमाणु खनिजों को छोड़कर खनिजों के पट्टाधारी क्षेत्रों में पर्यावरण की सुरक्षा की निगरानी के लिए खानों का आवधिक निरीक्षण करता है।

आईबीएम ने खनिजों अर्थात् एपेटाइट तथा रॉक फोस्फेट, बॉक्साइट, बेराइटस, क्रोमाइट, डोलोमाइट, फ्लुओराइट, लौह अयस्क, लाइमस्टॉन, मैग्नेसाइट, मैंगनीज अयस्क तथा वोल्लास्टोनाइट का थ्रेशोल्ड मूल्य अधिसूचित किया है तथा खान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि जितने भी न बिकने वाले अथवा अनुपयोगी खनिज/अयस्क थ्रेशोल्ड मूल्य में निर्धारित सीमा से ऊपर है, उन्हें अलग से उनके लिए बनाई जगह पर रखा जाए तथा रखे हुए माल के लिए खनिज/अयस्क स्टॉक बनाया जाए जो माल की मात्रा तथा गुणवत्ता को दर्शाए।

आईबीएम ने शूय अपशिष्ट खनन की दिशा में अध्ययन किया है जिसमें खनिज प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक तथा भौतिक लक्षण वर्णन, अपशिष्ट डंप के कानूनों का विश्लेषण, अस्वीकृत खनिज, उप-श्रेणी खनिज का भंडार शामिल है।

आईबीएम ने खनिज संसाधन के ज़रिए निम्न श्रेणी अयस्क/खनिज संसाधनों में से हानिकारक तत्वों को हटाकर सुधार किया है। इस प्रकार वह बेचे जाने योग्य उत्पादों की प्राप्ति कर खनिज संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आईबीएम सक्रिय रूप में अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगा है तथा आईबीएम की प्रयोगशाला तथा प्रायोगिक संयंत्र में विभिन्न उपभोक्ता उद्योग के साठ से अधिक विभिन्न किस्मों के खनिजों जिनके नाम है, धात्विक तथा अधात्विक खनिज, औद्योगिक खनिज, स्ट्रेटजिक खनिज, उर्वरक खनिज इत्यादि का परीक्षण, निरूपण तथा बैनिफिसिएशन किया जा चुका है।

"लौह तथा इस्पात विजन 2020" प्रकाशित किया गया जिसमें निम्न ग्रेड अयस्कों का बैनिफिसिएशन, फाइन तथा स्लाइम, बैनिफिसिएटिड फाइंस का पेलेटाइजेशन, समिति उच्च श्रेणी लंप के संरक्षण हेतु लौह निर्माण में पैलेट का प्रयोग सहित संकुलन गतिविधियों के विकास जैसे मुद्दों को भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु विस्तार से शामिल किया गया है।

न्यायालयों में स्थगन

1569. श्री बैजयंत जे. पांडा : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यायालयों द्वारा प्रत्येक जांच और विचारण की त्वरित कार्यवाही में संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309 के उपबंधों का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निचली अदालतों में स्थगन में कमी करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के सख्ती से लागू करने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मामलों के त्वरित विचारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 में यह आवश्यक है कि प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाहियां दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रहेंगी जब तक सभी साक्षियों की हाजिर की परीक्षा नहीं कर ली जाती है, यदि न्यायालय यह उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, अगले दिन से परे उसके स्थगन को आवश्यक नहीं पाता है। जब जांच या विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376क,

376ख, 376ग या 376घ के अधीन बलात्संग के अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण यथासंभवशीघ्र आरोप-पत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

स्थगन मंजूर करने या अस्वीकार करने की शक्ति न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। उक्त उपाबंध का प्रवर्तन और साथ ही उसकी निगरानी करना भी न्यायपालिका के हाथों में निहित है। तथापि, सरकार ने आवधिक रूप से उन आपराधिक मामलों में, जो जघन्य अपराधों के विचारण सहित मामलों के निपटान में विलंब कारित कर रहे हैं, अंधाधुंध स्थगन मंजूर करने पर सभी उच्च न्यायालयों का ध्यान आकर्षित किया है।

सरकार ने, सभी उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों से भी अनुरोध किया है कि वे इन उपबंधों की ओर जिला न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित करें और बलात्संग जैसे जघन्य अपराधों से अंतर्वलित मामलों के विचारण में उनका पालन करने के लिए उन पर जोर दें।

(घ) सरकार ने 2000-2011 अवधि से जघन्य अपराधों के लिए, पहले 11वें वित्त आयोग के अधीन अधिनिर्णीत निधियों के माध्यम से और पश्चात् राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करके त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने में सहायता की है। त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए केन्द्रीय वित्तपोषण 31 मार्च, 2011 से बंद कर दिया गया है। सरकार अभी हाल से ही राज्य सरकारों की सहायता कर रही है तथा अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए विभिन्न स्कीमों के अधीन सहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की स्थापना करने के लिए भी ब्रिज मोहन लाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए जा रहे न्यायाधीशों 10 प्रतिशत पदों का उपयोग करें। केन्द्रीय सरकार ने, उन 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदों के वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय से 31.03.2015 तक बराबर शेयर के आधार पर अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निधियां उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया है। महिलाओं के विरुद्ध स्थापित/पदाभिहित न्यायालयों की राज्य-वार संख्या को उपदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 7 अप्रैल, 2013 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में, त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना पर चर्चा की गई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से परामर्श करके महिलाओं, बालकों, विकलांगों, ज्येष्ठ नागरिकों और समाज के सीमांत वर्गों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित उपयुक्त संख्या में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी। यह भी विनिश्चय किया गया था कि राज्य सरकारें त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन और उनको जारी रखने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएंगी। संपूर्ण देश में स्थापित त्वरित निपटान न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

महिला के विरुद्ध अपराध के लिए स्थापित/पदाभिहित त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	न्यायालयों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	9
2.	तमिलनाडु	32
3.	झारखंड	11
4.	ओडिशा	30
5.	कर्नाटक	10
6.	केरल	1
7.	पंजाब	20
8.	असम	3
9.	राजस्थान	9
10.	आंध्र प्रदेश	24
11.	दिल्ली	6
12.	मेघालय	1
13.	जम्मू और कश्मीर	5
14.	त्रिपुरा	2
15.	सिक्किम	1
16.	पश्चिम बंगाल	48
	योग	212

विवरण-II

त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय की संख्या	यथास्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	70	अगस्त, 13
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	दिसम्बर, 12
3.	असम	20	अक्तूबर, 12
4.	बिहार	183	दिसम्बर, 12
5.	दिल्ली	4	सितम्बर, 13
6.	गोवा	3	सितम्बर, 13
7.	हरियाणा	7	दिसम्बर, 12
8.	हिमाचल प्रदेश	9	दिसम्बर, 12
9.	कर्नाटक	93	दिसम्बर, 12
10.	केरल	38	जुलाई, 13
11.	महाराष्ट्र	100	दिसम्बर, 12
12.	मणिपुर	2	अक्तूबर, 12
13.	मेघालय	3	सितम्बर, 12
14.	मिज़ोरम	2	दिसम्बर, 12
15.	नागालैंड	2	अक्तूबर, 12
16.	ओडिशा	35	दिसम्बर, 12
17.	पंजाब	15	दिसम्बर, 12
18.	उत्तराखंड	22	जून, 12
19.	पश्चिम बंगाल	88	अगस्त, 13
	योग	701	

[हिन्दी]

नए इलेक्ट्रॉनिक हब की स्थापना

1570. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री भीमराव बी. पाटील :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव देश में एक नए इलेक्ट्रॉनिक हब की स्थापना के लिए चिप विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तेलंगाना में हैदराबाद सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आबंटित राशि कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने देश में चिप विनिर्माण के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिटों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन पैकेज अनुमोदित किया है। प्रस्तावित स्थल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और गुजरात के प्रांजित में अवस्थित है। ऐसी आशा है कि इन यूनिटों की स्थापना हो जाने पर इन स्थानों के आस-पास इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिज़ाइन और विनिर्माण तंत्र का विकास होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अपनी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के अंतर्गत विश्व स्तर की अवसंरचना की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। अब तक 8 ग्रीनफील्ड ईएमसी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनके विवरण निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	राज्य	प्रमुख समर्थक	क्लस्टर का स्थान	ईएमसी का प्रस्तावित क्षेत्र (एकड़)
1	2	3	4	5
1.	तेलंगाना (तत्कालीन आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड	ई-सिटी, हैदराबाद	602.36

1	2	3	4	5
2.		आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड	महेश्वरम	310.15
3.	केरल	केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा)	खाखानाड	75.0
4.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम (एमपीएसईडीसी)	बड़वाई, भोपाल	50
5.			जबलपुर	40
6.	राजस्थान	एलसिना, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर प्रा.लि. (ईईएमसीपीएल)	खुशकेरा भिवाड़ी	100.70
7.	तमिलनाडु	जीएमआर अवसंरचना लिमिटेड	कृष्णागिरी होसूर	527.1
8.	ओडिशा	ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (आईडीसीओ)	भुवनेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, खुर्दा	213.26

इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदक को आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए अलग से निधियां उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त योजनाओं सहित देश में इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण के संवर्धन हेतु कुल आवंटन 9509 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

मोबाइल टॉवरों की स्थापना

1571. श्री संयज धोत्रे :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री एन. क्रिष्टप्पा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोबाइल टॉवरों की स्थापना के लिए मानदंड/दिशा-निर्देश क्या है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में देश में मोबाइल टॉवर आवासों, सार्वजनिक इमारतों, स्कूलों आदि के समीप स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे टॉवरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे क्षेत्रों से इन टॉवरों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसे टॉवरों के निर्माण में मानदंडों की अवहेलना करने के लिए दूरसंचार प्रचालकों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं?

(घ) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में संबद्ध निकायों और स्थानीय प्रधिकरणों से पूर्व अनुमति लिए बिना स्थापित किए गए मोबाइल टॉवरों का कोई रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मोबाइल विकिरण से प्रभावित व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है/देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो मोबाइल टॉवरों के विकिरण प्रभाव को कम करने और समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) टॉवरों की स्थापना हेतु विद्यमान नीति के अनुसार, दूरसंचार विभाग के वायरलेस योजना तथा समन्वय स्कंध द्वारा प्रत्येक स्थल के लिए मोबाइल टॉवरों की स्थापना हेतु अन्य वायरलेस उपयोगकर्त्ताओं के साथ हस्तक्षेप, उड़ान जोखिमों और विद्यमान अन्य किसी माइक्रोवेव लिंकों की दृष्टि से स्थल संबंधी अनुमोदन किया जाता है। तथापि, दूरसंचार विभाग की स्थल संबंधी मंजूरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि के लिए लागू अन्य उप-विधियों, नियमों तथा विनियमों पर प्रतिकूल प्रभाव बिना जारी की जाती है। तद्नुसार, टॉवर की स्थापना से पहले, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्थानीय निकायों/राज्य सरकार के निकायों से भी अनावश्यक अनापत्ति प्राप्त करनी होती है।

विभिन्न स्थानीय निकायों/राज्य सरकार ने मोबाइल टॉवरों की स्थापना हेतु ऐसी अनुमतियों की मंजूरी संबंधी अपनी स्वयं के नीति तैयार की है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टॉवरों की स्थापना हेतु 23.08.2012 को राज्य सरकारों के लिए सलाहकारी दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा इन्हें सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को अग्रेषित भी किया जा चुका है। उक्त निर्देशों को 01.08.2013 से संशोधित भी किया जा चुका है।

(ख) और (ग) व्यवसाय तथा तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार सेवा प्रदाताओं द्वारा टॉवर स्थापना हेतु स्थल निर्धारण किया जाता है। 31.05.2014 तक, देशभर में रिहायशी क्षेत्रों, सार्वजनिक भवनों, विद्यालयों सहित मोबाइल टॉवरों पर अनुमानत: कुल 8,01,000 बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए गए थे क्योंकि इन क्षेत्रों में मोबाइल बीटीएस की स्थापना पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य सरकार के निकायों/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा मोबाइल टॉवरों की स्थापना हेतु मांगी गई अनुमति के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर मई, 2006 के अपने तथ्य पत्रक संख्या 304 में यह निष्कर्ष निकाला है कि "अति कम जोखिम स्तर तथा उस सिीति तक संचित हुए अनुसंधान परिणामों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है जो बेस स्टेशनों तथा वायलेस नेटवर्क से निकलने वाली कमजोर रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) सिंगनलों से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।" अभी तक संचित हुए सभी साक्ष्यों से, बेस स्टेशनों (मोबाइल फोन टॉवरों) द्वारा निकलने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी सिंगनलों से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कोई लघु या दीर्घावधि प्रभाव देखने में नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले 30 वर्षों में अनुमानत: 25,000 अध्ययनों के बाद निष्कर्ष निकला है कि वर्तमान साक्ष्य ईएमएफ विकिरण जोखिम से स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ने की पुष्टि नहीं होती है। मोबाइल टॉवरों ईएमएफ विकिरण के स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सतत् रूप से किए जा रहे हैं। अभी तक मोबाइल फोन टॉवरों से रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जक के कारण स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव का निर्णायक वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। इसलिए किसी मुआवजे पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है कि 'राष्ट्रीय प्राधिकरणों को रेडियो फील्ड क्षेत्रों के प्रतिकूल स्तरों के प्रति अपने नागरिकों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाना चाहिए। उन्हें इन क्षेत्रों में पहुंच को प्रतिबंधित करना चाहिए जहां पर जोखिम सीमा से अधिक हो सकता है।' विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर-आयनीकृत विकिरण संरक्षण (आईसीएनआईआरपी) पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय जोखिम दिशा-निर्देशों का हवाला दिया है। दूरसंचार विभाग ने ईएमएफ विकिरण के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का मूल्यांकन किया है तथा मोबाइल टॉवर से निकलने वाली ईएमएफ विकिरण हेतु सख्त एहतियाती सीमाएं निर्धारित की हैं। भारत में बेस स्टेशन से ईएमएफ विकरणों के लिए निर्धारित वर्तमान सीमा आईसीएनआईआरपी की अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित सीमाओं का 1/10वां भाग है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में दायर एक रिट याचिका में, माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 10.01.2012 के आदेश द्वारा एक समिति का गठन किया था जिसके अंदर आईआईटी बाम्बे, खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, रुढ़की तथा देश के अन्य वैज्ञानिक संस्थानों जैसे एम्स (दिल्ली), भारतीय चिकित्सा परिषद् के अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, जिसने 17.01.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जनता के बीच विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विकिरण के कारण उत्पन्न होने वाली मानव स्वास्थ्य चिंताओं और समिति की रिपोर्ट पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् सरकार ने फरवरी, 2014 में यह निर्णय लिया है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की प्रभावन सीमा पर्याप्त है और इस स्तर पर इसमें सी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिकत, मोबाइल टॉवर से विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के निर्धारित कड़े एहतियाती मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टर्म) क्षेत्र की इकाई द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और बेस ट्रांसीवर स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत व्यापक अनुपालन स्वप्रमाण-पत्र की गहण जांच की जा रही है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र प्रभाव को कम करने और टॉवर क्षेत्र में आने वाले सामान्य जन क्षेत्रों को सुरक्षित करने हेतु टर्म इकाई द्वारा यह कार्रवाई नियमित आधार पर की जाती है। यदि किसी बीटीएस स्थल को निर्धारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीटीएस स्थलों को बंद करने के साथ-साथ प्रति बीटीएस प्रति उल्लंघन 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जाती है।

ईपीएफओ के अंतर्गत कोड आबंटन

1572. श्री एंटो एन्टोनी :
श्री पी. कुमार :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के निपटाए गए दावों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल में ईपीएफओ के अंतर्गत एक ऑनलाइन भविष्य निधि कोड आबंटन या यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर वितरण प्रारंभ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त प्रणाली के द्वारा किस सीमा तक ईपीएफओ के अंतर्गत कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निपटाए गए दावे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	निपटाए गए कुल दावे (लाख में)
2011-12	90.50
2012-13	111.42
2013-14	123.36
2014-15 (15.07.2014 तक)	37.41

(ख) ईपीएफओ ने 30.06.2014 को प्रतिष्ठान का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। यह ईपीएफ के सभी अंशदायक सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या आबंटित करने की प्रक्रिया में भी लगा हुआ है।

(ग) प्रतिष्ठान को ऑनलाइन कोड संख्या आबंटन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(i) ईपीएफओ के कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं।

(ii) प्रतिष्ठान कोड का आबंटन उसी दिन।

(iii) भारत में व्यवसाय करने में आसानी में वृद्धि।

II. सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) की मुख्य विशेषताएं:—

(i) यूएएन कामकाजी कैरियर पर्यंत सुवाही होगा।

(ii) इसे भारत में कहीं भी उपयोग में लाया जा सकता है।

(घ) (i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए सांविधिक देय राशियों का प्रेषण, उनके नियोक्ताओं द्वारा कोड संख्या हासिल कर लेने के उपरांत इस ऑनलाइन सुविधा के जरिए तत्काल शुरू किया जा सकता है।

(ii) सार्वभौमिक खाता संख्या का आबंटन ईपीएफ सदस्यों को सभी नियोजनों से जोड़ देगा इस तरह पोर्टेबिलिटी में सुविधा हो जाएगी।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगार

1573. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पंजीकरणों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ख) इस पंजीकरण में कुल पंजीकृत असंगठित क्षेत्रों में से कितने क्षेत्र जोड़े गए;

(ग) क्या बैंड प्लेयर, लाइटमैन, रथ प्रचालन आदि के रूप में कार्य कर रहे कामगारों को उक्त पंजीकरण में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे कामगारों की कार्य-परिस्थितियों की निगरानी किस प्रकार के तंत्र द्वारा की जा रही है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) इस समय प्रत्येक असंगठित कामगार को पंजीकृत करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2009-2010 में दिए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कुल रोजगार 46.5 करोड़ था। इसमें से, लगभग 2.8 करोड़ (6%) संगठित क्षेत्र में और शेष 43.7 करोड़ (94%) असंगठित क्षेत्र में थे।

(ग) और (घ) असंगठित क्षेत्र में गृह आधारित कामगार, स्वनियोजित अथवा दिहाड़ी कामगार और बैंड बाजे वाले, लाईट वाले, रथ चालक आदि जैसे संगठित क्षेत्र कामगार जो अधिनियम की अनुसूची-II में उल्लिखित किसी भी अधिनियम द्वारा शामिल नहीं होते हों, वे अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याण योजनाओं के तहत लाभ लेने के पात्र हैं।

(ङ) अधिनियम में सभी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कल्याण उपायों के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

सूरत हवाई अड्डे से नई उड़ानें

1574. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया कोलकाता और चैन्नई सहित सूरत से देश के विभिन्न राज्यों के स्थानों/संघ राज्यक्षेत्रों तक नई उड़ानें प्रारंभ करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई यातायात सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। एयर इंडिया ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। तथापि, आयटा पीएएक्स (यात्री) के अनुसार सूरत – चेन्नै तथा सूरत-कोलकता के मध्य वर्तमान बाजार क्रमशः 4 तथा 3 यात्री प्रतिदिन है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा वर्ष 2011, 2012, 2013 तथा चालू वर्ष हेतु सूरत से/के लिए निम्नांकित उड़ान अनुसूची अनुमोदित की गई है:–

वर्ष	एयरलाइन	सेक्टर	उड़ान/सप्ताह
1	2	3	4
2011	एलायंस एयर	सूरत-दिल्ली तथा वापसी	7
2012	एलायंस एयर	सूरत-दिल्ली तथा वापसी	7
	स्पाईस जेट	सूरत-दिल्ली तथा वापसी	7
		सूरत-दिल्ली-मुम्बई तथा वापसी	7
2013	एलायंस एयर	सूरत-दिल्ली तथा वापसी	6*
	स्पाईस जेट	सूरत-दिल्ली तथा वापसी	7
		सूरत-दिल्ली-मुम्बई तथा वापसी	7
2014	एलायंस एयर	सूरत-दिल्ली तथा वापसी	4
	स्पाईस जेट	सूरत-मुम्बई तथा वापसी	7
		सूरत-दिल्ली तथा वापसी	7

*शरद अनुसूची में बारम्बारता कम करते हुए सप्ताह में 4 उड़ानें की गईं।

लैंडलाइन दूरभाष अवसंरचना

1575. श्री राजेन गोहेन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव देश में लैंडलाइन दूरभाष अवसंरचना का प्रयोग किसी अन्य लाभकारी दूरसंचार प्रणाली के लिए करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में पहले से लगे हुए लैंडलाइनों की कुल लंबाई और उस पर आई लागत कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लैंडलाइन दूरभाष कनेक्शनों को प्रचालित करने और बनाए रखने पर लगाई गई कुल मानव शक्ति और वेतन एवं मजदूरी के रूप में वार्षिक खर्चा कितना है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लैंडलाइन दूरभाष कनेक्शनों के द्वारा कुल अर्जित वार्षिक आय कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिछाई गई लैंडलाइनों की कुल लंबाई और उन पर आई लागत का ब्यौरा, बीएसएनएल से एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा अपने सेवा क्षेत्र में बिछाई गई लैंडलाइनों की कुल लंबाई तथ उस पर आई लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल के संबंध में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कार्यशक्ति की पद संख्या, वेतन एवं मजदूरी पर वार्षिक व्यय तथा वार्षिक सकल आय संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महानगर टेलीफोन लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा बिछाई गई लैंडलाइनों की कुल लंबाई और उन पर आई लागत का ब्यौरा

लैंडलाइन की लंबाई (किलोमीटर में)	1,09,605
लैंडलाइन प्रदान करने पर आई लागत (करोड़ रुपए में)	
2011-12	512
2012-13	362
2013-14	308
2014-15 (दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार)	11

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महानगर टेलीफोन लिमिटेड (एमटीएनएल) की कुल कार्यशक्ति पद संख्या, वेतन एवं मजदूरी पर वार्षिक व्यय:

अवधि	बीएसएनएल			एमटीएनएल		
	कुल कार्यशक्ति	वेतन पर व्यय (करोड़ रुपए में)	वार्षिक सकल आय (करोड़ रुपए में)	कुल कार्यशक्ति	वेतन पर व्यय (करोड़ रुपए में)	वार्षिक सकल आय (करोड़ रुपए में)
2011-12	2,67,906	12,121	7,456	39,954	2,074	2,736
2012-13	2,52,492	12,155	6,395	36,482	4,472	2,783
2013-14*	2,38,277	12,349	4,898	34,026	2,376	2,732
2014-15 (दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार)	2,35,006	1,808	820	33,230	408	442

*2013-14 और 2014-15 (दिनांक 31.05.2014 तक) के आंकड़े लेखा-परीक्षित नहीं हैं तथा अनंतिम हैं।

नशे की हालत में पायलट

1576. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-उड़ान चिकित्सा जांच के दौरान नशे में उच्च अल्कोहल रक्त स्तर वाले पाए गए पायलटों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कार्रवाई की है या किए जाने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) वर्ष 2011 से उड़ान पूर्व चिकित्सा जांच के दौरान 99 पायलट, शराब का सेवन किए हुए पाए गए और उन्हें हटा दिया गया है, विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	पायलटों की संख्या
2011	17
2012	41
2013	31
2014 (14.07.2014 तक)	10

(ग) और (घ) वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 24 के अनुसार पायलट, कमांडर, नैवीगेटर, इंजीनियर, केबिन कर्मीदल अथवा कर्मीदल के अन्य प्रचालनिक सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा मादक तथा नशीले पदार्थों का सेवन करना निषेध है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा विस्तृत नागर विमानन अपेक्षाएं (नागर विमानन अपेक्षा खंड-5, शृंखला-एफ, भाग-III) जारी की गई हैं, जिनमें ऐसे विमान कार्मिों की उड़ान पूर्व तथा उड़ान पश्चात् चिकित्सा जांच के लिए अनुसरण की जाने वाले तथा ऐसे परीक्षणों का सकारात्मक (पॉजिटिव) परिणाम आने के मामले में की जाने वाली कार्रवाई के लिए क्रियाविधियां निर्धारित की गई हैं।

दूरसंचार अवसंरचना

1577. श्री प्रेम दास राई : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण या आंशिक रूप से दूरसंचार सेवाएं सुधारने पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार लाने और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 26 सितंबर, 2013 को "पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाएं सुधारने: एक निवेश योजना" नामक विषय पर अपनी सिफारिशें जारी की थीं।

दूरसंचार आयोग ने 13.06.2014 को आयोजित अपनी बैठक में 5336.18 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत वाली एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और सिफारिश की थी कि इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में दूरसंचार सेवाओं में सुधार तथा संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चिन्हित क्षेत्र हैं:—

(i) चिन्हित और गैर-सुविधाप्राप्त ग्रामों में 2जी मोबाइल सेवा प्रदान करना।

(ii) पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ निर्बाध 2जी मोबाइल कवरेज प्रदान करना।

(iii) पूर्वोत्तर में राज्य की राजधानियों तथा जिला मुख्यालयों में पारेषण नेटवर्क में विश्वसनीयता तथा अतिरेकता सुनिश्चित करना।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन): राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (अनुमानतः 2.5 लाख) को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉकों के मध्य संयोजकता अंतराल, को जहां कहीं भी आवश्यक हो, इंक्रीमेंटल फाइबर बिछाकर भरने की योजना है। एनओएफएन परियोजना बीएसएनएल (सिक्किम तथा असम में) तथा रेलटेल (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा त्रिपुरा) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। एनओएफएन प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 100 एमबीपीएस की बैंडविड्थ प्रदान करेगा।

एनओएफएन के 31.03.2017 तक पूर्ण करने की योजना है।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन

1578. श्री राजेश रंजन :
श्रीमती रंजीत रंजन :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सृजित रोजगारों की संख्या सहित रोजगार की वार्षिक विकास दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार और झारखंड सहित अधिकतर राज्यों में बेरोजगारी का स्तर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन राज्यों को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने हेतु अधिक रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने हेतु उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कई क्षेत्रों जैसे वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा आदि में रोजगार सृजन कम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए रोजगार और बेरोजगारी पर गत दो सर्वेक्षणों के अनुसार रोजगार जो 2009-10 में 46.5 करोड़ व्यक्ति था, वह 2011-12 में बढ़कर 47.4 करोड़ हो गया है और इसमें 0.5 प्रतिशत वार्षिक विकास दर दर्ज हुई है। रोजगार दरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और 2011-12 के दौरान राज्य-वार बेरोजगारी दर संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, बिहार और झारखंड सहित देश में शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं, दोनों हेतु सामान्य विकास प्रक्रिया और अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के उद्देश्य से विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए निरंतर प्रयास करती रही है। अति लघु, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं — प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलम), स्वर्ण जयंत शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा)। कौशलयुक्त बनाने की आवश्यकता को मानते हुए बड़ी संख्या में व्यक्तियों को रोजगार योग्य बनाने हेतु सरकार ने 12वीं योजना अवधि के दौरान 5 करोड़ व्यक्तियों को कौशलयुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संदर्भ में केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच कार्रवाई का समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी स्थापित की गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए गत दो सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार 2009-10 और 2011-12 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित रोजगार निम्न प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	2009-10	2011-12
कृषि एवं इससे संबद्ध	24.74	23.18
वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप	0.42	0.43
सूचना एवं संचार	0.42	0.36
अचल संपदा	0.093	0.95
अन्य	20.83	23.34
योग	46.55	47.41

इस बारे में किए जा रहे उपाए ऊपर भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में दिए गए हैं।

विवरण-I

2004-05, 2009-10 और 2011-12 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य-वार रोजगार दर

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2004-05		2009-10		2011-12	
		ग्रामीण व्यक्ति	शहरी व्यक्ति	ग्रामीण व्यक्ति	शहरी व्यक्ति	ग्रामीण व्यक्ति	शहरी व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	54.4	39.2	52.1	36.4	52.2	36.4

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.8	31.9	40.4	30.2	38.3	30.3
3.	असम	39.1	33.6	36.8	32.2	34.3	32.9
4.	बिहार	31.6	27.2	28.3	25.2	27.5	25.3
5.	छत्तीसगढ़	50.9	36.4	44.2	31.3	48.6	37.6
6.	दिल्ली	31.1	33.4	30.1	33.3	34.2	33.7
7.	गोवा	34.2	36.3	33.9	33.2	37.8	33.7
8.	गुजरात	51.3	37.7	45.9	37.0	44.7	38.4
9.	हरियाणा	42.4	33.9	39.6	36.1	35.6	31.8
10.	हिमाचल प्रदेश	53.0	45.6	51.2	35.9	53.3	41.6
11.	जम्मू और कश्मीर	41.6	33.1	43.1	34.7	40.5	33.7
12.	झारखंड	42.7	31.1	33.3	29.4	37.0	28.4
13.	कर्नाटक	54.2	38.6	49.7	38.2	45.0	37.6
14.	केरल	40.0	37.1	38.3	36.3	38.2	36.3
15.	मध्य प्रदेश	45.9	34.7	42.6	32.6	40.5	32.5
16.	महाराष्ट्र	52.1	38.4	48.8	38.0	48.6	36.5
17.	मणिपुर	44.0	33.8	36.1	31.5	38.9	32.2
18.	मेघालय	52.5	37.3	48.0	33.3	45.9	34.0
19.	मिज़ोरम	52.1	38.3	50.6	40.3	49.6	36.7
20.	नागालैंड	52.7	36.4	41.1	29.3	41.0	28.7
21.	ओडिशा	45.2	33.4	41.0	35.0	41.7	38.1
22.	पंजाब	44.0	36.5	39.1	36.5	40.6	36.8
23.	राजस्थान	45.9	34.9	43.6	32.3	42.4	32.6
24.	सिक्किम*	44.3	36.9	44.2	39.8	53.4	45.2
25.	तमिलनाडु	52.8	41.8	50.1	38.3	48.5	39.2
26.	त्रिपुरा	32.3	29.8	39.0	32.7	40.2	31.9
27.	उत्तराखंड	47.4	33.2	43.1	33.6	38.1	30.5

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	उत्तर प्रदेश	37.1	33.1	34.4	30.0	33.8	31.7
29.	पश्चिम बंगाल	37.9	38.4	39.2	37.0	39.0	40.0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	44:2	37.9	40.4	39.2	43.2	39.9
31.	चंडीगढ़	38.8	34.3	30.1	35.2	34.9	35.4
32.	दादरा और नगर हवेली	51.6	45.2	31.1	33.9	32.5	36.7
33.	दमन और दीव	40.2	41.5	41.6	34.4	42.5	35.5
34.	लक्षद्वीप	37.9	27.4	45.6	37.8	32.2	34.7
35.	पुदुचेरी	46.1	34.3	48.1	38.1	36.3	35.0
	अखिल भारत	43.9	36.5	40.8	35.0	39.9	35.5

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय रिपोर्टें, 2004-05, 2009-10 और 2011-12

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर राज्य-वार बेरोजगारी दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बेरोजगारी दर (%)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.2
3.	असम	4.6
4.	बिहार	3.4
5.	छत्तीसगढ़	1.4
6.	दिल्ली	3.8
7.	गोवा	4.9
8.	गुजरात	0.5
9.	हरियाणा	2.9
10.	हिमाचल प्रदेश	1.3
11.	जम्मू और कश्मीर	3.4
12.	झारखंड	2.6
13.	कर्नाटक	1.6
14.	केरल	6.6
16.	मध्य प्रदेश	0.9
16.	महाराष्ट्र	1.3
17.	मणिपुर	3.7
18.	मेघालय	0.8
19.	मिज़ोरम	3.2
20.	नागालैंड	17.7
21.	ओडिशा	2.4
22.	पंजाब	2.2

1	2	3
23.	राजस्थान	1.2
24.	सिक्किम*	1.2
25.	तमिलनाडु	2.3
26.	त्रिपुरा	12.8
27.	उत्तराखंड	3.1
28.	उत्तर प्रदेश	1.6
29.	पश्चिम बंगाल	3.3
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.5
31.	चंडीगढ़	6.0
32.	दादरा और नगर हवेली	0.0
33.	दमन और दीव	0.1
34.	लक्षद्वीप	13.8
35.	पुदुचेरी	2.1
	कुल	2.2

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट, 2011-12

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में तेजी लाने के लिए एमएसआईपीएस

1579. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री असादुद्दीन ओवैसी :
कुमारी शोभा कारान्दलाजे :
श्री प्रताप सिम्हा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में तेजी लाने के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एमएसआईपीएस) का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माताओं को प्रदान किए गए/किए जा रहे प्रोत्साहनों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इलेक्ट्रॉनिक सामानों को घरेलू रूप से निर्मित करने हेतु कोई नीतिगत रूपरेखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कलस्टर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कलस्टरों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना, इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है।

यह योजना नयी परियोजनाओं और विस्तार परियोजनाओं में निवेश पर लागू है। यह योजना सेज में निवेश के लिए पूंजी व्यय में 20% की सब्सिडी तथा गैर-सेज में 25% की सब्सिडी उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत गैर-सेज इकाइयों पर पूंजी उपस्कर सीवीडी/उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। यह योजना नयी तथा विस्तार दोनों परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। फैब जैसी उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च पूंजी निवेश वाली इकाइयों के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।

ये प्रोत्साहन, परियोजना के अनुमोदन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के भीतर किए गए निवेशों के लिए उपलब्ध हैं।

एम-सिप्स के तहत आवेदन 3 वर्ष (जुलाई, 2012 से जुलाई, 2015) के भीतर किए जा सकते हैं।

योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-I में सूचीबद्ध श्रेणियों के तहत इकाइयों के लिए दिए गए हैं।

योजना के तहत प्रोत्साहनों की मांग संबंधी प्राप्त प्रस्तावों के विवरण निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	श्रेणी	प्रस्तावों की संख्या	अनुमानित प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1.	दूरसंचार और आईटी	8	9361

1	2	3	4
2.	ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी	4	831
3.	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी	2	377
4.	औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी	4	107
5.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी	2	51
6.	सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी	2	2330
7.	एवियोनिक्स	1	98
8.	एलईडी	4	1993
9.	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कंपोनेट/ पैसिव कंपोनेट	12	409
10.	सेमीकंडक्टर	1	500
11.	इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सेवाएं	1	103
	कुल	41	16160

(ग) और (घ) जी, हां। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) को ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना के लिए सरकार की विभिन्न एजेंसियों से 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य-वार ब्यौरा इसके साथ विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

ईएसडीएम के उन वर्टिकलों की सूची जिनके लिए एम-सिप्स के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं

(क) नैनो इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों तथा दूरसंचार उत्पादों समेत इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद

1. दूरसंचार उत्पाद
2. कम्प्यूटर, (टैबलेट, डेस्कटॉप इत्यादि) सर्बर, प्रिंटर, फैक्स, स्टोरेज डिवाइसेस मॉनीटर इत्यादि जैसे अनुषंगी उपकरणों समेत आईटी हार्डवेयर उत्पाद।
3. टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, कैमकोरडर्स इत्यादि जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद।
4. स्वास्थ्य और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी
5. सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी
6. पतली फिल्म, पॉलीसिलिकॉन इत्यादि समेत सौर फोटो वोल्टिक
7. लाइट इमिटिंग डायोड (एलईडी)
8. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी)
9. एवियोनिक्स
10. मापक और नियंत्रक उपस्कर, ऊर्जा मीटर इत्यादि समेत औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद
11. नैनो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद
12. ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण
13. एंटी-लॉक ब्रेकिंग प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिकी ब्रेक वितरण, ट्रैक्शन कंट्रोल, इत्यादि जैसी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी
14. कृषि इलेक्ट्रॉनिकी
15. ऊर्जा संरक्षण इलेक्ट्रॉनिकी
16. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी
17. बायो-मैट्रिक और पहचान उपकरण/आरएफआईडी
18. ईएसडीएम उत्पादों के लिए विद्युत आपूर्ति

(ख) माध्यस्थ

1. नैनो इलेक्ट्रॉनिक संघटक
2. सेमीकंडक्टर वेफ़रिंग
3. लॉजिक, मैमोरी और एनालॉग समेत सेमीकंडक्टर चिपें
4. ईएसडीएम इकाइयों की एसेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग
5. चिप संघटक
6. ट्रांजिस्टर, डायोड जैसे पृथक सेमीकंडक्टर
7. एफईटी, एमओएसएफईटी, एससीआर, जीटीडी, आईजीबीटी इत्यादि जैसे पावर सेमीकंडक्टर (डिफ्यूजन समेत)

8. मल्टीलेयर पीसीबी, ट्रांसफार्मर, क्वाइल, कनेक्टर, स्विच, फेराइट, माइक्रो मोटर, स्टैपर मोटर, फिल्म इत्यादि जैसे इलैक्ट्रो मैकेनिकल उपकरण तथा मैकेनिकल कल-पुर्जे

9. मोबाइल फोन तथा आईटी उपकरण-बैटरी, चार्जर इत्यादि, पीसीबी, फ्वाइल, टेप, इपॉक्सी, कैबिनेट इत्यादि जैसी उपभोज्य वस्तुएं तथा उपकरण

10. ईएसडीएम उत्पादों के लिए सभी फेब्रीकेशन विनिर्माण सुविधाएं (फैब)

ग. इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सेवाएं (ईएमएस)

विवरण-II

इलेक्ट्रॉनिक माल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2012 को देश की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योग के सृजन के दृष्टिकोण से अधिसूचित किया गया है।

2. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) इस क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने और निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है।

3. सरकार ने भारत में दो सेमीकंडक्टर वेफ़र फेब्रीकेशन (फैब) विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को अनुमोदन दिया है।

4. सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाई गई नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

5. इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों के लिए विश्व-स्तरीय अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

6. घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिकी माल के आयात को कम करने के उद्देश्य से चिन्हित इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के लिए संरक्षा मानकों के अनिवार्य रूप से अनुपालन को अधिसूचित किया गया है।

7. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक के सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वचालित ढंग से अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।

8. प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए रोडमैप के मद में बढ़ी हुई घरेलू आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केबल/डीटीएच टीवी के लिए घरेलू स्तर पर सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) के विकास और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए।

9. ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए उद्भवन उपलब्ध कराने वाला एक इलेक्ट्रोप्रिन्योर पार्क जो इस ईएसडीएम क्षेत्र में आईपी सृजन और उत्पाद विकास में अपना योगदान देगा।

10. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना के तहत अनुमोदित इकाइयों को विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यात संबंधी गतिविधियां करने के लिए यथावश्यक माल के शुल्क मुक्त आयात करने की तथा सीएसटी पुर्नप्राप्ति तथा घरेलू स्तर पर उपलब्ध माल की खरीद पर उत्पाद शुल्क छूट की अनुमति है।

11. विदेश व्यापार नीति की संकेन्द्रण उत्पाद योजना के तहत सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात, निर्यात के एफओबी मूल्य के 2%/5% के समतुल्य शुल्क जमा पत्र का पत्र होगा।

12. इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के घरेलू स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यातायात ढांचे को औचित्यपूर्ण बनाया गया है।

13. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) आरएण्डडी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाओं के तहत निधियन करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी (एसआईपी ईआईटी) के लिए सहायता; इलेक्ट्रॉनिकी, आईसीटी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उद्भवन तथा उद्यमियों का विकास (टीआईडीई) योजना तथा बहुगुणत योजना के लिए सहायता शामिल है।

14. इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) तथा आईटी/आईटी समर्थित सेवा (आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी धारकों की संख्या बढ़ाने की योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत 3000 पीएचडी धारकों को सहायता देना प्रस्तावित है।

15. ईएसडीएम उद्योग के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ईएसडीएम सेक्टर में 90,000 व्यक्तियों के कौशल विकास की योजना को अनुमोदित किया गया है।

विवरण-III

ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारी एजेंसियों से प्राप्त आवेदन

क्र. सं.	राज्य	प्रमुख समर्थक	क्लस्टर का स्थान	ईएमसी का प्रस्तावित क्षेत्र (एकड़)	
1.	तेलंगाना (तत्कालीन आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निर्माण लिमिटेड	ई-सिटी, हैदराबाद	602.36	8 अगस्त, 2013 को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
2.		आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड	महेश्वरम	310.15	5 फरवरी, 2014 को प्राप्त अंतिम आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
3.	केरल	केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा)	खाखानाड	75.0	22 जनवरी, 2014 को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। इस संबंध में अंतिम आवेदन की प्रतीक्षा है।
4.	ओडिशा	ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (आईडीसीओ)	औद्योगिक खुर्दा भुवनेश्वर क्षेत्र	213.26	14 जनवरी, 2014 को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। इस संबंध में अंतिम आवेदन की प्रतीक्षा है।
5.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (एमपीएसईडीसी)	बड़वाई, भोपाल	50	27 मई, 2014 को सचिव के अंतिम अनुमोदन के लिए क्लस्टरों के लिए संचालन समिति ने सिफारिश की है।
6.			पुर्वा जबलपुर	40	
7.			इंदौर	37.07	उपर्युक्त दो क्लस्टरों का कार्यान्वयन आस्थगित किया गया।
8.			ग्वालियर	90	
9.	हरियाणा	एचएसआईआईडीसी	आईएमटी, रोहतक	108	31 जुलाई, 2013 को प्राप्त पिछले आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
10.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूईबीईएल	निहती	70	23 दिसम्बर, 2013 को प्राप्त पिछले आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
11.		डब्ल्यूबीईईडीसी	फाल्टा	60	

निजी प्लेसमेंट एजेंसियां

1580. श्री प्रतापराव जाधव :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यकरण का विनियमन करने वाले विभिन्न कानूनों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन में राज्यों को भी कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का किस सीमा तक अनुपालन किया गया है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने निजी प्लेसमेंट एजेंसियों की गतिविधियों के विनियमन/निगरानी के लिए इन कानूनों/दिशा-निर्देशों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या परिणाम निकले?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (ग) मंत्रालय ने निजी नियोजन एजेंसियों के प्रचालन के लिए 30.10.2013 को सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए। निजी नियोजन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले धोखाधड़ी के कार्यकलापों के विरुद्ध शिकायतें राज्य सरकारों द्वारा निपटाई जाती हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 257 शिकायतें संलग्न विवरण के अनुसार प्राप्त की गई हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने निजी नियोजन एजेंसियों से संबंधित आईएलओ कन्वेंशन 181 पर एक अध्ययन वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान को सौंपा है। अध्ययन के कार्य-क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं राज्य—दोनों स्तरों पर मौजूदा कानूनी ढांचे का एक अंतराल विश्लेषण शामिल है।

विवरण

विभिन्न राज्यों द्वारा सूचित किए गए धोखाधड़ी के कार्यकलापों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित सूचना

क्र.सं.	राज्य	2010	2011	2012	2013	योग
1.	आंध्र प्रदेश	24	17	17	22	80
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	01	—	01
3.	छत्तीसगढ़	सूचना समेकित रूप में प्राप्त हुई।				12
4.	दिल्ली	3	4	4	3	14
5.	केरल	3	2	2	3	10
6.	महाराष्ट्र	—	27	20	21	68
7.	राजस्थान	—	16	16	32	64
8.	उत्तराखंड	सूचना समेकित रूप में प्राप्त हुई।				08
	योग					257

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम में सुधार

1581. श्री सी.एन. जयदेवन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फार्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम के बजाय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू करके चुनाव सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान फार्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम के गुण और दोष क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) भारत के संविधान में राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अंगीकृत किया गया है और लोक सभा तथा राज्य विधान मंडल के लिए भी फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट निर्वाचन पद्धति को अंगीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार के समक्ष वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट पद्धति के लाभ और हानि को अभिनिश्चित करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है।

दूरसंचार कंपनियों का विलय और अधिग्रहण

1582. श्री पी. कुमार :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में दूरसंचार-प्रदाताओं के लाइसेंसों को रद्द करने की स्थिति में उधारदाताओं को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र हेतु विलय और अधिग्रहण की उदार नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा व्यवस्थित ढंग से त्वारित समेकन को सुकुर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि कुशल तथा वित्तीय रूप से सशक्त दूरसंचार ऑपरेटरों की सतत् औद्योगिक व्यवहार्यता तथा वृद्धि सुनिश्चित की जा सके?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा 20 फरवरी, 2014 को विलय और अधिग्रहण दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यह विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न कम्पनियों के विलय, एकीकरण तथा अधिग्रहण को सुगम बनाता है। इन दिशा-निर्देशों को विभाग द्वारा 20 अप्रैल, 2008 को जारी पूर्व दिशा-निर्देशों के स्थान पर रखा गया है।

विमानन क्षेत्र के लिए आईएटीए की अपील

1583. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल एयर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) ने भारत सरकार से करों में कमी करने और निजी एयरपोर्ट ऑपरेटरों को ऊंचे प्रभार लगाने से रोकने की अपील की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आईएटीए ने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इष्टतम उपयोग करने हेतु विमानन क्षेत्र में अत्यधिक विनियमों को शिथिल करने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा सीमा शुल्क और आव्रजन प्रक्रिया तथा विदेशी पर्यटकों विशेषकर महिला पर्यटकों की सुरक्षा को सख्ती से लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) देश के बड़े हवाईअड्डों पर वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। ऐरा को इंटरनेशनल एयर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) की ओर से हवाईअड्डा प्रभारों में कमी किए जाने संबंधी कोई विशिष्ट अपील प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, ऐरा आयटा सहित विभिन्न स्टेकधारकों के साथ विस्तृत और व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाने के बाद हवाईअड्डा प्रभारों का निर्धारण करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय हवाईअड्डों पर अबाध और तीव्र सीमाशुल्क और आप्रवास सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से, टर्मिनल भवनों पर पर्याप्त संख्या में डेस्क लगाए गए हैं। इन डेस्कों के पास विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों, बिजनेस क्लायस/फर्स्ट क्लास यात्रियों, भारतीय पासपोर्ट धारी

यात्रियों, विदेशी पासपोर्टधारी यात्रियों आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए स्पष्ट (डिमार्केशन) हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों और उनके सामान की संरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर चोरी और उठाईगिरी से मुक्त हवाईअड्डे सुनिश्चित करने के निर्देश से, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली की विधिवत् सहायता प्राप्त सुदृढ़ सुरक्षा प्रणाली विद्यमान है।

[हिन्दी]

नियमित और ठेका श्रमिक

1584. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नियमित और ठेका श्रमिकों की संख्या में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन श्रमिकों का तुलनात्मक अंतर कितना रहा;

(ग) क्या नियमित श्रमिकों की तुलना में ठेका श्रमिकों की वित्तीय और सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या देश में ठेका श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष प्रोत्साहन योजना तैयार की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) इस संबंध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) मजदूरी और अन्य सेवा शर्तों के लिहाज से ठेका श्रमिकों के हित के रक्षोपाय ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत किए जाते हैं। जहां तक मजदूरी के लिहाज से सुरक्षा का संबंध है, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 25(2)(v)(क) के अनुसार, ठेका श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित दरों से कम नहीं होगी और ऐसे मामलों में जहां ठेका कामगार प्रतिष्ठान के मूल नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा किए जाने वाला वही अथवा सदृश तरह का कार्य निष्पादित करते हों, वहां मजदूरी दरें, अवकाश, कार्य घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो प्रतिष्ठान के मूल नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा किए जाने वाला वही अथवा सदृश तरह का कार्य निष्पादित करने वाले कर्मकारों पर लागू होती हों। मजदूरी और अन्य प्रसुविधाओं का भुगतान सुनिश्चित करने की देयता प्राथमिक रूप से ठेकेदार की होती है और चूक की स्थिति में, मूल नियोक्ता की होती है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ठेका श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी पहलुओं का प्रवर्तन क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है बशर्ते प्रतिष्ठान जिनमें ठेका श्रमिक कार्य कर रहे हों वे उक्त अधिनियमों के अंतर्गत सम्मिलित हों।

(ङ) और (च) सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाएं ठेका श्रमिकों पर भी लागू हैं यदि वे योजना विशेष की प्रसुविधाओं के पात्र होने के लिए उस योजना की शर्तें पूरी करते हों। तथापि, ठेका कामगारों के हित विशेष रूप से ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत संरक्षित हैं।

[अनुवाद]

तेलंगाना में विमानपत्तन का विकास

1585. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना राज्य के खम्मम शहर में विमानपत्तन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विमानपत्तन के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवाओं का पलायन

1586. श्री भैरों प्रसाद मिश्र : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र से बेरोजगार युवाओं के पलायन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे पलायनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के लिए प्रयास कर रही है ताकि स्थानीय स्वयं उन क्षेत्रों के विकास के लिए इस श्रम शक्ति का उपयोग करके पलायन को रोका जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) प्रवासी कामगारों से संबंधित कोई आंकड़ें केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में विभिन्न कारणों से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या 314.54 मिलियन है। इनमें से 29.90 मिलियन लोगों ने रोजगार के कारणों से प्रवास किया। प्रवासी कामगारों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रवासी कामगारों की (राज्य-वार) संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	प्रवासी कामगारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,22,16,818
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,25,768
3.	असम	29,86,859
4.	बिहार	71,76,727
5.	छत्तीसगढ़	42,67,932
6.	गोवा	3,00,067
7.	गुजरात	91,25,305
8.	हरियाणा	36,44,364
9.	हिमाचल प्रदेश	13,82,382
10.	जम्मू और कश्मीर	7,56,768
11.	झारखंड	35,29,242
12.	कर्नाटक	82,25,307
13.	केरल	28,01,353
14.	मध्य प्रदेश	1,01,21,017
15.	महाराष्ट्र	2,07,81,152
16.	मणिपुर	2,08,189
17.	मेघालय	1,95,321
18.	मिज़ोरम	1,78,687
19.	नागालैंड	1,79,646
20.	ओडिशा	46,63,274
21.	पंजाब	35,42,268
22.	राजस्थान	91,57,667
23.	सिक्किम	1,14,009
24.	तमिलनाडु	77,86,130
25.	त्रिपुरा	4,03,830
26.	उत्तर प्रदेश	1,41,28,362
27.	उत्तराखंड	15,12,050
28.	पश्चिम बंगाल	96,31,648
29.	दिल्ली	28,07,258
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87,224
31.	चंडीगढ़	2,78,187
32.	दादरा और नगर हवेली	50,107
33.	दमन और दीव	43,891
34.	लक्षद्वीप	7,966
35.	पुदुचेरी	1,65,681
	कुल	14,26,82,456

विवरण-II

बेरोजगार युवाओं का पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं एवं बदहाली से पूरी तरह परिचित है। सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगारों के नियोजन एवं उनकी सेवा-शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1979 का अधिनियम किया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, इन कामगारों को यात्रा भत्ता का भुगतान करने, विस्थापन भत्ता, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधा तथा संरक्षात्मक वस्त्रों आदि का प्रावधान है। इस अधिनियम, की धारा 3 के अनुसार अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी की दरें, अवकाश, कार्य-घंटें एवं अन्य सेवा-शर्तें प्रकार ठीक वैसी ही रहेंगी जैसी अन्य कामगारों के लिए लागू हों और कोई अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी से किसी भी प्रकार कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा। विभिन्न श्रम कानूनों यथा-कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के उपबंध भी प्रवासी कामगारों पर लागू हैं।

प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश के किसी भाग में प्रवास कर सकता है। तथापि, सरकार का प्रयास बदहाली के कारण होने वाले पलायन को रोकने का रहा है।

सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का अधिनियमन किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसी परिवार को जिनका कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने को इच्छुक हो उसे एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी वाले नियोजन की गारंटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जीविकोपार्जन सुरक्षा बढ़ाना है। अधिनियम के अनुसार रोजगार गांव की परिधि से 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाएगा जहां आवेदन करते समय वह आवेदक रहता हो। ऐसे दायरे से बाहर रोजगार देने के मामले में रोजगार उसी प्रखंड के भीतर प्रदान किया जाएगा तथा श्रमिकों को 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, परिवारों की मांग के आधार पर स्थानीय नियोजन प्रदान करने से प्रवास की समस्या कम होती है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है ताकि प्रवासी कामगार सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सुविधाएं प्रदान की जा सकें। यह अधिनियम 6 मई, 2009 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों को निम्नलिखित मामलों से संबंधित योजनाएं तैयार करने की व्यवस्था की गई है:—

(क) जीवन एवं अशक्तता कवर;

(ख) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ;

(ग) वृद्धावस्था संरक्षण; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य कोई लाभ।

इस अधिनियम में राज्य सरकारों द्वारा भविष्य निधि, रोजगारजन्य चोट संबंधी सहायता, आवास, बच्चों के लिए शैक्षिक योजना, कौशल उन्नयन, अंत्येष्टि सहायता तथा वृद्धाश्रम संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है।

सरकार ने प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं जिसमें अस्पतालों में भर्ती होना शामिल है, से उत्पन्न वित्तीय देयताओं से संरक्षण प्रदान करना है।

अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार, कामगारों की एक बड़ी संख्या का भाग है जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में संलग्न है। जब से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों तक किया गया है तब से इन अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगारों को इस योजना के अंतर्गत लाभों का पात्र बनाया गया है।

केन्द्र सरकार ने कुछ राजयों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो अंतर्राज्यिक समन्वयन तंत्र के सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में है जिससे प्रवासी कामगारों के स्रोत एवं गंतव्य क्षेत्रों में सरल एवं सुचारू गतिविधियों के लिए सुविधा होगी। इस परियोजना अनुरूप में निम्नलिखित शामिल है:—

(क) ईंट-भट्ठा कामगारों को स्रोत एवं गंतव्य क्षेत्रों की सरकारी योजना के साथ समामेलित करते हुए सामाजिक संरक्षण प्रदान करना।

(ख) कार्यस्थल पर सुविधाओं में सुधार करना।

(ग) कामगारों को अधिकारों के प्रति जागरुक बनाते हुए शिक्षा प्रदान करना जिससे सामूहिक सौदेकारिता को संवर्धन मिल सके।

(घ) श्रमिकों की भर्ती एवं कार्यदशाओं में सुधार के लिए सामाजिक संवाद और

(ङ) ईंट-भट्ठा में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सुदृढ़ अभिरुख।

[अनुवाद]

ड्रीमलाइनर को उड़ाने का प्रशिक्षण

1587. श्री पी.सी. मोहन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने इसके द्वारा हाल में अधिगृहीत किए गए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उड़ाने का प्रशिक्षण देने के लिए कुछ पायलटों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रशिक्षण के लिए चयनित किए गए सभी पायलट सिर्फ एयर इंडिया से जुड़े हैं या कुछ पूर्व की इंडियर एयरलाइंस से हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है तथा इन पायलटों की उम्र सीमा क्या है; और

(ग) क्या कोई चयनित उम्मीदवार उम्र की सीमा से ज्यादा का है और यदि हां, तो ऐसे पायलटों के चयन के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों के पॉयलटों का चयन बी 787 ड्रीमलाईनर उड़ाने के प्रशिक्षण के लिए किया गया है। इसके लिए एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के पॉयलटों के लिए की कट ऑफ आयु अधिवार्षिता से पूर्व क्रमशः 3 तथा 5 वर्ष है। वाईड बॉडी तथा नैरो बॉडी के पॉयलटों द्वारा बी 787 उड़ान से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	पॉयलट	विमान का प्रकार	पॉयलटों की संख्या
1.	कमांडर (पी1)	नैरो बॉडी	55
2.	कमांडर (पी1)	वाईड बॉडी	51
3.	सह-पॉयलट (पी2)	नैरो बॉडी	54
4.	सह-पॉयलट (पी2)	वाईड बॉडी	67

(ग) जी, नहीं। चयन के समय सूचीबद्ध किए सभी पॉयलटों की कट ऑफ आयु सीमा के भीतर थी।

विमानपत्तन परियोजनाओं के संबंध में सीएपीए की रिपोर्ट

1588. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विमानपत्तनों के विकास के संबंध में नागर विमानन क्षेत्र के विमर्शक निकाय के सेंटर फॉर एशिया पैसेफिक एविएशन (सीएपीए) की हाल की रिपोर्ट का अध्ययन किया है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार 'अत्यावश्यक वायु सेवा निधि' नामक निधि का सृजन करके छोटे शहरों को विमानन से जोड़ने वाले अलाभकारी मार्गों पर विमान सेवाओं के प्रचालन पर राजसहायता देने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, अनिवार्य हवाई सेवा निधि के सृजन के लिए कार्यविधि तैयार नहीं की गई है, इसलिए कोई विनिर्दिष्ट समय सारणी नहीं दी जा सकती।

एटीएफ की कीमतें

1589. श्री नलीन कुमार कटील :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतें दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों विशेषकर पेट्रोल की कीमतों से ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एटीएफ की कीमतों पर तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एटीएफ की कीमतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 01.07.2014 को सभी चारों मेट्रो शहरों में एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) का शुल्कों, करों और उगाहियों से पूर्व बुनियादी बिक्री मूल्य अर्थात् निर्धारित योग्य मूल्य पेट्रोल के मूल्य से अधिक है जैसा नीचे दिया गया है:—

दिनांक 01.07.2014 को मेट्रो शहरों में पेट्रोल की तुलना में एटीएफ के निर्धारण योग्य मूल्य की तुलना

(रुपए प्रति किलो मीटर)

उत्पाद	दिल्ली	कोलकाता	मुम्बई	चैन्नई
एटीएफ	54,017.13	59,167.40	53,519.00	54,807.30
पेट्रोल	49,679.38	52,917.09	52,787.56	49,324.71

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को एटीएफ की बिक्री पर हानि नहीं हो रही है।

(ङ) एटीएफ मूल्य निर्धारण को नियंत्रण मुक्त किए जाने के बाद अर्थात् अप्रैल, 2001 से घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एटीएफ के मूल्यों में इस उत्पाद के अरब खाड़ी बाजार (भारत के लिए आपूर्ति का प्राकृतिक स्रोत) के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुए बदलावों के अनुरूप संशोधन किया जाता है।

एटीएफ मूल्य में कमी करने के लिए एटीएफ पर सीमा शुल्क को दिनांक 31.10.2008 से 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया था।

लोक अदालतों की स्थिति

1590. श्री निशिकान्त दुबे : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लोक अदालतों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या लोगों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी क्षेत्रों में लोक अदालतों की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कोई तंत्र तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) विवादों के सौहादपूर्ण निपटारे के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों के माध्यम से संपूर्ण देश में लोक अदालतें आयोजित की जा रही है। नालसा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को मार्गदर्शक सिद्धांत/निदेश जारी किए हैं कि लोक अदालतों के बारे में जनसमुदाय को विस्तार से जानकारी दें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे राज्य महिला आयोग द्वारा प्राप्त याचिकाओं के मामलों में लोक अदालतें आयोजित करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से कहा गया है कि वे ऐसी याचिकाओं को एकत्रित करने और उन्हें लोक अदालतों को निर्दिष्ट करने के लिए राज्य महिला आयोग के साथ समन्वय रखें।

विवरण

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित लोक अदालतों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आयोजित लोक अदालतों की संख्या		
		2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16330	15369	14573
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	8	33
3.	असम	59	66	40
4.	बिहार	2515	2413	1702
5.	छत्तीसगढ़	1774	2252	2044
6.	गोवा	64	106	108
7.	गुजरात	10400	10091	10588
8.	हरियाणा	1478	2871	3267
9.	हिमाचल प्रदेश	596	404	951

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	467	575	561
11.	झारखंड	4664	1692	2114
12.	कर्नाटक	28070	14067	25895
13.	केरल	3820	4185	4789
14.	मध्य प्रदेश	1420	1440	1755
15.	महाराष्ट्र	3227	2868	2041
16.	मणिपुर	5	3	16
17.	मेघालय	15	6	29
18.	मिज़ोरम	29	25	50
19.	नागालैंड	शून्य	58	31
20.	ओडिशा	596	990	958
21.	पंजाब	3345	3322	3495
22.	राजस्थान	20828	18975	26164
23.	सिक्किम	155	181	259
24.	तमिलनाडु	5150	5011	5883
25.	त्रिपुरा	82	105	247
26.	उत्तर प्रदेश	2588	4018	3308
27.	उत्तराखंड	208	182	156
28.	पश्चिम बंगाल	1307	1506	1173
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	76	26	2
30.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	844	822	744
31.	दादरा और नगर हवेली	2	3	2
32.	दमन और दीव	2	5	4
33.	दिल्ली	1134	1182	1069
34.	लक्षद्वीप	108	44	46
35.	पुदुचेरी	106	99	104

नागर विमानन महानिदेशालय की सुरक्षा संपरीक्षा

1591. श्री रामसिंह राठवा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा किए गए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की अंतिम सुरक्षा संपरीक्षा का ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या है;

(ख) क्या डीजीसीए की अगली सुरक्षा संपरीक्षा इस वर्ष होनी निर्धारित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्य है; और

(ग) आईसीएओ द्वारा उठाए गए सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने के लिए डीजीसीए द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) ने 12 से 20 दिसंबर, 2012 तक एक इकाओ समन्वित विधिमान्यकरण मिशन (आईसीवीएम) का आयोजन किया है। आईसीवीएम का उद्देश्य 10 से 20 अक्तूबर, 2006 में की गई आरंभिक लेखा परीक्षा में इकाओ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई में भारत द्वारा की गई प्रगति को विधिमान्य करना था।

इकाओ ने लेखापरीक्षा के बाद, प्रचालनों और उड़ान-योग्यता के क्षेत्रों में दो महत्वपूर्ण संरक्षा मामलों (एसएससी) को उठाया। सरकारों से अवगत कराया। भारत ने इन मामलों का समाधान करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जिसकी पुष्टि अगस्त, 2013 में इकाओ लेखापरीक्षा टीम द्वारा उत्तरवर्ती दौरे के दौरान की गई और एसएससी का समाधान कर लिया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) डीजीसीए ने एसएससी पर तत्काल कार्रवाई की जिसकी पुष्टि अगस्त, 2013 के महीने में इकाओ के दौरे के दौरान हुई और एसएससी का समाधान किया गया। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए प्रभावी निरीक्षण प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए इकाओ द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए सतत् कार्रवाई कर रहा है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सुदृढ़ीकरण

1592. श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को सुदृढ़ बनाने के लिए नियोजित निवेश के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में प्रत्येक सीपीएसई के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) सामान्य रूप से सरकार का केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों पर नियोजित निवेश के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में बजटीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में 12वीं योजना में निवेश के लिए केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा 16,22,898 करोड़ रुपए के रूप में आंतरिक एवं बाह्य बजटेतर संसाधन (आईईबीआर) जुटाने की परिकल्पना की गई है।

सरकार द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा बजट अनुमान 2014-15 के लिए उनके प्रशासनिक मंत्रालयों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को दी गई बजटीय सहायता का विवरण वर्ष 2014-15 की व्यय बजट वाल्यूम-I के "विवरण 14" में दिया गया था जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा बजट दस्तावेज के रूप में संसद में दिनांक 10 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत किया गया था।

[हिन्दी]

इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क

1593. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात उद्योग निरंतर लौह अयस्क की कमी से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की मांग और उपलब्धता का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की कमी को देखते हुए लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (ग) जी, नहीं। देश में लौह अयस्क का उत्पादन इस्पात उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष अप्रैल, 2014 से मई, 2014 के दौरान 56.5 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है। पिछले तीन वर्षों में लौह अयस्क के उत्पादन, घरेलू खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(मिलियन टन)

वर्ष	लौह अयस्क का उत्पादन	घरेलू खपत
2010-11	207.16	107.22
2011-12 (पी)	167.29	100.57
2012-13 (पी)	135.85	103.39
2013-14 (ई)	152.06	103.73

स्रोत: उत्पादन/खपत-भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय।

(पी) — अनंतिम।

(ई) — अनुमानित।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

1594. श्री सदाशिव लोखंडे : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश विशेषकर विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा नि:शक्त तथा महिलाओं की भर्ती हेतु क्या योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हो और इनकी भर्ती हेतु राज्य-वार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान ऐसे लोगों की भर्ती के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य-वार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार ऐसे कितने लोगों की भर्ती के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर से नीचे के सभी पदों जिनमें नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद शामिल हैं, में भर्ती संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा की जाती है।

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

किसी विशेष वर्ष में कर्मचारियों की भर्ती हेतु लक्ष्य, संबंधित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के प्रबंधन द्वारा एससी/एसटी/ओबीसी और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए प्रचलित आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए उनकी उद्यमों की जनशक्ति आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।

लोक उद्यम विभाग में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में भर्ती किए गए नि:शक्त व्यक्तियों और महिलाओं की संख्या के संबंध में सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है। उसके अनुपालन के संबंध में हुई प्रगति की मॉनीटरिंग का कार्य प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के विदेशी स्टेशन

1595. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू : क्या **नागर विमाननन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में स्थित एयर इंडिया के विदेशी स्टेशनों का ब्यौरा क्या है और इन स्टेशनों में इसके कर्मचारियों का स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशी स्टेशनों पर अपने कर्मचारियों की तैनाती के कारण एयर इंडिया को अनुमानत: कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ग) क्या एयर इंडिया ऐसे विदेशी स्टेशनों जहां से कोई उड़ान परिचालित नहीं होती, में से अपने कर्मचारियों को हटाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) विभिन्न देशों में स्थित एयर इंडिया के विदेशी स्टेशनों से संबंधित विवरण व इन स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एयर इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए प्रचालन किए जाते हैं तथा प्रचालनात्मक एवं वाणिज्यिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी स्टेशनों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है इसलिए किसी से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है।

(ग) और (घ) ऐसे ऑफलाईन स्टेशनों के संबंध में, जहां एयर इंडिया द्वारा किसी उड़ान का प्रचालन नहीं किया जाता है, समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। हाल ही में नीचे उल्लिखित ऑफलाईन स्टेशन बंद किए गए हैं:—

स्टेशन	बंद करने की तिथि
हॉस्टन (आरएसआर)	26.2.2010
वेन्कुवर	1.5.2010
कोपनहेगन	21.6.2010
ब्रस्सेल्स	31.12.2010
ऑकलैंड	2.11.2011
नैरोबी	15.3.2011
बेरूत	30.9.2011

विवरण

एयर इंडिया के सुरक्षा विभाग द्वारा भारत से भेजे गए अधिकारियों (आईबीओ) की नीचे उल्लिखित ऑनलाईन स्टेशनों पर सुरक्षा समन्वयक के रूप में तैनाती की गई है:

1. जेएफके एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका — 01 आईबीओ
2. नवार्क एयरपोर्ट, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका — 01 आईबीओ
3. फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, जर्मनी — 01 आईबीओ
4. लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, ब्रिटेन — 01 आईबीओ
5. सिंगापुर एयरपोर्ट, सिंगापुर — 01 आईबीओ
6. हांगकांग एयरपोर्ट, हांगकांग — 01 आईबीओ

7. बैंकॉक एयरपोर्ट, बैंकॉक – 01 आईबीओ

8. ढाका एयरपोर्ट, ढाका, बांग्लादेश – 01 आईबीओ

9. काठमांडू एयरपोर्ट, काठमांडू, नेपाल – 01 आईबीओ + 08 पर्यवेक्षक

10. काबुल एयरपोर्ट, काबुल, अफगानिस्तान – 01 आईबीओ

11. सिडनी एयरपोर्ट, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया – 01 आईबीओ

12. मेलबोर्न, मेलबोर्न, ऑस्टेलिया (निर्धारित) – 01 आईबीओ

विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार सभी विदेशों ऑनलाईन स्टेशनों पर एयरलाइनों द्वारा अपने भारत बेस के सुरक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने आवश्यक हैं, जो अपने प्रचालन की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के मामलों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तथापि, नीचे उल्लिखित ऑनलाईन स्टेशनों पर भारतीय बेस के सुरक्षा अधिकारियों/पर्यवेक्षकों की तैनाती नहीं की गई है:–

1. बर्मिंघम – बर्मिंघम, ब्रिटेन
2. पेरिस – पेरिस, फ्रांस
3. टोक्यो – टोक्यो, जापान
4. ओसाका – ओसाका, जापान में कंसाई हवाईअड्डा
5. शंघाई – शंघाई हवाईअड्डे, चीन
6. सियोल – इंसीरन हवाईअड्डा, दक्षिण कोरिया
7. दुबई – दुबई हवाईअड्डे, संयुक्त अरब अमीरात
8. शिकागो – शिकागो हवाईअड्डे, संयुक्त राज्य अमेरिका
9. रोम – रोम, इटली
10. मिलान – मालपेंसा हवाईअड्डा, मिलान, इटली
11. अबुधाबी – अबूधाबी, संयुक्त अरब अमीरात
12. बहरीन – बहरीन
13. जेद्दाह – जेद्दाह, केएसए
14. रियाद – रियाद, केएसए
15. कुवैत – कुवैत
16. मस्कट – मस्कट, ओमान
17. दोहा – दोहा, कतर
18. कोलम्बो – कोलम्बो, श्रीलंका
19. यंगून – यंगून, म्यांमार
20. मालदीव – मालदीव
21. शारजाह – शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात
22. दम्माम – दम्मम, केएसए

एयर इंडिया के विदेशों में स्थित स्टेशनों की जनशक्ति

जनशक्ति–विदेश स्टेशनों पर वाणिज्यिक काडर आईबीओ एवं स्थानीय कर्मचारी

देश	स्टेशन	ऑनलाइन/ऑफ़लाइन/ आरएसआर	भारत से भेजे गए आईबीओ	स्थानीय कर्मचारी की संख्या
1	2	3	4	5
अमेरिका	न्यूयार्क/नेवार्क	ऑनलाइन	3	32
अमेरिका	शिकागो	ऑनलाइन	1	9
अमेरिका	वाशिंगटन	ऑफ़लाइन	1	1
अमेरिका	लॉस एजेंल्स	ऑफ़लाइन	0	3
अमेरिका	सॉन फ्रांसिस्को	आरएसआर	1	1

1	2	3	4	5
अमेरिका	बोस्टन	आरएसआर	0	1
कनाडा	टोरंटो	ऑफ़लाइन	0	8
	कुल		6	55
ब्रिटेन	लंदन	ऑनलाइन	3	16
ब्रिटेन	बर्मिंघम	ऑनलाइन	1	0
	कुल		4	16
जर्मनी	फ्रेंकफर्ट	ऑनलाइन	2	12
फ्रांस	पेरिस	ऑनलाइन	1	9
नीदरलैंड	एम्सेस्टरडम	ऑफ़लाइन	0	2
ऑस्ट्रिया	वियना	ऑफ़लाइन	1	2
इटली	रोम	ऑनलाइन	1	1
इटली	मिलान	ऑनलाइन	1	2
स्पेन	मैड्रिड	आरएसआर	0	1
स्विट्जरलैंड	ज्यूरिथ	ऑफ़लाइन	0	0
मास्को	मास्को	ऑफ़लाइन	1	1
	कुल		7	30
संयुक्त अरब अमीरात	दुबई	ऑनलाइन	8	1
संयुक्त अरब अमीरात	शारजाह	ऑनलाइन	5	0
संयुक्त अरब अमीरात	आबूधाबी	ऑनलाइन	2	1
बहरीन	बहरीन	ऑनलाइन	2	1
कतर	दोहा	ऑनलाइन	2	0
ओमान	मस्कट	ऑनलाइन	2	1
कुवैत	कुवैत	ऑनलाइन	2	1
सऊदी अरब	जेद्दाह	ऑनलाइन	1	0
सऊदी अरब	रियाद	ऑनलाइन	2	2

1	2	3	4	5
सऊदी अरब	दम्माम	ऑनलाइन	2	1
मिस्र	कैरो	ऑफ़लाइन	0	1
ईरान	तेहरान	ऑफ़लाइन	0	1
	कुल		28	10
हांगकांग	हांगकांग	ऑनलाइन	1	5
थाईलैंड	बैंकॉक	ऑनलाइन	2	0
जापान	टोक्यो	ऑनलाइन	1	5
जापान	ओसाका	ऑनलाइन	1	3
चीन	शंघाई	ऑनलाइन	1	6
ऑस्ट्रेलिया	सिडनी	ऑनलाइन	2	1
ऑस्ट्रेलिया	मेलबोर्न	ऑनलाइन	2	0
कोरिया	सियोल	ऑनलाइन	1	0
सिंगापुर	सिंगापुर	ऑनलाइन	3	0
मलेशिया	कुवालालाम्पुर	ऑनलाइन	1	3
	कुल		15	23
बांग्लादेश	ढाका	ऑनलाइन	1	5
बांग्लादेश	चटगांव	ऑनलाइन	0	1
श्रीलंका	कोलम्बो	ऑनलाइन	1	0
नेपाल	काठमांडू	ऑनलाइन	1	0
म्यांमार	यंगून	ऑनलाइन	0	0
मालदीव	मालदीव	ऑनलाइन	2	0
अफगानिस्तान	काबुल	ऑनलाइन	1	0
	योग		6	6
	कुल योग		66	140

[अनुवाद]

एयर इंडिया में व्यवधानकारी घटनाएं

1596. श्री बी.वी. नाईक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसी कोई व्यवधानकारी घटना आई है जिनमें पायलटों सहित एयर इंडिया के कमचारियों को संलिप्त पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एयर इंडिया ने इन घटनाओं की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) एयर इंडिया द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दो बाधाकारी घटनाएं हुई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

(i) दिनांक 27.4.2011 को 0000 बजे से दिनांक 6.5.2011 को 2200 बजे तक की अवधि के दौरान इंडियन कर्मिशियल पॉयलट एसोसिएशन (आईपीपीए) हड़ताल पर रही।

(ii) इंडियन पॉयलट गिल्ड (आईपीजी) द्वारा समर्थित पॉयलट 7 मई, 2012 की रात्रि से सम्मिलित रूप से अस्वस्थ सूचित किए गए। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से यह हड़ताल दिनांक 3 जुलाई, 2012 को समाप्त हुई।

(ख) (i) हड़ताल के परिणामस्वरूप आईसीपीए की मान्यता समाप्त कर दी गई, 6 लाइन पॉयलटों, 3 अधिशासी पॉयलटों की सेवाएं समाप्त कर दी गई तथा 7 पॉयलटों को निलम्बित कर दिया गया। तथापि, तत्पश्चात् मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पॉयलटों की बैठकें हुईं और हड़ताल समाप्त हो गई। प्रबंधन द्वारा आईसीपीए की मान्यता पुन: स्थापित कर दी गई तथा उनके कार्यालयों की सील हटा दी गई। सेवा समाप्त किए गए पॉयलटों को जारी सेवा समाप्ति पत्र वापस ले लिए गए, निलंबन रद्द कर दिया गया तथा उन्हें नौकरी पर वापस लौटने का प्रस्ताव दिया गया।

(ii) इसमें प्रतिभागिता करते हुए पाए गए 97 पॉयलटों की सेवाएं तथा आईपीजी की मान्यता समाप्त कर दी गई। तथापि, बाद में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से दिनांक 3 जुलाई, 2012 को हड़ताल समाप्ति की घोषणा हुई। प्रबंधन तथा आईपीजी के मध्य तथा उप-मुख्य श्रमायुक्त (सी) के सम्मुख भी बैठकें आयोजित की गई। एयर इंडिया की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा सेवा समाप्त किए गए पॉयलटों से सेवा बहाली के लिए प्राप्त अनुरोध पर विचार किया गया तथा 84 पॉयलटों की सेवाएं बहाल कर दी गई। सेवा बहाली के लिए 13 पॉयलटों से प्राप्त अनुरोध अस्वीकृत कर दिए गए। "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत का पालन करते हुए हड़ताली पॉयलटों को हड़ताल की अवधि के लिए वेतन तथा भत्ते नहीं दिए गए।

(ग) रोजमर्रा के मामलों का मैत्रीपूर्ण हल निकालने के लिए तथा कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण वातावरण तथा औद्योगिक सामंजस्य एवं शांति बनाए रखने के लिए एयर इंडिया प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर यूनियनों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाती है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में भर्ती नीति

1597. श्री कामाख्या प्रसाद तासा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने असम क्षेत्र के ऐसे युवाओं जिन्होंने इंजीनियरों/प्रशासकों के रूप में अर्हता प्राप्त की है, की भर्ती के लिए कोई विशेष भर्ती नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र के युवाओं के लिए बनाए गए कौशल विकास कार्यक्रम, यदि कोई हो का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कामगारों/कार्यकारियों के रूप में असम को कितने कुशल/अर्धकुशल युवाओं की भर्ती की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) की इंजीनियरों/प्रशासकों के लिए कोई राज्य विशिष्ट विशेष भर्ती नीति नहीं है।

(ख) असम में पिछले तीन वर्षों के दौरान नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत 1266 छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता का विकास किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी में भर्ती किए गए ऐसे उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है जो असम के मूल निवासी थे:—

वर्ष	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	योग
2011	73	152	225
2012	34	113	147
2013	43	96	139
योग	150	361	511

शेल तेल और गैस अन्वेषण नीति

1598. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेल तेल और गैस अन्वेषण संबंधी कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने शेल तेल और गैस अन्वेषण के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) द्वारा उनको नामांकन व्यवस्थाओं के तहत प्रदत्त उनके जमीनी पेट्रोलियम अन्वेषण पट्टा (पीईएल)/पेट्रोलियम खनन पट्टा ब्लॉकों में शेल गैस और तेल के अन्वेषण और दोहन के लिए दिनांक 14.10.2013 की नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नीति के अनुसार, एनओसीज शेल गैस और तेल अन्वेषण और दोहन के लिए निश्चित समयावधि में अनिवार्य न्यूनतम कार्य कार्यक्रम शुरू करेंगी ताकि शेल गैस और तेल संसाधनों की इष्टतम वृद्धि और विकास किया जा सके।

(ग) और (घ) एनओसीज शेल गैस और तेल के अन्वेषण में लगी हुई हैं। शेल गैस और तेल, अन्वेषण और दोहन के आकलन के प्रथम चरण के तहत, इस समय एनओसीज द्वारा 56 पीईएल/पीएमएल ब्लॉकों (ओएनजीसी-50, और ओआईएल-6) की पहचान की गई है।

ओएनजीसी द्वारा जहां कोरिंग पूरी कर ली है, वहां एक कूप का वेधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी ने अन्य 7 कूपों से कोर एकत्र किए हैं।

शेल गैस अन्वेषण के लिए वेधन और अन्य प्रचालन कार्य मूल रूप में वही हैं जो किसी अन्य परम्परागत हाइड्रोकार्बन भंडारों के मामले में होते हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

1599. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गड़चिरोली-चिमुर संसदीय क्षेत्र और महाराष्ट्र के अन्य जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में स्थापित सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) ठीक से न चल रहे बूथों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बंद हो चुके बूथों की कुल संख्या कितनी है और बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित टेलीफोन बूथ सहित टेलीफोन बूथों के सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल)/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा सार्वजनिक टेलीफोन बूथों पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) से संबंधित आंकड़े सर्किल-वार रखे जाते हैं, राज्य-वार नहीं रखे जाते। दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार [ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) को छोड़कर] कार्य कर रहे पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा जनजातीय क्षेत्र-वार पीसीओ से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र सर्किल के विभिन्न गौण स्विचन क्षेत्रों (एचएसए) (गड़चिरोली-चिमुर सहित) में कार्यरत पीसीओ (वीपीटी को छोड़कर) की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) पीसीओ, सामान्य रूप से संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ग) मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रसार तथा फ्रैंनचाइज की आय में गिरावट के कारण कुछ पीसीओ सरेंडर कर दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (31.05.2014 तक) के दौरान डिस्कनेक्ट किए गए पीसीओ का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) पब्लिक कॉल आफिसों (पीसीओ) के उपयुक्त और संतोषजनक ढंग से कार्यकरण के बारे में (रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पीसीओ सहित) बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा उठाए गए निम्नानुसार हैं:-

(i) पब्लिक कॉल आफिसों (पीसीओ) के उपयुक्त और संतोषजनक ढंग से कार्यकरण के बारे में (रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पीसीओ सहित)

बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा उठाए गए कदम हैं—टेलीफोन लाइनों का स्तरोन्नयन/सुधार।

(ii) वितरण बिन्दु (डीपी) को पीसीओ के निकट शिफ्ट करना तथा वायर को जोड़-मुक्त (ज्योंइट-फ्री) करना।

(iii) केबल में दोष होने पर केबल की शीघ्र मरम्मत करना।

(iv) पीसीओ को दुरुस्त हालत में रखने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त पुर्जों को स्टॉक में भी रखना।

(v) पोल रहित नेटवर्क का सृजन (ड्राप-वायर के दोष को कम करने के लिए)।

(vi) आवधिक रूप से जांच आदि करना।

विवरण-I

कार्य कर रहे पीसीओ का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल/जिला	दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार वीपीटी को छोड़कर कार्य कर रहे पीसीओ की संख्या		पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 31.05.2014 तक) के दौरान वीपीटी को छोड़कर बंद कर दिए गए पीसीओ की संख्या			
		शहरी	ग्रामीण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (31.05.2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	82	88	114	176	26	44
2.	आंध्र प्रदेश	26391	34726	21719	23307	21833	2257
3.	असम	8765	2087	8073	5053	758	355
4.	बिहार	1823	1118	2350	58823	74	0
5.	छत्तीसगढ़	1538	1097	177	177	31	40
6.	गुजरात	23985	8934	11589	8612	5477	544
7.	हरियाणा	4685	2840	4072	1371	1724	185
8.	हिमाचल प्रदेश	1691	3935	1530	731	593	54
9.	जम्मू और कश्मीर	4461	1596	1069	864	2780	195
10.	झारखंड	2248	3079	5342	6180	820	18
11.	कर्नाटक	52562	36256	35127	48925	25018	5566
12.	केरल	14786	20877	24238	16187	10792	676
13.	मध्य प्रदेश	21000	7267	14172	6586	1402	76

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	महाराष्ट्र	56006	34670	26968	39349	31194	3386
15.	पूर्वोत्तर-I	2340	1084	1998	1817	435	184
16.	पूर्वोत्तर-II	3983	817	7	404	2802	0
17.	ओडिशा	4105	3394	3823	1713	4177	86
18.	पंजाब	4706	5237	1392	2127	3415	194
19.	राजस्थान	8462	6179	3685	12038	7425	911
20.	तमिलनाडु	58148	27549	36197	26234	19710	2105
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	19327	11160	14126	23022	47944	3053
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	7434	1519	5406	3530	5805	375
23.	उत्तराखंड	3518	1560	856	1377	1308	197
24.	पश्चिम बंगाल	12018	14986	9552	9873	2816	981
25.	कोलकाता टेलीफोनस	7743	0	24154	360	4414	322
26.	चेन्नै टैलीफोनस	13591	891	56238	2690	3543	234
27.	एमटीएनएल दिल्ली	57081	0	3218	1726	2640	217
28.	एमटीएनएल मुम्बई	84828	0	12322	7349	4792	1331

विवरण-II

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में कार्यरत पीसीओ की संख्या

क्र. सं.	एसएसए का नाम	दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार कार्यरत पीसीओ (वीपीटी को छोड़कर)	
		शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4
1.	अहमद नगर	3163	4843
2.	अकोला	762	140
3.	अमरावती	1496	882
4.	औरंगाबाद)	4282	2920
5.	बीड (बीर)	414	526
6.	बान्द्रा	211	368
7.	बुलदाना (खामगांव)	707	532
8.	चन्द्रापुर	595	678
9.	धुले (धुलिया)	768	672
10.	गड़चिरोली	18	57
11.	जलगांव	3189	1240
12.	जालना	248	150

1	2	3	4
13.	कल्याण	10175	1401
14.	कोल्हापुर	2489	2993
15.	लातुर	640	887
16.	नागपुर	1161	232
17.	नांदेड़	1928	1527
18.	नासिक	3747	810
19.	ओसमानाबाद	107	822
20.	पणजी (गोवा)	1272	446
21.	पारभनी	2132	740
22.	पुणे	8724	1705
23.	रायगढ़ (पेन)	850	828
24.	रत्नागिरी	588	1493
25.	सांगली	1248	1808
26.	सतारा	963	1548
27.	सिंधुदुर्ग (कुदाल)	406	1391
28.	सोलापुर	2545	2817
29.	वर्धा	112	72
30.	येओतमल	1066	142
	कुल	56006	34670

महिलाओं को रोजगार में समान अवसर

1600. **श्री गणेश सिंह :**

श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कामकाजी महिलाओं की समग्र भागीदारी काफी कम है उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रोजगार में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है और रोजगार नीतियों को महिलाओं के लिए और संवेदनशील बनाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना से कितनी महिलाओं के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में महिलाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। एनएसएस सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार, सामान्य स्थिति के अनुसार कार्यबल भागीदारी दरें (%) निम्नानुसार हैं:—

	पुरुष	महिला	योग (%)
ग्रामीण	54.3	24.8	39.9
शहरी	54.6	14.7	35.5
योग	54.4	21.9	38.6

तालिका में यह इंगित किया गया है कि ग्रामीण एवं शहरी-दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दरें पुरुषों से कम हैं।

(ख) से (ङ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पुरुषों एवं महिला कामगारों के लिए समान कार्य अथवा समरूप प्रकृति के कार्य हेतु बगैर किसी भेदभाव के, समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है। प्रतिष्ठानों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए अधिनियम का प्रवर्तन केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा नियमित निरीक्षण आयोजित करके किया जाता है।

असंगठित क्षेत्र के महिलाओं सहित कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा तथा महिलाओं सहित असंगठित कामगारों हेतु कोई अन्य लाभ, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम, 2013 में नियोक्ता पर उत्तरदायित्व निर्धारित करके तथा सुधार तंत्र स्थापित करके प्रत्येक महिला को यौन उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं सहित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, भारत सरकार विभिन्न सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) जिसे अब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एलयूएलएम) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का कार्यान्वयन कर रही है।

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के मद्देनजर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने के लिए, विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को पर्याप्त रूप से सम्मिलित किए जाने के प्रावधान हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, इन योजनाओं के तहत वर्ष 2013-14 में लगभग 75.88 लाख व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ओएनजीसी के अंतर्गत अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान

1601. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के अंतर्गत आने वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है और प्रौद्योगिकी उन्नयन/नवाचारी में उनकी क्या भूमिका है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं और हासिल की गई उपलब्धियों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित और प्रयुक्त निधि का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रचालनगत उत्कृष्टता और प्रौद्योगिकी उन्नयन/नवाचार का उक्त संस्थान ज्ञान प्रदान करने में कहां तक सफल रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि॰ (ओएनजीसी) ने अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को संस्थागत बना दिया है। ओएनजीसी ने अन्वेषण, वेधन, रिजर्वायर प्रबंधन, उत्पादन प्रौद्योगिकी, समुद्री इंजीनियरिंग तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यकलापों को करने के लिए 11 संस्थान स्थापित किए हैं। इन संस्थाओं को छोड़कर, ओएनजीसी के पास चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई मुम्बई, चेन्नई, बड़ोदरा और सिबसागर) हैं। आरटीआई, ओएनजीसी कार्यकारियों को गैर-कार्यकारियों के लिए नियमित बहु-विषयक कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि करने और कौशल विकास के लिए अपने संबद्ध क्षेत्रों में नोड एजेंसियां हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नागर विमानन क्षेत्र के लिए विनियामक प्राधिकरण

1602. **श्री एन. क्रिष्टप्पा :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुयान-संचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण तथा उपभोक्ता संरक्षण आदि से संबंधित मामलों से निपटने के लिए वर्तमान में उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में नागर विमानन क्षेत्र के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्राधिकरण के लिए परिकल्पित भूमिका और कृत्य क्या हैं और इसका प्रस्तावित संघटन और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) नए प्राधिकरण की स्थापना की दशा में, नागर विमानन महानिदेशक की संभावित भूमिका क्या रहेगी; और

(ङ) उक्त प्राधिकरण के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) निर्धारणात्मक और निष्पादित आधारित संरक्षा निगरानी के माध्यम से प्रचालकों की संरक्षा निगरानी करता है। निर्धारणात्मक निगरानी के एक भाग के रूप में डीजीसीए ने वार्षिक निगरानी कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें प्रचालकों की निगरानी और विनियामक लेखापरीक्षा शामिल हैं। निष्पादन आधारित निगरानी के एक भाग के रूप में, प्रचालकों के संगठन में संरक्षा प्रबंधन

प्रणाली का कार्यान्वयन संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित है। पर्यावरण संबंधी कार्रवाई के लिए सांस्थानिक तंत्र कं संदर्भ में, डीजीसीए ने जलवायु परिवर्तन, विमान शोर और स्थानीय हवाई गुणवत्ता के संबंध में विमानन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विमानन पर्यावरण यूनिट का गठन किया है। डीजीसीए ने विमान प्रचालनों से उत्पन्न शोर और घरेलू विमानन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए नियमित आधार पर नागर विमानन का कार्बन फुटप्रिंट का भी मूल्यांकन कर रहा है।

उपभोक्ता संरक्षण फ्रंट पर, डीजीसीए ने शीघ्र समाधान के लिए स्टेकधारकों के साथ यात्री संबंधी शिकायतों का समाधान करने के उद्देश्य से एक यात्री शिकायत सेल का गठन किया भी है। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए ने उपभोक्ता संरक्षण पर नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) के रूप में विविध विनियमों को जारी किया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विमान में यात्रा से इंकार, उड़ानों के रद्दकरण अथवा विलंब, अक्षम अथवा चलने-फिरने में निःशक्त व्यक्तियों को विमान द्वारा ले जाना, टिकटों की वापसी आदि के मामले में सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। उपर्युक्त नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन नियमित आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

(ख) जी, हां। डीजीसीए के स्थान पर भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) भारतीय विमानन प्राधिकरण की विमान परिवहन सेवा प्रचालकों, विमान सेवा दिक्चालन प्रचालकों और अन्य नागर विमानन सुविधा प्रचालकों, नागर विमानन और वैज्ञानिकी के विकास और मानकीकरण, नागर विमानन क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण विनियमन और इससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रभावी नागर विमानन सुरक्षा निगरानी क्षमताओं के लिए प्रशासनिक और वित्तीय लचीलेपन के साथ एक अलग इकाई के रूप में कानूनी हैसियत होगी।

नागर विमानन प्राधिकरण की संस्थापना निम्नानुसार प्रस्तावित की जाती है:—

(i) अध्यक्ष

(ii) महानिदेशक और

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कम-से-कम सात और अधिकतम नौ सदस्य।

नागर विमानन महानिदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी प्रस्तावित है। महानिदेशक प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक और पूर्णकालिक सदस्य होगा, तथा कोई अन्य पद नहीं सभालेंगे। संसद में भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण बिल, 2014 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए अंतर मंत्रालयी परामर्श स्तर पर है।

श्रीनगर-दिल्ली की उड़ान में तकनीकी खराबी

1603. श्री धनंजय महाडीक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री राजीव सातव :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया की एयर-बस संख्या ए-320 में वातानुकूलित यंत्र और अन्य उपकरणों के कार्य न करने की वजह से श्रीनगर-दिल्ली उड़ान के यात्रियों को असुविधा का मामला सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) एयर इंडिया द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) और (ख) जी, हां। ए-320 विमान वीटी-ईपीजी के साथ प्रचालित दिनांक 27 जून, 2014 की एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-1822 (श्रीनगर-जम्मू-दिल्ली) की ऑक्जिलिरी पॉवर यूनिट (एपीयू) मरम्मत योग्य न होने के कारण ग्राउंड पर एयरकंडीशिनिंग उपलब्ध नहीं थी। विमान में उपलब्ध दो एयरकंडीशिनिंग यूनिटों में से एक यूनिट में खराबी आ गई थी। तथापि दूसरी यूनिट काम कर रही थी तथा उड़ान के दौरान एयरकंडीशिनिंग उपलब्ध थी। विनिर्माता के मार्गनिर्देशों के अनुसार विमान के सुरक्षित प्रचालन के लिए एक एयरकंडीशिनिंग यूनिट पर्याप्त है। दिल्ली में आगमन पर खराब एयरकंडीशिनिंग यूनिट तथा ऑक्जिलिरी यूनिट की मरम्मत कर दी गई।

(ग) जी, नहीं। ऐसी तकीनकी खराबियों की मरम्मत एयरलाइन द्वारा स्वयं की जाती है।

(घ) प्रत्येक खराबी/देरी का विश्लेषण एवं जांच एयर इंडिया के अनुरक्षण एवं गुणवत्ता विभाग द्वारा दैनिक आधार पर किया जाता है तथा की गई अनुशंसा के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

अग्नि-सुरक्षा विनियम

1604. श्री फिरोज़ वरुण गांधी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की फैक्ट्रियों और संयंत्रों में आग लगने की किसी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है और इसमें फैक्ट्री-वार/संयंत्र-वार कितने लोग हताहत हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने अग्नि-दुर्घटनाओं के कारणों की कोई जांच की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की फैक्ट्रियों/संयंत्रों में अग्नि-सुरक्षा विनियमों के कड़ाई से अनुपालन हेतु उठाए गए कदमों और प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 2010, 2011 और 2012 के दौरान कारखानों में अग्नि दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने कारखानों में नियोजित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण-मुद्दों का ध्यान रखने के लिए एक व्यापक विधान अर्थात् कारखाना अधिनियम, 1948 निर्मित किया है। कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व अपने राज्य कारखाना निरीक्षणालयों/निदेशालयों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों में विहित है। जहां तक विनिर्माण क्षेत्र का संबंध है, धारा 7-क और धारा 38 में निहित उपबंध तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियम आग और सुरक्षा – मुद्दों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010, 2011 और 2012 के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में आग से संबंधित दुर्घटना सहित धारा 92 और 96क के अंतर्गत विभिन्न उल्लंघनों के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-IIक, IIख और IIग में दिया गया है।

विवरण-I

2010, 2011 और 2012 वर्ष के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में घातक और गैर-घातक चोटों के साथ आग से संबंधित दुर्घटनाओं की राज्य-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010			2011			2012		
		अग्नि दुर्घटना	घातक चोटें	गैर-घातक चोटें	अग्नि दुर्घटना	घातक चोटें	गैर-घातक चोटें	अग्नि दुर्घटना	घातक चोटें	गैर-घातक चोटें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	9	15	0	7	13	0	5	6
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	0	2	6	0	2	1	0	3	2
7.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1	3	0	2	22	6	2	2	0
9.	गोवा	4	0	1	7	0	4	16	3	13
10.	गुजरात	8	11	44	9	9	55	57	17	74
11.	हरियाणा	1	2	0	2	23	12	0	4	1
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	1	0	0	0
13.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	झारखंड	0	0	3	0	0	0	0	0	3
15.	कर्नाटक	0	4	10	0	1	4	0	1	9
16.	केरल	3	1	8	2	0	4	5	0	11
17.	मध्य प्रदेश	0	0	10	0	1	12	0	0	15
18.	महाराष्ट्र	0	8	45	39	16	50	45	27	37
19.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	एनए	एनए	एनए
20	मेघालय	0	0	2	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा	6	10	20	6	4	25	5	7	19
23.	पुदुचेरी	0	2	0	0	0	0	0	0	0
24.	पंजाब	0	1	0	0	6	0	0	4	0
25.	राजस्थान	0	3	4	0	2	1	0	4	4
26.	तमिलनाडु	0	10	12	0	82	36	0	46	23
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
29.	उत्तराखंड	0	0	0	एनए	एनए	एनए	5	5	5
30.	पश्चिम बंगाल	10	1	28	8	0	0	10	1	0
	कुल	33	67	208	76	175	224	145	131	227

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षकों से पत्राचार के जरिए डीजीफासली द्वारा संग्रहित आंकड़े अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिज़ोरम और सिक्किम में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

विवरण-II(क)

वर्ष 2010 के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96क के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में राज्य-वार अभियोजन और दोषसिद्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान निर्णीत	दोषसिद्धियां	कारावास (व्यक्ति)	लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	3273	1548	642	430	0	5692800
3.	असम	0	4	0	10	0	0
4.	बिहार	41	3	0	0	0	0
5.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	621	230	168	168	69	4453500
7.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
8.	दिल्ली (एनसीटी)	337	158	101	101	0	784500
9.	गोवा	29	6	8	8	0	111000
10.	गुजरात	25268	2359	1319	829	0	3798750
11.	हरियाणा	6031	1395	1440	976	0	4826400
12.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
13.	जम्मू और कश्मीर	72	0	19	0	0	0
14.	झारखंड	164	27	0	0	0	0
15.	कर्नाटक	483	235	161	101	0	2202101
16.	केरल	51	43	23	22	0	373440
17.	मध्य प्रदेश	3222	174	124	0	0	2593300
18.	महाराष्ट्र	1262	552	577	577	0	5283050
19.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा	1189	138	15	15	0	230000
23.	पुदुचेरी	1	13	12	8	0	307000
24.	पंजाब	548	1039	239	33	1	2519300
25.	राजस्थान	932	74	134	39	2	271500
26.	तमिलनाडु	12824	4497	4918	4723	0	18420780
27.	त्रिपुरा	28	22	25	25	1	305394
28.	उत्तर प्रदेश	2081	108	98	85	0	2168100
29.	उत्तराखंड	142	25	0	0	0	80000
30.	पश्चिम बंगाल	507	97	45	45	0	632550
	कुल	59106	12747	10068	8195	73	55053465

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिज़ोरम और सिक्कम में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

एनए: उपलब्ध नहीं।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षकों से पत्राचार के जरिए डीजीफासली द्वारा संग्रहित आंकड़े।

विवरण-II(ख)

वर्ष 2011 के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96क के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में राज्य-वार अभियोजन और दोषसिद्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान निर्णीत	दोषसिद्धियां	कारावास (व्यक्ति)	लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	4164	1357	844	434	0	5658660
3.	असम	7	17	0	1	0	0
4.	बिहार	53	12	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	722	428	314	226	16	10226100
7.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
8.	दिल्ली	394	398	107	107	0	1377000
9.	गोवा	27	12	9	9	0	175500
10.	गुजरात	25268	2359	1319	829	0	3798750
11.	हरियाणा	5760	4249	1565	1477	0	4921000
12.	हिमाचल प्रदेश	160	86	69	69	0	728500
13.	जम्मू और कश्मीर	96	66	25	0	0	83000
14.	झारखंड	185	45	0	0	0	0
15.	कर्नाटक	557	227	191	101	0	4756700
16.	केरल	71	27	26	25	0	323000
17.	मध्य प्रदेश	3272	156	147	0	0	2786550
18.	महाराष्ट्र	1237	652	713	713	0	11836350
19.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
20.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा	1312	291	8	0	0	52600
23.	पुदुचेरी	2	10	10	8	0	393000
24.	पंजाब	1348	89	267	57	0	2069700
25.	राजस्थान	921	121	31	31	1	227825
26.	तमिलनाडु	12403	3477	2693	1733	0	23256125
27.	त्रिपुरा	25	3	14	14	0	81000
28.	उत्तर प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
29.	उत्तराखंड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	पश्चिम बंगाल	516	518	25	25	0	632550
	कुल	58500	14600	8377	5859	17	73383910

टिप्पणी: (i) अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिज़ोरम और सिक्कम में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

एनए: (ii) उपलब्ध नहीं।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षकों से पत्राचार के जरिए डीजीफासली द्वारा संग्रहित आंकड़े।

विवरण-II(ग)

वर्ष 2012 के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96क के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में राज्य-वार अभियोजन और दोषसिद्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान निर्णीत	दोषसिद्धियां	कारावास (व्यक्ति)	लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	4677	1211	1053	573	0	5595500
3.	असम	12	19	0	0	0	0
4.	बिहार	65	16	0	15	0	0
5.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	1142	500	267	1167319	1	8877800
7.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
8.	दिल्ली	554	100	421	421	0	3596000
9.	गोवा	30	19	7	6	0	152500
10.	गुजरात	12642	1547	522	0	0	4652205
11.	हरियाणा	8784	7756	6007	4004	0	187605200
12.	हिमाचल प्रदेश	177	88	57	57	0	655000
13.	जम्मू और कश्मीर	147	33	29	0	0	98000

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	झारखंड	187	31	0	0	0	0
15.	कर्नाटक	605	214	127	86	0	2653150
16.	केरल	72	64	40	37	0	356000
17.	मध्य प्रदेश	3281	165	269	0	1	3275700
18.	महाराष्ट्र	1176	187	244	242	0	4903500
19.	मणिपुर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
20.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा	1595	222	5	0	0	0
23.	पुदुचेरी	2	12	6	6	0	256000
24.	पंजाब	1170	91	140	3	1	1502000
25.	राजस्थान	932	77	18	18	0	113000
26.	तमिलनाडु	13193	4504	7855	7292	0	29384600
27.	त्रिपुरा	11	9	10	10	0	50000
28.	उत्तर प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
29.	उत्तराखंड	98	30	5	0	0	215000
30.	पश्चिम बंगाल	579	114	43	43	0	853500
	योग	51131	17009	17125	1180132	3	254794655

टिप्पणी: (i) अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिज़ोरम और सिक्कम में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

एनए: (ii) उपलब्ध नहीं।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कारखाना मुख्य निरीक्षकों से पत्राचार के जरिए डीजीफासली द्वारा संग्रहित आंकड़ा।

[हिन्दी]

सीधी उड़ानें

1605. **श्री विद्युत वरण महतो :**
डॉ. शशि थरूर :
श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जमशेदपुर और दिल्ली के बीच तथा राजकोट और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली के बीच बिना

ठहराव के सीधी उड़ान पुन: शुरू करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नई दिल्ली से सीधे सिंगापुर, मस्कट, कुवैत, दुबई, अबूधाबी और बहरीन के लिए बिना ठहराव वाली उड़ानें शुरू करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार दिल्ली-रांची उड़ान को जमशेदपुर तक और दिल्ली-जयपुर उड़ान को अहमदाबाद और राजकोट तक विस्तारित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) से (ग) जमशेदपुर-दिल्ली तथा राजकोट-दिल्ली सैक्टर के बीच कोई भी अनुसूचित उड़ान का प्राचलन नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त, तिरुवन्तपुरम तथा नई दिल्ली के बीच कोई भी सीधी उड़ान सेवा प्रचालित नहीं हो रही है। घरेलू विमान सेवाओं को विनियंत्रित तथा विनियमित किया जा चुका है। देश में विभिन्न क्षेत्रों में विमान यातायात सेवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए विमान यातायात के बेहतर विनियमन हेतु सरकार ने मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशेष स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें। सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश के अनुपालन के आधार पर एयरलाइनें देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) वर्तमान में, भारतीय प्रचालक द्वारा दिल्ली से कुवैत के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का प्रचालन नहीं हो रहा है। तथापि, देश के अनुसूचित वाहकों द्वारा नई दिल्ली में सिंगापुर, मस्कट, दुबई, आबु धाबी तथा बहरीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी प्राप्त हैं।

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत सरकार एवं विदेशी सरकारों के बची द्विपक्षीय करार तथा एयरलाइनों को यातायात अधिकार प्रदान करने पर आधारित है।

(ङ) सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देश के अनुपालन के आधार पर एयरलाइनें देश के सभी प्रचालनीय हवाईअड्डों पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

एनएमडीसी द्वारा इकतरफा ढंग से मूल्य-निर्धारण

1606. श्री राममोहन नायडू किंजरापु : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ स्पंज आइरन मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन आदि सहित कई औद्योगिक निकायों जैसे 'एसोचैम', 'फिक्की', 'सिमी' से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा मनमाने/इकतरफा ढंग से मूल्य-निर्धारण के विरुद्ध शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त औद्योगिक निकायों की चिंताओं के निराकरण और घरेलू इस्पात उद्योग को वहनीय मूल्य पर लौह अयस्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (ग) जी, हां। एनएमडीसी लिमिटेड के मूल्य निर्धारण तंत्र के संबंध में इस्पात मंत्रालय में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का एक नवरत्न उपक्रम होने के नाते लौह अयस्क के मूल्य निर्धारण समेत वाणिज्यिक और वित्तीय निर्णय कंपनी द्वारा विभिन्न घटकों के आधार पर किए जाते हैं। तथापि, सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग में सस्ती कीमत पर लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लौह अयस्क के सभी ग्रेडों पर निर्यात शुल्क तथा मूल्य 30 प्रतिशत और पेलेटों पर 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है।

डिजीटल स्पैक्ट्रम

1607. श्री इदरिस अली : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में एक नया नवाचारी स्पैक्ट्रम आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) नए नवाचारी डिजीटल स्पेक्ट्रम को आबंटित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण-मजदूर

1608. श्री सी.एस. पुट्टा राजू : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में भवन-निर्माण सहित अन्य निर्माण-कार्य

में लगे मजदूरों की आकलित संख्या राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्य भवन और अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्डों में पंजीकृत ऐसे मजदूरों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इन निर्माण-मजदूरों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (68वां दौर जुलाई, 2011 से जून, 2012) के अनुमानों के अनुसार, भारत में लगभग 50.22 मिलियन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार होने का अनुमान था। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारों के प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2014 तक लगभग एक करोड़ पच्चीस लाख भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के पास पंजीकृत हैं। राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड गठित करना होता है। इस बोर्ड के कार्यों में दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी को तत्काल सहायता, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान, मकान के निर्माण हेतु कर्जा एवं अग्रिम, सामुहिक बीमा योजना की प्रीमियम के सिलसिले में धनराशि अदा करना जैसे कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने शामिल हैं।

केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों से मृत्यु प्रसुविधाएं, दुर्घटना संबंधी लाभ, अंत्येष्टि सहायता, शिक्षा सहायता, वृद्धावस्था/नि:शक्तता के कारण कार्य नहीं कर पाने वाले व्यक्तियों को पेंशन, चिकित्सा बीमा, उपकरणों की खरीद के लिए सहायता, कौशल उन्नयन, प्रसूति प्रसुविधाएं और मकानों की मरम्मत और निर्माण हेतु अनुदान को कवर करते हुए कामगारों के लिए अनिवार्यत: कल्याण योजनाएं प्रदान करने हेतु निदेश जारी किए हैं।

विवरण-I

निर्माण कामगारों की अनुमानित संख्या का राज्य-वार ब्यौरा (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एनएसएस 68वां दौर जुलाई, 2011 से जून, 2012 के दौरान किए गए रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम	निर्माण कामगारों की अनुमानित संख्या (मिलियन में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.03
3.	असम	0.72
4.	बिहार	2.95
5.	छत्तीसगढ़	0.78
6.	गोवा	0.04
7.	गुजरात	1.24
8.	हरियाणा	1.18
9.	हिमाचल प्रदेश	0.52
10.	जम्मू और कश्मीर	0.95
11.	झारखंड	2.06
12.	कर्नाटक	1.59
13.	केरल	2.21
14.	मध्य प्रदेश	3.60
15.	महाराष्ट्र	3.08
16.	मणिपुर	0.19
17.	मेघालय	0.09
18.	मिज़ोरम	0.04
19.	नागालैंड	0.03

1	2	3
20.	ओडिशा	2.10
21.	पंजाब	1.45
22.	राजस्थान	5.34
23.	सिक्किम	0.02
24.	तमिलनाडु	4.10
25.	त्रिपुरा	0.58
26.	उत्तर प्रदेश	8.54
27.	उत्तराखंड	0.45
28.	पश्चिम बंगाल	2.82
29.	दिल्ली	0.24
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.03
31.	चंडीगढ़	0.03
32.	दादरा और नगर हवेली	0.01
33.	दमन और दीव	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00
35.	पुदुचेरी	0.07
	कुल	50.22

विवरण-II

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के पास पंजीकृत सन्निर्माण कामगारों की संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	बोर्डों के पास पंजीकृत कामगारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17,97,104
2.	अरुणाचल प्रदेश	8,550
3.	असम	20,900
4.	बिहार	1,00,733
5.	छत्तीसगढ़	6,96,550
6.	गोवा	491
7.	गुजरात	48,971
8.	हरियाणा	3,00,636
9.	हिमाचल प्रदेश	633
10.	जम्मू और कश्मीर	2,40,000
11.	झारखंड	16,285
12.	कर्नाटक	3,28,602
13.	केरल	16,87,113
14.	मध्य प्रदेश	24,89,831
15.	महाराष्ट्र	1,82,407
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	1,335
18.	मिज़ोरम	21,046
19.	नागालैंड	350
20.	ओडिशा	1,33,127
21.	पंजाब	1,93,386
22.	राजस्थान	2,46,316
23.	सिक्किम	6,607
24.	तमिलनाडु	23,63,784
25.	त्रिपुरा	48,276
26.	उत्तर प्रदेश	10,90,192
27.	उत्तराखंड	9,085
28.	पश्चिम बंगाल	3,13,180

1	2	3
29.	दिल्ली	1,97,486
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7,128
31.	चंडीगढ़	13,859
32.	दादरा और नगर हवेली	0
33.	दमन और दीव	670
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	25,455
	कुल	1,25,90,088

दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान

1609. श्री बैजयंत जे. पांडा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित संस्थाओं की सूची क्या है;

(ग) क्या ओडिशा में किसी संस्थान को इस संबंध में सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वदेशी अनुसंधान और विकास, बौद्धिक लक्षण अधिकार सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों तथा सेवाओं के वाणिज्यिकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु एक आधारभूत निधि सृजित करने का प्रस्ताव किया गया था। सरकार ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है जिसने 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5000 करोड़ रुपए की दूरसंचार अनुसंधान विकास निधि सहित तीन निधियों के सृजन हेतु अपनी सिफारिश दी है। योजना आयोग को प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) ओडिशा में स्थित संस्थानों सहित किसी भी अन्य संस्थान की टीआरटीएफ के तहत कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में रहने वाले भारतीय मतदाता

1610. श्री एंटो एन्टोनी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विदेशों में रहने वाले उन भारतीय मतदाताओं, जिन्होंने वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में मतदान किया, की संख्या के बारे में कोई रिकॉर्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मतदान करने वाले अनिवासी भारतीयों की संख्या अनिवासी भारतीयों की कुल संख्या के मुकाबले काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन

1611. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार ने उक्त मजदूरों को पेंशन प्रदान करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में कितने राज्यों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन प्रदान की जा रही है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 प्रशासित करता है जिसके अंतर्गत पात्रता मानदंडों को पूरा कर लेने के अध्यधीन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किए गए कामगारों को पेंशन प्रसुविधा अनुमत्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत संगठित और असंगठित के बीच कोई विभेद नहीं है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन प्रसुविधाएं कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत शामिल होने वाले पात्र कामगारों को देय हैं जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस/एल.पी.जी. का लाभांश

1612. श्रीमती दर्शाना विक्रम जरदोश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी/निजी क्षेत्र की बाजार कंपनियों द्वारा प्राकृतिक गैस और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर वसूले जा रहे बाजार-लाभांश को निर्यात और विनियमित करने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार/मंत्रालय को रसायन और उर्वरक मंत्रालय से निजी क्षेत्र के प्राकृतिक गैस विपणकों द्वारा वसूले जाने वाले बाजार-लाभांश के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार/मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने निर्णय लिया है कि सरकार को यूरिया और एलपीजी उत्पादकों को घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए विपणन लाभ नियमित करने की जरूरत है क्योंकि उसका प्रभाव सरकारी राजसहायता खर्च पर पड़ता है। अन्य सभी मामलों में, विपणन लाभ क्रेता और विक्रेता द्वारा आपस में तय किया जाए और एकाधिकार शक्ति का इस्तेमाल करने से संबंधित शिकायत का निवारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) और/या प्रतियोगिता आयोग द्वारा किया जाए। तद्नुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 21.11.2013 के पत्र द्वारा पीएनजीआरबी से यूरिया और एलपीजी उत्पादकों को घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए विपणन लाभ अपनी स्वतंत्र प्रक्रिया के जरिए निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया है। पीएनजीआरबी ने सूचित किया है कि विपणन लाभ निर्धारित करने से संबंधित संपूर्ण अध्ययन दिसंबर, 2014 तक पूरा होने की संभावना है।

मंत्रालय में रसायन और उर्वरक मंत्रालय से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उपर्युक्त दिनांक 21.11.2013 के पत्र की एक प्रति रसायन और उर्वरक मंत्रालय को भेजी गई है।

सामान चोरी के मामले

1613. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सामान चोरी के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) क्या हवाईअड्डे पर सामान चोरी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) चोरी तथा उठाई गिरी की शिकायतों की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस के पास की जाती है अथवा इसे संबंधित एयरलाइन की जानकारी में लाया जाता है। स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसे मामलों को रजिस्टर कर जांच की जाती है। चोरी से संबंधित मामले कानून एवं व्यवस्था का मुद्दा है, जो संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आते हैं। नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विमानन सुरक्षा विनियामक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करता है। तथापि, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर यह देखने में आया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सामान चोरी के मामलों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तथा जनवरी, 2014 से मई, 2014 के दौरान स्थानीय पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वर्ष	स्थानीय पुलिस में दर्ज शिकायतों की संख्या
1.	2011	35
2.	2012	22
3.	2013	14
4.	2014 (मई तक)	18

(ग) और (घ) हवाईअड्डे पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए नीचे उल्लिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) हवाईअड्डे से जाते समय ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारियों की तलाशी ली जाती है।

(ii) एयरसाईड में ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारियों के लिए सेल फोन का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।

(iii) एयरलाइन के कार्गो होल्ड क्षेत्र के आस-पास स्थित सामान मेकअप क्षेत्र (बीएमए)/सामान ब्रेकअप क्षेत्र (बीबीए) में एयरलाइन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।

(iv) पारी समाप्ति के पश्चात् ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारियों के फोटो पहचान पत्र हवाईअड्डे में जमा किए जा रहे हैं।

(v) सीसीटीवी कवरेज के माध्यम से संदेहास्पद क्षेत्रों की पहचान के लिए एक समिति बनाई गई है।

(vi) सभी संबंधित एजेंसियों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की सूची का आदान-प्रदान।

(vii) यात्रियों से चोरी की घटनाओं की शिकायत प्राप्ति के लिए हवाईअड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सहायता काउंटर की स्थापना करना तथा ऐसी शिकायतें आगे स्थानीय पुलिस को सौंपना।

दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार

1614. **श्री प्रेम दास राई :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिक्किम और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के विभिन्न प्रखंडों सहित अन्यत्र सामुदायिक सूचना केंद्रों (सीआईसी) की प्रचालनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के उद्देश्यों की तुलना में इसके परिणामों का मूल्यांकन किया है;

(ग) देश में सीआईसी के माध्यम से प्रदत्त और प्रस्तावित सेवाओं की सूची का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीआईसी का इष्टतम लक्ष्य से कम उपयोग हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सीआईसी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) सीआईसी परियोजनाएं वर्ष 2009 में बंद कर दी गई हैं। तथापि इन परियोजनाओं के तहत अवसंरचना को असम राज्य, जहां इस विषय पर न्यायालय में मामला विचाराधीन है, के अलावा संबंधित राज्य सरकारों में सामान्य सेवा केन्द्र योजना के तहत संविलय कर दिया गया है।

(ख) विभाग द्वारा कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया था। पूर्वोत्तर राज्यों समेत ज्यादातर राज्यों ने अपने यहां सामान्य सेवा केन्द्रों के साथ सीआईसी परियोजना के तहत अवसंरचना का संविलय कर दिया है।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

एलएनजी का उत्पादन/आयात

1615. **श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) उत्पादकों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए एक नई तरलीकृत प्राकृतिक गैस नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य/मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके लाइसेंस और अन्य संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को प्रदान की गई शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) के पास विदेश में अनेक एलएनजी टर्मिनलों का स्वामित्व/साझेदारी है और यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 'गेल' को विदेश में स्थित उसके एलएनजी निर्यातक टर्मिनलों से एलएनजी के देश में आयात को प्रतिबंधित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा संबंधित देशों के साथ इस मुद्दे के समाधानद हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं। एलएनजी की खरीद खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से विभिन्न कंपनियों द्वारा की जाती है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। गेल का विदेश स्थित किसी एलएनजी टर्मिनल में कोई स्वामित्व/भागीदारी नहीं हैं। तथापि, गेल ने सबाइन लिक्विफेक्शन एलएलसी, यूएसए और गजप्रोम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर के साथ दो एलएनजी खरीद करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, गेल ने अपनी अप्रत्यक्षत: स्वामित्व की सहायक कंपनी, गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी के माध्यम से 2.3 एमएमटीपीए क्षमता अधिकारों की बुकिंग के लिए डोमिनियन कोव प्वाइंट एलएनजीएलपी, यूएसए के साथ टर्मिनल सेवा करार निष्पादित किया है। हालांकि गजप्रोम (रूस) से भारत तक एलएनजी निर्यातों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं हैं जबकि यूएसए से एलएनजी के निर्यात के लिए यूएस, ऊर्जा विभाग (डीओई) से लाइसेंस लेना होता है। यूएस टर्मिनलों के संबंध में, गैर-एफटीए देशों को एलएनजी के निर्यातों के लिए सबाइन पास और डोमिनियन कोव प्वाइंट टर्मिनलों, दोनों को यूएस, डीओई से सशर्त अनुमोदन प्राप्त है और इसलिए इन टर्मिनलों से भारत को एलएनजी के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

खान-श्रमिकों की सुरक्षा

1616. श्री निशिकांत दुबे : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में झारखंड सहित अन्यत्र खानों/कारखानों/उद्योगों और अन्य जोखिमपूर्ण कार्यस्थलों पर राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितनी घातक दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं में राज्य-वार/क्षेत्र-वार कितने श्रमिक/कामगार हताहत हुए;

(ग) इन दुर्घटनाओं और मौतों के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं; और

(घ) खानों सहित उक्त कार्यस्थलों पर ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड सहित देश में खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या तथा ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारण और झारखंड में विभिन्न खनन प्रचालनों में मारे गए श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा (कोयला खानों के लिए) संलग्न विवरण-I, (गैर-कोयला खानों के लिए) और विवरण-II में दिया गया है।

इसके अलावा संबंधित राज्य सरकार के कारखाना मुख्य निरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान कारखानों में हुई मौतों और गैर-घातक चोटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा खान/कारखाना कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) खान अधिनियम, 1952 तथा कारखाना अधिनियम, 1948 में और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में पर्याप्त उपबंध किए हैं।

(ii) कारखाना अधिनियम, 1984 और उसके अंतर्गत बनाए गए राज्य कारखाना नियमों का प्रवर्तन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

(iii) खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसी है। यह देखने के लिए कि खान प्रबंधन खनन प्रचालन ऐसे विधान के अनुसार निष्पादित करता है, डीजीएमएस के अधिकारी खानों के आवधिक निरीक्षण करते हैं और दुर्घटनाओं तथा शिकायतों की जांच करते हैं। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा पाई गई अनुपालना अथवा उल्लंघनों की स्थिति में, डीजीएमएस द्वारा नोटिस, निषेधात्मक आदेश और समुचित न्यायालयों में अभियोजन भी शुरू किए जाते हैं। इसके अलावा डीजीएमएस खानों को समय-समय पर तकनीकी परिपत्र और दिशा-निर्देश भी जारी करता है।

(iv) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2009 को कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनपीएसएचईडब्ल्यू) घोषित की। इस राष्ट्रीय नीति का प्रयोजन कार्य से संबद्ध चोटों, बीमारियों, मौतों, आपदा की घटनाओं को समाप्त करने के जरिए देश में निवारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति स्थापित करना तथा देश में आर्थिक कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाना है।

विवरण-I

2011-2014 के दौरान कोयला खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या

वर्ष	राज्य	संक्षिप्त कारण	घातक दुर्घटनाओं का विवरण		
			दुर्घटना	मौतें	गंभीर चोटें
1	2	3	4	5	6
		वर्ष-2011			
2011	आंध्र प्रदेश	छत का गिरना	3	3	2
2011	आंध्र प्रदेश	साइड्स का गिरना (ओवरहैंग्स के अतिरिक्त)	1	1	0
2011	आंध्र प्रदेश	रोप होलेज	1	1	0
2011	आंध्र प्रदेश	डम्पर्स	1	1	0
2011	आंध्र प्रदेश	पानी में डूबना	1	1	0
2011	आंध्र प्रदेश	अवर्गीकृत	1	1	0
2011	असम	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	1	1	0
2011	असम	अवर्गीकृत	1	1	0
2011	छत्तीसगढ़	छत का गिरना	3	3	0
2011	छत्तीसगढ़	केजेस द्वारा चोट, स्किप इत्यादि	1	1	0
2011	छत्तीसगढ़	डम्पर्स	4	4	0
2011	छत्तीसगढ़	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2011	छत्तीसगढ़	अन्य विद्युतीय दुर्घटनाएं	1	1	0
2011	झारखंड	छत का गिरना	2	3	2
2011	झारखंड	भूस्खलन	1	1	1
2011	झारखंड	रोप होलेज	1	1	0
2011	झारखंड	कन्वेयर्स	1	1	0
2011	झारखंड	डम्पर्स	4	4	0
2011	झारखंड	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2011	झारखंड	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	1	1	0
2011	झारखंड	ट्रेलिंग केबल्स के अतिरिक्त अन्य पावर केबल्स	2	2	0
2011	झारखंड	रोलिंग आब्जेक्ट्स सहित आब्जेक्ट्स का गिरना	2	2	0

1	2	3	4	5	6
2011	झारखंड	पानी में डूबना	1	1	0
2011	मध्य प्रदेश	छत का गिरना	1	1	0
2011	मध्य प्रदेश	कन्वेयर्स	1	1	0
2011	मध्य प्रदेश	डम्पर्स	1	1	0
2011	मध्य प्रदेश	ओवरहेड लाइंस	1	1	0
2011	मध्य प्रदेश	रोलिंग आब्जेक्ट्स सहित आब्जेक्ट्स का गिरना	1	1	0
2011	महाराष्ट्र	छत का गिरना	1	1	2
2011	महाराष्ट्र	डम्पर्स	2	2	0
2011	महाराष्ट्र	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	1	2	2
2011	महाराष्ट्र	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2011	महाराष्ट्र	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
2011	महाराष्ट्र	रोलिंग आब्जेक्ट्स सहित आब्जेक्ट्स का गिरना	1	1	0
2011	ओडिशा	डम्पर्स	2	2	0
2011	ओडिशा	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2011	ओडिशा	अन्य विद्युतीय दुर्घटनाएं	1	1	0
2011	तमिलनाडु	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	1	1	0
2011	तमिलनाडु	डीप होल ब्लास्टिंग प्रोजेक्टाइल्स	1	1	0
2011	उत्तर प्रदेश	डम्पर्स	2	2	0
2011	उत्तर प्रदेश	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	1	1	0
2011	पश्चिम बंगाल	छत का गिरना	1	1	0
2011	पश्चिम बंगाल	साइड्स का गिरना (ओवरहैंग्स के अतिरिक्त)	1	1	1
2011	पश्चिम बंगाल	भूस्खलन	1	1	0
2011	पश्चिम बंगाल	रोप होलेज	1	1	0
2011	पश्चिम बंगाल	डम्पर्स	3	3	0
2011	पश्चिम बंगाल	मशीनों का लोड करना	1	1	0
	कुल-2011		65	67	10

1	2	3	4	5	6
		वर्ष-2012			
2012	आंध्र प्रदेश	साइड्स का गिरना (ओवरहैंग्स के अतिरिक्त)	1	1	0
2012	आंध्र प्रदेश	ओवरहैंग्स का गिरना	1	1	0
2012	आंध्र प्रदेश	कन्वेयर्स	2	2	0
2012	आंध्र प्रदेश	डम्पर्स	3	3	0
2012	आंध्र प्रदेश	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	2	2	0
2012	आंध्र प्रदेश	ड्रिलिंग मशीन्स	2	2	0
2012	आंध्र प्रदेश	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2012	आंध्र प्रदेश	गैस का अकेरेंस	1	2	0
2012	आंध्र प्रदेश	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
2012	आंध्र प्रदेश	अवर्गीकृत	1	1	0
2012	असम	ओवरहेड लाइंस	1	1	0
2012	छत्तीसगढ़	छत का गिरना	2	3	1
2012	छत्तीसगढ़	कन्वेयर्स	1	1	0
2012	छत्तीसगढ़	डम्पर्स	3	3	0
2012	छत्तीसगढ़	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	1	1	0
2012	छत्तीसगढ़	अन्य गैर-परिवहन मशीनरी	1	1	0
2012	छत्तीसगढ़	अन्य विद्युतीय दुर्घटनाएं	1	1	0
2012	झारखंड	साइड्स का गिरना (ओवरहैंग्स के अतिरिक्त)	1	1	0
2012	झारखंड	रोप होलेज	1	1	0
2012	झारखंड	डम्पर्स	9	9	0
2012	झारखंड	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	3	3	0
2012	झारखंड	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	1	1	0
2012	झारखंड	मिस्फायर्स/सोकेट्स (ड्रिलिंग करते समय)	1	1	1
2012	झारखंड	धूल/गैस/आग के कारण अन्य दुर्घटनाएं	1	1	0
2012	झारखंड	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना	4	4	0
2012	झारखंड	रोलिंग आब्जेक्ट्स सहित आब्जेक्ट्स का गिरना	1	1	0

1	2	3	4	5	6
2012	झारखंड	पानी में डूबना	1	2	0
2012	मध्य प्रदेश	छत का गिरना	1	1	0
2012	मध्य प्रदेश	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2012	मध्य प्रदेश	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	1	1	0
2012	मध्य प्रदेश	सालिड ब्लास्टिंग प्रोजेक्टाइल्स	1	1	0
2012	मध्य प्रदेश	अन्य विद्युतीय दुर्घटनाएं	1	1	0
2012	मध्य प्रदेश	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना	3	3	0
2012	महाराष्ट्र	साइड्स का गिरना (ओवरहैंग्स के अतिरिक्त)	1	1	0
2012	महाराष्ट्र	केजेस द्वारा चोट, स्किप इत्यादि	1	1	0
2012	महाराष्ट्र	डम्पर्स	1	1	0
2012	महाराष्ट्र	धूल/गैस/आग के कारण अन्य दुर्घटनाएं	1	2	2
2012	महाराष्ट्र	पानी का जोर से बहना	2	2	0
2012	ओडिशा	डम्पर्स	2	2	0
2012	तमिलनाडु	कन्वेयर्स	1	1	0
2012	तमिलनाडु	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	1	1	0
2012	तमिलनाडु	अवर्गीकृत	1	1	0
2012	उत्तर प्रदेश	डम्पर्स	2	2	0
2012	उत्तर प्रदेश	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2012	उत्तर प्रदेश	डीप होल ब्लास्टिंग प्रोजेक्टाइल्स	1	1	0
2012	पश्चिम बंगाल	छत का गिरना	2	2	0
2012	पश्चिम बंगाल	साइड्स का गिरना (ओवरहैंग्स के अतिरिक्त)	2	2	2
2012	पश्चिम बंगाल	रोप होलेज	1	1	0
2012	पश्चिम बंगाल	डम्पर्स	1	1	0
2012	पश्चिम बंगाल	कटिंग मशीन्स	1	1	0
2012	पश्चिम बंगाल	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2012	पश्चिम बंगाल	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	1	1	0
2012	पश्चिम बंगाल	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
	कुल-2012		81	85	6

1	2	3	4	5	6
		वर्ष-2013			
2013	आंध्र प्रदेश	छत का गिरना	1	2	0
2013	आंध्र प्रदेश	डम्पर्स	3	3	0
2013	आंध्र प्रदेश	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	1	1	2
2013	आंध्र प्रदेश	ड्रिलिंग मशीन्स	1	1	0
2013	आंध्र प्रदेश	अन्य विद्युतीय दुर्घटनाएं	1	1	4
2013	आंध्र प्रदेश	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना	2	2	0
2013	आंध्र प्रदेश	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना	1	1	0
2013	आंध्र प्रदेश	अवर्गीकृत	2	2	0
2013	छत्तीसगढ़	डम्पर्स	5	5	0
2013	छत्तीसगढ़	मशीनों का लोड करना	2	2	0
2013	छत्तीसगढ़	अन्य विद्युतीय दुर्घटनाएं	1	1	0
2013	छत्तीसगढ़	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना	1	1	0
2013	छत्तीसगढ़	फॉल्स के कारण अन्य दुर्घटनाएं	1	1	0
2013	गुजरात	डम्पर्स	2	2	0
2013	गुजरात	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	1	1	0
2013	जम्मू और कश्मीर	रोप होलेज	1	1	0
2013	झारखंड	छत का गिरना	3	6	2
2013	झारखंड	साइड्स का गिरना (ओवरहैंग्स के अतिरिक्त)	1	1	0
2013	झारखंड	कन्वेयर्स	1	1	0
2013	झारखंड	डम्पर्स	6	6	0
2013	झारखंड	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	1	1	0
2013	झारखंड	ड्रिलिंग मशीन्स	2	2	0
2013	झारखंड	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	1	1	0
2013	झारखंड	स्विच गियर्स, गेट इंड बाक्सेज, पोमेल इत्यादि	1	1	0
2013	झारखंड	अन्य विद्युतीय दुर्घटनाएं	3	3	0
2013	झारखंड	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना	3	3	0
2013	झारखंड	फॉल्स के कारण अन्य दुर्घटनाएं	1	1	0

1	2	3	4	5	6
2013	झारखंड	अवर्गीकृत	2	2	0
2013	मध्य प्रदेश	छत का गिरना	3	4	1
2013	मध्य प्रदेश	रोप होलेज	1	1	0
2013	मध्य प्रदेश	डम्पर्स	1	1	0
2013	मध्य प्रदेश	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	1	1	0
2013	मध्य प्रदेश	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2013	मध्य प्रदेश	ओवरहेड लाइंस	1	1	0
2013	मध्य प्रदेश	रोलिंग आब्जेक्ट्स सहित आब्जेक्ट्स का गिरना	2	2	0
2013	मध्य प्रदेश	अवर्गीकृत	2	2	0
2013	महाराष्ट्र	डम्पर्स	2	2	0
2013	महाराष्ट्र	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	3	3	0
2013	महाराष्ट्र	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	1	1	0
2013	ओडिशा	भूस्खलन	1	1	1
2013	उत्तर प्रदेश	डम्पर्स	3	3	0
2013	उत्तर प्रदेश	सावेल, ड्रैगलाइंस, फ्रांटेड लोडर इत्यादि	1	1	0
2013	पश्चिम बंगाल	छत का गिरना	1	1	0
2013	पश्चिम बंगाल	साइड्स का गिरना (ओवरहैंग्स के अतिरिक्त)	2	2	2
2013	पश्चिम बंगाल	रोप होलेज	1	1	0
2013	पश्चिम बंगाल	डम्पर्स	3	3	0
2013	पश्चिम बंगाल	मशीनों का लोड करना	1	1	0
2013	पश्चिम बंगाल	अन्य गैर-परिवहन मशीनरी	1	1	0
2013	पश्चिम बंगाल	रोलिंग आब्जेक्ट्स सहित आब्जेक्ट्स का गिरना	1	1	0
2013	पश्चिम बंगाल	अवर्गीकृत	1	1	0
	कुल-2013		85	90	12
		वर्ष-2014			
2014	आंध्र प्रदेश	छत का गिरना	1	2	0
2014	आंध्र प्रदेश	साइड्स का गिरना (ओवरहैंग्स के अतिरिक्त)	1	1	0
2014	आंध्र प्रदेश	डम्पर्स	1	1	0

1	2	3	4	5	6
2014	आंध्र प्रदेश	अन्य गैर-परिवहन मशीनरी	1	1	0
2014	आंध्र प्रदेश	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना	1	1	0
2014	छत्तीसगढ़	ट्रैक रहित पहियायुक्त (ट्रक, टैंकर इत्यादि)	1	1	1
2014	छत्तीसगढ़	ड्रिलिंग मशीन्स	1	1	0
2014	छत्तीसगढ़	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	1	1	0
2014	छत्तीसगढ़	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना	2	2	0
2014	छत्तीसगढ़	फॉल्स के कारण अन्य दुर्घटनाएं	1	1	0
2014	छत्तीसगढ़	अवर्गीकृत	1	1	0
2014	झारखंड	छत का गिरना	1	0	0
2014	झारखंड	केजेस द्वारा चोट, स्किप इत्यादि	1	1	0
2014	झारखंड	डम्पर्स	2	2	0
2014	झारखंड	रोलिंग आब्जेक्ट्स सहित आब्जेक्ट्स का गिरना	3	3	0
2014	झारखंड	मिट्टी में दबना इत्यादि	1	1	0
2014	झारखंड	अवर्गीकृत	1	1	0
2014	मध्य प्रदेश	डम्पर्स	1	1	0
2014	मध्य प्रदेश	सालिड ब्लास्टिंग प्रोजेक्टाइल्स	1	1	0
2014	मध्य प्रदेश	रोलिंग आब्जेक्ट्स सहित आब्जेक्ट्स का गिरना	1	1	0
2014	मध्य प्रदेश	अवर्गीकृत	1	1	0
2014	महाराष्ट्र	डम्पर्स	1	1	0
2014	महाराष्ट्र	सावेल, ड्रैगलाइंस, फ्रांटेड लोडर इत्यादि	1	1	0
2014	महाराष्ट्र	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	2	2	0
2014	राजस्थान	डम्पर्स	3	3	0
2014	तमिलनाडु	अन्य भारी अर्थ मूविंग मशीनरी	2	2	0
2014	तमिलनाडु	अवर्गीकृत	2	2	0
2014	उत्तर प्रदेश	डम्पर्स	1	1	0
2014	पश्चिम बंगाल	छत का गिरना	1	1	0
2014	पश्चिम बंगाल	कन्वेयर्स	1	1	0

1	2	3	4	5	6
2014	पश्चिम बंगाल	धूल/गैस/आग के कारण अन्य दुर्घटनाएं	1	1	0
2014	पश्चिम बंगाल	अवर्गीकृत	1	1	0
	कुल-2014		41	41	1

2014 के आंकड़े जून, 2014 तक हैं।

2013 एवं 2014 के आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

2011-2014 के दौरान गैर-कोयला खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या

वर्ष	राज्य	संक्षिप्त कारण	घातक दुर्घटनाओं का विवरण		
			दुर्घटना	मौतें	गंभीर चोटें
1	2	3	4	5	6
		वर्ष-2011			
2011	आंध्र प्रदेश	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	0
2011	आंध्र प्रदेश	डम्पर्स	4	4	0
2011	आंध्र प्रदेश	लदान मशीनें	1	1	0
2011	आंध्र प्रदेश	शोवेल, ड्रेगलाइंस, फ्रंटेंड लोडर, इत्यादि	1	1	0
2011	आंध्र प्रदेश	अन्य गैर-परिवहन मशीनरी	2	2	0
2011	आंध्र प्रदेश	मिसफायर/सॉकेट (खुदाई से भिन्न)	1	2	3
2011	असम	उड़ते टुकड़े (विस्फोटकों के कारण को छोड़कर)	1	1	0
2011	छत्तीसगढ़	अन्य भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	1	1	0
2011	गोवा	अन्य भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	1	1	0
2011	गुजरात	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
2011	गुजरात	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	1	1	0
2011	झारखंड	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	2	0
2011	झारखंड	डीप होल ब्लास्टिंग प्रोजैक्टाइल्स	1	2	0
2011	कर्नाटक	डम्पर्स	2	2	0
2011	कर्नाटक	शोवेल, ड्रेगलाइंस, फ्रंटेंड लोडर, इत्यादि	1	1	0
2011	मध्य प्रदेश	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	0
2011	मध्य प्रदेश	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0

1	2	3	4	5	6
2011	महाराष्ट्र	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	0
2011	महाराष्ट्र	केज, स्किप आदि से व्यक्तियों का गिरना	1	1	1
2011	महाराष्ट्र	व्हील्ड ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)	1	1	0
2011	ओडिशा	डम्पर्स	1	1	0
2011	राजस्थान	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	0
2011	राजस्थान	ऑवरहैंग्स का गिरना	1	1	0
2011	राजस्थान	डम्पर्स	2	3	4
2011	राजस्थान	व्हील्ड ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)	1	1	0
2011	राजस्थान	अन्य भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	2	2	0
2011	राजस्थान	अन्य विस्फोट दुर्घटनाएं	1	1	0
2011	राजस्थान	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	2	2	0
2011	राजस्थान	उसी लेवल पर व्यक्तियों का गिरना	1	1	0
2011	राजस्थान	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	4	4	0
2011	तमिलनाडु	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	2	0
2011	तमिलनाडु	खुदाई मशीनें	1	1	0
2011	पश्चिम बंगाल	अन्य प्रोजेक्टाइल्स	1	2	1
	कुल-2011		40	50	9
		वर्ष-2012			
2012	आंध्र प्रदेश	छत का गिरना	1	1	0
2012	आंध्र प्रदेश	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	2	2	0
2012	आंध्र प्रदेश	डम्पर्स	1	1	0
2012	आंध्र प्रदेश	अन्य गैर-परिवहन मशीनरी	1	1	0
2012	आंध्र प्रदेश	सहायक ब्लॉस्टिंग प्रोजेक्टाइल्स	1	1	3
2012	आंध्र प्रदेश	अन्य प्रोजेक्टाइल्स	1	1	0
2012	आंध्र प्रदेश	अन्य विस्फोटक दुर्घटनाएं	1	1	0
2012	आंध्र प्रदेश	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
2012	असम	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	1	1	0
2012	छत्तीसगढ़	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	0
2012	छत्तीसगढ़	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0

1	2	3	4	5	6
2012	गोवा	डम्पर्स	1	1	0
2012	गुजरात	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	0
2012	गुजरात	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
2012	झारखंड	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	0
2012	झारखंड	व्हील्ड ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)	1	1	0
2012	कर्नाटक	व्हील्ड ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)	1	1	0
2012	कर्नाटक	अन्य भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	1	1	0
2012	मध्य प्रदेश	छत का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	0
2012	मध्य प्रदेश	अन्य भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	1	1	0
2012	महाराष्ट्र	छत का गिरना	1	1	0
2012	ओडिशा	केज, स्किप द्वारा टक्कर	1	1	0
2012	ओडिशा	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	1	1	0
2012	राजस्थान	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	3	3	1
2012	राजस्थान	अन्य रेल परिवहन	1	1	0
2012	राजस्थान	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	3	3	0
2012	राजस्थान	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	1	1	0
2012	राजस्थान	उड़ते टुकड़े (विस्फोटकों के कारण को छोड़कर)	1	3	0
2012	तमिलनाडु	डम्पर्स	1	1	0
2012	तमिलनाडु	अन्य भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	1	1	0
2012	तमिलनाडु	अन्य प्रोजेक्टाइल्स	1	1	0
2012	उत्तर प्रदेश	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	0
2012	उत्तराखंड	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	1	1
2012	उत्तराखंड	अन्य गैर-परिवहन मशीनरी	1	1	0
		कुल-2012	39	41	5
		वर्ष-2013			
2013	आंध्र प्रदेश	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	2	2	0
2013	आंध्र प्रदेश	डम्पर्स	1	1	0
2013	आंध्र प्रदेश	लदान मशीनें	1	1	0
2013	आंध्र प्रदेश	ओवरहैड लाइंस	1	1	0

1	2	3	4	5	6
2013	आंध्र प्रदेश	अन्य वैद्युत दुर्घटनाएं	1	1	0
2013	आंध्र प्रदेश	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	3	3	0
2013	आंध्र प्रदेश	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	1	1	0
2013	असम	विस्फोट/गैस का जलना/धूल आदि	1	1	0
2013	असम	धूल/गैस/आग के कारण अन्य दुर्घटनाएं	1	2	0
2013	बिहार	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	2	5	0
2013	बिहार	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	1	1	0
2013	गुजरात	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	1	1	1
2013	जम्मू और कश्मीर	ओवरहैंग्स का गिरना	1	2	0
2013	झारखंड	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	1	2	0
2013	झारखंड	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	1
2013	कर्नाटक	व्हील्ड ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)	1	1	0
2013	कर्नाटक	क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग संयंत्र	1	1	0
2013	कर्नाटक	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
2013	केरल	ओवरहैंग्स का गिरना	1	4	1
2013	मध्य प्रदेश	छत का गिरना	1	1	0
2013	मध्य प्रदेश	कन्वेयर्स	1	1	0
2013	मध्य प्रदेश	उड़ते टुकड़े (विस्फोटकों के कारण को छोड़कर)	1	1	0
2013	ओडिशा	कन्वेयर्स	1	1	0
2013	ओडिशा	अन्य भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	1	1	0
2013	राजस्थान	छत का गिरना	1	1	0
2013	राजस्थान	किनारों का गिरना (ओवरहैंग्स से भिन्न)	3	4	4
2013	राजस्थान	रस्सी, चैन, क्रा/सस्पेंशन, गियर का टूटना	1	2	1
2013	राजस्थान	कन्वेयर्स	1	1	0
2013	राजस्थान	डम्पर्स	1	1	0
2013	राजस्थान	व्हील्ड ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)	1	1	1
2013	राजस्थान	मिसफायर/सॉकेट (खुदाई करते समय)	1	1	0
2013	राजस्थान	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	2	2	0
2013	राजस्थान	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	5	6	2
2013	राजस्थान	उड़ते टुकड़े (विस्फोटकों के कारण को छोड़कर)	1	1	0

1	2	3	4	5	6
2013	राजस्थान	पानी में डूबना	1	1	0
2013	तमिलनाडु	ओवरहैंग्स का गिरना	1	1	0
2013	तमिलनाडु	डम्पर्स	2	2	0
2013	तमिलनाडु	व्हील्ड ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)	1	1	0
2013	तमिलनाडु	लदान मशीनें	1	1	0
2013	तमिलनाडु	अन्य गैर-परिवहन मशीनरी	1	1	0
2013	तमिलनाडु	मिसफायर/सॉकेट (खुदाई करते समय)	1	2	1
2013	तमिलनाडु	पानी में डूबना	1	1	0
2013	उत्तर प्रदेश	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
2013	पश्चिम बंगाल	डम्पर्स	1	1	0
2013	पश्चिम बंगाल	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
	कुल-2013		58	73	12
		वर्ष-2014			
2014	आंध्र प्रदेश	अन्य वैद्युत दुर्घटनाएं	1	1	0
2014	आंध्र प्रदेश	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
2014	असम	केज, स्किप द्वारा टक्कर	1	1	0
2014	झारखंड	डम्पर्स	1	1	0
2014	झारखंड	व्हील्ड ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)	1	1	0
2014	कर्नाटक	डम्पर्स	1	1	1
2014	मध्य प्रदेश	छत का गिरना	1	1	0
2014	मध्य प्रदेश	डम्पर्स	1	1	0
2014	राजस्थान	रस्सी, चैन, क्रा/सस्पेंशन, गियर का टूटना	1	2	2
2014	राजस्थान	अन्य भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	1	1	0
2014	राजस्थान	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	4	4	0
2014	तमिलनाडु	सॉलिड ब्लॉस्टिंग प्रोजेक्टाइल्स	1	1	0
2014	तमिलनाडु	वेलनाकार वस्तुओं सहित वस्तुओं का गिरना	1	1	0
2014	तमिलनाडु	पानी में डूबना	1	1	0
2014	उत्तराखंड	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना	1	1	0
	कुल-2014		18	19	3

2014 के संबंध में आंकड़े जून, 2014 तक के हैं।

2013 और 2014 के संबंध में आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-III

वर्ष 2010 में कारखानों में राज्य-वार और कारण-वार घातक और अघातक चोटें

क्र. सं.	कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चोट का प्रकार	मुख्य प्रचालक	यांत्रिक शक्ति से चलने वाली मशीनरी	यांत्रिक शक्ति से न चलने वाली मशीनरी	परिवहन	विद्युत	विस्फोट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	4	6	0
2.	आंध्र प्रदेश	घातक चोट	0	18	9	13	20	5
		गैर-घातक चोट	2	276	70	10	15	0
3.	असम	घातक चोट	0	1	0	0	2	0
		गैर-घातक चोट	0	16	0	1	7	0
4.	बिहार	घातक चोट	0	1	1	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	189	2	0	0	0
5.	चंडीगढ़	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	घातक चोट	0	7	1	1	4	9
		गैर-घातक चोट	0	35	4	1	9	0
7.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	घातक चोट	0	6	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	20	1	0	0	0
8.	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	घातक चोट	1	0	7	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	3	11	0	0	0
9.	गोवा	घातक चोट	0	1	2	0	0	0
		गैर-घातक चोट	1	10	8	2	0	0
10.	गुजरात	घातक चोट	3	21	12	17	31	5
		गैर-घातक चोट	938	74	86	37	16	10
11.	हरियाणा	घातक चोट	0	12	1	1	6	3
		गैर-घातक चोट	0	33	1	0	0	0

आग	गैस	गले तथा अन्य गर्म अथवा ज्वलनशील पदार्थ	हाथ के औजार	वस्तुओं के गिरने से लगी चोट	व्यक्तियों का गिरना	किसी वस्तु पर चढ़ने अथवा उससे टकारने पर	सामानों का रख-रखाव	अन्य	कुल
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5	17	9	0	15	0	56
9	5	3	0	22	42	3	2	40	191
15	4	20	41	301	154	141	104	330	1483
0	0	0	0	0	2	0	0	1	6
0	0	0	2	4	10	0	2	4	46
0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
0	0	20	3	5	7	0	1	11	238
0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	15	0	7	20	2	0	16	84
6	3	61	18	10	11	31	3	48	240
0	0	2	0	0	3	0	0	3	14
0	0	1	0	0	0	0	0	9	31
3	0	0	0	1	0	1	0	2	15
0	0	3	0	0	0	0	3	19	39
0	0	1	0	1	2	1	2	2	12
1	0	5	16	10	19	13	4	8	97
11	7	3	10	28	30	3	4	39	224
44	4	71	210	231	140	1	333	207	2402
2	0	0	0	2	2	2	0	5	36
0	0	3	0	2	0	0	2	13	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	हिमाचल प्रदेश	घातक चोट	0	0	0	0	1	2
		गैर-घातक चोट	0	1	0	0	0	2
13.	जम्मू और कश्मीर	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
14.	झारखंड	घातक चोट	0	1	0	2	0	0
		गैर-घातक चोट	0	5	1	0	0	14
15.	कर्नाटक	घातक चोट	2	5	6	4	8	0
		गैर-घातक चोट	2	101	29	5	13	1
16.	केरल	घातक चोट	0	0	0	0	2	0
		गैर-घातक चोट	5	75	50	17	4	7
17.	मध्य प्रदेश	घातक चोट	8	3	0	3	12	0
		गैर-घातक चोट	55	70	22	30	22	7
18.	महाराष्ट्र	घातक चोट	0	21	2	7	17	19
		गैर-घातक चोट	12	347	27	53	35	44
19.	मणिपुर	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
20.	मेघालय	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	1	0	0
21.	नागालैंड	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा	घातक चोट	0	7	0	25	10	0
		गैर-घातक चोट	2	58	8	22	12	14
23.	पुदुचेरी	घातक चोट	0	0	0	2	2	0
		गैर-घातक चोट	0	0	2	0	0	0
24.	पंजाब	घातक चोट	0	1	2	0	0	5
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
25.	राजस्थान	घातक चोट	0	6	1	5	3	1
		गैर-घातक चोट	4	125	1	2	2	21

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	0	0	0	0	0	0	8	11
0	0	0	0	0	0	1	0	1	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	99	0	0	0	0	0	99
0	0	0	4	0	0	10	1	15	33
3	3	1	2	1	2	0	8	25	65
4	1	0	0	10	16	7	5	24	92
10	8	15	69	95	82	91	103	155	779
1	0	0	0	0	1	0	0	3	7
8	3	15	43	32	49	56	76	55	495
0	1	2	1	4	2	8	4	18	66
10	8	19	40	35	39	80	85	392	914
8	1	22	0	22	56	2	11	37	225
45	46	122	87	257	276	166	325	710	2552
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	2	0	4	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	12	0	0	22	11	0	5	102
20	15	124	52	16	32	57	20	25	477
2	0	1	0	1	1	1	0	0	10
0	0	0	4	0	37	1	2	0	46
1	0	4	0	2	1	0	0	6	22
0	0	0	0	0	0	0	0	219	219
3	0	5	0	7	10	1	9	15	66
4	0	2	19	15	145	72	41	336	789

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	तमिलनाडु	घातक चोट	7	29	8	1	5	6
		गैर-घातक चोट	16	285	30	35	11	14
27.	त्रिपुरा	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	5	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	घातक चोट	6	0	0	5	9	4
		गैर-घातक चोट	2	19	0	2	4	1
29.	उत्तराखंड	घातक चोट	0	2	0	0	2	0
		गैर-घातक चोट	1	10	0	2	2	0
30.	पश्चिम बंगाल	घातक चोट	0	7	10	1	7	2
		गैर-घातक चोट	967	1888	1750	1180	225	667

वर्ष 2011 में कारखानों में राज्य-वार और कारण-वार घातक और अघातक चोटें

क्र. सं.	कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चोट का प्रकार	मुख्य प्रचालक	यांत्रिक शक्ति से चलने वाली मशीनरी	यांत्रिक शक्ति से न चलने वाली मशीनरी	परिवहन	विद्युत	विस्फोट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	9	11	0
2.	आंध्र प्रदेश	घातक चोट	0	13	7	10	16	3
		गैर-घातक चोट	3	232	59	8	16	0
3.	असम	घातक चोट	0	1	0	1	1	0
		गैर-घातक चोट	1	31	1	2	2	0
4.	बिहार	घातक चोट	0	0	0	1	0	0
		गैर-घातक चोट	0	39	0	0	0	0
5.	चंडीगढ़	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	घातक चोट	2	13	1	0	11	6
		गैर-घातक चोट	4	62	36	2	1	0

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	0	9	0	0	0	0	0	0	75
12	17	30	36	44	68	25	102	135	860
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
0	0	8	1	2	10	0	0	10	55
0	0	9	11	18	21	0	29	43	159
0	0	0	5	0	4	1	0	4	18
0	0	0	1	3	0	1	3	7	30
1	1	5	1	3	27	5	3	24	97
28	14	8	1532	1818	2593	3341	1631	1728	19370

आग	गैस	गले तथा अन्य गर्म अथवा ज्वलनशील पदार्थ	हाथ के औजार	वस्तुओं के गिरने से लगी चोट	व्यक्तियों का गिरना	किसी वस्तु पर चढ़ने अथवा उससे टकारने पर	सामानों का रख-रखाव	अन्य	कुल
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	13	0	0	0	24	0	57
7	4	5	0	18	32	2	4	32	153
13	3	18	35	253	128	132	96	262	1258
0	0	0		1	3	1	0	0	8
0	0	1	1	5	13	1	2	9	69
0	0	0	0	0	1	0	0	2	4
0	0	0	3	4	0	2	15	28	91
0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
2	3	5	0	11	28	4	4	7	97
1	0	5	17	12	37	7	16	22	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	घातक चोट	0	12	0	0	1	0
		गैर-घातक चोट	0	20	1	0	0	0
8.	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	घातक चोट	1	4	1	0	0	1
		गैर-घातक चोट	0	4	12	0	0	0
9.	गोवा	घातक चोट	0	2	0	3	0	2
		गैर-घातक चोट	0	27	2	0	5	2
10.	गुजरात	घातक चोट	3	24	14	19	35	6
		गैर-घातक चोट	1176	93	108	46	20	13
11.	हरियाणा	घातक चोट	3	7	2	1	5	5
		गैर-घातक चोट	1	36	1	0	2	7
12.	हिमाचल प्रदेश	घातक चोट	0	1	0	0	3	0
		गैर-घातक चोट	0	3	0	2	4	0
13.	जम्मू और कश्मीर	घातक चोट	0	0	0	0	1	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
14.	झारखंड	घातक चोट	0	2	0	5	0	1
		गैर-घातक चोट	2	9	0	1	1	0
15.	कर्नाटक	घातक चोट	0	9	0	10	6	4
		गैर-घातक चोट	6	105	20	29	10	3
16.	केरल	घातक चोट	0	2	3	10	1	3
		गैर-घातक चोट	0	39	49	0	1	1
17.	मध्य प्रदेश	घातक चोट	4	2	3	1	2	2
		गैर-घातक चोट	64	52	12	52	2	2
18.	महाराष्ट्र	घातक चोट	0	29	1	4	13	10
		गैर-घातक चोट	7	531	28	43	22	11
19.	मणिपुर	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
20.	मेघालय	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	1	0

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	1	0	0	0	0	0	3	17
0	0	3	0	0	2	0	0	12	38
22	0	0	0	0	0	0	0	0	29
6	0	0	0	0	0	0	4	17	43
0	0	0	0	1	2	0	0	1	11
4	0	4	8	1	7	8	15	9	92
9	8	3	11	32	34	3	5	43	249
55	5	89	264	290	176	1	418	260	3014
23	3	0	0	1	2	0	0	0	52
12	0	0	5	0	1	0	1	6	72
0	0	0	1	1	2	0	0	9	17
1	0	2	3	1	3	0	0	6	25
0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0	1	3	1	3	2	0	0	1	19
0	1	7	9	2	5	0	3	54	94
1	3	3	4	9	19	5	2	12	87
4	0	27	123	99	116	113	214	160	1029
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
4	6	5	39	41	40	50	45	49	369
1	0	5	1	5	11	6	6	6	55
12	0	22	61	69	66	70	54	114	652
16	8	11	1	18	46	4	6	16	183
50	41	90	86	147	190	175	146	699	2266
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	नागालैंड	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा	घातक चोट	0	6	0	15	7	3
		गैर-घातक चोट	11	38	22	19	17	7
23.	पुदुचेरी	घातक चोट	0	1	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	7	2	0	0	0
24.	पंजाब	घातक चोट	0	0	0	0	3	4
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
25.	राजस्थान	घातक चोट	0	7	0	2	5	2
		गैर-घातक चोट	1	49	0	3	13	0
26.	तमिलनाडु	घातक चोट	4	6	5	2	3	0
		गैर-घातक चोट	8	192	28	19	26	20
27.	त्रिपुरा	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	3	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	घातक चोट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		गैर-घातक चोट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	उत्तराखंड	घातक चोट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		गैर-घातक चोट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	पश्चिम बंगाल	घातक चोट	0	10	4	0	10	2
		गैर-घातक चोट	623	1321	1518	1024	209	545

वर्ष 2012 में कारखानों में राज्य-वार और कारण-वार घातक और अघातक चोटें

क्र.	कारण							
सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चोट का प्रकार	मुख्य प्रचालक	यांत्रिक शक्ति से चलने वाली मशीनरी	यांत्रिक शक्ति से न चलने वाली मशीनरी	परिवहन	विद्युत	विस्फोट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	11	18	0

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	13	0	0	12	57
25	12	12	6	104	44	80	12	78	487
0	0	1	0	2	0	1	0	5	10
0	0	0	14	5	15	1	2	0	46
6	0	5	1	4	6	0	0	5	34
0	0	0	0	0	0	0	0	183	183
2	0	1	3	2	14	1	5	19	63
1	2	7	59	41	96	80	73	258	683
82	0	1	0	2	1	2	3	6	117
36	3	43	0	58	44	4	62	81	624
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
0	0	3	0	6	27	9	1	14	86
0	0	8	1201	1796	2320	3341	1622	1829	17357

आग	गैस	गले तथा अन्य गर्म अथवा ज्वलनशील पदार्थ	हाथ के औजार	वस्तुओं के गिरने से लगी चोट	व्यक्तियों का गिरना	किसी वस्तु पर चढ़ने अथवा उससे टकारने पर	सामानों का रख-रखाव	अन्य	कुल
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9	0	0	0	33	0	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	आंध्र प्रदेश	घातक चोट	1	6	1	7	15	2
		गैर-घातक चोट	0	36	50	35	7	5
3.	असम	घातक चोट	0	3	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	36	0	0	3	0
4.	बिहार	घातक चोट	0	1	0	0	3	2
		गैर-घातक चोट	5	82	14	0	4	0
5.	चंडीगढ़	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	घातक चोट	0	14	1	7	5	0
		गैर-घातक चोट	0	27	4	1	6	6
7.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	घातक चोट	0	8	0	0	0	4
		गैर-घातक चोट	0	11	0	0	0	0
8.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	घातक चोट	0	3	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	16	0	0	0	0
9.	गोवा	घातक चोट	1	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	1	16	0	2	4	0
10.	गुजरात	घातक चोट	7	70	1	5	30	13
		गैर-घातक चोट	41	144	66	65	20	46
11.	हरियाणा	घातक चोट	0	11	0	0	3	2
		गैर-घातक चोट	0	10	0	0	1	10
12.	हिमाचल प्रदेश	घातक चोट	0	1	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	2	1	0	2	0
13.	जम्मू और कश्मीर	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
14.	झारखंड	घातक चोट	0	6	0	7	3	0
		गैर-घातक चोट	1	41	11	27	0	0
15.	कर्नाटक	घातक चोट	2	3	0	10	4	1
		गैर-घातक चोट	9	72	19	10	17	5

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	0	1	0	12	25	3	2	26	106
6	10	12	28	87	33	30	16	132	487
2	0	0	0	0	2	1	0	0	8
2	0	3	5	1	9	2	2	7	70
0	1	0	0	0	2	0	0	0	9
3	1	0	4	1	9	3	0	0	126
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	12	0	3	44	1	2	11	103
2	0	41	14	2	12	18	9	22	164
0	0	0	0	0	0	0	1	0	13
0	0	0	0	0	0	3	4	13	31
2	0	1	0	0	0	0	0	0	6
0	0	1	1	0	0	0	0	0	18
3	0	0	0	0	2	1	0	0	7
13	1	9	2	3	10	2	10	13	86
17	7	12	0	20	54	4	20	47	307
74	40	118	46	146	275	249	276	525	2131
4	2	0	0	1	1	4	1	8	37
1	4	0	0	0	3	1	2	5	37
0	1	1	2	0	2	0	0	3	10
0	0	1	0	0	2	0	0	3	11
0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
0	0	1	0	4	5	1	0	6	33
3	0	2	7	2	2	0	10	43	149
1	2	2	0	8	13	2	3	5	56
9	2	13	80	58	74	67	76	143	654

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	केरल	घातक चोट	0	1	0	1	3	0
		गैर-घातक चोट	6	50	28	11	6	1
17.	मध्य प्रदेश	घातक चोट	6	2	1	3	3	2
		गैर-घातक चोट	71	56	28	50	6	0
18.	महाराष्ट्र	घातक चोट	2	29	2	5	20	21
		गैर-घातक चोट	8	419	12	20	35	86
19.	मणिपुर	घातक चोट	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
		गैर-घातक चोट	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
20.	मेघालय	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	1
21.	नागालैंड	घातक चोट	0	0	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा	घातक चोट	0	3	2	3	12	5
		गैर-घातक चोट	5	2	0	3	15	8
23.	पुदुचेरी	घातक चोट	0	3	0	0	0	0
		गैर-घातक चोट	0	2	2	1	0	0
24.	पंजाब	घातक चोट	0	0	0	0	4	8
		गैर-घातक चोट	0	0	0	0	0	0
25.	राजस्थान	घातक चोट	0	9	0	1	2	0
		गैर-घातक चोट	39	65	10	9	5	2
26.	तमिलनाडु	घातक चोट	1	21	12	2	13	0
		गैर-घातक चोट	2	110	10	5	10	12
27.	त्रिपुरा	घातक चोट	0	0	0	0	2	0
		गैर-घातक चोट	0	4	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	घातक चोट	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
		गैर-घातक चोट	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
29.	उत्तराखंड	घातक चोट	0	1	0	0	1	0
		गैर-घातक चोट	0	0	0	4	0	1
30.	पश्चिम बंगाल	घातक चोट	1	4	4	0	9	1
		गैर घातक चोट	541	1658	1989	995	314	741

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	3	0	1	1	0	0	4	14
11	15	18	18	40	20	43	45	114	426
0	0	1	0	10	5	3	1	8	45
15	4	25	17	122	42	153	63	97	749
27	3	17	0	15	51	5	3	15	215
37	75	86	73	113	255	217	251	646	2333
उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3	2	3	6	17	9	4	2	78
19	23	69	12	17	75	20	62	60	390
0	0	3	0	0	2	0	0	0	8
0	0	3	1	7	1	7	4	2	30
4	0	1	0	0	5	0	0	24	46
0	0	0	0	0	0	0	0	129	129
4	0	0	0	1	6	0	1	10	34
4	0	3	61	42	23	83	93	260	699
46	0	6	2	1	2	0	0	4	110
33	2	9	13	19	23	7	21	48	314
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5	0	0	0	0	0	0	0	1	8
5	8	0	2	6	7	0	8	22	63
1	0	2	0	4	16	3	2	15	62
0	3	20	1134	1941	2527	3961	1152	1717	18693

श्रम कानूनों में संशोधन

1617. श्री सी.एन. जयदेवन :
कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सहित कुछ राज्य सरकारों का कारखाना अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि, सहित कुछ श्रम-कानूनों की कतिपय धाराओं में संशोधन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार कारखाने की नौकरी को बढ़ावा देने और विनिर्माण के क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों को उदार बनाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय को कारखाना अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धाराओं में संशोधन के लिए राजस्थान सहित राज्य सरकारों से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को कार्यान्वित करने के संदर्भ में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कतिपय संशोधनों के सुझाव दिए हैं। सुझाए गए संशोधनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एससी/एसटी में बेरोजगारी

1618. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के युवाओं में बेरोजगारी का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन श्रेणियों के युवाओं के लिए रोजगार सृजन के लिए कौन-कौन से नए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) देश में रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण आयोजित करता है। भारत में सामाजिक वर्गों के बीच रोजगार एवं बेरोजगारी स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्टों के परिणामों के अनुसार 2009-10 के दौरान (अनुसूचित जाति) एवं (अनुसूचित जनजाति) के बीच 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं की संख्या क्रमशः 1.68 करोड़ एवं 0.71 करोड़ अनुमानित की गई थी।

(ग) भारत सरकार देश में एससी/एसटी युवाओं सहित व्यक्तियों हेतु अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए सामान्य विकास प्रक्रिया और विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं का कार्यान्वयन करने के माध्यम से निरंतर प्रयास करती रही है। अति लघु, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं — प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) बड़ी संख्या में व्यक्तियों को नियोजनीय बनाने हेतु उन्हें कौशलयुक्त बनाने की आवश्यकता की पहचान करते हुए, सरकार ने 12वीं योजना अवधि के दौरान 5 करोड़ व्यक्तियों को कौशलयुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय प्रक्रिया स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

मजदूरों की संख्या में वृद्धि/कमी

1619. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्रों में मजदूरों की संख्या में वृद्धि और कमी देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है एवं उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों की क्षेत्र-वार पृथक-पृथक संख्या कितनी रही;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में उक्त क्षेत्र में रोजगार सृजन में वृद्धि की दर बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में और अधिक रोजगार सृजन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (घ) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 2009-10 एवं 2011-12 के एनएनएसओ सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

प्रमुख उद्योग के अनुसार कार्यबल	2009-10	2011-12
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	24.74	23.18
उद्योग	9.99	11.50
सेवाएं	11.81	12.73
योग	46.54	47.41

उपर्युक्त अनुमानों में पता चलता है कि 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या में 1.56 करोड़ व्यक्तियों की कमी आई जबकि उद्योग एवं सेवाएं क्षेत्रों में क्रमशः 1.51 एवं 0.92 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई।

(ङ) सरकार विद्यमान सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अतिरिक्त श्रम-सघन विनिर्माण का संवर्धन कर रही है तथा पर्यटन एवं कृषि-आधारित उद्योगों का संवर्धन करके रोजगार अवसरों में वृद्धि कर रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाणीकरण प्रदान करने की योजना बनाई गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए-टीएसपी), अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए-एससीपी), बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम निधियों का कम-से-कम 10% तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधियों का 5% कौशल विकास तथा युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने में प्रयोग किया जाए।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर सर्वेक्षण

1620. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी :
श्री भीमराव बी. पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने नवसृजित तेलंगाना राज्य में गैस/शेल गैस/पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों हेतु अन्वेषण शुरू करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में डीजीएच के निष्कर्षों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार तेलंगाना में औद्योगिक संयंत्रों को रिगैसीफाइड लिक्वीफाइड नेचुरल गैस प्रदान कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त गैस की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) डीजीएच द्वारा तेलंगाना राज्य के क्षेत्रों में कोई भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। पूर्व आंध्र प्रदेश में दो अन्वेषण ब्लॉक अर्थात् जीएन-ओएन-90/3 और पीजी-ओएनएन-2001/1 प्रदान किए गए थे। तथापि, कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं की गई थी और ब्लॉक त्याग दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दो सीबीएम ब्लॉक अर्थात् केजी/III जो खम्मम जिले में पड़ते हैं और ब्लॉक जीवी (एन)-सीबीएम-2005/III जो तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद, करीमनगर और खम्मम जिलों में पड़ते हैं, प्रदान किए गए थे। इन दोनों ब्लॉकों को त्याग दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कोई पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) नहीं दिया गया था।

(ग) पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की कुछ मात्राओं की आपूर्ति स्वैपिंग व्यवस्था के माध्यम से भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बीजीएल) को समय-समय पर की गई हैं। तथापि, तेलंगाना की यूनिटों को आरएलएनजी की नियमित आपूर्तियां कर पाना संभव नहीं है क्योंकि पूर्वी तट पर कोई आरएलएनजी टर्मिनल नहीं है और पश्चिमी तट पर स्थित टर्मिनलों से आरएलएनजी लाने के लिए कोई पाइपलाइन सम्बद्धता नहीं है।

(घ) और (ङ) तेलंगाना राज्य के गठन के समय, विद्युत, उर्वरक और सीजीडी क्षेत्र के लिए 30 एमएमएससीएमडी गैस की मांग गृह मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तथापि, चूंकि प्राकृतिक गैस सहित हाइड्रोकार्बन, संविधान के अंतर्गत संघ सूची का एक भाग हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन की जांच करने के लिए गठित मंत्री-समूह द्वार महसूस किया गया था कि आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के आबंटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

1621. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं देश में वर्तमान में इस्पात की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 2014) के दौरान क्रूड इस्पात के उत्पादन के आंकड़े निम्नवत् हैं:—

अवधि	क्रूड इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन)
2011-12	74.29
2012-13	78.42
2013-14*	81.54
अप्रैल-जून 2014*	20.56

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति।

*अनंतिम।

(ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वर्तमान चरण में अपनी क्रूड इस्पात की उत्पादन क्षमता को 12.8 एमटीपीए से बढ़ाकर 21.4 एमटीपीए करने के लिए भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर स्थित अपने पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम स्थित विशेष इस्पात संयंत्र पर आधुनिकीकरण एवं विस्तार का कार्य शुरू किया है।

(ग) आधुनिकीकरण एवं विस्तार के वर्तमान चरण के लिए संकेतात्मक निवेश 61,870 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, रॉ मैटेरियल डिवीजन (आरएमडी) के अधीन वर्तमान खानों ओर रावघाट खानों में निवेश के लिए 10,264 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

देश में अप्रैल-जून, 2014 के दौरान इस्पात की मांग और आपूर्ति नीचे दी गई है:—

कुल फिनिशड इस्पात (एलाय + नॉन-एलाय)	अप्रैल-जून, 2014* (मिलियन टन)
बिक्री के लिए उत्पादन	74.29
आयात	78.42
निर्यात	81.54
वास्तविक खपत	20.56

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)।

*अनंतिम।

(घ) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त उद्योग है। सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में और एक अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करने तक सीमित है। निवेश पर विशेष निर्णय इस्पात कंपनियों/नए निवेशकों द्वारा पूंजी पर आय संबंधी अपने मूल्यांकन और अन्य सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं।

सरकार ने देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) इस्पात क्षेत्र में विभिन्न निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए इस्पात मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।

(ii) इस्पात क्षेत्र समेत विनिर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वीकृतियों में तेजी लाने/इनमें विलंब करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के

अधीन एक परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) का गठन किया गया है।

(iii) इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री यथा कोकिंग कोल, गैर-कोकिंग कोल और स्क्रैप के आयात पर सीमा शुल्क शून्य अथवा बहुत कम स्तर पर लगाया जाता है।

(iv) घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता सुधारने और घरेलू मूल्य वर्धन बढ़ाने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। हाल ही में सरकार ने लौह अयस्क पैलेटों के निर्यात पर यथा मूल्य 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाया है।

रोजगार के अवसर

1622. श्री अशोक महादेवराव नेते :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सृजित किए गए रोजगार के अवसर और दिए गए रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शहरी और ग्रामीण रोजगार को अलग-अलग वर्गीकृत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों का राज्य और लिंग-वार प्रतिशत क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के जरिए प्राप्त किए जाते हैं। कुल मिलाकर रोजगार (महाराष्ट्र सहित) 2004-05 में 45.91 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में 46.55 करोड़ हो गया और 2011-12 में 47.41 करोड़ हो गया। असंगठित क्षेत्र में रोजगार लगभग 82.7% था जबकि संगठित क्षेत्र हेतु यह 17.3% था।

क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

(व्यक्ति करोड़ में)

मुख्य क्षेत्र के अनुसार कार्यबल	2004-05	2009-10	2011-12
कृषि एवं इससे संबद्ध	26.83	24.74	23.18
उद्योग	8.35	10.00	11.50
सेवाएं	10.73	11.81	12.73
योग	45.91	46.55	47.41

रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 के लिए कुल रोजगार (नियोजनों) और महाराष्ट्र हेतु नियोजनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(नियोजन लाख में)

वर्ष	योग	महाराष्ट्र
2010	5.10	2.07
2011	4.72	1.66
2012	4.28	1.04

(ख) और (ग) ग्रामीण एवं शहरी रोजगार और बेरोजगारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) श्रमिकों के हित की रक्षा करने हेतु विभिन्न कानून हैं। कंपनियों में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत सम्मिलित कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी इन अधिनियमों के उपबंधों द्वारा संरक्षित हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1973 में बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या एक समान प्रकृति के कार्य हेतु पुरुष और महिला कामगारों के लिए समान पारिश्रमिक का भुगतान करने का प्रावधान है। कारखाना अधिनियम, 1948 और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भी कारखानों में कामगारों की सुरक्षा हेतु उपबंध हैं।

असंगठित क्षेत्र में कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 बनाया है। केन्द्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण और कोई अन्य लाभ जैसा कि असंगठित कामगारों हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित है।

विवरण

देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बेरोजगारी दरें ग्रामीण एवं शहरी (%) सामान्य स्थिति (समायोजित) और कार्यबल प्रतिभागिता दरें (%)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बेरोजगारी दरें (%)		कार्यबल प्रतिभागिता दर (%)		बेरोजगारी दरें (%) ग्रामीण+शहरी	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1.2	4.3	52.2	36.4	2.4	1.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.7	4.8	38.3	30.3	2.1	2.3
3.	असम	4.5	5.6	34.3	32.9	4.4	5.8
4.	बिहार	3.2	5.6	27.5	25.3	2.9	8.9
5.	छत्तीसगढ़	0.8	4.3	48.6	37.6	1.7	0.9
6.	दिल्ली	7.8	3.5	34.2	33.7	3.8	4.2
7.	गोवा	5.1	4.6	37.8	33.7	4.9	4.8
8.	गुजरात	0.3	0.8	44.7	38.4	0.5	0.6
9.	हरियाणा	2.4	4.2	35.6	31.8	3.0	2.4
10.	हिमाचल प्रदेश	1.0	4.0	53.3	41.6	1.2	1.3
11.	जम्मू और कश्मीर	2.5	7.0	40.5	33.7	2.7	5.3
12.	झारखंड	2.1	5.1	37.0	28.4	2.4	3.4
13.	कर्नाटक	0.9	2.9	45.0	37.6	1.6	1.4
14.	केरल	6.8	6.1	38.2	36.3	3.0	14.1
15.	मध्य प्रदेश	0.4	2.6	40.5	32.5	1.0	0.5
16.	महाराष्ट्र	0.7	2.3	48.6	36.5	1.3	1.2
17.	मणिपुर	2.6	7.1	38.9	32.2	3.2	4.7
18.	मेघालय	0.4	2.8	45.9	34.0	0.8	0.8
19.	मिज़ोरम	1.8	5.0	49.6	36.7	2.5	4.3
20.	नागालैंड	15.1	23.8	41.0	28.7	16.1	20.7
21.	ओडिशा	2.2	3.5	41.7	38.1	2.5	2.0

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पंजाब	1.9	2.8	40.6	36.8	2.3	1.9
23.	राजस्थान	0.7	3.1	42.4	32.6	1.4	0.7
24.	सिक्किम	1.0	2.3	53.4	45.2	1.4	0.9
25.	तमिलनाडु	2.0	2.7	48.5	39.2	2.1	2.7
26.	त्रिपुरा	10.5	25.2	40.2	31.9	7.0	25.9
27.	उत्तराखंड	2.5	5.3	38.1	30.5	2.7	3.9
28.	उत्तर प्रदेश	0.9	4.1	33.8	31.7	1.8	1.1
29.	पश्चिम बंगाल	2.7	4.8	39.0	40.0	3.2	3.4
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.4	8.6	43.2	39.9	2.6	15.1
31.	चंडीगढ़	0.0	6.4	34.9	35.4	5.2	10.1
32.	दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	32.5	36.7	0.0	0.0
33.	दमन और दीव	0.0	0.5	42.5	35.5	0.0	1.6
34.	लक्षद्वीप	16.0	11.5	32.2	34.7	7.2	38.6
35.	पुदुचेरी	0.8	2.9	36.3	35.0	2.0	2.4
	अखिल भारत	1.7	3.4	39.9	35.5	2.1	2.4

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट 2011-12

[अनुवाद]

केरोसीन का उपयोग

1623. श्री निशिकान्त दुबे :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में केरोसीन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए इस पर सब्सिडी कम करने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चरणबद्ध रूप में केरोसीन की जगह एलपीजी का उपयोग करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में केरोसीन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे राज्यों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिन्हें केरोसीन मुक्त घोषित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने देश में केरोसीन का उपयोग करने वाले वास्तविक परिवारों को चिह्नित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा उन्हें एलपीजी का उपयोग करने को प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) वर्तमान में पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता को कम करने के लिए सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा बनाए गए विजन-2015 के अनुसार, सरकार का लक्ष्य देश की एलपीजी का प्रयोग करने वाले लोगों के कवरेज को 50% से 75% तक बढ़ाना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। विजन दस्तावेज का लक्ष्य खाना पकाने के उद्देश्यों के लिए एलपीजी कवरेज का विस्तार ग्रामीण/उन क्षेत्रों जहां एलपीजी नहीं पहुंची है, तक करना है ताकि जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सके।

(ग) से (ङ) देश में मिट्टी तेल उपयोग पर परिवार-वार आंकड़े पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के "भोजन पकाने और रोशनी करने के लिए भारतीय परिवारों के ऊर्जा स्रोत" पर 66वें दौर (जुलाई, 2009-जून, 2010) के एनएसएस सर्वेक्षण के अनुसार, 33% ग्रामीण परिवार और 5% शहरी परिवार रोशनी के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में मिट्टी तेल का प्रयोग करते हैं।

दिल्ली को अक्तूबर, 2013 से पहला मिट्टी तेल मुक्त राज्य घोषित किया गया है।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) उद्योग विपणन योजनाओं के तहत राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) के साथ-साथ नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को नियुक्त कर रही है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून

1624. श्री ओम बिरला : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा कानून बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्य-वार नियत और आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हां, असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। यह अधिनियम 16.5.2009 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय नियत बनाए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा स्कीमों नामत: जीवन और अपंगता छत्र, स्वास्थ्य एवं प्रसूति हितलाभ, वृद्धावस्था संरक्षण तथा सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए यथा निर्धारित किसी अन्य हितलाभ की सिफारिश करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित किया गया है। सभी असंगठित कामगार इस अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत हितलाभ पाने के हकदार हैं।

(ख) और (ग) राज्यों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत उपबंधों को कार्यान्वित करें, जो राज्य सरकार के लिए अधिदेशित किए गए हैं।

(घ) राज्य सरकार को असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत कोई विशेष राशि निश्चित और आबंटित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1625. श्री दुष्यंत चौटाला : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सहित देश में ऐसे कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जो घाटे में चल रहे हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को हुई हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा घाटे में चल रहे पीएसयू की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सहित देश में और अधिक पीएसयू की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) दिनांक 31.03.2013 के अनुसार केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहित देश में

50 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों ने गत तीन वर्षों (2012-13, 2011-12 एवं 2010-11) में लगातार घाटा उठाया। घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के उनके घाटे सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। उनके टर्नअराउंड के लिए उद्यम विशिष्ट उपाय उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा किए जाते हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय पुनर्संरचना जैसे कि ऋणों को इक्विटी में बदलना, ऋण और ब्याज से छूट, ऋण लेने के लिए सरकारी गारंटी, ऋण/ब्याज की अदायगी पर स्थगन, व्यापार पुनर्संरचना जैसे कि नए संयुक्त उद्यम बनाना/अन्य केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के साथ विलयन, आधुनिकीकरण और नई विपणन रणनीतियां आदि शामिल हैं।

सरकार ने दिसम्बर, 2004 में, लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना रुग्ण एवं घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार और पुनर्संरचना का कार्य करने के लिए और उनसे संबंधित रणनीतियों, उपायों और योजनाओं पर सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में की थी।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न स्थानों में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की स्थापना तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर की जाती है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इन पहलुओं को ध्यान में रखकर देश में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की स्थापना करने के लिए पहल करते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान निरंतर घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम/राज्य	2012-13	2011-12	2010-11
1	2	3	4	5
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और पौध विकास निगम लि.	-3571	-3196	-2701
	आंध्र प्रदेश			
2.	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	-207	-1012	-2132
	असम			
3.	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन	-22	-11	-59
4.	ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लि.	-3264	-12881	-8509
	बिहार			
5.	भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कं. लि.	-759	-867	-999
	दिल्ली			
6.	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.	-129	-26	-18
7.	एयर इंडिया लि.	-519855	-755974	-686517

1	2	3	4	5
8.	एयरलाइन संबद्ध सेवाओं लि.	−18145	−11474	−2912
9.	भारत संचार निगम लि.	−788444	−885070	−638426
10.	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	−241	−1591	−1725
11.	भारतीय खाद्य निगम	−435	−6463	−580
12.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.	−38053	−38089	−38228
13.	हिन्दुस्तान पेपर निगम लि.	−15187	−9520	−6334
14.	हिन्दुस्तान वेजीटेबिल ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	−1146	−2378	−2269
15.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	−532112	−410978	−280192
16.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	−172	−58	−104
	हरियाणा			
17.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	−23958	−48988	−66844
	जम्मू और कश्मीर			
18.	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	−5116	−4404	−4540
19.	जम्मू और कश्मीर मिनरल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	−96	−64	−48
	झारखंड			
20.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लि.	−95	−58	−55
	कर्नाटक			
21.	एचएमटी लि.	−14537	−8220	−7924
22.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	−4365	−4614	−9306
23.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड	−24248	−22404	−25373
24.	आईटीआई लि.	−18206	−36980	−35775
25.	एमटीसीएल लि.	−29612	−28466	−17802
26.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि.	−3115	−2875	−2612
	मध्य प्रदेश			
27.	नेपा लि.	−8408	−7290	−7040

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
28.	एयर इंडिया चार्टर्स लि.	-29960	-60250	-39122
29.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	-38264	-8894	-1898
30.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-6937	-7227	-5018
31.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-3562	-2129	-2671
32.	मिलेनियम टेलिकॉम लिमिटेड	-20	-20	-49
33.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड	-2949	-1626	-2156
	मेघालय			
34.	नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एंड हेण्डलूम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-150	-151	-174
	नागालैंड			
35.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	-1458	-1190	-1344
	ओडिशा			
36.	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-61	-60	-71
	राजस्थान			
37.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	-5409	-6769	-3656
	तमिलनाडु			
38.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	-156059	-135232	-115666
39.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड	-341	-36	-162
	उत्तर प्रदेश			
40.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-7505	-6030	-5294
41.	स्कूटर्स इंडिया लि.	-600	-1994	-1711
42.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	-7587	-5233	-5318
	पश्चिम बंगाल			
43.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-1794	-1592	-916
44.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-865	-1109	-772
45.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	-1814	-686	-545

1	2	3	4	5
46.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2393	-1309	-493
47.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	-88505	-64827	-60739
48.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड	-1981	-2808	-3809
49.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1600	-3821	-12944
50.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-1636	-2086	-1323
	कुल	-2414948	-2619030	-2114875

स्वर्ण भंडार

1626. श्री रामसिंह राठवा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में स्वर्ण भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में देश में स्वदेशी और विदेशी कंपनियों द्वारा किन-किन स्थानों पर स्वर्ण की खुदाई का कार्य चल रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खुदाई किए गए स्वर्ण की मात्रा और मूल्य का स्थान एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार अयस्कों एवं धातुओं के संबंध में 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार स्वर्ण अयस्क (प्राथमिक और प्लेसर) के कुल संसाधन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विदेशी कंपनियों द्वारा देश में किए जा रहे स्वर्ण गवेषण कार्य से संबंधित सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि., जो कि खान मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम है, (1) पहरदिया गोल्ड प्रोस्पेक्ट, पश्चिम सिंघभूम जिला, झारखंड; (2) पारासी पूर्वी ब्लॉक, रांची जिला, झारखंड; (3) अज्जनहाली पूर्वी ब्लॉक (क), जिला: तुमकुर, कर्नाटक और (4) पारासी पश्चिम ब्लॉक, रांची जिला, झारखंड में स्वर्ण निक्षेपों का गवेषण कर रहा है।

(ग) देश में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सपोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से खनिज संसाधनों का गवेषण एक अनवरत प्रक्रिया है। आईबीएम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्वर्ण के लिए किए गए गवेषण का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

01.04.2010 की स्थिति अनुसार स्वर्ण का भंडार/ संसाधन (ग्रेड/राज्य अनुसार)

इकाई: टन

	भंडार	शेष संसाधन	कुल संसाधन
	1	2	3
अखिल भारत			
अयस्क (प्राथमिक)	24124537	469570375	493694912
धातु (प्राथमिक)	110.54	549.3	659.84
अयस्क (प्लेसर)	0	26121000	26121000
धातु (प्लेसर)	0	5.86	5.86
राज्यों द्वारा			
आंध्र प्रदेश			
अयस्क (प्राथमिक)	0	12275347	12275347
धातु (प्राथमिक)	0	35.72	35.72

	1	2	3
बिहार			
अयस्क (प्राथमिक)	0	222884860	222884860
धातु (प्राथमिक)	0	37.6	37.6
छत्तीसगढ़			
अयस्क (प्राथमिक)	0	4841033	4841033
धातु (प्राथमिक)	0	5.51	5.51
झारखंड			
अयस्क (प्राथमिक)	38059	8113289	8151348
धातु (प्राथमिक)	0.13	12.6	12.73
कर्नाटक			
अयस्क (प्राथमिक)	24086478	84716333	108802811
धातु (प्राथमिक)	110.41	226.59	337
केरल			
अयस्क (प्राथमिक)	0	558460	558460
धातु (प्राथमिक)	0	0.2	0.2
अयस्क (प्लेसर)	0	26121000	26121000
धातु (प्लेसर)	0	5.86	5.86
मध्य प्रदेश			
अयस्क (प्राथमिक)	0	7788000	7788000
धातु (प्राथमिक)	0	8.4	8.4
महाराष्ट्र			
अयस्क (प्राथमिक)	0	1517000	1517000
धातु (प्राथमिक)	0	3.55	3.55
राजस्थान			
अयस्क (प्राथमिक)	0	113975720	113975720
धातु (प्राथमिक)	0	217.48	217.48
तमिलनाडु			
अयस्क (प्राथमिक)	0	67000	67000
धातु (प्राथमिक)	0	1	1
पश्चिम बंगाल			
अयस्क (प्राथमिक)	0	12833333	12833333
धातु (प्राथमिक)	0	0.65	0.65

आंकड़ा पूर्णांकित।

स्रोत: 1.4.2010 की स्थिति अनुसार राष्ट्रीय खनिज सूची।

विवरण-II

विभिन्न एजेंसियों द्वारा वर्ष 2010-11 से 2012-13 में स्वर्ण के लिए किए गए गवेषण का परिणाम

खनिज	एजेंसी	राज्य	स्थिति	अनुमानित भंडार/संसाधन
1	2	3	4	5
2010-11	जीएसआई	कर्नाटक	अज्जनहाली ब्लॉक-सी, तुमकुर जिला	वर्ष 2009-10 में एक जी/टी कट ऑफ पर 2.17 जी/टी औसत ग्रेड वाले 0.995 मि.टन अनुमानित संसाधन का अनुमान लगाया गया।
	एचजीएमएल	कर्नाटक	हट्टी गोल्ड माइन्स, रायचुर जिला	5.26 जी/टी Au वाले कुल 9.25 मि.टन स्वर्ण अयस्क संसाधन का अनुमान लगाया गया।

1	2	3	4	5
			हीरा बुद्दीनी, रायचुर जिला	3.99 जी/टी Au वाले 0.78 मि.टन स्वर्ण अयस्क संसाधन की संगणना की गई।
			ऊटी रायचुर जिला	2.50 जी/टी Au से 2.91 जी/टी Au वाले कुल 2.18 मि.टन अयस्क खान योग्य भंडारों का अनुमान लगाया गया।
2011-12	हट्टी गोल्ड माइन्स (मै. एचजीएम)	कर्नाटक	हट्टी गोल्ड माइन्स, रायचुर जिला	5.53 जी/टी Au वाला 9.25 मि.टन स्वर्ण अयस्क।
	हट्टी गोल्ड माइन्स (मै. एचजीएम)	कर्नाटक	हीरा बुद्दीनी, गोल्ड माइन्स, रायचुर जिला	3.99 जी/टी Au वाले 0.78 मि.टन स्वर्ण अयस्क।
	हट्टी गोल्ड माइन्स (मै. एचजीएम)	कर्नाटक	ऊटी गोल्ड माइन्स, रायचुर जिला	2.50 जी/टी Au से 2.91 जी/टी Au वाले कुल 2.18 मि.टन का खनन खान योग्य भंडार।
2012-13	एचजीएमएल	कर्नाटक	हट्टी गोल्ड माइन्स, रायचुर जिला	5.13 जी/टी Au वाले कुल 17.25 मि.टन स्वर्ण अयस्क भंडारों का अनुमान लगाया गया।
	एचजीएमएल	कर्नाटक	हीरा-बुद्दीनी, गोल्ड माइन्स, रायचुर जिला	4.27 जी/टी Au वाले लगभग 0.57 मि.टन स्वर्ण अयस्क प्रभावित भंडारों की संगणना की गई।
	एचजीएमएल	कर्नाटक	ऊटी गोल्ड माइन्स, रायचुर जिला	2.50 जी/टी Au से 2.91 जी/टी Au वाले कुल 2.8 मि.टन स्वर्ण अयस्क के खनन योग्य भंडारों का अनुमान लगाया गया।

स्रोत: विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारी।

एलपीजी सिलेण्डरों की आपूर्ति

1627. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू :
श्रीमती कमला पाटले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में एलपीजी गोदामों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पूरे देश में किराना स्टोर/सुपर मार्केट/पेट्रोल, डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर एलपीजी सिलेण्डर के वितरण हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे शहरों और कस्बों के राज्य-वार नाम क्या हैं जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि उन्होंने रिहायशी क्षेत्रों में प्रचालनरत एलपीजी गोदामों की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को केवल तभी चालू किया जाता है जब चयनित

उम्मीदवार गोदाम के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से विस्फोटक लाइसेंस प्राप्त कर लेता है।

(ख) और (ग) सरकार ने ओएमसीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से घरेलू प्रेशर रेगुलेटर (डीपीआर) के साथ/इसके बिना 5 किलो ग्राम के एलपीजी सिलिंडर की बिक्री की अनुमति दी है, ये खुदरा बिक्री केन्द्र लंबी अवधि के लिए सभी के लिए सुलभ और खुले हैं। बाद में, उपभोक्ताओं की और अधिक सुविधा के लिए 5 किलो ग्राम सिलिंडर की बिक्री का विस्तार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिन्दुओं और किराना/जनरल स्टोर्स तक किया गया है। दिनांक 17.07.2014 की स्थिति के अनुसार, यह योजना बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, रायपुर, चंडीगढ़, सिलवासा, सूरत, वड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, तलाज, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, जम्मू, कोच्चि, कोझीकोड, त्रिवेन्द्रम, नागपुर, नवी मुम्बई, पुणे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, पेटापल्ली, रामागुडम, वारंगल, देहरादून, हरिद्वार, इलाहाबाद, बांसी, फैजाबाद, गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ, मथुरा, गोवा और मेरठ शहरों में प्रचालित हो रही हैं।

योजना के तहत बेची गई एलपीजी को मुक्त व्यापार एलपीजी (एफटीएल) कहा जाता है। प्रथम बिक्री के समय उपस्कर (डीपीआर और सिलिंडर) की लागत, मौजूदा गैर-घरेलू 5 किलो ग्राम सिलिंडरों के मूल्य पर उत्पाद की लागत और प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान करना होता है। बाद की रीफिल के समय पर केवल उत्पाद की लागत का भुगतान करना होता है।

[हिन्दी]

बेसिक टेलीफोन उपभोक्ता

1628. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के बेसिक फोन के उपभोक्ताओं की सर्किल-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में दूरसंचार के कार्यकरण को सुचारू बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल के कार्यनिष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा करने एवं कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु उनके नेटवर्क को इष्टतम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार देश में बीएसएनएल और एमटीएनएल के बेसिक टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के निरन्तर द्रुत विकास के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना में शामिल हैः—

— सेवा रहित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार अवसंरचना का विकास।

— सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) का क्रियान्वयन।

— विकास को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया का सरलीकरण और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना।

— गुणवत्तायुक्त, विश्वसनीय, सुरक्षित और वहनीय दूरसंचार सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप।

(घ) ट्राई द्वारा सेवा की गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। जबकि बीएसएनएल और एमटीएनएल सामान्य रूप से सभी बैंचमार्कों को पूरा कर रहे हैं लेकिन कतिपय क्षेत्रों में कतिपय पैरामीटरों के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाएं बैंचमार्क स्तर से नीचे हैं। नेटवर्क निष्पादन, उपभोक्ता सेवा संवितरण, संकुलन, अपर्याप्त नेटवर्क विस्तार आदि के कारण सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों में कमी हुई है।

बीएसएनएल और एमटीएनएल, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, लिगेसी मुद्दों का समाधान करने और नेटवर्क विस्तार के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न हैं। वे अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए अपने नेटवर्क का अनवरत इष्टतम उपयोग भी कर रहे हैं।

दूरसंचार विभाग बीएसएनएल और एमटीएनएल के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा भी करता है।

विवरण

देश में 31 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल के बेसिक टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	31.05.2014 की स्थिति के अनुसार बेसिक टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या	
	सर्किल का नाम	कनेक्शनों की संख्या
1	2	3
बीएसएनएल		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12,636
2.	आंध्र प्रदेश	16,35,489
3.	असम	1,81,751
4.	बिहार	2,08,092
5.	छत्तीसगढ़	1,39,286
6.	गुजरात	14,30,574
7.	हरियाणा	4,42,904
8.	हिमाचल प्रदेश	2,41,307
9.	जम्मू और कश्मीर	1,84,203
10.	झारखंड	1,54,949
11.	कर्नाटक	14,99,262
12.	केरल	27,43,889
13.	मध्य प्रदेश	6,91,972
14.	महाराष्ट्र	18,51,794
15.	पूर्वोत्तर-I	74,965
16.	पूर्वोत्तर-II	61,867
17.	ओडिशा	3,32,724
18.	पंजाब	8,52,169
19.	राजस्थान	7,81,025
20.	तमिलनाडु	14,39,322
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,52,525
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	6,56,902
23.	उत्तराखंड	3,40,123
24.	पश्चिम बंगाल	4,79,259
25.	कोलकाता	8,36,859
26.	चेन्नै	7,53,063
	कुल	1,81,78,921
एमटीएनएल		
1.	दिल्ली	1602463
2.	मुम्बई	1930198
	कुल	35,32,661

[अनुवाद]

अधिकरणों हेतु मॉडल एजेंसी

1629. श्री एन. क्रिष्टप्पा : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित विभिन्न अधिकरणों/अपील अधिकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में स्थापित सभी केन्द्रीय अधिकरणों में प्रशासन हेतु स्वतंत्र नोडल एजेंसी स्थापित करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या कार्यविधियां बनाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी पणधरियों से परामर्श किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं मामले में क्या सुझाव/आपत्तियां दी गई हैं;

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न अधिकारणों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक-समान नीति बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अधिकरणों के कार्यकरण की निगरानी के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसे 26 अधिकरण और अन्य अर्द्धन्यायिक निकाय हैं जिन्हें संसद के विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थापित किया गया है।

(ख) से (ङ) सरकार ने, एल. चन्द्र कुमार मामले (एआईआर 1997 एससी 1125-1155) और आर. गांधी मामले (2004 का सीए 3067) में उसके अपने निणर्यों में उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षण के अनुसरण में, अंतर-मंत्रालयीय परामर्श किए हैं और यह विनिश्चय किया है कि एक नोडल मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अधिकरणों को लाने की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही यह व्यवहार्य था। यद्यपि, शेष अधिकरणों का प्रशासनिक नियंत्रण कार्य आबंटन नियमों के अनुसार, संबद्ध मंत्रालय/विभाग के पास रहता है, सरकार ने अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा की शर्तों में एकरुपता का उपबंध करने का विनिश्चय किया है। इस उद्देश्य के लिए, अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा शर्तें) विधेयक, 2014 राज्य सभा में 19 फरवरी, 2014 को पुर:स्थापित कर दिया गया है। तथापि, इस विधेयक में अधिकरण के कार्यकरण को मॉनीटर करने के लिए किसी तंत्र का कोई उपबंध नहीं है।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों में एससी/एसटी हेतु आरक्षण

1630. श्री सदाशिव लोखंडे :
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं विभिन्न निचली अदालतों में विभिन्न स्तरों पर न्यायधीशों की नियुक्ति और अधिवक्ताओं के नामांकन में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित न्यायाधीशों और अधिवक्तओं की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित न्यायालय-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आरक्षण नीति के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति में उक्त श्रेणी के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है। उन अनुच्छेदों में किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। अत:, न्यायाधीशों की जाति या वर्ग-वार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है कि वे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं में से उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक् रूप से ध्यान दें।

अधीनस्थ न्यायपालिका में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में, भारत के संविधान के अधीन, जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और प्रोन्नति राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आती है। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश ने अधीनस्थ न्यायपालिका में आरक्षण का उपबंध किया है। संघ सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के प्रवर्गों में से की गई से की गई न्यायाधीशों की नियुक्तियों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती है। जहां तक वकीलों को संबंध है उनके लिए आरक्षण का कोई उपबंध नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों हेतु वीआरएस

1631. श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) की हैदराबाद इकाई सहित अलाभकारी या रुग्ण केन्द्रीय क्षेत्र

के सार्वजनिक उपक्रमों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के क्रियान्वयन का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी सीपीएसई इकाइयों का ब्यौरा क्या है जहां वीआरएस शुरू किया गया है या शुरू किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई/कराई जा रही लागत और निधि का सीपीएसई-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सीपीएसई से हटाए गए कर्मचारियों को आय सृजनकारी कौशल से युक्त बनाने के लिए सीपीएसई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम सरकार द्वारा मई, 2000 में आरंभ की गई थी। संशोधित वीआरएस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है:—

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, योजना, जो स्वयं अपने अतिरिक्त स्रोतों से इसे वहन कर सके।

वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसे इतना आकर्षक बना सकते हैं कि कर्मचारी इसका चुनाव करे। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बहरहाल, सेसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

मामूली लाभ वाले अथवा घाटा उठाने वाले/रुग्ण/अर्थअक्षम केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।

मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली/घाटा उठाने वाली रुग्ण एवं अर्थअक्षम कंपनियां निम्नलिखित मॉडल में से किसी एक को अपना सकती हैं (i) गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति का आकलन किया जाता है, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी; अथवा (ii) भारी उद्योग विभाग मॉडल (डीएचआई मॉडल) जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन+महंगाई भत्ता) अथवा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मचारी कम-से-कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60(साठ) महीने का वेतन/मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और बशर्ते यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन/मजूरी की राशि से अधिक न हो।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अर्थअक्षम या रुग्ण इकाईयों सहित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों में वीआरएस स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी संशोधित वीआरएस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। वर्तमान में हैदराबाद में स्थित एचएमटी ग्रुप ऑफ कम्पनीस की इकाईयों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) लोक उद्यम विभाग परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) स्कीम क्रियान्वित कर रहा है ताकि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और श्रमशक्ति पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पृथक हुए अधिशेष कर्मचारियों को परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्नियोजन के अवसर प्रदान किए जा सकें। कर्मचारियों के लिए पुनर्प्रशिक्षण का उद्देश्य लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें रि-आरिण्ट करना है ताकि उद्यम के बंद/पुनर्संरचना के कारण वीआरएस/वीएसएस या छटनी के कारण पृथक हुए कर्मचारी अपने आप को उस नए वातावरण को अपना सकें। इसका उद्देश्य उनको कौशल/अनुभव दिलाना है ताकि वे स्वयं के रोजगार में अपने आप को नियोजित कर सके।

[हिन्दी]

बीकानेर में सिविल एयर टर्मिनल

1632. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर में सिविल एयर टर्मिनल के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस टर्मिनल से जाने और आने के लिए विमान सेवा शुरू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सिविल एयर टर्मिनल से कथित विमान सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) बीकानेर हवाईअड्डे पर सिविल विमान टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 29 जून, 2014 को औपचारिक रूप से इस हवाईअड्डे का उद्घाटन किया गया है।

(ख) और (ग) घरेलू क्षेत्र में प्रचालनों को गैर-विनियमित किया गया है तथा सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के लिए मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों को विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

क.भ.नि.सं. के अंतर्गत वेतन की उच्चतम सीमा में वृद्धि

1633. श्री धनंजय महाडीक :
श्री राजीव सातव :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों हेतु वेतन की उच्चतम सीमा एवं न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभ के अंतर्गत शामिल होने वाले कामगारों की संभावित संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य पणधारियों से परामर्श किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ईपीएफओ के सदस्यों के लिए वैश्विक खाता संख्या आवंटित करने का भी है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कामगारों के कल्याण के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु वेतन सीमा को 6500/- रुपए से बढ़ाकर 15000/- रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव का अनुमोदित कर दिया है तथा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशनरों को 1000/- रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन का भी अनुमोदन कर दिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु वेतन सीमा को 6500/- रुपए से बढ़ाकर 15000/- रुपए प्रतिमाह करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त 50 लाख (लगभग) कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत 1000/- रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन उपलब्ध करने के परिणामस्वरूप लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 28 लाख (लगभग) है।

(ग) न्यूनतम पेंशन के साथ-साथ वेतन सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव पर त्रिपक्षीय निकायों अर्थात् पेंशन कार्यान्वित समिति तथा सरकार, कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ में चर्चा, विचार-विमर्श एवं बहस की गई है।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ के सभी अभिदाताओं को सार्वभौमिक खाता संख्या आबंटन कर रहा है।

(ङ) सरकार देश में कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर श्रम कानूनों में संशोधन करने का प्रयास करती है।

नवरत्न पीएसयू

1634. श्री फिरोज़ वरुण गांधी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को महारत्न, नवरत्न तथा मिनी रत्न आदि घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) ऐसे पीएसयू का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्तमान में 'रत्न' का दर्जा दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पीएसयू के दर्जे की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन : (क) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) इस समय, 7 महारत्न, 16 नवरत्न एवं 71 मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यम है। इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, महारत्न एवं नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा और बाद में एपेक्स समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। आईएमसी ने महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है और आईएमसी द्वारा नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की समीक्षा का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग आईएमसी की सिफारिशों के आधार पर अपने संबंधित प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करने/उससे वंचित करने के लिए सक्षम हैं। उन्हें यह अनुरोध किया गया है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम गत तीन वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन के आधार पर मिनीरत्न दर्जा प्रदान किए जाने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर रहे हैं ताकि आईएमसी द्वारा उसकी व्यापक समीक्षा की जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड

महारत्न दर्जा प्रदान करने हेतु मानदंड: निम्नलिखि मानदंड पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम महारत्न दर्जा प्रदान किये जाने के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हैं।

(i) नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो।

(ii) भारतीय स्टॉक मार्केट में, सेबी विनियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित पब्लिक शेयरधारिता के साथ सूचीबद्ध हो।

(iii) पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो।

(iv) पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल पूंजी 15,000 करोड़ रुपए से अधिक रही हो।

(v) पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात् औसत वार्षिक निवल लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो।

(vi) महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार हो।

नवरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु मानदंड: इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार, मिनीरत्न श्रेणी-I और अनुसूची 'क' केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' अथवा 'अति उत्तम' दर्जा प्राप्त किया है और जिनके पास निम्नलिखित छय चयनित कार्य-निष्पादन मानकों नामशः (i) निवल मूल्य की तुलना में निवल लाभ (ii) श्रमशक्ति लागत की तुलना में उत्पादन/सेवाओं की कुल लागत (iii) नियोजित पूंजी की तुलना में मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ, (iv) कुल कारोबार की तुलना में ब्याज और कर पूर्वलाभ (v) अर्जन प्रति शेयर और (vi) अंतर क्षेत्रीय निष्पादन में, 60 अथवा उससे अधिक के संयुक्त अंक हैं।

मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु मानदंड: केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम जिन्होंने गत तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया है और जिनका कुल निवल लाभ सकारात्मक है, मिनीरत्न दर्जा प्रदान किए जाने के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हैं।

विवरण-II

महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

1. भारत हैवली इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2. कोल इंडिया लिमिटेड
3. गेल इंडिया लिमिटेड
4. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5. एनटीपीसी लिमिटेड
6. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

1. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
4. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
5. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
7. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
8. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9. एनएमडीसी लिमिटेड
10. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

11. ऑयल इंडिया लिमिटेड
12. पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
15. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी-I — केन्द्रीय सरकारी उद्यम

1. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
2. अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड
4. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
5. बीईएमएल लिमिटेड
6. भारत संचार निगम लिमिटेड
7. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
8. सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
9. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
10. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
12. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. कामराजार पोर्ट लिमिटेड
15. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
16. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
17. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
18. एचएलएल लाईफ केयर लिमिटेड
19. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
20. हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21. हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22. इंडिया टूरिज्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
25. केआईओसीएल लिमिटेड
26. मझगांव डॉक लिमिटेड
27. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
28. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड
29. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
30. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
31. एमएमटीसी लिमिटेड
32. एमएसटीसी लिमिटेड
33. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
34. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
35. एनएचपीसी लिमिटेड
36. नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
37. नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
38. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
39. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
40. पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड
41. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड
42. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
43. रेल विकास निगम लिमिटेड
44. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
45. राइट्स लिमिटेड
46. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
47. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
48. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
49. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

50. टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

51. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

52. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

53. वापकोस लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी-II — केन्द्रीय सरकारी उद्यम

54. भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड

55. ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसलटेण्ट्स (आई) लिमिटेड

56. सेण्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

57. सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड

58. एजुकेशनल कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड

59. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

60. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड

61. फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड

62. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

63. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

64. इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन

65. इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

66. मेकॉन लिमिटेड

67. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

68. नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

69. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

70. पीईसी लिमिटेड

71. राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

भेल की सौर विद्युत परियोजना

1635. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने हाल में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उक्त एमओयू की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) भेल को उक्त परियोजना हेतु आपूर्ति किए जाने वाले संभावित उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई), सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (आरईआईएल) ने राजस्थान के सांभर में 4000 मेगावाट की संचित क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना (यूएमएसपीपी) बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर, चरणबद्ध रूप से स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाने हेतु 29 जनवरी, 2014 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सांभर में यूएमएसपीपी के नियोजित प्रथम चरण में 1000 मेगावाट और शेष 3000 मेगावाट क्षमता बाद के चरणों में विकसित की जाएगी। यह भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (एचआईएंडपीई), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) तथा विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की एक पहल है।

समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

- जेवीसी में प्रस्तावित इक्विटी भागीदारी निम्नानुसार है:
- भेज-26%, एसईसीआई-23%, एसएसएल-16%, पावरग्रिड-16%, एसजेवीएनएल-16% तथा आरईआईएल-3%।
- जेवीसी, निश्चित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निगमित की जाएगी।
- जेवीसी, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की पर्यवेक्षणाधीन होगी।
- जेवीसी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संपूर्ण ऋण की व्यवस्था करेगी।
- जेवीसी कनेक्टिविटी, विद्युत के इवेकुऐशन और ट्रांसफर के

लिए संगत विनियमों के अनुसार दीर्घकालिक/मध्यकालिक/ अल्पकालिक ओपन एक्सेस के लिए आवेदन करेगी।

जेवीसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अवसंरचना का सृजन और निर्माण करेगी।

भेल, पहले चरण (अर्थात् 1000 मेगावाट) के लिए फोटो-वोल्टेक (पीवी) की आपूर्ति करेगी और सांभर स्थित परियोजना के अनुवर्ती चरणों (अर्थात् 3000 मेगावाट) तथा अन्य परियोजनाओं के लिए सेल्स और माड्यूलों की अस्वीकृति का पहला अधिकार भी उसके पास होगा। एसईसीआई विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर करेगी, एसएसएल सभी अनापत्तियों के साथ भूमि उपलब्ध कराएगी, पावरग्रिड बिजली इवेकुएट करेगी, एसजेवीएनएल परियोजना प्रबंधन में सहायता करेगी और आरईआईएल प्रचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम) करेगी।

(ग) सांभर में परियोजना के कार्यान्वयन के पहले चरण (अर्थात् 1000 मेगावाट) के दौरान आवश्यक सभी माड्यूलों की आपूर्ति उस विशिष्ट समय पर भेल की विनिर्माणकारी क्षमता के अध्यधीन भेल द्वारा नामांकन आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, इस परियोजना के अनुवर्ती चरणों (अर्थात् 3000 मेगावाट) तथा जेवीसी द्वारा विकसित अन्य परियोजनाओं के दौरान सौर पीवी सेल और माड्यूलों की आपूर्ति की अस्वीकृति का पहला अधिकार भी भेल के पास होगा।

(घ) सभी अनुमोदनों और अनापत्तियों के प्राप्त होने की तारीख से 7 से 8 वर्ष।

[अनुवाद]

खनिजों के लिए रॉयल्टी दर

1636. श्री इदरिस अली :
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न खनिजों तथा अलौह धातुओं के लिए रॉयल्टी दर में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं रॉयल्टी दर के संशोधन में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे देश में इस्पात और कोयला क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, हां।

(ख) रॉयल्टी की दरों में संशोधन संबंधी सिफारिश करने के लिए गठित अध्ययन समूह द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया में है जिसमें क्रमशः रॉयल्टी तथा अनिवार्य किराये की दरें निर्धारित की जाती है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के परंतुक में उल्लेख है कि केंद्र सरकार, किन्हीं तीन वर्षों की अवधि के दौरान रॉयल्टी की दरों में एक से अधिक बार वृद्धि नहीं कर सकती है। एमएमडीआर अधिनियम 1957 में, प्रत्येक तीन वर्षों में रॉयल्टी की दरों में संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार के लिए अधिदेश नहीं है, जिससे कि प्रत्येक तीन वर्षों में नई दरें लागू की जा सकें।

(ग) और (घ) रॉयल्टी की दरों के प्रस्तावित संशोधन में कोयले पर रॉयल्टी की दर शामिल नहीं है। रॉयल्टी के संशोधन का इस्पात क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित परिणाम ज्ञात नहीं है।

हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना

1637. श्री सी.एस. पुट्टा राजू : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कर्नाटक सहित देश में स्थापित किए गए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के दौरान उनके द्वारा प्रोत्साहित किए गए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान एसटीपीआई और ईएचटीपी पर अलग से वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(घ) निकट भविष्य में देश में स्थापित किए जाने वाले नए एसटीपीआई और ईएचटीपी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विगत कुछ वर्षों में इस प्रकार की यूनिटों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) 12वीं योजना अवधि के दौरान ग्वालियर, मध्यप्रदेश में एक एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना की गई है। एसटीपीआई के अनुसार इस केन्द्र के तहत 3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां प्रचालनरत हैं।

कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु, मैसूर, हुबली, मंगलौर और मनिपाल में पहले से ही 5 एसटीपीआई केन्द्र मौजूद हैं। 12वीं योजनावधि के दौरान कर्नाटक में किसी भी नये एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है।

(ग) 12वीं योजना अवधि के दौरान नवीन एसटीपीआई केन्द्र के सृजन हेतु स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	केन्द्र का स्थान	डीईआईटीवाई द्वारा स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
2012-2013	आईज़ोल (मिज़ोरम)	1.5 करोड़ रुपए	शून्य
2013-2014	आईज़ोल (मिज़ोरम)	शून्य	1.5 करोड़ रुपए

(घ) संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार 15 नये एसटीपीआई केन्द्रों को अनुमोदित किया गया है और ये सभी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

(ङ) एसटीपीआई के अनुसार, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) की कुल निर्यातक इकाइयों में से लगभग 80% इकाइयां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी से संबंधित हैं। दिनांक 1.4.2011 को आयकर अधिनियम की धारा 10(क) के तहत आयकर लाभों का मिलना बंद होने के बाद पिछले 2 वर्षों के दौरान ऐसी बहुत सारी एमएसएमई, एसटीपी और ईएचटीपी इकाइयां एसटीपी और ईएचटीपी योजना से अलग हो गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातक एमएसएमई, एसटीपी और ईएचटीपी की संख्या निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14
निर्यातक एमएसएमई एसटीपी और ईएचटीपी इकाइयों की संख्या (25 करोड़ रुपए तक के निर्यात समेत)	3703	3057	2718

स्रोत: एसटीपीआई।

विवरण

अनुमोदित एसटीपीआई केन्द्रों की सूची:

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1.	सूरत	गुजरात
2.	जमशेदपुर	झारखंड
3.	देवघर	
4.	धनबाद	
5.	बोकारो	
6.	गोवा	गोवा
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश
8.	छिंदवाड़ा	
9.	जबलपुर	
10.	आइज़ोल	मिज़ोरम
11.	बालासोर	ओडिशा
12.	अमृतसर	पंजाब
13.	अगरतला	त्रिपुरा
14.	आगरा	उत्तर प्रदेश
15.	वाराणसी	

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

1638. श्री बैजयंत जे. पांडा :
श्रीमती पूनमबेन माडम :
श्री पी.पी. चौधरी :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के निर्माण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/

संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान पटना विशाखापत्तम से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) देश के विभिन्न राज्यों में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों का विकास/स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस कार्य को यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक कारकों, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर समय-समय पर किया जाता है। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भोपाल, इंदौर तथा रायपुर हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर किया है और सरकार ने इन हवाईअड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने निम्नानुसार अनुमानित परियोजना लागतों (अनुमानित) पर अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डों के रूप में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है:—

राज्य	हवाईअड्डा	रुपए करोड़ में
गोवा	मोपा	3000
केरल	कन्नूर	1800
महाराष्ट्र	नवी मुम्बई	14500
महाराष्ट्र	शिरडी	300
उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	355

(ग) जी, हां। सरकार ने गुजरात में अहमदाबाद में धोलेरा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए स्थल क्लियरेंस प्रदान की है, जिसे वर्ष 2014 में गुजरात अवसंरचना विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हिरन गांव, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित ताज अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना वर्तमान में सरकार की प्राथमिक संवीक्षा स्तर पर है।

(घ) जी, नहीं। पटना हवाईअड्डे से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आरंभ नहीं की गई है।

विवरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संबंधित सिविल इन्क्लेवों सहित अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों की सूची

क्र.सं.	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे
1	2	3
1.	असम	गुवाहाटी (एलजीबीआई)
2.	दिल्ली	आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली
3.	गुजरात	अहमदाबाद (एसवीबीपीआई)
4.	केरल	कालीकट
5.		तिरुवनंतपुरम
6.	कर्नाटक	मंगलौर
7.	महाराष्ट्र	सीएसआई हवाईअड्डा, मुम्बई
8.		नागपुर-मिहान
9.	मणिपुर	इम्फाल
10.	ओडिशा	भुवनेश्वर
11.	पंजाब	अमृतसर
12.	राजस्थान	जयपुर
13.	तमिलनाडु	चेन्नई
14.		कोयम्बटूर
15.		तिरुचिरापल्ली
16.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
17.		वाराणसी
18.	पश्चिम बंगाल	एनएससीआई हवाईअड्डा, कोलकाता
	राज्य	**अंतर्राष्ट्रीय सिविल इन्क्लेव**
19.	गोवा	गोवा

1	2	3
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
21.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर

संयुक्त उपक्रम हवाईअड्डे (कुल 03 हवाईअड्डे)

क्र.सं.	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे
1.	कर्नाटक	कैम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु
2.	तेलंगाना	राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, शमशाबाद, हैदराबाद
3.	केरल	कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा

[अनुवाद]

3जी सेवाओं की गति में बढ़ोत्तरी

1639. श्री एंटो एन्टोनी :

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा दी जा रही तीसरी पीढ़ी की थ्री जी सेवाओं की गति में बढ़ोत्तरी के लिए योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि निर्धारित और खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इंटरनेट की औसत कनेक्शन स्पीड और औसत पीक स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का भी है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सूचित किया है कि निगम अपने नेटवर्क को समुन्नत कर रहा है और पारेषण मीडिया को इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) मीडिया में बदलने का कार्य कर रहा है ताकि 3जी सेवाओं की डिलिवरी संभव हो सके। बीएसएनएल कवरेज और डाटा स्पीड में सुधार लाने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और इसके लिए निगम चरण-VII विस्तार योजना के एक भाग के रूप में अपने नेटवर्क में आईपी आधारित 10502 न्यू नोड बीएस और 14263 बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) को जोड़ रहा है। एमटीएनएल भी अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है जिसके लिए निगम दिल्ली में अपने नेटवर्क में 1080 नोड-बीएस और 800 बीटीएस और मुम्बई में 1080 नोड-बीएस और 566 बीटीएस को जोड़ रहा है। पैकेट कोर क्षमता (नेटवर्क की डाटा हैंडलिंग क्षमता) को 400 एमबीपीएस (दिल्ली) की मौजूदा क्षमता और 1.8 जीबीपीएम (मुम्बई) की क्षमता को बढ़ाकर दोनों राज्यों के लिए 10 जीबीपीएस किया जाएगा।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) भी अपनी "एचएसडीपीए (हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट ऐक्सस) 3जी नेटवर्क सर्पोटिंग डाउनलोड स्पीड ऑफ 3.6 एमबीपीएस और अपलोड स्पीड ऑफ 384 केबीपीएस टू स्पोर्ट एचएसपीए + (हाई स्पीड पैकेट एक्सेस) विद डाउललोड स्पीड ऑफ 21.1 एमबीपीएस और अपलोड स्पीड ऑफ 5.76 एमबीपीएस पर सेक्टर इन ईच नाड-बी" को समुन्नत कर रहे हैं।

बीएसएनएल और एमटीएनएल को इस प्रयोजनार्थ अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

(ग) से (च) सरकार नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) को क्रियान्वित कर रही है ताकि देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इंक्रीमेंटल आप्टिकल फाइबर बिछाई जा सके। एनओएफएन प्रत्येक ग्राम पंचायत को 100 एमबीपीएस का बैंडविड्थ प्रदान करेगी। एनओएफएन के रॉल-आऊट के मार्च, 2017 में पूरा होने की आशा है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 3जी और ब्राडबैंड बेतार अभिगम सेवाओं (बीडब्ल्यूए) के रॉल-राऊट के लिए समय-सीमा 5 वर्ष अर्थात् 2015 तक की है जिसके लिए वर्ष 2010 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी।

सरकार ने जुलाई, 2013 में ब्राडबैंक की न्यूनतम डाललोड स्पीड को 256 केबीपीएस से बढ़ाकर 512 केबीपीएस कर दिया है।

[हिन्दी]

संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए योजनाएं

1640. श्री गणेश सिंह : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस तंत्र का ब्यौरा क्या है जिसके माध्यम से उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है; और

(ग) देश में संगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं का अधिनियमन संगठित निजी क्षेत्र के कामगारों के कल्याणार्थ किया गया है:—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948

(iii) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(iv) प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961

(v) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 एवं इनके अंतर्गत बनाई गई योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वायत्त संगठन नामत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। उपर्युक्त (iii) से (iv) में उल्लिखित विधानों के संबंध में इसके अंतर्गत बनाए गए उपबंधों/नियमों के क्रियान्वयन का दायित्व केन्द्रीय क्षेत्र में नियोजित कामगारों के संदर्भ में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) पर तथा राज्यों में नियोजित कामगारों के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों पर है।

(ग) हाल ही में, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु वेतन सीमा को 6500/- रुपए से बढ़ाकर 15000/- रुपए प्रतिमाह करने का अनुमोदन किया है और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत 1000/- रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने को भी मंजूरी प्रदान की है।

साथ ही, कराबी निगम राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 12 माह (01.02.2001 से प्रभावी) की अधिकतम अवधि के लिए उन बीमित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करता है जो कारखाना/स्थापन की खाता बंदी होने पर अथवा छंटनी अथवा कार्य की असंबद्धता से उत्पन्न 40 प्रतिशत से अन्यून स्थायी अपंगता के कारण अनिच्छा से बेरोजगार हो गए हों।

[अनुवाद]

पेकयांग विमानपत्तन

1641. श्री प्रेम दास राई : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम में पेकयांग विमानपत्तन का विकास कार्य आरंभ कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को पूरा करने में कोई विलंब है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) देश में अधिक छोटे विमानपत्तन हेतु एटीआर एयरक्राफ्ट के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने एटीआर-72 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए 309.46 करोड़ रुपए की लागत से पेक्योंग, सिक्किम में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना का 83% कार्य पूरा हो गया है।

(ख) जी, हां। अनेक अवरोधों जैसे स्थल की संपर्कता, प्रतिकूल मौसम स्थितियां, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा बार-बार बंद तथा अव्यवस्था, वर्ष 2011 में भूकंप और अपने घरों को क्षति पहुंचने के कारण क्षतिपूर्ति की मांग करने वाले हवाईअड्डा परियोजना के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर आंदोलन के कारण परियोजना में 50 महीनों से अधिक का विलंब हुआ है। सिक्किम सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति तथा स्थल की सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों के समाधान के पश्चात् ही पेक्योंग हवाईअड्डा परियोजना के समापन की तिथि का अनुमान/पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

(ग) घरेलू क्षेत्र में प्रचालनों को गैर-विनियमित किया गया है तथा सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के लिए मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों को विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त नागर विमानन महानिदेशालय ने नए स्टेशनों के लिए प्रचालन आरंभ करने हेतु अनुपालन किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं जारी की हैं।

[हिन्दी]

किराए के भवनों में ईएसआई अस्पताल

1642. श्री प्रतापराव जाधव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किराए के भवनों में चलाए जा रहे कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों/औषधालयों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन किराए के भवनों पर किए गए खर्च का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इन अस्पतालों/औषधालयों से लाभान्वित श्रमिकों/कामगारों की संख्या कितनी है और उनको दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ओएनजीसी द्वारा तेल और गैस का उत्पादन

1643. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का राज्य-वार वार्षिक वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने ओएनजीसी द्वारा उनके विद्यमान तेल क्षेत्रों, जिसमें मुम्बई और असम शामिल हैं, से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत ओएनजीसी द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली निवेश की धनराशि कितनी है और मौजूदा तेल क्षेत्रों में विस्तार हेतु विदेशों में मशीनरी के प्रापण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ओएनजीसी द्वारा संचालित देश में बंद कर दिए गए तेल रिग्स/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत बेकार पड़े तेल क्षेत्रों की पुनर्सरचना के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मौजूदा तेल क्षेत्रों के माध्यम से ओएनजीसी द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को राज्य-वार किस सीमा तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) विगत तीन वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष (अप्रैल, 14 से जून, 14) के दौरान ओएनजीसी (जेवी सहित) द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का राज्य-वार वास्तविक उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकार की योजना है कि मौजूदा क्षेत्रों के साथ-साथ नए क्षेत्रों के विकास द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ओएनजीसी की सभी परिसंपत्तियों के लिए कई विकास और पुनर्विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिसमें मुंबई हाई और असम शामिल हैं।

(ग) कुल योजनाबद्ध निवेश तथा संभावित वृद्धिपरक उत्पादन सहित योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) कूपों का रुग्ण होना और इन कूपों का बंद होना तेल और गैस क्षेत्र प्रबंधन का एक नियमित क्रियाकलाप है। औसतन, गैर-प्रवाह वाले कूपों की सूची लगभग 15 प्रतिशत है किन्तु यह एक सापेक्षिक आंकड़ा है और यह क्षेत्र के प्रकार, क्षेत्र के कार्यकाल और क्षेत्र में कूपों की संख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उत्पादक कूपों का गैर-उत्पादक कूपों में तबदील होने और गैर-प्रवाह वाले तेल व गैस कूपों की मरम्मत करने की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है।

(ङ) शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के परिणामस्वरूप तेल और गैस के उत्पादन में होने वाली परिकल्पित वृद्धि संलग्न विवरण-II के कॉलम 3 में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 से 2014-15 (अप्रैल, 14 से जून, 14) के दौरान ओएनजीसी का राज्य-वार वास्तविक तेल उत्पादन

(कंडन्सेट सहित मि.मी.ट. में तेल उत्पादन)

क्षेत्र	राज्य	परिसंपत्तियां	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल, से 14 जून, 14)*
अपतट	मुंबई (महाराष्ट्र का अपतट) तथा पूर्वी अपतट	मुंबई हाई	9.976	9.550	9.648	2.447
		नीलम व हीरा	3.424	2.920	2.799	0.668
		बेस्सीन व सैटेलाइट	0.937	1.026	1.262	0.418
		कंडन्सेट#	1.952	2.077	1.806	0.396
		पूर्वी अपतट	0.038	0.044	0.026	0.003
		उप-योग अपतट	16.328	15.617	15.541	3.931
अभितट	गुजरात	अहमदाबाद	1.628	1.463	1.396	0.325
		मेहसाणा	2.322	2.280	2.310	0.586
		अंकलेश्वर	1.500	1.273	1.050	0.204
		खम्बात	0.180	0.171	0.161	0.040
		उप-योग गुजरात	5.630	5.187	4.917	1.155
	राजस्थान	जोधपुर	—	—	—	—
	असम	असम (जोरहाट सहित)	1.203	1.222	1.263	0.28768
	तमिलनाडु	कावेरी	0.246	0.239	0.226	0.061
	आंध्र प्रदेश	राजामुंद्री	0.305	0.295	0.297	0.072
	त्रिपुरा	त्रिपुरा कंडन्सेट	0.002	0.002	0.002	0.0006
		उप-योग अभितट	7.385	6.945	6.705	1.577
कुल ओएनजीसी			23.713	22.562	22.246	5.508
ओएनजीसी का संयुक्त उद्यम हिस्सा			3.213	3.565	3.747	0.945
एनईएलपी अभितट					0.001	
कुल ओएनजीसी + संयुक्त उद्यम हिस्सा			26.926	26.127	25.994	6.452

*अनंतिम आंकड़े।

#उपरोक्त दर्शाया गया कंडन्सेट उत्पादन संपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों से किया गया संयुक्त उत्पादन है।

वर्ष 2011-12 से 2014-15 (अप्रैल, 14 से जून, 14) के दौरान ओएनजीसी का राज्य-वार प्राकृतिक गैस उत्पादन

(एमएमएससीएम में)

क्षेत्र	राज्य	परिसंपत्तियां	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल, से 14 जून, 14)*
अपतट	मुंबई (महाराष्ट्र का अपतट) तथा पूर्वी अपतट	मुंबई हाई	4546	4544	4898	1243
		नीलम व हीरा	1244	1072	1122	286
		बेस्सीन व सैटेलाइट	11750	12430	11843	2770
		पूर्वी अपतट	25	56	105	4
		उप-योग अपतट	17565	18102	17968	4303
अभितट	गुजरात	अहमदाबाद	263	242	221	48
		मेहसाणा	181	183	205	57
		अंकलेश्वर	1488	1413	1108	259
		खम्बात	7	8	11	3
		उप-योग गुजरात	1939	1846	1545	367
	राजस्थान	जोधपुर	16	14	15	1
	असम	असम (जोरहाट व सिल्चर सहित)	504	485	459	116
	तमिलनाडु	कावेरी	1285	1206	1304	330
	आंध्र प्रदेश	राजामुंद्री	1364	1249	1171	275
	त्रिपुरा	त्रिपुरा	644	647	822	262
		उप-योग अभितट	5751	5447	5316	1352
कुल ओएनजीसी			23316	23549	23284	5655
ओएनजीसी का संयुक्त उद्यम हिस्सा			2191	1786	1567	382
कुल ओएनजीसी + संयुक्त उद्यम हिस्सा			25507	25335	24851	6037

*अनंतिम आंकड़े।

विवरण-II

ओएनजीसी: मुख्य विकास और पुनर्विकास परियोजनाएं

क. हाल ही में पूरी की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का लक्ष्य	पूर्णता तिथि	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	एसबी-14 फील्ड का विकास (अपतट: बीएंडएस परिसंपत्ति, मुंबई)	2025 तक कंडन्सेट का 0.197 एमएमएम3 और गैस का 1.641 बीसीएम उत्पादन	30.03.2014	410.44
2.	संशोधित तेल निकासी (आईओआर) परियोजना: रूद्रसागर (अभितटीय असम परिसंपत्ति)	2023-24 तक तेल का 2.507 एमएमटी और 0.393 बीसीएम गैस का वृद्धिपरक उत्पादन	08.03.2014	480.00
3.	बी-46 क्लस्टर फील्ड का विकास (अपतट: एमएच परिसंपत्ति, मुंबई)	2021-22 तक कंडन्सेट का 1.68 एमएमएम3 और 5.273 बीसीएम गैस का उत्पादन	14.05.2014	4156.96
4.	मुंबई उच्च दक्षिण पुनर्विकास फेज-II (अपतट: एमएच परिसंपत्ति, मुंबई)	2029-30 तक 20.7 एमएमटी तेल और 3.32 बीसीएम गैस का उत्पादन। वर्ष 2009 में परियोजना की समीक्षा की गई है। संशोधित लक्ष्य — 2029-30 तक तेल का 18.31 एमएमटी और 2.70 बीसीएम गैस का वृद्धिपरक उत्पादन	30.04.2014	8813.41
5.	मुंबई उच्च उत्तर पुनर्विकास फेज-II (अपतट: एमएच परिसंपत्ति, मुंबई)	2029-30 तक 17.35 एमएमटी तेल और 2.98 बीसीएम गैस का वृद्धिशील उत्पादन	30.04.2014	7133.39
6.	बीएचई का विकास (अपतट: एमएच परिसंपत्ति, मुंबई)	8 वर्ष से अधिक की अवधि में कच्चे तेल और कंडन्सेट का 0.422 एमएमटी और गैस का उत्पादन	28.02.2014	372.11
ख.	**वर्तमान में चल रही परियोजनाएं**			
1.	बी-193 क्लस्टर फील्डों का विकास (अपतट: बीएंडएस परिसंपत्ति, मुंबई)	2023-24 तक 5.57 एमएमटी तेल, 0.75 एमएमटी कंडन्सेट और 5.12 बीसीएम गैस का 0.529 बीसीएम उत्पादन	31.05.2015	6000.00
2.	क्लस्टर-7 फील्डों का विकास (अपतट: एमएच परिसंपत्ति, मुंबई)	16 वर्ष से अधिक की अवधि में कच्चे तेल और कंडन्सेट का 9.73 एमएमटी और गैस का 4.52 बीसीएम उत्पादन	30.11.2014	6638.94

1	2	3	4	5
3.	डब्ल्यूओ-16 क्लस्टर फील्डों का विकास (अपतट: एमएच परिसंपत्ति, मुंबई)	वर्ष 2025-26 तक कच्चे तेल और कंडन्सेट का 2.83 एमएमटी और गैस का 8.58 बीसीएम उत्पादन	31.12.2015	2523.00
4.	बी-127 क्लस्टर फील्डों का एकीकृत विकास (अपतट: एमएच परिसंपत्ति, मुंबई)	परियोजना समापन (बी-127 से) 10 वर्ष की अवधि में बी-127 से कच्चे तेल और कंडन्सेट का 1.836 एमएमटी और गैस का 2.093 बीसीएम उत्पादन परियोजना समापन (बी-55 से) 13 वर्ष की अवधि में बी-55 से कंडन्सेट का 0.155 एमएमटी और गैस का 2.583 बीसीएम उत्पादन	31.03.2015	2665.65
5.	सी-26 क्लस्टर फील्डों का विकास (अपतट: बीएंडएस परिसंपत्ति, मुंबई)	वर्ष 2024-25 तक कंडन्सेट का 0.644 एमएमएम3 और गैस का 5.94 बीसीएम उत्पादन	31.05.2015	2592.17
6.	बी-173ए फील्डों की संशोधित तेल निकासी (अपतट: एनएंडएच परिसंपत्ति, मुंबई)	वर्ष 2025-26 तक तेल का 0.567 एमएमटी और गैस का 0.071 बीसीएम उत्पादन	31.12.2014	352.49
7.	एमएच दक्षिण फील्ड की पश्चिमी परिधि का विकास (अपतट: एमएच परिसंपत्ति, मुंबई)	परियोजना से वर्ष 2029-30 तक के 1.031 एमएमटी तेल और गैस के 0.214 बीसीएम वृद्धिपरक उत्पादन होने की उम्मीद है।	31.12.2014	600.17
8.	हीरा और दक्षिण हीरा पुनर्विकास-II (अपतट: एनएंडएच परिसंपत्ति, मुंबई)	वर्ष 2034-35 तक 13.36 एमएमटी तेल और 1.665 बीसीएम गैस का वृद्धिशील उत्पादन	31.05.2015	5608.40
9.	बस्सीन फील्ड का एकीकृत विकास (अपतट: बीएंडएस परिसंपत्ति, मुंबई)	वर्ष 2026-27 तक 14.41 बीसीएम गैस का वृद्धिशील उत्पादन	29.02.2016	3513.07
10.	जी-1 एवं जीएस-15 फील्डों का एकीकृत विकास (अपतट: पूर्वी अपतट परिसंपत्ति, काकिनाडा)	परियोजना समापन से 15 वर्ष की अवधि तक 0.982 एमएमटी तेल और 5.92 बीसीएम गैस का वृद्धिपरक उत्पादन	30.06.2015	3436.90
11.	सी सीरीज फील्डों का विकास (सी-24 कलस्टर विकास के रूप में नामकरण) (अपतट: बीएंडएस परिसंपत्ति, मुंबई)	वर्ष 2024-25 तक कंडन्सेट का 2.166 एमएमएम3 और गैस का 10.771 बीसीएम उत्पादन	31.05.2015	3690.37
12.	बी-22 कलस्टर का विकास (अपतट: बीएंडएस परिसंपत्ति, मुंबई)	वर्ष 2019-20 तक 2.46 एमएमटी तेल, 1.13 एमएमटी कंडन्सेट और 6.56 बीसीएम गैस का उत्पादन	31.12.2015	2920.82

1	2	3	4	5
13.	डी-1 फील्ड का अतिरिक्त विकास (अपतट: बीएंडएस परिसंपत्ति, मुंबई)	वर्ष 2024-25 तक 8.296 एमएमटी तेल का वृद्धिपरक उत्पादन	30.05.2015	2331.62
14.	मड लाइन संबंधी कार्यों की पूर्णता के माध्यम से पूर्वी अपतट में उथले कूपों का विकास	समापन से 10 वर्ष की अवधि में परियोजना से 1.702 बीसीएम गैस का उत्पादन होने की उम्मीद है।	30.04.2015	284.82
15.	वरिष्ठ एवं एस-1 फील्डों का एकीकृत विकास	समापन से 09 वर्ष की अवधि तक परियोजना से 15.96 बीसीएम गैस के उत्पादन होने की उम्मीद है।	30.04.2016	4124.35
16.	एनबीपी (डी-1) फील्ड के एनबीपी-14 ब्लॉक में लोवर पेज का विकास	वर्ष 2029-30 तक 2.51 एमएमटी तेल का वृद्धिपरक उत्पादन	31.10.2014	429.06
17.	वसई पूर्व का अतिरिक्त विकास (पश्चिमी अपतट: बीएंडएस परिसंपत्ति, मुंबई)	2029-30 तक तेल का 1.827 एमएमटी और गैस का 1.971 बीसीएम वृद्धिपरक उत्पादन	31.12.2018	2476.82

[अनुवाद]

हेलिपैड परियोजनाएं

1644. श्री बी.वी. नाईक : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मौजूदा हेलिपैडों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से उनके राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में हेलिपैड के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन हेलिपैड परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : (क) देश में 27 अनुमोदित हेलीपैड हैं। राज्य-वार हेलीपैड का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) हेलीपैड के प्रचालनात्मक प्राधिकार हेतु स्थल अनुमोदन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त अनुरोध एवं उसकी स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि हेलीपैड का प्रचालनात्मक प्राधिकार आवेदकों द्वारा संरक्षा और प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद प्रदान किया जाता है।

विवरण-I

अनुमोदित हेलीपैड की सूची

सरफेस हेलीपैड

1. सुवाली, सूरत, गुजरात
2. रावा, आंध्र प्रदेश
3. धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी), मुंबई, महाराष्ट्र
4. रिलायंस केमिकल प्रा. (आरसीपी), मुंबई, महाराष्ट्र
5. रिलायंस इंडिया लिमिटेड (आरआईएल), मुंबई, महाराष्ट्र
6. गादीमोंगा, आंध्र प्रदेश
7. फाटा, उत्तराखंड (3 हेलीपैड)
8. केदारनाथ, उत्तराखंड
9. अगस्तमुनि, उत्तराखंड
10. बद्रीनाथ, उत्तराखंड

11. गुप्तकाशी, उत्तराखंड (3 हेलीपैड)

12. सिरसी, उत्तराखंड

13. कटरा, जम्मू और कश्मीर

14. सांझीछत, जम्मू और कश्मीर

15. अमरनाथ, जम्मू और कश्मीर

16. बालटाल, जम्मू और कश्मीर

17. पंचतरणी, जम्मू और कश्मीर

18. पहलगाम, जम्मू और कश्मीर

19. नेहरू प्लेस, जम्मू और कश्मीर

20. गिरनार हिल्स, जूनागढ़, गुजरात

21. माजरी हेलीपैड, पुणे, महाराष्ट्र

22. नीलग्रथ, जम्मू और कश्मीर (हेलीपैड)

23. कल्याण ज्वैलर्स, त्रिशूर, केरल

रूफटॉप हेलीपैड

1. ताज वेलिंगटन मेव्स, मुंबई, महाराष्ट्र

2. एस्सार मुंबई, महाराष्ट्र

3. ओबेराय वेस्टिन, मुंबई, महाराष्ट्र

4. आईटीसी गार्डेनिया होटल, बेंगलुरु, कर्नाटक

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	हेलीपैड के नाम	स्थान	अनुमोदित/अनुमोदित नहीं
1	2	3	4	5
		2011		
1.	उत्तराखंड	भिलांगना हाइड्रो पावर लिमिटेड	टिहरी गढ़वाल	अनुमोदित नहीं
2.	महाराष्ट्र	ऑक्सफोर्ड सरफेस हेलीपैड	पुणे	अनुमोदित नहीं
3.		अलीबाग मांडवा	रायगढ़	अनुमोदित नहीं
4.	कर्नाटक	मेदेनहल्ली हेलीपैड	मंड्या	अनुमोदित नहीं
5.	जम्मू और कश्मीर	भ्रदवाह हेलीपैड	भद्रवाह	अनुमोदित नहीं
6.	मेघालय	शिलांग हेलीपैड	शिलांग	अनुमोदित नहीं
7.	हिमाचल प्रदेश	उदयपुर हेलीपैड	लाहौल एवं स्पीति	अनुमोदित नहीं
8.	उत्तर प्रदेश	वृंदावन में कोसदा मंदाकिनी	वृंदावन	अनुमोदित नहीं
9.	पंजाब	गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर	अमृतसर	अनुमोदित नहीं
		2012		
10.	महाराष्ट्र	फिरांगबारी	अलीबाग	अनुमोदित नहीं
11.		रेमेण्ड्स लिमिटेड हेलीपैड	मुंबई	अनुमोदित नहीं

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	जेएसएस अस्पताल हेलीपैड	मैसूर	अनुमोदित नहीं
13.	असम	दीमा हसाओ हेलीपैड	हाफलोंग	अनुमोदित नहीं
14.	केरल	पैरूनाद हेलीपैड		अनुमोदित नहीं
15.	दिल्ली	आईएलबीएस वसंत कुंज	नई दिल्ली	अनुमोदित नहीं
		2013		
16.	राजस्थान	निवाई	निवाई	अनुमोदित नहीं
17.	केरल	कल्याण ज्वैलर्स, त्रिशूर	त्रिशूर	अनुमोदित
		2014		
18.	महाराष्ट्र	कलपतरू हेलीपैड	बानेर, पुणे	अनुमोदित नहीं
19.		क्वींस गार्डन	पुणे	अनुमोदित नहीं

तेलंगाना में तांबे का खनन

1645. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना राज्य के कोठागुडम और सत्तुपल्ली क्षेत्रों में तांबे के खनन के लिए कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में तांबे के खनन के लिए योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्रों में तांबे का खनन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) वर्तमान में, तेलंगाना राज्य के कोठागुडम तथा सत्तुपल्ली क्षेत्रों में कॉपर खनन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मैसर्स आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीएमडीसी) ने आंध्र प्रदेश सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त करके 1976 में खम्माम जिले के कोठागुडम शहर से लगभग 25 कि.मी. दूर माइलरम गांव में कॉपर खनन शुरू किया तथा 1982 में परियोजना पूरी की जिसमें खानों से 100 टन कॉपर अयस्क की उत्पादन की क्षमता तथा 25 प्रतिशत कॉपर वाले 4-5 टन सांद्र को प्रोसेस करने की क्षमता थी। खान ने 1981-82 से 1987-88 तक 16,000 टन कॉपर अयस्क तथा 408.885 टन कॉपर सांद्र का उत्पादन किया। एपीएमडीसी, 18.05.1987 से खान और संयंत्र का प्रचालन नहीं कर रही है, जिसका कारण उन्होंने गंभीर वित्तीय समस्या बताया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ई-शिक्षा योजना का कार्यान्वयन

1646. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के लोगों के लिए ई-शिक्षा संबंधी किसी योजना को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ई-शिक्षा को रोजगारोन्मुख कार्यक्रम के रूप में बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस योजना को चलाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को आवश्यक समर्थन और पृष्ठभूमि प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) ई-शिक्षा संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सहायता प्राप्त प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:—

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा सहायता प्राप्त योजनाएं।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसई एंड एल), एमएचआरडी

- डीएसई एंड एल ने सूचित किया है कि उसने दिसम्बर, 2004 में कम्प्यूटर समर्थित अधिगम को बढ़ावा देने और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन और अधिगम के लिए आईसीटी के इस्तेमाल हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना को 2010 में संशोधित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 88230 विद्यालयों को शामिल करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। डीएसई एंड एल ने स्कूली शिक्षा के लिए भी एक आईसीटी नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य ज्ञान समाज की स्थापना, उसे बनाए रखने और उसकी वृद्धि में रचनात्मक रूप से भागीदारी तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए युवाओं को तैयारा करने हेतु आईसीटी का इस्तेमाल बढ़ाना है।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई), एमएचआरडी

- डीएचई ने सूचित किया है कि उसने 2009 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) शुरू किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, ई-सूचना सामग्री और कम लागत वाले अभिगम उपकरण तैयार करना है। देश के 403 विश्वविद्यालयों और 20887 से अधिक महाविद्यालयों को एनएमईआईसीटी से जोड़ा गया है। प्रौद्योगिकी उन्नति अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीटीईएल) के अंतर्गत इंजीनियरी और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में 1000 से अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। यूजीसी द्वारा 77 परा-स्नातक (पीजी) विषयों के लिए ई-सूचना सामग्री तथा शैक्षणिक संचार कंसोर्टियम (सीईसी) द्वारा अपने मीडिया केंद्रों के सहयोग से 87 स्नातक (यूजी) विषय तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 770 प्रयोगों को शामिल करते हुए 9 इंजीनियरी, विज्ञान की शाखाओं में 125 से अधिक आभासी प्रयोगशालाएं इस्तेमाल के लिए तैयार और उपलब्ध हैं 1500 से अधिक ऑनलाइन पाठ (स्पोकन ट्यूटोरियल्स) उपलब्ध हैं। शिक्षा शास्त्र और अध्यापकों के सशक्तिकरण से संबंधित बहुत सी अन्य परियोजनाएं प्रगति पर हैं। अभी हाल ही में प्राप्त किए गए आवश्यक अनुमोदन से अब तक तैयार की गई ई-सूचना सामग्री की प्रसारण हेतु 50 डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) चैनल शुरू करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

- एनएमईआईसीटी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त "विद्वतापूर्ण सूचना सामग्री के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा अवसरंचना (एनएलआईएसटी)" शैक्षणिक संस्थानों को विद्वतापूर्ण सचूना सामग्री का अभिगम प्रदान करती हैं इस कार्यक्रम के तहत इंजीनियरी, प्रबंधन, चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी और दंत चिकित्सा की शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों को छोड़कर सभी स्नातक महाविद्यालयों को 6000 से अधिक ई-जर्नल और 97000 ई-पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं।

(iii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा सहायता प्राप्त योजनाएं

- डीईआईटीवाई ई-अधिगम के क्षेत्र में टूल और प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। इस प्रयास के भाग के रूप में कई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:—

  — **बृहस्पति अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस)** का विकास आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है। यह एक मुक्त स्रोत एलएमएस है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल लगभग 250 संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

  — **ई-शिक्षक** का विकास सी-डैक, हैदराबाद द्वारा किया गया है। ई-शिक्षक एक सामान्य उद्देश्य वाली अधिगम प्रबंध प्रणाली है। वर्तमान में

इसका इस्तेमाल लगभग 14 संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

— **ऑनलाइन प्रयोगशालाएं (ओलेब्स)** का विकास सी-डैक, मुंबई और अमृता विश्वविद्यालय, कोल्लाम द्वारा किया गया है। यह सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए एक आभासी ऑनलाइन प्रयोगशाला है। इसमें सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के प्रयोगों को शामिल किया गया है। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के अलावा जीव विज्ञान और गणित विषयों के लिए भी ऑनलाइन प्रयोगशालाओं का विकास जारी है। इसके अलावा, ओलेब्स की सूचना सामग्री मराठी, हिन्दी और मलयालम में भी उपलब्ध करायी जा रही है।

- **नाइलिट :** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट), डीईआईटीवाई की एक स्वायत्त संस्था, ने कम्प्यूटर संकल्पनाओं पर पाठ्यक्रम (सीसीस) में ई-अधिगम कार्यक्रम डिजाइन और शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आधारभूत स्तर का आईटी कौशल प्रदान करना है। कई राज्य सरकारों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड आदि में समूह क/ख कर्मचारियों के सरकारी नियोजन के लिए सीसीसी अधिप्रमाणन को एक पूर्व अर्हता के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह पाठ्य सामग्री 22 भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन उपलब्ध है।

- जारी कार्यक्रमों के अलावा सरकार ने **'डिजिटल इंडिया'** नामक एक अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें ग्राम स्तर तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और आईटी समर्थित प्लेटफार्मों के जरिए उन्नत सेवा अभिगम शामिल होगा। यह देश में ई-शिक्षा की पहुंच को सुकर बनाएगा।

- **आईटी जन साक्षरता :** सरकार ने डिजिटल साक्षरता पर भी एक योजना अनुमोदित की है, जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को ई-साक्षर बनाया जाना है। इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षु की आवश्यकता के अनुरूप आईटी प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो उन्हें अपनी आजीविका चलाने और रोजगार के लिए आईटी और संबंधित अनुप्रयोगों के इस्तेमाल में लाभार्थियों को सक्षम बनाती है। आरंभ में इस योजना का उद्देश्य 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है।

[अनुवाद]

स्व-रोजगार

1647. श्री भीमराव बी. पाटील : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नियमित रोजगार और स्व-रोजगार प्रदान किया गया/जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जरूरतमंदों को प्रदान किए गए नियमित और स्व-रोजगार का तेलंगान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए मैजूदा तंत्र का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रतिवर्ष रोजगार से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 2009-10 एवं 2011-12 के एनएनएसओ सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित रोजगार एवं स्व-रोजगार का प्रतिशत विवरण नीचे दिया गया है:—

(प्रतिशत में)

वर्ष	नियमित रोजगार		स्व-रोजगार	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
2009-10	7.3	41.4	54.2	41.1
2011-12	8.8	43.4	55.9	42.0

नियमित एवं स्व-रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) देश में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति का निर्धारण राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षणों, जैसा कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण, द्वारा किया जाता है। श्रम ब्यूरो भी रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक सर्वेक्षण करता है जिनमें देश में रोजगार स्थिति का ब्यौरा दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया नियोजन निम्नानुसार है:—

वर्ष	पंजीकरण (लाख में)	नियोजन (लाख में)
2010	61.86	5.10
2011	62.06	4.72
2012	97.22	4.28

ये आंकड़े पंजीकरण में वृद्धि दर्शाते हैं परंतु रोजगार चाहने वालों के नियोजन में वृद्धि नहीं हो रही है। सरकार ने प्रौद्योगिकी, के प्रयोग के माध्यम से एक पारदर्शक एवं प्रभावी ढंग से रोजगार चाहने वालों को अन्य रोजगार संबंधी सहायता के साथ-साथ परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों के सहयोग से रोजगार कार्यालयों को आजीविका केन्द्रों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है जो आवाधिक रिपोर्टें प्रदान करेंगे।

विवरण

2009-10 एवं 2011-12 के दौरान देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति आधार पर नियमित रोजगार एवं स्व-रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा

(प्रतिशत में)

राज्य	2009-10				2011-12			
	नियमित रोजगार		स्व-रोजगार		नियमित रोजगार		स्व-रोजगार	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	6.9	44.8	40.8	36.7	8.0	46.7	46.7	37.6
अरुणाचल प्रदेश	15.4	51.8	80.9	41.5	12.0	53.1	82.0	35.6
असम	9.4	43.8	70.5	49.0	11.7	36.5	70.0	53.8
बिहार	3.2	21.7	51.6	61.4	4.0	22.1	52.0	60.5
छत्तीसगढ़	4.6	39.2	38.8	35.2	4.1	36.2	58.2	35.1
दिल्ली	59.6	54.9	7.7	43.1	79.8	61.4	19.3	34.7
गोवा	62.9	67.2	27.1	23.8	55.6	65.3	28.3	27.9
गुजरात	6.7	41.3	55.3	42.8	10.3	49.5	57.0	41.7
हरियाणा	16.3	51.3	60.9	36.2	14.0	49.4	61.8	40.6
हिमाचल प्रदेश	14.3	48.7	70.8	39.0	14.1	60.6	71.1	30.3
जम्मू और कश्मीर	14.6	43.0	73.5	46.8	15.3	40.9	63.0	48.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	5.1	38.7	64.0	36.7	4.3	38.0	68.6	43.7
कर्नाटक	6.4	39.4	46.3	38.3	11.8	44.9	52.0	39.4
केरल	19.4	34.2	39.8	34.1	17.8	35.8	38.2	36.4
मध्य प्रदेश	4.7	34.5	53.5	45.7	4.9	34.8	60.0	48.3
महाराष्ट्र	6.9	54.5	48.7	33.4	8.8	54.5	53.7	36.2
मणिपुर	11.5	27.3	75.6	69.2	12.1	22.0	65.8	73.0
मेघालय	9.3	54.4	59.0	26.7	10.2	50.0	71.0	35.9
मिज़ोरम	8.7	31.9	85.2	58.2	9.3	39.8	82.5	52.3
नागालैंड	14.0	47.3	83.3	50.8	12.9	54.0	85.6	42.9
ओडिशा	6.3	36.2	55.8	41.1	6.7	34.6	62.4	51.2
पंजाब	11.8	42.7	58.1	41.8	17.0	47.8	54.9	44.6
राजस्थान	5.8	36.2	69.1	48.6	6.8	38.7	67.5	45.4
सिक्किम*	26.6	55.5	60.5	44.1	15.5	58.2	79.6	38.3
तमिलनाडु	9.9	39.9	33.3	32.5	14.0	43.4	29.9	34.4
त्रिपुरा	9.9	46.9	43.5	38.2	8.0	44.5	41.3	39.2
उत्तराखंड	8.3	36.4	75.0	45.0	11.3	40.0	74.0	51.5
उत्तर प्रदेश	4.6	30.2	69.6	53.0	5.9	28.7	66.9	54.6
पश्चिम बंगाल	8ए4	37.0	46.3	48.1	8.7	38.0	46.4	45.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36.7	66.6	49.3	14.6	39.4	58.1	45.8	18.5
चंडीगढ़	70.0	62.5	11.3	28.2	59.3	55.9	20.3	37.3
दादरा और नगर हवेली	13.3	73.0	48.5	25.2	48.0	81.5	39.1	16.3
दमन और दीव	35.6	38.9	19.7	37.1	88.9	53.8	9.6	35.5
लक्षद्वीप	29.5	39.4	44.6	46.5	41.9	42.4	17.1	35ए4
पुदुचेरी	15.6	54.8	24.6	25.0	30.0	54.9	27.0	23.7
अखिल भारत	7.3	41.4	54.2	41.1	8.8	43.4	55.9	42.0

स्रोत: एनएसएसओ सर्वेक्षण रिपोर्ट।

[हिन्दी]

मोबाइल सेवाओं का प्रावधान

1648. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सभी पिछड़े ब्लॉक मुख्यालयों को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश, विशेषरूप से महाराष्ट्र में जहां मोबाइल सेवाएं उपलब्ध हैं, इस प्रकार के ब्लॉकों की संख्या कितनी है और उन ब्लॉकों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें मोबाइल सेवाओं से जोड़ा जाना बाकी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 6506 ब्लॉक मुख्यालयों में से 6408 ब्लॉक मुख्यालयों को कवर कर लिया है और 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार जिन जिला मुख्यालयों में मोबाइल सेवा प्रदान कर दी गई है, उनका राज्य/सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। महाराष्ट्र में सभी ब्लॉक मुख्यालयों (बीएचक्यू) को मोबाइल सेवाओं से जोड़ दिया गया है। शेष ब्लॉक मुख्यालयों को बीएसएनएल द्वारा तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता/तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर उत्तरोत्तर शामिल किया जाएगा।

विवरण

मई, 2014 की स्थिति के अनुसार मोबाइल सेवाओं द्वारा शामिल किए गए ब्लॉक मुख्यालय

क्र. सं.	सर्किल	कुल ब्लॉक मुख्यालय	शामिल किए गए ब्लॉक मुख्यालय	शामिल नहीं किए गए ब्लॉक मुख्यालय
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	9	—
2.	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश	1126	1126	—
3.	असम	219	214	5
4.	बिहार	534	534	—
5.	छत्तीसगढ़	146	146	—
6.	गुजरात	226*	226*	—
7.	हरियाणा	116	116	—
8.	हिमाचल प्रदेश	75	75	—
9.	जम्मू और कश्मीर	143	125	18
10.	झारखंड	260	233	27
11.	कर्नाटक	180	180	—
12.	केरल	152	152	—
13.	मध्य प्रदेश	313	313	—
14.	गोवा सहित महाराष्ट्र	358	358	—

1	2	3	4	5
15.	उत्तर-पूर्व-I (मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा)	110	110	—
16.	उत्तर-पूर्व-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	177	140	37
17.	ओडिशा	314	314	—
18.	पंजाब	143	143	—
19.	राजस्थान	237	237	—
20.	चेन्नई टीडी सहित तमिलनाडु	389	389	—
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	575	575	—
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	238	227	11
23.	उत्तराखंड	95	95	—
24.	कोलकाता टीडी और सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	371	371	—
	कुल	6506	6408	98

*नोट-गुजरात सर्किल में कोई भी ब्लॉक मुख्यालय (बीएचक्यू) नहीं है। तथापि गुजरात सर्किल में सभी 226 तालुका मोबाइल सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

नए पेट्रोल पम्प/एलपीजी एजेंसियां

1649. श्री निशिकांत दुबे :
श्री राजू शेट्टी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में खोले गए पेट्रोल पम्प आउटलेट/गैस एजेंसियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/तेल विपणन कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही मांग को देखते हुए नए पेट्रोल पम्प आउटलेट/गैस एजेंसियों को खोलने पर विचार/जांच किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड/दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में उन क्षेत्रों जिनमें ऐसी सुविधा नहीं है को विशिष्ट संदर्भों में नए पेट्रोल पम्प आउटलेट/गैस एजेंसियों की स्थापना में सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) संबंधित विपणन कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खोले गए पेट्रोल पम्प बिक्री केन्द्र/गैस एजेंसियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I(क) पेट्रोल पम्पों के संबंध में और संलग्न विवरण-I(ख) गैस एजेंसियों के संबंध में, दिए गए हैं।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान नए पेट्रोल पम्पों/गैस एजेंसियों को खोलने के लिए विचार किए गए/छानबीन किए गए मामलों की कुल संख्या संलग्न विवरण-II(क) पेट्रोल पम्पों के संबंध में और विवरण-II(ख) गैस एजेंसियों के संबंध में, में दी गई है।

तेल विपणन कंपनियों ने बताया है कि वर्तमान में नए पेट्रोल खुदरा

बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विस्तृत बेंचमार्क मात्राओं पर विचार किया जाता है:—

बाजार श्रेणी	बेंचमार्क मात्रा (कि.ली./प्र.मा.)
क एवं ख श्रेणी के शहर	150
ग श्रेणी के कस्बे (ग्रामीण को छोड़कर) और राज्य राजमार्ग (एसएच)	100
राष्ट्रीय राजमार्ग	150
ग्रामीण	25

मौजदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप को तभी व्यवहार्य माना जाता है यदि डिस्ट्रीब्यूटर चालू होने के चौथे वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न प्रकार के बाजारों के लिए रिफिल बिक्री संभाव्यता निम्नवत् हो:—

बाजार की श्रेणी	रिफिल की अधिकतम मासिक सीमा	नए डिस्ट्रीब्यूटर के नियोजन के लिए मासिक रिफिल बिक्री संभव्यता
कस्बे < 10 लाख जनसंख्या	8800	4400*
10 लाख से 20 लाख तक की जनसंख्या	11000	5500*
20 से 40 लाख तक की जनसंख्या	13200	6600*
जनसंख्या > 40 लाख	16500	8250*

*संबंधित बाजार के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की तारीख को प्रचलित 50% की यथा लागू अधिकतम सीमा मानी गई है।

(ग) केन्द्र सरकार नए पेट्रोल पम्प खुदरा बिक्री केन्द्रों/गैस एजेंसियां स्थापित करने के लिए कोई व्यय नहीं करती।

विवरण-I(क)

पिछले तीन वर्षों एवं गत वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/तेल वितरण कम्पनी-वार चालू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	आईओसीएल				बीपीसीएल				एचपीसीएल			
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अप्रैल-जून	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अप्रैल-जून	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अप्रैल-जून
1	2	3	4	5	6	7	8	.9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	124	202	115	6	135	142	74	1	169	168	88	7
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
असम	11	9	22	1	17	68	5	0	6	4	7	1
बिहार	86	124	84	1	94	70	34	3	51	43	53	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	32	82	69	3	29	14	19	0	40	39	24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
गोवा	3	0	0	0	2	1	2	0	0	0	2	0
गुजरात	51	109	79	8	39	83	63	8	55	62	47	2
हरियाणा	57	77	128	16	32	20	21	0	82	66	40	1
हिमाचल प्रदेश	19	0	1	1	2	1	0	0	11	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	7	15	6	0	7	13	8	4	4	5	8	0
झारखंड	38	52	12	0	41	51	23	2	9	8	6	0
कर्नाटक	161	121	202	8	103	105	107	8	44	23	59	2
केरल	17	23	35	4	20	14	12	2	14	8	8	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	52	113	144	13	93	81	73	12	80	87	43	10
महाराष्ट्र	58	157	181	18	101	184	145	9	112	145	91	9
मणिपुर	1	6	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0
मेघालय	1	2	3	2	2	20	2	0	0	2	0	0
मिज़ोरम	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	33	73	51	2	44	48	14	0	25	22	17	1
पुदुचेरी	5	3	1	0	0	2	3	0	0	1	0	0
पंजाब	53	106	43	2	10	14	20	1	62	43	18	1
राजस्थान	62	96	115	8	37	62	48	9	54	57	64	1
सिक्किम	0	1	1	0	2	6	0	0	1	1	0	0
तमिलनाडु	111	209	120	2	113	169	89	11	77	79	40	2
त्रिपुरा	2	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर प्रदेश	143	244	237	25	89	87	5	3	86	63	43	2
उत्तराखंड	6	11	12	0	6	7	84	1	15	7	6	0
पश्चिम बंगाल	67	64	41	5	28	51	29	1	25	16	15	0
योग	1205	1910	1717	125	1046	1327	882	75	1025	952	680	40

विवरण-I(ख)

पिछले तीन वर्षों एवं गत वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/तेल वितरण कम्पनी-वार चालू की गई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का ब्यौरा

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	आईओसीएल				बीपीसीएल				एचपीसीएल			
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अप्रैल-मई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अप्रैल-मई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अप्रैल-- मई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	70	29	23	2	38	13	9	0	26	5	15	0
अरुणाचल प्रदेश	0	5	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
असम	10	11	32	1	3	5	3	0	2	4	2	0
बिहार	36	45	71	10	26	37	24	1	29	31	28	4
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	4	12	15	2	1	2	9	2	4	6	11	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	9	13	5	1	1	12	2	3	7	5	5	0
हरियाणा	1	28	18	1	3	11	11	0	1	9	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हिमाचल प्रदेश	7	3	6	2	0	0	2	2	1	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	2	1	8	0	0	0	2	0	1	2	2	0
झारखंड	22	14	33	9	12	12	3	0	13	11	12	0
कर्नाटक	24	21	39	5	8	10	30	2	7	17	21	3
केरल	4	10	9	4	2	7	8	0	1	8	10	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	19	39	55	3	2	22	38	11	5	27	32	4
महाराष्ट्र	34	24	22	3	46	17	34	3	48	36	24	11
मणिपुर	3	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
मिज़ोरम	5	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	1	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
ओडिशा	9	39	4	5	7	10	20	1	16	12	23	3
पुदुचेरी	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
पंजाब	14	22	23	0	1	17	25	4	2	13	8	2
राजस्थान	36	35	30	8	19	24	16	4	32	18	36	2
सिक्किम	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	49	65	31	4	10	28	23	4	22	15	19	0
त्रिपुरा	5	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	98	81	96	10	21	49	145	26	41	57	60	13
उत्तराखंड	2	6	1	0	1	4	1	1	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	39	36	33	4	8	17	12	0	5	20	5	0
तेलंगाना								0				
योग	505	564	584	76	212	299	418	64	264	297	314	42

विवरण-II(क)

पिछले तीन वर्षों एवं गत वर्ष के दौरान पेट्रोल पम्पों के साक्षात्कार के मामलों का ब्यौरा

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	आईओसीएल				बीपीसीएल				एचपीसीएल			
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अप्रैल-जून	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अप्रैल-जून	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अप्रैल-जून
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	219	209	0	0	241	351	0	0	329	38	13	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	1	6	2	0	25	8	0	0	48	0	0	0
बिहार	181	240	1	0	151	119	0	0	84	137	1	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	52	277	0	0	54	47	22	0	51	75	0	0
दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
दिल्ली	4	0	0	0	5	0	13	0	0	0	0	0
गोवा	0	12	0	0	6	7	0	0	8	0	0	0
गुजरात	187	229	7	0	192	226	229	0	106	64	18	7
हरियाणा	196	434	0	0	75	104	0	0	47	58	0	0
हिमाचल प्रदेश	81	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	33	10	0	0	15	55	0	0	19	0	0	0
झारखंड	73	45	0	0	54	85	0	0	63	0	0	0
कर्नाटक	691	398	0	0	134	273	0	0	232	1	0	0
केरल	164	71	0	0	30	33	1	0	35	0	1	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य प्रदेश	283	449	1	0	199	181	50	0	347	0	10	0
महाराष्ट्र	239	585	116	0	394	455	0	0	433	83	9	0
मणिपुर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघायल	0	2	0	0	3	4	0	0	4	0	0	0
मिज़ोरम	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	109	152	17	0	58	108	0	0	45	59	0	0
पुदुचेरी	11	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0
पंजाब	233	79	0	0	23	79	0	0	81	0	0	0
राजस्थान	365	367	1	0	166	153	179	0	193	76	16	0
सिक्किम	0	5	0	0	5	10	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	495	0	0	0	202	265	0	0	204	90	0	0
त्रिपुरा	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	465	663	0	0	273	353	57	0	45	194	60	0
उत्तराखंड	48	89	0	0	27	17	5	0	21	4	0	0
पश्चिम बंगाल	91	147	0	0	149	78	0	0	35	34	0	0
योग	4223	4444	145	0	2494	3011	556	0	2436	918	128	7

विवरण-II(ख)

पिछले तीन वर्षों एवं गत वर्ष के दौरान चालू की गई गैस एजेंसियों के साक्षात्कार के मामलों के ब्यौरे

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	आईओसीएल				बीपीसीएल				एचपीसीएल			
	अप्रैल-मई 14	2013-14	2012-13	2011-12	अप्रैल-मई 14	2013-14	2012-13	2011-12	अप्रैल-मई 14	2013-14	2012-13	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चंडीगढ़	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
दिल्ली	0	15	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0
हरियाणा	0	97	0	0	0	85	0	0	0	49	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हिमाचल प्रदेश	0	23	0	14	0	3	0	2	0	3	0	4
जम्मू और कश्मीर	0	71	0	32	0	28	0	7	0	73	0	25
पंजाब	0	141	0	42	0	64	0	19	0	67	0	18
राजस्थान	0	89	93	71	0	55	39	24	0	48	41	29
उत्तर प्रदेश	0	403	326	228	0	220	120	295	0	152	144	116
उत्तराखंड	0	76	0	0	0	37	0	0	0	16	0	0
कुल योग उत्तर	0	917	419	387	0	500	159	347	0	415	185	192
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	13	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	102	42	53	0	39	6	12	0	4	5	15
बिहार	0	168	111	124	0	73	26	39	0	75	25	52
झारखंड	0	105	24	111	0	30	6	17	0	37	10	42
मणिपुर	0	18	10	5	0	0	0	4	0	0	0	0
मेघालय	0	2	2	9	0	1	0	0	0	1	0	0
मिज़ोरम	0	2	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	3	9	8	0	0	0	3	0	0	0	0
ओडिशा	0	84	77	42	0	60	33	16	0	64	33	25
सिक्किम	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	11	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	211	50	120	0	54	18	53	0	102	21	65
कुल योग पूर्व	0	722	366	510	0	257	89	144	0	283	94	199
छत्तीसगढ़	0	90	33	31	0	32	14	5	0	52	17	11
दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गोवा	0	0	0	0	0	8	0	0	0	13	0	0
गुजरात	0	121	66	31	0	62	15	9	0	55	31	23
मध्य प्रदेश	0	275	119	119	0	98	36	32	0	135	55	50
महाराष्ट्र	0	133	0	83	0	326	0	31	0	301	0	70
कुल योग पश्चिम	0	620	218	264	0	526	65	77	0	560	103	154
आंध्र प्रदेश	0	189	0	38	0	71	0	10	0	297	0	37
कर्नाटक	0	143	57	49	0	58	54	10	0	79	34	26
केरल	0	123	0	57	0	88	0	30	0	53	0	46
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
तेलंगाना					0	64	0	0	0			
तमिलनाडु	0	289	0	87	0	148	0	19	0	73	0	37
कुल योग दक्षिण	0	748	57	231	0	431	54	69	0	504	34	146
अखिल भारत	0	3007	1060	1392	0	1714	367	637	0	1762	416	691

[हिन्दी]

विधायी निकायों में अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षण

1650. **श्री सदाशिव लोखंडे :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों में अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लोगों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जातियों और जनजातियों के आधार पर राज्य विधान परिषदों और राज्य विधान मंडलों में भारत के संविधान के अधीन आरक्षण का उपबंध नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति

1651. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री असादुद्दीन ओवैसी :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई अन्वेषण लाइसेसिंग नीति के कार्यान्वयन की प्रमुख विशेषताएं और ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा तेल/गैस/हाइड्रोकार्बन ब्लॉकों से अन्वेषण के लिए विभिन्न सरकारी/निजी कंपनियों से आमंत्रित व स्वीकृत निविदाओं का राजस्थान सहित परियोजना-वार/कंपनी-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में खोजे गए प्राकृतिक गैस और तेल भंडारों/ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार तथा कम्पनी-वार कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक/निजी कम्पनियों द्वारा इन तेल ब्लॉकों से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन का तेल ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन ब्लॉकों में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : (क) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) सरकार द्वारा वर्ष 1997 में प्रस्तुत की गई थी और वर्ष 1999 में प्रचालित की गई थी। एनईएलपी की मुख्य विशेषताएं दिनांक 10.02.1999 की अधिसूचना संख्या ओ. 19018/22/95-ओएनजी.डीओ.VI में दी गई हैं जिसे संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

अभी तक, एनईएलपी बोली के नौ दौर हुए हैं जिनके तहत जमीनी और अपतट क्षेत्रों में कुल 360 अन्वेषण ब्लॉकों की पेशकश की गई है जिनमें से 254 अन्वेषण ब्लॉक राष्ट्रीय तेल कंपनियों, निजी और विदेशी कंपनियों को प्रदान किए गए थे।

(ख) एनईएलपी-IX दौर दिनांक 15.10.2010 को चलाया गया था और बोली प्राप्त करने की तारीख 28.03.2011 तक थी। इस दौर के तहत, 34 अन्वेषण ब्लॉकों की पेशकश बोली के लिए थी और 33 ब्लॉकों के लिए, 74 बोलियां प्राप्त हुई थीं। कुल 19 ब्लॉक (4 पश्चिमी अपतट में, 2 असम में, 2 मध्य प्रदेश में, 1 त्रिपुरा में, 1 राजस्थान में और 9 गुजरात में) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र निजी/विदेशी कंपनियों को प्रदान किए गए हैं। प्रदान किए गए ब्लॉकों की उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) पर हस्ताक्षर वर्ष 2011-12 और 2012-13 में किए गए थे। प्रदान किए गए ब्लॉकों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) पीएससी व्यवस्था के तहत, उक्त अवधि के दौरान, 37 हाइड्रोकार्बन खोजें जिनमें 16 तेल की और 21 गैस की खोजें शामिल हैं, की गई हैं। कंपनी और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में हैं।

37 खोजों में से, एक तेल खोज, अर्थात् आंध्र प्रदेश में स्थित ब्लॉक के जी-ओएनएन-2003/1 में नागायालंका-एस ई-I के लिए वाणिज्यिकता की घोषणा की गई है जो मै. कैर्न इंडिया लि. द्वारा प्रचालित है जिसमें पूंजीगत व्यय के रूप में 677.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर और प्रचालन व्यय के रूप में 227 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर विचार किया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएससी व्यवस्था के तहत की गई तेल और गैस की खोजें प्रचालकों द्वारा आकलन/मूल्यांकन/विकास के विभिन्न चरणों में हैं और वाणिज्यिक उत्पादन अभी शुरू होना है।

(ङ) ऊपर 'घ' को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

रजिस्ट्री सं. डीएल-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

भाग-I-खंड 1

प्राधिकार से प्रकाशित

सं.42] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 1999/फाल्गुन 6, 1920

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1999

संख्या ओ-19018/22/95-ओएनजी-डीओ-6.—भारत सरकार तेल क्षेत्र में निजी निवेश को आकृष्ट करने के लिए निजी कंपनियों को समय-समय पर अन्वेषण ब्लॉक प्रस्तावित करती रही थी। अब तक अन्वेषण बोली के नौ दौर हो चुके हैं और भारत सरकार ने संयुक्त उद्यम व्यवस्था के माध्यम से निजी कंपनियों द्वारा अन्वेषण की संविदाएं की हैं। पेट्रोलियम की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है और भंडार वृद्धि की गति को तेज करने के लिए अन्वेषण में निवेश का स्तर बढ़ाना आवश्यक है जो घरेलू उत्पादन के उच्चतर स्तरों के लिए आधार प्रस्तुत करेगा।

इस कमी के मुकाबले और तेल तथा गैस क्षेत्र में निजी निवेश आकृष्ट करने के लिए भारत सरकार की उदारीकृत नीति के अनुसार भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) तैयार की है। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(1) ओएनजीसी/ओआईएल के माध्यम से सरकार की कोई अनिवार्य प्रतिभागिता नहीं होगी और न ही सरकार का कोई "कैरिड" हित होगा।

(2) ओएनजीसी और ओआईएल को नामांकन आधार पर पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली की बजाए उन्हें पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी। इसी के साथ-साथ ओएनजीसी और ओआईएल को भी वही वित्तीय और संविदात्मक निबंधन प्राप्त होंगे, जारे निजी कंपनियों को उपलब्ध होंगे।

(3) तेल कंपनियों को सतत् रूप से अवसर प्रदान करने के लिए अन्वेषण रकबों की मुक्त उपलब्धता/रकबों का सीमांकन ग्रिड प्रणाली पर किया जाएगा और ग्रिड के तैयार किए जाने तक ब्लॉक प्रस्ताव के लिए काटे जाएंगे।

(4) संविदाकारों को घरेलू बाजार में कच्चे तेल और गैस के विपणन की स्वतंत्रता।

(5) तटीय क्षेत्रों के लिए 12.5 प्रतिशत और अपतटीय क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी का भुगतान। अपतटीय क्षेत्र से रॉयल्टी का आधा हिस्सा अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए हाइड्रोकार्बन विकास निधि में जमा किया जाएगा। इन क्रियाकलापों में कम अन्वेषित बेसिनों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों का अर्जन, अपस्ट्रीम क्षेत्र में निवेश अवसरों, संस्था भवन निर्माण आदि को बढ़ावा देना शामिल है।

(6) गहरे जल क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में अन्वेषण को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद 7 वर्षों के लिए 400 मीटर बाथीमीटरी से अधिक के अपतटीय गहरे क्षेत्रों के लिए प्रचलित दर की आधी रॉयल्टी वसूल की जाएगी।

(7) पहले क्रूड उत्पादन पर लगाया गया उपकर एनईएलपी के अंतर्गत प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए समाप्त कर दिया गया है।

(8) पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क के भुगतान से कंपनियों को छूट दी जाएगी।

(9) कोई हस्ताक्षर, खोज और उत्पादन बोनस नहीं होंगे।

(10) वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने की तारीख से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए सात वर्षीय कर छूट उपलब्ध रहेगी।

(11) ठेकेदार को ठेकों को संपूर्ण अवधि के दौरान राजकोषीय स्थिरता उपलब्ध कराई जाएगी।

(12) एक पृथक पेट्रोलियम कर मार्गदर्शिका निवेशकों की सुविधा के लिए है।

(13) पहले की व्यवस्था जिसमें अन्वेषण लागत संविदा क्षेत्र आधार पर और विकास एवं उत्पादन लागू क्षेत्र-वार आधार पर वसूल किए जाने की अनुमति थी, के विपरीत ठेकेदार को संविदा क्षेत्र आधार पर असीमित अग्रेनित अवधि सहित पूर्ण लागत वसूली (अर्थात् अन्वेषण लागत, विकास लागत और उत्पादन लागत) की अनुमति होगी।

(14) ओएनजीसी/ओआईएल सहित कंपनियों को एनईएलपी के अंतर्गत प्रस्तावित ब्लॉकों में की गई तेल की खोजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर भुगतान किया जाएगा।

(15) वर्तमान में करोपरांत हिस्सेदारी की अपेक्षा निवेश गुणज पर आधारित लाभ तेल की कर पूर्व हिस्सेदारी हासिल की गई।

(16) एक संशोधित आदर्श संविदा तैयार की गई है।

(17) अपतटीय क्षेत्रों के लिए सीधे नई अन्वेषण लाइसेंस नीति क्रियान्वित की जानी है, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार से कोई परामर्श अपेक्षित नहीं है। तथापि, जमीनी क्षेत्रों के संबंध में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् क्रियान्वित की जाएगी।

(18) उपर्युक्त प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कार्रवाई करना।

(19) सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस), वित्त सचिव तथा विधि सचिव को लेकर तैयार हुई सचिवों की शक्तिप्रदत्त समिति, अन्य बातों के साथ-साथ बोली मूल्यांकन मानदंड के संबंध में विचार करेगी, जहां कहीं आवश्यक होगा, बोलीदाताओं के साथ वार्तायें करेगी तथा ब्लॉकों को देने के विषय में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की सिफारिशें करेगी।

(20) यह व्यवस्था केवल नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत हस्ताक्षरित संविदाओं के प्रति लागू होगी।

यहां विनिहित निर्णय तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे और यह अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभाग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

विवरण-II

प्रदत्त अन्वेषण ब्लॉकों के ब्यौरे और एनईएलपी-IX दौर के तहत क्षेत्र/राज्य

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रचालक/परिसंघ	अपतट/राज्य	संविदा हस्ताक्षर करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	जीके-ओएसन-2010/1	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (60%) (ओपी), ऑयल इंडिया लि. (30%), गेल (इंडिया) लि. (10%)	पश्चिमी अपतट	28.03.2012
2.	जीके-ओएसन-2010/2	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (60%) (ओपी), गेल (इंडिया) लि. (10%)		28.03.2012
3.	एमबी-डीडब्ल्यूएन-2010/1	ब्रिटिश गैस एक्स्प्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) लि. (50%) (ओपी), बीएचपी बिलियन पीटीवाई लि. (50%) ब्रिटश गैस एक्स्प्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) लि.		30.08.2012
4.	एमबी-ओएसएन-2010/2	ऑयल इंडिया लि. (50%) (ओपी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लि. (30%) भारत पेट्रो रिसोर्सेज लि. (20%)		30.08.2012
	जमीनी ब्लॉक			
5.	एए-ओएनएन-2010/1	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि. (20%) (ओपी), एबीजी एनर्जी (80%)	त्रिपुरा	30.08.2012
6.	एए-ओएनएन-2010/2	ऑयल इंडिया लि. (40%) (ओपी), ईस्ट वेस्ट पेट्रोलियम (10%), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (30%), गेल (इंडिया) लि. (20%)	असम	28.03.2012
7.	एए-ओएनएन-2010/3	ऑयल इंडिया लि. (40%) (ओपी), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (40%), भारत पेट्रो रिसोर्सेज लि. (20%)		28.03.2012
8.	वीएन-ओएनएन-2010/1	डीप एनर्जी एलएलसी (10%) (ओपी), केजीएन इंडस्ट्रीज लि. (90%)	मध्य प्रदेश	28.03.2012
9.	वीएन-ओएनएन-2010/2	डीप एनर्जी एलएलसी (10%) (ओपी), डीप नेचुरल रिसोर्सेज लि. (15%), सफल डब्ल्यूएसबी एनर्जी प्रा.लि. (75%)		28.03.2012
10.	आरजे-ओएनएन-2010/2	**फोकस एनर्जी लिमिटेड 10% बिर्कबेक इंन्वेस्टमेंट लि. 90%**	राजस्थान	28.03.2012
11.	सीबी-ओएनएन-2010/1	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (100%) (ओपी)	गुजरात	28.03.2012
12.	सीबी-ओएनएन-2010/3	डीप एनर्जी एलएलसी (10%) (ओपी), केजीएन ऑयल एंड गैस प्रा.लि. (90%)		28.03.2012
13.	सीबी-ओएनएन-2010/4	प्रतिभा ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रा.लि. (100%) (ओपी)		28.03.2012

14.	सीबी-ओएनएन-2010/5	पैन इंडिया कंसल्टैंट्स (20%) (ओपी), फ्रोस्ट इंटरनेशनल लि. (80%)	28.03.2012
15.	सीबी-ओएनएन-2010/6	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (80%) (ओपी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेश्न लि. (20%)	28.03.2012
16.	सीबी-ओएनएन-2010/8	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लि. (25%) (ओपी), इंजीनियर्स इंडिया लि. (20%), बीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (20%), मोनेज इस्पात एंड एनर्जी लि. (10%), गेल (इंडिया) लि. (25%)	30.08.2012
17.	सीबी-ओएनएन-2010/9	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (100%) (ओपी)	30.08.2012
18.	सीबी-ओएनएन-2010/10	**संकल्प ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज लि. 100%**	27.06.2012
19.	सीबी-ओएनएन-2010-11	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लि. (25%) (ओपी), बीएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (15%), मोनेट इस्पात खंड एनर्जी लि. (15%), गेल (इंडिया) लि. (25%), इंजीनियर्स इंडिया लि. (20%)	28.03.2012

टिप्पणी: प्रचालक मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।

विवरण-III

2011-12 से 2013-14 और 2014-15 (जून, 2014 तक) के दौरान पीएससी व्यवस्था के तहत नई खोजों के क्षेत्र-वार और प्रचालक-वार ब्यौरे

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्र/राज्य	प्रचालक	खोज का स्वरूप	
				तेल	गैस
1	2	3	4	5	6
1.	2011-12	पश्चिमी अपतट	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.		2
2.		पूर्वी अपतट	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.		3
3.			रिलाएंस इंडस्ट्रीज लि.		2
4.		अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.		1
5.		गुजरात	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	1	
6.			ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.		1

1	2	3	4	5	6
7.		आंध्र प्रदेश	कैन एनर्जी इंडिया पीटीवाई लि.	1	
8.		मिज़ोरम	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.		1
			2011-12 योग	2	10
9.	2012-13	पश्चिमी अपतट	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.		2
10.		पूर्वी अपतट	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	1	2
11.		गुजरात	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	1	
12.		राजस्थान	ऑयल इंडिया लि.	1	
13.		तमिलनाडु	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	2	
			2012-13 योग	5	4
14.	2013-14	पश्चिमी अपतट	फोकस एनर्जी लि.		1
15.			ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.		1
16.		पूर्वी अपतट	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	1	2
17.			रिलाएंस इंडस्ट्रीज लि.	1	1
18.		राजस्थान	कैन एनर्जी इंडिया पीटीवाई लि.	3	
19.		त्रिपुरा	जुबिलैंट ऑयल एंड गैस प्राइवेट लि.		1
20.			ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.		1
			2013-14 योग	5	7
21.	2014-15	गुजरात	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	1	
22.		राजस्थान	कैर्न एनर्जी इंडिया पीटीवाई लि.	3	
			2014-15 योग	4	0
			समग्र योग	16	21

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खनिज नीति

1652. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न खनिजों के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धि का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 1993 से खनिज क्षेत्र के उदारीकरण के साथ निजी क्षेत्र भागीदारी आने से खनिज उत्पादन व्यापक रूप से खनिज संसाधनों, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार की मांग आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 के अनुसार खनिज के संरक्षण का अर्थ उसकी खपत से बचने अथवा भविष्य में उसके इस्तेमाल हेतु वर्तमान में उसे परिरक्षित रखने के नकारात्मक भाव से नहीं लगाना चाहिए अपितु इसका तात्पर्य खनन तरीकों में सुधार, निम्नस्तरीय अयस्क तथा अपशिष्ट का बैनिफिसिएशन तथा उपयोग और संबद्ध खनिजों की प्राप्ति के जरिए भंडार आधार को बढ़ाने की सकारात्मक संकल्पना होनी चाहिए। सरकार की मंशा एक यथोचित तथा प्रभावशाली कानूनी तथा संस्थागत ढांचा बनाने की है जिसका मुख्य उद्देश्य शून्य अपशिष्ट खनन होगा तथा अवैज्ञानिक एवं उप-इष्टतम खनन की रोकथाम करना होगा। बैनिफिसिएशन, अशांकन, मिश्रण, आकारण, सांद्रण, पेलेटाइजेशन, शुद्धीकरण तथा उत्पाद को सामान्य रूचिनुसार ढालने की आधुनिकतम तकनीक के ज़रिए खनिज सेक्टोरल मूल्यवर्द्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदया, मैं सुश्री उमा भारती की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

वर्ष 2014-15 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की अनुदनों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 194/16/14]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं:-

(1) (एक) एमटीएनएल तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 195/16/14]

(दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 196/16/14]

(तीन) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 197/16/14]

(2) (एक) नेशनल जूडिशियल एकेडमी इंडिया, भोपाल के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूडिशियल एकेडमी इंडिया, भोपाल के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 198/16/14]

(4) निर्वाचक निर्रहता के बारे में भारतीय विधि आयोग के फरवरी, 2014 के प्रतिवेदन संख्या 244 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 199/16/14]

(5) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी)।

(एक) भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2014 जो 9 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 366(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एलटी 200/16/14]

(6) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 26 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 324-2/2013-सीए में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी)।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 201/16/14]

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-15 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 202/16/14]

(दो) वर्ष 2014-15 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 202क/16/14]

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखि पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं:—

1. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 203/16/14]

2. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 204/16/14]

3. एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 205/16/14]

4. भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 206/16/14]

5. एमईसीओएन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 207/16/14]

6. एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 208/16/14]

7. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 209/16/14]

8. केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौत ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 210/16/14]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर खता हूं:—

(एक) मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2014 जो 23 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 352 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 211/16/14]

(दो) साल्वेंट, रेफिनिट और स्लोप (अर्जन, विक्रय भंडारण और ऑटो मोबाइलों में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2014 जो 23 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 353(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एलटी 212/16/14]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्देश्वरा) : महोदया, मैं निम्नलिखि पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) पवन हंस लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 213/16/14]

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 214/16/14]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : महोदया, मैं निम्नलिखि पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) एन्ड्रयू यूल ग्रुप तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 215/16/14]

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के बीच 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 216/16/14]

(तीन) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 217/16/14]

(चार) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 218/16/14]

(पांच) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 219/16/14]

(छह) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 220/16/14]

माननीय अध्यक्ष : श्री कृष्ण पाल — उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब 'शून्य काल' आरंभ होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत गंभीर और संवेदनशील मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। आप और सारा देश जानता है कि सिक्ख संप्रदाय के लोगों का इस देश की आजादी में जो हिस्सा था और बाद में जो हिस्सा है, उन पर गौरव किया जा सकता है, जहां तक हमारी भावनाओं का सवाल है, हमारा जो गुरुद्वारा प्रबंध है, अंग्रेजों के समय में इस पर अंग्रेज के पिठ्ठुओं का कब्जा हो गया था। उसको हटाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाए। हमारे पूवर्जों ने रेल इंजन के नीचे सिरे दिए, और गोलियां खाने के बाद, वर्ष 1922 में यह प्रबंध सिक्खों को दिया गया। वर्ष 1925 में एक एक्ट बनाया गया था, जिसको गुरुद्वारा एक्ट कहते हैं। उस समय महात्मा गांधी जी ने एक लेटर श्री अकाल तख्त कांता साहब के जत्तेथार साहब को लिखा, और बधाई दी कि आपने देश की आजादी की पहली लड़ाई जीत ली है। उस एक्ट के तहत गुरुद्वार प्रबंध चलता रहा। जब देश

का बंटवारा हुआ तो हमारे गुरुद्वार प्रबंध भी बंट गए। हमारे कुछ गुरुद्वारा साहेबान पाकिस्तान में रह गए। वर्ष 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस गुरुद्वारा प्रबंध को बांटने की कोशिश की। उसका बहुत विरोध हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने मास्टर तारा सिंह को बुला कर एक समझौता किया। वह समझौता बहुत बड़ा है। उसको मास्टर तारा सिंह नेहरू पैक्ट बोला जाता है। मैं उसमें से दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"सभी संबंधित पक्षों में यह आम सहमति बनी है कि धार्मिक मामलों में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तथापि, गुरुद्वारा प्रबंधन के संबंध में हस्तक्षेप की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन किए गए हैं।"

उसका लास्ट है—

"शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की आम समिति के अनुमोदन के बाद ही गुरुद्वारा अधिनियम में कोई संशोधन किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

मैडम, यह स्पष्ट था। उस समय में से ले कर आज तक, जब भी इसमें कोई चेंज करने की बात आई, इसमें कोई अमैंडमेंट करने की बात आई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रही, पार्लियामेंट में एक्ट बनते रहे, नोटिफिकैशन होते रहे। हमें इस बात का खेद है कि कुछ दिन पहले हरियाणा की सरकार ने एक एक्ट बनाया।...*(व्यवधान)* जो सीधे आर्टिकल-254 का उल्लंघन है। कन्करन्ट लिस्ट में स्टेट अफेयर की दखलन्दाजी है। उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल ने वहां की सरकार को, वहां के गवर्नर को एक ऐडवाइस दी है कि अपने आर्टिकल-254 को तोड़ा है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप यहां की बात कीजिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से लॉ मिनिस्टर जी से यह कहना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी अनकॉनस्टीट्यूशनल, इलीगल कार्रवाई हुई है, तो भारत सरकार को उसको नोटिस में लेना चाहिए। भारत सरकार उसका एक नोट लेती है, उसकी क्या पोजिशन है।...*(व्यवधान)* हम गुरुद्वारा प्रबंध को टूटने नहीं देंगे क्योंकि इसके साथ हमारी कुर्बानियां हैं।...*(व्यवधान)* मैं आज इस सभा में कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने वोट लेने के लिए, राजसी लोहा लेने के लिए सिखों को बांटने का काम किया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, ऐसे नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : पहले ...* 1984 में इमरजेंसी का गुस्सा निकालने के लिए हमारे दरबार साहिब पर अटैक किया।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसे किसी का नाम नहीं लिया जाता।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : निहत्थे लोगों को मारा।...*(व्यवधान)* आज उनके सिरे पर बंदूकें तानकर हमारे गुरुद्वारे को बांटा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* हम ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)***

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको ऐलाऊ किया है इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसे करें।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, आप जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदया, हमारे देश के पूरे इतिहास में हमने अपनी न्यायिक स्वतंत्रता को दलगत राजनीति से ऊपर रखने का प्रयास किया है...*(व्यवधान)* किन्तु आज के समाचारपत्र में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मार्कण्डेय काटजू का नाम आया है...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै : आज यह खबर छपी है कि पिछली सरकार डीएमके की सहयोगी पार्टी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में हस्तक्षेप किया है, कि एक* जज...*(व्यवधान)*

अत: मैं माननीय विधि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस गंभीर मामले की जांच करें और देखें कि वास्तविकता क्या है...*(व्यवधान)* वह जज कौन है? डीएमके पार्टी के किन-किन लोगों ने पिछली सरकार पर दबाव डाला? मैं यही जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)* विधि मंत्री इस संबंध में उत्तर दें...*(व्यवधान)* यह बहुत ही गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै : डीएमके का मंत्री हवाईअड्डे पर भी गया और* पूर्व प्रधानमंत्री यह देखने के लिए कि सरकार गिरने वाली है...*(व्यवधान)*

कैप्टन अमरिन्दर सिंह (अमृतसर) : महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : 'शून्य काल' में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तंबिदुरै : अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि हम सब न्यायपालिका को एक स्वतंत्र निकाय बनाये जाने की मांग कब करेंगे ...*(व्यवधान)* यह बहुत ही गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री कृपाल बालाजी तुमाने

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तंबिदुरै : कृपया विधि मंत्री को इसका उत्तर देने दें। यह एक गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैंने बोला है कि किसी का नाम नहीं लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : श्री कृपाल बालाजी तुमाने – अनुपस्थित

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : तंबिदुरै जी, मैं क्षमा चाहती हूं। मैं पुन: कह रही हूं कि मैं शून्य काल में ऐसा कुछ कहने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकती। मैंने आपको अपना मामला उठाने की अनुमति दी है। मैं क्षमा चाहती हूं, यह नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : डॉ. रत्ना डे। केवल उनका भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली) : महोदया, महिलाओं के लिए बैंक खोलने की बात की जा रही थी...*(व्यवधान)* यह सपना तब पूरा हुआ जब माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2013-14 के अपने बजट भाषण में भारतीय महिला बैंक लि. खोलने का प्रस्ताव रखा...*(व्यवधान)* इस बैंक ने नवम्बर, 2013 में कार्य करना आरंभ किया। निश्चित रूप से यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और कदम है। वर्तमान में एक हजार करोड़ रुपए की राशि के साथ इस बैंक की देश के प्रमुख शहरों में केवल सात शाखाएं हैं।...*(व्यवधान)* देश में ऐसे और बैंक खोले जाने की आवश्यकता है किन्तु सरकार केवल महानगरों में ही भारतीय महिला बैंक लि. खोलने की मंशा रखती है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, आपने उन्हें एक मामला उठाने की अनुमति दी है। माननीय सदस्य ने उसे उठाया...*(व्यवधान)* एक व्यवस्था का प्रश्न है जिसे कांग्रेस पार्टी के उपनेता उठाना चाहेंगे। कृपया उन्हें उनकी बात कहने दें, तत्पश्चात् अध्यक्षपीठ कोई भी निर्णय ले सकती है। कृपया हम सब एक-दूसरे के साथ सहयोग करें। *[हिन्दी]* ऐसे हंगामे में कौन क्या बोल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आयेगा।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* कोई भी कुछ नहीं समझ पायेगा।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस पर कुछ कहने वाली है।

...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : जी महोदया, यह विषय यहीं समाप्त होता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप प्वाइंट ऑफ के अलावा क्या कुछ कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अमरिन्दर सिंह जी, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर को छोड़कर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कहिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप पहले किताब नीचे रखिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। आप यह किताब नीचे रखिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिन्दर सिंह : महोदया, संविधान भारतीय संविधान की धारा 121 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं देता...*(व्यवधान)* उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर चर्चा की अनुमति नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : हम उस पर डिसकशन नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने केवल अपना प्रश्न उठाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैंने बोला है कि कुछ डिसकशन नहीं कर रहे। हम कहां डिसकशन कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैंने बोला दिया है। आप बैठ जाइये। मैंने कोई डिसकशन नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हम डिसकशन नहीं कर रहे, आप यह समझिये। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : डॉ. रत्ना डे, क्या आपका भाषण समाप्त हो गया है?

...*(व्यवधान)*

डॉ. रत्ना डे (नाग) : जी नहीं, महोदया।

माननीय अध्यक्ष : तो उसे पूरा कर लीजिए।

डॉ. रत्ना डे (नाग) : महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अधिकाधिक बैंक खोले जाने की आवश्यकता है। परंतु सरकार केवल महानगरों में ऐसे बैंक खोलने पर विचार कर रही है। आर्थिक कार्यकलापों में महिला उद्यमिता और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और महिलाओं के रोजगार प्राप्ति के लक्ष्य को भी गति मिलेगी। इस बैंक द्वारा महिला स्वसहायता समूहों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे देशभर में विशेषकर पश्चिम बंगाल में ऐसे अधिकाधिक बैंक खोलें।

धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, झारखंड, जिस राज्य से मैं आता हूं, वह नक्सलिज्म, टेरोरिज्म और बंगलादेशी घुसपैठिये, इन तीनों से जूझ रहा है। इस कारण वहां बड़े पैमाने पर विस्थापन और पलायन हो रहा है।...*(व्यवधान)* मैंने अपने क्षेत्र गोड्डा में विस्थापन और पलायन के बारे में कहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्ययक्ष : आपका मुद्दा गरीबी रेखा निर्धारित करने में विलंब से संबंधित है। इसीलिए मैं पूछ रही हूं।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : यस, उसी पर कह रहा हूं। आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* यह जो विस्थापन और पलायन हो रहा है, उसका कारण यह है कि हमारे यहां 70 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। हम अमीर हैं। झारखंड इस देश को खिला-पिला रहा है। 50 परसेंट से ज्यादा माइन्स और मिनरल्स केवल झारखंड कंट्रोल करता है। इस कारण गोड्डा में एक बड़ी घटना हो गयी है। वहां बच्चे बेचे जा रहे हैं। केरल में अल्पसंख्यक बच्चे वर्ष 2007 से लगातार, मैडम, यह बहुत बड़ी घटना है, गरीबी रेखा का डिटरमिनेशन नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2003 से लेकर अब तक 11 साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक बीपीएल की सूची नहीं बन पा रही है। कौन गरीब है, कौन अमीर है, यह तय नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2007 में हमारे यहां गोड्डा जिले में बच्चे बेचे जा रहे हैं और 260 बच्चे अभी केरल के मदरसे से वापस आये हैं। अल्पसंख्यक के नाम पर यह यूपीए सरकार चलती रही।

अध्यक्ष महोदया, मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि आप रॉयल्टी जल्दी से जल्दी तय कीजिए और बीपीएल की सूची जल्द फाइनल कीजिए जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो नौकर बन रहे हैं, जो ट्राइबल, आदिवासी और अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का समाधान हो पाये।

मेरी आपनके माध्यम से केन्द्र सरकार से रिक्वैस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप गरीबी रेखा का निर्धारण कर दीजिए जिससे अमीर और गरीब की खाई पट पाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री शिवकुमार उदासि जी को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदया, अपने मुझे जीरो ऑवर में कानून व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के कई राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति कई वर्षों से खराब होती चली जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ खींचना चाहती हूं।...*(व्यवधान)* खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, रेप जैसे अपराध इस समय उत्तर प्रदेश की पहचान बन गयी है।...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं) : अध्यक्ष महोदया, यह स्टेट सब्जेक्ट है।...*(व्यवधान)*

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस और अपराधियों में सांठ-गांठ हो गयी है।...*(व्यवधान)* पुलिस की किसी कार्रवाई का कोई डर नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : निरंजन जी, मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत गंभीर विषय पर बोलना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में व्यापारी, महिला, शिक्षक, किसी की जान सुरक्षित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है।...*(व्यवधान)* मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गयी। नथिंग विल गो ऑन रेकार्ड।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल के एक अति महत्वपूर्ण और लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैंने बता दिया है, यह स्टेट का मैटर है। वे पहली बार आयी हैं, इसलिए उनको समझा रही हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं। वहां परसों

यानी शनिवार 19 तारीख को एक बहुत बड़ी और वीभत्स घटना घट गयी। पुलिस की गोली से अनुसूचित जाति की एक महिला और दलित परिवार का ही एक बच्चा मार दिया गया। पुलिस की गोली से उन्हें मार दिया गया।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, कृपया मेरी बात भी सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, कृपया बैठ जाइए, उनके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह : अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिज्म की चर्चा हो रही थी। मेरा जिला औरंगाबाद और मेरे संसदीय क्षेत्र का गया जिला, दोनों लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिज्म से बुरी तरह से प्रभावित है। बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति केवल चरमरा नहीं गयी है, बल्कि ध्वस्त हो गयी है। आये दिन वहां पुलिस की गोली से लोग मारे जा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल के क्षेत्र रोहतास जिले में पुलिस की गोली से उपेन्द्र कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति और पासवान जाति का, एक दलित परिवार का एक नौजवान मारा गया। मेरे संसदीय क्षेत्र में परसों 19 तारीख को एक दलित महिला और एक बच्चे को गोली से उड़ा दिया गया। उनका दोष केवल इतना था, वे केवल इतना चाह रहे थे कि उनके गांव में पुलिस छापेमारी के लिए गयी थी।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात पूरी हो गयी।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदया, मैं बहुत गंभीर विषय पर बोल रहा हूं, कृपया मुझे बात पूरी करने दी जाए।...*(व्यवधान)* वहां पर पुलिस छापेमारी के लिए गयी थी।...*(व्यवधान)* पुलिस ने वहां अनावश्यक लोगों के साथ मारपीठ की और उन्हें प्रताड़ित किया।...*(व्यवधान)* लोग विरोध प्रदर्शित करने के लिए आये थे और वे चाहते थे कि वहां का पुलिस कप्तान उनसे मिले और उनकी बातों को सुने।...*(व्यवधान)* आगे उनके साथ प्रताड़ना न हो, यह आश्वासन दे। लेकिन पुलिस अधिकारी उनसे नहीं मिला, उनसे कोई बात नहीं की।...*(व्यवधान)* बदले में पुलिस कर्मियों ने गोली चलायी, जिसके कारण दलित महिला और एक बच्चा मारा गया।...*(व्यवधान)* महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था विषय राज्य का है, यह मैं जानता हूं, लेकिन राज्य के दलित, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े और सामान्य किसी भी वर्ग के लोगों को इस तरह से किसी ... * के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : यह रेकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह : भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और उन परिवारों को जो पुलिस की गोली से उड़ा दिये गये, उनको मुआवजा मिले, उनको नौकरी मिले। यह मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं और राज्य सरकार को तलब करे...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : बात पूरी हो गयी, अब आप प्लीज़ बैठिए। कितनी बार एक ही बात बोलेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह : वहां एक ...* है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इस प्रकार से नहीं बोलते हैं। आप दो बार बोल चुके हैं, अब प्लीज बैठिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, मैंने उनको बोल दिया है, नई सदस्य हैं, महिलाओं के लिए कुछ बात कहना चाहती हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : जी, बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : आपने कहा था मुझे समय दे देंगे।...*(व्यवधान)* यह क्या बात है?

माननीय अध्यक्ष : बता क्या है। ऐसा नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश हो रही है, क्या हम बोलेंगे नहीं? हमें आप मौका ही नहीं देंगे?

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता। किसी ने कुछ नहीं बोला है, केवल जनरल बात उठी, फिर मैंने उनको बता दिया।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : खराब है कानून-व्यवस्था मध्य प्रदेश और राजस्थान की।...*(व्यवधान)* गृहमंत्री जी को जानकारी है, वे यहां बयान दे दें।...*(व्यवधान)* आप गृहमंत्री जी को बुलाइए। सबसे खराब

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवस्था है मध्य प्रदेश और राजस्थान, सबसे अच्छी है उत्तर प्रदेश की, जनसंख्या के आधार पर।...*(व्यवधान)* मेरे पास आंकड़े हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह यादव जी, प्लीज बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : गृहमंत्री जी को बुला लीजिए, सबसे खराब व्यवस्था है मध्य प्रदेश और राजस्थान, सबसे अच्छी है उत्तर प्रदेश की। ...*(व्यवधान)* यह गलत प्रचार करते हो।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.20 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। परम्परा के अनुसार सदस्य अपने व्याख्यान सभा पटल पर रख सकते हैं।

(एक) उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बूचड़खाने बंद किए जाने की आवश्यकता

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव में लगभग 2 दर्जन बूचड़खाने हैं जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 15000 गाय व दुधारू भैंस काटे जाते हैं। यहां लगभग तीन दर्जन चमड़े की वैध एवं अवैध फैक्ट्री है। बूचड़खाने वालों के पास सब्जी निर्यात करने का लाइसेंस है। इस लाइसेंस का दुरुपयोग कर वो सब्जी की जगह मांस का निर्यात करते हैं। बूचड़खानों की वजह से पूरे शहर में हमेशा बदबू बनी रहती है। आसपास के निवासी परेशान हैं, जिससे उनका जनजीवन प्रदूषण के कराण प्रभावित हो रहा है।

बूचड़खानों में 12-15 इंच नीचे बोर करके पशुओं का खून व अन्य रसायन जमीन में डाला जा रहा है तथा मांस के टुकड़े नालों से होकर गंगा नदी को अपवित्र कर रहे हैं। जिससे इस क्षेत्र का पानी पीने लायक नहीं है, व इस क्षेत्र में अपंगता की वृद्धि हो रही है।

मैंने चुनाव में उन्नाव की जनता से इन बूचड़खानों को बंद करवाने का आश्वासन दिया था और जनता में मुझमें विश्वास दिखाया भी है। गायों के कटने के कारण यहां पर साम्प्रदायिक दंगे होने का हमेशा खतरा बना रहता है। शांति व अमन के लिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वो इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप कर इन बूचड़खानों को बंद करवाने की कृपया करें जो कि देशहित में है।

(दो) पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : राजस्थान में भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में भारत सरकार ने तीन नए एनएच घोषित किए हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 758 लाड़पुरा से गोमती चौराहा राजसमंद 150 किमी., दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 148डी गुलाबपुरा से उनियारा 205 किमी. एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 158 भीलवाड़ा से ब्यावर 165 किमी. है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग तो घोषित किए लेकिन सड़कों की हालत आज तक खराब है। राष्ट्रीय राजमार्ग 758 – इसे भीलवाड़ा से राजसमंद तक तो फोर लेन एवं लाड़पुरा से भीलवाड़ा मेगा हाइवे बनाया जा रहा है जबकि लाड़पुरा से भीलवाड़ा ट्रैफिक ज्यादा होकर बड़ी मात्रा में सेण्ड स्टोन परिवहन होता है, इसे फोर लेन किया जाना जरूरी है। इससे एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग जो मात्र 150 किमी. है, एक जैसा हो जाएगा।

दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 148डी – इसका केवल सर्वे हुआ है तथा जमीनों के अधिग्रहण के नोटिस जारी हुए हैं। यह सड़क मेरे लोक सभा क्षेत्र की चार विधान सभाओं हिण्डौली, जहाजपुर, शाहपुरा और असीन्द को जोड़ती है। इसके काम को गति मिलनी चाहिए। यह मेगा हाइवे बनना है।

तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 158 – इस सड़कका काम शुरू नहीं हुआ है एवं डीपीआर तैयार करने का काम धीमी गति से चल रहा है।

पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग केवल कागजों में है। सरकार इन सड़कों का निर्माण त्वरित गति से करवाए।

(तीन) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जिन किसानों के खेतों का उपयोग हाई टेंशन टॉवर लगाने के लिए किया गया है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं सरकार का ध्यान देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाए गए पावर ग्रिडों की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित पावर ग्रिडों में पावर प्लांटों से जो बिजली टावर लाइनों से लाई जाती है, वे सभी टावर किसानों के खेतों में खड़े किए जाते हैं लेकिन किसानों को उचित मुआवजा कंपनियों द्वारा नहीं दिया जाता है। पावर ग्रिडों की विद्युत तारें अक्सर लहलहाते खेतों पर टूटकर गिर जाती है, हाईपावर तारें खेतों में खड़ी तैयार फसल को जलाकर बर्बाद कर देती है। दर्जनों खेत जलकर स्वाहा हो जाते हैं, इससे देश का करोड़ों रुपए के खाद्यान्न का भी नुकसान होता है। तारें गिरने

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

से कभी-कभी किसानों की भी तत्काल मृत्यु हो जाती है, किन्तु बड़े दुःख की बात है कि कंपनी द्वारा इसका मुआवजा किसान को अथवा उसके परिवार को नहीं दिया जाता है, जो कि सरासर अन्याय है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के गरीब किसानों के साथ न्याय करते हुए संबंधित कंपनियों को मुआवजा देने का प्रावधान बनाने हेतु निर्देश दिए जाए जिससे किसानों के नुकसान से भरपाई हो सके।

(चार) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : मैं विद्युत मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने अपने शासनकाल में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि आबंटित की थी। तत्कालीन विद्युत मंत्री, श्री सुशील शिंदे जी ने इस कॉलेज की स्थापना हेतु अपनी सहमति देते हुए एनटीपीसी एवं एनएचपीसी दोनों निगमों द्वारा इसमें सहभागिता के रूप में प्रत्येक को रुपए 37.50 करोड़ की धनराशि एलोकेट करनी है।

हिमाचल प्रदेश की जनता इस कॉलेज की स्थापना की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। मेरा आग्रह है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में और विलंब न किया जाए, बल्कि इसकी स्थापना हेतु तत्काल कार्रवाई की जाए। मेरा माननीय विद्युत मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे अपने कर-कमलों से हाइड्रो इंजीनयरिंग कॉलेज का बिलासपुर में शीघ्र शिलान्यास करें।

(पांच) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के बारे में संसद सदस्यों को सूचना उपलब्ध कराने और उनकी राय जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : मैं सरकार का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से चलाई जा रही अत्यंत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजना की खामियों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

पिछले प्रांतों के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जन-सामान्य की सुविधा एवं बेहतर सड़क संपर्कों के उद्देश्य से चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना का सही लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता अत्यंत ही घटिया है।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में इस योजना से बनी सड़कों को जोड़ने हेतु छोटे-छोटे पुलों का (75 मीटर लंबे) निर्माण भी इसी योजना से कराए जाने का प्रावधान है, क्योंकि कई स्थानों पर छोटे-मोटे पुलों के अभाव में इस योजना से निर्मित सड़कों का आपसी संपर्क समाप्त हो जाता है और इन सड़कों का लाभ छोटे नदी-नालों के दोनों ओर बसने वाली ग्रामीण आबादी को नहीं मिल पाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पीएमजीएसवाई योजना के सड़कों के निर्माण की जानकारी समय-समय पर सीनियर सांसदों को दी जाए तथा इस योजना के तहत सड़कों के निर्माण में स्थानीय सांसदों से उनकी राय भी ली जाए तथा निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जांच नेशनल क्वालिटी मोनिटरिंग एनक्यूएम समिति से करवा कर गुणवत्ता सुनिश्चित करवाने के साथ-साथ दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए।

(छह) संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : भोजपुरी 20 करोड़ लोगों द्वारा बोली जानी वाली भाषा है। उक्त भाषा पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड, उत्तर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के भागों में भारी संख्या में लोगों की मातृभाषा है। इस देश के अलावा कई अन्य देशों में भी भोजपुरी भाषा का ही प्रयोग करने वाले लोग निवास करते हैं।

नेपाल, सिंगापुर, मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, टैवैगो आदि कई देश है जहां भोजपुरी भाषा प्रमुखतया से बोली जाती है, लेकिन विडम्बना है कि देश में करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में अब तक जगह नहीं ले पायी है। संसद में कई बार ये मांग उठी है लेकिन सरकार द्वारा केवल आश्वासन ही मिलता रहा है।

अब समय आ गया है कि बिना किसी विलंब के भोजपुरी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में अविलंब सम्मिलित किया जाए।

(सात) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने तथा उसके निर्माण की गुणवत्ता की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 की जर्जर हालत एवं दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

झारखंड की जीवन रेखा रूपी यह राजमार्ग एक लंबे अर्से से उन्नयन की प्रतीक्षा कर रहा है यह मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोगों की दुर्घटनाओं के कारण मौत भी हो चुकी है। पिछले दिनों इस राजमार्ग को 2 लेन से 4 लेन में बदलने का निर्णय

केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है। रांची, राड़गांव से जमशेदपुर तक के 163.5 किलोमीटर की लंबाई मधुकोन प्रोजेक्ट्स को तथा जमशेदपुर (महुलिया-बाहरगोड़ा) खडकपुर, पश्चिम बंगाल तक की 187 किलोमीटर की लंबाई का कार्य सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (इंडिया) को दिया गया है। ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां कार्य प्रगति की गति धीमी है वहीं दूसरी ओर किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। हालत यह है कि स्थानीय सांसद की शिकायतों पर न तो यह एजेंसियां ध्यान देती हैं और न ही धीमी कार्य प्रगति का कोई समुचित कारण इनके पास है, जिससे इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ झारखंड की जनता को नहीं मिल पा रहा है।

अत: माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे झारखंड के विकास एवं आम जनता की सुरक्षा के हित में झारखंड की जीवन रेखा रूपी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 का निर्माण यथाशीघ्र किया जाये तथा लापरवाही की जांच को सुनिश्चित किया जाये।

(आठ) पानीपत और जालंधर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के निर्माण में तेजी लाए जाने तथा इसके पूरा होने तक इस राजमार्ग पर टोल टैक्स संग्रहण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : पानीपत-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा-1) परियोजना नियत समय से पीछे चल रही है। पानीपत से जालंधर तक छह लेन बनाने की परियोजना 11 मई, 2009 को शुरू हुई थी और इसे 2747.55 करोड़ रुपए की लागत पर 30 माह में अर्थात् 11 नवम्बर, 2011 तक पूरा किया जाना था। तब से पांच बार अंतिम तिथियां निर्धारित की जा चुकी हैं जिनमें से सबसे बाद की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2013 निर्धारित की गई थी। उसी बीच परियोजना की लागत बढ़ गई और अक्तूबर, 2012 के अंत तक इसके निर्माण पर 3,280 करोड़ रुपए का व्यय किया गया जबकि 30 प्रतिशत कार्य अभी पूरा किया जाना है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसका 25 प्रतिशत कार्य मई, 2010 तक, 65 प्रतिशत कार्य मई, 2011 तक और परियोजना को नवम्बर, 2011 तक पूरा करने की योजना बनाई थी। परंतु मार्च, 2014 तक केवल 80 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ। और अधिकांश पुल और उप-मार्ग अंडरपास अभी निर्माणाधीन हैं।

पानीपत, करनाल, शम्भू और लुधियाना मार्ग पर चार टोल प्लाजा हैं। करनाल टोल प्लाजा पर प्रतिदिन 35 से 37 लाख रुपए का औसत राजस्व प्राप्त होता है। वर्ष 2002 से 2011-12 तक इस टोल प्लाजा से लगभग 753 करोड़ रुपए के राजस्व की आय हुई और पथकर प्रभारों में वृद्धि किए जाने तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण यह राजस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2002-03 में जो राजस्व केवल 38.92 करोड़ रुपए था वह पथकर में वृद्धि के कारण 2011-12 में बढ़कर 134.55 करोड़ रुपए हो गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान पथकर वसूलना अनुचित है क्योंकि सड़कों को बुनियादी सुविधा माना जाता है। चूंकि रियायतग्राही परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने में विफल रहे हैं अत: उन्हें आम आदमी के हितों को नजरअंदाज करते हुए पथकर संग्रहित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जनहित के लिए पानीपत-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दे तथा रियायतग्राहियों को यह सलाह दे कि वे सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने तक आम जनता से पथकर न लें।

(नौ) झारखंड में चार्स (नदी द्वीपसमूह) का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजे जाने की आवश्यकता

श्रीमती मौसम नूर (माल्दहा) : मैं सरकार को यह बताना चाहती हूं कि गंगा नदी के किनारों का कटाव होने से वह 1950 से अब तक माल्दहा, पश्चिम बंगाल में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर बहने लगी है। इसके परिणामस्वरूप माल्दहा के मानिकचक और कालियाचक एक, दो और तीन ब्लॉकों में लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर अथवा 50,000 एकड़ भूमि लुप्त हो गई है। जलमग्न भूमि क्षेत्र झारखंड में चार्स (नदियों के द्वीपसमूह) के रूप में पुन: उभर कर आया है। पुन: उभर कर आई अधिकांश भूमि को रांची द्वारा तैयार 2011 की सूची में अधिकारिक तौर पर झारखंड में शामिल किया गया है। झारखंड प्रशासन स्थानीय लोगों को ऐसे प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक सहायता, जो कार्य करने की स्थिति में नहीं है, का प्रलोभन देकर उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है जिससे चार्स क्षेत्रों में रह रहे लोगों, जो कभी माल्दहा के निवासी थे, के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। संविधान के अनुसार राज्यों के बीच सीमाएं निर्धारित हैं और नदी के बहाव में बदलाव से सीमा नहीं बदल सकती। तदनुसार, चार्स पश्चिम बंगाल में ही रहना चाहिए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करे और इसका कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकाले।

(दस) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले टोल टैक्स में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री बी. सेनगुट्टुवन (वेल्लोर) : कंसेसनियर, एल एंड टी कृष्णागिरी वालजापेट टोलीवे लि. द्वारा वेल्लोर जिले के पल्लीकोंडा और वनियाम्बाडी

में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के प्रयोक्ताओं के लिए बढ़ाई गई दस गुना टोल फीस देश में सर्वाधिक है। इस वृद्धि से सर्वाधिक नुकसान सरकारी और निजी बस संचालकों को हुआ है। पल्लीकोंडा टोल प्लाजा पर बसों के असीमित फेरों के लिए जारी किए जाने वाले 8320/- रुपए के मासिक पास की राशि को दस गुना बढ़ाकर मात्र 50 फेरों के लिए 82,667/- रुपए प्रति यात्री बस कर दिया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त फेरे के लिए 2501 रुपए देने होंगे तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को प्रतिमाह प्रति बस 1,72,555/- रुपए का घाटा हो रहा है। इसके पास सभी यात्री बस सेवाओं को बंद करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एनएचएआई सड़क-प्रयोक्ताओं को कंसेसनियर की दया पर नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इसमें दखल देने और इस जन-विरोधी टोल-वृद्धि को वापिस कराने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) ओडिशा में गोपालपुर और धामरा पत्तनों पर यात्रियों द्वारा जहाज पर सवार होने और उतरने के लिए उन पत्तनों को आव्रजन केन्द्रों के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : समुद्र तट पर स्थित गोपालपुर को मर्चेन्ट्स शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 237 और 238 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा "पत्तन" घोषित किया गया है जहां से कोई अनबर्थड् यात्री जहाज प्रस्थान कर सकता है अथवा जहां पर यह अनबर्थड् यात्रियों को उतार सकता है। गोपालपुर पत्तन पर आव्रजन चैक पोस्ट के निर्माण का प्रस्ताव 8.2.1996 से सरकार के पास लंबित है।

इसी तरह, धामरा पत्तन ने 6 मई, 2011 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। विदेशी चालक दल वाले विदेशी जहाज बड़ी संख्या में इस पत्तन पर आते हैं। तथापि, विदेशी चालक दल के सदस्य चिकित्सकीय आपात स्थिति में भी पत्तन पर नहीं उतर सकते क्योंकि यहां आव्रजन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इसलिए मैं, केन्द्र सरकार से गोपालपुर और धामरा पत्तनों को यात्रियों द्वारा जहाज पर सवार होने और उतरने के लिए आव्रजन केन्द्रों के रूप में घोषित किये जाने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोनार, क्रेटर में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और एक पर्यटक स्थल के रूप में उसका विकास किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बुलढाणा में एक लोनार क्रेटर है जहां पर एक तारा टूटकर गिरा था एवं जिस स्थान पर तारा गिरा वहां पर एक तालाब बन गया। इस तालाब की वजह से लूनार क्रेटर को ए ग्रेड का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है परन्तु सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि प्रकृति की देन वाले इस तालाब के 500 मीटर के दायरे में अपार गंदगी है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने इस पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए यातायात की पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराए हैं जिसके कारण लोग चाहते हुए भी इस स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस पर्यटन स्थल को विकसित करने में केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने कोई रुचि नहीं ली है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थान पर आवाजाही के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जाएं और इस पर्यटन स्थल को विकसित किया जाए।

(तेरह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चयन के लिए नए फार्मेट की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनाकापल्ली) : मानव संसाधन विकास मंत्री ने 2013 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चयन के लिए टॉप 20 पर्सेंटाईल के आधार पर भारत के 16 आईआईटी में प्रवेश हेतु एक नये फार्मेट की शुरुआत की थी। इसके चलते, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी छात्र आईआईटी में प्रवेश पाने के अवसर से वंचित हो गये क्योंकि कट ऑफ अंकों के शीर्ष 20 पर्सेंटाईल को शुरू करने की प्रणाली सीबीएसई/आईसीएस और अन्य राज्य बोर्डों की तुलना में बहुत ऊंची है। मैं उन कारणों को नहीं समझ पा रहा हूं कि विभिन्न बोर्डों में पर्सेंटाईल प्रणाली भिन्न-भिन्न क्यों है।

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इस मामले को देखने और इसकी रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि इस प्रणाली को विसंगतियों को दूर कर न्याय प्रदान करें ताकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों के छात्र लाभान्वित हो सकें।

(चौदह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भागलपुर तथा आस-पास में बुनकरों की संख्या काफी है लेकिन आधारभूत संरचनाओं की कमी के चलते यहां विकास नहीं हो पा रहा है। यहां विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत एक

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण होना है। विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106 एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसके निर्माण होने से भागलपुर क्षेत्र में बुनकरों सहित विदेशी पर्यटकों तथा आम नागरिकों को नेपाल सीमा तक आवागमन करने में काफी सुविधा होगी।

अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106, वीरपुर बिहपुर मार्ग का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराये जाने हेतु संबंधित विभाग को निदेश जारी करने का कार्य करें।

(पन्द्रह) पूर्णिया से इस्लामपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की मरम्मत किए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : बिहार के पूर्णिया से इस्लामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 जो की एक फोर लेन सड़क है, पर जगह-जगह टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। इससे भारत सरकार को अच्छी खासी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसके बावजूद उक्त सड़ की हालत बद से बदतर है।

अत: मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मांग करता हूं कि सड़क की बदतर स्थिति को देखते हुए पूर्णिया से इस्लामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31, जो फोर लेन की सड़क है, की मरम्मत के लिए शीघ्र कदम उठाये।

(सोलह) देश में रबड़ की खेती संबंधी अध्ययन और उत्पाद विकास अनुसंधान हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम) : प्राकृतिक रबड़ आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व की वस्तु है, जो 1 मिलियन से भी अधिक छोटे और सीमांत किसानों को आजीविका उपलब्ध कराती है। भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा रबड़ उगाने वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। रबड़ बोर्ड के तत्वाधान में अनुसंधान और नवोन्मेष के बल पर भारत के पास औद्योगिक जगत के मुख्य क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल और टिकाऊ वस्तुओं तथा पर्यावरणानुकूल खिलौनों, सर्जिकल दस्तानों, प्रोफिलैक्टिक्स आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।

रबड़ के पौधों को कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन को सोखने में सहायता करने के लिए पर्यावरण अनुकूल माना जाता है और इसलिए ये भारत में इसकी खेती और प्रसार उचित है, जिसे भूमंडलीय तापवृद्धि के कारक उत्सर्जनों के संबंध में अपनी डब्ल्यूटीओ प्रोटोकाल प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है।

केन्द्र द्वारा पेट्रोलियम, रेलवे, खेलों, समुद्री मामलों और युवा शक्ति का उपयोग करने आदि के लिए क्षेत्र विशेष संबंधी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए की गई नई पहलों को देखकर मैं प्रस्ताव करता हूं कि रबड़ की खेती और उत्पाद विकास/अनुसंधान के क्षेत्र में आने के इच्छुक नये व्यक्तियों को शिक्षित करने और प्रशिक्षण देने के लिए रबड़ संबंधी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। सामान्य बजट प्रस्ताव 2014-15 पर चर्चा में भाग लेते हुए मैंने इस बिन्दु पर पहले ही चर्चा की थी। इसलिए, मैं वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में पहल करें।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : महोदया, सदन के एक माननीय सदस्य के विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है।... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.20½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, श्री एम. वैंकैय्या नायडू कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.21 बजे

नियम 331छ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब मद संख्या 10 — नियम 331छ के निलम्बन हेतु प्रस्ताव।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:—

> "कि वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान पर इसके अनुप्रयोग में लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331छ को निलंबित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान पर इसके अनुप्रयोग में लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331छ को निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.21½ बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अनुदानों की मांगों को स्थायी समितियों को सौंपना

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हालांकि, अनुदानों की मांगों को संबंधित विभाग से संबद्ध स्थायी समितियों को सौंपे जाने के बिना पारित करने के लिए सभा को समर्थ बनाने हेतु प्रक्रिया नियमों के नियम 331छ को निलंबित किर दिया गया है, तथापि, ये मांगें स्थायी समितियों के गठन के पश्चात् जांच और सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उक्त समितियों को सौंपी गई मानी जाएंगी ताकि समितियां उपयुक्त सिफारिशें कर सकें जिनका प्रयोग आगामी वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों को तैयार करने के लिए किया जा सकेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड) : महोदया, मेरा एक निवेदन है। मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी थी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपकी प्रिविलेज नोटिस मिली है, मैं इसको देख रही हूं, बाद में बताऊंगी।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार नोटिस दिया है, उसकी बात सुन लीजिए।... *(व्यवधान)*

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, कानून मंत्री जी यहां बैठे हैं, इस विषय को स्पष्ट कर दें, नहीं तो बहुत बड़ा विवाद और टकराव खड़ा हो गया है, कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो रही है।...*(व्यवधान)* कानून की क्या पोजीशन है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप किस बारे में बोल रहे हैं? किस बात पर बोल रहे हैं?

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, कानून मंत्री जी बैठ हैं, थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाए। वहां बहुत बड़ा कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अगर मंत्री जी कुछ बताना चाहें, तो बताएंगे, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। *[अनुवाद]* यदि वे कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। उनके बोलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। *[हिन्दी]* क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदया, जो विषय माननीय सदस्य श्री चन्दूमाजरा जी ने उठाया है, वह सरकार के ध्यान में है। अटॉर्नी जनरल की राय के आधार पर सरकार ने एक आग्रह किया था, इसके आगे जो विषय है, वह गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है।...*(व्यवधान)*

श्री बृजभूषण शरण सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमने एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हो गया, अब बैठ जाइए।

योगी आदित्यनाथ जी।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदया, एक माननीय सदस्य के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है। उनको संरक्षण कौन देगा?...*(व्यवधान)*

श्री बृजभूषण शरण सिंह : महोदया, आप हमें संरक्षण नहीं देंगी, तो हमें कौन संरक्षण देगा।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको शाम समय दे देंगे। जीरो ऑवर में उठाएंगे। अभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं, अभी जीरो ऑवर समाप्त हो गया है, हम आगे निकल गए हैं। शाम को समय दे देंगे। प्लीज बैठिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। ऐसे नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको भी शाम को समय मिल जाएगा। प्लीज बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा में मांग संख्या 106 पर चर्चा और मतदान किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अध्यक्ष महोदया के कहने के बाद अब आप लोग बैठ जाइए। स्पीकर मैडम ने कहा है कि हम अगले सब्जेक्ट पर चले गए हैं। बैठ जाइए। अब विपक्ष से कोन बोलने वाले हैं इस विषय पर – *[अनुवाद]* जल संसाधन संबंधी अनुदानों की मांगें, विषय पर सहमति बनी है। अध्यक्षपीठ ने वह नाम पुकारा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मिश्रा जी, आपका मैटर मेरे समक्ष विचाराधीन है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है, कल जिस तरीके से इनके साथ हुआ है, क्या हम यह मामला यहां नहीं उठा सकते?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है कि मैं देख रही हूं। रंजीता जी, मैं आपको शाम को मौका दूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री बृजभूषण शरण सिंह : हमारे कार्यकर्त्ताओं को मारा जा रहा है, वहां कानून का राज नहीं रह गया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रिवीलेज का नोटिस मेरे पास है। आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) **:** माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर नगर पालिका का उप-चुनाव 19 तारीख को था, जहां पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गईं। प्रशासन और सत्ता पक्ष द्वारा मिलकर चुनाव का मखौल उड़ाया गया। वहां के स्थानीय मंत्री और उनके लड़के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की गई।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप अब बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं) **:** आप चुनाव आयोग के पास जाएं। ...*(व्यवधान)*

श्री दद्दन मिश्रा : हमारे लोगों को थानों में निरुद्ध किया गया। कल 20 तारीख को जब मैं मुख्यालय जा रहा था तो मुझे वहां जाने से रोका गया। बलरामपुर और श्रावस्ती के प्रशासन द्वारा हमें मुख्यालय नहीं जाने दिया गया।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : जो आपने लिखकर दिया है, मैं देखूंगी, अब सारी बातें यहां नहीं उठाई जातीं।

श्री दद्दन मिश्रा : सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता है। अब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। मैं आपको कह रही हूं कि अगर आपने कोई प्रिवीलेज मोशन का नोटिस दिया है तो मैं उसे देखूंगी और आप बोले ही जा रहे हैं। अब आप बैठ जाएं।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) **:** अध्यक्ष जी, मेरा भी नोटिस है।

माननीय अध्यक्ष : आपका कोई नोटिस नहीं है, सिर्फ जीरो ऑवर का है, उसके लिए मैं आपको शाम को मौका दूंगी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं, अभी नहीं लिया जाएगा, बजट पूरा होने के बाद देखेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.27 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2014-15

जल संसाधन मंत्रालय

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 106 पर विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 106 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए, कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित विधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कृपया सुन लें, मैं कुछ कह रही हूं। क्या आप शोर करते रहेंगे, डिसकशन शुरू कर रहे हैं और आप हल्ला कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बाकी लोग सुन नहीं पाएंगे। हर कोई खड़ा होकर नहीं बोलेगा, सब बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : रंजीत रंजन जी, मैं आपको शाम को मौका दूंगी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.27½ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

कटौती प्रस्ताव

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण, जिनके जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उनके कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हें कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो जाती हैं। *[हिन्दी]* जिन्होंने कट मोशंस दिए हैं और अगर वे उठाना चाहते हैं, तो टेबल को तुरंत सूचित करें।

[अनुवाद]

पेश किया हुआ माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची इसके तुरंत पश्चात् सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि सदस्यगण इस सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया उसे तुरंत सभा पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, अनुदानों की मांगें मद संख्या 11, श्री गौरव गोगोई।

अपराह्न 12.28 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2014-15

जल संसाधन मंत्रालय ... *जारी*

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय जो भारत के नदियों से संबंधित है पर चर्चा, के दौरान माननीय जल संसाधन मंत्री की उपस्थिति हेतु अनुरोध करते हैं। हम माननीय मंत्री की उपस्थिति का अनुरोध करते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) : अध्यक्ष महोदया, हमें एक मिनट सुन लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको इस डिसकशन से कोई तकलीफ है?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो डिमांड ली जा रही है, उस बारे में मुझे यह कहना है कि इसका पूरा बजट हमारे सामने नहीं आया है। जो वार्षिक रिपोर्ट है, वह सामने नहीं आई। हम सांसद कैसे जानेंगे कि पहले क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है। इसका हमें पता होना चाहिए। मैं मानता हूं कि यह सही नहीं है। इसलिए जो यह डिबेट हो रही है इसे रोका जाए, वार्षिक रिपोर्ट को लाया जाए। यह तो नौकरशाहों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। लेकिन माननीय सदस्य यह जानते ही नहीं कि जल संसाधन में क्या हुआ? पहले क्या हुआ और अभी क्या प्रोग्राम है? 86 में एस्टीमेट कमेटी ने भी इस बारे में कहा था।

इसलिए नियमानुकूल हम रिक्वैस्ट करते हैं कि बहस के पहले सरकार इसका स्पष्टीकरण दे, उसके बाद बहस हो।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब आप मुझे बोलने दीजिए। मैं समझ गयी, मुझे मालूम था आप ऐसा कुछ प्रश्न उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे वार्षिक प्रतिवेदन, परिणामी बजट या उस मंत्रालय के लिए अनुदानों की विस्तृत मांग जैसे दस्तावेजों के अभाव में किसी विशेष मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा को रोकना पड़े, फिर भी मेरा विचार है कि ये दस्तावेज सदस्यों को पहले ही उपलब्ध करा देना चाहिए ताकि उन्हें इसका अध्ययन करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

[हिन्दी]

अभी-अभी यह सब बजट का जो हुआ है, मैं भी जानती हूं, पहले भी ऐसे हो चुका है। हालांकि आज डिटेल आपकी टेबल पर रखी गयी है, *[अनुवाद]* परन्तु मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि भविष्य में जिन मंत्रालयों की मांगों पर सभा में चर्चा की जानी है, उसकी विस्तृत मांगें, परिणामी बजटों और वार्षिक प्रतिवेदन कुछ समय पहले ही सदस्यों को उपलब्ध करा दें।

[हिन्दी]

ये आगे के लिए हम ध्यान रखें, अभी मैं जानती हूं कि यह प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू हुई है, अभी-अभी सरकार का गठन हुआ है, इसलिए मैं सरकार से चाहूंगी कि आगे इन सब चीजों को ठीक से फौलो करे।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष जी, आपने जो आदेश दिया है, जो ऑब्जर्वेशन आपका है, उसे हम ध्यान में रखेंगे, उसका पालन करने का हम प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : कोल एंड शकधर में भी दिया हुआ है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्रेम चन्द्रन जी, आपका प्वाइंट हो गया ना, पहले भी ऐसा होता रहा है, आपको मालूम है। आप बैठ जाइये। गोगोई जी, आप शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) **:** महोदया, जल संसाधन मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, मिनिस्टर हाउस में उपस्थित हैं। गंगवार जी आप एक बार खड़े होकर इन्हें बोलो आप बैठे हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। पानी भारतीय नागरिकों के कई पहलुओं से जुड़ा है। हालांकि हमें खुशी है कि राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं इस विषय की महत्ता को देखते हुए हमें और भी खुशी होती अगर केबिनेट मंत्री सुश्री उमा भारती जी यहां होतीं।

माननीय अध्यक्ष : वे भी यहां होंगी।

श्री गौरव गोगोई : नदियों और जल क्षेत्रों के प्रति सरकार की चुनावी चिंता को देखते हुए सुश्री उमा भारती की उपस्थिति अत्यधिक सराहनीय और बहुमूल्य होती।

माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर बोलने से पूर्व मैं इस सभा का ध्यान मणिपुर के एक तीस वर्षीय व्यक्ति की दिल्ली में मृत्यु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्हें पीट-पीट कर मार दिया गया और हमें आशा है कि इसकी त्वरित जांच की जाएगी। हम उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और हमें इस घटना पर दु:ख है एवं हम मृतक के परिवार के सदस्यों को अपनी ओर से शोक संदेश देते हैं। चुनाव के दौरान मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से वादा किया था कि इस महान सभा में मैं जो सबसे पहला विषय उठाऊंगा वह जल संसाधन का विषय होगा क्योंकि यह कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है यथा पेयजल, स्वच्छता, बाढ़ और भूजल संदूषण। मैं महसूस करता हूं कि आज न सिर्फ मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं बल्कि समस्त असम राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिनके बराक और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी राष्ट्रीय महत्व के हैं। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के प्रस्तावना में ही यह लिखा हुआ है कि जल एक दुर्लभ संसाधन है। भारत में विश्व की 18 प्रतिशत जनसंख्या है, किन्तु विश्व का केवल 4 प्रतिशत ताजे जल का संसाधन यहां उपलब्ध

है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां जल संसाधन अल्प मात्रा में है और हमें इस बहुमूल्य संसाधन पर ध्यान देना चाहिए। यह हमें विरासत में प्राप्त हुआ है और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस बजट के माध्यम से हम इस विरासत को समृद्ध करें।

महोदया, वर्ष 2014-15 के इस केन्द्रीय बजट में कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं और हम इसकी सराहना करते हैं, यथा त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 8,992 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, पूर्वोत्तर के लिए 1,474 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है और 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ डीपीआर दिया गया है। फिर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व और पहचान नहीं दी गई है और मैं इस सभा का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम पवित्र गंगा नदी के मुद्दे को उठाना चाहता हूं। *[हिन्दी]* मां गंगा को मेरा प्रणाम। मैं मां गंगा को नमन करता हूं और हमें खुशी है कि इस सरकार के नमामि गंगा के लिए 2074 करोड़ का बजट बनाया है। *[अनुवाद]* गंगा नदी विश्व के पवित्र नदियों में से एक है और पिछले 40 वर्षों में हम भारतीय इस पवित्र नदी का ध्यान रखने में असफल रहे हैं। *इंडिया टुडे* में एक रिपोर्ट है कि प्रतिदिन 3 बिलियन लीटर जल मल इस पवित्र नदी में डाला जाता है। 250 उद्योग अपने प्रदूषक तत्वों को इस नदी में डालते हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रदूषक तत्वों में 20 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक बहिर्स्राव और 80 प्रतिशत शहरी बहिर्स्राव होता हैं इसलिए एक समाज सरकार — राज्य एवं केन्द्र दोनों; लोग; कारोबार; कॉर्पोरेट; एनजीओ और विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक समुदायों को मानने वाले लोग हम सभी गंगा नदी की इस समस्या के समाधान में सामूहिक रूप से असफल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, इस सरकार ने गंगा मंथन और गंगा नदी के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया है। किन्तु इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करने से पूर्व हमारे लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पूर्व में क्या कारगर रहा और क्या कारगर नहीं रहा है। सन् 1985 से गंगा संरक्षण संबंधी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं यथा गंगा कार्य योजना संख्या 1, गंगा कार्य योजना संख्या 2 अथवा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, और 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 1,441 जल मल शोधन तंत्र स्थापित किए गए हैं। फरक्का बैराज पर विभिन्न अध्ययन किए गए और परियोजनाएं बनायी गयी है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्होंने इन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। ये मुद्दे भूमि अधिग्रहण; अनिश्चित बिजली आपूर्ति; और जल मल का अपूर्ण शोधन हो सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विशाल मिशन को शुरू करने से पूर्व पहले क्या कारगर रहा और क्या कारगर नहीं रहा का सावधानपूर्वक आकलन किया जाए और वहां से हमें आगे बढ़ाना और भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए।

माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि इस बजट में कई चुनावी वादे किए गए थे; लेकिन चूंकि यह बजट सीमित अवधि के लिए है, ऐसे में इनमें से अधिकांश चुनावी वादों के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, वनबंधु के लिए 100 करोड़ रुपए हैं; मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए हैं; या प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना 'बेटी बचाओ आंदोलन' के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री कहते हैं कि व्यवहारवादी वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लेकिन जब गंगा के संरक्षण और जीर्णोद्धार की बात आती है, तो इसके लिए बजट में करीब 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसमें अनावश्यक जल्दबाजी क्यों है। इसके लिए इतना अधिक बजट आवंटित करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, जबकि इस संबंध में पर्याप्त अध्ययन भी नहीं कराया गया है? हमें कहते हैं कि 'बेटी बचाओ आंदोलन' के लिए हमें और समय की आवश्यकता है। इसलिए, इस वर्ष ही 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के लिए हम पहले ही 4,000 करोड़ रुपए आवंटित कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदया, हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि कैबिनेट मंत्री, सुश्री उमा भारती स्वयं व्यक्तिगत रूप से गंगा के मुद्दे के लिए समर्पित हैं। इसलिए, मैं फिर से उनकी अनुउपस्थिति की ओर इशारा करना चाहता हूं। मंत्री बनने से पहले ही वह कई वर्षों तक गंगा नदी के संरक्षण हेतु मुख्य रूप से अभियान चला चुकी हैं। लेकिन जल संसाधन मंत्रालय एक व्यक्ति का मंत्रालय नहीं हो सकता और एक व्यक्ति के सपनों और आकांक्षाओं से तय नहीं हो सकता। गंगा नदी के तट पर करीब 29 शहर हैं, जिनकी जनसंख्या एक लाख से ज्यादा है और 28 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 और एक लाख के बीच है।

गंगा नदी के किनारे बसे करीब 48 नगर हैं, जिनकी जनसंख्या 50,000 से नीचे है। इसलिए, जब हम गंगा के जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो और इसमें सभी हितधारकों की राय शामिल हो। यह आवश्यक हैं कि हम 'मल्लाह' समुदाय, 'मछुआरा' समुदाय, 'कृषक' समुदाय और विभिन्न राज्य सरकारों की आवाजों को सुनें।

तथापि, जल ही में आयोजित हुए 'गंगा मंथन' में यह पहले ही देख चुके हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और हितधारकों के परामर्श को अनदेखा किया गया। 'गंगा मंथन' सम्मेलन में पहले ही इस बात की घोषणा की गई कि इलाहाबाद से हल्दिया नदी तक परिवहन कोरिडोर के लिए विश्व

बैंक की ओर से 4,000 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है। मंत्री गडकरी जी द्वारा यह भी घोषणा की गई कि वाराणसी से हुगली के बीच प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद बैराज के साथ 11 टर्मिनल होंगे और करीब तीन या पांच मीटर की लंबाई में तथा 45 मिनट चौड़ाई में गाद निकालने का काम किया जाएगा। यह एक बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना है और इस संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों ने चिंताएं जताई हैं।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने अपने आंदोलन 'गंगा बचाओ' में पहले ही अभिव्यक्त किया था कि गंगा के लिए उनका उद्देश्य 'निर्मल गंगा' और 'अविरल गंगा' तथा गंगा नदी का अविरल प्रवाह है। लेकिन जब मंत्री गडकरी जी ने स्वयं इस बात की घोषणा की कि एक-दूसरे से प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी के बाद बैराज बनाए जाएंगे, ऐसे में क्या हम गंगा के अविरल प्रवाह को सुनिश्चित कर सकते हैं? जब हम तीन से पांच मीटर तक गाद निकालने की बात करते हैं, तो क्या हम इस तथ्य का सम्मान कर रहे हैं कि गंगा कोई नदी नहीं है, जिसे काबू में किया जा सके? यह एक पवित्र नदी है और अभियांत्रिकी समाधानों से परिवहन में सुधार नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदया, गंगा की बात करें, तो यह स्पष्ट नहीं है कि इस सरकार का उद्देश्य क्या है? वो अंतर्देशीय जल परिवहन की बात करते हैं और साथ ही घाटों के सौंदर्यीकरण की भी बात करते हैं। साथ ही, वो इसे 'निर्मल' बनाना चाहते हैं। यह सब संभव नहीं है क्योंकिक जब आपकी बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाएं हों, ऐसे में आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि गंगा 'निर्मल' बनी रहे।

इस बजट में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि गंगा की सफाई के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि करीब तीन बिलियन लीटर जल-मल प्रतिदिन इसमें डाला जा रहा है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 2012 में किए गए अध्ययन के मुताबिक, एक वर्ष के 12 महीनों में 33 हजार अंतिम संस्कार होते हैं, जिसका अर्थ है 700 टन राख और अधजली हड्डियां और अस्थियां गंगा में बहाई जाती हैं। हम जानना चाहते हैं कि यह केंद्र सरकार 'निर्मल गंगा' किस प्रकार सुनिश्चित करना चाहती है।

वाराणसी शहर में ही प्रतिदिन करीब 400 एमएलडी जल-मील उत्पन्न होता है। केंद्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाएगी?

एक विशाल और महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा करना एक चीज है और एक स्पष्ट माननीय और कार्यान्वयन आधारित रूपरेखा की घोषणा पूरी तरह से अलग चीज है।

गंगा नदी पर अत्यधिक ध्यान देने के साथ, मेरी चिंता यह है कि जल संसाधन मंत्रालय के अन्य कार्य-कलापों को कमजोर किया गया है या अत्यधिक समझौता किया गया है। यह सूखा ग्रस्त वर्ष है। भारत के पश्चिमी राज्यों को न्यूनतम वर्षा प्राप्त होगी। परंतु इस समय, केंद्रीय बजट में कोई भी उपाय इंगित नहीं किया गया है कि सरकार जलाशयों के संबंध में क्या करेगी। हमारे जलाशयों में सिंचाई के लिए जल होता है और फिर भी यह सम्मानित सभा यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे जलाशय अपनी भंडारण क्षमता का 22 प्रतिशत कार्य कर रहे हैं। जल इस देश की अत्यावश्यक संपदा है। यह हमारे किसानों को जीवन देता है। यह हमारे नागरिकों को जीवन देता है। यह हमारी मृदा को पुन:निर्मित करता है और हमारे वनों को पुर्नजीवित करता है। फिर भी हमारे जलाशय क्षमता के 22 प्रतिशत पर कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, आपको आगे यह जानकर और भी आघात लगेगा कि हाल ही में तेलंगाना के बहुत ही प्रतिभाशाली तकनीकी विद्यार्थियों का एक समूह जो कि तब डूब गया जब वे एक तैराकी अभियान पर थे, क्योंकि बिना चेतावनी के बांध का पानी छोड़ दिया गया। इसी प्रकार, भारत में ऐसे कई अन्य बांध है जो कि कई वर्षों पुराने हैं और उनका ढांचा कमजोर हो गया है। क्या यह सम्मानित सभा यह जानती है कि बांध सुरक्षा अध्ययनों पर कितना धन व्यय किया गया है? उत्तर 'शून्य' है। बांध सुरक्षा अध्ययनों पर इस बजट ने शून्य धन दिया है। क्या हम उनके परिवारों की, जो डूब गए, का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या हम उन गांवों की यादों का अपमान नहीं कर रहे हैं जो तब डूब गए जब बांध से अचानक पानी छोड़ा गया?

बांध सुरक्षा और जलाशयों के साथ ही, हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्वीकारना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति 2012 स्वयं कहती है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन वर्षा स्वरूप को प्रभावित करते हैं।

कितना वर्षा के अनुमान योग्य स्वरूप पर निर्भर करते हैं। एक किसान का जीवन तब अस्थिर हो जाता है जब वर्षा उस समय नहीं होती जब इसको होना चाहिए। और भू-जल संक्रमण पर भी, इस सरकार ने कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए हैं। सरकार ने 8992 करोड़ रुपए की त्वरित सिंचाई लाभ प्रबंधन योजना की घोषणा की है परंतु असम और पश्चिमी बंगाल में ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर भू-जल आर्सेनिक और फ्लुरॉइड से संक्रमित है। क्या हम चाहते हैं कि उस भू-जल को निकाला जाए और हमारे खेतों में छिड़काव किया जाए और उसके बाद चावल और भोजन हमारे बच्चों को खिलाया जाए और इस तरह उन्हें जहर खिलाएं? आईआईटी दिल्ली में एक अध्ययन से खुलासा हुआ है कि हमारे भू-जल में प्रतिबंधित कीटनाशक डीडीटी मौजूद है। इस सरकार ने भू-जल संक्रमण के लिए क्या किया है?

सरकार यह कहती है कि उन्हें स त्ता में आए हुए केवल 45 दिन हुए है। फिर भी उनकी सोच में परिपक्वता और सत्तता दिखाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश, उनकी सोच अपरिपक्वता दर्शाती है और मूलस्वरूप यह केवल लघु और मध्यम अवधि उपाय अपना रही है।

बहुमूल्य संपदा क्या है? यदि हम इसे संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें जल संसाधनों का निर्माण, संसाधनों का उन्नयन, उन्हें विश्व-स्तर का बनाना होगा और इन संस्थानों में सर्वोत्तम लोगों को कार्यरत करना होगा। स्वयं जल संसाधन मंत्रालय के साथ ऐसे संस्थान संलग्न है। ये है – केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय मृदा और पदार्थ अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय जल विज्ञान और केंद्रीय भू-जल संस्थान। इन संस्थानों के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। इन संस्थानों ने कार्यक्रमों, अभियानों और योजनाओं की अनुमति देने में पिछड़े हुए है।

अध्यक्ष महोदया, यदि आप इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें इन संस्थानों को आवश्यक रूप से मजबूत करना होगा जो कि यह सरकार नहीं कर रही है।

मंत्रालय यह भूल गया है कि वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे भारत में, कई राज्यों में उनके परिवारों का संबंधित राज्यों में नदियों से एक आध्यात्मिक और गहरा धार्मिक संबंध है, चाहे वो कृष्णा हो, व कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, बह्मपुत्र या बराक हो? स्वयं असम से, प्रत्येक वर्ष लोग गंगा नदी के घाटों पर आते हैं लेकिन जब वे गंगा नदी के घाटों पर आते हैं उनके मास्तिष्क में एक प्रार्थना होती है और उनकी प्रार्थना ब्रह्मपुत्र में बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए होती है, बराक नदी के बाढ़ प्रभावितों के लिए होती है। जब वे घाट पर आते हैं, तो मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मृदा अपर्दन को रोकें, जो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हो रहा है।

केंद्र सरकार ने उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी है। यह केंद्र सरकार भूल गई है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मृदा अपरदन के कारण भूमि का एक बहुत बड़ा भाग कट चुका है। 2004 के मूल्यों के अनुसार 36,000 करोड़ रुपए की आर्थिक हानि हुई है। यह आर्थिक हानि असम राज्य को हुई है। राज्य किस प्रकार कार्य कर सकता है यदि उसे इस केंद्रीय बजट 2014-15 से सहायता प्राप्त नहीं होती है?

महोदया, बह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र बढ़ रहा है। 1912 में यह 3,870 वर्ग किलोमीटर था। 2006 में यह दुगना होकर 6080 वर्ग किलोमीटर हो गया। भूमि की हानि वार्षिक 8000 हैक्टेयर है।

महोदया, एक मुद्दा है जो असम में सभी राजनीतिक दलों के सभी सांसदों को एक करता है। चाहे वह धुवरी से हो, सिलचर से हो, जोरहाट से या फिर लखमीपुर से, भूमि अपरदन को राष्ट्रीय महत्व दिया जाना चाहिए और इसे आवश्यक रूप से राष्ट्रीय आपदा की तरह माना जाना चाहिए। मैं सभी राजनैतिक दलों के सांसदों का आह्वान करता हूं कि हमें इस सरकार को अवश्य यह बताना चाहिए कि हमें एक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता है जो इस मामले को एक व्यापक और समग्र रूप से देखेगा।

राज्य में यह दल असम में हमारे आध्यात्मिक गृह मजूली द्वीप के बारे में काफी बात करता है लेकिन यह द्वीप डूब रहा है। इस सरकार ने एक विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की है। हम मजूली द्वीप के लिए एक विशेष पैकेज देने की मांग करते हैं।

इस पर काफी चिंताएं व्यक्त की गई है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। कल, यदि चीन के साथ हमारी कानूनी लड़ाई होती है कि ब्रह्मपुत्र पर किसकी ज्यादा पहुंच है, फिलहाल चीन के पास यह कहने का कानूनी विकल्प है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र पर अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है और असम और बाकी पूर्वोत्तर भारत ने नहीं किया है। इसलिए, भारत की पहुंच, चीन के समान नहीं है और अत: हमारी जल सुरक्षा की संरक्षा हेतु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर परियोजनाएं समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए।

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ मामले को जैसे टिकिकलाई, सपोरीपोरा, धनसीरी मुख, कमरगांव पोरा विहोरा, कालाड्रोवा से लाहोरीघाट तक, मोआमरी से सिलघाट, रानामोरा सिंचाई परियोजना, कलबाड़ी, बहफोला, नेऊलघाट अपरदन परियोजना, लवखुवा को उठाना चाहता हूं। यह कुछ महत्वपूर्ण अपरदन और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं है जिन्हें इस सरकार द्वारा गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है।

मुझे इतना समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस सभा के सदस्यों को आदर देने और धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझ में दिखाया। अंत में, मैं महान कवि श्री भूपेन हजारिका द्वारा स्वयं की एक उक्ति के साथ समाप्त करना चाहूंगा:

"महाबहु ब्रह्मपुत्र, महामिलानार तीर्था, कोरोजुग
धोरी अहिसे परकासी समन्सयर अर्थो।"

महान ब्रह्मपुत्र धर्मनिरपेक्षता और एकीकरण के लिए एक तीर्थ है। *कोटो लुग अहिसे प्रकासी समान्सयर अर्थो और कोटोजुग* हजारों-हजारों सालों से, धोरी अहिसे प्रकासी समान्सयर अर्थो। *[हिन्दी]* हजारों हजारों युगों से ब्रह्मपुत्र नदी का शांति हारमनी और सदभावना का जो मैसेज है,

इसे पकड़कर रखा है। मैं रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि कृपया ब्रह्मपुत्र और बराक को ऐसे इगन्योर न करें। इन नदियों के साथ लाखों परिवारों की प्रार्थना जुड़ी है, उस प्रार्थना को कृपा करके यह सरकार सुने। यही बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

(सांकेतिक)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक (पृष्ठ 382) के अंतर्गत मांग में से 100 रुपए कम किए जाएं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

बिहार के मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर और बांका जिलों में लंबित पड़ी सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक निधि प्रदन किए जाने की आवश्यकता। (1)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक (पृष्ठ 382) के अंतर्गत मांग में से 100 रुपए कम किए जाएं।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता। (2)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक (पृष्ठ 382) के अंतर्गत मांग में से 100 रुपए कम किए जाएं।

श्रीमती मौसम नूर (माल्दहा) : मैं प्रस्ताव करती हूं:

महानंदा और फरक्का नदियों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक सौ करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (7)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी) : महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं दूसरी तरफ बैठे माननीय सदस्य का भाषण सुन रही थी। मैं यह समझती हूं कि वह इस बात से प्रसन्न हैं कि इस सरकार, अर्थात् मोदी जी की सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र और असम के लिए एक बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, मैं यहां एक बात कहना चाहती हूं कि ब्रह्मपुत्र एक बहुत विशाल नदी है जिसकी चौड़ाई लगभग 25 किमी. है। यह सब एक दिन में नहीं हुआ है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया लगातार ऐसे ही चल रही है। परन्तु, पूर्व सरकार ने असम और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोगों के लिए साठ वर्षों में क्या किया है? लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हो रहे हैं। भारी भू कटाव के कारण वे लोग बहुत गंभीर स्थिति में जी रहे है। कोई भी एक माह या डेढ़ माह में कुछ नहीं कर सकता।

माननीय सदस्य ने बांधों के बारे में कुछ कहा है। परन्तु, बांध हमारे मंत्री ने नहीं बनाए हैं। देश के वंचित लोगों के बारे में गंभीरता से सोच विचार किए बिना इसकी परिकल्पना, प्रस्ताव और निर्माण तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया।

मैं जल के बारे में बात करना चाहती हूं। हम यह जानते हैं कि जल भगवान नारायण का निवास स्थान है। हम यह जानते हैं कि यह एक दुर्लभ संसाधन है। पूर्व में हमारे ऋषियों ने श्लोक में जल का वर्णन इस प्रकार किया है:—

"गंगा च यमुना चेबा गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जले समिन सन्निधिय कुरु"

सभी जल धाराओं को एक साथ मिलाया जाए, सभी नदियां एक हैं। देश के लोगों के कल्याण के लिए उन सभी नदियों को आपस में जोड़ा जाए। परन्तु, अब जल प्रचुर मात्रा में बचा नहीं है। यह संसाधन अनन्त नहीं रह गया है। यह एक समिति संसाधन है। यह लोगों ओर देश के लिए अत्यधिक गंभीर समस्या है।

मुख्य बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहती हूं और नदी के उद्गम क्षेत्र का ध्यान रखते हुए नदियों को परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से इस दुर्लभ संसाधन का संरक्षण किया जाए। हमें जल की प्रभुरता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों अथवा ऐसे क्षेत्र, जहां जल की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है, तक जल को पहुंचाने पर विचार करना चाहिए। मैं वर्ष 1998 से 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राजग सरकार की अवधि का संदर्भ देना चाहूंगी। उस समय, यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया था अत:, देश के आम लोगों की भलाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों का मिलकर कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया था। दूसरी बात यह है कि बिजली, पानी और सड़क सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिजली और पानी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा नहीं मिल सकता है। यही कारण है कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं।

संघीय शासन का सिद्धांत प्रत्येक क्षेत्र के आम लोगों के हित में राज्य के विवादों का निपटारा करने का उत्तरदायित्व केन्द्र को देता है। यहां माननीय सदस्य ने तेलंगाना का संदर्भ दिया है। अपने अनुभव से मैं विश्वासपूर्वक कह सकती हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। उन्होंने इस समस्या पर गंभीर विचार किया है। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि विवेकपूर्ण निर्णय से सरकार के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित देश में जल संसाधनों हेतु कार्यान्वयन योजना बनाते समय इस सिद्धांत को अपनाया जाएगा।

महोदया, मैं गंगा नदी हेतु अलग मंत्रालय गठित करने और इसके लिए गंभीर योजनाएं बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अवश्य प्रशंसा करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं। प्राचीनकाल में भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री गंगा को प्रदूषण रहित करने, इसे पुन: शुद्ध करने और इसे पहले की तरह ही निर्मल बनाकर देशवासियों को वापस देने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के तहत कड़े प्रयास कर रहे हैं।

महोदया, केवल पुस्तकों से कुछ पक्तियां पढ़कर गंगा को नहीं समझा जा सकता। गंगा एक प्रवाहमयी नदी है। यह सभी नदियों की जननी है। हिमालय पर्वतमाला में लगभग 5000 हिमनद हैं और केवल गंगा ही एक मात्र ऐसी नदी है जो इन सभी को समाहित करती है। गंगा को समझने के लिए दिल चाहिए। 4000 करोड़ या 5000 करोड़ रुपए कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गंगा को शुद्ध करना चाहता है तो उसे गंगा को प्रदूषण मुक्त करना होगा और यह तत्काल आवश्यक है। गंगा कई राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अत: गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए काफी धन की आवश्यकता है। जब हम गंगा नदी को प्रदूषणमुक्त करेंगे तो इससे देश की अधिकांश नदियों को प्रदूषणमुक्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री, माननीय उमा भारती जी देश की सभी नदियों पर अत्यधिक ध्यान दे रही हैं। यह हम अच्छी तरह जानते हैं।

महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि गंगा हेतु समग्र योजना का अर्थ है, गंगा के उद्‌गम स्थल से ही इसे साफ करने की योजना बनाना। हमें उन घाटियों, दर्रों, जंगलों जहां से होकर यह बहती है, उसकी जलीय चट्‌टानी परत एक्वीवरों मानसून अपवाह की अधिकता के उपयोग आदि को नहीं भूलना चाहिए। सभी का ध्यान रखा जाएगा। जब माननीय सदस्य कार्य योजना के बारे में कहते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि कार्य योजना में क्या है? माननीय प्रधानमंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री दोनों ही गंगा के प्रत्येक भाग पर ध्यान देने का संकल्प ले चुके हैं। हिमनद, एक्वीवरों, वनों, मत्स्य क्षेत्रों, किनारे रहने वाले लोगों, सभी का ध्यान रखा जाएगा।

वर्तमान परिस्थितियों में, भारत में स्थानीय व्यापार और यात्रा के लिए बहुत अधिक जलमार्गों की आवश्यकता है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। नदियों का गहरा किया जाना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। नदियों की गाद की सफाई नहीं होने से नदियां उथली बन जाती हैं। यही कारण है कि हल्की बारिश से भी देश की लगभग सभी नदियों में बाढ़ आ जाती है। विशेष रूप से ऐसा देश के मेरे भाग में असम के बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी दोनों में है।

दूसरी बात, नदियों और देश के अन्य जल निकायों में प्रदूषण की मुख्य समस्या है। अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करके हमें विभिन्न शहरों में औद्योगिक कचरों के वाहक नालों, जो विभिन्न नदियों में गिरते हैं, को प्रदूषकों से मुक्त करना चाहिए। अन्यथा, नदियों को शुद्ध नहीं किया जा सकता है।

अपराह्न 1.00 बजे

तीसरी बात, विशेष त्योहारों के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। नदियों के किनारे भी कई त्योहार मनाएं जाते हैं जो प्रदूषण पैदा करते हैं। अत: मैं महसूस करती हूं कि हमें नदियों के किनारे मनाए जाने वाले विशेष त्योहारों के लिए सुविधाएं प्रदान करने में सहायता करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अपने भाषण को लंच के बाद कांटीन्यू कर सकती हैं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : जी मैडम।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई

[श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 2.02½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र ... जारी

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : महोदय, मैं

वर्ष 2014-15 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एलटी 221/16/14]

अपराह्न 2.03 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य) — 2015 ... *जारी*

जल संसाधन मंत्रालय

[अनुवाद]

माननीय सभापति : सभा अब चार्चा जारी रखेगी।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी) : अपना भाषण पूरा करने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, जल संसाधन मंत्री सभा में पीठासीन हैं और एक पूर्व जल संसाधन राज्य मंत्री बोल रही हैं। क्या यह एक संयोग है?

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : हां, मैं एक मंत्री थी, अब नहीं हूं। मुझे याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद।

जो कुछ भी हो, मैं बाढ़ योजनाओं का नदियों के पारिस्थितिकीय सीमाओं, जिसमें जलीय खेल, नहाने के घाट और हरे-भरे पेड़ों की कतारें वाले पर्का हों, में रुपांतरण चाहूंगी। इसमें अधिशेष जल और मानसूनी अपवाह के साथ निरंतर रखरखाव वाले नदी तल की पर्याप्त गहराई का उपयोग हो सकता है। मेरे राज्य असम और मेरे निर्वाचन क्षेत्र गौहाटी सहित देश के विभिन्न भागों में यदि ऐसा किया गया होता तो लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। गौहाटी के लोग इस समय कृत्रिम बाढ़ से जूझ रहे हैं जिसमें लगभग पांच लाख व्यक्ति प्रभावित हैं। ऐसा अनियोजित कार्यों की प्रकृति के कारण हुआ है। कोई सड़क नहीं है जहां कोई काम कर पाये; संचार भी पूरी तरह से ठप्प हो गया है। अत: मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी इस मुद्दे पर ध्यान दें। वहां की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं देख रही है और गौहाटी जहां से मैं हूं, के लोगों के दर्द को जानबुझकर अनदेखा कर रही है।

राजग के कार्यकाल के दौरान, पहले लगभग 750 करोड़ रुपए — महोदय, आप भी उस समय केबिनेट मंत्री थे और संभवत आपको अच्छी तरह ज्ञात हो — पगलाडिया परियोजना हेतु स्वीकृत हुआ था। पिछली सरकार के असहयोग के कारण वह परियोजना पूरी नहीं हुई, उन्होंने कुछ करोड़ रुपए खर्च किया और वह समाप्त हो गया। यदि वह परियोजना पूरी हुई होती तो उस क्षेत्र की अधिकांश समस्याएं हल हो गई होतीं।

आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड अब पूर्णत: समाप्त हो गया है। माननीय मंत्री जी इसके बारे में अच्छी तरह जानती हैं और विश्वास है कि वह देखेंगे कि इसको कैसे कार्य योग्य बनाया जाये।

दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य ने एआईडीपी फंड के बारे उल्लेख किया है। राजग सरकार के दौरान, एआईडीपी निधि के तहत योजनाओं हेतु हजारों करोड़ रुपए दिए गए थे। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र का यदि दौरा करें तो देखेंगे कि कोई भी ऐसी सिंचाई योजना नहीं है जो पूर्ण हुई हो। किसी को पता नहीं है कि धनराशि कहां चली गई। मैं इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताना चाहती। यह दु:खद पहलू है। बेहतर होगा इसके बारे में अधिक न बोला जाए।

इसी प्रकार, विभिन्न बांधों, विशेषत: ब्रह्मपुत्र बांध के लिए एक निधि का गठन हुआ था। 150 से अधिक सीमाएं अभी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। पिछले 50 वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ और परिणामस्वरूप असम के काफी क्षेत्र भारी बाढ़ और भारी कटाव वाले हैं। हमारे पक्ष के सदस्यगण श्री कामाख्या प्रसाद और श्री रामेश्वर तेली कहते रहे हैं कि डिब्रूगढ़, जोरहाट और तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ विमानपट्टन जैसे क्षेत्र संकट में है। जोरहट कस्बे के साथ-साथ जोरहट विमानपट्न संकटग्रस्त हुआ है। रोहमोरी कटाव के कारण गुवाहाटी विमानपट्टन और गुवाहाटी विश्वविद्यालय संकटग्रस्त हुए हैं। नदियों के कटाव के कारण पूरा डिब्रूगढ़ कस्बा संकटपूर्ण हुआ है। यहां तक कि वे उपनगरीय क्षेत्र जहां सेना रहती है, बहुत ही खराब स्थिति में है। मैं जानती हूं कि माननीय मंत्री जी एक बहुत ही संवेदनशील मंत्री हैं। वे इस पर ध्यान देंगी और पिछली सरकार के प्रत्येक गलत कार्य को सुधारेगी। मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि मैंने पिछली सरकार से अनुरोध किया था कि बाढ़ और अपरदन पर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार करे। ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने के लिए भारी राशि की आवश्यकता होगी। यह गंभीर समस्या केवल केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बाद ही हल होगी। अत: मैं अनुरोध करती हूं कि इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या माना जाये।

जल का एक अन्य मुख्य स्रोत भू-जल है परन्तु इसकी विशेषताएं क्षेत्र-वार बदलती रही हैं। इसके अतिरिक्त, यह एक समाप्त होने वाला स्रोत है और कोई व्यक्ति यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि भू-जल बाढ़ के पानी या वर्षा द्वारा प्राकृतिक रूप से पुन: भर जाएगा। यह संभव नहीं है। एक विशेष क्षेत्र का प्रत्येक भू-जल स्रोत तकनीकी सहायता से उपचारित करने की आवश्यकता है। भू-जल स्रोतों की निहित अनिश्चितता और जटिलताओं हेतु सावधानीपूर्वक उपचार करने की आवश्यकता है। आप

यह अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप राजग सरकार के दौरान मंत्री रह चुके हैं।

यहां तक कि दिल्ली में भी, भू-जल का स्तर इतना नीचे हो रहा है कि कुछ क्षेत्र सूखते जा रहे हैं। अत: हमें समुचित नेटवर्किंग, निगरानी और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। हमारे लिए जो कुछ भी शेष है उसे बचाने के लिये जागरुकता आवश्यक है। हमें विश्वास है कि हमारी संवेदनशील मंत्री, माननीय सुश्री उमा भारती दक्षतापूर्वक इस भारी कार्य को करने का प्रयास करेंगी क्योंकि उन्हें यह तथ्य ज्ञात है कि मानव के जीवन हेतु पानी की प्रत्येक बूंद महत्वपूर्ण है।

हमें पता है कि गरीबी और अशिक्षा दोनों पानी को दूषित करने में योगदान देते हैं चाहे यह भू-जल हो या सतह-जल। अत: इस संबंध में सावधानीपूर्वक कार्य करना आवश्यक है। मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वहां के लोगों प्रशिक्षित किया था कि किस प्रकार वे मितव्ययतापूर्ण ढंग से सिंचाई करे अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश के लोगों के लिए यह एक बड़ा उदाहरण है।

माननीय उमा भारती जी, जिनके पास समस्या को समझने और उसका हल निकालने की दक्षता है इस समिति संसाधन के उपयोग और संरक्षण हेतु विकास के लिए पारितोषिक का प्रस्ताव कर सकती हैं। मुझे विश्वास है कि इस सीमित संसाधन के संरक्षण हेतु उचित मार्गदर्शन के लिए वह सही व्यक्ति हैं।

महान हिमालय ने हमें 5000 हिमनद दिये हैं। प्रत्येक चीज के नियंत्रण से निश्चित रूप से हमारे देश को समृद्ध बनाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

सर, इस पर मैं एक पंक्ति कहना चाहती हूं—

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे, मोती मानुस चूना।।

[अनुवाद]

अत: यह एक चेतावनी है क्योंकि जल असीमित उत्पाद नहीं है बल्कि एक समिति उत्पाद है। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और उमा भारती जी के कुशल नेतृत्व में और सभी के मार्गदर्शन में संसाधन के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। इसे देश में उपलब्ध जल संसाधनों के सावधानीपूर्वक, प्रबंधन और अच्छी प्रकार से उपयोग से ही ऐसा संभव होगा। *[हिन्दी]* सर, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहती हूं। भूपेन हज़ारिका का एक गाना याद आ गया। बांग्लादेश में गाए थे। यह है—

गंगा आमार मां, पद्मा आमार मां,
दोनों आंखें ज्योतिर्धारा, गंगा जमुनार

[अनुवाद]

इसका अर्थ है कि गंगा हमारी माता है, यमुना हमारी माता है और यह हमारी आंखों का आंसू है। सभी एक है—सभी नदियां का एक ही स्रोत है अर्थात् हिमालय। यदि हम माननीय उमा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार इसका समुचित ध्यान रखें तो मैं समझती हूं कि हमारा देश संपन्न और समृद्ध बनेगा।

***श्री आर.के. भारती मोहन** (मइलादुथुरई) : माननीय सभापति महोदय, मैं जल संसाधन हेतु अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं तमिलाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरचिदथलैवी अम्मा को धन्यवाद देता हूं मैं अपने मइलादुथुरई निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लोक सभा हेतु निर्वाचित किया। यह मेरा पहला भाषण है।

संत तिरुवल्लुवर कहते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। जल जीवन का अमृत है। यह प्रकृति का उपहार है। यही कारण है कि हम ब्रह्मांड के पांच तत्वों में जल को अधिक महत्व देते हैं।

मां के बिना जीवन संभव नहीं है। माननीय पुरुचिदथलैवी अम्मा तमिलनाडु के लोगों की ध्रुवतारा हैं। देश की समृद्धि के लिए महिलाओं को अधिक सम्मान देना चाहिए। लोक सभा में एक महिला अध्यक्ष हैं। मेरी पार्टी अन्नाद्रमुक में चार महिला संसद सदस्य हैं। हमने अपनी नदियों का नामकरण महिलाओं के नाम पर किया है।

कवि टैगोर ने राष्ट्र गान में गंगा और यमुना के बारे में उल्लेख किया है। महान कवित भरतियार ने उन नदियों की सूची दी है जिन्होंने तमिलनाडु को उपजाऊ भूमि बनाया है। कावेरी, देनपेन्नई, पालर, वैनेई, पोरुनई और कई अन्य नदियां तमिलनाडु को उपजाऊ बनाती हैं।

नदियों और तालाबों सहित सभी जल स्रोत प्रदूषित होने जा रहे हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि इन जल स्रोतों का संरक्षण करें। गंगा हिन्दुओं के लिए एक पवित्र नदी है। नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ है।

गंगा की लम्बाई 2525 किलोमीटर है और चार राज्यों — उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती है। यह 9 लाख 50 हजार वर्ग किमी. के क्षेत्र हेतु सिंचाई प्रदान करती है। प्रतिवर्ष गंगा के निकट 40 हजार मृत व्यक्तियों को जलाया जाता है। और 15 हजार टन राख प्रतिवर्ष इसमें प्रवाहित की जाती है। प्रतिवर्ष गंगा नदी में लगभग 140 से 200 टन अधजली लाशें प्रवाहित की जाती हैं। हमें जानना चाहिए

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कि हम गंगा को कितना प्रदूषित करते हैं। नमामि गंगा योजना के तहत, गंगा को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए बजट में 2037 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त, गंगा के घाटों में सुधार हेतु 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मैं इसका भी स्वागत करता हूं।

इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार को तमिलनाडु की नदियों सहित देश की सभी नदियों और नदीतटीय प्रणालियों की सफाई के लिए धनराशि आवंटित करनी चाहिए। तमिल में यह आदि महीना है। गंगा में जिस प्रकार आरती पूजा की जाती है, हमारी तमिल महिलाएं कावेरी और तमिलनाडु की अन्य नदियों के घाटों पर आरती पूजा करती हैं। मेरा निवेदन है कि तमिलनाडु की नदियों के घाटों के सुधार के लिए विशेष धनराशि आवंटित की जाए।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरचिदथलैवी अम्मा की वर्षा जल संचयन योजना पूरे देश के लिए उपयुक्त है। गिरते भू-जल स्तर की चिन्ता करते हुए, माननीय पुरचिदथलैवी अम्मा ने वर्षा जल संचयन योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यह वर्षा जल संचयन योजना पूरे देश में लागू करें।

माननीय अम्मा ने कृषि संबंधी तालाब योजना (पन्नई कुट्टई) का वर्ष 2001-2006 के दौरान उद्घाटन किया था। इस योजना से भारी पैमाने पर किसानों को लाभ मिला और मेरा निवेदन है कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाए। माननीय अम्मा ने इस योजना को दूरदर्शिता के साथ लागू किया। इस योजना के तहत थंजाबुर में 1360 तालाब; तिरुवरुर जिले में 1340 तालाब और नागपट्टिनम में 1670 तालाब निर्मित किए गए। कुल मिलाकर कृषि हेतु 4370 तालाब पुन: चालू किए गए।

सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन हेतु, इस बजट में 7729 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, राज्यों के लिए 950 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मेरी मांग है कि इन योजनाओं के तहत तमिलनाडु को अतिरिक्त धनराशि आबंटित की जानी चाहिए।

एक तरफ हम मानसून की असफलता से प्रभावित हैं वहीं दूसरी तरफ भारी बाढ़ के कारण हम अतिरिक्त जल का संचयन नहीं कर पा रहे हैं। अनुप्रयुक्त अतिरिक्त वर्षा जल समुद्र में बह जाता है। अत: जल प्रबंधन की आवश्यकता है।

विविधता में एकता पर हम गर्व करते हैं। परन्तु नदी जल साझेदारी वर्षों से एक ऐसा मुद्दा है जो हल नहीं हो पाया है। नदियों को जोड़ना समय की मांग है। शुरू में, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने हेतु बजट में 100 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है। मैं चाहता हूं कि आगे की प्रक्रिया और तीव्रता से हो।

किसान देश के रीढ़ हैं। जब तक वे खेत में हल नहीं चलाएंगे, हमें भोजन नहीं मिलेगा। तमिलनाडु के किसान मानसूनी वर्षा के प्रति चिंतित हैं।

कर्नाटक के साथ कवेरी का मुद्दा है और केरल के साथ मुल्लईपेरियार बांध का मुद्दा है। माननीय पुरचिदथलैवी अम्मा ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और तमिलाडु के लिए अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ। माननीय अम्मा के अथक उपास के कारण कावेरी न्यायाधिकरण का अंतिम विनिर्णय 19 फरवरी, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

यह माननीय पुरचिदथलैवी अम्मा के अथक प्रयास की जीत है। ऐसा केवल माननीय अम्मा के कारण संभव हो पाया है। केवल माननीय अम्मा ही तमिलनाडु के किसानों के हितों की रक्षा कर सकती हैं।

जैसा कि माननीय अम्मा ने मांग की हैं केन्द्र सरकार को कावेरी न्यायधिकरण के आदेश को लागू करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का तुरंत गठन करना चाहिए।

केरल के साथ मुल्लाईपेरियार मामले में माननीय अम्मा की जीत हुई है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बांध की ऊंचाई 136 से 142 फीट बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इस विनिर्णय क्री घोषणा इसी वर्ष 7 मई को हुई थी। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निगरानी समिति गठित करने का निदेश दिया तो माननीय अम्मा ने तत्काल ही इस समिति हेतु एक सदस्य को नामनिर्देशित कर दिया।

माननीय पुरचिदथलैवी अम्मा ने निगरानी समिति के गठन हेतु मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है। तमिलाडु का लोक निर्माण विभाग तमिलनाडु के परम्बिक्कुलम, पेरुवारिप्पल्लम और दुनाक्काडवू बांध का रखरखाव कर रहा है। इस संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणी तमिलनाडु की जीत है। माननीय अम्मा ने कर्नल जॉन पेन्निक्युक, एक ब्रिटिश अभियंता, जिन्होंने इस बांध का निर्माण किया, कि याद में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मारक के निर्माण की घोषणा की है।

कावेरी डेल्टा के विकास हेतु, माननीय अम्मा ने 1560 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 4340 किलोमीटर की लम्बाई के 2542 झील और 302 बांध 777 करोड़ रुपए की लागत से पुन:निर्मित कराए जाएंगे। तमिलनाडु में कई झीलें और बांध हैं जिनकी मरम्मत हेतु अतिरिक्त धनराशि आवश्यक है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सिंचाई हेतु योजना परिव्यय 10000 करोड़ रुपए है।

मेरा निवेदन है कि तमिलनाडु में कृषकों के अनुकूल जल संसाधन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु तमिलनाडु को पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाए।

नदियों में प्रदूषण को रोकने हेतु केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को एक दूसरे के साथ मिलकर वृहद स्तर पर कार्य करना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि माननीय अम्मा की मांग के अनुसार तमिलनाडु के जल संसाधन कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त धनराशि नियत की जाए। मेरा यह भी निवेदन है कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड तत्काल गठित किया जाए।

वर्ष 2007-2014 की अवधि के दौरान कावेरी डेल्टा के किसान प्रभावित हुए हैं। जल के अभाव में लगभग 5 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि पर बुआई नहीं हुई। प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए के अनाज का नुकसान हुआ। कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण के आदेशानुसार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की तत्काल स्थापना की जानी चाहिए। वित्तीय और खाद्यान्न की क्षति संबंधी तमिलनाडु सरकार की चिंता का विधिवत् समाधान किया जाना चाहिए।

पिछली संप्रग सरकार ने तमिलनाडु के कल्याण की ओर उदासीनता दिखाई। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस नई सरकार से हमें काफी उम्मीदें हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार तमिलनाडु के हितों की रक्षा हेतु केन्द्र सरकार को कार्य करना चाहिए। तमिलनाडु के किसानों के कल्याण हेतु कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण की तुरंत स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को नदी-जल साझेदारी के पुराने मुद्दे का समाधान भी निकालना चाहिए।

अंतिम विनिर्णय की घोषणा 5 फरवरी, 2007 को हुई थी। केरल और कर्नाटक ने शुरू में इसका विरोध किया था। उसके बाद तमिलनाडु ने भी इस विनिर्णय का विरोध किया था। पिछले साल वर्ष के दौरान, इस विनिर्णय को लागू किए जाने के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ भी नहीं कहा। जब विस्तृत विवरण के साथ न्यायाधिकरण के पास गये तो न्यायाधिकरण ने कहा कि चूंकि मामला विचाराधीन है, अत: इस मुद्दे को नहीं ले सकता। इस मामले में तमिलनाडु सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। चूंकि कर्नाटक और केरल प्राथमिक हितधारक हैं, अत: कर्नाटक और केरल की तुलना में तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। कर्नाटक को 12 जून से 20 सितम्बर की अवधि के दौरान तमिलनाडु के लिए 192 टीएमसी पानी में से 134 टीएमसी पानी छोड़ देना चाहिए। किन्तु कर्नाटक ने जुलाई और अगस्त महीने के दौरान तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी वांछित मात्रा में नहीं छोड़ा बल्कि केवल अतिरिक्त पानी ही छोड़ा है। चूंकि कर्नाटक न्यायाधिकरण के आदेशों को लागू नहीं कर रहा है, अत: तमिलनाडु के किसान कुरुवाई फसलों को नहीं उगा पा रहे हैं। तमिलनाडु के किसान कृषि कार्य छोड़ने और अपनी आजीविका हेतु अन्य स्रोतों की खोज के लिए बाध्य हो गए हैं।

ऐसा माननीय मुख्यमंत्री पुरचिदथलैवी अम्मा का मानना है। नदियों को आपस में जोड़ कर ही हम किसानों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तभी हम तमिलनाडु की जीवनरेखा को बचा सकते हैं। नदियों को आपस में जोड़ना देश के आर्थिक विकास से जुड़ा है।

माननीय पुरचिदथलैवी अम्मा ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के रूप में 2 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। मइलादुथुरई सहित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए। ताकि संसद सदस्य लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। सरकार को मइलादुथुरई सहित सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक कार्यालय उपलब्ध कराना चाहिए। अभी हमने अपने कार्यालय किराए पर लिए हुए हैं। यह सभी संसद सदस्यों की मांग है। तमिलनाडु सरकार ने विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्रों में कार्यालय निर्माण हेतु निधि आवंटित की हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि संसद सदस्यों को भी ऐसी ही सुविधा प्रदान की जाए।

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एन.के. प्रेमचन्दन (कोल्लम) : महोदय, उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं उसमें से अधिकांश विवादास्पद हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : यदि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक है तो निश्चित रूप से मैं इस पर ध्यान दूंगा। कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) : महोदय, यह उनका पहला भाषण है और वह सभा को गुमराह नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्दन : पहली बात, कि वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* दूसरी बात, जो कुछ मुद्दे यह संदर्भ के रूप में दे रहे हैं न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

माननीय सभापति : मैंने पहले ही कहा है कि यदि कोई बात आपत्तिजनक है तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली) : जल संसाधन मंत्रालय की इस महत्वूर्ण अनुदानों की मांगों पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करते हुए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि प्रतिदिन, विशेषत: प्रचण्ड गर्मी में, जल के अभाव का स्तर बढ़ते जाने के कारण देश में जल एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है।

मंत्रालय को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़ प्रबंधन, भू-जल का विकास, समुद्री जल कटाव से संरक्षण, विभिन्न नदी

घाटियों में जल स्तर, नदियों को आपस में जोड़ने, भू-जल संसाधनों का समाप्त होना, जलाशय के स्तर में गिरावट, सिंचाई हेतु समुचित योजना, भू-जल संरक्षण, बाढ़ के पानी का संभरण, जल का संचयन इत्यादि जैसे विभिन्न मुद्दों पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्रालय को इन सारे पहलुओं पर ध्यान देना वास्तव में कठिन है। सिंचाई और पेयजल दोनों उद्देश्यों के लिये जल की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण यह और कठिन है। सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि अवसंरचना का अभाव है।

यदि हम जल संसाधन मंत्रालय हेतु किए गए आबंटन या विभिन्न स्कीमों हेतु किए गए आबंटन को देखें तो यह नगण्य है और परियोजनाओं के विकास में सहायक नहीं होगा। उदाहरण के लिए, नदियों को जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों हेतु 100 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके लिए मात्र 100 करोड़ रुपए से कैसे काम चल पायेगा? इसी प्रकार, एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन हेतु 2,037 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इतनी बड़ी परियोजना हेतु मात्र 2,037 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। मुझे पूरा मिशन के पूरा होने के बारे में पूर्णतः संदेह है।

हरिद्वार, वाराणसी, दिल्ली जैसे स्थानों में घाटों के विकास और सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इतने बड़े क्षेत्र में, इतनी अधिक और कीचड़ गंदगी के साथ, इतने सारे घाटों को सुंदर बनाने और विकसित करने का प्रबंधन आप कैसे करेंगे? यह निश्चित रूप से इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

यद्यपि, गंगा हेतु एनआरआई निधि के बारे में सुनना विचित्र लगता है परन्तु हम नहीं कह सकते हैं कि यह अंत में कैसा होगा। हमें इंतजार करना है और देखना है। बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के विकास हेतु 1,100 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। परियोजनाओं बड़ी और मध्यम सिंचाई के विकास हेतु यह राशि कुछ भी नहीं है। मैं मांग करती हूं कि इस शीर्ष के तहत अधिक आवंटन किया जाए।

छोटी सिंचाई योजना हेतु 410 करोड़ रुपए की सांकेतिक धनराशि आवंटित की गई है जिसमें भू-जल प्रबंधन और विनियमन, अवसंरचना विकास इत्यादि शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है तभी मंत्रालय ने ऐसी महत्वपूर्ण शीर्ष के लिए सांकेतिक धनराशि का आवंटन किया है।

बाढ़ नियंत्रण हेतु 448 करोड़ रुपए के आबंटन की जब बात आती है तो शंका होती है। देश में बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए, यह राशि निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। इतनी कम राशि से केन्द्र प्रतिवर्ष लगातार बाढ़ की विभीषिका का सामना करने वाले राज्यों की सहायता कर पाएगा? मैं मांग करती हूं कि बाढ़ नियंत्रण हेतु और धनराशि आवंटित की जाए। अन्यथा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जो हम मांग करते हैं उसका 10 प्रतिशत भी हमें प्राप्त नहीं होगा।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं पूछना चाहूंगी कि जब राष्ट्रीय जल मिशन, जिसे जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के एक घटक के रूप में स्थापित किया गया था, के कार्यान्वन के संबंध में मंत्रालय की क्या स्थिति है?

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि राज्यों के बीच जल संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए विशेष बल दिया जाए; और पश्चिम बंगाल के साथ बराबरी और उचित आधार पर तीस्ता नदी सहित दोनों देशों की नदियों के जल की साझेदारी संबंधी जल विवाद को हल करने की आवश्यकता है। मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल सरकार सहित सभी हितधारियों को संतुष्ट करते हुए एक सौहार्द्रपूर्ण समाधन निकल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री तथागत सत्पथी (धेन्कानल) : सभापति महोदय, मुझे आज बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का उद्धरण दे रहा है और मैंने भी सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। अतः, मैंने अपने सहयोगी लाडुबाबू से पूछा कि ओडिया में कुछ ऐसा बताइए जिसे में उद्धरित कर सकूं। अतः उन्होंने एक सुन्दर पंक्ति बताई। यह इस प्रकार है:

"जला विहुने सरबानाशा
जला बहुले सरबानाशा"

इसका अर्थ है कि जल की अधिकता या जल की कमी दोनों से जीवन समाप्त हो जाता है।

जल जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर संसाधनों में से एक है। परन्तु पूरे विश्व में माना जाता है कि इसका केवल दो प्रतिशत ही मानव उपयोग हेतु उपलब्ध है। मुझे याद है वर्ष 1998 में इस सदन में मेरे पहले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भविष्य का युद्ध जल के लिए होगा और हमने अपने ही देश में कावेरी जल विवाद, पोनवरम जल विवाद जैसे विवाद देखे हैं। अतः हमें जल पर ध्यान देना है, इस उपमहाद्वीप के भीतर कई विवाद हैं और हम यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के साथ संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण भी जल उपयोग और संरक्षण ही है।

महोदय, हम देखते हैं कि तीन क्षेत्रों में पानी प्राप्त करने हेतु भारी प्रतिस्पर्द्धा है— कृषि क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में तथा सर्वाधिक मांग, उद्योग क्षेत्र

में है। जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है और अर्थव्यवस्था का विकास होता है, पानी की प्रतिस्पर्द्धात्मक मांग स्पष्टतया और अधिक होती जाएगी। पानी की कमी के बावजूद इसका दुरुपयोग बहुत अधिक है और जब मैं अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करता हूं तो मैं देखता हूं कि भू-सम्पदा के लालच में, कई गांव पुराने तालाबों छोटे नालों और धाराओं को भर देते हैं और उस प्रक्रिया में, हम जल को नीचे रिसने में भी रोक रहे हैं जो भूजल ईश्वर-प्रदत्त परिसम्पत्ति है और मानव की आवश्यकता के कारण्ध संकटाधीन है।

मैं मानता हूं कि पानी राज्य का विषय है परन्तु पानी के उपयोग की योजना बनाने तथा राज्यों के बीच जल के बंटवारे संबंधी संघर्षों के समाधान में केन्द्र की भूमिका है। मेरे राज्य ओडिशा में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने का अनुमान है परन्तु योजना के अभाव, अनुचित विकास और केन्द्र सरकार द्वारा अतार्किक आधार पर धन मुहैया कराने के कारण जल के एक असीमित संसाधन होने का मिथक टूटता जा रहा है। यह इस विश्वास पर प्रश्न चिह्न लगता है कि ओडिशा एक जल बहुल राज्य है। सभी राज्यों की तरह मेरे राज्य के लोग भी तीन स्रोतों अर्थात् नदियों, सतही भंडारण और भू-जल पर निर्भर हैं। परन्तु, विगत वर्षों में, प्रथम दोनों स्रोतों पर अतिनिर्भरता धीरे-धीरे कम होती गयी है। महानदी और ब्राह्मणी सहित ओडिशा की अधिकांश नदियां – जैसा कि मुझे याद है जब मैं बच्चा था – बारहमासी हुआ करती थीं क्योंकि उन नदियों में हम पूरे साल पानी देखा करते थे। परन्तु अब, दुर्भाग्य से, इनमें से अधिकांश नदियों का पानी मानसून के तुरंत बाद से मुश्किल से छह से सात महीने रहता है और मार्च के शुरुआत में नदी जल सूख जाता है। इस कारण भी मानव आवास के लिए नदी जल का अतिक्रमण हो रहा है और लोक नदियों को संकरा कर रहे हैं और दोनों तरफ से निर्माण कर रहे हैं जिससे पानी के स्वतंत्र प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। ओडिशा सरकार द्वारा तैयार की गयी राज्य जल योजना के वर्तमान मूल्यांकन करने और भविष्य के अनुमान का प्रयास किया है। ये अनुमान काफी भयावह हैं क्योंकि यह बताता है कि वर्ष 2051 तक सतही और भू-जल की औसत उपलब्धता के मुकाबले आवश्यकता 92 से 95 प्रतिशत तक होगी।

इस उपमहाद्वीप के कुल ताजे जल का लगभग 10 प्रतिशत ओडिशा की भूमि से होकर बहता है। परन्तु जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, खराब योजना, निम्न निवेश और दूरदर्शिता के अभाव के कारण यह राज्य ताजे जल की उस विशाल मात्रा का उपयोग करने और संरक्षित करने में अक्षम हो गया है जो व्यर्थ ही बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है।

मेरे राज्य में एआईबीपी के द्वारा वित्तपोषण के माध्यम से 11 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चालू हैं। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं पर 1,709 करोड़ रुपए खर्च किया है। इन परियोजनाओं की छानबीन के पश्चात्, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने केवल 639 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की है। परन्तु, दु:खद बात यह है कि केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिश की गई राशि में से केन्द्र सरकार ने केवल 14.82 करोड़ रुपए की राशि ही स्वीकृत की है जो अब तक जारी हो चुकी है। अत: भारत सरकार उन राज्यों के प्रति थोड़ी पक्षपाती है या शायद बिल्कुल पक्षपाती है जहां उन्हें अधिक राजनीतिक लाभ नहीं मिला है। इसे सुधारा जाना चाहिए। जीवन और देश के हित में उन्हें अपने रुख में बदलाव लाना चाहिए।

मैं पोलावरम परियोजना के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा जिससे मेरे राज्य के लोनों बहुत क्षुब्ध हैं। महोदय, पहली राज्य सरकार के दौरान आप स्वयं जल संसाधन मंत्री थे और आपको इसकी जानकारी है। आप अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक होने की कोशिश किए थे। परन्तु, दुर्भाग्य से, पड़ोसी राज्यों का व्यवहार सक्रिय नहीं रहा है और जन अनुकूल नहीं रहा है। जबकि, तेलंगाना के हमारे सहयोगियों ने इस समस्या को महसूस किया कि ओडिशा की तरह उनके राज्य में भी जनजातीय लोग इसका सामना कर रहे हैं। उन्होंने पोलावरम परियोजना के विरुद्ध अपनी आवाज उठायी है। बार-बार हम लोग इस सभा में शिकायत कर रहे हैं और पीठासीन अधिकारी और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने से निश्चित तौर पर ओडिशा के लोगों, विशेषत: जनजातीय लोगों के हित को क्षति पहुंचेगी। अत: यह एक जनजातीय मुद्दा है और इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाना ताकि केन्द्र सरकार बाद में बांध के निर्माण और प्रबंधन को अपने हाथ में ले सके संदेहास्पद प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए है, जैसा आप जानते हैं कि पोलावरम परियोजना का पानी वास्तव में कृषि के लिए अधिक प्रयोग में नहीं आएगा। पोलावरम का लगभग 92 प्रतिशत पानी विशाखापट्टनम शहर हेतु ताजे जल और उद्योगों और एसईजेड जो शहर के चारों ओर बनाने के लिए प्रस्तावित है, हेतु जलापूर्ति के लिए जाएगा। अत: मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से पोलावरम परियोजना पर पुनर्विचार करेंगे और तेलंगाना सरकार और ओडिशा सरकार दोनों की इच्छाओं की अपील पर विचार करेंगे। ...*(व्यवधान)* मेरा सुझाव है कि हमें व्यावहारिक रूप से हमें सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में कार्य करना चाहिए नाकि राजनीतिक आधार पर तुच्छ और छोटे मुद्दों पर देश को बांटना चाहिए।

काफी वर्ष पूर्व अंग्रेजों द्वारा निर्मित पूर्व तटीय नहर का मुद्दा भी आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। पिछली सरकार ने पूर्व तटीय नहर, जैसा कि आप जानते हैं यह भद्रक और बालासोर, जो कि आपका गृह जिला और आपका निर्वाचन क्षेत्र है, से होकर जाती है, के विकास हेतु निधि स्वीकृत की थी।

दिलचस्प बात है कि महोदय, यह धमरा प त्तन को जोड़ती है जो एक अदानी पत्तन होने के कारण, इस सरकार हेतु बहुत महत्वपूर्ण है।

पारादीप पत्तन भी इस सरकार के लिए बहुत महत्व का है— यद्यपि अदानी से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंटरलैंड वाला यह पत्तन भारत सरकार का पत्तन है।

पूर्व तटीय नहर के विकास का काम पूरी तरह से रोक दिया गया है क्योंकि इस बजट में उस नहर के बारे में बिल्कुल ही उल्लेख नहीं है। यह हिंटरलैंड जलमार्ग को भी जोड़ेगा।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं पर मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है। गंगा को किसी और नदी से जोड़ा जा सकता है जैसा उत्तर भारत के नेतागण चाहें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, हम सभी लोग गंगा पर निर्भर नहीं हैं। हमारे प्रदेश के लोगों के लिए गंगा का कोई महत्व नहीं है। हमें उस नदी से कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारे यहां महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी और रुषिकुल्य जैसी नदियां है जिन पर पेयजल और सिंचाई हेतु समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

नदियों को जोड़ने की बात चीन के संदर्भ में भी देखी जानी चाहिए जिसने प्रयोग के तौर पर इसे शुरू किया था किन्तु फिर इसे वास्तव में छोड़ दिया। अतः हमें केवल गंगा नहीं बल्कि, सम्पूर्ण देश के बारे में सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि यह एक बड़े राष्ट्र की बड़ी नदी है। जो एक नदी या उत्तर भारत के किसी भाग तक सीमित नहीं है कि जहां केवल हिन्दी बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे भी अनेक लोग हैं जो मराठी, गुजराती, ओडिया, तेलुगू, तमिल और कन्नड़ बोलते हैं। यहां अनेक लोग हैं; यहां अनेक भाषाएं हैं; यहां कई संस्कृतियां हैं; और इस राष्ट्र में इतनी विविधता है कि हमें एक नदी, एक धर्म और एक भाषा पर अपने को केन्द्रित नहीं करना चाहिए। इसे हमारी विविधता का सौन्दर्य नष्ट होगा। इमें समग्र राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए और अखंड भारत के रूप में प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण) : आदरणीय सभापति महोदय, जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं वर्तमान स्थिति जिसमें पानी की बहुत कमी है के बारे में बात करना चाहता हूं। भारतीय मानसून पर अल-नीनो के प्रभाव को देखते हुए, कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों और उसके परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता है वह वास्तविक है। इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि गत दशक के दौरान, खाद्यान्नों और तिलहनों के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ भारतीय कृषि और अधिक सुदृढ़ हुई है। अधिक खरीद के परिणामस्वरूप अन्न भंडारों में भारी मात्रा में खाद्यान्न मौजूद हैं। भारत विश्व में चावल, गेहूं, दूध, फल और सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि विश्व के एक चौथाई कुपोषित लोग भारत में रहते हैं और औसत देश के लगभग आधे घरों के कुल व्यय का लगभग आधा व्यय खाद्यान्नों पर होता है, ऐसे में निर्धनता और कुपोषण को दूर करने के लिए खेत से खाने की भेज तक वेल्यु चेन की कार्यकुशलता को बढ़ाना काफी महत्वपूर्ण है। यह हमारी एक चिंता है। कुपोषण की स्थिति बनी हुई है। हमारे आदिवासी लोग इस बारे में काफी बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी लोग कुपोषित हैं। उन्हें स्वच्छ पेयजल प्राप्त न होने के कारण ऐसा हो रहा है।

आपने भू-मंडलीय ताप वृद्धि के बारे में सुना होगा। वर्षा का जल, स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत है। दूसरा स्रोत पिघलते हुए हिमनद हैं जो हमारी नदियों को जल प्रदान करते हैं। यदि हम कुछ गत वर्षों के कृषि उत्पादन को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि लोग कृषि को छोड़ रहे हैं और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

विकास के परिणामस्वरूप, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 15.2 प्रतिशत रह गई है और 2013-14 में इसके और कम होकर 13.9 प्रतिशत होने की संभावना है। यद्यपि, आज भी यह क्षेत्र कुल रोजगार में 54.6 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है तथापि, किसानों की कुल संख्या में कमी आई है। जो कि 127.3 मिलियन से कम होकर 118.7 मिलियन हो गई है। यह कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि की ओर रोजगार के पलायन का सूचक है, जिसके कारण हाल के वर्षों में वास्तविक कृषि मजदूरी में सात प्रतिशत वार्षिक से अधिक की वृद्धि हुई है। यह वस्तुतः चिंता का एक विषय है। लोग कृषि छोड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

मुझे इस संबंध में एक बात कहनी है इस बात को सरकार की नजर में लाना है कि सारी दुनिया में इसके बारे में बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। इस पर ऐसी गंभीर चर्चा हो रही है कि वर्ष 2025 में देश के विभिन्न हिस्सों में पानी के लिए हाहाकार मचा होगा, यह स्थिति एक विकराल रूप ले लेगी। आपने देखा होगा, दिल्ली जैसे राजधानी शहर में भी जब पानी की जांच की गयी, तो 46 प्रतिशत पानी गंदा मिला। हम ऐसा पानी पी रहे हैं जिससे हमें डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है। लगभग दो लाख से अधिक ऐसे स्कूल इस देश में हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि के लिए पानी की बढ़ती मांग, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2025 तक दुनिया के दो-तिहाई देशों में पानी की किल्लत होगी। अभी-अभी हमारे सीनियर मेम्बर्स ने भी कहा और श्री वाजपेयी जी का उदाहरण दिया। जल के लिए युद्ध होगा; और यदि हम उपचारात्मक उपायों को अपनाने की बजाय

निवारक उपाय नहीं करते हैं तो यह अवश्य होगा। देश की बढ़ती आबादी, औद्योगीकरण, कृषि-सिंचाई को वर्ष 2025 तक पानी की अनुमानित आवश्यकता एक लाख 93 हजार घन लीटर हो जाएगी। पानी की उपलब्धता के मुकाबले में मांग बढ़ती जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि विश्व के अनेक हिस्सों में पानी की समस्या और पानी की बर्बादी रोकी नहीं गयी, तो स्थिति विकराल रूप ले लेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने एक चीज़ लाना चाहता हूं। मैं मुम्बई जैसे शहर में हूं। आज शहर में जो पीने का जल है, उसमें कटौती की गयी है, क्योंकि वहां बारिश नहीं हो रही है। मुम्बई शहर में बारिश शुरू हुई, लेकिन जहां कैसमेंट एरिया है और जिस डैम से अभी पानी मिलता है, वहां अभी भी बारिश कम हो रही है। ऐसी स्थिति में पानी की एक-एक बूंद को हमें सुरक्षित करना है। हमने देखा कि मुम्बई शहर में जितने भी वेल्स थे, वे सब बुझाए गये। जैसा कि अभी हमने कहा कि लेक्स बुझाए गये, तालाब बुझाए गये। डेवलपमेंट के चक्कर में जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, उसे भी हमने बुझा दिया। जब वक्त आएगा, अगर मुम्बई जैसे शहर में आग लगेगी तो भी उसे बुझाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ऐसी अवस्था हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी, ये नदियां जो प्रदूषित हो रही हैं, उनके बारे में भी ज्यादा जिक्र किया है।

सभापति महोदय, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने दो सौ तेईस नमूने की जांच की, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, उसमें 46 प्रतिशत जल प्रदूषित मिला। अभी मैं इस विषय के माध्यम से खासतौर पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इतनी अधिक अद्‌भुत योजनाएं आरंभ करने के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं। मुझे नहीं लगता कि पहले सरकार ने इस तरह से काम किया होगा। यह प्रत्येक क्षेत्र के लिए सराहना की बात है *[हिन्दी]* जो काम पहले नहीं हुआ, वह हमारी सरकार कर रही है। खासतौर से दो-तीन चीजों की तरफ सराहनीय काम किया है। नेशनल गंगा रीवर बेसीन की बात है या उसके बावजूद और भी किन्हीं नदियों के प्रदूषण नियंत्रण की बात है, उनके बारे में सरकार जो औगमेंटेशन कर रही है, मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ये जो चीजें आपने की हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना हेतु 1500 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय है। ये जो पन्द्रह सौ करोड़ रुपए आपने उपलब्ध कराये हैं, उसकी तो सराहना करता हूं, उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही समय पर नहीं हुआ, मेरा जन्म और पालन-पोषण कोंकण क्षेत्र में हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर आप वहां मार्च महीने में जाएंगे, आप पाएंगे कि नदी के तल सूखे हुए हैं। पानी नहीं मिलता है। गांवों में इतनी बारिश होने के बावजूद मार्च-अप्रैल महीने में टैंकर से पानी सप्लाई किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर हम वाटर रिर्सोसेज का संरक्षण नहीं कर पाएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाल में हमने यह भी देखा है कि लोग कुआं खोद रहे हैं और कुआं कितना गहरा खोद रहे हैं – 450-650 फीट गहराई पर पानी मिल रहा है। उस पानी की शुद्धता की कोई जांच नहीं करता है, पानी आ गया, मिल गया, ले लो और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि पानी में ज्यादा साल्ट है या पानी में ज्यादा लोहा है। इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। तब तक उनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए कि जब तक वह पानी सर्टिफाई नहीं किया जाता है कि यह सिंचाई के लिए प्रयोग हो सकता है या नहीं, पीने के लिए प्रयोग हो सकता है या नहीं, उसके लिए आज भी कोई कंट्रोलिंग अर्थॉरिटी नहीं दिखती है। गांवों में बड़ी संख्या में गहरे कुएं खोद रहे हैं, शहरों में कुएं बुझाए भी जा रहे हैं। आज हम स्थिति में हैं, खासकर एमओयू बिटवीन...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अरविन्द सावंत : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मैं केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और भरतीय दूरसंवेदी संस्थान के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इस बारे में उन्होंने जो कहा है:–

"उत्तरी क्षेत्र में भूमि के धंसने के कारण भू-जल निकासी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक सहयोगपूर्ण अध्ययन करने हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और भारतीय दूरसंवेदी संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षार हुए।"

[हिन्दी]

मेरा इतना ही कहना है कि सिर्फ नॉर्दन एरिया के बजाय, सारे एरियाज को किया जाए। इसके बारे में यह कमेंट आया है :

"भारत में अपनी तरह का यह पहला अध्ययन होगा।"

मेरी सरकार ने जो स्टडी की, उसके बारे में एप्रिसिएशन आई है:

[अनुवाद]

"भारत में अपनी तरह का यह पहला अध्ययन होगा और भू-जल के अत्यधिक दोहन से प्रभावित संवेदनशील स्थानों की पहचान करने में इसका बहुत महत्व होगा।"

[हिन्दी]

आप यह जो चीज कर रहे हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं। अभी खासकर मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि क्लीन वाटर की बात चल

रही है। अगले वर्ष नासिक में सिंहस्थ कुम्भ मेला आ रहा है और गोदावरी नदी की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान उधर दीजिए और जो काम आप गंगा के लिए कर रहे हैं, वैसे ही काम आप गोदावरी नदी के लिए भी प्रायरिटी पर कीजिए क्योंकि लाखों लोग वहां आएंगे और नदी को प्रदूषित करेंगे, उसका प्रबंध सही समय पर आप करेंगी, ऐसा विश्वास जताते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप में से जो भी अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे सभा पटल पर अपना भाषण रख सकते हैं। उसे सभा की कार्यवाही का भाग माना जाएगा।

अब, श्री एन. क्रिष्टप्पा बोलेंगे।

***श्री एन. क्रिष्टप्पा** (हिन्दूपुर) : सभापति महोदय, जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। महोदय, मैं अनंतपुर जिले के हिन्दूपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं। महोदय, अनंतपुर जिले के हिन्दूपुर क्षेत्र में जल की समस्या इतनी गंभीर है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सिविल सोसाइटी को मेरे क्षेत्र में पेयजल के लिए लोगों को संघर्ष करते हुए देखकर बहुत पीड़ा होगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 3000 गांव हैं और राज्य या केन्द्र सरकार से लोगों की मांग केवल पेयजल उपलब्ध कराने की है। उनकी कोई और मांग नहीं है।

ऐसा स्थिति में, माननीय मंत्री जी को रायलसीमा क्षेत्र, विशेषरूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र और अनंतपुर जिले की ओर ध्यान देना चाहिए तथा इस क्षेत्र के लोगों के सामने आ रही पेयजल की समस्या का लघु अवधि और दीर्घ अवधि समाधान तलाशना चाहिए अन्यथा, जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा। महोदय, मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं, जहां वन क्षेत्रों में वन्य जीव जल की कमी के कारण, पानी पीने के लिए एक जंगली सुअर ने एक किसान की 3 फीट गहरी पाइप लाइन को खोदकर तोड़ दिया। यदि वन्य जीवों की यह स्थिति है जो कि आमतौर पर तालाबों से पानी पीते हैं तो हम आम लोगों के सामने आ रही समस्याओं की कल्पना कर सकते हैं। महोदय, ऐसे अनेक क्षेत्र, जिले और राज्य हैं जहां जल समस्याओं के भिन्न-भिन्न समाधान हैं। कुछ क्षेत्रों में समस्या का समाधान किया जा सकता है, कुछ क्षेत्रों में कुछ कठिनाई के साथ समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा कुछ क्षेत्रों में कोई समाधान तलाशना संभव नहीं है और मेरा क्षेत्र तीसरी श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में रायलसीमा के जिले विशेषरूप से अनंतपुर जिले और हिन्दूपुर निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल समस्याओं के समाधान तलाशे जाने चाहिए। यह जिला पिछले 3 वर्षों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। भू-जल स्तर गिर चुका है और काफी ज्यादा फीट तक बोरिंग करने पर भी जल उपलब्ध नहीं है। मैंने, एमपीलैड्स के अंतर्गत आवंटित 19 करोड़ रुपए में से 11 करोड़ रुपए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु खर्च किए हैं। मैं हमारे क्षेत्र में गंभीर जल संकट की स्थिति को इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं जहां 1000 फीट तक बोरिंग करने पर भी जल उपलब्ध नहीं है।

केन्द्र सरकार को हमारे क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करने और वहां मौजूद जल समस्याओं का संभावित समाधान तलाशने के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय को सुझाव देने के लिए तत्काल एक समिति का गठन करना चाहिए। तद्नुसार, इस समस्या का समाधान तलाशने के एिल धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी से युद्ध-स्तद पर इस समस्या का समाधान तलाशने और मेरे क्षेत्र में रह रहे लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। इस अनुरोध के साथ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जाए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती अंजू बाला** (मिश्रिख) : पवित्र मां गंगा उत्तराखंड प्रदेश के गंगोत्री से उद्गम होकर हरिद्वार, सहारनपुर, फरूखाबाद, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बलिया होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी चली जाती है। हमारी सरकार ने पवित्र मां गंगा के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। मां गंगा के विकास के क्रम में मैं अपने लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख की विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां के उस क्षेत्र के विषय में सरकार को बताना चाहती हूं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है।

बिलग्राम-मल्लावां क्षेत्र के सढ़ियापुर गांव के पास मां में गंगा में गर्रा नदी का मिलान होता है, जिससे इस क्षेत्र में पानी के बहाव की गति बहुत विकराल हो जाती है। इससे सढ़ियापुर गांव से उन्नाव जनपद के गहरिपुरवा गांव तक मां गंगा के तट बसे हुए सैंकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अभी तक पचासों गांव भूमि कटान के कारण पानी में बहकर अपना अस्तित्व समाप्त कर चुके हैं। इस बाढ़ की समस्या के कारण प्रतिवर्ष यहां के निवासियों का धन-जन का नुकसान होता रहता है। सढ़ियापुर गांव से गहरिपुरवा गांव की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है।

इस बाढ़ की अति गंभीर समस्या को मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं तथा मांग करती हूं कि जनहित में बाढ़ की इस गंभीर समस्या का समाधान मां गंगा के किनारे पर तट बांध निर्माण कराकर कराया जाए।

*मूलत: तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर) : आज इस महान सभा में जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 2014-15 पर चर्चा का दिन है। 2014-15 के बजट कामुख्य विशेषताएं वर्तमान आर्थिक स्थितियां और चुनौतियां हैं। परिवर्तन हेतु निर्णायक मत गरीबी के अभिशाप से अपने को मुक्त करने और समाज द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग करने की लोगों की इच्छा को अभिव्यक्ति करता है। देश अवसंरचना के अभाव और असंवेदनशील शासन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इस महान सभा में हम जल संसाधन के संबंध में चर्चा में प्राय: भाग लेते हैं। जीवन का एक मात्र स्रोत पानी पर निर्भर है। गंगा और यमुना हिमालय से निकलती हैं और बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात् इनका नाम पद्मा और मेघना हो जाता है। हमारे राज्य ओडिशा में भी गंगा और यमुना की तरह महानदी, कथाजोदी, ब्राह्मणी और बैतरणी तथा दक्षिणी ओडिशा में गंजम जिले में ऋषिकुल्य और गजपति जिले के अंतर्गत बंशधारा तथा बालासोर और मयूरभंज जिले के अंतर्गत सुवर्णरिखा और बुद्ध बालंग नदियां हैं। प्रतिवर्ष हमारा राज्य भारी बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों का सामना करता है जिसमें हजारों एकड़ भूमि क्षतिग्रस्त होती है तथा हाल ही में, फायलीन से हमारे राज्य में भारी आपदा आयी है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में घोषणा के पूर्व, अपने राज्य में, जहां मैं विधान सभा का सदस्य था, मैंने ओडिशा की महान सभा का ध्यान आकर्षित करते हुए कि महानदी को ऋषिकुल्य से जोड़ने का मुद्दा निर्भीकता से उठाया था। मान लीजिए, महानदी के ऊपरी हिस्से में भारी वर्षा होती है तो तुरंत ही संबलपुर से कटक तक संबंधित जिलों के धान के खेत डूब जाते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति के कारण राज्य में आर्थिक संकट, दिवालियापन उत्पन्न हो जाता है। यदि महानदी को ऋषिकुल्य से जोड़ दिया जाता है और इसमें बहने वाला पानी ऋषिकुल्य में जाता है तो इसे जल संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्मित राष्ट्रीय संदर्शी योजना के तहत नदियों का संयोजन कहा जाता है। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने हिमालयी घटक के तहत 4 लिंक और प्रायद्वीपीय नदी घटक के तहत 16 लिंकों की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के तहत 14 लिंकों और हिमालयी घटक के तहत 2 लिंकों (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जहां कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा की पहचान की गई है तो हमारी ओडिशा को इस सूची से बाहर क्यों रखा गया है। असहाय छोड़े गए क्षेत्रों में दयनीय जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन को बचाने के लिए महानदी को ऋषिकुल्य, ऋषिकुल्य को बंशधारा के साथ जोड़ने के लिए इस सूची में शामिल करने हेतु मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धान के खेत की भारी क्षति को बचाया जा सकेगा। मैं अपने राज्य की इन नदियों को, जैसा निवेदन किया गया है, तत्काल सूची में शामिल करने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। भुवनेश्वर निर्वाचन क्षेत्र जो ओडिशा की राजधानी है के अंतर्गत सात विधान सभा क्षेत्र हैं। उनमें से प्रतिवर्ष कुर्दा खंड के अंतर्गत बोलगढा और बेगुनिया में, लेखनपुर, गोलबाई, निराकरोपुर और रामेश्वर पंचायत और ओरबरसिंह, मसानिया, नरनगढ़, श्रद्धापुर पंचायतों में बाढ़ के कारण धान के खेत डूब जाते हैं और हरे धान क्षेत्रों को क्षति पहुंचती है। एक अन्य खंड टांगी-बुसंदपुर में रीफ्यूजी कालोनी, बलीपतपुर, सुंदरपुर में बाढ़ द्वारा धान के खेत डूब जाते हैं। इसी प्रकार, जयदेव निर्वाचन क्षेत्र में बलिपटना और बलिता खंड में प्रतिवर्ष हरे धान के खेतों को क्षति पहुंचती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बाढ़ से हरी भूमि की रक्षा करने हेतु राज्य सरकार की सहायता हेतु अधिक धनराशि आवंटित करने हेतु आकर्षित करता हूं। प्रतिवर्ष बुसंदपुर और सुंदरपुर जैसे बड़े गांवों में बाढ़ आती है। वर्षा के मौसम में चिल्का झील के कारण गरीब मछुआरों और दबे कुचले लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचता है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण आजादी के बाद से ही राज्य प्रतिवर्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अत: एशिया की सबसे बड़ी झील चिल्का झील पर पूर्ण रूप से निर्भर उन गरीब मछुआरों और कृषकों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक आवंटन की आवश्यकता है। तटबंध सहित घेरीबंदी को मजबूत करने और नए तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारी बाढ़ को तुरंत नियंत्रित करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। मैं पुन: नयगढ़ जिले में ब्रुटंना के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं मैं अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मैं इस परियोजना का समर्थन करता रहा हूं यह परियोजना मेरे प्रयास से ही केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी थी परन्तु इस परियोजना पर अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

प्रसिद्ध हीराकुंड बांध, जो भारी बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक है तथा सिंचाई में भी सहायता करता है, केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कार्रवाई के कार्यान्वयन में इस परियोजना का संरक्षण किया जाना चाहिए। राज्य की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार को इस पुराने बांध के संरक्षण हेतु विशेष ध्यान देना चाहिए।

***श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया** (राजकोट) : मैं आज जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वयोवृद्ध नेता माननीय अटल जी का सपना था कि भारत की नदियों को आपस में जोड़ा जाए। यह उनका सपना था और आज उनका सपना माननीय प्रधानमंत्री, गुजरात के पुत्र श्री नरेन्द्र मोदी के शक्तिशाली नेतृत्व में इस देश में पूरा होने जा रहा है।

इस देश में कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है और कुछ हिस्से बाढ़ द्वारा प्रभावित होते हैं। हमारे देश की इन बड़ी समस्याओं का एक समाधान नदियों का संयोजन है। अध्यक्ष महोदया, हमारे राज्य गुजरात में गुजरात के उत्तरी हिस्सों में माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया था और दूसरा चरण सौराष्ट्र में प्रारंभ होने जा रहा है। 'एसएयूएनआई' योजना के अंतर्गत अगले चार वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की भारी धनराशि खर्च होगी। इससे गुजरात की यह योजना भारत में कृषि क्षेत्र में सहायता करने वाला सर्वश्रेष्ठ मॉडल होगा।

नर्मदा सिंचाई योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कृषि में सिंचाई और पेयजल के साथ-साथ भारी मात्रा में विद्युत उत्पादन में वृद्धि लाकर पूरे देश की जीडीपी को बढ़ाती है।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना नाम से एक नयी सिंचाई योजना की घोषणा की है। जिससे किसानों को ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल और हरित गृह योजना द्वारा 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लिए जल प्रबंधन में सहायता मिलती है।

राजस्थान जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र की सहायता करने के लिए केन्द्रीय अनुदान की एक योजना है– 90:10 योजना, जिसमें नहरों इत्यादि के निर्माण हेतु राज्यों को 90% केन्द्रीय अनुदान मिलता है। इसी प्रकार, गुजरात जिसमें कच्छ के रेगिस्थानी क्षेत्र और उत्तरी गुजरात के कुछ भाग शामिल हैं, वन सिंचाई योजना हेतु 90% केन्द्र सरकार द्वारा सहायता अवश्य दी जानी चाहिए।

हमारे राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात के कृषि क्षेत्र में जल बचाने की अनेक योजनाएं जैसे चेक डैम, तालाबों की खुदाई का कार्यान्वयन किया है जिससे भू-जल का स्तर बढ़ा जिससे है और को सहायता मिली है।

अत: मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का हृदय से समर्थन करता हूं।

***श्री देवु सिंह चौहान** (खेड़ा) : मैं जल संसाधनों की मांग का समर्थन करता हूं।

केन्द्र सरकार ने देश में रिवर ग्रिड को जोड़ने की घोषणा की थी जो कि हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वकांक्षी परियोजना है। नदियों की राष्ट्रीय ग्रिड, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अंदर अपने विजन और अनुभव से इस स्वप्न को पूरा करने का साहस और विश्वास है।

माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात में सुजन्लाम सुफलाम योजना के द्वारा नर्मदा नदी को उत्तरी गुजरात से जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक किया है।

अभी, उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र हेतु 20,000 करोड़ रुपए की 'सोउनी' योजना की घोषणा की है। निविदा का कार्य पूर्ण हो चुका है।

हमारे देश के कुछ हिस्से सदा सूखे से प्रभावित रहते हैं और कुछ भागों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आती रहती है। नदियों को जोड़ने से हमारे देश की इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

स्वतंत्रता के 65 वर्ष के बाद भी पीने योग्य पानी और देश का मुख्य मुद्दा है। हम अपने लोगों को पेयजल प्रदान कर सकते हैं। नदियों की ग्रिड के द्वारा हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

हमारे देश में, जल जमाव के कारण भी जल स्तर ऊपर उठ रहा है जिसके कारण खारे पानी के क्षेत्र बन रहे हैं जिनसे पीने के लिए सिर्फ खारा जल ही प्राप्त हो पाता है परंतु हमें उन्हें कम टीडीएस वाला सतही जल उपलब्ध कराना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पेयजल आवश्यक है। नदियों को जोड़ने से, पेयजल की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

श्री कडियम श्रीहरि (वारंगल) : मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं केवल कुछ सुझाव दूंगा और स्वयं को तेलंगाना राज्य तक ही सीमित रखूंगा।

माननीय मंत्री को मेरा पहला सुझाव मंत्रालय के नाम में परिवर्तन के बारे में है। मैं मंत्री जी से मंत्रालय का नाम बदलने का अनुरोध करता हूं। मंत्रालय का नाम वर्तमान नाम अर्थात् जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के स्थान पर जल संसाधन, नदी विकास और जल संरक्षण मंत्रालय होना चाहिए। आपको नाम में 'जल संरक्षण' शब्द जोड़ना चाहिए क्योंकि वह समय आ गया है जब हमें जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा। हमें सिर्फ जल संसाधनों के दोहन पर ही नहीं बल्कि संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि कृपया नदी जल के उपयोग और अंतर-राज्यीय नदियों से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देने के संबंध में आप एक व्यापक नीति बनाएं। हम परियोजनाएं स्वीकृत करते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अंतर-राज्यीय विवादों, न्यायालय मुकदमेबाजी और वित्तीय बाधाओं के कारण इन परियोजनाओं में देरी हो रही है। इसलिए, अंतर-राज्यीय नदियों से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देते वक्त ध्यान रखना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि भू-जल संभरण के तरीकों, जल संचयन ढांचों, जल प्रबंधन के उपायों, जल संरक्षण के उपायों से संबंधित प्रयासों के लिए तालाबों जैसे छोटे जल निकायों के संरक्षण और उनमें सुधार रोधक बांधों के निर्माण, छोटी नदियों, बांधों और नदियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

इससे हमें जल संरक्षण में सहायता प्राप्त होगी। नदियों के अंतर्योजन के संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि तेलंगाना की सरकार, सिद्धांत रूप में, नदियों के अंतर्योजन की पक्षधर है, लेकिन एक शर्त के साथ कि नदी घाटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही नदियों का अंतर्योजन किया जाना चाहिए। हम निश्चित ही इसका समर्थन करेंगे। माननीय मंत्री कृपया इस पर ध्यान दें।

अपराह्न 3.01 बजे

[**श्री हुक्मदेव नारायण यादव** *पीठासीन हुए*]

महोदया, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण–दो की बात करते हुए, मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य 2 जून, 2014 को अस्तित्व में आया। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-दो का गठन भारत सरकार द्वारा कृष्णा नदी बेसिन के पानी के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था। यह कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-दो निकट भविष्य में अपना निर्णय अधिसूचित करने वाला है। इस संबंध में हम माननीय मंत्री से यह अनुरोध करते हैं कि एक अलग राज्य हेतु संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और जल संबंधी मुद्दों के समाधान के लिये था। यदि निकट भविष्य में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-दो द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रिपोर्ट, जिसे तेलंगाना राज्य की भागीदारी के बिना दिया गया है, प्रस्तुत हो जाती है तो यह तेलंगाना के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। यह हमारा विशिष्ट निवेदन है। महोदया, हमारे राज्य के जल संसाधन मंत्री के माध्यम से हम पहले ही इसे आपके संज्ञान में ला चुके हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य ने जानबूझकर वर्तमान तेलंगाना राज्य के क्षेत्र की जल की उचित और तर्कसंगत मांगों को नहीं रखा, जिसके परिणामस्वरूप कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-एक और दो ने नदी तट के राज्यों के बीच पानी का असमान वितरण किया है। एक नये बने राज्य के रूप में, तेलंगाना के पास कृष्णा नदी के जल के संबंध में अपना मामला रखने का कोई मौका नहीं था। ऐसे में कृष्णा नदी बेसिन के पानी के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण से संबंधित सभी मुद्दों के पुनः परीक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा (4) के अंतर्गत एक जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करे अथवा चूंकि कावेरी जल विवाद न्यायाधीकरण की रिपोर्ट अभी तक अधिसूचित नहीं हुई है, तो यदि आवश्यक समझा जाए, तो इन मामलों को जल विवादों और विनिर्दिष्ट संबंधित मामलों के संबंध में अधिनिर्णय और निर्णय हेतु इसी न्यायाधिकरण के पास भेज दिया जाए। हम माननीय मंत्री से अनुरोध करते हैं कि मांगों का समाधान करते समय इस मुद्दे पर स्पष्ट उत्तर दें।

भारत सरकार ने नदी तटीय राज्यों के कड़े प्रतिरोध के बाद भी पोलावरम परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। तेलंगाना इसके विरोध में है; ओडिशा इसके विरोध में है; और छत्तीसगढ़ भी इसके विरोध में है। ये सभी राज्य न्याय हेतु उच्चतम न्यायालय में भी गये थे। इस सब विरोध और प्रतिरोध के बावजूद भी भारत सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया है। मेरा अनुरोध यह है कि सिद्धांत रूप में हम पोलावरम परियोजना के खिलाफ नहीं हैं। हम जलप्लावन और आदिवासियों के विस्थापन के खिलाफ हैं। हम भारत सरकार से इसके डिजाइन को बदलने का अनुरोध कर रहे हैं—हम पोलावरम परियोजना के खिलाफ नहीं हैं—लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। कड़े प्रतिरोध के बावजूद, उन्होंने पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया है। अब मैं भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय से तेलंगाना में भी एक राष्ट्रीय परियोजना लाने का अनुरोध करता हूं।

हमने "प्राणहिता चेवेल्ला परियोजना" को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए भारत सरकार को एक अभ्यावेदन दिया था। इस अभ्यावेदन का कारण यह था कि तेलंगाना की सरकार पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अनुसार परियोजना को 5 मई 2012 को शुरू करने के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसलिये यह दो राज्यों के बीच का समझौता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि प्राणहिता चेवेल्ला परियोजना को भी एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और नये बने तेलंगाना राज्य की सहायता करें।

इसी तरह, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और पीएमआरपी के संबंध में भी हमें, कम धनराशि प्राप्त हो रही है। मैं माननीय मंत्री से तेलंगाना में मौजूद परियोजनाओं के लिये और अधिक राशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। हमने देखा है, इन मांगों का अध्ययन करते हुए, तेलंगाना को बहुत कम धनराशि आवंटित की गई है। मैं माननीय मंत्री से इस पर भी ध्यान देने और तेलंगाना की परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

***श्री अधीर रंजन चौधरी** (बहरामपुर) **:** मैं वर्ष 2014-15 हेतु जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

भूजल का अत्यधिक दोहनः

हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग, 1,123 बिलियन क्यूबिक मीटर उपयोग किए जाने योग्य पानी मौजूद है, परन्तु दुर्भाग्यवश, पुनर्भरण भू-जल का हिस्सा मात्र 433 बिलियन क्यूबिक मीटर और कुल पुनर्भरित भू-जल का केवल 58 प्रतिशत ही विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। देश में सृजित सिंचाई क्षमता में से लगभग 45 प्रतिशत ही भू-जल संसाधनों के दोहन से पूरी की जाती है। तथापि, भू-जल संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के परिणामस्वरूप सीमित भू-जल संसाधनों में कमी आई है और भू-जल के स्तर में चिन्ताजनक कमी आई है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के अनुसार 1071 ब्लॉकों में अत्यधिक दोहन हो रहा है और 217 ब्लॉकों अथवा तालुकाओं में स्थिति बहुत गंभीर है। 2013 में, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने भू-जल संसाधनों में वृद्धि करने के लिए मानसूनी बारिश के व्यर्थ बह जाने वाले पानी का उपयोग कर भू-जल का कृत्रिम संभरण करने हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह कार्यान्वयन के किस चरण में है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा और क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

जलाशयों की भंडारण क्षमताः

देश के महत्वपूर्ण 85 जलाशयों की भंडारण क्षमता के बारे में 10 जुलाई की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग की पिछली रिपोर्ट से पता चला है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में जलाशयों का जल स्तर ऐसे बिन्दु तक गिर गया है कि यह न केवल पिछले वर्ष के इसी समय की तुलना में कुल भंडारण क्षमता से कम है अपितु विगत 10 वर्ष के औसत भंडारण से भी कम है। मानसून में कमी भी चिन्ता का एक बड़ा कारण है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन 85 जलाशयों में कम भंडारण से कृषि संबंधी कार्यकलापों के साथ ही पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, इस पहलू पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये और सरकार को कम मानसून से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो सिर्फ 43 प्रतिशत के करीब होने का अनुमान लगाया गया है।

बदलती जलवायु और स्वच्छ जल, भोजन और ऊर्जा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के संबंध में विशेष नीति बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जल अभियान का उद्देश्य, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के साथ ही संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होना चाहिए।

पेयजल और स्वच्छताः

पेयजल और स्वच्छता से संबंधित नीतियों को बनाते और कार्यान्वित करते समय सरकार को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठित प्रयास करने चाहिए। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के संदर्भ में, प्रगति संतोषजनक बिल्कुल नहीं है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि लगभग 600 मिलियन लोगों द्वारा अभी भी खुले में शौच करना हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है।

अब मैं अपने गृह राज्य, पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ संगत विषयों पर आता हूं।

फरक्का बैराजः

फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1970 में भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली की नौवहन क्षमता में सुधार कर कोलकाता पत्तन के संरक्षण और अनुरक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। तथापि भारी मात्रा में गाद और दो तिहाई लॉक गेटों का जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होना अथवा सही से कार्य नहीं करना गंभीर चिन्ता का मामला बन गया है। फरक्का बैराज का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है जिसके कारण 1985 से 2011 के बीच छह अवसरों पर गेटों की बड़ी असफलता सामने आई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यह बताती है कि गेटों हेतु रिमोट कंट्रोल प्रणाली जैसे बड़ी प्रणालियां और बैराज के नौवहन लॉक लगभग तीन दशकों तक असक्रिय रहे हैं। साथ ही, परियोजना प्रबंधन के पास केन्द्रीय जल आयोग के मानकों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त गेट नहीं हैं। परियोजना प्राधिकारियों ने बांध के ढांचे के निवारक रख-रखाव हेतु कोई कदम नहीं उठाया है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि अनुरक्षण नियमावली होने के बावजूद भी फरक्का बैराज परियोजना नौवहन लॉक के विभिन्न घटकों के रख-रखाव में असफल रही है।

इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए, तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और सरकार द्वारा पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्यथा बड़ी आपदा आ सकती है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आपने केवल 203.84 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, अगर आप इस शीर्ष के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलापों की ओर देखें तो यह बहुत ही कम है। मैं सरकार से न केवल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित करने अपितु बेहतर सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन हेतु इसे 'बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम' के अंतर्गत शामिल करने की संभावनाओं पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तीस्ता बैराज परियोजना:

इस परियोजना को वर्ष 1986 में किसी समय पूरा किया जाना था। लेकिन इसको पूरा करने की निर्धारित तिथि के बीत जाने के 26 वर्ष बाद भी किसी को नहीं मालूम कि इसे कब तक पूरा किया जाएगा। इतनी ज्यादा देरी की वजह से इसकी लागत 2,200 प्रतिशत बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक रूप से पिछड़े और कृषि पर निर्भर उत्तरी आधे हिस्से के लोगों को इस परियोजना से कोई उम्मीद नहीं रही है और उन्हें सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद दिलाई जा रही है। इस कारण इस परियोजना को 'कभी न खत्म होने वाली कहानी' का संदेहपूर्ण नाम दे दिया गया है। योजना आयोग ने बढ़ी हुई लागत, जोकि 2,988.61 करोड़ रुपए है, को स्वीकृति दे दी है। जबकि मूल आकलन सिर्फ 76 करोड़ रुपए था। यह उन वित्तीय अनियमितताओं के बारे में बताता है जिससे यह अनुचित देरी हो रही है। 2009 से, जब से यह केंद्रीय परियोजना बनी है, केन्द्र इसके वित्तीय बोझ का 90% वहन कर रहा है। मैं मानपनीय जल संसाधन मंत्री से केवल यही अनुरोध करूंगा कि वे इस परियोजना को सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दें।

सुवर्णरेखा बांध परियोजना:

सुवर्णरेखा झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों से होकर बहने वाली एक अन्तर्राज्यीय नदी है। अविभाजित बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच अगस्त, 1978 में नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इस त्रिपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप, घाटी के तीनों राज्यों में से प्रत्येक ने सुवर्णरेखा नदी घाटी के जल संसाधनों का दोहन करने के लिए अपने कार्यक्रम तैयार किये थे। पश्चिम बंगाल में, सुवर्णरेखा बैराज परियोजना के अनुसार सुवर्णरेखा पर चांडिल बांध के नीचे की तरफ और भोसराघाट के निकट गालुडीह बैराज पर एक बैराज का निर्माण किया जाना है।

इस परियोजना को वर्ष 2001-02 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था और अगले दो वर्षों में इसे 13.29 करोड़ रुपए और 11.238 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। तथापि, चूंकि परियोजना के कार्यों के संदर्भ में, वांछित प्रगति हासिल नहीं की जा सकी, इसलिए उसके बाद किसी तरह की केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई। तत्पश्चात्, 2004 में, राज्य ने इस परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया और इसे भारत निर्माण के अंतर्गत शामिल किया।

तब से, इस परियोजना को पूरा होना अभी बाकी है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आवंटन कर इस परियोजना को गति प्रदान करने के लिए ठोस उपाए करें और यह भी सुनिश्चित करें कि यह परियोजना बिना और समय गंवाएं पूरी हो।

भू-जल संदूषण:

जल संसाधनों संबंधी स्थायी समिति ने अपने 12वें प्रतिवेदन में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि देश में भू-जल संसाधनों की गुणवत्ता एक ऐसा पहलू है जिस पर गंभीर विचार और अनवरत आधार पर कड़ी निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में लगभग आठ जिले भू-जल में आर्सेनिक की उपस्थिति से बुरी तरह प्रभावित हैं जिसके कारण इन जिलों में रहने वाले लोगों को अनगिनत कष्टों और दर्द से गुजरना पड़ रहा है। देश के कुछ अन्य भागों में अनुभवजन्य सबूत अनुमेय मात्रा से अधिक मात्रा में फ्लूराइड और अन्य हानिकारक रसायनिक घटकों की उपस्थिति दर्शाते हैं और स्थिति वास्तव में चिन्ताजनक है। क्या सरकार देश में भू-जल संदूषण की चिन्ताजनक प्रवृत्ति को रोकने हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय योजना लाएगी ताकि मौजूदा और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके? पश्चिम बंगाल एक तरह से "आर्सेनिक बल" के ऊपर बैठा है यदि इसे निष्क्रिय नहीं किया गया तो यह बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी को जन्म देगा।

आइला चक्रवात:

आइला चक्रवात विगत दो दशकों में पश्चिम बंगाल में आने वाला सबसे खतरनाक तूफान था। वर्ष 2009 में, इसने पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में तबाही मचाई थी। लाखों लोग बेघर हो गये और समुद्र का पानी आने के कारण हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर भूमि में बदल गई। इसके अलावा, आइला चक्रवात से पैदा हुई तूफानी लहरों ने कम-से-कम 100 नदी तटबंधों को नुकसान पहुंचाया या फिर उन्हें खत्म कर दिया। ऐसा सुना गया था कि तटबंधों के पुनर्निमाण और अन्य सुरक्षा कार्यों हेतु केन्द्र द्वारा पर्याप्त धनराशि जारी की गई है लेकिन धरातल पर हमने कोई ठोस अथवा प्रत्यक्ष सुधार नहीं देखा है। मैं सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यों पर कड़ी निगरानी रखने और कोई और देरी किए बिना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

बाढ़ और कटाव-रोधी कार्यक्रम:

बाढ़ और जलप्लावन की समस्या पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में पूरे वर्ष बनी रहती है। पश्चिम बंगाल में गंगा और पद्मा नदियों के किनारों पर हो रहे कटाव से पश्चिम बंगाल में बहुत से जिलों की सीमाएं बदल रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप, दशकों से हो रहे गंभीर कटाव के कारण कई सौ गांवों का अस्तित्व खत्म हो गया है और लाखों लोग बेघर हो गये हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना जिला प्रशासन

की एक आम समस्या बन गई है। इसके अलावा कटाव ने बहुत से स्थानों पर सीमा चौकियों को भी खत्म कर दिया है जिससे हमारे पड़ोसियों के साथ विवाद हो रहे हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन की समस्या का समाधान करने और पद्मा तथा भगीरथी नदियों के पास रहने वाले ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए सरकार को एक व्यापक कटाव-रोधी कार्यक्रम बनाना चाहिए। राज्य सरकार अपर्याप्त धनराशि का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से कटाव की इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने का अनुरोध करता हूं। मैं इसके स्थायी समाधान हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड जैसे गंगा-भगीरथी बोर्ड के गठन पर विचार करने का भी अनुरोध करता हूं।

गंगासागर का सौन्दर्यीकरण:

केन्द्र ने केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में नदी तटों के विकास और सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है, परन्तु विरोधाभासी रूप से यह पश्चिम बंगाल में स्थित प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल गंगासागर को इसमें शामिल करना भूल गया है। नियमित पर्यटकों के अलावा, मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम में पवित्र डुबकी लगाने और कपिल मुनि के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गंगासागर आते हैं, जोकि अति प्राचीन काल से एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व का स्थान है। हुगली नदी, जोकि गंगा नदी की एक सहायक नदी है, को पार करने और कचुबेरिया पहुंचने के लिए काकद्वीप से नाव लेनी होती है, जहां से गंगासागर तक की यात्रा सड़क द्वारा की जाती है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, इन क्षेत्रों में प्रमुख तटों का सौन्दर्यीकरण और विकास करने के इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को प्रोत्साहन मिलेगा। गंगासागर को भारत के अन्य धार्मिक स्थलों की ही भांति उचित महत्व मिलना चाहिए।

निकर्षण:

सरकार वाराणसी और हुगली के बीच में इस नदी को जहाजों के आने-जाने लायक बनाकर गंगा को परिवहन और पर्यटन के लिए एक प्रमुख जलमार्ग बनाने की योजना बना रही है। हमें बताया गया है कि इसकी शुरुआत करने के लिए वाराणसी और हुगली के बीच यात्रियों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए चिन्हित स्थानों पर निकर्षण किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रूपरेखा तैयार की है कि यह इस महत्वाकांक्षी कार्य को कैसे और कितने समय में पूरा करने वाली है दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास देश में अन्य जलमार्गों को विकसित करने का कोई अन्य प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

***श्रीमती रमा देवी** (शिवहर) : हमारे देश में वर्षा का काफी महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय संस्कृति में इसे इन्द्र देवता का नाम दिया हुआ है। किसानों की खेतीबाड़ी तो वर्षा पर निर्भर है एवं देश में जल के कई स्रोत है परन्तु सिंचाई की दृष्टि से वर्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के आधे से अधिक स्थान अभी भी गरीब किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। वर्तमान समय में वर्षा का पानी का समुचित उपयोग न होने से यह नदियों में द्वारा जाकर अंत में समुद्र में बह जाता है जबकि हमारे देश में सिंचाई के दौरान पानी की कमी रहती है। हमारे देश में साधारणत: वर्षा का औसत हर साल 1196 किलोमीटर रहता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा के पानी को संचय कर सिंचाई में उपयोग किया जाए तो गरीब किसानों को अपने खेतों में पानी देने में सुविधा होगी। खेद की बात है सरकार ने वर्षा जल को संचय करने के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं बनाई है वाटरशेड योजना, भूमि जल का रिचार्ज जैसी स्कीमों से वर्षा जल के संचय में सहयोग लिया जाता है। क्या माननीय वन और पर्यावरण मंत्री जी उन कारणों को बताएंगे कि सरकार ने अभी तक वर्षा जल संचय हेतु अलग से कोई योजना क्यों नहीं बनाई है।

देश में नई-नई तकनीक विकसित हो चुकी है। कूड़ा-कर्कट से बिजली बन रही है परन्तु कृषि विभाग के अंतर्गत सीएसआईआर ने अभी वर्षा जल संचय करने के संबंध में नई तकनीक विकसित नहीं की है। अभी तक हम परंपरागत ढंग से जल संचय तालाब में, डैम में, टैकों में इत्यादि से लोग जल संचय करते हैं जिसमें काफी लागत आती है।

खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की सुविधा अति आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्रों में नहरों की व्यवस्था है परंतु इन डेमों एवं नहरों के मरम्मत एवं नवीनीकरण जैसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण इन नहरों से समय पर पानी नहीं आ पाता है एवं कई जगहों पर नहरों के टूटने के कारण पानी का बहाव अनावश्यक रूप से होता है और खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी आने से वहां की फसलें खराब हो जाती है और नहरों के कोने वाले क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है।

सिंचाई सुविधा मुख्यत: सतही पानी एवं भूमिगत पानी से होती है जिसमें सतही पानी की सिंचाई कार्यों के लिए केवल 35 से 40 प्रतिशत तक हो रहा है कि इसको 60 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान समय में भूमिगत जल का उपयोग 65 से 70 प्रतिशत तक हो रहा है जिसके बारे में संभावना व्यक्त की है यह 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत की अजीब स्थिति है कि एक तरफ तो सुखाड़ से खेतीबाड़ी सूख जाती है और दूसरी ओर बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल बह जाती है। इस समस्या के निदान के लिए सिंचाई व्यवस्था ही कारगर होती है परंतु भारत में कई सिंचाई परियोजनाएं 25 साल से देरी से चल रही है जिसके कारण इन सिंचाई परियोजनाओं की लागत बढ़ गई है। मेरे गृह राज्य में वेस्टर्न कोसी केनल का लंबे समय से कार्य चल रहा है। 1998 के करीब इसे त्वरित सिंचाई लाभार्थी योजना के अंतर्गत कर दिया। उसके बाद भी यह पूरा नहीं हुआ। शुरू में इसकी लागत 13 करोड़ रुपए के लगभग थी जो बढ़कर अब 1307 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार इसमें देरी के लिए कई कारण बताती है परंतु एक दो कारणों को छोड़कर सभी कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा पैदा किए हुए हैं। मैं माननीया जल संसाधन मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि देश में अभी भी कितने कृषि उपजाऊ क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई परियोजनाओं की सुविधाओं से प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है, खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है जिससे बढ़ती महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। इसके बाद भी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

भारत में कई नदियां नेपाल और म्यांमार देशों से निकलकर भारत में आती हैं और बरसात के दिनों में इन नदियों से देश के अनेक हिस्सों में भयानक बाढ़ आती है जिसके कारण करोड़ों रुपए की राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं किसानों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है जबकि इस पानी से हम बिजली बना सकते हैं और इस पानी का सिंचाई में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम नेपाल से म्यांमार देशों से जल विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लगाने के लिए बातचीत करें तो विदेशों से आने वाली पानी के आधार पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण का कार्य भी कर सकते हैं। क्या सरकार ने किसी विदेशी सरकार से देश में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई बातचीत की है और उसके परिणाम क्या रहे हैं। देश में जल की उपलब्धता को देखते हुए जल पर आधारित विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। देश में बिजली की काफी कमी है। मेरे गृह राज्य बिहार में तो बिजली 12-12 घंटे गायब रहती है जिसके कारण खेतीबाड़ी में, उद्योग-धंधों के उत्पादन पर, छात्रों के पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देश में 38,144 मेगावाट की कुल हाईड्रो उत्पादन क्षमता है एवं 620 मेगावाट की यूनिट बंद पड़ी है। सरकार ने जल विद्युत परियोजना की कई योजनाएं आरंभ की है परंतु उनका उत्पादन निराशाजनक रहा है, कुछ निर्माणाधीन है।

देश में जल की कमी नहीं है। देश में कई नदियां हैं बरसात के दिनों में इनके पानी से बाढ़ जैसी समस्या हो जाती है। देश में सिंचाई एवं पेयजल के स्रोत में कई पारंपरिक जल स्रोत है जिस पर सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है और उसमें से हम केवल 1123 बिलियन घन मीटर का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे कई पुराने डैम एवं जलाशय जर्जर हालत में हैं। सरकार ने ग्यारहवीं योजना में 10,000 करोड़ धनराशि का प्रावधान किया है परन्तु उस पर केवल 25 प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ है जिससे यह पता लगता है कि हमारे डैम एवं जलाशय के मरम्मत कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है जिसके कारण जल संरक्षण की समस्या बढ़ती जा रही है।

विभिन्न स्वरूपों में पर्याप्त पानी उपलब्ध है लेकिन असल जरूरत उसे इस्तेमाल लायक बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने की है। 33 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। सिर्फ 5.5 करोड़ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जबकि 8.6 करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा नहीं है और इतना बड़ा भू-भाग बारिश पर निर्भर है।

माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी जो पानी की समस्या है उसे जल्द निजात दिलाने के लिए प्रयत्न करे क्योंकि जल ही जीवन है। प्रत्येक प्राणी को, खेती को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण आवश्यक है। इसमें सुधार से आने वाला कल सुधरेगा।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद बदरूद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति महोदय, आज मुझे अपना पहला भाषण देने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं इस सभा की सर्वाधिक जिम्मेदार पीठ के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

आज, पानी इस विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति है। आने वाले दिनों में, यह हमारे लिए और अधिक मूल्यवान हो जाएगा। हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में पहले ही अत्यधिक कमी आ चुकी है। बहुत से क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की कमी एक आम समस्या है। इस स्थिति में, नदियों को आपस में जोड़ना कोई बुरा विचार नहीं है, जिसमें जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से पानी को कमी वाले क्षेत्रों में ले जाया जाना है, इससे कुछ गंभीर समस्याओं का समाधान हो सकता है। तथापि, हमें कुछ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नदियों के अंतर्योजन की परियोजना एक बड़ी लागत वाली परियोजना है, और हमें नहीं मालूम कि इसके वित्तपोषण हेतु कितने करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। हमारे जैसे देश में, जहां सरकार के पास गरीबी उन्मूलन के लिए पैसा नहीं है; निरक्षरता को समाप्त करने के लिए पैसा नहीं है और कुपोषण से निपटने के लिए पैसा नहीं है? यह कैसे संभव होगा?

कुछ अन्य प्रश्न भी हैं। सभी नदियां अपने प्राकृतिक बहाव में बह रही है। यदि हम इस प्राकृतिक प्रणाली में व्यवधान पैदा करेंगे, तो इसकी अन्य प्रकार से गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है और भूकंप, विनाशकारी बाढ़ और कटाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, इस मामले पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1972 में फरक्का बैराज परियोजना की स्थापना से न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के माध्यम से संपर्क विकसित करना था अपतु एक सहायक नहर के माध्यम से भगीरथी नदी में वर्ष भर पानी की आपूर्ति भी करनी थी। इसने भगीरथी के दो तटबंधीय क्षेत्रों को अनेक प्रकार से समृद्ध किया लेकिन फरक्का परियोजना के बाद से मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में बाढ़ और कटाव की समस्या भयावह हो गई है। साथ ही, गाद के जमाव के कारण कई बड़े चार अर्थात् द्वीप भी बन गये है, जिसने गंगा नदी के सीधे मार्ग को प्रभावित किया है। मुझे मालूम नहीं है कि अभी तक इन दो जिलों में कितने वर्ग किलोमीटर भूमि का कटाव हो चुका है।

भगवानगोला-दो ब्लॉक के अंतर्गत चार कुथिबारी नामक ग्राम पंचायत का अस्तित्व पहले ही समाप्त हो गया है और यह भारत के नक्शे से भी गायब हो गया है। लाखों लोग हमेशा के लिए अपने घरों से बेघर हो गए हैं और वे अब सड़क किनारे और रेलवे लाइनों के किनारे रह रहे हैं। इसके अलावा, अभी तक कोई पुनर्वास कार्यक्रम भी शुरू नहीं किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बार-बार बाढ़ आने और कटाव के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने 1980 में प्रीतम सिंह समिति और 1996 में केशकर समिति का गठन किया था। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए कई दीर्घकालिक और लघुकालिक उपायों का सुझाव दिया था। तथापि, धनराशि की कमी के कारण, पश्चिम बंगाल सरकार उन सभी को लागू करने में असफल रही। इन समस्याओं को बहुत बार इस सभा में उठाया गया है, लेकिन भारत सरकार हमेशा कहती है कि बाढ़ और कटाव नियंत्रण राज्य के विषय हैं। यद्यपि, भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन नियंत्रण और कुछ अन्य योजनाओं के अंतर्गत कुछ वित्तीय और तकनीकी सहायता की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

गंगा फरक्का तक एक राष्ट्रीय नदी है, और उसके बाद इसका चरित्र कुछ अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। राज्य सरकार इस समस्या को कैसे सुलझा सकती है? यह सच है कि राज्य सरकार ने, केन्द्र सरकार की सहायता से, कुछ छोटे उपाय किये हैं; लेकिन इसके लिए स्थायी समाधान अभी भी बहुत दूर है।

महोदय, मुझे खुशी है कि जल संसाधन मंत्रालय को वर्ष 2014-15 हेतु बजट आबंटन के रूप में 13,836 करोड़ रुपए मिले हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से, मैं केन्द्र सरकार से मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा नदी के तटबंधों के किनारे हो रहे कटाव की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से गंगा और भगीरथी नदियों में हुए कटाव के कारण विस्थापित हुए गरीब लोगों के पुनर्वास की समस्या को सुलझाने का भी अनुरोध करता हूं।

मैं आपका ध्यान तीस्ता बैराज परियोजना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जोकि एक राष्ट्रीय परियोजना है। देश के हित में इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन बहुत अधिक आवश्यक है।

महोदय, मैं आपको यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में पीने के पानी की अधिकतर आवश्यकता भूमिगत जल के माध्यम से पूरी होती है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भूमिगत जल जहरीले आर्सेनिक की वजह से संदूषित हो गया है। विशेषकर, मुर्शिदाबाद जिले में आर्सेनिक संदूषित जल पीने के बाद कई लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत बड़ी संख्या में लोग त्वचा संबंधी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। इसलिए, मैं सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त सतही जल की आपूर्ति करने के लिए धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं। मेरा यही निवेदन है।

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस सम्माननीय सभा में जल संसाधन विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद करती हूं।

जल इस पृथ्वी गृह पर जीवन के अस्तित्व का सर्वोत्कृष्ट कारक है। यह मानव सभ्यता, जीवित प्राणियों और प्राकृतिक अधिवास के लिए अनिवार्य है। इसका इस्तेमाल पीने, साफ-सफाई, कृषि परिवहन, उद्योग, मनोरंजन, पशु-पालन, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु विद्युत उत्पादन आदि में किया जाता है। जल के अनेक लाभों, तथा इसकी अधिकता, अभाव तथा गुणवत्ता में कमी के कारण एक संसाधन के रूप में जल पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

भारत के जल संसाधन को तीन भागों में बांटा जा सकता है, सतही जल, वर्षा का जल और भू-जल। भू-जल, जल उपलब्धता का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भू-जल की कुल मात्रा लगभग 431 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) है। संपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से ऐसा अनुमान है कि भू-जल के लगभग 30% भाग का सिंचाई और घरेलू प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा है। भू-जल भी भारत में पेयजल और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग हेतु 80 प्रतिशत जल और शहरी और औद्योगिक उपयोग हेतु 50 प्रतिशत जल की आपूर्ति करते हैं। भू-जल

का सिंचाई हेतु बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है तथा भू-जल ने भारतीय कृषि और समग्र आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 17 मिलियन से अधिक विद्युत नलकूपों की सहायता से वर्तमान में, सिंचित क्षेत्र के 50 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र में भू-जल की आपूर्ति की जा रही है।

अतः, इस अवसर पर मैं सरकार से मौजूदा नलकूपों को विद्युत चालित बनाकर तथा बेहतर कृषि हेतु सिंचाई नलकूपों का निर्माण करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करके और अधिक भू-जल संसाधनों का दोहन करने हेतु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करती हूं।

मानव जीवन के अस्तित्व के लिए पेयजल एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। भारत अनेक नदियों और पर्वतों का देश है। भारतीय संस्कृति के विकास, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के इतिहास में नदियों और पर्वतों का बहुत महत्व है। ये नदियां भारतीय जीवन का आधार और समृद्धि का स्रोत हैं। ऐसे संसाधनों के बावजूद, जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद भारत जल के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। हम अभी भी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने देश के लोगों को स्वच्छ पेयजल प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, आर्थिक विकास, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती मांग के साथ हमें स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की दिशा में और अधिक बल देने की आवश्यकता है।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहती हूं कि नदियों को आपस में जोड़ देने से भारत में जल संकट का समाधान हो जाएगा क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जल संसाधन का अभाव है। नदियों को आपस में जोड़ते समय सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना चाहिए ताकि ऐसा करने के बाद न आ जाए। नदियों को आपस में जोड़ने का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि भारी मात्रा में जल नदियों से समुद्रों में बहकर बर्बाद हो जाता है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि यदि जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों की तरफ जल का प्रवाह करके जल की बर्बादी को रोक दिया जाए तो देश के प्रत्येक भाग में सभी के लिए जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। नदियों को आपस में जोड़ने की सभी योजनाओं का उद्देश्य, प्राकृतिक बेसिनों से जल को एक नदी प्रणाली से दूसरी नदी प्रणाली की तरफ अंतरण करना है। नदियों को आपस में जोड़ने से अधिक कृषि उत्पादन क्षमता का सृजन होना, अतिरिक्त जल सुरक्षा के माध्यम से देश जल सुरक्षा में वृद्धि होना, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होना, देश में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान होना, वैकल्पिक बारहमासी जल संसाधन उपलब्ध करा कर जल संकट का समाधान होना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से किसानों की वार्षिक औसत आय में वृद्धि से किसानों की वार्षिक औसत आय में वृद्धि होना जैसे कुछ महत्वपूर्ण लाभ होंगे।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहती हूं कि नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं में आर्थिक, पारिस्थितिकी और सामाजिक मूल्यों से जुड़े बहुआयामी मुद्दे और चुनौतियां शामिल हैं। राज्यों के ऐसे अनेक सरोकार और चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार को ऐसी विशाल परियोजनाओं को आरंभ करने से पहले ध्यान देना है। नदियों को आपस में जोड़ने से भूमि और वन क्षेत्रों का पानी में डूब जाना, नदियों, जलीय और स्थलीय जैव विविधता का विनाश होना, डाउनस्ट्रीम प्रभाव, मात्स्यिकी का विनाश, जल का खारा होना, प्रदूषण बढ़ना, भू-जल स्रोतों का विनाश होना तथा जलाशयों से उत्सर्जन होना जैसे अनेक पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। जो कि देश में राज्यों के लिए महत्वपूर्ण चिंता के विषय हैं।

नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना का सफल कार्यान्वयन मुख्यतः, जल की अधिकता वाले बेसिन से जल की कमी वाले क्षेत्रों को सही समय पर जल छोड़ने पर निर्भर करता है। अलग-अलग परियोजनाओं के मूल्यांकन संबंधी मानदंड उपलब्ध कराने, उनकी आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने, परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु संगठनात्मक ढांचों का प्रस्ताव करने और परियोजना के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर विचार करने आदि पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

निःसंदेह, महोदय, नदियों को आपस में जोड़ने जैसे जल मिशन समय की आवश्यकता हैं जिनसे खेतों, गांवों, कस्बों और उद्योगों को पूरे वर्ष जल उपलब्ध होगा।

मैं अपने राज्य आंध्र प्रदेश की ओर से सरकार से आंध्र प्रदेश के लोगों की बहु-प्रतीक्षित अभिलाषा पोलावरम परियोजना, जिसे एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा चुका है, को पूरा करने हेतु समय-समय पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने का भी अनुरोध करती हूं।

गुमाडीगुड्डा जलाशय, थोटापल्ली परियोजना जैसी अनेक अन्य परियोजनाओं को निधियों के अभाव में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः, मैं सरकार से पेयजल सुविधाएं विकसित करके और सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की आपूर्ति करके आंध्र प्रदेश राज्य, जिसकी भूमि उर्वर है को उच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध करती हूं।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : जल जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। भारत जल संकट का सामना कर रहा है और हमें पूरे वाद-विवाद में यह संकट दिखाई दे रहा है। दोपहर के बाद पिछले ढाई घंटे से हम जल के मुद्दे पर वाद-विवाद

कर रहे हैं। जल विवाद हमारे देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि, यह विवाद हमारे राज्यों की सीमाओं तक भी पहुंच गया है और यह विवाद मेरे राज्य महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया है। हमारे यहां जिला, तालुका और ब्लॉक स्तर पर भी विवाद है। अत:, मैं इस बात की प्रशंसा करती हूं कि सरकार ने प्रथम विषय के रूप में जल संसाधन को लिया है और मुझे आशा है कि सरकार अगले पांच वर्षों तक जल को प्राथमिकता देगी क्योंकि उन्हें पूर्ण जनादेश प्राप्त हुआ है। मेरा यह मानना है कि अब हमें राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि, यह एक ऐसा वादा है जो हम सभी ने अपने मतदाताओं से किया है। मेरा यह विचार है कि यह एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो इस सभा को देश के लोगों के प्रति निभानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद भी हम जल जैसों विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यह चिंताजनक बात है।

मेरे युवा मित्र, गौरव गोगोई ने शुरू में ठीक कहा था कि मत प्राप्त करने के लिए हम लोगों में से अधिकतर ने जल को लेकर वादे किए हैं। जल एक ऐसा अति महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बारे में मैं ऐसा नहीं सोचती कि उसे उपलब्ध कराना हमारे लिए बहुत आसान है। अवसंरचना, सड़कें, स्कूल और कॉलेज – हम ये वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं परन्तु, जल एक ऐसा बहुमूल्य संसाधन है जो कि इस समय कम हो रहा है और जल संकट का सामना कर रहे हमारे जैसे देश को इसे हमारे देश में उच्च प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता है।

हम जल के जिस संकट से गुजर रहे हैं उसके वस्तुत: क्या कारण हैं? मेरे मित्र तथागत सत्पथी ने सही कहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल है परन्तु, क्या हम उसका सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? यही सही बात है। हमने अपने जल संसाधन को पूरी तरह से केन्द्रीयकृत कर दिया है। अत:, हमें सबसे पहले अपने सभी संसाधनों का विकेन्द्रीकरण करने की और सभी राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार अपने जल का उपयोग करने में उनकी सहायता करने की आवश्यकता है और इन सबसे ऊपर जल को लेकर जो विवाद चल रहा है उसे समाप्त करने की आवश्यकता है, मेरा कहने का यह अर्थ है कि मुझे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना से अपने मित्रों को इस विषय पर वाद-विवाद करते हुए देखकर दु:ख होता है। यह पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि हम जल का बंटवारा किस प्रकार करें।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सभा के सदस्य श्री सुरेश प्रभु जी, जो हमारी पार्टी से नहीं है, के नाम का उल्लेख करना चाहती हूं, उन्होंने हमारे पास जल के संबंध में उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने के लिए व्यापक अध्ययन किया है और देश के प्रत्येक गांव का खाका तैयार किया है। यह एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमें इस जानकारी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है कि उन्होंने जल के संबंध में यह खाका कहां-कहां तैयार किया है। आज हमारे समक्ष शहरीकरण की एक बड़ी चुनौती है। शहरीकरण के कारण वर्तमान में जल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। दूसरे, इसके कारण हमारी अनेक नदियों और बांधों के जल की गुणवत्ता खराब हो रही है। मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। वर्तमान में पूणे देश में सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक शहर है। पूणे शहर से समुचित रूप से पुनचक्रित न किए गए जल को नीरा नदी में छोड़ दिया जाता है जिसके बाद वह उजानी बांध में चला जाता है। इस बांध से संभवत:, महाराष्ट्र के छह जिलों को जल की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में, उस जल के संबंध में कोई उचित आयोजना न होने के कारण पूरे क्षेत्र में संदूषित जल की आपूर्ति की जा रही है।

दूसरा बड़ा मुद्दा भू-जल की समस्या का है जो हमारे समक्ष एक चुनौती बनी हुई है। इस बारे में सभी ने चर्चा की है। मेरा यह मानना है कि जलकूपों के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। नलकूपों के कारण भू-जल का स्तर तेजी से गिर रहा है। सभी जिला परिषदों में नलकूप मौजूद हैं। हमारे राज्य में नलकूप लगाने पर बहुत जोर दिया जाता है। यदि कोई जिला परिषद के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के पास जाकर नलकूप लगाने के बारे में पूछता है तो वह उसे सहर्ष नलकूप लगाने की स्वीकृति दे देगा। परन्त, गिरते भू-जल के रूप में हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। हम नलकूपों पर किस प्रकार नियंत्रण लगा सकते हैं इस संबंध में एक व्यापक जागरुकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है और उसके बाद पूरे जल के बारे में एक योजना तैयार करने के पश्चात् उन्हें ही इस संबंध में अनुमति दी जाए।

मुझे अपने राज्य में दो सफल कार्यक्रमों को लेकर बहुत गौरव का अनुभव होता है। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वह जल को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वह देश में जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे सामने दो सफल उदाहरण हैं। एक वंसुधरा के पुनर्गठन का है। अनेक लोगों ने त्वरित जल कार्यक्रम के बारे चर्चा की है। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। परन्तु, इसे पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में हमने कुछ सिफारिशें की हैं। हमारे पास शिवपुर पैटर्न का उदाहरण है जिसका हमने धुले जिले में उपयोग किया है और संपूर्ण महाराष्ट्र अब इसका उपयोग कर रहा है। इसके अंतर्गत हमने धारा को चौड़ा और गहरा बनाया है। हमने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। केवल इस पहल के कारण संपूर्ण भू-जल स्तर में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। वस्तुत:, जिस व्यक्ति ने शिवपुर में यह कार्य किया है उसने एक प्रस्ताव के साथ भारत सरकार के साथ संपर्क किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से इस पर ध्यान

देंगी। एकीकृत पणधारा कार्यक्रम के अंतर्गत वसुंधरा के पुनर्गठन से हम सभी को अपने राज्य में भू-जल स्तर में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

वर्षा जल का संचयन एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है। मेरा यह मानना है कि तमिलनाडु में भी इस संबंध में काफी पहल की गई हैं। हमने अपने राज्य में भी यह कार्य किया है। वर्षा जल संचयन से भू-जल स्तर में तेजी से वृद्धि होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।

आज हम सभी को और बांधों की आवश्यकता है। परन्तु, भूमि अधिग्रहण इस संबंध में एक बड़ी समस्या है। इस समय किसी नए बांध का निर्माण नहीं हो रहा है। अत:, इस घटते भू-जल स्तर तथा भू-जल स्तर में वृद्धि करने तथा लघु और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के साथ इस कार्य को करने के लिए हम इसे मनरेगा से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार लागत कम आएगी और लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेरा यह विचार है कि यदि हम पणधारा कार्यक्रम और एकीकृत पणधारा कार्यक्रम और वर्षा जल संचयन के साथ विभिन्न राज्यों में सभी सफल कार्यक्रमों को एकीकृत कर देते हैं तो इससे इस कार्यक्रम में काफी सफलता मिलेगी। यदि आप इन तीनों कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ देते हैं और पूरे देश में एक खाका तैयार करते हैं तो मुझे विश्वास है कि जल की स्थिति जो आज एक संकट दिखाई देती है वह निश्चित रूप से इस देश की नियति को बदल देगी।

मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। इस दौरान अधिकांश मुद्दों को शामिल किया जा चुका है। इस समय जल संदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में बात करूंगी। उन्होंने, प्रधानमंत्री कृषि योजना, राष्ट्रीय नदी योजना आदि में अनेक प्रावधान किए हैं। इन सभी के लिए अच्छा आवंटन किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में एक बहुत अच्छी जल नीति है जिसे हमने जल का संदूषण रोकने के लिए 2012 में लागू किया है। इस पहल को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। इस पहल पर महाराष्ट्र को बहुत गर्व है। इसने भारत को मनरेगा दिया है। इसने देश को स्वच्छता कार्यक्रम प्रदान किया है जिसे सबसे पहले हमारे राज्य में आरंभ किया गया और तत्पश्चात् ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे अपनाया। यदि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2012 के जल स्वच्छता कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाता है तो यह अच्छा रहेगा।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहती हूं। प्रत्येक नदी के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं भी इसके बारे में कुछ कहे बिना नहीं रह सकती। श्री तथागत सत्पथी ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सत्य है कि वे सभी संवदेनशील हैं। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी मां गंगा के प्रति संवेदनशील हैं, हम भी इसके प्रति संवेदनशील हैं। उसी प्रकार, हमारे महाराष्ट्र में मां गोदावरी, मां भीमा, मां कृष्णा हैं जहां सभी ज्योतिर्लिंग हैं। आज महाराष्ट्र के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी पंढरपुर की चन्द्रभामा नदी है। यह शायद वहीं रही है। हम अपनी सभी नदियों को जाति-पांति से परे रहकर समान रूप से मानते हैं। यह उनके पांच वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत है। उन्होंने मां गंगा से शुरू किया है। यदि वे धीरे-धीरे दक्षिण की तरफ आती हैं और हमारी सभी नदी माताओं का समर्थन करती हैं और जल संबंधी अपने हस्तक्षेप से भारत को एक समृद्ध देश बनाती हैं तो मैं उनकी सराहना करूंगी। यह सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिसम्पत्ति और संसाधन है।

***श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी** (खम्माम) : मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार वक्त करना चाहूंगा। मैं नवनिर्मित राज्य तेलंगाना पर माननीय जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नदियां देश की जीवन रेखा हैं क्योंकि वे न केवल सिंचाई और खाद्यान्न पैदा करने हेतु अपितु पीने के लिए भी जल प्रदान करती हैं। तेलंगाना के लोग, जिन्होंने बजट में प्रणहिता-चेवेला को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की घोषणा का उत्सुकता से इंतजार किया था, पूर्णत: निराश हो गए। मेरा सरकार से निवेदन है कि तेलंगाना के लोगों के हित में, इस मुद्दे पर विचार किया जाए।

श्री नरेन्द्र मोदी जी का नदियों को जोड़ने और सम्पूर्ण भारत को सिंचाई के तहत लाने की दृष्टि को वचनबद्धता और संगठित प्रयास प्रशंसनीय हैं। सरकार ने जल सुरक्षा और लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं "वर्तमान भगीरथ अवतार" श्री नरेन्द्र मोदी जी, की 'हर खेत को पानी' के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' प्रारंभ करने की घोषणा के लिए प्रशंसा करता हूं।

इस संबंध में, हम सर आर्थर काटन का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने अठारहवीं सदी के अंत में दक्षिण भारत में नदियों को जोड़ने का सपना देखा था। सर आर्थर काटन, जिनका दृष्टिकोण और सक्रियता सिंचित खेतों में बहती हुई जलधारा और देहातों के खेतीहर किसानों के पीसने की बूंदों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, के कार्यों को याद करना चाहिए। भगीरथ के अवतार, सर आर्थर काटन, अपने विजन को पूरा करने की उनकी अत्यधिक वचनबद्धता के द्वारा कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियों को नियंत्रित करने के उनके तपस्या जैसे मिशन का भी स्मरण करना चाहिए। भूख के चंगुल में लाखों लोगों की पीड़ा और बाढ़ की विभीषिका में उनके जीवन की क्षति के प्रति उनकी मानवीय चिंता, दक्षिण भारत में तीन नदी बेसिनों में सिंचाई तंत्र के निर्माण हेतु उत्कट प्रेरणा थी।

बाढ़ और सूखे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमारे जल संसाधनों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु तेलंगाना में गोदावरी और कृष्णा सहित विभिन्न राज्यों में 16 नदी लिंकों के साथ 'दक्षिणी जल ग्रिड' नाम के दक्षिण भारत में नदियों को सम्मिलित करते हुए प्रायद्वीपीय घटक के विकास हेतु सरकार की पहल की मैं सराहना करता हूं। इस प्रयास से गोदावरी बेसिन से अतिरिक्त पानी कृष्णा बेसिन तक जाएगा, जिसके कारण कृष्णा नदी बेसिन पर भार में कमी आएगी। यहां तक कि पोलावरम परियोजना के पूर्ण होने के बाद भी गोदावरी बेसिन का अतिरिक्त जल समुद्र में बह जाएगा। अतः, मेरा सरकार से निवेदन है कि तेलंगाना में नदियों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि गोदावरी बेसिन के अतिरिक्त जल का अधिकतम भाग सिंचाई की आवश्यकताओं हेतु उपयोग किया जा सके।

मानसून के मौसम के दौरान, गोदावरी नदी में भारी बाढ़ के कारण तेलंगाना में हजारों एकड़ खेती की भूमि जलमग्न हो जाती है और फसलों को नुकसान होता है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि फसल के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। यद्यपि, देश में और तेलंगाना में फसल बीमा योजना लागू की जा रही है परन्तु तेलंगाना में इस योजना से किसानों को अधिक राहत नहीं मिल पा रही है। अतः, सरकार को तेलंगाना के लोगों के लिए बाढ़ से फसलों को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु एक विशेष योजना पर विचार करना चाहिए।

बाढ़ के दौरान, स्थानीय लोगों को जलमग्न क्षेत्रों से निकालना स्थानीय प्रशासन के लिए अत्यन्त कठिन कार्य है। ग्रामीणों को ठहरने के लिए अस्थाई आश्रय उपलब्ध कराया जाता है परन्तु अपर्याप्त आश्रय से समस्या उत्पन्न होती है और इससे कई संक्रमणीय बीमारियां फैलती हैं। अधिकांश बाढ़ग्रस्त गांवों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है। सरकार से मेरा निवदेन है कि तेलंगाना में बाढ़ के दौरान सुरक्षित स्थानों पर अधिक संख्या में आश्रयों की व्यवस्था की जाए।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा विश्व बैंक की सहायता से नागार्जुन सागर की मुख्य नहर और उप-नहरों के आधुनिकीकरण का है। वर्तमान में, सरकार, नहर बांध प्रणाली के कार्यान्वियन अर्थात् जल के रिसने, नदियों के किनारों के कटाव और नहर बांध की दरार की समस्या का समाधान करने हेतु विश्व बैंक की सहायता का 48% हेतु अनुमोदन दे रही है इससे कृष्णा बेसिन से पानी की बर्बादी को रोकने में सहायता मिलेगी और सीमांत किसानों को अपने खेतों के लिए पर्याप्त जल प्राप्त होगा।

विश्व बैंक से इस सहायता को बढ़ाकर 90% कर दिया जाना चाहिए।

मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम हेतु वर्ष 2014-15 के बजट में 10,750 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तेलंगाना के सूखाग्रस्त क्षेत्र में भूजल के संभरण हेतु छोटे सिंचाई तालाबों के विकास और बाढ़ों के नियंत्रण हेतु एआईबीएफएम कार्यक्रम से तेलंगाना राज्य को पर्याप्त धनराशि आवंटन की जाए। जैसाकि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है, 'जल संचय' और 'जल सिंचन' के माध्यम से तेलंगाना राज्य में वर्षा जल को काम में लेने के लिए और जल संरक्षण और भू-जल संभरण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि तेलंगाना में सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाकर 'प्रति बूंद-अधिक उपज' को सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए जाएं। प्रत्येक विकास कार्य हेतु हमारी पार्टी का समर्थन रहेगा।

गोदावरी नदी पर श्री राम सागर परियोजना (एसआरएसपी) तेलंगाना के अधिकांश हिस्सों हेतु जीवन रेखा है और राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है क्योंकि नदी में 30 फीट से भी अधिक खतरनाक रूप से मोटी गाद जमा हो गयी है और इस गाद के जमाव से, भविष्य में तेलंगाना के आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और वारंगल जिलों में 7 लाख एकड़ क्षेत्र के प्रभावित होने की संभावना है। यदि वहां के एसआरएसपी की कुछ अपस्ट्रीम परियोजनाएं कुछ समय बाद गाद रोधक के रूप में कार्य करेंगी तो एसआरएसपी को अवसादन की चिंताजनक स्थिति से राहत मिलेगी। जलाशय में और आदिलाबाद जिले में बसर के मंदिर नगर तक नदी के सम्पूर्ण 45 कि.मी. पश्चजल फैलाव में भारी अवसाद के कारण एसआरएसपी की वर्तमान भंडारण क्षमता लगभग 30 प्रतिशत तक कम हो गई है। वर्ष 2006 में आंध्र प्रदेश दूरस्थ राज्य रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार यह क्षमता मूलरूप से 112 टीएमसी फीट से घटाकर 80 टीएमसी फीट रह गई है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि नदी में अवसादन की समस्या के समाधान हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा) : सभापति महोदय, मुझे जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। समय के अभाव के कारण, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ ही मुद्दों को उठाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं केरल में मावेलीक्करा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुट्टानाड़ क्षेत्र में रह रहे लोगों की दुर्दशा का उल्लेख नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष ने जब ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति के रूप में सं.प्र.ग.-2 के शासन के दौरान कुट्टानाड़ क्षेत्र का दौरा किया था, तब उन्होंने स्वयं इस क्षेत्र की स्थिति को देख लिया था। सं.प्र.ग. सरकार ने 2008 में कुट्टानाड़ पैकेज की घोषणा की और 2010 में इसे कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। परियोजना की प्रारंभिक लागत 1,860 करोड़ रुपए थी, जिसमें से कृषि संबंधी योजनाओं के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए

निर्धारित किए गए थे। शेष निधि बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जाने वाले निर्माण कार्यों जैसे पादसेखरम के बाहरी बांध का निर्माण, थान्नेरमुकोम बांध और थोट्टापल्ली अधिप्लव मार्ग की मरम्मत और आधुनिकीकरण, ए.सी. नहर का रखरखाव और ओनाट्टुकारा क्षेत्र में सिंचाई कार्यकलाप करने के लिए आबंटित की गई थी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि संबंधी कार्य को पहले ही पूरा किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय ने कृषि संबंधी सभी घटकों को पूरा कर लिया है, परन्तु सिंचाई घटक अभी भी लंबित है। केन्द्रीय जल आयोग ने कृषि घटक को अपने हाथ में ले लिया है और वह बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत धन जारी कर रहा है। परन्तु मुख्य मुद्दा यह है कि पादसेखरम के बाहरी बांध का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

कुट्टानाड़ में बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर है कि इसकी देश के अन्य भागों से तुलना नहीं की जा सकती। यह ऐसी जगह है जहां का व्यापक क्षेत्र केरल की पांच नदियों में जलमग्न हो जाता है। कुट्टानाड़ समुद्र तल से नीचे स्थित है और इस क्षेत्र के लोग छोटे-छोटे द्वीपों में रहते हैं। इस क्षेत्र में धान की खेती करने का तरीका बहुत अनूठा है।

यह परियोजना अनेक कारणों से लंबित हुई और इसके सिंचाई कार्य अभी शुरू किए गए हैं। निर्माण संबंधी सामग्री के मूल्य बढ़ गए हैं अत: इस कार्य को आबंटित राशि में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कुट्टानाड़ पैकेज के अंतर्गत बाढ़ राहत कार्यों को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजटीय सहायता दी जाए, और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए दो वर्ष का समय और दिया जाए।

मैं इस संबंध में माननीय जल संसाधन मंत्री का ध्यान कुट्टानाड़ पैकेज के अंतर्गत की गई कार्य की प्रगति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय जल आयोग और मंत्रालय द्वारा बाढ़ राहत संबंधी कार्यों की अनुमति विभिन्न चरणों में दी जा रही है। केईएल-1 और केईएल-2 के अंतर्गत बाढ़ राहत कार्यों की परियोजना लागत 143.61 करोड़ रुपए है, जिसमें से केन्द्र सरकार ने केवल 22,42 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद भी 85.18 करोड़ रुपए की शेष धनराशि को जारी न किए जाने के कारण यह कार्य रुका हुआ है। जल संसाधन मंत्रालय से मंजूरी मिलने और धनराशि जारी करने में विलंब के कारण थानेरमुक्कोम बांध, थोट्टापल्ली अधिप्लव मार्ग का आधुनिकीकरण कार्य, ओनाट्टुकारा, केईएल-3, और ए.सी. नहर का बाढ़ नियंत्रण कार्य लंबित है।

यह कार्य अनेक कारणों से लंबित हुआ और निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। बाढ़ के पानी को कम करने संबंधी कार्यों में विलम्ब के कारण कुट्टानाड़ के किसान खेती शुरू नहीं कर पा रहे हैं। अत: परियोजनाओं हेतु आवश्यक अनुमतियां और निधियां तुरंत जारी की जाएं और इस कार्य को पूरा करने की समय-सीमा भी बढ़ाई जाए।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में नदियों को जोड़ने का उल्लेख किया है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पम्बा-अचनकोविल-वायवार लिंक परियोजना 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा बनाई गई 30 अंतर-बेसिन जल अंतरण योजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत केरल में पम्बा और अचनकोविल नदियों से 634 मिलियन क्यूबिक मीटर जल तमिलनाडु के वायवार बेसिन में ले जाने की परिकल्पना की गई है ताकि तमिलनाडु के सूखा प्रभावित जिलों में 91,400 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सके और अधिकतम 500 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके।

पम्बा और अचनकोविल नदियां अंतर बेसिन नदियां नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों नदियों का जलग्रहण क्षेत्र केरल में आता है। यह प्रस्तावित परियोजना इस गलत धारणा पर बनाई गई थी कि केरल की पम्बा और अचनकोविल नदियों में अतिरिक्त जल है। वास्तव में पम्बा और अचनकोविल नदियों में जल की कमी है और इन नदियों से 634 मिलियन क्यूबिक मीटर जल के विपथन से जल इन नदियों में जल की अत्यधिक कमी हो जाएगी और पांच जिलों अर्थात् इडुक्की, पाथनमथीट्टा, कोट्टायम, अलप्पुजा और एरनाकुलम की जल-पर्यावरणीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पम्बा और अचनकोविल नदियां वम्बनाड़ झील में मिलने से पहले कुट्टावाड़ से बहती हैं। वम्बनाड़ झील देश में सबसे बड़ी आद्र भूमि प्रणालियों में से एक है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है।

पम्बा-अचनकोविल-वायवार लिंक परियोजना के कार्यान्वयन से कुट्टानाड़ की चावल की खेती पर सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ेगा, वम्बनाड़ झील के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पश्चिमी घाटों की जैव विविधता बाधित होगी और पम्बा में संभावित जल विद्युत उत्पादन में कमी आएगी। केरल की पम्बा और अचनकोविल नदियों में अधिशेष जल की संगणना भ्रामक है।

सबरीमाला तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र पम्बा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता है कुट्टानाड़ के चावल के खेतों में लवणता की अत्यधिक आवश्यकता है, लवणता और वम्बनाड़ आद्र भूमि में प्रदूषण कम करने के लिए जल चाहिए और इन बेसिनों में प्रस्तावित जल विद्युत स्टेशनों के लिए भंडारण क्षमता की आवश्यकता है। अत: पम्बा-अचनकोविल-वायवार लिंक परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जानी

चाहिए...*(व्यवधान)* और सरकार को इस संबंध में कोई निर्णय लेना चाहिए।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में गंगा को पवित्र नदी घोषित किया है और इसके विकास के लिए भारी प्रावधान की घोषणा की है। हमारे देश में अनेक पवित्र नदियां हैं। केरल में पम्बा, भरतपूजा और अलुवप्पूजा अथवा पेरियार को पवित्र नदियां माना जाता है। पम्बा को सबरीमाला के कारण; भरतपूजा को कलपती थिरूविलमाला और थिरूनव्या के कारण; और अल्लपूजा को महाशिवरात्री मंदिर के कारण पवित्र नदियां माना जाता है। केरल सरकार ने पम्बा नदी के पुनरुद्धार के एिल पम्बा कार्य योजना नामक एक परियोजना प्रस्तुत की है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे पम्बा कार्य योजना को इसी वर्ष के बजट में शामिल करें।

बजट में घाटों के विकास और नदी के अग्रभाग के सौन्दर्यीकरण संबंधी एक नई योजना की भी घोषणा की गई है। परंतु बजट में केवल गंगा के घाटों का ही उल्लेख किया गया है। मेरा अनुरोध यह है कि पवित्र तीर्थ स्थानों से संबंधित देश के अन्य भागों के घाटों और नदियों के सौन्दर्यीकरण को भी बजट में शामिल किया जाए। पम्बा के घाटों के निर्माण और सौन्दर्यीकरण का कार्य इसी वर्ष के बजट में शामिल किया जाए और भरतपूजा में कलपती, थिरूविलमात्रा और थिरूनव्या और पेरियार में अलुवा के कार्य को भी बाद में इसमें शामिल किया जाए। इन सभी घाटों में प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं।

मैं अप्रवासी भारतीय गंगा कोष बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री की सराहना करता हूं। यह एक बड़ा कदम है और लोग निश्चित तौर पर इस कार्य के लिए सहयोग देंगे क्योंकि गंगा हमारे जीवन और संस्कृति का हिस्सा है। केरल राज्य में अप्रवासी भारतीय नागरिकों की अधिकतम संख्या है। केरल की नदियों को भी इस परियोजना में शामिल किया जा सकता है। हमारे यहां अप्रवासी भारतीयों की पर्याप्त संख्या है और वे भी इस संबंध में अपना योगदान दे सकते हैं।

मैं तालाबों, स्वच्छ जल झीलों और नदियों जैसे जल निकायों की बिगड़ती स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भिन्न-भिन्न कारणों से, जल के ये बारह मासी स्रोत विलुप्त होते जा रहे हैं। बड़े तालाबों, स्वच्छ जल की झीलों और नदियों जैसे जल के प्राकृतिक स्रोतों के पुनरुद्धार हेतु सरकार को जल मिशन की स्थापना करनी चाहिए। ससथमकोटा झील, वम्बनाड़ झील और अष्टमुड़ी झील अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन तीनों झीलों को 'रामसार स्थल' घोषित किया गया है परंतु ये सभी पर्यावरणीय तबाही का सामना कर रही है। इन झीलों का संरक्षण आवश्यक है। भारत सरकार को ससथमकोटा झील, वम्बनाड़ झील और अष्टमुड़ी झील के संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र** (बांदा) : मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी को जल संसाधन विभाग के इस अच्छे बजट में यह सुझाव देना चाहता हूं कि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत मानक से बहुत ही कम है असिंचित एरिया ज्यादा है। मेरा संसदीय क्षेत्र के बांदा चित्रकूट जनपद में सिंचित क्षेत्र और भी कम है। वहां पर सरकारी ट्यूबवेल लगाने का भूगर्भ में जल स्तर का मानक बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण एक बड़े क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल नहीं लग पाते हैं। उस मानक को आठ हजार क्यूसेक क्षमता से घटाकर तीन हजार क्यूसेक के आसपास करना चाहिए जिससे पूरा क्षेत्र कवर हो सके। निजी ट्यूबवेल लगाने पर मिलने वाली सहायता के लिए वेटिंग लिस्ट बहुत लम्बी है। उस पर धन बढ़ाकर उस वेटिंग लिस्ट को जीरो करना चाहिए। यहां पर से निकलने वाली सभी छोटी-बड़ी नदियों को जोड़ने का कार्य शीघ्र होने पर यहां सूखे एवं बाढ़ की समस्या दूर की जा सकेगी। चित्रकूट धाम से निकलने वाली मंदाकिनी नदी में जल स्तर बढ़ाने के लए मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट के नजदीक आ गई नर्मदा नदी के जल को मंदाकिनी नदी में गिराना चाहिए। इससे उसका जल भी व्यर्थ नहीं जाएगा और सतना जिला का शेष भाग एवं चित्रकूट धाम के बड़े भाग को पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विश्व प्रसिद्ध तीर्थ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी पर बहुत ही प्रदूषण हो रहा है। इसकी सफाई के लिए एक विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस योजना पर अन्य नदियों की तुलना में कोई बहुत खर्चा नहीं आएगा। अब इस कार्य को शीघ्र शुरू कराया जाना चाहिए और इसी बजट में इसकी घोषणा की जानी चाहिए। हमारे यहां पीने के पानी की व्यवस्था के लिए केवल हैंडपंप ही सहारा हैं। वहां पर हजारों की संख्या में हैंडपंप लगाने की मांग दर्ज है। प्रदेश सरकारें इसके लिए पैसा उपलब्ध नहीं करा रही है। कराती भी है तो अपने विधायकों को कुछ कोटा देकर उनके माध्यम से लगवाती है। सांसद के क्षेत्र में पांच विधान सभाएं आती हैं उसे लोगों के लिए जरूरत के अनुसार हैंडपंप लगवाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: आपसे अनुरोध है कि इस बजट में माननीय सांसदों का भी अपने संसदीय क्षेत्रों से कम-से-कम एक हजार हैंडपंप प्रतिवर्ष स्वीकृत करने कर अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसी तरह हजारों की संख्या में हैंडपंप खराब पड़े हैं। उनको रिबोर कराने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे यहां यमुना नदी में जल पर्याप्त है, वहां

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से लिफ्ट द्वारा कई जगहों पर पानी डालकर नहरों के द्वारा पेयजल एवं सिंचाई प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। जल स्तर बढ़ाए जाने के लिए तालाब एवं छोटे बांध बनाने की नई योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।

***श्रीमती संतोष अहलावत** (झुंझुनू) : मैं अत्यंत गंभीर विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूं। जो इलाका डार्कजोन में आता है वहां पेयजल का गंभीर संकट बन गया है। वहां ना तो नदियां हैं और न कोई वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था। उस क्षेत्र में भू-जल स्तर अत्यंत नीचे चला गया है। सिंचाई को छोड़िए, पीने के पानी के कारण पलायन तक की नौबत आ गयी है। किसान जो खेत में घर बनाकर रहते हैं उनके ट्यूबवैल का पानी सूख गया है क्योंकि डार्कजोन है। अत: कुआं गहरा भी नहीं किया जा सकता है। अगर मोटर या पाईप भी फंस जाए तो निकाल भी नहीं सकते हैं। वहां के किसान के सामने फसल बचाने से भी बड़ा संकट अपने पशुओं तथा मनुष्यों को बचाने का आ खड़ा हुआ है। ऐसे में, पशुधन और मनुष्यों को बचाने और पलायन को रोकने का प्रयास महत्ती आवश्यकता है। मेरे जिले झुंझुनू में पूरा जिला डार्कजोन घोषित हो चुका है। पूर्ववर्ती सरकार ने नहर की चर्चा तो की मगर कार्य नहीं किया। सरकार इस गंभीर संकट के समाधान के प्रयास को प्राथमिकता दे।

श्री नित्यानन्द राय (उजियारपुर) : सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही आवश्यक और बहुत ही विशेष विषय पर यह चर्चा हो रही है। जो जल संसाधन विभाग के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, खेत प्यासा है, लोग भी प्यासे हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार है, आज कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी हमने पूर्व के जल संसाध मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव जी को बहुत चिन्तित देखा। जहां तक मुझे ध्यान है, वे कभी भारत सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने भी चिन्ता व्यक्त की है कि विभाग ने कम पैसे की मांग की है, कम पैसे का प्रावधान किया है। अभी हमसे पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि गति धीमी है। आज़ादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश समय जब से सरकार बनी है, जब से प्रावधान हुआ है, उसकी 90 प्रतिशत अवधि कांग्रेस सत्ता में रही है और अभी भी 43 करोड़ लोगों को भारतवर्ष में स्वच्छ पेयजल पीने को नसीब नहीं हो रहा है। खेत भी प्यासे हैं। जब खेत प्यासे होंगे तो लोग भूखे होंगे। जब खेत प्यासे होंगे तो लोगों के शरीर पर वस्त्र का अभाव होगा। जब खेत प्यासे होंगे तो लोग बेबस भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे। आप भी किसान परिवार से आते हैं। आज चाहे पूर्व के लोगों ने जो भी हालात बना दिये हों, लेकिन हम स्वामी विवेकानन्द की उस भविष्यवाणी को याद कराना चाहेंगे, जिनको विदेश में जब कहा गया था कि आप तो भूखों और नंगों के देश में आते हो, तो स्वामी विवेकानन्द ने बड़े गर्व से कहा था और 21वीं सदी के संदर्भ में उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, उस नरेन्द्र ने कहा था कि 21वीं सदी में भारत में न कोई नंगा होगा, न कोई भूखा होगा, न कोई बेबस होगा, न कोई अनपढ़ होगा। एक नरेन्द्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेन्द्र 21वीं सदी में उसे पूरा करने जा रहा है।

एक भगीरथ ने इस धरती पर गंगा को उतारा और साध्वी उमा भारती, माननीय जल संसाधन मंत्री उस गंगा को भारत के सब भागों में नदियों को जोड़कर पहुंचा देगी और देश को सब लोगों को गंगा का दर्शन अपने प्रांतों में होगा। जय प्रकाश जी कह रहे थे कि सरकार कुछ चमत्कार नहीं कर रही है। पैसे कम हैं। जय प्रकाश जी को मैं कहना चाहता हूं कि चमत्कार भी होंगे लेकिन उसका आधार यथार्थ होगा। यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर यह सरकार चमत्कार दिखाएगी। आप जैसे चमत्कार यह सरकार नहीं करने वाली है। कम पैसे में हम काम को ज्यादा करेंगे और उस काम को गति देंगे, यह सरकार का संकल्प है। आपने तो चमत्कार किया है। जिस चमत्कार पर दुनिया हंसती रही है। आपने तो एक स्कूटर पर एक बार में दो भैंस को ढो डाला है। जबकि जल का संरक्षण होना चाहिए। हम माननीया मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे।...*(व्यवधान)* हम जल संसाधन पर बोल रहे हैं। मैंने स्कूटर पर बोला है, लेकिन मेरी अगली लाइन सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, जल संरक्षण का सवाल है ओर जहां भूगर्भ जल और सतही जल का अभाव है, इन्होंने एक भैंस को धोने के लिए जितना पानी व्यय होता था, उस पर साल भर में 60 हजार रुपए खर्च होते थे। आप उस महालेखागार के रिकॉर्ड में देख सकते हैं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो हम अपनी वाणी को वापस ले लेंगे। लेकिन आप बताइए कि क्या आपने भैंस को धोने में 60 हजार रुपए खर्च बिहार में किए हैं या नहीं ? किया है।...*(व्यवधान)* जयप्रकाश जी को बुरा लग रहा है। जल संसाधन में जल संरक्षण भी है।

हम इस सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने जल संरक्षण, जल संवर्द्धन और जल प्रबंधन की इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि आने वाले समय में दुनिया के लोग चाहे जितनी भविष्यवाणी कर लें कि वर्ष 2025 तक दुनिया में पानी के लिए हा-हा कार होगा। एक माननीय सांसद बोल रहे थे, हम लोग भी जानते हैं कि वर्ष 2050 तक पानी के लिए इतना हा-हा कार होगा कि कोहराम मच जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यह सरकार चिंतित है, वह देश और दुनिया को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है कि जल के प्रबंधन और संरक्षण के लिए सरकार ने योजनाएं बनायी हैं, वह तारीफ के काबिल है और सरकार ने इसकी पूरी-पूरी चिंता की है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, चुनौतियां तो बहुत हैं, इसलिए कि पूर्व में कुछ नहीं किया गया। योजनाएं बनी थीं। गंगा बेसिन परियोजनाओं के बारे में हम देख रहे थे, हम बिहार विधान सभा के चार बार सदस्य रहे हैं। वहां गंगा बेसिन के प्रोग्राम्स को हम देख रहे थे तो हमें पता चला कि पूर्व की सरकार ने सात हजार करोड़ रुपए गंगा बेसिन के लिए खर्च किए थे, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? सरकार की नीयत पर उनको ग़ौर फ़रमाना चाहिए कि हमारी सरकार की नीयत है कि हम कम पैसे में ज्यादा काम कर दिखाएंगे और उस काम को गति देकर दिखाएंगे और उस पर आप लोगों को भी भरोसा करना चाहिए।...*(व्यवधान)* महोदय, यदि आप पहले ही बोल देते तो हम जल्दी बोल लेते।

माननीय सभापति : आप बोलिए, लेकिन पांच मिनट का समय सभी वक्ताओं के लिए नियत है।

श्री नित्यानन्द राय : हम एक मिनट में भाषण समाप्त कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम लोग जहां से आते हैं, वहां क्षेत्र के साथ-साथ देश की भी चिंता करते हैं। भैंस की भी चिंता करते हैं।

माननीय सभापति : आप लोग आपस में चर्चा न करें।

श्री नित्यानन्द राय : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, यह कहते हुए कि 22 प्रतिशत जल संरक्षण की क्षमता जो अब तक रही है, यह सरकार उसको दुगुनी बढ़ा कर करने जा रही है। उस क्षमता को हम बढ़ाएंगे, खेत को भी पानी पहुंचाएंगे और लोगों की प्यास भी बुझाएंगे। मैं आपका आदर करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि जहां से आप आते हैं, वहीं से गंगा दर्शन के लिए विद्यापति कवि चले थे और हमारे क्षेत्र उजियारपुर में आ कर ठहर गए थे। गंगा के किनारे तक पहुंचने के लिए जब असमर्थ होने लगे, तो कविवर विद्यापति ने गंगा का ध्यान किया। गंगा ने रास्ता बदल कर विद्यापति कवि तक चली गयी। आप यह स्वयं जानते हैं कि शंकर भगवान ने उगना के रूप में विद्यापति के यहां काम किया था। हम माननीय मंत्री महोदय से कहेंगे कि 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत उस विद्यापति नगर को भी एक प्रमुख स्थान बनाया जाए ताकि उसका भी नाम आए।

महोदय, एक बात कह कर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं:—

आदमी हार को जीत बना देता है, आदमी रहार को
प्रीत बना देता है,
कौन ऐसा काम जो कर सकता नहीं आदमी, आदमी
तो दर्द को संगीत बना देता है।

देश को जो इन्होंने दर्द दिया है, हमारी सरकार उस को संगीत में बदलेगी।

[अनुवाद]

***श्री शिवकुमार उदासि** (हावेरी) : मैं "जल संसाधन के लिए अनुदानों की मांगों" विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

जल इस समय पूरे विश्व से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है और हम सभी को राजनीतिक से ऊपर उठकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण और इस अत्यन्त मूलभूल वस्तु के लिए कुछ कहना चाहिए। जल की कमी एक चुनौती है जिसका हम सभी को सामना करना है और इस देश में जल का निर्धारण और मानचित्रण भी एक चुनौती है। जल का मूल्य निर्धारण एक आवश्यक पहलू है और इसे लागू किया जाना चाहिए। उपलब्ध जल में से 80 प्रतिशत कृषि संबंधी कार्यों 5 से 7 प्रतिशत घरेलू कार्यों और 8 से 10 प्रतिशत उद्योगों के लिए उपयोग किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 1 किलो चावल के उत्पादन के लिए 5000 लीटर; 1 किलो चीनी के उत्पादन के लिए 7500 लीटर और 1 किलो मक्का के उत्पादन के लिए 3000 लीटर जल की आवश्यकता होती है अत: उत्पादन लागत में जल मूल्य के लिए वस्तु अधिकतम विक्रय मूल्य लगाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। अत: हमें भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि देश में अनेक बोरवैल हैं। जल का पुनर्भरण और जल संरक्षण किया जाना चाहिए तथा सभी झीलों और तालाबों में नदी का जल भरा जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण स्तर पर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सके और सिंचाई आसान हो सके। अत: इस समय नदियों को आपस में जोड़ना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के तहत गंगा कावेरी को जोड़ने की माननीय मंत्री जी की मंशा की सराहना करता हूं, इससे दक्षिण पठार विशेषकर मेरे कर्नाटक राज्य के सभी किसानों, जो जल पर निर्भर करते हैं, को लाभ होगा जिससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी। मैं नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य के लिए सरकार द्वारा अपनाए जा रहे अग्रसक्रिय तरीकों की सराहना करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह तुंगभद्रा और वर्दा नदियों से जल विभिन्न झीलों और तालाबों में ले जाने के लिए कर्नाटक में मेरे निर्वाचन क्षेत्र हावेरी में एक प्रायोगिक परियोजना लाएं, ताकि किसान भूमिगत जल स्तर बढ़ाकर कृषि संबंधी बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें और बोरवैल की सहायता से भू-जल का पुनर्भरण किया जाए ताकि किसान जल की कमी वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकें।

[हिन्दी]

***श्री तारिक अनवर** (कटिहार) : मैं जल संसाधन के डिमांड फॉर ग्रांटस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वाटर रिसोर्सेज से संबंधित समस्या एवं सुझाव दूसरे माननीय संसद सदस्यों द्वारा सदन में दिया जा चुका है। गंगा से लेकर देश के सैंकड़ों नदियों के पौल्यूशन के बारे में यहां काफी चर्चा हो चुकी है। देश की नदियों को गंदगी से और पौलुसन से कैसे बचाया जाये इस पर कई महत्वपूर्ण सुझाव यहां दिये जा चुके हैं। मुझे विश्वास है सरकार इन सुझावों को गंभीरता से लेगी। क्योंकि हमारे देश में नदियां सिर्फ जल और बिजली उत्पादन के उपयोग में आती हैं बल्कि धार्मिक रूप से लोगों की आस्था है। जल ही जवीन है हम अपने बचपन के दिनों से सुनते आये हैं। ह्यूमन सर्वाईवल के लिए यह जरूरी है। हमारे सिंचाई में जल का उपयोग है। जल की सुरक्षा हमारे लिए अनिवार्य है।

मैं अब अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर मंत्री महोदया उमा भारती जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र कटिहार जहां नदियों के जाल हैं। गंगा, महानंदा, कोसी, रिगा, गंडक आदि नदियां कटिहार जिले के विभिन्न प्रखण्डों से गुजरती है। कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब कटिहार के लोगों को बाढ़ की पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती हो। सबसे ज्यादा परेशानी का कारण हमारे क्षेत्र में कटाओं (इरोजन) का है। हर साल गांव के गांव नदियों में समा जाते हैं। कुरसेला से लेकर बरारी, मनिहारी, आमदा, बाढ़, प्राणपुर, कदवा बारसोई, बलरामपुर के कई पंचायत लिप्त होने की परिस्थिति में हैं। बोंध की स्थिति दयनीय है। इन तमाम प्रखंडों को लिप्त होने से बचाने के लिए, अविलंब इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बांध (इंबैंकमेंट) के मजबूतीकरण के लिए केन्द्र सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नदियों की धारा की दिशा बदलने के लिए ठोकर बनाने की जरूरत है। उमा भारती जी से मेरा अनुरोध होगा कि वह अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर कटिहार के बाढ़ और कटाओं से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें तथा प्रभावशाली कदम उठायें ताकि कटिहार के स्थानीय लोगों को विस्थापित होने से रोका जा सके। केन्द्र सरकार कटाओं से इस क्षेत्र को बचाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे तथा उसके लिए विशेष राशि का आवंटन किया जाये।

श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति जी, हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में जल का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, चाहे वह संकट नदियों के गंदे होने का हो, पीने के पानी के प्रदूषित होने का हो, चाहे सिंचाई को लेकर हो। जल का सबसे बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पूर्ति नदियों से होती है, बारिश के माध्यम से होती है। इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण आने वाले समय में यह संकट और गहराएगा। इस देश में सिंचाई के लिए, लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं लेकिन इन योजनाओं से अभी तक किसी को लाभ नहीं पहुंच रहा है। यूरिया और डीएपी का भारी मात्रा में जो लगातार इस्तेमाल हो रहा है, उस से पानी बहुत तेजी से दूषित होता जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग समय रहते महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं तो हम पानी को दूषित होने से बचा सकते हैं। अगर हम लोग जनता को पानी को बचाने के लिए शिक्षित करते हैं और इस तरह से शिक्षित करते हैं जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर सरकार उसका 25% भी जनता को शिक्षित करने के ऊपर करती है तो इस देश को पानी के संकट से बचाया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

हमने लैपटॉप बंटवाए थे और इतने लैपटॉप आप कभी बंटवा भी नहीं सकते जितने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार ने बंटवाए हैं।...*(व्यवधान)*

परिवारवाद है तो है। जनता वोट डालती है तो हम लोग जीत कर आए हैं और पूरा परिवार जीत कर आया है। आगे देखिएगा कि इतने लोग जीतेंगे कि आप लोग कहीं नहीं दिखेंगे।...*(व्यवधान)*

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सिंचाई मुफ्त की हुई है, आप यह तो जानते हैं।...*(व्यवधान)* आप जानते हैं तो यह अच्छी बात है। आप यह जनता को भी बता दीजिए।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप अपनी बात बोलिए।

श्री अक्षय यादव : महोदय, बुंदेलखंड क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण अर्जुन सहायक परियोजना, इलाहाबाद तथा मिर्ज़ापुर के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्माणाधीन बाणसागर नहर परियोजना, प्रदेश के पूर्वांचल के नौ जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरयू नहर परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण केन्द्र से त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत वित्तपोषित है। अगर केन्द्र सरकार समय से धनराशि स्वीकृत कर देती है तो उन्हें समय पर पूर्ण कर दिया जाएगा।

इस सरकार में और जो पिछली सरकार थी, इन दोनों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की अनदेखी होती रही है। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 26 जून को माननीय प्रधानमंत्री से पत्र लिख कर अनुरोध किया गया है कि शारदा सहायक क्षमता पुनर्स्थापना परियोजा के इंवेस्टमेंट क्लियरेंस की अवधि मार्च, 2015 तक बढ़ायी जाए। इसी पत्र में भारत सरकार से वांछित धनराशि का ब्यौरा दिया गया है। अगर यह केन्द्र सरकार में मिल जाए तो इन परियोजनाओं पर समय से कार्य होता रहेगा। वे इस प्रकार हैं:—

- सरयू नहर परियोजना में वर्ष 2013-14 में 334 करोड़ रुपए थे जो वर्ष 2014-15 में 1,080 करोड़ रुपए हो गए।

- बाणसागर नहर योजना में 85 करोड़ रुपए थे जो अब 88 करोड़ रुपए हो गए।
- अर्जुन सहायक परियोजना में पहले 126 करोड़ रुपए थे और इस साल 90 करोड़ रुपए हैं।
- मध्य गंगा परियोजना में पहले 75 करोड़ रुपए थे और इस साल 25 करोड़ रुपए हैं।

अभी तक का इनका कुल योग 1,904 करोड़ रुपए हो गये हैं।

इसी प्रकार बाढ़ों से बचाने के लिए जो 58.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल है, उसके लिए बीस हजार करोड़ रुपए हैं, जो केन्द्र से अभी उत्तर प्रदेश को मिलना है। अगर आप इतने रुपए दे देते हैं तो इनसे जल्दी काम भी चालू हो जाएंगे। गंगा उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं पीने का पानी पहुंचाने का सबसे बड़ा स्रोत है, इस गंगा की भी अनदेखी की जा रही है। हम जोर देते आ रहे हैं कि हम सब लोग इस गंगा को गन्दगी से बचाएं। इसमें कूड़ा न फेकें, लेकिन सबसे ज्यादा गन्दगी अगर गंगों में पहुंचती है तो जो शहर के किनारे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके द्वारा गंगा को सबसे ज्यादा गंदा किया जा रहा है। जो थोड़ा-बहुत कूड़ा जाता है, उसे तो उठा कर बाहर लाया जा सकता है, लेकिन गंगा के अंदर जो केमिकल्स छोड़े जा रहे हैं, उनसे कैसे निपटारा किया जाएगा। यह बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे उनमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा सके और सुनिश्चित किया जाए, जो पानी उन नालों के जरिए गंगा में पहुंच रहा है, वह एकदम साफ-सुथरा होकर पहुंचे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन में फिरोजाबाद से आता हूं, वहां की स्थिति भी पानी को लेकर बहुत खराब है। फिरोजाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां अधिकतर लेबर क्लास के लोग रहते हैं। पिछले कुछ समय से पानी का जलस्तर बहुत तेजी से गिरा। इस विश्व में अगर सबसे ज्यादा समर हैं तो वह फिरोजाबाद के अंदर लगे हुए हैं। पानी की पूरी तरह से बर्बादी की गई और आज की तारीख में जलस्तर बहुत गहरा हो गया है। समाजवादी सरकार से पहले, यहां के लागों ने पलायन करना चालू कर दिया था। लोग अपने घर छोड़ कर जाने लगे थे। जब उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार बनी तो 625 करोड़ की योजना चालू की गई, 40 किलोमीटर नहर खोदी गई। अब पाइप लाइन के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जा रहा है। उससे पाइप लाइन के जरिए 24 क्यूसिक पानी फिरोजाबाद को उपलब्ध करवाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अगर इसी तरह की योजनाओं का सहयोग केन्द्र सरकार करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि हर शहर में साफ-सुथरा पानी पीने लायक पहुंचने लगे। अगर फिरोजाबाद के पास में है और आगरा पूरे विश्व में जाना चाहता है। आप सब लोग आगरा गए होंगे। अगर वहां होटल में रुके होंगे, नल खोला होगा। उस नल का पानी अगर नहाने के लिए या कुल्ला करने के लिए मुंह में डालो तो उसके स्वाद का पता चल जाता है। वहां खारा पानी आता है। ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे, लेकिन उनको इस तरह से बनाया गया कि वे पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आपका सहयोग रहेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार आगरा जैसे बड़े शहरों में भी साफ और स्वच्छ पानी पहुंचा पाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसी योजनाओं में सहयोग करें। आपसे हम लोगों को बहुत उम्मीदें है। आप भी उत्तर प्रदेश से आई हैं, आप पहले भी विधान सभा में उत्तर प्रदेश में थीं।

[अनुवाद]

***श्री पी.आर. सुन्दरम** (नामाक्कल) : जल संसाधन मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कृषि में जल संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके अतिरिक्त यह एक राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में भी योगदान देता है। अतः, सरकार का यह प्रमुख कर्त्तव्य है कि देश के जल संबंधी मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। पानी एक सर्वव्यापी तत्व है और कोई इसके स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। हमें समझना चाहिए कि तटवर्ती क्षेत्रों में दशकों और सदियों से बहती आई नदी के पानी में कमी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में, मैं व्यक्तिगत रूप से हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुराचिथलैवी अम्मा को कावेरी नदी और मुल्लई पेरियार बांध के संबंध में तमिलनाडु के लोगों को अधिकार दिलाने में उनके दृढ़ प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी मुख्यमंत्री जल संसाधनों का महत्व समझती है क्योंकि हमारा राज्य प्रतिवर्ष सूखा जैसी स्थितियों का सामना करता है जिसके कारण कृषि उत्पादन में कमी, ग्रामीण संकट पैदा हो जाते हैं, पेयजल और चारे में अत्यंत कमी आती है।

जैसा कि आप जानते हैं, तीन लगातार वर्षो—2011, 2012 और 2013 से हमारा एक सामान्य से कम वर्षा होने के कारण सूखे से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की चेतावनी के अनुसार, भारत उप-महाद्वीप पर एल नीनो का प्रभाव इस वर्ष भी भयावह रहेगा। देश में पहले से ही असामान्य वर्षा और कई तूफानों के कारण कई राज्य प्रभावित हो चुके हैं। देश में 50 लाख हैक्टेयर भूमि पर तैयार फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, हमारे देश में प्रतिवर्ष मुख्यतः मानसून की असफलता के कारण किसान आत्महत्याएं करते हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, राज्य में सूखे जैसे स्थिति अभी भी बनी हुई है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2012-13 में एक को सूखाग्रस्त घोषित किया था और सभी जिलों में सूखा राहत प्रदान की गई थी। लगभग 21.42 लाख किसानों को 2022 करोड़ रुपए सूखा राहत के रूप में प्रदान किए गए थे जिसमें केन्द्र सरकार ने 645 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। मैं मानीय मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं।

गंगा नदी की सफाई और पुनरुद्धार हेतु पर्याप्त धनराशि के आबंटन के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि देश की अन्य सभी प्रदूषित नदियों और राज्यों के बीच नदी विवादों पर ध्यान केन्द्रित करें, ताकि नदी जल के उपयोग हेतु मूलभूल अधिकार मिल सके। हमारे राज्य को कड़े प्रयास करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, 142 फीट की भंडारण क्षमता प्राप्त करने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री को उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ा। कावेरी जैसे कुछ मामलों में यह मुद्दा अभी भी हल नहीं हो पाया है। यहां तक कि केन्द्र सरकार राज्य में नदियों को आपस में जोड़ने हेतु कदम उठाती है, कुछ राज्य तब तक पानी के उपयोग को हड़पने की कोशिश करेंगे, जब तक केन्द्र सरकार जल संबंधी मामले को रक्षा, रेलवे आदि की भांति केन्द्रीय सूची के तहत नहीं लाती है और सभी राज्यों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर देती है।

सरकार ने विशेष रूप से देश के प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शत प्रतिशत धनराशि की सहायता से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। प्रारंभ में, सरकार ने 13 राज्यों में पुनरुद्धार हेतु झीलों की पहचान की थी, परन्तु बाद में यह योजना राज्यों को 70:30 के अनुसार में साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित की गयी। सरकार से मेरा निवेदन है कि देश में विद्यमान जल संसाधनों में सुधार करने के लिए देश के जल निकायों को भारी संख्या में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल करते हुए इसमें सुधार किया जाए और राज्य सरकारों को शत प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की जाए।

इसके अतिरिक्त, सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, सभी बड़ी नदियों को जोड़ने में तमिलनाडु राज्य की सहायता भी करे। तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी प्रयासों के तहत तमिलनाडु की सरकार द्वारा पेन्नैयार से पालर, कावेरी (मैट्टूर बांध) से साराबंना (नाम्माक्कल), अदिकाडवु – अविनाशी नहर, कावेरी से गुंडर जैसे कुछ लिंकों को प्रस्तावित किया गया है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इन प्रयासों का समर्थन करें।

वर्षा जल संचयन जलाभाव, सूखा जैसी स्थिति का सामना करने हेतु एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रणाली है। स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की है कि वर्षा जल संचयन और जल निकायों का पुर्नभरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक लाख कुओं के पुनर्भरण कार्यक्रम की सिफारिश भी की है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अब तक इस सिफारिश पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सूचित करें। भविष्य में सभी उद्देश्यों हेतु पानी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को आवश्यक परिवर्तनों के साथ देश के सभी हिस्सों में लागू किया जाना चाहिए। सूखा निवारण के ऐसे उपायों को युद्ध स्तर पर एवं सतत् रूप से शुरू करना चाहिए तथा नीतिगत योजनाओं में भू-जल पुनर्भरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहां तक कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार को चाहिए कि सभी विद्यमान और नए इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दे। वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना तमिलनाडु राज्य में पहले ही अनिवार्य कर दी गयी है जो अनुकरणीय है।

निष्कर्ष के रूप में, मैं सरकार से एक बार पुन: निवेदन करता हूं कि कुछ चुनौतियों जैसे—राष्ट्रीय नदियों को आपस में जोड़ने, देश में जल निकायों के संरक्षण, सभी राज्यों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम हेतु शत प्रतिशत राशि की सहायता और आवश्यक परिवर्तनों के साथ सभी राज्यों में इस कार्यक्रम का विस्तार आदि को प्राथमिकता प्रदान करें तथा ऐसे सभी प्रयासों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से पानी की कमी दूर करने का प्रयास करे।

[हिन्दी]

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा) : मैं जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। भारत दुनिया के पूरे भू-भाग का 2.4 प्रतिशत है और भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17 फीसदी है। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन जल संसाधन के मामले में भारत में जल की उपलब्धता केवल 4 प्रतिशत है। पानी की महत्ता के बारे में हिन्दी के जाने-माने कवि रहीमदास जी ने कहा था कि रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून और पानी मिले न ऊबरे मोती मानुष चून।

हाल ही में पेश किए गए देश के आम बजट में हमारे यशस्वी एवं दृष्टिवंत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जल संसाधन की महत्ता को समझते हुए एक विस्तृत रणनीति पर जोर दिया है तथा उसके तहत

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है क्योंकि गंगा हमारी जीवनदायनी माता है तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं आस्था का प्रतीक हैं। गंगा सदियों से भारत के उत्थानपतन का गवाह रही है। गंगा के ये तट हिन्दुस्तान की तकदीर बदलने के चश्मदीद गवाह हैं। भारत की अस्मिता का मां गंगा से अटूट नाता है। भारत का प्रत्येक सपूत मांग गंगा की गोद में जन्म लेता है तथा मृत्योपरांत मां गंगा की गोद में विश्राम पाता है।

मैं इसके लिए देश के स्वनाम धन्य प्रधानमंत्री एवं विश्व राजनीति के एक मूर्धन्य नेता माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं क्योंकि 6 साल से लंबित सरदार सरोवर बांध-नर्मदा योजना का द्वार लगाने का काम लंबित था। आपने सरकार के गठन के 17 दिन के अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता का जो अद्भूत परिचय दिया उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूं। गुजरात की संजीवनी-जीवन रेखा समान नर्मदा योजना को आगे जिस तेजी से आपने आगे बढ़ाने का काम किया है उसके लिए गुजरात का जन-जन आज उपकृत महसूस कर रहा है।

मैं गुजरात की जनता की एक चिरप्रतीक्षित मांग को सरकार के सामने रखना अपना उत्तरदायित्व समझती हूं। देश में त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना का शुभारंभ वर्ष 2006 में किया गया था तथा इसके तहत अकालग्रस्त क्षेत्र को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसमें देश के रणक्षेत्र के विकास को शामिल नहीं किया गया। गुजरात की ओर से एआईबीपी योजना के तहत 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था जिसका योजना के प्रयोजन हेतु एक नई मार्गदर्शिका भी बनाई गई हैं जिसके तहत 25 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता को यथावत बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में मेरा सरकार से निवेदन है कि वह गुजरात की मांग को स्वीकार करने की कृपा करें।

माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नमामि गंगे नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण की जो योजना बनाई गई है तथा उसके लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अपनी उस वचनबद्धता को पूरा किया है जोकि उन्होंने बनारस में गंगा के घाट पर महा आरती के समय कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मां की इतनी चिंता एक सुयोग्य पुत्र ही कर सकता है।

उन्होंने हमारी नदियों के उद्यम स्थानों और घाटों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया है। ऐसा उन्होंने देशवासियों की मां गंगा के साथ जुड़ी हुई भावनाओं को ध्यान में रखकर किया है। घाटों के विकास के लिए उन्होंने केदारनाथ, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली के घाटों के सौंदर्यकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है वह सराहनीय है। साथ ही इस बजट में अनिवासी गंगा निधि बनाने का भी प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के पीछे नरेन्द्र भाई मोदी जी की उन अनिवासी भारतीयों की भावनाओं को छूने का प्रयास है जो दूर देश में रहने के बावजूद गंगा में एक डुबकी लगाने का पवित्र सपना रखते हैं और अंत में मैं इन अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए एक कवि की निम्न पंक्तियां उद्‌त करती हूं कि

कानपुर, वाराणसी, पटना या कलकत्ता का
न कभी होता बिन गंगा के विकास है,
गंगा जहां मिलती है यमुना, सरस्वती से
अद्वितीय संगम प्रयाग को प्रणाम है।

श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, आज जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आजादी के 67 वर्षों तक हम अपने देश के लोगों को शुद्ध पेयजल भी मुहैया नहीं करा सके। आज दिल्ली जैसे जगहों में भी, जो देश की राजधानी है, यहां भी 40 से 50 प्रतिशत लोगों को पानी की जो सप्लाई है, वह हम अभी तक सही ढंग से उपलब्ध नहीं करा सके हैं। एक मंत्रालय की ही रिपोर्ट में झारखंड में 37.90, मणिपुर में 40.70 और मध्य प्रदेश में 36.10 है। जो बाकी हैं, वहां कम-से-कम 500 मीटर से अधिक दूरी पर उनको पीने का पानी उपलब्ध हो पाता है। कमोबेश पूरे देश की यही स्थिति है। हम लोगों को शुद्ध पेयजल अभी तक उपलबध नहीं करा सके हैं। आज हमारा किसान, हमारी कृषि कहीं सूखे से, कहीं बाढ़ से प्रभावित होती है, जिससे देश का तमाम आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक हर क्षेत्र प्रभावित होता है, इतनी बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है। निश्चित रूप से इस सदन को गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए।

आज मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद करता हूं। पूर्व में भी एनडीए की सरकार रही है, मैं चाहता हूं कि जो जल नीति है, जो जल संसाधन विभाग है, देश की तरक्की में यह एक अहम भूमिका निभाये। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी सरकार का प्रयास रहा था और वर्तमान एनडीए की सरकार, माननीय मंत्री सुश्री उमा भारती जी के नेतृत्व में भी गंगा के शुद्धीकरण के लिए जल संसाधन विभाग के माध्यम से पूरे देश के लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए, उस दिशा में प्रयासरत हैं, इसलिए मैं सरकार को भी और माननीया मंत्री जी को भी धन्यवाद दे देता हूं।

हम कहना चाहेंगे कि बिहार के लिए 2012-13 में जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति का गठन किया गया था। देश की तमाम

परियोजनाओं के संदर्भ में उसमें विचार हुए, लेकिन बिहार के लिए किसी भी परियोजना की स्वीकृति नहीं दी गई या कोई भी परियोजना नहीं ली गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बिहार भी अति पिछड़ा राज्य है, जो कहीं बाढ़ से प्रभावित होता है, कहीं सुखाड़ से प्रभावित होता है। वहां जल निकासी की भी समस्या है। मैं माननीया मंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे यहां कहीं सुखाड़ और बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, कहीं जल निकासी की समस्या है, इन तमाम समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें और बिहार जैसे राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दें, यह मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।

हम एक तरफ 2022 तक निर्मल भारत मिशन के माध्यम से पूरे देश के गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहते हैं। यह हमारे लिए बड़ी गंभीर चुनौती का विषय है। मैं कहना चाहूंगा कि इस दिशा में इस चुनौती पर हमारी सरकार और हमारे माननीय मंत्री विचार करें और जिस रूप में हम जनप्रतिनिधियों का सहयोग, इस गंभीर चुनौती का सामना करने की दिशा में जहां आपको प्रयास करने की जरूरत हो, हम लोग उस प्रयास में आपके साथ हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति जी, जल संसाधन विषय को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जा सकता है। मैं समझता हूं कि जीवित रहने के लिए इन्सान को भी, जानवरों को भी और पक्षियों को भी इसकी बहुत जरूरत है। हमारी वाणी में भी लिखा है कि पहला पानी जीव है। इस महत्ता की चर्चा बहुत हुई है।

इसकी मुश्किलें क्या हैं, पहली तो यह है कि पानी प्रदूषित हो रहा है, उसकी चर्चा हुई है। औद्योगीकरण ने बहुत नदियां, नाले और जो हमारे दरिया हैं, उनके पानी को प्रदूषित किया है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कम्पैल करना चाहिए, यह हमारी नीति होनी चाहिए। अगर कोई नहीं लगाता तो उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों को जीवित रहने के लिए भी और पशु-पक्षियों के लिए भी जो दरिया प्रदूषित हो रहे हैं, उनके प्रदूषण को रोकने की जरूरत है। जैसे गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने की परियोजना बनी है, ऐसे ही मैं समझता हूं कि सतलुज, व्यास जैसे दरियाओं को भी प्रदूषण रहित करने के लिए परियोजना बननी चाहिए। उसके लिए विशेष माली मदद माननीय मंत्री जी से हम चाहते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

दूसरा, जो पानी की वेस्टेज होती है, उसको कैसे रोका जाये? यह बहुत चिन्ता वाली बात है कि बारिश का चार हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होता है, उसमें से 750 बिलियन क्यूबिक मीटर ही यूज में आता है। हमारे प्रदेश में जैसे पानी आता है, ऊपर पहाड़ हैं, पहाड़ का पानी नीचे आता है, वहां बाढ़ आ जाती है, उससे फसलें खराब होती हैं और वह जमीन खराब कर देता है, बाद में वहां सूखा पड़ जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बनी है, वह बहुत अच्छी योजना है, उसमें एक हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। उसकी ज्यादा जरूरत पंजाब के लिए है, क्योंकि पंजाब की जो भौगोलिक स्थिति है, वह ऐसी है कि वहां बारिश का सबसे ज्यादा पानी लुढ़ककर आगे चला जाता है, दूसरे देशों में भी चला जाता है। अगर उसको चैक डैम लगाकर, झीलें बनाकर, तालाब बनाकर संभाला जाये तो मैं समझता हूं कि उसका सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जायेगा। पानी की जो सतह नीचे होती जा रही है, सबसे ज्यादा पानी जो नीचे जा रहा है, वह पंजाब में जा रहा है।

ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने अपनी धरती को शक्ति भी खत्म की, पानी भी खत्म किया। उसको संभालन के लिए विशेष परियोजनाएं जो बन सकती हैं, उसके लिए स्पेशल तौर पर पंजाब को लिया जाना चाहिए। जो फ्लड आते हैं, बाढ़ से नुकसान होता है, वहां हमारी एक सबाह नदी है जो सतलुज में जाकर गिरती है। 280 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहां आया हुआ है, जिसे पंजाब सरकार ने भेजा है। अगर वह प्रोजेक्ट बन जाये तो बाढ़ से बच पायेंगे और पानी को हम यूज में भी ला सकेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एरियाज हैं, पानी की दूसरी समस्याएं, जो मैं समझता हूं कि सिंचाई के लिए जहां पानी पहुंचाना है, पीने के लिए जहां पानी पहुंचाना है, वहां पहुंचाने की भी एक योजना बननी चाहिए।

महोदय, मेरा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब है। आनंदपुर साहिब का ज्यादातर एरिया पहाड़ी क्षेत्र से टच करता है। वहां पानी ऊपर नहीं जाता है, उसके लिए लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के लिए पैसे की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश को नैना देवी के एरिया में पैसा दिया गया था, वहां प्रोजेक्ट लगाया गया। उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि श्री आनंदपुर साहिब के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है, गढ़शंकर का, बलाचौड़ का, जिसको भीत का जंगल का एरिया बोलते हैं, वहां दरिया से लेकर पानी लिफ्ट इरीगेशन के जरिए ऊपर पहुंचाया जाए तो उसका सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी यूज हो सकता है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब के साथ एक और चीज हुयी। इमरजेंसी के समय में उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री जी से जबरदस्ती साइन करा लिए गए। बैरियर लगाकर पंजाब का पानी दूसरे प्रदेशों को दिया गया। उसकी लड़ाई अब तक चल रही है, अब तक कोर्ट में केस चल रहा है। सेंटर वाटर कमीशन ने घग्गर दरिया को चैनलाइज करने के लिए जो पैसा पास हुआ, उसको भी रोक दिया कि आप उसको चैनलाइज नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा

कि दरियों की डीशिल्टिंग को वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय में लेना चाहिए। माइंस डिपार्टमेंट डीशिल्टिंग नहीं करने देता है। हमारे दो गांव नंगल के पास बह गए। वे डीशिल्टिंग करने नहीं देते हैं, माइंस डिपोर्टमेंट इसे रोक देता है। सीधे तौर पर वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय के थ्रू दरियाओं की डीशिल्टिंग अगर हो जाए, तो मैं समझता हूं कि बाढ़ से नुकसान बच सकता है।

आखिर में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो सिंचाई है, उसे वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय को बुनियादी ढांचे में लेना चाहिए, जैसे पावर सैक्टर है, सड़कें हैं। वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय बहुत इंपोर्टेंट है। इसकी बहुत जरूरत है। जो आज सबसे ज्यादा खतरा पानी के मामले में है, जिसके बारे में सबने कहा है और देश जानता है, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने भी कहा, इसलिए वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय को अगर बुनियादी ढांचे में लिया जाएगा, तो इसके लिए जो परियोजनायें बनती हैं, उनमें और ज्यादा पैसा आ पाएगा। मैं इसीलिए बार-बार निवेदन करता हूं कि पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब का स्तर सबसे नीचे गया, पंजाब का पानी नाजायज तौर पर लूटा गया और पंजाब का बारिश का पानी सबसे ज्यादा खराब होता है, इसलिए पंजाब को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से ज्यादा पैसे देने चाहिए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे जल संसाधन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर बोलने का मौका दिया है, इस के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं भागलपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूं। यह क्षेत्र केवल बिहार के ही मानचित्र पर नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र पूरे देश के मानचित्र पर है। भागलपुर से गंगा जैसी पवित्र नदी और कोसी नदी गुजरती है। मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में दोनों नदियों के कटाव से लोग प्रभावित हैं। वहां के लोग एक तरफ बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो दूसरी तरफ वे सुखाड़ से भी प्रभावित होते हैं।

अपराह्न 4.06 बजे

[**डॉ. एम. तंबिदुरै** *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैंने कुछ दिन पूर्व भी गंगा नदी के बारे में अपनी बात को रखा था। माननीय मंत्री जी इस सदन में उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरह आकृष्ट कराना चाहता हूं कि भागलपुर जिले में तीन-चार जगहों पर मेजर कटाव हो रहे हैं। एक तो विक्रमशिला सेतु के अपस्ट्रीम में खरिक प्रखंड के अंतर्गत राघवपुर गांव अवस्थित है, वहां पर भयानक कटाव हो रहा है, जिसके चलते विक्रमशिला का एप्रोच रोड कटने की स्थिति में है। अगर उसे नहीं रोका गया तो विक्रमशीला सेतु डिस्टर्ब हो जाएगा।

दूसरा, विक्रमशिला के डाउन स्ट्रीम में इस्माइलपुर से बिनतौली तक, तीन-चार-पांच किलोमीटर में भयानक कटाव है, अगर इसे नहीं रोका गया तो दो-तीन प्रखंड पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे।

तीसरा, सोहरा में कटाव है। यह कटाव कोसी नदी के द्वारा हुआ है। यहां इस बार इतनी भयानक कटाव हुआ है कि अब रेलवे लाइन को भी खतरा है। रेलवे लाइन जो लाइफ लाइन है, वहां पर भयंकर कटाव है।

भागलपुर को संत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि मेही परहंस जी महाराज का वहां बहुत बड़ा आश्रम है। वह भी कटाव की स्थिति में आ गया है। वहां की इंजीनियरिंग कॉलेज कटने की स्थिति में है। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वहां बिहार सरकार या आप के द्वारा जो एक्सपर्ट भेजे जाते हैं, वहां जो योजना स्वीकृत हो कर आती है, जीएफसीसी में स्कीम लगातार तीन साल से आ रही है, लेकिन यहां से उसकी स्वीकृत ही नहीं मिल रही है, जिसके चलते वहां काम नहीं हो पा रहा है। वहां के लोग भयानक कटाव से गुजर रहे हैं। जब, बाढ़ की स्थिति में लोग कटाव से प्रभावित होते हैं तो वहां लोग बेघर हो जाते हैं। वहां की सामाजिक संरचना बदल जाती है। लोग आर्थिक स्थिति से भी जूझने लगते हैं। वहां के लोगों का जो पैसा उनके बच्चों की पढ़ाई में लगना चाहिए, जब वहां बाढ़ आ जाती है, जब वहां कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सारे लोग अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। अभी हमारे नित्यानंद भाई ने कहा कि जिस समय जयप्रकाश बाबू, जल संसाधन मंत्री थे, उस समय उन्होंने बिहार को क्या दिया? मैं उसका गवाह हूं। उस समय मैं एम.एल.ए था। जब जयप्रकाश नारायण जी मंत्री थे, तो दिल्ली में जीएफसीसी की मीटिंग होती थी, तो वे हम लोगों को बिहार से बुलाते थे कि आप लोग भी यहां आइए और बैठ कर इस पर विचार-विमर्श करिए। उन्होंने उस समय जल संसाधन विभाग से, जीएफसीसी के अप्रुवल के बाद 200 करोड़ रुपए देने का काम किया था। उस के बाद जीएफसीसी में यह आता रहा, लेकिन आज तक सैंग्शन नहीं हुआ है। जिसके चलते आज भयानक कटाव हमारे क्षेत्र में हो रही है। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि जीएफसीसी से अप्रुवल दिला कर, निश्चित रूप से अगले साल आप जनवरी में, समय पर काम शुरू करवा दें।

भागलपुर देश के मानचित्र पर है। उसे रेशम की नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज है। यह संत महात्मा की धरती है, कर्म की धरती है। हमें लगता है कि आप पिछले साल वहां गई थीं। आपने वहां गंगा नदी की सफाई के बारे में बहुत सारी बातें रखी थीं। हमें भी अच्छा लगा था। अब आपके हाथ में सारी चीज चली गई है। मैं आपसे अनुग्रह, निवेदन, प्रार्थना करूंगा कि भागलपुर के लोग जो कटाव से प्रभावित हैं, उन्हें बचाने का काम करें।...*(व्यवधान)*

अररिया में महानन्दा, परमन, कंकई नदी है। जब यूपीए की सरकार थी तब उसमें श्री जयप्रकाश मंत्री थे। नित्यानंद बाबू, वहां भी 800 करोड़ रुपए देने का काम किया गया है।...*(व्यवधान)* भागलपुर, जमुई, मुंगेर जब जगह जो स्थिति है, उसके पुररुत्थान के लिए काम करने की जरूरत है। कहलगांव में जल सिंचाई वाली योजना आधी-अधूरी पड़ी हुई है। बटेश्वर कनाल योजना को भी इन्होंने 400 करोड़ रुपए देने का काम किया था। जो भी योजनाएं हैं, उन्हें पूरा करते हुए खासकर कटाव की स्थिति से जो भागलपुर गुजर रहा है, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, बाद में उनसे मिलने का काम भी करूंगा। जीएफसीसी ने वहां से जो योजना बनाकर भेजी है, कनाल पॉयलट चैनल बनाकर एंटी इरोजन के लिए, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पर काम करवाने की जरूरत है। आज कटाव के कारण काफी लोग बेघर हो गए हैं। हमें लगता है कि तीस साल पहले जब कटाव हुआ था, उस समय के लोग भी बेघर हैं और विगत तीन-चार साल से जो लगातार कटाव हो रहा है, वे लोग भी बेघर हो गए हैं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर) : महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि हमारी मान्य मंत्री जी ऐसी हैं जिन्होंने मंत्री बनने से पहले ही गौमुख से लेकर गंगा सागर तक यात्रा की। अभी हमारे पंजाब के साथी चन्दूमाजरा जी कह रहे थे, हरेक नदी जो बहकर गंगा जी में मिलती है, इन्होंने उसकी यात्रा की। नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ऐसे मंत्री को बनाकर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बुद्धिमता दिखाई है।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने गंगा जी के घाटों का सौन्दर्यीकरण, गंगा जी के आध्यात्मिक परिवेश, सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूं। वहां इस समय भी बाढ़ आई हुई है। अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि भीमगौड़ा से और पानी छोड़ दिया गया है। बिजनौर का बैराज डेंजर मार्क से ऊपर चला गया है। उस पूरे क्षेत्र में इस समय भी बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश इस समय बाढ़ से जूझ रहा है। जहां एक ओर हम बाढ़ से जूझते हैं वहीं दूसरी ओर हमारा ज्यादातर क्षेत्र डार्क जोन में घोषित किया हुआ है। कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। ट्यूबवैल्स हैं मगर बिजली नहीं आ पा रही है। अक्षय जी अभी-अभी अपना भाषण देकर चले गए। वे अपना विषय रख रहे थे। बिजली नहीं आ पा रही है और सिंचाई का और कोई अन्य माध्यम नहीं रहा है।

मैं अपना विषय तुलसीदास जी की चौपाई से शुरू करना चाहूंगा – "समरथ को न दोष गोसाईं, रवि पावक सुर सरि की नाई।" सुरों की सरिता गंगा जी के सामने जब इनका प्रकोप आता है तब फिर किसी की नहीं चलती। बड़े-बड़े खेत बहकर समाप्त हो जाते हैं। हमारी ओर एक तरफ बाढ़ की समस्या है तो दूसरी ओर कटान की समस्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट बनाकर आईआईटी रूड़की को भेजा था और आईआईटी रूड़की का कहना है कि जो ठोकरें बनायी जा रही हैं, स्टड्स बनाये जा रहे हैं, वे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि स्टड्स के पीछे से पुन: कटान हो जाता है और स्टड्स नदी के बीच में आ जाता है। इस कारण वह कुछ ही दिनों में बह जाता है। हमारा कहना है कि जो स्टड्स बनाये जायें, वे लाइनवार बनाये जायें और उनके बीच में भी बांध लगाकर उनकी लाइनिंग करनी आवश्यक है।

मान्यवर, ये सब महंगे प्रोजैक्ट्स हैं और नाबार्ड में लंबित पड़े हैं। उत्तराखंड सरकार ने बड़ी सक्रियता से अपने प्रोजैक्ट्स पास करवा लिये हैं। नदी का एक किनारा उत्तराखंड में है, तो दूसरा किनारा उत्तर प्रदेश में है। एक किनारे में तटबंध बन गये हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तटबंध नहीं बने हैं। बाढ़ के समय में पानी जो दोनों तरफ फैलता था, वह अब पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। यह घटना मेरे क्षेत्र में नहीं है। जहां भी बॉर्डर्स हैं, वहां की सभी नदियों पर यह लागू होती है। प्रदेशों की सक्रिय सरकारों ने अपने प्रोजैक्ट्स को केन्द्र सरकार से वित्त पोषित करवा कर लाभ ले लिया है। सोनाली नदी के एक तरफ तटबंध जाने से और गंगा जी में उत्तराखंड की तरफ तटबंध बन जाने से सारा का सारा जल बहकर बिजनौर और पुरकाजी क्षेत्र में फैल रहा है। इस समय वहां पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। मेरा मंत्री जी से कहना है कि जो वित्त पोषण है, उसका 80 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार का दिया हुआ है। इसे निश्चित रूप से तत्काल रुकवा लिया जाये और दोनों तटों पर इस काम को किया जाये।

मान्यवर, हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग रोक दिया गया है, क्योंकि जगह-जगह पर रपटें बनाये गये हैं, जिन्हें आयरिश ब्रिजेज कहा जाता है। इस समय मालन नदी का बहाव है। जैसे अभी मेरे से पहले बहुत लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है। ज्यादातर नदियां सूखी पड़ी रहती हैं। मालन नदी वह नदी है जहां पर शकुंतला जी रहती थीं, जहां पर भरत जी का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया है। वह नदी ज्यादातर एक छोटी सी नाली बन गयी है और इस समय उसमें एकदम बाढ़ आ जाती है। इस समय हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग रुका हुआ है। वहां पर पुल बनना चाहिए। गंगा जी पर पुल बना रहे थे, लेकिन वह भी रुक गया है। भीकंद जिला मेरठ से, ददतयाना जिला बिजनौर तक गंगा जी का पुल बन रहा था, मगर उसे रोक दिया गया है। प्रदेश सरकार कह रही है कि फंड की कमी के कारण इसे रोक गया है। केन्द्र

सरकार से फंड्स आने हैं। इसमें काफी पैसा लग चुका है, जो बिल्कुल व्यर्थ हो रहा है। यह किसी भी जन-सामान्य, नागरिक के उपयोग में नहीं आ रहा। जो पैसा व्यर्थ पड़ा है, उससे सरकार इसे लाभान्वित करे।

मान्यवर कृषि भूमि और गरीब जनता की जान-माल के संरक्षण के लिए नदियों के बहाव को नियंत्रित करके इसमें तटबंध बनाये जायें। मालन नदी से अनेकों गांव जलमग्न हो जाते हैं। हमारा कहना है कि जब बाढ़ आ जाती है, तो उसका पानी बाहकर हम फिर गंगा जी में ले जायें, उसके लिए जो बूढ़ी गंगा है और बिजनौर में जो एफलैक्स बांध हुआ है, उसके लिए भी सील्ट सफाई करके और सोती नदी, जो पुरानी है, उन सब नदियों का उपयोग ड्रेनेज केनाल के रूप में लाना चाहिए।

मान्यवर, मैं बहुत गंभीर क्षेत्र से आता हूं, जहां पर इतनी बड़ी समस्या है। एक तरफ सूखा है, तो दूसरी ओर बाढ़ है, मगर कहीं भी हमारे यहां चैकडैम नहीं हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वहां औद्योगिक प्रदूषण भी बहुत होता है। माननीय मंत्री जी वहां खुद गयी थीं। जब यह सूचना मिली कि माननीय मंत्री जी आ रही हैं, उस समय आप मंत्री जी नहीं थे, मगर हमारी वरिष्ठ नेता हैं, तो उद्योगों ने यहां पर प्रदूषण करना बंद कर दिया। जैसे ही माननीय मंत्री जी का दौरा खत्म हुआ और आप चली गयीं, वैसे ही सारा प्रदूषण फिर से शुरू हो गया।

मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि वहां के जो स्थानीय जन-प्रतिनिधि हैं, उन्हें निश्चित रूप से इन सब योजनाओं में सम्मिलित करें। इसके साथ-साथ हमारे उत्तर प्रदेश के प्रोजैक्ट्स, जैसे अभी अक्षय यादव जी कह रहे थे, जो प्रोजैक्ट्स केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं, उन्हें पारित करें। दूसरी ओर मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी से कहना चाहूंगा कि जरा सक्रियता से, जिस तरह से उत्तराखंड और अन्य प्रदेश अपने प्रोजैक्ट्स पास करवा रहे हैं वैसे ही ये प्रोजैक्ट्स भी पास करके आप बाढ़ को नियंत्रित करें।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यो, मंत्री जी अपराह्न लगभग 5.30 बजे उ त्तर देंगे। अभी भी कई सदस्यों को बोलना है। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अधिकतम पांच मिनट तक बोलें। इस समय के भीतर अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हासन) : सभापति महोदय, आपने नदियों को जोड़ने का समर्थन किया है। आपके और मेरे बीच कोई विवाद नहीं है। अब मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूं।

महोदय, नदियों को जोड़ने पर 1972 में स्व. श्रीमती गांधी और श्री के.एच. राव ने विचार किया था। उस समय, श्री के.एल. राव ने सोचा कि इससे पानी की अधिकता वाली घाटियों अथवा जल डमरूमध्यों, भले ही वह ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी हो, से पानी का उपयोग कर पानी की कमी वाले राज्यों की समस्या का समाधान हो जाएगा। के.एल. राव एक अभियंता थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही इन मुद्दों पर विचार किया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद था। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच भी विवाद था। आपको यह मालूम है और हमें भी यह मालूम है। इसलिए, के.एल. राव एक ऐसे विख्यात अभियंता थे जिन्होंने इस मुद्दों के बारे में सोचा और 1972 में एक समिति गठित की। तत्पश्चात्, इस मुद्दे पर कई आने वाली सरकारों ने विचार किया। वाजपेयी जी की सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी; मुझे यह मालूम है।

महोदय, मुद्दा यह है। जल एक ईश्वर प्रदत्त संपदा है। यह राष्ट्र की संपत्ति है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि जल को उसने उत्पन्न किया है। यह राष्ट्र की संपत्ति है। यदि किसी राष्ट्र को प्रगति करनी है, तो उसे सबसे पहले नदियों के संयोजन का सामूहिक उत्तरदायित्व लेना होगा। इस मुद्दे पर स्व. श्रीमती गांधी द्वारा गंभीरता से प्रयास किया गया। उस समय मैं सिंचाई मंत्री था। लगभग सभी राज्य केवल एक बिन्दु पर सहमत थे कि पेयजल पहली प्राथमिकता है। लेकिन अन्य मुद्दे, चाहे घाटी के अतिरिक्त पानी को कृषि के लिए साझा करना हो अथवा बिजली बनाना, इन सभी मुद्दों पर वे सहमत नहीं हुए थे। मैंने तब भी उस दिन सभी मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा की थी। केवल एक राज्य को छोड़कर, लगभग सभी राज्य पेयजल को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मानने के लिए सहमत हुए थे।

अब, मैं सिंचाई के संबंध में बात करूंगा। आज भी, मुद्दा यह है कि पेयजल हम सभी के लिए सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। इस पर कोई वाद-विवाद करने का प्रश्न ही नहीं है और विगत 65 वर्षों में किसी ने ऐसा किया भी नहीं है। यह मुद्दा नहीं है। प्रत्येक सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ इस पर विचार किया है। वे जल संयोजन और अतिरिक्त पानी, वर्षा के पानी को लेकर सफल नहीं हो पाये। यही कारण है कि मैंने कहा कि यह ईश्वर-प्रदत्त उपहार है। यह किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है; यह राष्ट्र की संपत्ति है। हमें पेयजल के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी।

मैं अपनी बात बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहना चाहता। हमने इन मुद्दों का गहराई से अध्ययन किया है। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में अध्ययन किया जा चुका है कि हिमालय का कितना पानी उपलब्ध है। यदि हम हिमालय के पानी का उपयोग करते हैं तो हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जोकि न केवल इस देश के लिए पर्याप्त होगा अतिरिक्त बिजली को हम अन्य पड़ोसी देशों को भी दे सकते हैं। मैं पहले ही इन

मुद्दों पर गहन विचार करे चुका हूं। मैं उन पर विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता ।

एआईएडीएमके के घोषणा पत्र में उन्होंने नदियों के संयोजन का सुझाव दिया है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभा के सम्मुख दिए अपने अभिभाषण में भी इसका उल्लेख किया है। चर्चा में भाग लेते हुए बहुत से सदस्यों ने कहा कि सरकार ने इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है। हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैंने गहराई से अध्ययन किया है। इसमें गंगा की सफाई के अतिरिक्त इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसमें नदियों के संयोजन का कोई उल्लेख नहीं है।

इसके अतिरिक्त, हमने वर्ष 1996 में एक्सीलरेटिड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। योजना आयोग ने मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र से मिलने वाले वित्तपोषण को खत्म कर दिया। हमने इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई कुछ परियोजनाएं आज तक की पूरी नहीं हुई है। उनकी लागत क्यों बढ़ी और अन्य चीजों का क्या कारण है? लेकिन यह समय मेरे द्वारा इन मुद्दों पर चर्चा करने का नहीं है।

जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध राष्ट्र को समर्पित किया, उस समय मैं एक साधारण इंजीनियर था। मैं उस परियोजना को देखने के लिए वहां गया था। यह महान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र को समर्पित पहला बांध था। उन्होंने कहा था, 'हमारे अभियंता इस देश के लिए आधुनिक मंदिरों का निर्माण करेंगे। मैं अब इसे राष्ट्र की प्रगति हेतु समर्पित करता हूं।' परन्तु हमने कैसी प्रगति की है? आप जानते हैं कि न केवल धरातलीय जल अपितु भू-जल भी आज उपलब्ध नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइये, लेकिन स्थिति एक समान ही है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री नर्मदा जल विवाद को लेकर बहुत चिंतित है। चार राज्य—महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश—जहां से हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री आते हैं—इस विवाद से प्रभावित हैं। जब मैं प्रधानमंत्री था तो मैंने भी कुछ प्रयास किए थे। मैं विनम्रतापूर्वक अपने सभी साथियों से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मनरेगा को उत्पादक उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाना चाहिए। उन्होंने इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। प्रत्येक वर्ष हम बहुत भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि बेकार में ही कितना व्यय किया गया है। मैं किसी राज्य का उल्लेख नहीं करना चाहता। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कितनी ज्यादा धनराशि का दुरुपयोग होने जा रहा है अथवा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यदि आप ब्रह्मपुत्र नदी को कावेरी नदी से जोड़ना चाहते हैं तो कुछ धनराशि का आवंटन भी होना चाहिए। आपने एक्सीलरेटिड इरीगेशन प्रोग्राम को बंद कर दिया है। दूसरी योजना के कुछ कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। क्या इंदिरा गांधी नहर पूरी तरह बन गई है? इसी तरह, मैं बहुत से ऐसे उदाहरण दे सकता हूं।

लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि यह सभा वास्तव में प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहती है, तो हमें दलगत भावना से हटकर इस बात पर सहमत होना चाहिए कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है। अन्यथा ये सभी भाषण अप्रासंगिक हो जाएंगे और हम जल उपलब्ध कराने की इस समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को आगे आना चाहिए। हमें हमारा ही पानी हमारे राज्यों की संपत्ति हेतु बचाने की आवश्यकता है।

महोदय, इस मुद्दे पर पहले भी विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुकी है। मुझे यह कहने कह आवश्यकता नहीं है कि हमारे समुद्रों में हमारा कितना पानी जा रहा है, ब्रह्मपुत्र से कितना जा रहा है, गंगा अथवा अन्य नदियों से कितना पानी बाढ़ के रूप में जा रहा है। मुझे यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि हम कितने पानी का उपयोग कर रहे हैं और कितना हम समुद्र नलिकाओं और अन्य महासागरों में जाने दे रहे हैं। पश्चिमोत्तर में, कुछ नदियों उफान पर बह रही हैं। उस पानी का उपयोग कैसे किया जाए?

महोदय, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। यह बर्फीले पहाड़ का हिस्सा था। लेकिन उन्होंने सात पहाड़ियों से सुरंगें निकाली हुई हैं। एक तरफ, प्रतिवर्ष केवल एक इंच पानी था और दूसरी तरफ तीन इंच पानी था। वे सुरंगों के माध्यम से पानी ले जाते हैं। हमारे इंजीनियर भी वहां जाएं और इन चीजों का अध्ययन करें, और अपने मूल्य सुझाव सामने रखें। कुछ लोग कहेंगे कि बड़े बांध बनाने में खर्च होने वाली राशि व्यर्थ जाती है। इसलिए, बहुत से विशेषज्ञों के बहुत से सुझाव हैं। मेरा मुद्दा यह हे कि पानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

महोदय, मरे विश्व में जल संरक्षण संबंधी कई परियोजनाएं चल रही हैं। हम कोलाराडो नदी का उदाहरण ले सकते हैं, आप देखेंगे कि इसे 13 जगहों पर 3,600 फुट उठाया गया है। इन उठानों के द्वारा, वे कुछ ऐसे क्षेत्रों की सिंचाई कर रहे हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है। परंतु यहां भारत में एक भी इंच नहीं उठाया गया है।

महोदय, इस पानी के उपयोग को लेकर में बहुत चिंतित हूं। यही वजह है कि मैं अनुरोध कर रहा हूं कि पानी को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाए। अन्यथा, यह समवर्ती सूची में है। राज्य अपना रुख स्वयं तय करेंगे और केन्द्र असहाय होगा। अत:, यदि आप वास्तव में चिंतित हैं,

तो हम सभी को इसे राष्ट्रीय संपदा घोषित करने पर सहमत होना चाहिए। यह एक ईश्वर-प्रदत्त उपहार है। हमें इसे राष्ट्र की समृद्धि हेतु उपयोग करना चाहिए। अन्यथा, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल भाषणों से कोई लाभ नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***दद्दन मिश्रा** (श्रावस्ती) : मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

हमारा लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती तराई अंचल का नेपाल सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है जहां पर उपजाऊ जमीन है, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण आज भी भगवान भरोसे खेती होती है जिसकी वजह से हमारे किसान भरपूर उपज नहीं ले पाते हैं।

शायद यही वजह है कि जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद है। नेपाल सीमा पर बहुत से पहाड़ी नाले हैं जिनमें हल्की सी बरसात में भी बहुत तेजी के साथ पानी आता है और विभिन्न नालों के माध्यम से सीधे राप्ती एवं दूसरी नदियों में जाकर बर्बाद हो जाता है।

हमारा मांग है:—

1. पहाड़ी नालों के पानी को रोक कर बांध बनाकर उसमें पानी इकट्ठा कर असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाए।

2. केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित राप्ती कैनाल परियोजना जिसका ठेका प्रदेश की सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी कंपनियों को कई गुना ज्यादा रेट पर देकर धन के बंदरबाट में लगी है। उक्त परियोजना को जल्द से जल्द पूरी कर उद्देश्यों को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके।

3. तराई अंचल में नीचे की जमीन कंकरीली होने की वजह से साधारण बोरिंग संभव नहीं हो पाती है। हमारी मांग है कि पहाड़ों पर स्थापित की जाने वाली विशेष प्रकार की बोरिंग के माध्यम से कम-से-कम 100 विशेष ट्यूवैल स्थापित किए जाएं।

4. आजादी के इतने वर्षों बाद आज भी हमारे क्षेत्रवासी कुएं एवं नालों का पानी पीने को मजबूर है। हमारे क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा हैंडपंप एवं ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***कुमारी सुष्मिता देव** (सिल्चर) : बारक और ब्रह्मपुत्र नदियों के कटाव के कारण असम सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है।

दशकों तक, ये दोनों नदियां राज्य के कई क्षेत्रों की जीवन रेखा रही हैं, किन्तु इन नदियों द्वारा किए गए कटाव के कारण हजारों लोग भूमिहीन और बेघर भी हो गए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, बारक नदी ने सिल्चर, कटिगढ़, बोरकुओला और अन्य क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया है।

यह नुकसान काफी अधिक है और असम में नदियों कटाव से रक्षा हेतु एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है। कटाव पर नियंत्रण करने हेतु इन नदियों के बहाव का अध्ययन करना भी आवश्यक है।

मुझे आशा है कि मंत्रालीय असम हेतु एक विशेष प्रयास पर विचार करेगा।

[हिन्दी]

***श्री अजय मिश्रा टेनी** (खीरी) : मेरा लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। मेरे लोक सभा क्षेत्र की तीन तहसीलें पलिया, निघासन व धौरहरा में नेपाल से आने वाली नदियां मुघना, कौड़ियाला व करनाली तथा शारदा सरयू व सुहेली 6 नदियों से प्रभावित है। कृषि की दृष्टि से यह बेहद उपजाऊ क्षेत्र है, परंतु पिछले 4 वर्षों से यह क्षेत्र बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो गया है जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण नेपाल द्वारा अपने क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ा बांध बना दिया गया है तथा अपने देश में नदियों से बालू खनन रोकने व नदियों का सिल्ट साफ न किए जाने के कारण तथा कई जल निकासी क्षेत्रों पर पटान का खेती होने के कारण यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गया है जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि रहित रिहायशी जमीनों का भी भारी कटान हुआ है। परिणामस्वरूप किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है, लोगों की फसलों का नुकसान हुआ, कृषि, भूमि, रिहायशी घर आदि बाढ़ के पानी से बह गए। पूरा क्षेत्र जहां आर्थिक समस्याएं बढ़ी हैं, रोजगार के अवसर कम हुए हैं तथा बार-बार फसलों के नुकसान की वजह से कृषि से लोगों का मोह भंग हो रहा है। बाढ़ की वजह से क्षेत्र के जल में आर्गेनिक की मात्रा मानक से बहुत अधिक होने की वजह से पेयजल जहरीला हो गया है जो बहुत गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। मेरा लोक सभा क्षेत्र बड़े संकट में है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ रोकने के लिए नेपाल सहित अपने देश की नदियों के लिए व्यापक योजना

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अतिशीघ्र बनाकर काम शुरू किया जाए, किसानों को नुकसान से बचाने, कृषि क्षेत्र की तरफ आकर्षित करने तथा जिनकी जमीनें कट गयी हैं, मकान बाढ़ की वजह से गिर गए हैं, का पुनर्वास किया जाए, इसकी भी योजना बनायी जाए तथा जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। चूंकि क्षेत्र का पेयजल जहरीला हो गया है। मेरा अनुरोध है कि क्षेत्र के लोगों को बीमारी से बचाने व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना बनायी जाए।

***श्री हरिनरायन राजभर** (घोसी) : हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद मऊ में विधान सभा घोसी, मधुबन, मोहम्मदाबाद एवं मऊ सदर तथा जनपद बलिया में रसड़ा व बेल्थरा रोड, उत्तर प्रदेश में पानी का जल स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है। जिससे भारी पेयजल एवं कृषि कार्य हेतु जल संकट है एवं संपूर्ण उपरोक्त क्षेत्रों में पानी में आर्सेनिक पाया गया है। विशेषज्ञों द्वारा जांच में आर्सेनिक की मात्रा काफी अधिक पायी गयी है जिससे अनेक प्रकार की बीमारी/कुप्रभाव देख जा रहा है। 50 प्रतिशत से अधिक हैण्डपम्प पानी नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल हेतु उपकरण लगाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को जो धन दिया जा रहा है। वह मानक के विपरीत व अनुचित कार्यों में लगाया जा रहा है। जिसका लाभ असेवित बस्तियों में रहे रहे गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा है। हमारे क्षेत्र में तमसा नदी में अवैध पशुबधशाला का जैविक कचरा व शहर के गन्दे नाले गिरने से वह पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गयी है। जिसका जल अनुपयोगी हो चुका है तथा आगे चलकर तमसा नदी बलिया जनपद में मां गंगा में मिल जाती है जिससे पवित्र गंगा जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसे प्रदूषण से बचाने हेतु ठोस उपाय करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे क्षेत्र में उपरोक्त जनपदों व विधानसभाओं में आर्सेनिक जल से मुक्ति हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए जांच कराकर हैण्डपम्प, आरओ प्योरिफाइड मशीन, जल संरक्षण हेतु आधुनिक उपाय तथा नदियों की साफ-सफाई की व्यवस्था की जाये।

***साध्वी निरंजन ज्योति** (फतेहपुर) : मैं जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। मैं इसका समर्थन करती हूं। गंगा मां हमारे जीवन की मोक्षदायिनी है और बहुत सारे लोगों की रोजी-रोटी की भी व्यवस्था करती है लेकिन आज वहीं मां गंगा जो हमारे मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करने वाली है, वह आज हम लोगों की कमी के कारण इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि जिसका जल लेकर हम मोक्ष की कामना करते थे, उसकी आज एक बूंद भी पीने लायक नहीं है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने मां गंगा को निर्मल अविरल प्रवाहित करने का संकल्प लिया है जिसका दायित्व सुश्री उमा भारती जी को दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार मां गंगा को निर्मल एवं अविरल करने में सफल होगी तथा इसी के साथ-साथ अन्य नदियों का भी शुद्धीकरण किया जाए। गंगा, यमुना, घाघरा, केन, बेतबा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, व्यास, कृष्णा आदि नदियों को एक दूसरे से जोड़कर हमारी सरकार माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करेगी। इससे न सिर्फ किसानों की फसलों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा बल्कि लोगों को भी शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध होगा। मैं अपने संसदीय क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) के लिए मांग कर आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि गंगा एवं यमुना दोनों पावन नदियां वहां से बहती हैं, उनके विकास की तुरंत आवश्यकता है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि कानपुर से इलाहाबाद तक गंगा एवं यमुना के किनारे तटबंध बनाकर फतेहपुरवासियों के जनजीवन को सुरक्षित किया जाए तथा गंगा एवं यमुना जी में शवदाह कर जो प्रवाहित करने की प्रथा है, उसका उचित स्थान पर शवदाह केन्द्र बनाकर गंगा एवं यमुना में शव प्रवाह करने से रोका जाए। गंगाजी में स्नान करने के लिए पूरे क्षेत्र से अमावस्या व पूर्णिमा एवं अन्य त्यौहारों में लोग जाते हैं, इसलिए वहां पर घाटों का निर्माण कराकर हरिद्वार की तरह सौन्दर्यीकरण कराया जाए। विशेषकर पूज्य स्वामी विज्ञानन्द जी महाराज के सुप्रसिद्ध आश्रम स्थित विटौरा घाट जो फतेहपुरवासियों के लिए श्रद्धा का केन्द्र है, उसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मुझे अपना भाषण देने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

जल संसाधन संबंधी अनुदानों की मांगो पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं ईश्वर की कृपा प्राप्त किसी शुभ कार्य, विशेष रूप से, रमजान के इस पवित्र महीने में भाग ले रहा हूं।

महोदय, हम सदैव भू-मण्डलीय तापवृद्धि, वनों की कटाई, जल प्रदूषण, खरपतवार नाशी का उपयोग, कचरा प्रबंधन और जल जनित रोगों, सूखे, बाढ़ इत्यादि पर चर्चा करते हैं। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, समझौतों, शिखर सम्मेलनों और विभिन्न घोषणाओं का आयोजन करते हैं। परन्तु हमें अपने अन्त:मन से एक सवाल अवश्य पूछना चाहिए: क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए एक सीमा तक हम उत्तरदायी नहीं है? क्या यह मुख्य रूप से मानवनिर्मित आपदा नहीं है?

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यद्यपि, यह पृथ्वी हमारे प्रति काफी दयालु है, जब हमारे प्रति दयालु है, हम इनके प्रति निर्दयी है। यही कारण है कि महात्मा जी ने कहा था, मैं यहां उद्धृत करता देता हूं: "पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करती है, परन्तु हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं।"

जल संसाधनों पर आता हूं। एक औसत व्यक्ति बिना भोजन के तीन सप्ताह तक जीवित रह सकता है परन्तु पानी के बिना केवल तीन दिन ही जीवित रह सकता है। फिर भी, मानव जाति के उपयोग हेतु पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का एक प्रतिशत से भी कम आसानी से उपलब्ध है। स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। यहां तक कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है, वैज्ञानियों का कहना है कि यह पेयजल के लिए होना। हमें ऐसा अवसर आने से पहले जान जाना चाहिए और इस पर तीव्रता से कार्य करना चाहिए।

हमारी चुनौतियों कैसी हैं? हम जानते हैं कि पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। एकीकृत जल प्रबंधन समय की मांग है। हमारी सिंचाई आवश्यकताओं तथा सुरक्षित पेयजल हेतु, औद्योगिक उपयोग हेतु और जल-विद्युत विकास हेतु पानी की आवश्यकता है। इन सभी कार्यों हेतु हमारे लिए कितना पानी उपलब्ध है। औसत वार्षिक वर्षा 1170 किमी. होती है। हिमपात और हिम नदी के पिघलने से 4000 अरब क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है। अंतिम रूप से उपयोग योग्य जल संसाधन लगभग 1123 अरब क्यूबिक मीटर है। यदि यही स्थिति है तो हमें वास्तव में क्या करना है? अर्थात, हमें उपलब्ध जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना होगा। बाढ़ नियंत्रण उपायों को तीव्रता प्रदान करनी होगी। इसी प्रकार, सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास योजना को भी सुचारू रूप से चलाना होगा।

मेरे विद्वान मित्र नहीं संरक्षण की बात कर रहे थे। नदियां ईश्वर का वरदान हैं। हम नदियों को मृत करते जा रहे हैं। हम नदियों को जहरीला बना रहे हैं। विश्व सभ्यता नदी घाटियों में ही उत्पन्न हुई और विकसित हुई। भारत में सैकड़ों छोटी और बड़ी नदियां हैं।

बजट भाषा में, कहा गया है कि नदियों के किनारों के सौन्दर्यीकरण हेतु कार्यक्रम बनाया जा रहा है। परन्तु नदियों का क्या होगा? नदियां मृत हो रही हैं और अत्यधिक प्रदूषित हो गई हैं। आप गंगा के बारे में बात कर रहे थे। यह ठीक है। वह कार्यक्रम भी ठीक है। परन्तु, वास्तव में, लगभग सभी नदियां मृत होती जा रही हैं। हाल ही में, मैंने एक लेख पढ़ा था जिसका शीर्ष था – 'यमुना एक नदी नहीं है। यह एक गंदा नाला है।' यह उस लेख का शीर्षक था। अत:, अपनी नदियों के संरक्षण हेतु हमारे पास एक नेशनल मास्टर प्लान होना चाहिए।

उसके बाद, जल कैसे बचाएं? यह एक सामयिक प्रश्न है। हमारे पास कई कार्यक्रम होने चाहिए। जल संभर कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन, भू-जल के अत्यधिक दोहन, नदियों पर चेक डैम का निर्माण आदि – इस प्रकार के ये सभी कार्य हमारे देश में बहुत प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किए जा सकते हैं।

इसके बाद, मेरे विद्वान मित्र पेयजल की उपलब्धता के बारे में बात कर रहे थे। निम्न गुणवत्ता वाले पानी से स्वास्थ्य समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष 37.7 मिलियन भारतीय जलजनित रोगों से प्रभावित होते हैं, अनुमानत: 1.5 मिलियन बच्चे जलजनित रोगों से मर जाते हैं और जलजनित रोगों के कारण प्रतिवर्ष 73 मिलियन कार्यदिवसों का नुकसान होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 600 मिलियन डॉलर के आर्थिक भार का अनुमानित लगाया गया है। भारत में रसायनिक संदूषण की समस्या भी विद्यमान है। इसके कारण हमारे देश में 1,95,813 पर्यावास प्रभावित हो रहे हैं।

अब, हमें एक और चीज के बारे में भी सोचना है अर्थात्– पानी का संदूषण। कीटनाशी का अविवेकपूर्ण उपयोग यहां बड़ी समस्या है। हम सभी जानते हैं कि कीटनाशी कीड़े-मकोड़ों को मारने के लिए होता है। किन्तु अब क्या हो रहा है? यह मानव को ही मार रहा है। अब यह स्थिति आ गयी है। वैज्ञानिक अध्ययन सिद्ध करते हैं कि कीटनाशक के अनियंत्रित उपयोग से यकृत रोग, गुर्दा रोग और कैंसर जैसे घातक रोग होते हैं। अत: हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए। हमें इस प्रकार के संदूषण को समाप्त करने के लिए बहुत प्रभावी उपाय करने होंगे।

हम सभी फलों और सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमें सदा से यह दृढ़ विश्वास रहा है कि फल और सब्जियां सुरक्षित भोजन हैं। दुर्भाग्य से, वे भी अन्यों के समान ही प्रदूषित हैं।

महोदय, अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार स्वयं ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। सामान्यत: समुदाय की भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। अत: यह एक सामान्य बात है। मेरा मानना है कि इस महान देश के जल संसाधनों के संरक्षण हेतु सरकार प्रभावी कदम उठाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल** (महाराजगंज) : दुनिया इस सच्चाई से अवगत है कि "जल ही जीवन है"। जल के बगैर हम जीवित नहीं रह सके, यह सबके लिए आवश्यक है चाहे मानव हो जीवन जंतु में पशु, पक्षी या पेड़ पौधे सबको जीवन्त रखने के लिए जल अत्यावश्यक है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लेकिन इसका अत्यधिक होना (यानि बाढ़ इत्यादि का होना) जीन-जीवन को अस्त-व्यस्त का भी कारण होता है। यानि जल जरूरत मंदों को आवश्यकता अनुसार मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय सार्थक सिद्ध होगा। चूंकि हमारे पूज्य आरदणीय, पूर्व प्रधानमंत्रीत्व काल में ही यह निर्णय लिया था कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाने जल को (विशेष कर बाढ़ के समय) सुरक्षित करना और जल संकट को दूर करना। साथ ही बर्बाद करने वाला जल-सिर्फ बर्बाद न कर जीवन का प्रयाय बने।

बिहार प्रतिवर्ष जल के संकट से जुझता रहता है। पिछे वर्ष कोशी का बाढ़ पूरे बिहार को तंग तबाह कर दिया था। आज भी उस क्षेत्र के लोगों को जब कोशी का बाढ़ याद आता है तो शरीर के रोगटे सिहर जाता है। मां गंगा को हमें स्वच्छ पवित्र बनाने के लिए संकल्प के साथ काम-करना पड़ेगा। देश में कई एक पवित्र नदियां हैं, उसे भी हमें पवित्र एवं सदा प्रवाहित होने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। यह कार्य जाति-धर्म एवं क्षेत्र विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

यह कार्य पहले ही होना चाहिए था, लेकिन, पूर्व की सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दिया।

वर्तमान सरकार को मैं पुन: बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि यह सरकार नदियों को नदियों से जोड़ने हेतु पुन: योजना बनाने का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय किया है साथ ही उसके लिए बजट में धन भी उपलब्ध कराने का काम किया है।

आज जल की कमी सर्वत्र दिख रहा है। विचारकों का मानना है कि अगला विश्वयुद्ध अगर होगा तो इसका कारण जल ही होगा। जल का संचय करना आवश्यक है और संचय के लिए संकल्प लेना जरूरी है। आज पवित्र और सामान्य नदियों सुख रही है। इस नदियों को निरंतर प्रवाहित रखने के लिए हम सबको संकल्प के साथ कार्य करना होगा। आज भी सिंचाई के अभाव में किसान अपना सही तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं। सरकार को किसानों के हित में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करना होगा।

भारत सरकार द्वारा 2012 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गयी, लेकिन उस नीति के अनुरूप कार्य नहीं किया गया, इससे भी देश का बाढ़ प्रभावित राज्यों को समय-समय पर बाढ़ एवं सुखाड़ का संकट झेलना पड़ता है।

मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 19, महाराजगंज, बिहार में भी गंगा एवं सरयु के साथ-साथ कई एक नदियां किसानों/मजदूरों को कटाव के कारण तंग-तबाह करते रहती हैं। कई-एक गांव कटाव के कारण विस्थापित हो गए है। सरकार से आग्रह है कि ऐसे विस्थापितों को बसाने की योजना बनाकर विस्थापितों को बसाने का कार्य करें। सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई हेतु परियोजनायें तो बनाई गई लेकिन सही तरीके से अनुरक्षण एवं निष्पादन नहीं होने के कारण किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार को संबंधित राज्य सरकारों को सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता है।

कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

1. मेरे क्षेत्र अंतर्गत 19, महाराजगंज में गंगा-सरयु-दाहा एवं वर्षाती नदियों से हो रहे कटाव को शीघ्र रोकने एवं कटाव रोधी कार्य कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें, आवश्यकतानुसार बिहार सरकार को आवश्यक निर्देश भी दें।

2. जल-जमांव से प्रभावित क्षेत्रों को जल-जमाव से मुक्त होने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

3. किसानों के हित में सिंचाई हेतु आवश्यक योजना बनाएं एवं आवश्यकतानुसार बिहार सरकार को निर्देशित करें।

4. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जल संसाधन को धन्यवाद करता हूं।

***श्री राम चरित्र निषाद** (मछलीशहर) : मैं माननीय मंत्री महोदया को मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही है और आप सभी को याद होगा कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में कहा था कि एक समय में देश में तेल या पेट्रोल के लिए नहीं पानी के लिए संघर्ष होगा। इससे यह साबित होता है कि हमारी माननीया मंत्री महोदया जी इस मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही है और आप सभी को याद होगा कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में कहा था कि एक समय में देश में तेल या पेट्रोल के लिए नहीं पानी के लिए संघर्ष होगा। इससे यह साबित होता है कि हमारी माननीया मंत्री महोदया जी इस मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश को सफाई एवं जोड़ने का माध्यम है। हमारे नए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी अपना चुनाव मां गंगा के तट पर चुनाव लड़ कर इस देश को एक संदेश दिया है कि देश की सफाई गंगा से शुरू होगी और मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने इसे प्राथमिकता दिया है।

मुझे अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि 10 सालों में भारत सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा। नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम पिछले एनडीए द्वारा कहा गया था लेकिन एनडीए ने नहीं शुरू कर पाया। हमारी सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह शुभ

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कार्य किया और मुझे विश्वास है कि 10 वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

नदियों को जोड़ने का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं अपने माननीय मंत्री महोदया जी से प्रार्थना करता हूं कि नदियों में कार्य करने वाले निषाद समाज, मल्लाह समाज का जीवन प्रारंभ होता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि गंगा को सफाई में कुछ मैनपॉवर की आवश्यकता होगी तो निषाद, मल्लाह समाज के लोगों को लगाया जाए। क्योंकि मां गंगा के बीच में यह समाज रात-दिन रहता है और मां गंगा कहां से कहां तक कौन-कौन शहरों में गंदगी फैलाती है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े मंत्रालय का कार्यभार संभाल कर कार्य कर रही है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदय, जिस देश में जल को जगदीश मान कर, जिस देश में जल को ईश्वर मान कर, जिस महान संस्कृति ने प्रत्येक नदी को ईश्वर और दैवीय रूप मान कर पूजा करने की प्रस्तावना की थी, उस देश में आज हमें पानी की कमी और पानी के महत्व पर बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं आपको धन्यवाद देते हुए कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सदन के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश के सामने क्यों आई है? दो दौ साल की गुलामी ने हमारी मानसिकता को ऐसा बना दिया था कि हम भी उसी पश्चिम की भोगवादी संस्कृति के पीछे भाग रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं भारतभर के मतदाताओं का जिन्होंने आजादी के 67 साल बाद पहली बार इस मानसिकता से स्वतंत्र होने का भारत को अवसर प्रदान किया है और सरकार ने आते ही 45 दिनों के भीतर अपना बजट और जिस तरह से वॉटर रिसोर्सिस डेवलपमेंट के बजट में जिस तरह का प्रावधान किया है, वह प्रावधान अपने आप में इस बात को इंगित करता है, अपने आपको इस बात में निर्दिष्ट करता है। मैं कितना धन्यवाद अपने वित्त मंत्री जी को दूं कि उन्होंने गंगा, जो इस देश की आत्मा है, इस देश के मान बिन्दुओं में से एक है, उसकी शुद्धि के लिए लगभग 4 हजार करोड़ रुपए का विभिन्न मदों में प्रावधान किया है। अभी मेरे एक मित्र इस बात की आलोचना कर रहे थे कि इतना पैसा कहां से आएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं वह दिन जिस दिन महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की सड़कों का चतुर्भुज बनाने के लिए पैसों की बात कही थी, उस दिन भी इसी तरह का प्रश्न इस सभा में खड़ा किया गया था कि इस देश को इतनी बड़ी सड़क परियोजना की कहां आवश्यकता है।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस संकल्प के साथ उन्होंने मतदाताओं से बात की थी कि हम देश के किसानों को सिंचाई का हक दिलाएंगे और सिंचाई के उस एश्योर्ड प्रोग्राम के तहत एक हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। मैं प्रधानमंत्री जी की उस योजना को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसके तहत उन्होंने देश की नदियों को जोड़ कर जो सपन पिछले 150 साल पुराना इस देश का है कि नदियों को जोड़ कर इस देश को अकाल और बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं हम पिछले 150 साल से इस सपने को संजोये हुए हमारी तीन पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं।

अभी यहां चर्चा की जा रही थी कि पानी की पूरे विश्व में कमी है और भारत के परिप्रेक्ष्य में आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे थे कि भारत में विश्व की 18 प्रतिशत आबादी रहती है जबकि भारत में सिर्फ चार प्रतिशत पानी उपलब्ध है। लेकिन मैं जिस प्रदेश में आता हूं, उस प्रदेश में देश की दस प्रतिशत आबादी, विश्व की लगभग 1.8 प्रतिशत आबादी निवास करती है और हमारे पास इस देश का मात्र एक प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध है।

पूरे विश्व का मात्र प्वाइंट चार प्रतिशत जल संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। प्रकृति ने मेरे प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय किया है। राम तो पानी के विषय में, प्रकृति के विषय में हमसे रूठा ही हुआ था लेकिन राज ने पहली बार हमको संरक्षण दिया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी से उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ विशेष परिस्थितियों की ओर आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र को उन प्रकृति जन्य विभीषकाओं को देखते हुए कि पिछले 50 साल में से 43 साल तक लगातार हमारे यहां आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अकाल पड़ा है। हमें भी अन्य प्रदेशों — जैसे नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट को, कश्मीर को और हिमाचल प्रदेश को जिस तरह से विशेष क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, मेरे पश्चिमी राजस्थान को भी हक है कि उसे विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाए क्योंकि हम इतने घोर मरुस्थल में निवास करते हैं, इसलिए यह हमारा हक है कि हमें भी विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए।

सन् 2009 में तत्कालीन सरकार ने एक आदेश पारित किया। हमको केन्द्र की जन संसाधन की योजनाओं में जहां 75 और 90 प्रतिशत सहायता केन्द्र की सरकार से दी जाती थी क्योंकि हम सूखा ग्रस्त क्षेत्र नहीं हैं, हम डैजर्ट क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन 2009 में सरकार ने एक यूनीलेटरल डिसीजन किया और डिसीजन करके, हमको इस बात के साथ जोड़ते हुए कि हम भी सूखाग्रस्त प्रदेश हैं, हम तो हमेशा ही सूखाग्रस्त हैं, हमारी केंद्रीय सहायता 90 प्रतिशत से घटाकर सिर्फ 25 प्रतिशत चालू परियोजनाओं के लिए कर दी।...*(व्यवधान)* मैं देश के सर्वाधिक सूखे प्रदेश से आता हूं। मुझे अपनी बात कहने के लिए पांच मिनट का समय आप और देंगे तो आपकी मानवीयता के प्रति पूरे पश्चिमी राजस्थान के दस लाख लोग साधुवाद देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : मुझे खेद है। आप इसे लिखित रूप में माननीय मंत्री जी को दे दीजिए।

आप दो मिनट का समय लीजिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति जी, सुबह जब आप मेरे सामने की कुर्सी पर बिराजे थे, तब आप जिस तरह कुर्सी के मंच को, आसन को जिस तरह से चिरौरी कर रहे थे, मैं समझ सकता हूं कि आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं। हमारी राजस्थान की जो पानी की जीवनरेखा है, उसका गला लगातार घुटता जा रहा है। 18000 क्यूसेक क्षमता की जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है, उसकी क्षमता, लाइनिंग्स पुरानी हो जाने के कारण 12000 क्यूसेक रह गई है और उसमें भी 1000 क्यूसेक के लगभग पानी बर्बाद हो जाता है। पिछले चार साल से हमको आबंटित 1000 करोड़ रुपए की धनराशि जो लाइनिंग के परिवर्तन के लिए दी जानी थी, उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस नहर में जिस तरह से क्योंकि उस नदी का उद्‌गम ही सतलज है और अभी सदन में चर्चा हो रही थी कि उस नदी का पानी जिस तरह से प्रदूषित हुआ है, जिस तरह से लुधियाना और जालंधर में, जो कैमीकल एफ्लुएंट है, जिस तरह से जो सीवर का पानी उस नहर में डाला जाता है, मुझे इस सदन के सामने यह बताते हुए बहुत दु:ख और दर्द हो रहा है कि मेरे क्षेत्र के निवासी उस प्रदूषित पानी को बिना फिल्टर किए पीने के लिए मजबूर हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां गांवों में आज भी दस लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन पानी टैंकर के माध्यम से सप्लाई होता है और वह भी पूरा नहीं पड़ता। अगर एक दिन टैंकर खराब हो जाए या ड्राइवर बीमार हो जाए तो तीन दिन बाद दस लीटर पानी मुहैया कराया जाता है। जिस क्षेत्र में 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हो, 52-53 डिग्री तापमान हो वहां मात्र 10 लीटर पानी दैनिक उपयोग के लिए मिलता है।

महोदय, देश में भूमिगत जल के लिए डार्क जोन का आईडेंटीफिकेशन हुआ है। मेरे क्षेत्र में सर्वाधिक डार्क जोन हैं। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इन विषम परिस्थितियों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यहां जलाशय पुनर्निर्माण की योजना के 34 प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। इस क्षेत्र को भेदभावपूर्ण तरीके से डेजर्ट क्षेत्र से निकालकर सूखा क्षेत्र से जोड़ दिया गया है। राजस्थान की जनता पानी के लिए तरस रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इनकी तरफ दृष्टि करें।

***श्री राम कृपाल यादव** (पाटलीपुत्र) : वर्ष 2014-15 के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्री जी जिन्होंने पूरे देश में जल संसाधन जो देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। जिस चुनौतियों का सामना करने की भरसक प्रयास किया है।

मैं मंत्री जी का ध्यान बिहार राज्य जो देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है। जहां पर मुख्य रूप से किसानों पर ही वहां की आर्थिक व्यवस्था निर्भरता है। जहां पर आज 85% आबादी खेती खलिहान पर निर्भरता रखती है।

बिहार राज्य में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या बहुत विकराल रूप ले रहा है। जिससे किसानों का हालात खराब हो रहा है। बाढ़ और सूखाड़ से प्रत्येक वर्ष अरबों रुपए की हानि हो तथा जान-माल को हानि पहुंच रहा है। परन्तु आज तक कोई ठोस कारगर कदम नहीं उठाया जा सका है।

बिहार से कई प्रमुख नदियां गुजरती हैं। परन्तु जल प्रबंधन नहीं होने के कारण भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। अगर जल का प्रबंधन उचित ढंग से किया जाये तो किसानों को नुकसान उठाना-पड़ रहा है उससे बचाया जा सकता है।

सबसे बड़ी समस्या जो नेपाल से नदियों हर साल पानी छोड़ा जाता है। उससे सबसे अधिक नुकसान उत्तर बिहार के किसानों और नागरिकों को उठाना पड़ता है। अगर नेपाल द्वारा छोड़ा गया पानी को उचित ढंग से जल प्रबंधन कर दिया जाए तो उत्तर बिहार के कड़ी आबादी हर साल जो बर्बादी हो रही है उससे बचाया जा सकता है तथा वहां से बिजली का भी उत्पादन हो सकता अगर सरकार वहां पर हाईडेल प्रोजेक्ट लगाया जा सकता जिससे बिहार को भी पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेंगे और देश के अन्य भागों में मिल सकता है जो देश बिहार के बिजली समस्या से निजात मिल जायेगी।

बिहार में गंगा, सोन, पुनपुन, कोशी आदि नदियों के किनारे बसे हुए लाखों की आबादी हैं। नदियों में लगातार कटाव होने से वहां पर बसे लोगों को काफी संख्या में विस्थापित हो रहे तथा उनके लिए रोजी रोटी की भी समस्या उत्पन्न हो रही हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि जिन नदियों में लगातार करवा हो रहा है उसको रोकने के लिए अधिक जन उपलब्ध करा कर को रोका जाए ताकि उससे प्रभावित लाखों किसानों की जिन्दगी खुशहाल किया जाए।

बिहार में अधिकांश तौर जो नहर अंग्रेजों के समय में निर्माण हुआ था उसकी स्थिति जर्जर हो गयी है। काफी नहरे मर चुका हैं। जिससे किसानों को ठीक ढंग से उचित समय पर खेतों को पानी मिल सके जिससे किसानों को लाभ पहुंच सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरा क्षेत्र पाटलिपुत्र जहां की अधिकांश आबादी किसान और मजदूर है। मेरा क्षेत्र में प्रमुख नदियां गंगा और पुनपुन और सोन नदी के किनारे पर है। परंतु वहां पर भी लगातार कटाव हो रहा है जिससे वहां के निवासी की जिन्दगी संकट से गुजर रहा है। बहुत सारे गांव कट रहे हैं। परन्तु वहां कटाव रोकने के लिए राज्य सरकार से कोई ठोस और कामगर कदम उठाया नहीं जा रहा है। वहां के नहरों की जर्जर हालात हो गयी है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि अविलंब ठोस कदम उठाया जाए ताकि उन नदियों पर हो रहे कटाव रोका जा सके और सभी नहरों का जार्णोद्वार कराया जाए। मैं मंत्री जी कास ध्यान आकृष्ट करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र में दानापुर विधान सभा क्षेत्र में दानापुर में बहुत बड़ा इलाका गंगा नदी के किनारे बड़ी आबादी दियारा में बसे हुए हैं। शहरों में आने जाने के लिए सिर्फ नावों का सहरा लेना पड़ता है वहां राज्य सरकार द्वारा अस्थाई तौर पर एक पीपा पुल का निर्माण कराया गया है परंतु कुछ माह बाद जब नदी में पानी भर जाता है तो उसे खोलना पड़ता है। जिससे वहां पर हुए लगभग 70 हजार आबादी को काफी कठिनाइयों से गुजरना और उनका जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध होगा कि वहां पर एक स्थाई पुल का निर्माण कराया जाए ताकि जनता को सहुलियत मिल सके।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति जी, मैं बिहार से आता हूं। बिहार में एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ बाढ़ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हर साल उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है। कोसी, गंडक, महानंदा, परमानंद कई नदियां है जिनके कारण नेपाल और तिब्बत में उत्तर बिहार का जो हिस्सा है वहां बाढ़ की स्थिति आती है।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दक्षिण बिहार नालंदा में पड़ता है। यहां बाढ़ और सूखे की स्थिति है। नालंदा ही नहीं नवादा, जहानाबाद में कोई नदी नहीं है। झारखंड और हजारीबाग के इलाके से कुछ नदियां निकलती हैं जो बरसाती नदी के नाम से जानी जाती हैं। इन्हीं नदियों से पानी का बहाव नालंदा, जहानाबाद और गया में होता है। माननीय मंत्री जी यहां बैठी हैं, मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि फल्गुन नदी को सोन नदी से जोड़ दिया जाए ताकि तीन-चार जिलों में सिंचाई हो सके। दक्षिण बिहार से निकलने वाली बरसाती नदियां मुहाने, पंचाने, फल्गो, कुमरी पर डैम बनाकर, छोटे-छोटे बांध बनाए जा सकते हैं। इस इलाके की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, गंगा, कोसी, महानंदा, परमानंद नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा है। मैं नदी से नदी जोड़ने का प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसे शीघ्र पास कराया जाए ताकि बिहार को किसानों को सिंचाई का लाभ मिले और बिहार की बदहाली कम हो। मैं बिहार सरकार के प्रयास को धन्यवाद देना चाहता हूं। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने नदी से नदी जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। जब एनडीए सरकार बिहार में थी समय प्रस्ताव आया था और आज यहां एनडीए सरकार है। मैं मंत्री जी से विनती करता हूं कि उस प्रस्ताव को शीघ्र पास किया जाए।

[अनुवाद]

***श्रीमती रक्षाताई खाडसे** (रावेर) : मैं बजट-2014 पर, विशेष रूप से 2014-15 हेतु जल संसाधन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर, अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में मेरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र रावेर मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से सटा हुआ है। इन तीनों राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नर्मदा और तापी नदी बेसिन के जल संसाधनों पर निर्भर है। ये नदियां बहुमूल्य वन संसाधनों वाली विन्ध्य और सतपुड़ा श्रेणियों से होकर बहती हैं। विगत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों ने तापी और नर्मदा बेसिन में हल संसाधनों के प्रबंधन और विकास हेतु सामूहिक प्रयास किए थे। इसका उद्देश्य तापी और नर्मदा बेसिन में जल संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गत तीनों राज्यों के लोगों ने जल संसाधनों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। जन भागीदारी के माध्यम से नदी बेसिनों के प्रबंधन का यह उत्कृष्ट उदाहरण है।

मैं यहां पर विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहती हूं कि संप्रग सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना को नजरअंदाज किया था, जिसे हमारे प्रिय नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। इन राज्यों के लोग तापी और नर्मदा बेसिन में नदियों को जोड़ने के प्रति संपग्र सरकार की लापरवाही के कारण प्रभावित हुए हैं। इन तीन राज्यों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु समुद्र में बह जाने वाले अतिरिक्त पानी का उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता है। नदियों के अंतर्योजन के माध्यम से तापी और नर्मदा बेसिन में नदियों में, अतिरिक्त पानी की उपलब्धता इन क्षेत्रों में कृषि और पशुधन उत्पादन में वृद्धि हेतु लाभदायक होगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और माननीय जल संसाधन मंत्री कुमारी उमा भारती जी को पार—तापी-नर्मदा नदी अन्तर्योजन कार्यक्रम के तहत 1350 एमसीएम अतिरिक्त पानी 177 किमी. लम्बे पार-तापी लिंक में भेजने के लिए और 2904 एमसीएम अतिरिक्त पानी 225 किमी. लम्बे तापी नर्मदा लिंक में भेजने के लिए कुल 402 किमी लम्बे लिंक को इस बजट में शामिल करने के लिए हृदय से धन्यवाद

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

करती हूं। इन तीनों राज्यों के लोगों की तरफ से मैं इस नदी अंतर्योजन कार्यक्रम को इस बजट में शामिल करने के लिए सरकार का हृदय से धन्यवाद करती हूं।

मैं तापी-नर्मदा नदी बेसिन में भू-जल के पुनर्भरण हेतु महत्वपूर्ण जल संसाधन परियोजनाओं में से एक की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। उपजाऊ कृषि भूमि होने के कारण इस क्षेत्र में मुख्यत: सर्वाधिक कूप सिंचाई की जाती है। भू-जल के अति दोहन के कारण वर्ष दर वर्ष भू-जल का स्तर गिरता जा रहा है जिससे भू-जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। भू-जल की अनुपलब्धता के कारण इस क्षेत्र के गांवों में कई पेयजल योजनाएं निष्क्रिय हो गई हैं। तापी-नर्मदा बेसिन में कृत्रिम जल पुनर्भरण के माध्यम से प्रस्तावित योजना 'मेगा रीचार्ज स्कीम' के बारे में अध्ययन बतलाता है कि इन बेसिनों में भौगोलिक स्थितियां मेगा रीचार्ज स्कीम हेतु अनुकूल हैं। यदि यह योजना पूरी हो जाती है तो मुझे विश्वास है कि हजारों गांवों को वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र में भूमि को खेती के अंतर्गत लाने में किसानों के लिए लाभदायक होना।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगी कि अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण तापी सिंचाई विकास निगम के तहत कई परियोजनाएं अपूर्ण हैं। विशेष रूप से, मेरे जलगांव जिले में, शेलगांव बांध सिंचाई योजना वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण पूरी नहीं हो सकती। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि परियोजना हेतु केन्द्रीय विधि उपलब्ध करायें ताकि किसानों को लाभी मिल सके।

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, कृपया पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए।

माननीय सभापति : मैं आपको और अधिक समय नहीं दे सकता क्योंकि मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं अकेला व्यक्ति हूं जो नदियों के अन्तर्योजन का विरोध कर रहा हूं।

माननीय सभापति : आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन, यह अलग मुद्दा है। कृपया अपना भाषण पांच मिनट में ही समाप्त करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : मुझे बोलने के लिए अधिक समय प्रदान किया जाए क्योंकि मुझे मामले को सिद्ध करना है।

आदरणीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जल संसाधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति और साथ ही साथ सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सोलहवीं लोक सभा में इस सभा में चर्चा की जाने वाली यह पहली 'अनुदानों की मांगें' हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और एक संवेदनशील मुद्दा भी है।

हम जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है और यही कारण है कि इसका इतना महत्व है। अत: इस सभा को चर्चा को गंभीरता से लेना चाहिए और एक संदर्शी योजना बनानी चाहिए ताकि यहां बताए गए मुद्दों का समाधान हो सके।

महोदय, यहां पर चर्चा किए जाने वाले मुख्य मुद्दों में से एक पानी का अभाव या पानी की अपुपलब्धता है। मैं इन सभी मुद्दों का बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। पानी की कमी न केवल भारत में, ने केवल संबंधित राज्यों में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र हमें चेतावनी देता है कि एक्कीसवीं सदी में जलापूर्ति अत्यावश्यक संसाधनों का मुद्दा बन जाएगा। इसने यह भी चेतावनी दी है कि वर्ष 2025 तक, विश्व के 320 करोड़ लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं होगा। यही स्थिति आने वाली है। भारत उन एक देशों में से एक है जहां ऐसी स्थिति आएगी। अत: हमारे देश को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

वर्ष 2006 की यूएनडीपी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि एक अरब से अधिक लोग बिना पेयजल के हैं और पूरे विश्व के 2.4 अरब लोगों के पास स्वच्छता सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति है। इसके अतिरिक्त, भयप्रद स्थिति यह है कि भविष्य में 5.6 लाख गांवों में रहने वाले 50 प्रतिशत से अधिक भारतीयों के पास पर्याप्त पानी नहीं रहेगा। हमारे देश में ऐसी स्थिति आने वाली है। इसके लिए क्या समाधान है? वैश्विक आंकड़ों पर विचार करने पर पता चलता है कि विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या भारत में है। तथापि, विश्व की कुल जल उपलब्धता में नवीकरणीय जल का केवल 4 प्रतिशत हमारे पास है। इस समय भारत में इस प्रकार की स्थिति विद्यमान है। इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे?

जैसा कि हमारे अधिकांश विद्वान मित्रों ने उल्लेख किया है, जल संरक्षण समय की मांग है। यह जल की अनुपलब्धता या जलाभाव का प्रश्न नहीं है बल्कि यह प्रश्न यह है कि क्या हम अपने पास उपलब्ध जल संसाधनों का प्रबंध कर पा रहे हैं। महोदय, इस मुद्दे पर मैं आपके राज्य, विशेषरूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सराहना करना चाहूंगा। जल संरक्षण के मामले में यह अत्यन्त सफल राज्य है। यद्यपि, हम मुल्लापेरियार,

पीएपी और नदियों के अन्तर्योजन के संबंध में कई मतभेद रखते हैं, परन्तु जयललिता महोदया के नेतृत्व में आपके राज्य ने इस मामले में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा कार्य किया है। इस तथ्य को हमें एक आदर्श के रूप में स्वीकार करना है। मैं अपने राज्य केरल में जल संसाधन मंत्री था। मुझे जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के तमिलाडु मॉडल का अनुभव और ज्ञान है। अतः, निश्चित तौर पर, इसे एक आदर्श के रूप में अपनाया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह तमिलनाडु राज्य में एक उत्कृष्ट सफलता की कहानी रही है।

मेरा मुद्दा यह है कि हमें एक समुचित, वैज्ञानिक जल संसाधन प्रबंधन के साथ-साथ योजना भी बनानी चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 इस पर कुछ प्रकाश डालती है, परन्तु जल संसाधन प्रबंधन के संबंध में इसमें कोई ठोस योजना नहीं है। वर्षा जल संचयन, भूजल संभरण और विकेन्द्रित जल-विभाजन प्रबंधन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। जब हम भू-जल संभरण पर चर्चा करते हैं, तब हमें न केवल गड्ढा खोदने पर इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कुएं या घरेलू कुएं को कैसे भरेंगे क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। केरल राज्य में 60 लाख कुएं हैं और इसने वर्षा जल संचयन या छत पर पानी के संचयन के माध्यम से कुएं या घरेलू कुएं के संभरण हेतु वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु जल संसाधन मंत्रालय के समक्ष एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। यह एक उत्कृष्ट कार्यक्रम है जो भारत सरकार के समक्ष लंबित है। कृपया इस पहलू पर भी ध्यान दें।

अपराह्न 5.00 बजे

सतही जल संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम गंगा के पुनरुद्धार की सराहना करते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी के समय 1985 में कार्य कार्यक्रम था जिसमें गंगा कार्यक्रम हेतु 428 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दुर्भाग्य से उसका परिणाम सकारात्मक नहीं था। अब, गंगा के पुनरुद्धार हेतु 2000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए जाएंगे। इस प्रश्न पर चर्चा की जानी चाहिए कि इसका विकास और पुनरुद्धार कैसे किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आगाह करना चाहूंगा कि किसी भी चीज की बेहतर ढंग से निगरानी नहीं हो रही है ताकि धनराशि का समुचित उपयोग हो सके और गंगा के पुनरुद्धार का सपना साकार हो सके। मैं सरकार और मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब आप गंगा को लेते हैं तो कृपया पुनरुद्धार हेतु प्रत्येक राज्य से एक नदी को लें और सम्पूर्ण देश के पुनर्वास पर भी विचार करें।

गंगा को आदर्श बनाइए। हम सभी गंगा का समर्थन करते हैं। प्रत्येक राज्य में कई नदियां हैं। प्रत्येक राज्य से कम-से-कम एक नदी ली जानी चाहिए।

जल की गुणवत्ता अगला मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना है। मैं बिस्तार में नहीं जा रहा हूं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम हेतु केन्द्र और राज्यों का अनुपात 75:25 है। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया इसे 50:50 किया जाए। लागत में साझेदारी का सूत्र 50:50 रहने दीजिए।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में भी, सिंचाई कार्यक्रमों में से किसी के तहत कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। समुद्री कारण रोधी कार्यक्रम को जल संसाधन मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि तटीय राज्यों की रक्षा हो सके।

मैं नदियों के अन्तर्योजन पर आता हूं। मैं तीन से चार मिनट और लूंगा। मैं नदियों के अन्तर्योजन की परियोजना का पुरजोर विरोध करता हूं। जहां तक देश का सवाल है यह एक महत्वकांक्षी परियोजना हो सकती है। जो चीज हो चुकी है उसके ऐतिहासिक पहलूओं में मैं नहीं जा रहा हूं। ग्यारहवीं लोक सभा में मैं भी उपस्थित था जब माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों के अंतर्योजन के अपने सपने की घोषणा की थी।

वर्ष 2003 के अनुमानों के अनुसार नदियों के अंतर्योजन हेतु 5 लाख 60 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। नदियों के अंतर्योजन से 3.5 करोड़ हैक्टेयर की अतिरिक्त भूमि को सिंचाई उपलब्ध होगी और 34000 मेगावाट बिजली पैदा होगी।

अब मैं नदियों के अंतर्योजन के नकारात्मक पहलूओं पर बात करूंगा। हमें अपने देश के पारिस्थितिकी के संरक्षण को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए न कि अर्थव्यवस्था को। अर्थशास्त्र के आधार पर हम ऐसा कर रहे हैं। सभा में प्रत्येक व्यक्ति ने कहा है कि यह ईश्वर का वरदान है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। यह एक प्राकृतिक पूंजी है। परन्तु ईश्वर के लिए वरदान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नदी के प्राकृतिक बहाव को अवरोधित नहीं करना चाहिए और इसके मार्ग को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कई मामले हैं। महोदय 1.43 करोड़ लोगों को वहां से हटाना होगा। एक लाख हेक्टेयर जंगल तबाह होगा। वनों की कटाई करनी होगी। क्या वह देश के लिए अच्छा है?

केरल में 41 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। केरल राज्य 'गांड्स ओन कंट्री' है सिर्फ इसलिए कि 41 नदियां अरब सागर में गिरती हैं। यही कारण है कि यहां उपजाऊ भूमि है, यहां हरियाली है। यदि इन्हें तमिलनाडु में ले जाया जाता है या किसी अन्य बेसिन में ले जाया जाता है तो पारिस्थितिकीय तंत्र बिगड़ जायेगा। कुट्टानद नमभूमि और वेम्बानद नमभूमि भी प्रभावित होगी। सीडब्ल्यूआरडीएम अध्ययन के अनुसार, इस बेसिन में कोई अतिरिक्त पानी नहीं है।

संबंधित राज्य जब तक अनुमति नहीं देता है, तब तक नदियों का अंतर्योजन नहीं किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। जल संरक्षण को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। निधि के आवंटन में भी जल संसाधनों को अपेक्षित प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह) : मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी को जल संसाधन विभाग के इस उत्तम बजट में कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र (झारखंड) में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत न के बराबर है। असिंचित क्षेत्र अत्यधिक है। मेरे संसदीय क्षेत्र के गिरिडीह लोक सभा जनपद से सिंचित क्षेत्र न के बराबर है। असिंचित क्षेत्र अत्यधिक है। जबकि हमारे क्षेत्र में तीन-तीन जीवंत नदियां हैं, जिसमें उस नदी का जल सीधे बंगाल की खाड़ी में जाता है, किन्तु हमारे क्षेत्र में राज्य सरकार की कोई प्लानिंग न होने के कारण मेरे क्षेत्र की 100 एकड़ भूमि भी सिंचित नहीं हो पाती हैं। हमारे क्षेत्र से तीन-तीन नदियां कोनार, दामोदर तथा बराकर गुजरती हैं जिसको कि भारत सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के तहत अगर इसको लिया जाए तो एक बृहद सिंचाई की योजना बन सकती है तथा दो-तीन डैम का निर्माण टुंडी क्षेत्र में हो तथा दूसरा जरिडीह क्षेत्र में हो तथा तीसरा डुमरी क्षेत्र में हो तो एक बहुत बड़ा असिंचित भू-भाग सिंचित होगा जिससे बेरोजगारी दूर होगी और कृषक जीवंत होंगे। जो नवयुवक दूसरे राज्यों में जाते हैं उन्हें मेरे राज्य में ही रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी दूरी होगी। इससे जमीन का वाटर लेबल भी ऊपर होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इन नदियों को जोड़ने के बाद धनबाद जिला के टुंडी प्रखंड, तोपचांची प्रखंड, बाघमारा प्रखंड और बोकारो जिला का गोमिया, पेटरवार, कस्मार, जरिडीह, नावाडीह, चन्द्रपुरा, बेरमो इत्यादि प्रखंडों की हजारों एकड़ भूमि इससे सिंचित होगी जिससे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और इससे उग्रवाद भी समाप्त होगा। गिरिडीह जिला गिरिडीह, पीरटांड, डुमरी प्रखंड गिरीडीह मुफसिल क्षेत्रों की जो जमीन गैर-आबाद हैं वो सारी सिंचित होने पर आबाद होंगी और जो दामोदर नदी है, ये हिन्दुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी प्रदूषित (जहरीली) नदी है। जैसा कि भात सरकार में गंगा सफाई अभियान शुरू कर दिया है। उसी प्रकार दामोदर नदी की भी सफाई की योजना बनायी जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि नदी झारखंड राज्य की जीवनरेखा है। इन नदियों से बंगाल तक के लोगों को लाभ मिलता है और मैं जल संसाधन मंत्री से मांग करता हूं कि आपके मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक सांसद से यह आग्रह किया जाए कि बृहद सिंचाई की योजना आप कहां करवाना चाहते हैं उनकी अनुशंसा मांगी जाए और उससे पूर्ण विश्वास है कि आपके मंत्रालय द्वारा उसे पूर्ण किया जाएगा। चूंकि क्षेत्रीय विधायकों को हैण्डपंप तथा डीप बोरिंग क्षेत्रों में लगाने के लिए दिये जाते हैं तो सांसदों को भी मिलने चाहिए। साथ ही साथ आपके मंत्रालय के द्वारा सांसद को एक-एक हजार हैण्डपंप तथा 500 डीप बोरिंग वाले हैण्डपम्प दिये जाएं। अभी झारखंड में सुखाड़ की स्थिति चल रही है यदि डैम बने होते, डीप बोरिंग होती तथा हैण्डपंप लगे होते तो स्थिति गंभीर न होती और आज बारिश के चलते गांव के गांव डूब रहे हैं, चूंकि नदियों का कोई प्लान नहीं है।

अत: इस बजट का हम समर्थन करते हैं हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम द्वारा जो हमने मांग की है वह मंत्रालय द्वारा पूरी की जाएगी तथा आपका मंत्रालय विकास के शिखर पर पहुंचेगा।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बैतूल) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल में जल संसाधन अथवा नदियों की सफाई के विषय में ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। नदियां देश की ही नहीं बल्कि देशवासियों की भी जीवनरेखा है। सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए तथा नदियों की साफ-सफाई के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने के लिए रोडमैप तैयार किया है। जिसमें मुख्यत: नदियों को जोड़े जाना तथा उनकी सफाई तथा सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना शामिल है। मैं बजट में दी गई राशि को बढ़ाने की मांग करती हूं। यह एक महत्वपूर्ण एवं बड़ा कार्य है इसलिए नदियों के संरक्षण के कार्य हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। मैं पहले अगर सिर्फ गंगा के संरक्षण औरा साफ-सफाई की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा तो गंगा के किनारे 48 शहर हैं और गंगा में लगभग 3000 मिलियन गंगा पानी औद्योगिक नालों के द्वारा आता है। अत: इसकी साफ-सफाई में अधिक धन बल की आवश्यकता होगी। जल से सभी प्रकार की प्रजातियों को जीवन मिलता है। भूमि एवं वनों को शक्ति मिलती है। सभी प्रकार के जीवों की जीवनरेखा जल ही है। बांधों के पानी से लगातार खतरा बना रहता है। अत: इस ओर भी वांछित परिणामों तक पहुंचने की आवश्यकता है। मैं अपने प्रदेश में स्थित कुछ नदियों माचना, तवा, माडू, रूपारेल, पातालनदी, घोड़ापछाड़ आदि पहाड़ी नदी एवं बरसाती नदी को जोड़कर किसानों की भूमि को सिंचित एवं उपजाऊ बनाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरी मांग है कि इन नदियों को जोड़कर लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन नदियों में बांध बनाकर बिजली के उत्पादन बढ़ाये जाने चाहिए। इन नदियों का जल किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन नदियों में घाटों का विकास और उद्गम स्थलों के सौन्दर्यीकरण की ओर भी में वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

[अनुवाद]

डॉ. के. गोपाल (नागापट्टिनम) : जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे इसे निर्वाचन हेतु चुनने के लिए मैं एक बार फिर तमिलनाडु की हमारी मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलैवि अम्मा को धन्यवाद देता हूं। मुझे नागापट्टिनम निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य निर्वाचित करने के लिए मैं अपने मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं अपनी पार्टी एआईएडीएमके की ओर से इस सम्मानित सभा में अपने विचार रखना चाहता हूं। यह सच है कि हमारा देश विश्व के कुल भू-भाग का 2.4 प्रतिशत है जिसमें विश्व की लगभग 18 प्रतिशत जनता निवास करती है। किन्तु इसके पास कुल उपलब्ध स्वच्छ जल का केवल चार प्रतिशत हिस्सा है। यह स्पष्टतया जल संसाधनों के विकास, मौजूदा जल संसाधनों के संरक्षण और देश में मौजूद अल्प जल संसाधनों के बंटवारे और उपयोग में क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। यद्यपि केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में आवंटन को निर्धारित करती है, फिर भी जल की कमी के मुद्दे का एक संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया जा सकता।

जनसंख्या के अनुपात में जल संसाधनों की बढ़ती मांग देश में जल संसाधनों के अनुरक्षण हेतु समुचित नीति की आवश्यकता दर्शाती है। आजकल, नदी तटीय राज्य विशेषकर तमिलनाडु जैसे राज्य अक्सर जल विवादों से प्रभावित होते हैं विशेषकर मानसून के विफल होने की स्थिति में। जहां तक, मेरे राज्य का संबंध है, यह मुल्लैपेरियार और कावेरी से संबंधित विवादों के कारण हर वर्ष प्रभावित होता है। इस संबंध में, भाषण क्षमता को 136 फुट से बढ़ाकर 142 फुट करने और उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के लिए प्रयास करने हेतु मैं तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं देश में भू-जल के गिरते स्तर और इसके संदूषण को लेकर चिंतित हूं। जल प्रदूषण भारत के जन्म संकट को और बढ़ा रहा है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत सतही जल और इससे भी ज्यादा भूजल को रसायनिक, जैविक, अजैविक और विषैले प्रदूषकों द्वारा संदूषित किया जा रहा है। ऐसे प्रदूषण के स्रोतों में बिन्दु स्रोत और गैर-बिन्दु स्रोत सम्मिलित हैं। बिन्दु स्रोतों में औद्योगिक उत्प्रवाह और घरेलू कचरा तथा गैर-बिन्दु स्रोतों में कृषि शामिल है। जल की खराब गुणवत्ता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव व्यापक हैं और भारत में स्वास्थ्य बोझ के लिए जल और स्वच्छता से संबंधित बीमारियां हमारे पर्यावरण पर 60 प्रतिशत तक बुरा प्रभाव डालती हैं इसलिए, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि भू-जल संदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय करे। वास्तविक संदूषण का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक उचित अध्ययन भी किया जाना चाहिए और तद्नुसार कदम उठाए जाने चाहिए। संदूषण सिर्फ सतही जल में ही नहीं है, अपितु यह भू-जल स्तर में भी है। कावेरी डेल्टा बेसिन में, डॉ. पुरात्ची थलैवि अम्मा ने अवमंदन परियोजना के लिए प्रथम तीन वर्षों के लिए 1,560 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उसके लिए, हमारी सरकार ने तिरुवरुर जिले के कावेरी और वेन्नार उप-प्रभागों में 200 करोड़ रुपए की लागत से 335 कृत्रिम पुनर्भरण केन्द्रों का निर्माण शुरू किया है। वर्ष 2014 और 2015 हेतु नाबार्ड और आरआईडीएफ के अंतर्गत सिंचाई से संबंधित कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि भी निर्धारित की गई है।

वर्षा जल संचयन प्रणालियों का अनिवार्य संस्थापन आज की जरूरत है। इस सम्मानित परियोजना को लागू करने के लिए हमारी मुख्य मंत्री की सराहना की है। भविष्य में इन परियोजनाओं का आवश्यक परिवर्तनों के साथ जरूरत के आधार पर पूरे देश में विस्तार किया जाना चाहिए ताकि सभी उद्देश्यों हेतु जल की बढ़ी मांग को पूरा किया जा सके। इसे सतत् तरीके से किया जाना चाहिए। नीति योजनाओं में भू-जल पुनर्भरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को राज्यों में मौजूद और नयी संरचनाओं में वर्षा जल संचयन प्रणालियों को अनिवार्य बनाने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए। मैं तमिलनाडु राज्य में वर्षा जल संचयन प्रणालियों के संस्थापन को पहले ही अनिवार्य बनाया जा चुका है। जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री के स्वर्णिम शासन का एक उदाहरण है।

राज्य में नदियों का अंतर्संयोजन एक महत्वकांक्षी परियोजना है। देश भर के विकास इस परियोजना के साकार होने की उम्मीद कर रहे हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात्, मुझे विश्वास है कि जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। साथ ही, नदियों के अंतर्संयोजन संबंधी योजना तैयार करते समय सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य सरकारें अपने राज्यों में बांध निर्माण के लिये एकाधिकारवादी तरीके से व्यवहार न करे। क्योंकि ऐसा होने पर जल मुद्दों संबंधी अंतहीन विवाद शुरू हो जाएंगे।

इसलिए, मैं सरकार से जल मुद्दों और नदियों के अंतर्संयोजन के संबंध में नीतियां बनाते समय नदी तटीय राज्यों के अधिकार पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री राजेश वर्मा** (सीतापुर) : जल संसाधन एवं बाढ़ नियंत्रण पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर, उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे जनपद में शारदा नदी के दूसरे किनारे पर जनपद लखीमपुर खीरी में बांध बना हुआ है परन्तु सीतापुर की सीमा में बांध का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। सीतापुर की सीमा में बांध न होने की वजह से हर वर्ष बाढ़ एवं कटाव होता है जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों एकड़ जमीन नदी में समाहित हो गई। जो गांव बाढ़ से प्रभावित है उनमें बैरागीपुर, गोविंदापुर, असईपुर, रतनगंज, मल्लापुर, काशीपुर, कम्हरिया, बढ़ईडीह आदि गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और लोग विस्थापित होकर नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। इस बाढ़ से दो ब्लॉक बेहटा एवं रेउसा पूर्ण रूप से प्रभावित हैं।

मेरा निवेदन है कि उक्त समस्या के निदान हेतु सीतापुर की सीमा में शारदा नदी पर बांध बनाने हेतु धन आबंटित करें एवं विस्थापित लोगों को स्थापित करने हेतु धन की व्यवस्था करें।

दूसरी समस्या हमारे जनपद सीतापुर की है। सीतापुर शहर के बीच से एक सरांय नदी निकालती है और जो आगे जाकर के पवित्र गोमती नदी में मिलती है। गोमती नदी नैमिषारण्य तीर्थ स्थल को छूती हुई लखनऊ की तरफ जाती है। हमारे जनपद की सरांय नदी बहुत ही गंदी है और संकरी हो गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त नदी के सफाई के लिए इस बजट में धन आबंटित करने का कष्ट करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : सभापति जी, मैं जल संसाधन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए अपनी बात सदन के सामने रख रहा हूं। मानव जीवन में जल का बड़ा ही महत्व है इसलिए हमारे देश के रहीम कवि ने जल के बारे में कहा है – 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।' मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात पर भरोसा कर सकता हूं और सदन भी जरूर भरेसा करता होगा। मैं प्रधानमंत्री तथा उनके जल संसाधन मंत्री बहन उमा जी को भी जानता हूं कि ये समाज का भी पानी रखेंगे और प्राकृति के भी पानी की सुरक्षा जरूर करेंगे।

सभापति जी, मैं एक किसान हूं और गंगा के किनारे ही मेरा संसदीय क्षेत्र है। मैं आपको इस बात को बता रहा हूं कि गंगा और यमुना का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ कृषि क्षेत्र का मैदान है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं और जानते भी होंगे कि गंगा-यमुना के मैदान में अगर कृषि उत्पादन ठीक से हो तो भारत में तो अन्न का अभाव होगा ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी अन्न के अभाव को पूरा करेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि गंगा-यमुना के मैदान को सिंचाई युक्त बनाया जाए। गंगा का मैदान कृषि क्षेत्र के लिए इतना उपजाऊ मैदान है लेकिन आज भी वहां सिंचाई का अभाव है।

सभापति जी, मैं कम समय में अपनी बात कहूंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा लेकिन इस बात को मैं जरूर बताऊंगा कि अपने देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की परंपरा नदियों के किनारे ही उत्पन्न हुई है। मैं जब इस बात को सुनता हूं तो बड़ा कष्ट होता है कि गंगा नदी की स्वच्छता के लिए, गंगा नदी के जल को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए आज के जल संसाधन मंत्री बहन उमा जी द्वारा एक अभियान चलाया जाता है तो उसको कुछ लोग वोट की दृष्टि से देखते हैं। अभी ओडिशा के एक भाई कह रहे थे कि गंगा का महत्व हमारे लिए नहीं है। मैं उनसे बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम देखते हैं, हमारे क्षेत्र के बगल में कुम्भ का मेला लगता है जहां गंगा का संगम होता है। धर्मेन्द्र जी यहां ओडिशा के माननीय सदस्य बैठे हैं। वे जानते होंगे कि जब ओडिशा के गांव में रहने वाले लोग, खेत-खलिहान में रहने वाले लोग उस संगम पर आते हैं, संगम पर नहाकर जाते हैं तो अपने घर जाते समय गंगाजल भी भरकर ले जाते हैं। हम कभी उनसे पूछते हैं कि आप यह गंगाजल क्यों ले जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि पता नहीं कब फिर गंगा मैया से भेंट होगी। उनके लिए गंगा मां का महत्व नहीं है, लेकिन ओडिशा के करोड़ों लोग हैं, जिनके लिए गंगा का महत्व है। इस देश और दुनिया के लिए भी बहुत महत्व है। आप यदि इतिहास जानते होंगे तो सिकंदर जब भारत आए थे, तो पहले अपनी मां से मिलने गए थे। उनकी मां ने उनसे कहा था कि जब भारत से आना तो गंगा जल जरूर लेकर आना। इतना गंगा का महत्व है। हम लोग गंगा के मैदान के रहने वाले हैं। इसलिए इस बात को जानते हैं कि गंगा का महत्व किस तरह का है।

सभापति जी, एक बात का ध्यान आपके माध्यम से सदन का और भारत सरकार का दिलाना चाहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में गाजीपुर के सांसद हुआ करते थे श्री विश्वनाथ गहमरी। उन्होंने उस समय सदन में एक सवाल उठाया था। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस सवाल में उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोबर से अनाज निकाल कर लोग अपना जीवनयापन करते हैं। पंडित नेहरू वहां बैठे थे और यह भारत की लोक सभा के इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने रो कर कहा था कि विश्वनाथ जी क्या आप जो बात कह रहे हैं, वह सत्य है? विश्वनाथ गहमरी जी ने इसी सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री जी मैं इस बात सत्य नहीं, प्रमाणिकता के साथ कह रहा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हूं, मैं उसी इलाके का सांसद हूं। तब पटेल कमीशन बना था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को छांट कर रखा गया था कि यहां विकास किस तरह से किया जाएगा। वह जिले कमोबेश गंगा और घाघरा के किनारे के थे। वहां सिंचाई की व्यवस्था की गयी, नहरें बनायी गयीं। मैं जानता हूं कि सिंचाई का और नहर का काम राज्य सरकार का है, लेकिन संघीय व्यवस्था में भारत सरकार को भी उसकी चिंता जरूर होगी। नहर सिंचाई के लिए बने, लेकिन जिन खेतों की सिंचाई उन नहरों से नहीं होती है, उसके कारण हजारों एकड़ जमीन उन नहरों के सड़े हुए जल से आज भी उपजाऊ जमीन खेती बगैर इसलिए रह जाती है क्योंकि पानी के सड़ने से वह जमीन पर खेती नहीं हो पाती है। इसकी चिंता भारत सरकार को जरूर करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार से उस बारे में बात करनी चाहिए।

सभापति जी, सब नदियों की चिंता हो। एक सरयू नदी भी है, जिसको देश ही नहीं दुनिया भी जानती है। अभी हमारे सांसद भाई बृजभूषण जी ने उसके बारे में एक बात बतायी की सरयू की चिन्ता कोई नहीं करता है। यह सरयू के किनारे के रहने वाले हैं और सरयू से इनका गहरा संबंध है। इन्होंने हमें एक कविता लिख कर दी है, जिसे मैं यहां बताना चाहता हूं—'गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग। सबसे बड़ी अयोध्या, जहां हुआ राम अवतार।' हमें सरयू की चर्चा भी करनी चाहिए। सरयू वह पवित्र नदी है, जहां राम अवतार हुआ था। आजादी के लड़ाई के दिनों का वह प्रमुख मैदान हुआ करता था। बाबू कुंवर सिंह ने शिवपुर में गंगा नदी को जाकर पार किया था जो बलिया जनपद का हिस्सा है।

सभापति जी, इन सब बातों को कहते हुए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता आपके माध्यम से करना चाहूंगा। मेरा संसदीय क्षेत्र भद्रोही लोक सभा क्षेत्र है। दुनिया में उसे कालीन की नगरी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक जगह है। महाभारत के जमाने में पांडवों ने वहां शरण ली थी, जिसे लक्षागृह के नाम से जानते हैं। आज के जल संसाधन मंत्री बहन उमा भारती जी उस लक्षागृह की जगह पर मेरे ही साथ गयी थीं, जब गंगा का अभियान चल रहा था। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लक्षागृह के आस-पास के लगभग 32 गांव कटान में धराशायी हो गए हैं, राजस्व में उनका कोई निशान नहीं रह गया है। मैं जानता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही संरक्षित हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनम्रता से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाया जाना चाहिए कि उस कटान को कैसे रोका जा सकता है। उसी तरह भदोही जिले में डीग ब्लॉक में गांव हैं।

महोदय, छेछुआ, भुरा इस तरह सोलह गांव हैं। तुलसीकलां गांव गंगा के कटाव से धराशायी हो गया है और राजस्व के नक्शे से उसका निशान मिट गया है। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा कि उन गांवों को राजस्व के नक्शे में स्थापित करने के लिए, वहां कटाव रोकने के लिए आप निश्चित रूप से व्यवस्था करें।

महोदय, मैं नदियों के संरक्षण की बात करता हूं। मेरे जिले में एक मोरवा नदी होती थी जो सूख गयी थी। मुझे संसद सदस्यता को लगभग एक-डेढ़ महीने हुए हैं। मैं पिछले दो बार से वहां से सांसद रहा हूं। मैं आप के माध्यम से सदन में इस बात को इसलिए रखना चाहता हूं कि सूखी हुई मोरवा नदी को हम ने कटवाया और कल मैंने देखा कि उस नदी में लबालब पानी है। उसे देखकर मैंने कहा कि हम ने एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता के नाते यह एक बड़ा काम किया है।

महोदय, मैं यहां सदन में उपस्थित सभी संसद सदस्यों से विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि आप तय कर लें कि आप अपने क्षेत्र में कम-से-कम पांच तालाब बनाएंगे। यह देश के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। कोई संसदीय क्षेत्र इस तरह का नहीं है जहां से कोई छोटी नदी, कोई बड़ा तालाब, छोटा तालाब नहीं होगा। अगर संसद सदस्य यह तय कर लें तो मैं इस सदन में बता सकता हूं कि इस से भारत का नक्शा बदल जाएगा और फिर पूरी दुनिया भारत को अपनी निगाह से देखने लगेगी कि भारत भी एक देश है। हम सांसद होने के नाते ऐसा कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा-सा संकल्प कर लें। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि मैंने संकल्प कर के मोरवा नदी को फिर से जीवित करके दिखा दिया है। भारत के जल संसाधन मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप उसकी पड़ताल करा सकते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया है। मेरा प्राथमिक काम है कि मेरे क्षेत्र में जितने भी पुराने तालाब हैं, उनमें एक-एक तालाब को मैं चार-चार महीने में पूरा करूंगा।

महोदय, मेरा अभी दलों के सारे सांसदों से विनम्र निवेदन है। सभापति जी, मेरा आप से भी निवेदन है। आप भी सांसद हैं। आप अपने संसदीय क्षेत्र में तालाब निर्माण के लिए जरूर कोशिश कीजिए।

महोदय, मैं समझता हूं कि आप इस पीठ से सदन में यह मार्गदर्शन करें कि अगर तालाबों का निर्माण हो जाएगा तो इस भारत का महान निर्माण हो जाएगा।

नरेन्द्र भाई ने जो सपना देखा है, बहन उमा भारती ने जो सपना देखा है, वह सपना साकार हो जाएगा।

महोदय, आज इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

***श्री गणेश सिंह** (सतना) : जल संसाधन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जल जीवन का मूल तत्व है। भारत में विश्व की 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। किन्तु भारत में विश्व के नवीकरणीय जल संसाधन का केवल 4 प्रतिशत और विश्व भू-भाग का केवल 2.6 प्रतिशत है। देश में उपयोग किए जाने योग्य जल की मात्रा सीमित है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का असर पड़ा है। देश के किसी न किसी भाग में बाढ़, सूखा हमेशा देखने को मिलता है।

देश की नदियों में गंदा जल, सीवरों से, कंपनियों से तथा अन्य कारणों से गंदे जल के बहने के कारण नदियां प्रदूषित हो गई। कृषि के लिए हमारे देश में 80% जल का उपयोग किया जाता है।

पेयजल और स्वच्छता की स्थिति: 2011 की जनगणना के अनुसार 43.3% घरों में पाइप लाइन से पानी आता है जिनमें 32% उपचारित जल, 11.5% अनुपचारित जल, 42% हैंडपम्पों एवं नलकूपों का इस्तेमाल होता है। 11% लोग अभी भी कुएं का पानी पीते हैं।

वर्तमान सरकार ने इसमें 30 नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें नदियों में बांध बनाना, लंबी नहरें निकालना, ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, जल परिवहन की व्यवस्था शामिल है। मंत्री जी ने सबसे पहले मेरे प्रदेश की केन-बेतवा को लिया है इसके लिए धन्यवाद।

30 नदियों के आपस में जुड़ने के बाद 35 मिलियन हैक्टेयर भूमि में सिंचाई और बढ़ेगी। 34 हजार मेगावाट बिजली तैयार होगी। कोयला, उर्वरक तथा अनाज की ढुलाई नदी मार्गों से होगी।

नदी जोड़ने का पहला कार्य देश में मध्य प्रदेश ने पूरा किया है। नर्मदा को शिप्रा में जोड़कर परियोजना का लोकार्पण करा दिया। मध्य प्रदेश की पार्वती, काली, सिन्ध दूसरे चरण में लिया जाए मेरी ऐसी राय है। इसके साथ-साथ सिंचाई के बड़े बांधें तथा नहरों को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की जो योजना है उसके तहत 'बरगी व्यपवर्तन परियोजना' की दायीं तट नहर को शामिल करने हेतु वर्ष 2009 से केन्द्र सरकार के लिए प्रस्ताव है कि इस योजना से जबलपुर, कअनी, सतना तथा रीवा की 2,45,010 हैक्टेयर की सिंचाई होगी तथा 81,53,084 लोग लाभान्वित होंगे।

उक्त योजना में 3797 करोड़ का खर्च होना है, स्वीकृति की मांग करता हूं। इसी तरह, नर्मदा-मालवा लिंक प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना को शामिल किया जाए जिसकी लागत 2143 करोड़ है। इससे 50,000 हैक्टेयर की सिंचाई प्रस्तावित है।

नदियां जोड़ने की योजना में 5 लाख 60 हजार करोड़ खर्च होने की योजना है। 13,500 किमी. लंबी नदियां देश के मैदानी क्षेत्रों में बह रही हैं। देश में 14 करोड़ हैक्टेयर की सिंचाई हो रही है। इसे बढ़ाने की जरूरत है।

माननीय मंत्री जी आपके मंत्रालय में मध्य प्रदेश की 22 सिंचाई परियोजनाएं लंबित है, स्वीकृत की जाए। जिनकी 13,53.240 करोड़ की लागत है जिसमें 3,46,344 हैक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है, स्वीकृत किए जाने की मांग करता हूं।

बांधों के विस्तारीकरण के 3 प्रस्ताव विचाराधीन है:—

1. तवन नहर परियोजना; 2. राजघाट नहर परियोजना; और 3. वारना नहर परियोजना तथा वन प्रस्तावित योजनाएं जो देश की सरकार के पास 14 परियोजनाएं लंबित है।

मैं केन्द्र सरकार की 'नमामि गंगे' परियोजना का स्वागत करता हूं। इस परियोजना से 'नमामि गंगे—अविरल और निर्मल गंगा अभियान' पूरी तरह सफल होगा।

इसी तरह की पवित्र नदी मेरे लोक सभा क्षेत्र चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है जहां लाखों लोग पवित्र स्नान करने जाते हैं। देश की आस्था का बहुत बड़ा केन्द्र चित्रकूट है जहां भगवान श्रीराम जी ने 11 वर्षों का वनवास बिताया था।

माननीय मंत्री जी का भी आस्था का केन्द्र चित्रकूट है और वे इस पवित्र नदी के महत्व को भली-भांति समझती हैं।

मैं प्रधानमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने नदियों को जोड़ने की योजना को अंतिम रूप दिया है।

देश में गहराते जल संकट को इस योजना का बड़ा लाभ मिल गया। बजट में 2037 करोड़ का प्रावधान गंगा नदी के संरक्षण के लिए तथा 100 करोड़ नदियों को जोड़ने के प्राक्कलन तैयार करने के लिए दिए गए हैं।

केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना तथा दिल्ली में घाट विकास के लिए राशि दी गई है इसमें चित्रकूट के रामघाट को शामिल कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री अभिजित मुखर्जी (जंगीपुर) : जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के विषय पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इस विषय पर अपनी बात रख चुके सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करता हूं।

इस सम्मानित सभा के सदस्य के रूप में, पश्चिम बंगाल के जंगीपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए, जोकि विशाल गंगा नदी की दो महान सहायक नदियों से घिरा हुआ है, मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं कि हम अपने जीवनकाल में जो निर्णय लेते हैं वे आने वाली पीढ़ियों हेतु हमारी नदियों को बचा सकते हैं अथवा उन्हें बर्बाद कर सकते हैं।

सर्वप्रथम, मुझे यह कहना है कि इस उप-महाद्वीप देश की असंख्य नदियों, छोटी नदियों और जल निकायों के विकास हेतु 12,500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जोकि बहुत ही कम है। संभवत:, यह राशि 'जल मार्ग विकास' को विकसित करने के लिए भी पर्याप्त न हो जिसकी घोषणा माननीय मंत्री जी ने इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ने के लिए की है।

आप यह विचार कर सकते हैं कि अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करने का अर्थ मात्र जेट्टियों, नदी पत्तनों का निर्माण, बजरों और स्टीमरों का प्रावधान करना नहीं है। इसका अर्थ नदी के नियमित निकर्षण और नदी के किनारों को कटने से रोकना भी है। इसका अर्थ एक ऐसी एकीकृत योजना भी है जो नदी में छोड़े जा रहे सभी उत्प्रवाहों का उपचार भी करती है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी भी शीर्ष हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

हाल के समय में, हल्दिया पत्तन से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फरक्का ताप विद्युत संयंत्र तक कोयला ले जाने वाले बजरों का आवागमन शुरू हो गया है। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन फिर भी बजरों के आवागमन से ऊंची लहरें उठती हैं जिनसे गंगा के तटबंधों में कटाव हो गया है और हम इसे जंगीपुर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां से गंगा होकर गुजरती है। इसी तरह, प्रत्येक वर्ष गंगा की दो विशाल सहायक नदियों — पवित्र भगीरथी, जो आगे हुगली नदी के नाम से जानी जाती है और विशाल पद्मा नदी जो बांग्लादेश के साथ हमारे देश की सीमा का निर्धारण करती है — के अपना मार्ग बदलने के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई गांवों की कई एकड़ कृषि भूमि का असित्व समाप्त हो जाता है।

जल मार्ग के लिए अलग रखी गई 4,200 करोड़ रुपए की राशि छह वर्षों में केवल किनारों के कटाव के मुद्दे का समाधान करने और उन लोगों के पुनर्वास हेतु ही काम आ सकती है। जिन्होंने दुर्भाग्यवश गंगा नदी के कारण अपनी भूमि और घर खो दिए हैं।

कृपया स्मरण रखें कि भू-मंडलीय ताप वृद्धि के कारण हमारे हिमनद तीव्र गति से सिकुड़ रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में हमारी नदियों में भयानक बाढ़ आयेगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमने उस घटना से निपटने के लिए धनराशि रखी हुई है? क्या हम अपने हिमनदों को बचाने के लिए घाटी प्रबंधन योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं?

जहां तक फरक्का बैराज परियोजना का संबंध है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ऊपर की तरफ स्थित है, उसके लिए बजट अनुदान में कोई वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि उसमें कमी की गई है। वर्ष 2013-14 में योजना और गैर-योजना को मिलकर 214 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वर्तमान बजट में 203 करोड़ रुपए (योजना और गैर-योजना) आवंटित किए गए हैं जोकि पूर्ववर्ती आवंटन की तुलना में बहुत कम है। यह फरक्का बैराज से नीचे की तरफ के क्षेत्र में पद्मा और भगीरथी नदियों द्वारा होने वाले भारी कटाव को रोकने के लिए अपर्याप्त है जिसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं।

गत वर्षों में कई प्रस्ताव इस आशा के साथ भेजे गये थे कि इन्हें इस वर्ष के बजट में स्थान मिलेगा। तथापि, इस वर्ष के बजट में केवल नियमित अनुरक्षण और मरम्मत के कार्यों को ही जगह मिली है। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि सरकार ने इस प्राचीन क्षेत्र, रूहर ऑफ बंगाल जिसमें फरक्का बैराज परियोजना स्थित है, के प्रति कुछ सौतेला सा व्यवहार किया है।

नदी घाटी प्रबंधन के लिए दी गई 107 करोड़ रुपए की राशि अत्यंत अपर्याप्त है। हमें इस संबंध में नौकरशाही के तरीके से विचार नहीं करना चाहिए। कृपया नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लइये और एक ऐसी कार्य योजना बनाइये जो हमारे हिमालयी हिमनदों जोकि हमारी जल संपदा और हमारी नदियों के मुख्य स्रोत हैं, को बचा सके।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि जल संसाधन मंत्रालय जल संरक्षण और सफाई में कोई ठोस लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर योजना बनाने, व्यय करने और कार्य करने की आवश्यकता है।

सरकार ने 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण अभियान की शुरुआत की है और इस उद्देश्य हेतु 2,037 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इस अभियान के पीछे के उद्देश्य का मैं स्वागत करता हूं लेकिन महोदय, मैं पुन: आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह धनराशि पर्याप्त है।

नदियों में प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत शहरी अपशिष्ट और औद्योगिक कचरा है। यह पानी जो अंतत: घरों में इस्तेमाल होता है, अक्सर अत्यधिक संदूषित होता है और इसमें बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। कृषि में इस्तेमाल होने वाला पानी जल प्रदूषण का एक अन्य प्रमुख स्रोत है क्योंकि इसमें उर्वरक और कीटनाशक होते हैं। देश के अपशिष्ट

जल का केवल 10 प्रतिशत ही उपचारित किया जाता है और शेष 90 प्रतिशत पानी नदी में जाता है।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह परियोजना केवल गंगा नदी के लिए ही है और वह भी मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के लिए ही है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। बंगाल में गंगा की कई सहायक नदियां है और वहां हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ स्थल गंगा सागर भी है परंतु इसे घाट के विकास अथवा अन्य सौंदर्यीकरण हेतु शामिल नहीं किया गया है।

इसी तरह, यह बहुत से प्राचीन शहरों, पुरानी सभ्यताओं जैसे हुगली, कोलकाता, बंदेल, कृष्णानगर और जंगीपुर से होकर गुजरती है। ये सभी बनारस की तरह गंगा की पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। हम जंगीपुर को बनारस जैसा ही मानते हैं। मैं आपके माध्यम से महोदया से जंगीपुर को भी इस योजना में शामिल करने हेतु विचार करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, अब मैं नदियों के अंतर्योजन पर बात करूंगा। नदियों के अंतर्योजन संबंधी योजना की परिकल्पना बहुत पहले 1970 के दशक में की गई थी। लेकिन इस परियोजना को कार्यान्वित करते समय बहुत अधिक संख्या में लोगों के विस्थापन, भूमि के निर्वनीकरण, खुदाई आदि जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

मैं सरकार से अनुरोध करना हूं कि सभी पक्षों—जिन राज्यों से यह नदी होकर गुजरती है—पर विचार किया जाए और नदियों के अंतर्योजन संबंधी परियोजना पर सहमति बनाई जाए ताकि सभी पक्ष संतुष्ट हों और भविष्य में इसे अधिक जटिलताओं का सामना न करना पड़े।

[हिन्दी]

***श्री जुगल किशोर** (जम्मू) : मैं जम्मू और कश्मीर लोक सभा जम्मू से आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी लोक सभा में दरिया चिनाब बहता है। पहले तो मैं ऐतिहासिक स्थान अखनुर-जियापोता के विकास की बात करूंगा जहां रोजना हजारों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं और अपने पितृतर्पण कार्य करते हैं इसके अतिरिक्त प्रतिमाह बहुत बड़ा मेला लगता है। इस स्थान पर महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह का राजतिलक किया था। इस कारण यहां असंख्य तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र की तरफ से पहले भी धन उपलब्ध करवाया गया है अत: आपसे प्रार्थना है कि इसके लिए और धन उपलब्ध कराया जाए।

चूंकि चिनाब दरिया में हर वर्ष बाढ़ आती है। इसके लिए इसे दोनों तरफ से बांधने की जरूरत है, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो इसका पानी परगबाल एवं और इसके आस-पास के गांवों में आ जाता है और गांव वालों की जमीन भी बहा ले जाता है और दूसरी तरफ ज्योड़ीयां गांव एवं आस-पास के गांवों में इस दरिया का पानी घुस जाता है और तब गांव वालों को गांव छोड़कर भागना पड़ता है।

मेरा मानना यह है कि अगर जल्द कदम इस बाढ़ के पानी को रोकने के लिए नहीं उठाए गए तो वह दिन दूर नहीं जब हम देखते रह जायेंगे और गांवों के गांव वह जायेंगे और लोग बेघर हो जायेंगे। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि चिनाब दरिया के बाढ़ के पानी को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को धन उपलब्ध करायें। इसके साथ-साथ तवी नदी के विकास के लिए भी धन उपलब्ध कराना होगा जो शहर के बीचों-बीच बहती है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पीने के पानी की किल्लत अक्सर रहती है। पीने का पानी उपलब्ध करना हमारा कर्त्तव्य बनता है। लोगों को राहत देने के लिए धन उपलब्ध करायें।

***श्री रामचरण बोहरा** (जयपुर शहर) : सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीया जल संसाधन मंत्री महोदया को हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा कि उन्होंने भारत के सभी निवासियों का स्वप्न पूरा करने की ओर कदम उठाया है।

इस देश में नदियों रक्त धमनियों की तरह हैं जो भारत रूपी शरीर को जल प्रदान कर प्रनल्लित रखती है। इन नदियों में अधिकतर नदियां मौसमी हैं। वर्षा ऋतु के पश्चात् सूख जाती है। अत: नदियों को जोड़ने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वह अनुकरणीय है। नदियों के जुड़ जाने से वे भाग जो बाढ़ ग्रस्त रहते हैं उनको बाढ़ से राहत मिलेगी एवं दूसरी ओर पानी के लिए तरसने वाले प्रदेशों एवं क्षेत्रों में जल की उपलब्धता होगी।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं जल संसाधन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी कथनी को चरितार्थ किया। भारत की पवित्र नदी गंगाजी के जल की स्वच्छता, संरक्षण एवं सफाई हेतु 2037 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर बहुत ही पुनीत कार्य किया है।

देश में जल की उपलब्धता एवं संरक्षण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस समय में मेरे राज्य राजस्थान, मेरे लोक सभा क्षेत्र जयपुर जो कि दुनिया में गुलाबी शहर के नाम से विख्यात है, पर अनुरोध करना चाहूंगा।

जयपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर रामग बांध बना हुआ है जो कि ताला नदी पर है। पिछले लंबे समय से अतिक्रमण हो जाने से पानी बांध तक नहीं पहुंच पा रहा है। बांध जो जयपुर शहर के पीने के पानी का मुख्य स्रोत है, वह खाली पड़ा रहता है। मेरा माननीय जल संसाधन जी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से अनुरोध है कि ताला नदी की सफाई एवं रामगढ़ बांध की मिट्टी को बाहर निकालने हेतु विशिष्ट एवं अतिरिक्त बजट एवं वित्तीय सहायता दी जाए ताकि उक्त प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर कार्य करवाकर पूर्व स्थिति को प्राप्त किया जा सके।

जयपुर शहर में प्रतिवर्ष लाखों लोग राज्य के बाहरी भागों से आकर स्थाई रूप से बस रहे हैं, साथ ही भूमिगत जल का भंडार प्राय: समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में चम्बल नदी का पानी लिफ्ट कर लाया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रोजेक्ट हेतु विशेष रूप से धन आवंटन किया जाए।

इसी प्रकार से कानौता बांध, कालख बांध एवं गुल्लर के बांधों में आने वाले नदी नालों की सफाई पर डिसिल्टिंग कराई जाए ताकि पानी बिना अवरोध के आ सके। इन योजनाओं हेतु माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध है कि अतिरिक्त धनराशि राजस्थान सरकार को देंवे ताकि उपर्युक्त महत्वपूर्ण योजनाओं का पुनरुत्थान किया जा सके। उक्त बांधों से पीने का पानी एवं सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध हो सकेगा। इतना ही नहीं इनमें पानी भरा रहने से आस-पास के कुओं का जलस्तर भी ऊंचा हो पाता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान जहां पर वर्षा कम होती है, बूंद-बूंद पानी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पानी का सरंक्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। जितना जल संरक्षण होगा उतना ही प्रदेश खुशहाल होगा। अत: जल संरक्षण योजनाओं के वित्तपोषण हेतु केन्द्र सरकार का आशीर्वाद अपेक्षित है।

[अनुवाद]

***श्री सी.आर. चौधरी** (नागौर) : मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री को 'नमामि गंगे' योजना के अंतर्गत गंगा नदी के विकास और सफाई हेतु पर्याप्त बजट उपबंध कराने के लिए धन्यवाद देता हूं और उनका अभिवादन करता हूं।

नदियां हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं। दूसरे शब्दों में वे देश की शिराएं हैं जिनसे होकर जल बहता है और ये पेयजल के साथ-साथ सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। दुर्भाग्यवश, देश में सब जगह बारहमासी नदियां नहीं हैं। इसलिए, नदियों को जोड़ने के प्रयास से देश को बहुत लाभ हो सकता है। देश की जनता आभारी है कि सरकार ने नदियों को जोड़ने की एक विस्तृत परियोजना तैयार करने का निर्णय लिया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वित्त मंत्री ने 'नमामि गंगे' नामक एकीकृत गंगा संरक्षण अभियान हेतु 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसका सभी भारतीयों ने स्वागत किया है।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि वह राजस्थान पर विशेष ध्यान दें जहां 50% से अधिक क्षेत्र रेगिस्तानी अथवा अर्ध-रेगिस्तानी है। पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान के लोगों के पास पीने हेतु सही और समुचित पानी नहीं है। यह राज्य जल संबंधी निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहा है:—

(1) हमारे पास कोई भी बारहमासी नदी नहीं है और यही कारण है कि हमें अपनी नदियों को हिमालय से निकलने वाली नदियों से जोड़ने की जरूरत है।

(2) राजस्थान राज्य भूमिगत जल की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। इस राज्य का अधिकतर क्षेत्र 'डार्क ज़ोन' के अंतर्गत आता है। कुएं और नलकूप सूख चुके हैं।

(3) उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में पानी खारा है। लोगों को फ्लोराइड की अधिक मात्रा वाला पानी पीना पड़ रहा है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र नागौर इस खारे और फ्लोराइड वाले पानी के क्षेत्र में आता है।

(4) नागौर के निवासी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर से नागौर लिफ्ट नहर का कार्य शुरू कराया और इससे वर्ष 2008 में नागौर शहर तक पानी आया। लेकिन 2009-2013 तक कांग्रेस के शासनकाल में कोई भी प्रगति नहीं हुई। मुख्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् श्रीमती राजे इस परियोजना में गहरी रुचि ले रही हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री से इस महत्वाकांक्षी और उपयोगी परियोजना हेतु अतिरिक्त बजट और केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

(5) इंदिरा गांधी नहर उत्तरी-पश्चिमी राजस्थानप की जीवन रेखा है। उद्योगों का संदूषित जल नदी में डाला जा रहा है। जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक परियोजना की आवश्यकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री और जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जल संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए राजस्थान को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराये।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) : सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मेरा कहना है कि राष्ट्रीय जीवन की धारा जल है। राष्ट्र की समृद्धि में, राष्ट्र के निर्माण में जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह यह कहा करते थे, जो देश के किसानों के सबसे बड़े मसीहा और नेता हुए कि देश की खुशहाली का रास्ता, विकास का रास्ता और समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब खेत में पानी जायेगा, तब खेत में धान की फसल, गेहूं की फसल या दूसरी फसल जब लहलहाएगी तो देश में भी समृद्धि का झंडा लहराएगा। लेकिन देश की समृद्धि का रास्ता, जो खेतों से और खलिहानों से होकर आता है, आज हमें इस बात को याद रखना है और हमें संकल्प लेना है कि जब तक खेत सूखा रहेगा, इन्सान भूखा रहेगा। इसलिए अगर पेट की भूख को मिटाना है, देश की गरीबी को मिटाना है, देश में खुशहाली लानी है, देश में किसान आत्महत्या न करे और किसानों की आंखों में आंसू न आये तो अविरल जल की धारा को खेतों तक पहुंचाना है।

यहां बहन उमा भारती जी बैठी हुई हैं। ये तेज़-तर्रार भी हैं और सोशल जस्टिस की धारा को मानती हैं, उनको तो इधर आ जाना चाहिए। उस धारा को मानती हैं, इसीलिए जो गरीबी है, गुरबत है, लाचारी है, बेबसी है, भूख है, वहां पर हमें जाकर कैसे इन चीजों को करना है, इस डिपार्टमेंट को चलाने का मौका यूपीए-एक में मुझे भी मिला। बिहार में भी मिला, लेकिन समय नहीं है, आधे घंटे से भी काम नहीं चलता, लेकिन मैंने चर्चा में हिस्सा लिया। माननीय सभापति महोदय का निर्देश है कि 5-6 मिनट में हम खत्म करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गंगा की सफाई हो, गंगा बेहतर हो, लेकिन भारत की संस्कृति को गंगा-जमुनी संस्कृति है। जब तक यमुना की सफाई नहीं होगी, गंगा की सफाई अधूरी रहेगी, यह मैं देश की पार्लियामेंट में बोल रहा हूं। गंगा की सफाई यमुना की सफाई के साथ होगी, इसलिए गंगा की सफाई के साथ यमुना पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। बाढ़ है, सुखाड़ है, कटाव है, कोसी जब हंसती है तो बिहार रोता है। हाई डैम बनाओ, नेपाल से वार्ता करके मैं चीजों को बढ़ाया, माननीय मंत्री जी देखेंगी, फाइन निकालेंगी तो वहां पर डीपीआर बनाने के लिए आफिस को खोला गया, लहान में खोला गया, नेपाल में खोला गया।

आईबीपी योजना के तहत नदी जोड़ने के कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाइये। स्टेट में जो इंटरलिंक है, देश में, इन सब चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। जो विस्थापित होते हैं, चाहे वे आदिवासी हों, गरीब हों, कोई भी हों, उन्हें बसाने का काम होना चाहिए, कालबद्ध तरीके से हमारी योजना बननी चाहिए। जिस क्षेत्र से हम आते हैं, वह बिहार का बांका का इलाका है, भागलपुर का इलाका है। हमारे भाई चर्चा कर रहे थे कि वहां चांदन डैम है, बिलासी डैम है, ओढनी डैम है, बदुआ है, बटेश्वरनाथ गंगा पम्प योजना है, गेरूआ है, हीरम्बी है, डकरा है, आंजन है, नक्की है, नागी है, परमान, कंकई, बरनार, खड़गपुर झील योजना, डकरा नाला, सतघरवा आदि सारी योजनाएं हैं। इन सारी योजनाओं पर माननीय मंत्री जी पुरानी फाइलें निकालेंगे। हम यूपीए एक ही सरकार में एमओएस थे, मैंने कितनी चीजें देश के लिए दी हैं और बिहार के लिए डाला था, उससे ही बहुत चीजों का हमारा वारा, न्यारा हो जायेगा। इसमें कमला है, बलान है, बारामती है, ये सारी नदियां हैं, आज उनको हमें जोड़ना है।

हमें कटाव को रोकना है। बाढ़ और सुखाड़ के चैलेंज को स्वीकार करना है। आज हमारे सामने कई चीजें हैं चैक डैम को बनाना है। जो चैक डैम है, यह बहुत ज्यादा प्रभावकारी योजना है। हम यहां छोटे-छोटे चैक डैम बनायेंगे, जो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, जहां गरीब लोग बसते हैं, आदिवासी बसते हैं, वहां चैक डैम बनाकर अगर पानी के स्रोत को बढ़ायेंगे, जलधारा को बढ़ायेंगे तो वहां पर हम खेती योग्य भूमि में पानी दे सकते हैं, बंजर भूमि में पानी दे सकते हैं। आज उन चीजों को हमें देखना है। बहुत जगह हम डैम से पानी नहीं ले जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी नहीं ले जा सकते हैं, वहां पर हम स्टेट बोरिंग लगा सकते हैं। स्टेट बोरिंग की योजना को माननीय मंत्री जी बड़े पैमाने पर जांच कराइये और इसे तरजीह देने का काम कीजिए।

अपराह्न 5.37 बजे

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

जो लिफ्ट इरीगेशन है, उसे कैसे हमें बढ़ाना है? हमारे यहां सूखा इलाका है, देश के कई भागों में है और हमारे बिहार में यह भरा पड़ा है, इसीलिए जो हमारी लिफ्ट इरीगेशन योजना है, उस योजना से कैसे हम पानी खेतों तक पहुंचायें, इन चीजों पर हमें जोर देना पड़ेगा। आज कई ऐसी योजनाएं हैं, जो बहुत दिनों से लंबित पड़ी हैं। कालबद्ध योजनाएं बननी चाहिए। एक डैम बनता है, उसका डीपीआर बनता है, नक्शा बनता है और आज कई ऐसे डैम हैं, जो 30-35-40 साल से लंबित हैं। कालबद्ध तरीके से योजना बननी चाहिए कि इतने दिनों में अमुक डैम का निर्माण हम पूरा करायेंगे, अमुक डैम का हम निर्माण पूरा करेंगे। डैम बन जाता है, लेकिन टेल लैंड तक पानी नहीं जाता है और किसान रोते रहते हैं। डैम बने तो टेल लैंड तक पानी जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटरी ठीक होना चाहिए। बालू का भराव हो जाता है और हमारी योजना डम्प हो जाती है। आज जिस योजना में हमने एक अरब 43 करोड़ रुपए दिए, वह चांदन का इलाका है, बदुआ का इलाका हमारे यहां है, नहरों का रख-रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए जो एआईबीपी योजनाएं हैं, उन पर आप

बैठक बुलाइये। माननीय एमपी लोगों को बुलाइये, स्टेटवाइज बुलाइये, जो जैसे पसंद हो, माननीय सदस्यों को बुलाइये, हम लोगों से राय पूछिये, जानकारी लीजिए कि क्या आप कमियां महसूस कर रहे हैं? हम अमुक चीज को करेंगे, लेकिन आप यह बताइये कि कालबद्ध योजना क्या है? योजनाओं को कालबद्ध तरीके से कैसे पूरा करेंगे? भागलपुर में हमारा कटाव बड़े पैमाने पर गंगा से हो रहा है, सुल्तानगंज में हो रहा है, अमरपुर में हो रहा है, शाहकुंड में हो रहा है और इन पूरे इलाकों में कई योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जल इंसान के लिए जिन्दगी है, जीवन है। सुश्री उमा भारती जी, आप इस विभाग की मंत्री हैं। आपसे हम अपेक्षा रखते हैं और यह आग्रह करते हैं कि जो इरीगेशन डिपोर्टमेंट हैं, इनकी योजनायें जो बिहार में लंबित हैं, नेपाल से वार्ता करके कोसी में हाई डैम बनाने की चर्चा होनी चाहिए। हमारे इलाके में, बांका में, भागलपुर में, मुंगेर में, जमूर में, लखीसराय में, बिहार में कमला है, बागमती है, कोसी है, जितनी भी हमारी नदियां हैं, उन नदी योजनाओं को पूरा करें। आप कालबद्ध योजनाओं को पूरा करें, तभी खेती लहलहाएगा, खेती मजबूत होगी, तभी भारत समृद्ध होगा। सिर्फ बोलने से भारत देश समृद्ध नहीं होगा। इसलिए योजनाओं के साथ आइए। ब्राइट डे, ब्राइट डे, ऐसा न हो कि योजना ब्राइट डे, ब्राइट डे होती रहे, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि बेहतर तरीके से योजनाओं को बना कर, कालबद्ध तरीके से इन्हें पूरा किया जाए। इसी के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***कुमारी शोभा कारान्दलाजे** (उदुपी चिकमगलूर) : जल संसाधन विभाग की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। एक कहावत है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो यह पानी के लिए ही होगा। विश्व के कई देश पेजयल की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में, लगभग 1 लाख गांव या अधिवास ऐसा पानी पी रहे हैं जो पीने योग्य नहीं है। भूमिगत जल समाप्त होता जा रहा है तथा कई गांवों के नलकूप के पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व विद्यमान है। ग्रामीण लोग दूषित जल पीने के लिए बाध्य हैं। यह हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। धान, गेहूं और गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में अधिक कीटनाशक के प्रयोग से भूमिगत जल दूषित हो रहा है। समय की मांग है कि प्रत्येक गांव में सतह पर उपलब्ध पानी की आपूर्ति हो। भारत का सौभाग्य है कि यहां सैकड़ों सजीव नदियां हैं। ईश्वर ने यहां कई नदियां दी हैं। परन्तु मनुष्य नदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार नदियों को बचाने के लए उनकी सफाई को बहुत महत्व दे रही है। इन सभी नदियों का उपयोग करके हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए कि सभी को पेयजल मिल सके। भारत की स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद भी हम लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल भी नहीं दे पाए।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि सभी भारतीयों को पेयजल उपलब्ध कराए। हम कई नदियों का उपयोग नहीं कर सके। हजारों टीएमसी पानी प्रतिवर्ष समुद्र में बह जाता है। हमारे पास दक्षिण में बहने वाली नदियों में वर्षा जल के प्रवाह का समुचित प्रबंध नहीं है। प्रतिवर्ष हम बाढ़ का सामना करते हैं और पानी समुद्र में बह जाता है।

मैं कर्नाटक राज्य से हूं। यहां भी ईश्वर ने हमारे लिए कई सजीव नदियां प्रदान की हैं। परन्तु इन नदियों का उपयोग करने एवं प्रत्येक मानसून में होने वाली भारी वर्षा जल का उपयोग करने हेतु सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

कृपया सुनिश्चित कीजिए कि इस बर्बाद होने वाले पानी का उपयोग पीने और सिंचाई हेतु हो सके। धनराशि के अभाव के कारण हम पानी का उपयोग सिंचाई हेतु समुचित ढंग से नहीं कर पाए। करोड़ों रुपए व्यय करके हमने बड़े बांध तो बना लिए परन्तु खेतों के लिए नहरें नहीं बनीं। यही कारण है कि सिंचाई हेतु पानी नहीं आ रहा है। इस प्रकार बड़े बांधों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य असफल हो गया है। सिंचाई हेतु पानी देने के लिए खेतों के लिये नहरें आवश्यक हैं और इस पानी का उपयोग करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

कर्नाटक में अलमट्टी और नारायणपुर में कृष्णा नदी पर हमने एक बड़े बांध का निर्माण किया है। परन्तु नहरों के अभाव में, हम इस पानी का अपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, वाराही नाम की एक नदी है। पिछले 12 वर्षों में उदुपी जिले के लोग वाराही के पानी का अपने खेतों तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक सरकार वादा करती है कि इस परियोजना को तत्काल पूरा कराके वाराही नदी का पानी उन्हें देगी।

परन्तु पिछले 12 वर्षों में ऐसा नहीं हो सका है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि कृपया वाराही परियोजना को पूरा कीजिए जिससे उदुपी जिला के कुंदापुर तालुक औरा उदुपी तालुक के खेतों में सिंचाई हो सके तथा बहु ग्रामीण योजना में पेयजल भी उपलब्ध हो सके।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इनकी पीड़ा जायज है। जब यह मंत्री रहे तब तो यह कुछ कर नहीं पाए। अब यह

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सोच रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाया तो यहां भाषण दे कर शोर मचा लूं।

आदरणीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे जल के मामले पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं देश की राजधानी दिल्ली से सदस्य निर्वाचित हो कर आया हूं। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठी हुई हैं। मैंने उन्हें एक पत्र भी लिखा था। मैंने उनसे मिलने के लिए समय भी मांगा था। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूं। निश्चित रूप से, जल जीवन है, यह सभी ने कहा है। मैं भी इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं कि यमुना नदी दिल्ली से हो कर गुजराती है। हमारे भाई साहब बोल रहे थे, माननीय सदस्य बोल रहे थे, इनके कर्मों के कारण 15 साल तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही और यह भी 10 सालों तक मंत्री बन कर बैठे रहे। यमुना जी को नाला बना दिया गया। सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यमुना नदी में बरसात का इतना पानी आता है कि अगर वहां दो बैराज बना कर बरसात के पानी को रोक लिया जाए, तो पूरी दिल्ली की प्यास उस पानी से बूझ सकती है। जमीन का जल स्तर बढ़ सकता है। जमीन का जल स्तर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ट्यूब वेल में पानी की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली की 40 प्रतिशत जनता को पीने को पानी उपलब्ध नहीं है। अगर, नदियों से पानी आ जाए, हमारे कांस्टीट्यूशन में है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वे जिस राज्य से हो कर गुजरते हैं, उस राज्य का उसमें हिस्सा होता है। यमुना नदी दिल्ली से हो कर गुजरती है। हरियाणा के मुंडक नहर से हमें पानी मिल रहा था। वर्ष 1998 में उसकी लागत के 4000 करोड़ रुपए दिए थे। आज कांग्रेस की सरकार, एक पर्टिकुलर सरकार हरियाणा में है। दिल्ली में वही सरकार और केन्द्र में भी वही सरकार थी, इसीलिए दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं मिल पाया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ निश्चित रूप से ध्यान दें। उनकी मजबूरियां थीं। उनकी मजबूरियां क्या थीं? हरियाणा के मुख्य मंत्री दामाद जी को सेट किए हुए थे। यह मुख्य मंत्री डरती थीं कि अगर मैं हरियाणा के मुख्य मंत्री पर डंडा चलाऊंगी तो दामाद जी नाराज हो जााएंगे। अगर दामाद जी नाराज हो जाएंगे तो मेरी कुर्सी चली जाएगी...*(व्यवधान)* कांग्रेस के शासन में इनको दिल्ली की जनता के लिए पानी की चिंता नहीं रही, बल्कि इनको अपनी कुर्सियों की चिंता रही।

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारा राइट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में कोई भी रिसोर्स होता है, उस पर उस राज्य का हिस्सा होता है। यहां पर पूर्वांचल के कम-से-कम 50 लाख लोग रहते हैं। वे छठ पूजा का आयोजन करते हैं। वे बेचारे उस गंदे नाले में सुबह चार बजे से खड़े होते हैं, जो मेरे सामने बैठने वाले भाइयों के कर्मों का फल है, इसलिए वह गंदा नाला बनी हुई है।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से बहन जी इस तरफ ध्यान देंगी। जल जीवन है, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है।...*(व्यवधान)* पुराने कुएं बंद हो गए हैं, उनका वाटर लेबल नीचे चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑडर करती रही, वह सरकार पता नहीं क्या करती रही, जल मंत्री क्या करते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि दिल्ली के सभी तलाबों को डेवलप किया जाए। उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाए।

माननीय मंत्री जी यहां पर बैठी हुई हैं। यह केन्द्र की तरफ से एक ऐसा निर्देश पास करें कि दिल्ली के सभी तालाब, जो दिल्ली के पुराने गांवों के हैं, उन्हें दोबारा डेवलप किया जाए ताकि उनमें बरसात का पानी जा सके। जो कुएं सूख गए हैं, उनमें बरसात का पानी जाए, जिससे पानी का लेवल बढ़े। आपने मुझ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री हंसराज गंगाराम अहीर** (चन्द्रपुर) : मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। देश में नदियों की लगातार घोर उपेक्षा के कारण नदियां प्रदूषित हो गई। जिन्हें हम लोकमाता कहते हैं, यह नदियां प्रदूषित होने से हम पर भी इसका कु-प्रभाव पड़ा है। प्रदूषित नदियों से हमारी सिंचाई, पेयजल और मत्स्य पालन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। हमारे यहां की वर्धा नदी केन्द्र सरकार के प्रदूषित नदियों की सूची में शामिल है। महाराष्ट्र राज्य की 28 नदियां प्रदूषित नदियों की सूची में शामिल है। इन नदियों को प्रदूषण रहित करने के लिए राज्य सरकार के साथ केन्द्र सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। यह काम बहुआयामी है, इसके लिए सरकार के कई मंत्रालयों को समन्वय साधकर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में काम करना पड़ेगा।

मैंने इससे पहले कई बार नदियों के प्रदूषण में उद्योगों की भूमिका पर सवाल उठाये थे। हमारे यहां वेस्टर्न कोल फील्ड्स के द्वारा उत्खनन करने के पश्चात् ओबी डम्प, जो कि बालू, मिट्टी, पत्थर होता है, उसे नदियों के किनारे पर डालने से हमारे यहां की इरई, वर्धा नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। नदियां संकरी होने तथा प्रवाह बाधित होने के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन रही है और मिट्टी एवं अन्य प्रदूषणकारी तत्व नदियों में गिरने से प्रदूषित हो रही हैं। हमारे यहां मत्स्य पालन तथा सिंगाड़ा उत्पादन नदियों के किनारे होता है। नदियां प्रदूषित होने के कारण मच्छीमार समाज बेरोजगार होता जा रहा है। सरकार को उनकी सुध लेने की आवश्यकता है। नदियों को प्रदूषण रहित बनाकर इसका जल और जलचरों का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है। सरकार को राष्ट्रीय नहीं संरक्षण योजना के अंतर्गत इरई और वर्धा नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आज देश में सिंचाई की सुविधा असमान है। इसे सिंचाई विषमता भी कहा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में 95 फीसदी और महाराष्ट्र राज्य में केवल 19 फीसदी सिंचाई को देखते देश के सिंचाई स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करना होगा। नदियों पर बड़े बांध बनाने से फायदा होता है। लेकिन भूमि अधिग्रहण, लागत व्यय में भारी बढ़ोतरी तथा समय की अधिकता को देखते हुए सरकार को सिंचाई अधिशेष वाले क्षेत्रों में कुओं, बोरवेल, स्प्रिंगल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं विदर्भ क्षेत्र से आता हूं, वह किसान आत्महत्या प्रबल क्षेत्र कहलाता है। वहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं होना भी किसान आत्महत्या का कारण है। पिछले दिनों राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अध्यक्ष डॉ. स्वामीनाथन समिति ने भी विदर्भ में सिंचाई अनुशेष बढ़ने से किसान आत्महत्या होने की पुष्टी की है। इस संज्ञान लेकर विदर्भ में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना की घोषणा की गई, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन हमारे विदर्भ के वर्षा जल पर निर्भर किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए इस परियोजना से अधिक से अधिक धनराशि का आवंटन करने का आग्रह भी करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहने वाली पैनगंगा नदी पर 1997 से निम्न पैनगंगा बांध परियोजना को स्वीकृति दी गई। लेकिन परियोजना के जल भराव क्षेत्र के करीब 95 गांवों के ग्रामस्थों द्वारा इस परियोजना का लगातार विरोध किया जा रहा है। पेसा अंतर्गत शामिल एससी/एसटी के गांवों के कारण कानूनी विवाद भी है। लेकिन राज्य सरकार परियोजना के कार्यान्वयन का आग्रह कर रही है। इसे देखते हुए बड़ी बांध परियोजना और स्थानीय लोगों का विरोध द्वारा संज्ञान लेकर यहां बांध परियोजना की जगह, नदी पर बैरेजेस तथा अन्य लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा सकती है। राज्य के जल संसाधन विभाग के द्वारा भी इसकी पुष्टि की जा रही है। इसे देखते हुए निर्मल पैनगंगा सिंचाई परियोजना के निर्माण का आग्रह छोड़ वहां पर बैरेजस के निर्माण की स्वीकृति देने में सरकार पहल करे।

सरकार ने नदी जोड़ परियोजना को चलाने की घोषणा की है। इसके पूर्व माननीय अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नदी जोड़ परियोजना के अध्ययन के लिए श्री सुरेश प्रभु समिति स्थापित की थी। इसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास है। नदियों को जोड़ने की नीति का व्यावहारिक पहलू भी देखा जाना चाहिए। जल संसाधन मंत्रालय किसान, उद्योग तथा मछुआरे से लेकर पेयजल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बजटीय धनराशि को अधिक से अधिक रखना होगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं इसका संज्ञान लिया गया इसलिए आगामी काल में हम सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, ऐसा विश्वास प्रकट कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री सुनील कुमार सिंह** (चतरा) : जल संसाधन विभाग के अनुदान मांग पर मैं अपने विचार रखता हूं। चतरा लोक सभा क्षेत्र में उत्तर कोयल जलाशय योजना के अंतर्गत मंडल में जलाशय एवं डैम 1972 से ही निर्माणाधीन है। इस योजना की स्वीकृति के समय संसद में एक प्रश्न के जवाब में 1972 में कहा गया था कि पलामू में मंडल डैम से 24 मेगावाट जल विद्युत की आपूर्ति तथा औरंगा एवं अमानत नदियों पर जलाशय का निर्माण कराकर लगभग 1,20,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई व्यवस्था का आश्वासन दिया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कृपया इसे पूरा करने की कृपा करें।

दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बहुउद्देशीय परियोजना है। यह पश्चिम बंगाल में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है लेकिन झारखंड में नहीं। कनहर जलाशय के निर्माण का एग्रीमेंट बाणसागर समझौता 1973 में हुआ था। इसके साथ अमवार, यूपी में भी जलाशय बनना था जो पूरा हो गया लेकिन झारखंड रंका ब्लॉक के बराडीह गांव में कनहर जलाशय का निर्माण अब तक अधूरा है। इसके साथ ही मयूराक्षी-सिद्धेश्वरी-नूनबील 1949 और दामोदर-बराकार समझौता 1978 पर भी पुनर्विचार कर झारखंड को अधिकार दिलाने की कृपा की जाए। कोयला-कारों भी अधूरा है। जल संसाधन से संबंधित सभी विभागों को राज्यों में भी एक विभाग में रखा जाना चाहिए। जल संसाधन विभाग में सचिव स्तर पर अभियंताओं की नियुक्ति होनी चाहिए।

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज) : मैं माननीय जल संसाधन मंत्री द्वारा प्रस्तुत 2014-15 के परिव्यय का समर्थन करता हूं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल आज सबसे बहुमूल्य है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, इसके बावजूद केवल 4 प्रतिशत जल संसाधन ही उपलब्ध है। जबकि दुनिया के 16 प्रतिशत आबादी के इंसानों एवं 15 प्रतिशत लाइव स्टॉक के लिए पानी की पूर्ति कर रहा है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि उपज भी मानसून पर निर्भर है। मौजूदा बजट 2014 के अप्रैल से 2015 के 31 मार्च की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रस्तुत है। जबकि भारत का मानसून जून से सितम्बर तक होता है। जल संसाधन मंत्रालय भारत में भूमिगत जल, बाढ़ पेयजल, सिंचाई एवं भूमि क्षरण आदि कार्यों को सम्पादित करता है। सदन से एक बार बजट पास होने के बाद विभाग को प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ जून तक पहुंच पाता है जबकि विभाग में जून से सितम्बर तक मानसून सेशन होने के कारण कार्य नहीं होता है। सितम्बर के बाद रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट बनता है। चार महीने विभाग में मानसून के कारण काम न होने के कारण

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कटौती हो जाती है। सितम्बर के बाद जब योजनाओं को लागू करने का समय आता है जैसा कि नहर निर्माण, बंध निर्माण इत्यादि कार्यों में रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट के तहत पैसा काट दिया जाता है। इस तरह योजनाएं अपनी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

जल संसाधन की सभी योजनाओं को भारतीय कानूसनू को संज्ञान में लेकर बनानी चाहिए ताकि मानसून के बाद के समय में जब बरसात नहीं होती है तो सभी योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा सके। पहली बार प्रधानमंत्री ने देश की सिंचन क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस के लिए 2014-15 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रारंभ में प्रावधान किया गया है तथा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है पानी की सुरक्षा करना जिससे हर खेत को पानी उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि पवित्र गंगा को अविरल और निर्मल गंगा बनाने का कार्य को पूरा किया जाएगा। पिछले दिनों सरकार ने गंगा मंथन के लिए कार्यशाला आयोजित किया गया। जिसमें सरकार ने गंगा की सफाई के लिए संकल्प लिया है, जिसमें 80 हजार करोड़ खर्च होने का अनुमान है। जिसका 30 परसेंट बजट केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा 70 प्रतिशत धन प्राइवेट पब्लिक पार्टनशिप के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है कि मां गंगा की पवित्रता एवं निर्मलता को बनाए रखने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर कटिबद्ध होगी। भारत के जल संसाधन बजट के लिए इनफोर्मेशन सिस्टम के लिए 1110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। केन्द्र सरकार अपनी सभी योजनाओं के लिए जैसा कि रिवर बेसिन मेनेजमेंट एवं आरएमबीए में भी राज्य सरकारों को पैसा के साथ-साथ तकनीक भी देती है। इन सभी योजनाओं की प्लानिंग और एगज़िक्यूशन राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारों की स्कीम एक दूसरे से ज्यादातर अलग-अलग अप्रोच से बनती है। इस कारण इंटीग्रेटिड बेसिन मेनेजमेंट नहीं हो पाता है। जैसा कि गंगा, यमुना नदियां हैं। इस तरह की स्कीम का कोई डेटा बैंक नहीं है। इस योजना के तहत हम कितना क्षेत्रफल सुरक्षित कर पाए। यह इनफोर्मेशन सही-सही दे पाना मुश्किल है। जैसा कि फरक्का बेराज योजना में हर साल 250-300 करोड़ खर्च हो रहा है फिर भी योजना को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र के अनुसार वाटर प्राइसिंग करना चाहिए ताकि सभी क्षेत्रों में साफ, स्वच्छ एवं सही मात्रा में पानी की आपूर्ति की जा सके। पहली बार हमारी सरकार जल मार्ग का निर्माण करने जा रही है। सरकार ने पहली बार इलाहाबाद से हल्दिया तक जल मार्ग बनाने का संकल्प लिया है। गंगा को प्रदूषण मुक्त एवं जल मार्ग बनाने के लिए नदियों के सिल्ट को हटाने का कार्य करना होगा। ये पहला अवसर है जब जल संसाधन के बजट का सभी पक्षों ने स्वागत किया है। लेकिन केन्द्र द्वारा योजनाओं को स्वीकृत एवं आर्थिक परिव्यय देने के बावजूद भी उसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों को ही करना है। इसलिए यह विषय समवर्ती सूची का विषय है। आज जल संरक्षण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को मिल कर नमामि गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना होगा। केन्द्र सरकार नदियों को जोड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रत्येक वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बहराइच एवं श्रावस्ती तथा बिहार की सीमा जो नेपाल से जुड़ी है हर साल बाढ़ आती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका नियत बन चुकी है। अतः आज आवश्यकता है कि भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए जिससे नेपाल से निकलने वाली नदियों बाणगंगा, करनाली, जलकुंडी आदि नदियों के कारण भारत के काफी हिस्से बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए अब आवश्यकता है कि भारत को नेपाल सरकार से मिल कर के पानी को बांध करके ऊर्जा पैदा करनी चाहिए जिससे सिद्धार्थ नगर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाया जा सके तथा ऊर्जा भी पैदा करने से ऊर्जा की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। अतः जल संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम आने वाले समय में करेगी। अतः मैं मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को समयबद्ध ढंग से पूरा करना आवश्यक है। जिससे उत्पादन एवं ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जल संसाधन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का भी समर्थन करता हूं।

***श्रीमती कृष्णा राज** (शाहजहांपुर) : मुझे जल संसाधन एवं गंगा की सफाई के अनुमोदित बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

नदियां देश की जीवन रेखाएं हैं। नदियां हमें सिंचाई ही नहीं अपितु पेयजल भी उपलब्ध कराती हैं। मानव जीवन जल जीवन एवं पर्यावरण की संरचना भी हम नदियों से ही कर सकते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश सदैव जल देने वाली नदियां सदैव एक सी नहीं बहती हैं। इस कारण हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का एक अनूठा संकल्प लिया। पूर्व में श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी नदियों को नदियों से जोड़ने का प्रस्ताव किया था। किन्तु वर्तमान भारत सरकार एवं जल संसाधन एवं गंगा मंत्री माननीय सुश्री उमा भारती जी पिछले कई वर्षों से निरंतर गंगा को

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बचाने व उसकी पवित्रता के लिए अभियान में निरंतर प्रयासरत रही हैं। उनका अथक प्रयास और भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कुशल नेतृत्व ने अविरल और निर्मल गंगा को करोड़ों जन जीवन के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव किया है।

हमारी सरकार ने नदियों के उद्‌गम एवं घाटों के विकास के लिए केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद आदि प्रमुख घाटों के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगी कि हमारे संसदीय क्षेत्र में राम गंगा मेरे संपूर्ण क्षेत्र से होते हुए फरूखाबाद में मिलती है। राम गंगा के कटान के कारण बहुत सारे लोग हर वर्ष बेघर हो जाते हैं। हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है। इसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र में वहगुल नदी गर्रा, सूखेता, समसी व खन्नौत आदि नदियां भी उथली होने के कारण विकराल रूप धारण करती हैं। अत: आपसे निवेदन है कि नदियों को गहरा कराकर बांध एवं तटबंध बनाने की अनुमति जनहित में प्रदान करने का कष्ट करें।

माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने गिरते हुए जल स्तर को रोकने के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है। साथ ही शुद्ध जल के लिए 20,000 (बीस हजार) बसावटों के द्वारा विषैले जल, अर्सैनिक जल, उर्वरकों से युक्त जल को मुक्त कर शुद्ध पेयजल आम जन जीवन को उपलब्ध कराने हेतु 3600 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है जो एक सराहनीय कदम है।

अंत में बड़ी विनम्रता के साथ मैं एक सुझाव देना चाहूंगी, नदियों की गहराई एवं सिल्ट की सफाई निरंतर जल उपलब्धता के लिए एक आवश्यक कदम होगा और नदियों की खुदाई से बांध के जरिए नदियों को मजबूत किनारा मिलेगा।

***श्री शरद त्रिपाठी** (संत कबीर नगर) : जल संसाधन की योजना तब तक अधूरी है, जब तक नदियों का कायाकल्प न किया जाए। आज संयोग है कि जल संसाधन मंत्री उमा भारती हैं, जो मंत्री बनने के पहले हरिद्वार में बैठकर नदियों का स्मरण करते हुए यह उद्‌घोष किया करती थीं कि गंगा, सिंधुश्च कावेरी, सतलुज, सरस्वती, रीवा, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। यदि गंगा को शुद्ध करना है तो उसमें गिरने वाली नदियों कि पहले शुद्ध करना होगा। हमारे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर में तीन नदियां बहती हैं—सरयू, कुंआनो तथा आमी, जिसमें आमी आज काली पड़ चुकी है। आमी सरयू के माध्यम से गंगा में ही पा कर मुक्त है। याद आता है कि ब्रिटेन में टेम्स नदी इतनी गंदी हो चुकी थी कि उसके किनारे स्थित ऑफिसों को खाली करने का आदेश हो चुका था क्योंकि उसकी बदबू से लोग परेशान हो चुके थे। लेकिन वहां लोगों ने प्रयास करके उसके अति सुंदर बना दिया जो आज पर्यटन स्थल का रूप ले चुका है।

यदि सरकार को निर्देशित किया जाता जाए तो आमी नदी जो कभी अमृत नदी के रूप में जानी जाती थी और आज विष का रूप ले चुकी है, वह अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगी तथा कबीर की समाधि स्थली को छूती हुई पर्यटक स्थल का स्थान अवश्य लेगी।

***श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** (अहमदाबाद) : जल संसाधन बढ़ाना है तो पहले जो तालाब, बांध बंधे हुए उनमें याद का प्रमाण काफी मात्रा में हैं, इसी वजह से इनमें जलग्रहण क्षमतानुरूप नहीं होता इसलिए ऐसे बांध तालाब में से गाद निकाला (डी-स्लीटिंग) जाना चाहिए। इससे जलग्रहण क्षमता बढ़ने के साथ-साथ पीने का पानी तथा सिंचन क्षेत्र का कारोबार बढ़ेगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आरआरआर (रिपेयर रिस्टोरेशन और रिनोवेशन) स्कीम अंतर्गत ऐसा कार्य किया जा सकता है। देश में बहने वाली नदियां हजारों वर्षों से चली है उसमें भी गाद का प्रमाण भारी मात्रा में है। उसे महाराष्ट्र राज्य में सुचारू रूप से चल रहा शिरपुर पैटर्न का प्रयोग इन नदियों पर किया तो उनकी वहन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ सिंचन क्षेत्र में भारी मात्रा में सुधार हो जाएगा।

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/नेशनल हायवे स्टेट हायवे और केन्द्रीय योजना अंतर्गत अंतर्गत सड़कें बनाई जाती है। उसके कॉन्ट्रैक्टर को पुराने तालाब, बांध से गाद निकालने को कहा गया तो वही गाद से सड़क की साइट पट्टियां बन सकती है उससे जमीन कटाव में कमी आएगी और सड़कें भी चौड़ी बनने में मदद मिलेगी। इसके लिए सिर्फ इतना ही करना होगा। सरकार द्वारा गाद पर रॉयल्टी लगायी जाती है उसमें कॉन्ट्रैक्टरों को माफी देना/रियायत दी जाए ताकि वे आसानी से कार्य करे। और यह रियायत कॉन्ट्रैक्टरों का कार्य जिस क्षेत्र में चल रहा है उसके 1 से 5 कि.मी. क्षेत्र के तालाब/बांध से गाद निकालने की अनुमति दी जाए।

इस क्षेत्र में मूलभूत ढांचा बनाने की जरूरत है। हमने हमारे जिले में चार गांवों में ऐसा प्रयोग किया, वहां अब अकाल सदृश्य स्थिति में आसानी से पीने का पानी मिल रहा है। उसी के साथ-साथ सिंचाई में भी बढ़ोतरी हो गयी है।

यह तरीका सब जगह किया गया तो जल संसाधन क्षेत्र में काफी मात्रा में सुधार हो जाएगा। अत: मेरी सरकार से विनती है कि मेरे दिये सुझावों पर विचार करके उसे अपनाया जाये। इसलिए मेरा अनुरोध है, जल संचयन के लिए ज्यादा से ज्यादा बजटीय आवंटन किया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्री (सुश्री उमा भारती) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज इस सदन में जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास विभाग के लिए बहस शुरू हुई थी। इस संबंध में सम्मानीय सदस्यों ने जो विचार रखे, जो विवेचना की, जो सुझाव दिए, वे बहुमूल्य हैं। मैं आपके माध्यम से इस बहस में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं क्योंकि उन्होंने कई ऐसे विषय भी प्रस्तुत किए हैं जो हमारे लिए आगे मार्गदर्शक का काम करेंगे। पानी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात एक माननीय सदस्य ने कही। अध्यक्ष महोदया, अगर मैं सभी सदस्यों के नाम लेकर सभी के मुद्दों पर जिक्र करूंगी तो तीन-चार घंटे लगेंगे। इसलिए मुख्य बिन्दुओं पर सरकार और मंत्रालय के विचार मैं उत्तर देते हुए बता रही हूं।

एक बात आई कि मंत्रालय में वाटर कन्जर्वेशन नाम भी होना चाहिए क्योंकि मंत्रालय का नया नामकरण संस्करण जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संस्करण हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि जल संसाधन भी वाटर कन्जर्वेशन ही है, जल संरक्षण ही है। नदी विकास भी जल संरक्षण ही है। अगर गंगा के संरक्षण की बात आती है तो वह भी जल संरक्षण ही है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2015-16 में हम पहला सप्ताह वाटर कन्जर्वेशन के नाम पर एक सैलिब्रेशन के रूप में मनाएंगे और 2015-16 का पूरा वर्ष जल संरक्षण के नाम पर मनाएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे सब लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी करें और अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में जल संरक्षण बरसे हुए पानी के संरक्षण और बरस जाने के बाद जो पानी रह जाता है, उसके संरक्षण के लिए वे जो भी उपाय आजमाएंगे, उसमें हमारा मंत्रालय बहुत आगे बढ़कर उनके साथ खड़ा होगा।

नदियों को जोड़ने की बात आई जिसमें अधिकतर सदस्यों ने समर्थन में ही कहा है। हमारे बहुत महत्वपूर्ण सदस्य जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी रहे हैं माननीय देवे गौड़ा साहब, यहां मौजूद हैं। उन्होंने भी इस योजना का पुराना इतिहास बताते हुए आज तक की स्थितियों से हमें अवगत कराया है। केरल के एक माननीय सदस्य ने उसका एक दूसरा पक्ष भी रखा है। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं क्योंकि इसका दूसरा पक्ष आना बहुत जरूरी था। उन्होंने इसका दूसरा पक्ष बहुत ही तार्किक तरीके से रखा है।

माननीय देव गौड़ा साहब ने जो बात कही है, मैं सबसे पहले उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। नदियों को जोड़ने की जो योजना होगी, उसमें जब बहस की शुरुआत हुई, उस समय भी नदी जोड़ो योजना पर एक प्रश्न आया। हमारे छोटे भाई युवा सदस्य यहां मौजूद हैं। उन्होंने मुख्यत: इस बहस की शुरुआत की। नदी जोड़ो योजना पर भी उन्होंने एक बात कही कि क्या हम नदियों की अविरलता और निर्मलता को भी उसमें सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री महोदय ने बात कही और केरल के माननीय सदस्य ने जो बात उठाई, वे पहले इरीगेशन मंत्री रहे हैं, उन सारी बातों का उत्तर एक साथ देते हुए आपके माध्यम से माननीय सदन और माननीय सदन के माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहती हूं कि नदियों को जोड़ने में पशु, पक्षी, जीव-जन्तु, मनुष्य और नदी सबके जीवन का ध्यान रखा जाएगा। हम ऐसी नदियों को जोड़ने का विचार ही नहीं कर रहे हैं जिन पर राज्यों की असहमति हो। जब वर्ष 2002 में नदियों को जोड़ने की फिर से घोषणा हुई, मैं मानती हूं कि यह बहुत पुराने समय से देखा गया सपना था। लेकिन सपने को हकीकत में बदलने का विचार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर फिर आया। उस सपने को हकीकत में बदलने के विचार को हकीकत में ही बदल देने का साहस हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदया, भगवान की दया से यह जिम्मेदारी मुझे मिली। मुझे इस सपने को पूरा करने में इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि बोलंगीर, कालाहांडी जैसे इलाकों में सूखे से पीड़ित लोगों को भूख से मरते हुए, छत्तीसगढ़ में भूख से मरते हुए, बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से में सूखे से पीड़ित लोगों को भूख से मरते हुए, किसानों को आत्महत्याएं करते हुए हमने कितने राज्यों की कहानियां सुनी हैं। हमें यकीन है कि जिस दिन नदियों को जोड़ने का हमारा सपना पूरा होगा, उस दिन इस देश में एक भी मौत भूख से नहीं होगी। लोगों को अपनी जन्म भूमि छोड़कर दिल्ली और मुम्बई में मजदूरी के लिए नहीं आना पड़ेगा। छोटे-छोटे किसान भी अपनी जगह में ही रहकर अपनी आजीविका कमा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर कभी उचित समय आए तो नदी जोड़ों योजना पर ही एक दिन इस सदन में लम्बी बहस जरूर होनी चाहिए ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार यहां उपस्थित हो जाएं।

मैंने आपको पानी संरक्षण के बारे में बताया, नदी जोड़ो योजना के बारे में सदन को बताया। एक तीसरी बात सामने आई है। जिस माननीय सदस्य ने बहस को प्रारंभ किया था, उन्होंने यह बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो दूसरे देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें हमारे राष्ट्रीय हितों को उनके किसी प्रोजैक्ट के द्वारा हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यद्यपि वह मेरे मंत्रालय का विषय नहीं है, लेकिन एक विषय मेरा है और इस देश के हर नागरिक का है, वह है मेरी देश भक्ति। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरे सदन को यह गर्व के साथ कह सकती हूं कि मेरा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित का जरूर ध्यान रखेगा। कभी भी राष्ट्रीय हित की बलि किसी भी पैक्ट में नहीं पड़ सकती है और यह बात नदियों के मामले में भी लागू होगी।

दूसरी बात जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय ने यहां पर कही है, मैं उसमें थोड़ा सा करैक्शन करना चाहूंगी कि नर्मदा को लेकर राज्यों में कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। नर्मदा पर जो सरदार सरोवर प्रोजैक्ट है, उससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों का कभी कोई विवाद नहीं हुआ। कुछ सामाजिक संस्थानों ने इसमें कुछ आपत्तियां उठायीं। नर्मदा सरोवर की जब भी हाइट बढ़ाने का फैसला किया गया, तो उन आपत्तियों का समाधान करने के बाद ही किया गया। हां, एक दूसरी स्थिति है कि कुछ राज्यों में ऐसी स्थितियां बन गयी हैं, जो माननीय सदस्यों ने यहां व्यक्त हैं, जिसमें सीमांध्र के सदस्यों ने व्यक्त की हैं और

तेलंगाना राज्य, जिसका नया जन्म हुआ है, उनके सदस्यों ने व्यक्त की हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के सदस्यों ने व्यक्त की हैं, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सदस्यों ने भी बातें यहां व्यक्त की हैं। इस विषय को लेकर जिसमें नदियों पर बांध, इरीगेशन या पावर जनर्शन या दोनों को मिलाकर जो प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं, उनको लेकर जो आशंकाएं उनके मन में हैं, उन आशंकाओं के निवारण के लिए मैं एक ही बात कह सकती हूं कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। हम किसी भी मामले में किसी भी चीज को राजनीति से नहीं देख रहे हैं। मैं उस राज्य का नाम नहीं लूंगी, जिस राज्य के एक-दो सदस्यों ने यह बात कही है। जब भी हम इस प्रकार के विवादों की तरफ नजर डालते हैं, हमारी नजर में वोट बिल्कुल नहीं होता है। हमारी नजर में उस राज्य के नागरिक होते हैं और उनकी पेरशानियां होती हैं। उसी को हम ध्यान में रखकर इन सारी चीजों का समाधान करते हैं।

यहां एक बात और आयी कि सिमांध्र और तेलंगाना के बीच में नदियों को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं। मैं उस शब्द को विवाद का प्रयोग नहीं करना चाहती, क्योंकि पानी प्यार के लिए होना चाहिए, पानी तकरार के लिए नहीं होना चाहिए। आपको स्मरण होगा, क्योंकि आप इस सदन की बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यह बता चाहते थे कि पानी को लेकर एक नीति बने, जिससे पानी पूरे देश की सम्पत्ति मानी जाये। जिस व्यक्ति, राज्य, घर, नगर, डगर, गांव, गली, खेत को जितनी जरूरत हो, उतना पानी उसे दिया जाये। अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो और उसमें एक राष्ट्रीय सहमति हो जाये, उससे ही यह नदी जोड़ो योजना की शुरुआत हुई थी। उन्होंने एक विशेष प्रश्न किया था, इसलिए मैं यहां पर उसका उत्तर दे रही हूं कि तेलंगाना और आंध्र के मध्य में पानी को लेकर जो भी मुद्दे हैं, मैं विवाद नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ऐसी स्थितियां बन जायें, उन्हें विवाद नहीं कहा जाना चाहिए; उन्हें केवल मुद्दे ही कहा जाना चाहिए। इसलिए उसे लेकर जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, जो अभी कृष्णा नदी जल विभाग अधिकरण (द्वितीय) को सौंप दिया गया है और इस तरह उनकी इस शंका का समाधान हो जायेगा। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगी कि क्या हम उस ओर आ सकते हैं। जब नदियों को लेकर मुद्दे तो हों, लेकिन नदियों को लेकर विवाद न हों?

अध्यक्ष महोदया, चूंकि मुझे संक्षेप में अपनी बात समाप्त करनी है और सदन के समय की मर्यादा का ध्यान रखना है। यहां माननीय युवा सदस्य ने शुरुआत करते समय ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कही। ब्रह्मपुत्र नदी है और बहुत सुन्दर है, बहुत व्यापक है। वह रक्षा भी करता है और सहांर करने के मूड में भी आ जाता है। उन्होंने मझौली आइलैंड की भी बात यहां कही। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहती हूं कि हम असम के मुख्य मंत्री से मझौली आइलैंड के बारे में सम्पर्क करने वाले हैं। वहां के सांसद सर्वानन्द सोनोवाल ने भी प्रस्ताव रखा है कि क्यों न मझौली आइलैंड को वर्ल्ड हेरीटेज डिक्लेयर कर दिया जाये और इसके लिए जिस प्रकार से भी हमारे मंत्रालय का सहयोग होगा, वह हम पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदया, अब मैं गंगा जी के ऊपर आ रही हूं। यह बात भी आयी है कि गंगा जी के लिए 2037 करोड़ रुपया एलॉट हुआ है और घाटों के लिए अलग 100 करोड़ रुपया एलॉट हुआ है। गंगा जी के लिए 2037 करोड़ रुपया एलॉट हुआ है, क्या हम उसका उपयोग कर पायेंगे? सबसे पहले इंटरलिंकिंग के लिए जो 100 करोड़ रुपया एलॉट हुआ है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों के सामने स्पष्ट करना चाहती हूं कि वह पैसा नदियों के लिंकेज के लिए नहीं है। वह पैसा नदियों के लिंकेज की डीपीआर के लिए है और वह एक प्रकार से तुलसी का एक पत्ता है जो नदियों के चरणों में रखा गया है। वह डीपीआर के लिए है। इसी प्रकार से यह बात भी आयी है कि क्या 2037 करोड़ रुपया का उपयोग हो पायेगा, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूं कि इसका निश्चित रूप से उपयोग हो जायेगा। इसी वर्ष में हम इसका उपयोग करके दिखाएंगे। यहां पर एक बहुत अच्छी बात हमारी बहन सुप्रिया जी ने कही और हमारे वीरेन्द्र पहलवान जी ने भी कही, जो मस्त भी कहलाते हैं। बहन सुप्रिया जी ने कहा कि ऐसे कई राज्य हैं, जिन्होंने नदियों के जल-संरक्षण पर बहुत अच्छा काम किया है। मैंने अपने मंत्रालय को कहा है कि जिसमें अधिकारियों ने अच्छा काम किया हो, जिसमें मंत्रियों ने अच्छा काम किया हो, उन सबको मिलाकर हम फिर से सारी स्कीमों का पुनर्निर्धारण करें। उसमें यदि कोई संशोधन करना हो, चाहे कोई आईबीपी हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, उस स्कीम में यदि संशोधन की आवश्यकता हो, तो हम मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह जरूरी नहीं है कि देश किसी राज्य को रास्ता दिखाये, यदि कोई राज्य हमारी जल-नीति को रास्ता दिखा सकता है, तो हम उसको गुरु मानेंगे और निश्चित रूप से उसके मार्गदर्शन में काम करेंगे। वीरेन्द्र जी ने अभी जो बातें कही हैं, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं शायद उसका उत्तर देते हुए इस बात का अंत कर दूंगी। उन्होंने कहा कि सभी सांसद लोग पांच-पांच तालाब बनाएं, मैं इस बात के लिए बहुत दिनों से व्याकुल थी, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों के सामने निवेदन करना चाहती हूं, यह जो बात बार-बार आयी है कि गंगा के अलावा दूसरी नदियों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, गंगा की तरफ पूरा-का-पूरा ध्यान तो है ही, यह दुनिया में पहली बार हुआ है और हमारी सरकार के प्रधानमंत्री ने यह साहस और आस्था दिखायी है कि एक नदी के नाम पर एक मंत्रालय बना है। यह मंत्रालय ही नहीं बना है, हमको बहुत तेजी के साथ इस विषय पर उन्होंने काम करने के निर्देश दिये हैं। ये जो जीओएम भंग करने की प्रक्रिया हुई, उससे मुझे इतना रिलैक्सेशन मिला, इतना रिलीफ मिला है, नहीं तो हमारे मामले कहीं-न-कहीं जाकर अटक जाते थे, अब इसका परिणाम यह निकला है कि चाहे पर्यावरण मंत्रालय हो, चाहे पर्यटन मंत्रालय

हो और चाहे शिपिंग हो, शिपिंग को लेकर भी हमारे माननीय युवा सदस्य ने एक बात उठायी, मैं आपको बता दूं कि शिपिंग पहले ही गंगाजी में होती थी, आगे भी गंगाजी में शिपिंग होगी, लेकिन गंगाजी की अविरलता और निर्मलता को हम उससे प्रभावित नहीं होने देंगे, यह तय करके ही शिपिंग होगी। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे गंगाजी में शिपिंग या नदी जोड़ो परियोजना, जिसको लेकर तरह-तरह की आशंकाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, यदि आप चाहेंगी तो किसी दिन सदन में गंगा जी को लेकर हमने जो योजनाएं तैयार की हैं, गंगाजी के विषय में उन योजनाओं को एक साथ लेकर हम सामने आएंगे। मैं यह बताना चाहती हूं कि यदि माननीय सदस्य चाहें, तो अपने-अपने संसदीय क्षेत्र की एक नदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वे अपने-अपने राज्य की एक-एक नदी हमको दें, जिसमें राज्य सरकार भी काम करे, माननीय संसद सदस्य भी काम करें और हमारी तरफ से जो भी बनेगा, हमारा मंत्रालय उसमें सहयोग करेगा और मैं आपके माध्यम से पूरे साहस के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वो साहस का इंजेक्शन हमारे अंदर लगाया हुआ है, ...*(व्यवधान)* क्या आप चाहती हैं कि मैं बैठ जाऊं।...*(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि नियम व्यक्ति के लिए होते हैं, व्यक्ति नियम के लिए नहीं होता। यदि हमें लगेगा कि हमें नदियों के संरक्षण के लिए नियमों के आर-पार होकर के पहुंचना है, तो हम जरूर पहुंचेंगे। गंगा का भी ध्यान रखेंगे, यमुना का भी ध्यान रखेंगे और सारी नदियों का ध्यान रखेंगे। गंगाजी के विषय में हम जो भी करेंगे, वही पैरामीटर्स हम दूसरी नदियों के ऊपर भी लागू करेंगे। गंगा के विषय में एक माननीय सदस्य ने एक ऐसी बात कही, जिससे मेरे हृदय को थोड़ी ठेस लग गयी, वे यह भूल गये कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इस मामले में हिन्दू, मुस्लिम, सिख और इसाई सब एक हैं। जब हमने पार्लियामेंट के मैम्बर्स को गंगा जल बंटवाया था, माननीय अध्यक्ष महोदया आपको पता है, उस समय मुस्लिम सदस्यों ने मुझे फोन किये और मुझे कहा कि अरे! पंडित को पूजा करने के लिए गंगा जल चाहिए, तो मौलाना ने भी वुजू करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। इस मामले में हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। न कोई राजनैतिक भेद था, न कोई प्रांत का भेद था और न ही किसी पूजा विधि और संप्रदाय का भेद था। गंगा के मामले में पूरा देश एक है। हम जब गंगा के विषय में कोई प्लान लेकर आएंगे, तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगी कि एक बार ऐसा हो पाएगा कि हम अपनी योजना से गंगा को अविरल और निर्मल बना लेंगे। आज से 50 साल पहले गंगा अविरल और निर्मल थी। समाज ने उसको ऐसा रखा था। हमारे अपने नियमों ने गंगा की अविरलता और निर्मलता में बाधा खड़ी की है। सरकारों ने अपनी कुचेष्टाओं से गंगा की अविरलता और निर्मलता में बाधा खड़ी की है। इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को निवेदन करूंगी कि एक बार यह सरकार अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं कि हम गंगा के प्रवाह को अविरल और निर्मल करें। लेकिन उसके बाद तो समाज को ही गंगा की अविरलता और निर्मलता के प्रवाह का संरक्षण करना पड़ेगा। उसमें माननीय सदस्यों की भी जो भूमिका रहेगी, वह तो रहेगी ही।

मुझे लगता है कि मैंन सभी बातों को कह दिया है और अंत में मैं यही कहूंगी कि ऐसी कोई बात, जो आपने अपने क्षेत्र के लिए कही, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन कर रही हूं, आपने जो अपने क्षेत्र के लिए कही या आपने जो अपने राज्य के लिए कही, उन एक-एक बातों को, जो अधिकारी केबिन में बैठे होते हैं, वे सब लिख चुके हैं, एक-एक बात का जवाब आपको क्षेत्र के हिसाब से भी मिलेगा।

सायं 6.00 बजे

हम आपकी सारी समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में जो हमारे सुझाव होंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको भी धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे उत्तर देने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष : इस मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्राण्ट्स और जीरो ऑवर, दोनों को पूरा करने तक सदन का समय आप सभी की सहमति से बढ़ा दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने पम्पा नदी के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। पम्पा नदी साबरीमाला से बहती है। यह गंगा नदी जैसी ही एक पवित्र नदी है। केरल सरकार ने कई वर्ष पूर्व पम्पा कार्य योजना का प्रस्ताव भेजा था, परंतु माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ कहें।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी रिवर लिंकिंग के बारे में अलग समय पर डिसकशन के लिए कहा है, मेरी विनती है कि अगर वह डिसकशन इसी सत्र में हो, तो अच्छा होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कडियम श्रीहरि (वारंगल) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक विशिष्ट निवेदन करना चाहूंगा। मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री जी कृष्णा जल

विवाद प्राधिकरण-II के बारे में कुछ कहेंगी, जो निकट भविष्य में अपना निर्णय अधिसूचित करने जा रहा है। तेलंगाना इसमें पक्षकार नहीं है। मैं सरकारा से निवेदन करूंगा कि एक नया कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करे और हमें भी एक अवसर प्रदान करे ताकि हम अपनी मांगों को रख सकें। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से उत्तर चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जहां पर माननीय मंत्री जी ने गंगा और यमुना का जिक्र किया है, वहां पर मां सरस्वती को भी उसके साथ जोड़ दिया जाए क्योंकि मां सरस्वती का उद्‌गम मेरे संसदीय क्षेत्र आदिबद्री से हुआ है और इसरो ने उसकी सारी पिक्चर्स लेकर उसके ऊपर कार्रवाई की है।

माननीय अध्यक्ष : इतनी चर्चा होने के बाद भी इतनी बातें अभी बाकी है?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि सब पर बोलीं, लेकिन नेपाल से वार्ता करके जो हाईडैम बनने वाला है, जो समझौता है, उसके बारे में हम लोगों ने विराट नगर में कार्यालय भी खोला था, जिससे कोसी प्रभावित रहती है और बिहार रोता रहता है। नेपाल में हाईडैम बनाने के बारे में आप क्या कार्रवाई कर रही हैं और क्या उसके लिए सरकार नेपाल के साथ कोई बैठक या वार्ता करने वाली हैं?

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी अगर कृष्णा रिवर डिस्प्यूट नहीं समझना चाहतीं, तो उसे कृष्णा वाटर इश्यू समझ लीजिए। नया ट्रिब्यूनल बनाकर हमने अपनी बात कहने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, पूर्वी उत्तर प्रदेश की नियति है बाढ़, प्रत्येक वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल से जो नदियां निकलती हैं—बाण गंगा, करनाली, जलखुण्डी, इनके बारे में कई बार भारत और नेपाल के बीच समझौते की बात हुई, उस संबंध में माननीय मंत्री जी संज्ञान ले लें कि कम-से-कम नेपाल सरकार से बात करके बाढ़ को रोकने के लिए प्रयास हो।...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, नर्मदा बहुत पवित्र नदी है, जहां लाखों लोग डुबकी लगाने जाते हैं, उसे भी इसमें शामिल कर लिया जाए। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : नर्मदा नदी के बारे में उनको मालूम है।

श्री दद्दन मिश्रा : राप्ती नदी को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, मिश्रा जी। आपकी बात हो गयी।

सुश्री उमा भारती : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने पम्पा नदी के बारे में जो बात कही है, जो सबरीमाला के पास स्थित है, मैंने किसी नदी विशेष का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सी नदियों का नाम लिया है। मैं उनको कहना चाहती हूं, वैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, *[अनुवाद]* परन्तु मैं उन्हें आश्वस्त कर सकती हूं कि इस देश की प्रत्येक नदी हमारे लिए गंगा जैसी पवित्र नदी है क्योंकि जब हम किसी नदी में डूबकी लगते हैं तो हम कहते हैं 'हर-हर गंगे'। यहां तक कि जब हम स्नानघर में नहाते हैं तो हम कहते हैं—'हर-हर गंगे'। अत: पम्पा नदी एक शुद्ध और पवित्र नदी है। माननीय सदस्य जो कुछ भी सुझाव देते हैं हम इसका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर रही हूं। बात केवल यह थी कि प्रत्येक नदी का उल्लेख करना बहुत कठिन है। केवल यही कारण था; नजरअंदाज करने का और कोई कारण नहीं था।

[हिन्दी]

दूसरी बात जो सामने आई है सीमांध्र और तेलंगाना के विवाद को लेकर, तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्राइब्युनल बना हुआ है, वही तेलंगाना और सीमांध्र के बीच जल के इश्यू को देख रहा है। एक समिति बनी है, जिसमें सीमांध्र और तेलंगाना प्रदेशों के मुख्यमंत्री सदस्य हैं जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री अध्यक्ष हैं। माननीय सदस्यों जो यहां बैठे हैं, उन्हें आश्वस्त करती हूं कि किसी दिन जल संसाधन मंत्रालय में मैं दोनों मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करूंगी और प्रयास करेंगे कि यह मामला प्यार से सुलझ जाए, तकरार की नौबत न आने पाए। इस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं।

नेपाल और वहां से निकली नदियों द्वारा यहां बाढ़ आने के बारे में भी बात हुई। नेपाल की नदियों के बारे में हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि इस बारे में जो भी हमारी बात चल रही है, उसमें हम अपने राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रख रहे हैं। नेपाल हमारा बहुत अच्छा मित्र राष्ट्र है। हम और वह मिलकर जिस योजना पर भी विचार करेंगे, उसमें दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर ही विचार करेंगे।

जहां तक बाढ़ का सवाल है, यह निश्चित रूप से देश की बड़ी विकट स्थिति है। कई जगह बाढ़ आती है और उसी समय अन्य जगहों पर सूखे की स्थिति पैदा होती है। इंटरलिंकिंग की जो योजना है नदियों की, वह असल में इसी का ही समाधान है कि जो अतिरिक्त पानी बहकर समुद्र में न जाकर वहां ले जाया जाए जहां सूखा पड़ रहा है। इसीलिए इस योजना

की कल्पना की गई है और तात्कालिक तौर पर बाढ़ के निदान के जो प्रयास हो सकते हैं, इमसे जितना सम्भव होगा, हम करेंगे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और श्रीमती मौसम नूर ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग के बारे में क्रमश: कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2 और 7 प्रस्तुत किया है। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूं?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष जी, एक मिनट मुझे मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

कुंवर भारतेन्द्र सिंह : मेरे क्षेत्र में जो बाढ़ आई है, मुझे प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आपका कोई कटमोशन नहीं हैं इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, हमने जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर जो कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं, मेरा सरकार से और मंत्री जी निवेदन है कि इस पर चर्चा हुई है, लेकिन हम विस्तार से डिमांड्स पर और चर्चा करते और सभी माननीय सदस्य भी करते, हम सब बराबर हैं। लेकिन हमारे पास न तो बजट के आउटकम का रिपोर्ट आया, न ही वार्षिक रिपोर्ट आई।

माननीय अध्यक्ष : आपने सुबह ही यह बता दिया था।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : इसके बाद हम हिस्सा लेते तो विस्तृत चर्चा होती। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खेतों तक पानी पहुंचाने का जो संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए कालबद्ध योजना बनाई जाए। इसके अलावा नेपाल की नदियों पर हाई डैम बनाए जाने की आवश्यकता है। जब तक हाई डैम नहीं बनाया जाएगा, तब तक बिहार का उद्धार नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं देश के सामने इसलिए हम अपने कटौती प्रस्ताव को रख रहे हैं, उन्हें वापस नहीं लिया है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य : धन्यवाद। अत: मैं अब कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2 और 7 को एक साथ ही सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : मैं अब जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 106 के सामने दिखाये गये मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2014-15 के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संबधित अनुदानों की मांगें

क्र. सं.	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की राशि		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
106.	जल संसाधन मंत्रालय	42,99,96,00,000	76,21,00,000	1,08,43,15,00,000	1,52,42,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पारित हुई।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में चीनी उत्पादन के क्षेत्र में बिहार राज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है लेकिन राज्य की अधिकांश चीनी मिलें आज बंद पड़ी हैं। आज वहां बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो गयी है और इस कारण लोग भूख के कगार पर पहुंच गये हैं। आज जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनके कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए मैं आपसे विनती करूंगा कि अभी माननीय प्रधान मंत्री जी जब बिहार गये थे तो उन्होंने वायदा किया था कि जब एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार के चीनी मिलों के अच्छे दिन आयेंगे।

अपराह्न 6.12 बजे

[**प्रो. के.वी. थॉमस** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता के सामने वायदा किया था कि बंद पड़ी चीनी मिलों को मैं चालू करूंगा और जिन चीनी मिलों पर बकाया है, उनसे भी मैं भुगतान कराऊंगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार : मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह मांग करता हूं कि बंद पड़ी चीनी मिलें जो बिहार में हैं उन्हें शीघ्र चालू किया जाए, जिससे उनमें काम करने वाले लोग की स्थिति में सुधार आए और जिन किसानों का बकाया चीनी मिल मालिकों के पास हैं उसका भी भुगतान कराया जाए।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): सभापति जी, आज मैं एक संवेदनशील मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य बैंकों की परीक्षा में परीक्षा सेंटर अन्य राज्यों में दिया जाता है। लेकिन पर्चा लीक होने के बाद वह एग्जाम कैंसिल हो जाती है जिससे जो बच्चे एक राज्य से दूसरे में एग्जाम देने जाते हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि परीक्षा केन्द्र या सरकार की तरफ से उन्हें कोई टीएडीए नहीं दिया जाता है।

अत: मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे सभी एग्जाम उसी राज्य में लिये जाएं जिस राज्य के वे परीक्षार्थी हैं। इसी तरह से जो पर्चे लीक होते हैं अगर उनका संबंध प्राइवेट स्कूल या कॉलेजों से मिलता है तो उनपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : महोदय, एनएच-33 झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा को भी जोड़ता है। इस हाईवे की स्थिति इतनी जर्जर है कि लगभग 20 से 22 घंटे तक ट्रेफिक जाम रहता है। पिछले दो साल के आंकड़ें देखें तो 25 से 30 आदमियों की दुर्घटना में जान जा चुकी है। दो साल पहले इस हाईवे को चार लेन का बनाने की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें रांची से लेकर मलुलिया तक मधुकन को मिला है और महुलिया से लेकर झारग्राम-खडगपुर तक स्पिलेक्स को मिला है लेकिन दोनों ही कम्पनियों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। हम लोग जब रिपेयरिंग की बात करते हैं, तो कहते हैं कि रिपेयरिंग का काम एस्टीमेट में नहीं है। दो साल हो गए हैं और अभी तक फोर लेन नहीं बना है। अगर उसका रिपेयरिंग शुरू नहीं होती है, तो पूरा एनएच-33 गड्ढा में तबदील हो जाएगा और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। इस कारण ट्रेफिक जाम भी बढ़ता जा रहा है। लोक सभा के तीन क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। आपसे आग्रह करते है कि यथाशीघ्र इसका जीर्णोद्धार किया जाए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, उत्तर प्रदेश में हो रहे अवैध बालू खनन की बात मैं केंद्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उनकी पार्टी के प्रमुख लोग सम्मिलित हो कर अवैध खनन कर रहे हैं। यहां तक कि सिंडिकेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। वहां एक दिन में एक-एक हजार ट्रक बालू ओवर लोडिंग में निकल रही है। इस वजह से सारे रोड खराब हो रहे हैं तथा रेवेन्यू की चोरी हो रही है। इस कारण हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। हमने देखा है कि एक पट्टा किसी के नाम है और एक ही नहीं बल्कि उसके साथ-साथ दूसरे पट्टों से भी बालू निकाली जा रही है। एक गांव की स्थिति ऐसी है कि वहां से इतनी बालू निकाल ली गई है कि आने वाली बरसात से कहीं पूरा का पूरा गांव नदी में न बह जाए।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि तुरंत इस अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और जो रेवेन्यू की चोरी हो रही है, उसे रोका जाए। हमारे पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा हो रहा है, उसकी रक्षा की जाए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं पिछले एक सप्ताह से निर्वाचन क्षेत्र अथवा राज्य के विषय को उठाने की बजाय जैसा कि यहां होता रहा है राष्ट्रीय महत्व के मामले के उठाने का प्रयास कर रहा हूं।

यह मामला एक युवा महिला एथलीट, दुती चंद से संबंधित है जिसका उज्ज्वल भविष्य भारतीय खेल प्राधिकरण, दक्षिण केन्द्र द्वारा एक चिकित्सकीय जांच किए जाने के बाद पूरी तरह समाप्त हो गया।

एथलेटिक संघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण को यह बताया कि यह महिला एथलीट, महिला स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह जूनियर महिला धावक जो कि 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ स्पर्धाओं में भाग लेती है, वह अब संदेह के घेरे में है।

भारतीय खेल प्राधिकरण का यह कहना है कि चूंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है अत:, उनके लिंग निर्धारण के संबंध में कोई जांच नहीं की जा सकती है। परन्तु, इस जांच के बाद उन्हें राष्ट्रमंडल खेल, जो कि इस माह की 23 तारीख से आरंभ होने जा रहे हैं में भाग लेने से रोक दिया गया है। उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। एसएआई का यह कहना है कि भारतीय एथलेटिक संघ ने यह जांच करने के लिए कहा था।

महोदय, दुती चंद ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेकर हमारे देश तथा हमारे राज्य का गौरव बढ़ाया है। उस समय किसी ने भी उनके एंड्रोजन हारमोन के बारे में संदेह नहीं किया था। परन्तु, जब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने का समय आया तब यह जांच की गई और उसे सार्वजनिक किया गया, जो कि गैर-कानूनी है।

सभापति महोदय, मेरे पास कुछ समाचार पत्र हैं जिनमें मुख्य खबर यह है "एसएआई जांच में महिला एथलीट को महिला स्पर्धा में भाग लेने के लिए 'नॉट फिट' पाया गया।" दुती चंद का करियर अधर में, "जूनियर धावक दुती को अधर में न लटाकाया जाए।"

एक महिला एथलीट की परिभाषा पर भी संदेह किया जा रहा है।

और वे गलत प्रश्न पूछते हैं। यह आज के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। एक युवा महिला एथलीट की लिंग जांच करना वस्तुत: उसका लिंग निर्धारण करना है जो कि पूरे विश्व में प्रतिबंधित है।

परन्तु, मैं इस सरकार और मंत्री जी जो कि आज यहां मौजूद हैं से भी यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह महिला एथलीट की परिभाषा स्पष्ट करें कि क्या हारमोन का शारीरिक बल में कोई योगदान है। क्या यह कोई अयोग्यता है? पहले भी दो महिला एथलीटों को कलंकित किया गया था, जिनमें से एक तमिलनाडु से और दूसरी पश्चिम बंगाल से भी। केवल महिला एथलीटों की लिंग जांच क्यों की जा रही है? क्या ऐसा इसलिए है कि उनके चेहरे में बदलाव आता है और वह एक महिला जैस चेहरा नहीं लगता?

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : यह भेदभाव है। मैं इस सरकार से केवल यह आग्रह करना चाहता हूं कि वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। एंड्रोजन को भी कम किया जा सकता है मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस मामले में उत्तर दें। क्या सरकार इस संबंध में पर्याप्त कदम उठा सकती है ताकि, भविष्य में उनका एंड्रोजन का स्तर कम हो सके?

महोदय, अब मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं। मैं उनसे इस विषय में उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति : नहीं, आप जानते हैं यह प्रक्रिया नहीं है। आप उनसे बाद में संपर्क कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)*

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) : आदरणीय सभापति महोदय, यह अति संवेदनशील मुद्दा है। मैं माननीय सांसद को यह आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार इस खिलाड़ी को निकट भविष्य में खेल स्पर्धाओं के किसी भी स्तर पर फिर से खेलने के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करेगी।

श्री भर्तृहरि महताब : बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री केशव प्रसाद मौर्या — उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : माननीय सभापति जी, 15वीं लोक सभा में जब दिल्ली में देश की राजधानी में निर्भया कांड हुआ था तो जस्टिस जे.एम. वर्मा की एक कमेटी गठित की गई थी और जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को हमने टोटैलिटी में इस उम्मीद के साथ स्वीकार किया था कि शायद उस अमेंडमेंट के बाद देश की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बहुत कठोर कानून बन गया है लेकिन इसके बावजूद रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो एक चिंता का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 2013 में नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है कि महिलाओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में 32546 केसेज हुए और इसमें पूरे देश की तुलना में 10.51 प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। स्थिति यह है कि रेप के केसेज बढ़ रहे हैं और कंविक्शन लगातार घट रहा है। यह भी नेशनल क्राइम ब्यूरो की ही रिपोर्ट है: *[अनुवाद]* "उत्तर प्रदेश में 2012 में दोषसिद्धि की दर केवल 50.3 प्रतिशत थी।" *[हिन्दी]* अगर कहीं न कहीं रेप करने वाले दोषी लोग या उस तरह की अपराधी कंविक्ट नहीं होंगे, छूट जाएंगे तो निश्चित तौर से उनका हौसला बढ़ेगा। इसलिए आज चिंता का विषय यह है कि क्या केवल कानून बना देने से यह सब रुक जाएगा क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में, राजधानी में घटना हुई, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है कि

दिल्ली जैसी घटना की पुनरावृत्ति हुई और उसके बाद जिस तरीके से एक वर्ष में 3050 केवल रेप की घटनाएं वर्ष 2013 में हुईं, यानी 8 रेप की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। इसलिए यह चिंता का विषय है क्योंकि केवल यह कह देना की अनसेफ नहीं है, घटनाएं कम हो रही हैं या अधिक हो रही हैं। सदन को चिंता करनी चाहिए कि हम एक कठोर कानून बनाने के बाद भी हम अपने देश की महिलाओं को जिनको "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता" जहां एक ओर हम अपनी नारियों को देवी के रूप में निरूपित करते हैं और आज 8 रेप की घटनाएं प्रतिदिन हों तो यह एक चिंता का विषय है। इसलिए इसका संज्ञान लेकर जिम्मेदारी से इस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपालकृष्णन (नीलगिरी) : माननीय सभापति महोदय, वणक्कम। मामले को उठाने से पहले मैं हमारी नेता पुराची थैलवी अम्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस सम्माननीय सभा में भोजन के लिए मेरा चयन किया और पुन: पुराची थैलवी अम्मा के आशीर्वाद से मैं महत्वपूर्ण और अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे को उठा रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, तमिलनाडु में नीलगिरी जिला एक पर्वतीय क्षेत्र है। चाय बागान और सब्जियों की खेती नीलगिरी के लोगों के जीवनयापन हेतु मुख्य आजीविका है। वहां अनेक छोटे चाय उत्पादक हैं। लगातार वर्षा, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस क्षेत्र में इन कृषि फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है। वर्तमान में, भारत सरकार के मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी की है कि इन क्षेत्रों में औसत से कम तथा अल्प वर्षा होगी। इसके कारण चाय उत्पादकों और सब्जी उत्पादक किसानों को काफी क्षति होगी। चाय के मूल्यों में आंशिक कमी होने के बावजूद भी चाय को पूरी ना बिक्री न होने के कारण चाय उत्पादकों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की शक्ति भारत सरकार में निहित है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने समक एक वैज्ञानिक मानवीय दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इसे बाजार की कृत्रिम शक्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। भारत सरकार का प्रयास छोटे चाय उत्पादकों द्वारा उत्पादित हरी पत्तियों के संदर्भ में वास्तविक मूल्य प्रदान करने का होना चाहिए। इसे जमीनी वास्तविकताओं और उत्पादन की लागत पर आधारित होना चाहिए। छोटे चाय उत्पादकों को विवेक सम्मत प्रतिफल प्राप्त करने का हक है और केन्द्र को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिए जैसा इसने गन्ना और रबड़ उत्पादकों के लिए किया है।

सब्जी की खेती के संबंध में, मैं कहूंगा कि कई विशिष्ट प्रकार की विदेशी सब्जियां नीलगिरि के किसानों द्वारा काफी परिश्रम से अत्यधिक सावधानीपूर्वक उगाई जाती हैं। उर्वरकों की कीमत में भारी वृद्धि के कारण सब्जी का उत्पादन जितना हो सकता है उतना नहीं हो पाता है। प्रभावित किसानों को कम कीमत पर उर्वरक और अन्य कृषि संबंधी सामर्गियों की आपूर्ति को कराकर ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि छोटे चाय उत्पादकों के लिए हरी पत्ती वाली चाय के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण द्वारा और सब्जी उत्पादकों को कम मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराकर स्थिति में सुधार के उपाय करे।

माननीय सभापति महोदय, एक बार पुन: मैं अपनी नेता अम्मा और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सोलहवीं लोक सभा के लिए मेरा समर्थन किया और निर्वाचित किया।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति जी, मैं मुम्बई सबअर्बन रेलवे में गत कुछ वर्षों में एक्सीडेंट बढ़े हैं, इसकी तरफ सदन और रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गत वर्ष 2013-14 में एक वर्ष में 10,000 ह्यूमेन केजुअल्टी हुई हैं। रोज 10 से 15 प्रवासियों की मुम्बई रेलवे में मौत होती है। मोनिका मोरे जैसी 16 साल की कॉलेज की लड़की के दोनों हाथ चले जाते हैं तो तनवरी शेख के दोनों पैर चले जाते हैं। मुम्बई उच्च न्यायालय ने भी इसी विषय में रेलवे मंत्रालय को निर्देश दिया था। जब इस विषय पर ध्यान दिया गया तो पता चला कि तीन साल पहले रेलवे मंत्रालय ने अचानक मुम्बई की लोकल रेलवे का नया आर्डर दिया। सीमेंट कंपनी को ऑर्डर दिया गया। प्लेटफार्म की एक फीट अधिक ऊंचाई न होने के कारण घटनाएं घटी हैं। मैं रेल मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय की जांच हो और प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने का काम तुरंत किया जाए।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है जहां भूमि की नपाई, कब्जा, चकरोड आदि से संबंधित लाखों मुकदमे तहसील में संचालित न्यायालयों में लंबित हैं। छोटे मुकदमे भी 20 साल तक निर्णित नहीं हो पाते हैं और लगातार तारीख मिलती हैं। उक्त न्यायालयों की प्रक्रिया इतनी अस्पष्ट है कि एक ही मुकदमे में दोनों पक्षों का स्थगन आदेश प्राप्त हो जाता है। एक दिन एक पक्ष में निर्णय होता है और दूसरे दिन पुन: मुकदमा शुरू हो जाता है। उक्त न्यायालयों में प्रति माह वाद निर्णीत करने की न्यूनतम संख्या निर्धारित है, परंतु उक्त कोटा पूर्ण करने के लिए आज मुकदमा तय होता है और कल वही मुकदमा पुन: प्रारंभ कर दिया जाता है। जिसके कारण किसानों के समय व धन

का अपव्यय होता है, साथ ही साथ लम्बे समय तक न्याय न मिल पाने के कारण मानसिक असंतोष भी होता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि न्यायिक प्रणाली में सुधार के क्रम में राजस्व न्यायालयों की स्थापना की जाए तथा प्रक्रिया में भी सुधार किया जाए, जिससे भूमि संबंधी मामलों में किसानों को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाना चाहता हूं, जो आज अखबार में भी छपा है कि जो सफदरजंग, महावीर और वर्धमान आदि हास्पिटल्स हैं, इनमें जो वीकर सैक्शन ऑफ दि सोसाइटी के डॉक्टर्स पढ़ते हैं, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे होते हैं, उनके बारे में सूचना आई है कि उन्हें जाति देखकर मार्क्स देते हैं। यह 2010 की घटना है और इसे आयोग ने भी नोटिस में लिया है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि एजूकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए आप स्वास्थ्य मंत्री को निर्देशित करें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जो कलंक है, यह मिटना चाहिए और मैं लोकतंत्र के इस मंदिर में कहना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं होती हैं, इससे वीकर सैक्शन ऑफ दि सोसाइटी के मन में अलग तरह के भाव आते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री उसका नोट लें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश में खासकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत कसमार, नावाडीह, जरीडीह, डुमरी, पीरटाड़ जो क्षेत्र हैं, वहां पर हाथियों का उत्पात काफी हो गया है। जंगल क्षेत्र में खासकर जो आदिवासी भाई रहते हैं, दलित परिवारों के लोग रहते हैं, वहां पर हाथियों का उत्पाद ज्यादा हो गया है। उनके घर मिट्टी के बने होते हैं, जिन्हें हाथी गिरा देते हैं। झारखंड सरकार और भारत सरकार उन लोगों में अगर वे बीपीएल कार्डधारी नहीं हैं या उनके पास लाल कार्ड नहीं है तो उनके लिए इंदिरा आवास नहीं बनेगा। उन्हें जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, वह मुआवजा राशि भी नहीं मिल पाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां वाच टावर का निर्माण किया जाए, साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था हो, ताकि हाथियों से आने के पहले वहां के ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिल जाए और वे सुरक्षित स्थानों पर जा सकें।

इसके साथ ही मेरा भारत सरकार से आग्रह होगा कि वर्तमान में जिन्हें यह नुकसान हुआ है, उनके लिए इंदिरा आवास बनाये जाएं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और जो मृत हो गये हैं, जिन्हें हाथियों के द्वारा मार दिया गया है, उनके परिवारों के लिए धन मुहैया कराया जाए और उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस संबंध में भारत सरकार को निर्देशित करें।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : सभापति महोदय, हमारा मामला जल संसाधन विभाग से संबंधित है। आज दो बजे से इस विभाग पर चर्चा हो रही थी। उसमें मुझे भी बोलने का मौका मिला और तब मैंने यह मामला उठाया था, क्योंकि हमारे एरिया में कटाव अभी भी हो रहा है। अभी पांच-दस मिनट पहले में बाहर गया था, अभी भी वहां कटाव हो रहा है और लगभग एक हजार परिवार घर से बेघर हो रहे हैं। विक्रमशिला के अपस्ट्रीम में राघवपुर में, बिनटोले इस्माइलपुर, सहोरा इलाके में कटाव हो रहा है। जब जल संसाधन विभाग के बारे में चर्चा हो रही थी, तब मैंने विस्तृत रूप से सदन में यह मामला रखने का काम किया और जब मंत्री जी का वक्तव्य आया तो हमें विश्वास था कि जो कटाव वाले क्षेत्रों के लोग हैं, उनके प्रति कुछ न कुछ सहानुभूति इस सदन को होगी और मंत्री महोदय उस पर अपनी बात रखने का काम करेंगे। लेकिन मंत्री महोदय की तरफ से कोई सेंसेशन नहीं थी, उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने अभी बाद में बोलते समय भी कहा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। सरकार के लोग चाहे जितनी अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन सरकार कटावग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है।

महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जो कटाव वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से बचाया जाए। महोदय, यह कैसी विडंबना है कि यहां चर्चाएं हो रही हैं और वहां लगातार लोग कटते जा रहे हैं। इसको गंभीरता से लेना जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुनील सुरेश (मावेलीक्करा) : महोदय, मुझे एक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठाने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं और केन्द्र सरकार कीमतों को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। रेल की माल ढुलाई दर में वृद्धि और तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पहले सरकार ने केरल के लिए चावल का राशन कोटा कम कर दिया। इसके बाद, बिना किसी पूर्व सूचना के, आग में घी डालते हुए, भारत सरकार ने केरल के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल

का कोटा और पुन: कम कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, बाजार में चावल की उपलब्धता में कमी हो गई और कीमतों में वृद्धि हो गई।

केरल में रमजान और ओणम त्योहार मनाए जाने वाले हैं और ऐसे अवसर पर केन्द्र सरकार में चावल के कोटे में इतना अधिक कमी कर दी है। पहले गरीबी रेखा से ऊपर के कार्डधारकों को 9 किग्रा. चावल और 2 किग्रा. गेहूं आवंटित किया जाता था, तो अब घटाकर प्रति कार्ड धारक क्रमश: 6 किग्रा. और 1 किग्रा. कर दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों का चावल का कोटा प्रति परिवार 25 किग्रा. था जिसे अब घटाकर 22 किग्रा. कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चावल के आवंटन को 1,36,000 टन से घटाकर 1,22,000 टन प्रतिमाह कर दिया गया है। राशन के अंश में कमी से अन्नपूर्णा और अन्त्योदय कार्यक्रमों के लाभार्थियों को भी चावल की कमी होगी।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि केरल के लिए चावल का कोटा तत्काल पुन: बहाल किया जाये और 1 लाख टन का अतिरिक्त कोटा त्योहरों के मौसम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए केरल को आवंटित किया जाए।

[हिन्दी]

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जिस बुंदेलखंड की धरती पर भगवान श्रीराम जी ने भी 14 वर्ष के वनवास के समय चित्रकूट में शरण ली थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस में लिखा है—"जैह पे विपदा पड़े, वह आवे यह देश"। उस जमाने में किसी पर विपत्ति पड़ती थी, तो वह बुंदेलखंड जाता था। आज बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि बुंदेलखंड का किसान पिछले 15 वर्षों से सूखे की चपेट में है। सूखे की चपेट के कारण लोग वहां से बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अन्नदाता किसान, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं। जमीन बेच कर उन्हें अपनी बेटी के हाथ पीले करने पड़ रहे हैं। उसके बाद भी आज यह स्थिति है कि बैंकों ने वहां पर अपनी वसूली का अभियान चला रखा है। किसान पिछले 15 वर्षों से बड़ी बुरी स्थिति में हैं। मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करना चाहता हूं कि कम-से-कम बुंदेलखंड के किसानों का एक विशेष दर्जा बनाया जाए। उसको भारत के पूरे किसानों से एक अलग श्रेणी में रखा जाए तथा उनका कर्जा माफ किया जाए और तत्काल प्रभाव से बैंकों की वसूली को रोका जाए।

श्री भरत सिंह (बलिया) : माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में पूर्वांचल, बलिया लोक सभा क्षेत्र गाजिपुर से लेकर डेढ़-पौने दो सौ किलोमीटर लंबा क्षेत्र, हरी सब्जी का सबसे अधिक उत्पादन बलिया करता है। टमाटर, गोभी, बैंगन, आलू आदि हर प्रकार की हरी सब्जी यहां पर पैदा होती है। लेकिन किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। रेल मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि रेल साइट पर वेयरहाउसिंग के सहयोग से कृषि उत्पादों को बड़े-बड़े शहरों को सप्लाई किया जाएगा।

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बलिया में एक कोल्ड स्टोरेज़ की स्थापना की जाए, जिससे किसानों की हरी सब्जी और फल बर्बाद होने से बचें और किसानों को उचित मूल्य मिले। आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से भी मेरी यह मांग है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां सब्जी पैदा होती है, वे सारे खेत गंगा के कटान से खत्म होने वाले हैं। वहां गंगा का कटान जोरों पर है। वहां बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए गंगा और घाघरा का कटान इब्राहिमाबाद में बराबर कट रहा है। शेरपुर, सेमरा में कट रहा है।

अधिष्ठता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जल संसाधन मंत्री का ध्यान भी मैंने आकर्षित किया था कि इस कटान को रोकने का उपाय किया जाए।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर का पानी राजस्थान के आठ जिलों और बहुत बड़े भू-भाग के सिंचित और पीने के पानी के लिए काम आता है। उस इलाके के अंदर पंजाब के हीरेक बैराज से पानी छोड़ा जाता है। वह पानी प्रदूषित है। पंजाब सरकार को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव ने कई बार पत्र लिखा है कि जो पानी छोड़ा जा रहा है, वह जालंधर लुधियाना, फगोड़ा के इंडस्ट्रीज इलाके से निकला हुआ प्रदूषित पानी है। पानी छोड़ने के बाद हीरेक बांध से सतलुज नदी होता हुआ रावी, व्यास नदी में मिलकर राजस्थान को छोड़ा जाता है।

माननीय सभापति महोदय, यह इसलिए चिंता का विषय है कि यह पानी आज भी उन लोगों के पीने के काम आता है। प्रदूषित पानी लोग पिएंगे तो उन्हें बीमारी हो जाएगी। मेरा निवेदन है कि सरकार, जल संसाधन मंत्री और पर्यावरण मंत्री पंजाब सरकार को निर्देशित करें कि हीरेक बांध से छोड़े हुए पानी के लिए फिल्टर प्लांट लगाया जाए और उसकी लगातार जांच होती रहे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी इस बात के लिए कहा है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोटा की चंबल नदी प्रदूषित होती जा रही है। उस नदी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए केन्द्र सरकार एक व्यापक इंतजाम और व्यापक कार्य योजना बनाये ताकि कोटा की चंबल नदी का पानी शुद्ध हो सके।

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। छत्तीसगढ़ भारतवर्ष का सबसे संपन्न प्रदेश है लेकिन वहां रेल की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो बजट पेश हुआ है, रेल का बजट जरूर अच्छा है लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र की उपेक्षा हुयी है। कोरबा क्षेत्र में कोयले का अपार भंडार है, 49 खदानें हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में कोरबा ऊर्जा धानी है। वह दस हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने वाला प्रदेश है। वहां बॉक्साइट की खदान है और वहां एल्युमिनियम का कारखाना है, पॉवर स्टेशन है, हसदेव नदी पर बांगो डैम है, जो सबसे बड़ा बहुउद्देशीय डैम है। वहां भारतवर्ष के सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं, लेकिन वहां रेल की सुविधा बहुत कम है। वहां पीट लाइन बिछा दी गयी है। वहां आज तक किसी प्रकार की गाड़ियों का स्टापेज नहीं है। रात को ढुलाई नहीं होती है, लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चलती हैं। मैं तो कहता हूं कि इंटरसिटी एक्सप्रेस एक चुनावी गाड़ी थी, वह 27 फरवरी को प्रारंभ हुयी और 27 मई को उसे बंद कर दिया गया।

हमारा पुन: निवेदन है कि उस इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदलकर हसदेव एक्सप्रेस के नाम से उसे चलाया जाए। कोरबा का बिलासपुर जोन सबसे समृद्धशाली जोन है और उसका सबसे ज्यादा हिस्सा कोरबा नगर देता है, हर दस मिनट में एक मालगाड़ी का लदान होता है और उसके बाद भी वहां किसी प्रकार की रेल की सुविधा नहीं दी गयी है।

हमारी पुन: आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मांग है कि कोरबा क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदलकर हसदेव एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाए। जिस प्रकर से वेनगंगा एक्सप्रेस है, जिस प्रकार से शिवनाथ एक्सप्रेस है, महानदी एक्सप्रेस है, जम्मूतवी एक्सप्रेस है, वैसे ही वहां की पावन नदी हसदेव के नाम उस एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाए। यही हमारी मांग है। गाड़ी संख्या 08795 कोरबा-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ऊर्जाधानी कोरबा से प्रारंभ होकर न्यायधानी बिलासपुर होते हुए राजधानी रायपुर तक जाती थी अर्थात् इस ट्रेन से चार संसदीय क्षेत्र कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर एवं रायपुर की जनता को लाभ होता था। अत: इस ट्रेन का पुन: प्रारंभ होना आवश्यक है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : सभा कल 22 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 जुलाई, 2014/31 आषाढ़, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	181
2.	श्री रामदास सी. तडस	182
3.	श्री एन. क्रिष्टप्पा	183
4.	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण श्रीमती सुप्रिया सुले	184
5.	श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (आवंती) श्री इदरिस अली	185
6.	श्री पी. करुणाकरन श्री राकेश सिंह	186
7.	श्री सदाशिव लोखंडे	187
8.	योगी आदित्यनाथ श्री के.सी. वेणुगोपाल	188
9.	श्री शैलेश कुमार श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	189
10.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	190
11.	श्री बी. विनोद कुमार	191
12.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	192
13.	श्री कीर्ति आजाद	193
14.	श्री शिवकुमार उदासि	194
15.	कुमारी सुष्मिता देव	195
16.	श्री धनंजय महाडीक श्री सुल्तान अहमद	196
17.	श्री फिरोज़ वरुण गांधी श्री अशोक महादेवराव नेते	197
18.	श्री दुष्यंत चौटाला श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	198
19.	श्री विद्युत वरण महतो श्री लक्ष्मण गिलुवा	199
20.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री आधलराव पाटील शिवाजी	1513, 1523, 1579, 1582, 1588
2.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	1461, 1537, 1593, 1621, 1646
3.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1481, 1549
4.	श्री इदरिस अली	1561, 1562, 1607, 1636
5.	श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा	1447, 1490
6.	श्री एंटो एन्टोनी	1500, 1516, 1572, 1610, 1639
7.	श्री तारिक अनवर	1521
8.	श्री बी. श्रीरामुलु	1493, 1558
9.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	1513, 1523, 1579, 1582, 1615
10.	श्री पी.के. बिजू	1473, 1566
11.	श्री ओम बिरला	1465, 1542, 1624
12.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	1449
13.	श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	1489, 1584, 1619, 1643
14.	श्री पी.पी. चौधरी	1458, 1638

1	2	3
15.	श्री दुष्यंत चौटाला	1561, 1625
16.	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	1555
17.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1472, 1570, 1623
18.	श्री थुपस्तान छेवांग	1527
19.	श्री राम टहल चौधरी	1490, 1503
20.	श्रीमती रमा देवी	1487, 1490, 1550, 1557
21.	श्री धर्मवीर	1524
22.	श्री संजय धोत्रे	1478, 1490, 1571
23.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1479, 1503, 1548, 1598, 1651
24.	श्री निशिकांत दुबे	1525, 1590, 1616, 1623, 1649
25.	श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा	1445, 1530
26.	श्री जैदेव गल्ला	1468, 1557
27.	श्री फिरोज़ वरुण गांधी	1560, 1604, 1634
28.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	1517, 1578, 1589
29.	श्री राजेन गोहेन	1505, 1575
30.	श्री प्रतापराव जाधव	1487, 1491, 1557, 1580, 1642
31.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	1492, 1565
32.	डॉ. संजय जायसवाल	1558
33.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	1470, 1574, 1612
34.	श्री सी.एन. जयदेवन	1480, 1581, 1617
35.	श्री नारणभाई काछड़िया	1557, 1605
36.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	1460, 1579, 1617

1	2	3
37.	श्री पी. करुणाकरन	1556
38.	श्री राहुल कस्वां	1482
39.	श्री रत्न लाल कटारिया	1504
40.	श्री नलीन कुमार कटील	1483, 1555, 1589
41.	श्री कौशल किशोर	1464, 1540
42.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1495, 1510, 1557, 1638
43.	श्री चन्द्रकांत खैरे	1477, 1491, 1503, 1550, 1580
44.	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	1551, 1606, 1635, 1652
45.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1451, 1533, 1618
46.	श्रीमती कोथापल्ली गीता	1456, 1534, 1561, 1592, 1631
47.	श्री एन. क्रिष्टप्पा	1554, 1571, 1602, 1629
48.	श्री शैलेश कुमार	1558
49.	श्री पी. कुमार	1515, 1572, 1582
50.	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	1605
51.	श्रीमती सकुंलता लागुरी	1486
52.	श्री सदाशिव लोखंडे	1538, 1594, 1630, 1650
53.	श्रीमती पूनमबेन माडम	1508, 1600, 1638
54.	श्री धनंजय महाडीक	1555, 1559, 1603, 1633
55.	डॉ. बंशीलाल महतो	1454, 1558
56.	श्री विद्युत वरण महतो	1536, 1605

1	2	3
57.	श्री भर्तृहरि महताब	1490, 1571
58.	श्री जोस के. मणि	1462
59.	श्रीमती के. मरगथम	1480
60.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1524, 1546, 1632, 1651
61.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1529
62.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	1467, 1558, 1586
63.	श्री पी.सी. मोहन	1522, 1587
64.	श्री एम. मुरली मोहन	1497
65.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1455, 1651
66.	श्री बी.वी. नाईक	1469, 1495, 1544, 1596, 1644
67.	श्री अशोक महादेवराव नेते	1543, 1599, 1622, 1648
68.	श्रीमती मौसम नूर	1488
69.	श्री असादुद्दीन ओवैसी	1459, 1566, 1579, 1651
70.	श्रीमती कमला देवी पाटले	1485, 1504, 1558, 1627
71.	श्री बैजयंत जे. पांडा	1475, 1498, 1569, 1609, 1638
72.	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	1495, 1558, 1568
73.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1553, 1601, 1628
74.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	1501, 1573, 1611
75.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1467, 1535, 1622
76.	श्री भीमराव बी. पाटील	1457, 1535, 1570, 1620, 1647
77.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	1507

1	2	3
78.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	1518, 1636
79.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	1556
80.	श्री एम.के. राघवन	1566
81.	श्री प्रेम दास राई	1511, 1577, 1614, 1641
82.	श्री एम.बी. राजेश	1482, 1556
83.	श्री सी.एस. पुट्टा राजू	1446, 1531, 1608, 1637
84.	श्री विष्णु दयाल राम	1450
85.	श्री राजेश रंजन	1512, 1558, 1578
86.	श्रीमती रंजीत रंजन	1558, 1578
87.	श्री रामसिंह राठवा	1448, 1484, 1532, 1591, 1626
88.	श्री विष्णु पद राय	1476
89.	श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी	1453
90.	श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी	1452, 1495
91.	श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	1519, 1567, 1585, 1620, 1645
92.	श्री नेफिउ रिओ	1499
93.	प्रो. सौगत राय	1528
94.	श्री राजीव प्रताप रूडी	1583
95.	श्री पूरनो अगितोक संगमा	1514
96.	श्री राजीव सातव	1555, 1559, 1603, 1633
97.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	1555, 1576, 1613
98.	श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव	1555, 1559, 1603, 1633

1	2	3
99.	श्री राजू शेट्टी	1649
100.	श्री राहुल रमेश शेवाले	1507
101.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	1502
102.	श्री प्रताप सिम्हा	1555, 1579
103.	श्री गणेश सिंह	1471, 1520, 1545, 1600, 1640
104.	डॉ. भोला सिंह	1498, 1510
105.	श्री हुकुम सिंह	1491, 1564
106.	श्री रामा किशोर सिंह	1509
107.	श्री रवनीत सिंह	1445, 1496, 1530
108.	श्री सुशील कुमार सिंह	1623
109.	श्री सुनील कुमार सिंह	1467, 1535
110.	डॉ. किरिट पी. सोलंकी	1486
111.	श्रीमती सुप्रिया सले	1552, 1555, 1559, 1603
112.	श्री डी.के. सुरेश	1466, 1563

1	2	3
113.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	1449, 1474, 1505, 1547, 1597
114.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1639
115.	डॉ. शशि थरूर	1605
116.	प्रो. के.वी. थॉमस	1497, 1498
117.	श्री थोटा नरसिम्हम	1494, 1557, 1566
118.	श्री शिवकुमार उदासी	1503
119.	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	1463, 1539, 1595, 1627
120.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1496, 1506
121.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	1541
122.	श्री धर्मवीर	1526
123.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	1509
124.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1630
125.	श्री बी.एस. येदियुरप्पा	1496
126.	योगी आदित्यनाथ	1557

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	187, 193
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	181, 182, 184, 191, 200
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	183, 195
श्रम और रोजगार	:	189, 197
विधि और न्याय	:	188, 190, 194, 198
खान	:	192, 199
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	186, 196
इस्पात	:	185

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	1446, 1451, 1463, 1464, 1468, 1473, 1475, 1476, 1478, 1483, 1499, 1506, 1507, 1510, 1514, 1515, 1521, 1527, 1528, 1529, 1530, 1540, 1545, 1549, 1555, 1556, 1558, 1559, 1574, 1576, 1583, 1585, 1587, 1588, 1591, 1595, 1596, 1602, 1603, 1605, 1613, 1632, 1638, 1641, 1644
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1457, 1466, 1470, 1479, 1484, 1486, 1490, 1491, 1492, 1500, 1505, 1508, 1513, 1516, 1522, 1525, 1542, 1544, 1546, 1548, 1551, 1562, 1570, 1571, 1575, 1577, 1579, 1582, 1599, 1607, 1609, 1614, 1628, 1637, 1639, 1646, 1648
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1453, 1487, 1489, 1495, 1524, 1534, 1541, 1552, 1560, 1592, 1594, 1625, 1631, 1634, 1635
श्रम और रोजगार	:	1447, 1448, 1449, 1450, 1460, 1462, 1465, 1469, 1472, 1480, 1482, 1488, 1493, 1501, 1502, 1503, 1511, 1512, 1519, 1526, 1528, 1532, 1533, 1536, 1538, 1554, 1557, 1561, 1563, 1565, 1572, 1573, 1578, 1580, 1584, 1586, 1600, 1604, 1608, 1611, 1616, 1617, 1618, 1619, 1622, 1624, 1633, 1640, 1642, 1647
विधि और न्याय	:	1452, 1454, 1455, 1456, 1458, 1459, 1461, 1467, 1471, 1481, 1494, 1517, 1531, 1539, 1553, 1569, 1581, 1590, 1610, 1629, 1630, 1650
खान	:	1485, 1518, 1523, 1543, 1568, 1626, 1636, 1645, 1652
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1445, 1474, 1497, 1498, 1504, 1535, 1537, 1547, 1550, 1564, 1566, 1567, 1589, 1597, 1598, 1601, 1612, 1615, 1620, 1623, 1627, 1643, 1649, 1651
इस्पात	:	1477, 1496, 1509, 1520, 1593, 1606, 1621.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110 001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडिया ऑफसैट प्रैस, ए-1 मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।